

शाला संगठन एवं शिक्षा समस्याएँ

(School Organisation & Problems of Education)
 (समस्त विश्वविद्यालयों की बी. बी. एड कक्षाओं के लिए पाठ्य-पुस्तक)

लेखक ८०८२
 १५ १० ८४

हेतसिंह बघेला
 एम ए (हिन्दी व इतिहास), एम एड
 मुख्य प्राचार्य, रा. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीकानेर
 तथा अपर निदेशक (शिक्षा), राजस्थान।

एवं
 हरिशचन्द्र व्यास

एम ए, एम एड
 राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीकानेर

प्राचकथन लेखक।

डॉ पी एन माहेश्वरी

कम्बीनर, बोड ऑफ स्टडीज (शिक्षा सकाय), राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

अभियंत
 श्री जगदीश नारायण पुरोहित

प्रपाठाचार्य

राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीकानेर

डॉ सी एम शर्मा,

ऐसोसिएट ग्रोकेसर, बी. एड पत्राचार संस्थान, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

1985-86

आठोदिया पुस्तक भंडार, बीकानेर

प्रकाशक ।

किशनलाल गाडोदिया
गाडोदिया पुस्तक भ.
फड बाजार बीकानेर
फोन न ४०८०, ५३३०

प्रथम संस्करण 1985-86

मूल्य ।

छात्र संस्करण रु० ३५ ००
पुस्तकालय संस्करण रु० ५५ ००

मुद्रक ।

राजस्थान प्रिटर्स, रानी बाजार, बीकानेर

१५ १० ८५

प्राकंकथन

“ नावक अपेक्षाये स्तर के बालक-बालिकाये प्राकृति हो रहे हैं, उनमे वांछित शिक्षक वि तन का विकास करना। प्रावश्यक है। शिक्षक के अनुरूप जीवन-दशन एव उसका सामाजिक महत्व, राष्ट्र निर्माण मे उसका स्थान विद्यालय का सगठन और उसके काय, शिक्षा जगत से सम्बन्धित अनेकानेक समस्याएँ तथा उनका उपयुक्त निराकरण आदि की जानकारी देना महत्वपूर्ण है। उनमे प्रशिक्षण के माध्यम से वांछित व्यवसायिक निष्ठाओं तथा क्षमताओं का विकास करना भी महत्वपूर्ण है।

राष्ट्र-स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण कायकम को प्रभावी बनाने का प्रयास चल रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय के नये पाठ्यक्रम मे भी प्रश्न पत्रों की पुनरचना की गई है। नये पाठ्यक्रम मे 'विद्यालय सगठन तथा शिक्षा की समस्याये नायक तृतीय प्रश्न-पत्र सम्प्रिलित किया गया है। इस प्रश्न पत्र पर श्री हेतुसिंह जी वधेला एव श्री हैरिहरद्वा जी व्यास द्वारा लिखित पुस्तक की पाण्डुलिपि देखने का अवसर प्राप्त हुआ। अपने दोष कालीन प्रशिक्षण महाविद्यालयों के शिक्षक एव प्राचार्यों के रूप मे एकत्रित अनुभव स्वाध्याय, विन्तन एव मनन का जो निचोड उनकी जय हवियो मे देखने का अवसर मिला, उसका समावेश इटीने इस पुस्तक के लखन म भी किया है।

पाठ्यक्रम की प्रावश्यकतानुसार पाठ्य-सामग्री सरल एव सुगम भाषा-गली एव व्यवस्थित तथा ताकिंक प्रत्युति के आधार पर विद्वान लखनों की अप्य पुस्तकों के समान ही यह पुस्तक भी अत्यन्त लोकप्रिय होगी। राजस्थान विश्वविद्यालय के छावनाव्यापकों के अनिरक्त यह अप्य विश्वविद्यालयों के प्रशिक्षायियो के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी,

प्रेम नारायण माहेश्वरी

प्राचार्य

सायाजक-बाड आफ स्टेडीज (शिक्षा सकाय)
राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

(, अ ,)

अभिमत

बतमान में स्थिति यह है कि प्रयोगी में लिती भव्यते स्तर की पुस्तके पढ़ने की विद्यार्थियों में योग्यता नहीं होती तथा हिन्दी में अच्छे स्तर की भौतिक पुस्तकों का अभाव बना हुआ है। परिणाम स्थूल विद्यार्थी सही एवं बाजार पुस्तकों का अध्ययन कर परीक्षा में यैन-वैन-प्रश्नारेण उत्तीर्ण होने का प्रयास करते हैं। भौतिक स्तर में गिरावट प्राप्त का यह भी एक प्रमुख कारण है।

उक्त परियोग में "शाला सगठन एवं शिक्षा समस्याएँ" नामक इस पुस्तक का महत्व सहज ही उजागर हो जाता है। पुस्तक में ग्रामान्ध्यापक की भूमिका, सह गणिक प्रतितियों का जायोजन, स्थान्स्थ्य शिक्षण, विद्यालय अनुशासन विद्यालय के भौतिक संसाधन, शाला पुस्तकालय, छात्रावास परीक्षण एवं प्रोफेन्टि समय विभाग-चक्र, छात्र असन्तोष, शिक्षा का भारतीयकरण, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा, विद्यालय समुदाय योजना, जनसंख्या शिक्षा आदि विषयों पर सारांगभित सामग्री सजोने का प्रयास किया गया है। निश्चित ही पुस्तक वी एड वे विद्यार्थियों के लिये उपयोगी सिद्ध होगी। ऐवारत अध्यापक भी इस पुस्तक का अध्ययन कर प्रयत्ने विचारों में निखार सा सकें, ऐसी आशा है।

लेखकों का प्रयास पुस्तक को जहाँ वी एड के प्रशिक्षणार्थियों के लिए अधिकतम उपयोगी बनाना रहा है, वहीं इसे विद्यालय प्रशासन की हृषिक से सबभ पुस्तक भी बनाया गया है। पुस्तक में अद्यतन विभागीय/राजकीय आदेशों/नियमों एवं निर्देशों का भी समावेश करने का अच्छा प्रयास किया गया है।

‘ सेखकगण इस सामयिक एवं भव्यते प्रयास के लिए बधाई के पात्र हैं। मेरी शुभ-कामनाएँ उनके साथ हैं। ’

जगदीश नारायण पुरोहित
प्रधानाचार्य
राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बीकानेर

अभिमत

थी हेतुसिंह बघेला तथा थी हरिश्चन्द्र व्यास द्वारा रचित "शाला संगठन एव जिका समस्याएँ" पुस्तक की पाण्डुलिपि मेने देखो है। निश्चय ही यह पुस्तक वी एड के धाराध्यापकों तथा जिका जगत में कार्यरत अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों व शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी ऐसी मेरी व्यक्ति-गत धारणा है। पुस्तक नये पाठ्यक्रम के घनुसार लिखी गई है इसकी परीक्षायियों के लिए उपयोगी हो सकेगी। पुस्तक में प्रत्येक पाठ को धार प्रस्तुत किया गया है तथा अन्त में परीक्षा सम्बंधी प्रश्न भी दियुस्तक लिखने में लेखक बाबुमो ने परिश्रम किया है। वोनो ही लेखकगण के पात्र हैं।

डॉ सी०एम० शम।

एसोसिएट प्रोफेसर
भारो वी एड पश्चात्र अध्ययन संस्थान
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

अभिमत

शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में गत वर्ष परिवर्तित परिस्थितियों एवं नवीन प्रयोगों से अवगत कराने हेतु मामूल छूल परिवर्तन किया गया। इस परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुमार भव तक कोई पुस्तक छात्रों की हाफ्ट से उपयुक्त प्रकाशित नहीं हुई थी। श्री बघेला जी एवं श्री व्यास जी द्वारा लिखित पुस्तक “शाला संगठन एवं शिक्षा संस्थाएँ” की पाण्डुलिपि देखने का अवसर मुझे मिला। यह पुस्तक छात्रों के लिए उपयोगी है। इसकी मापा सरल एवं सारणभित्र है। मैं यह दस वर्षों से राजस्थान विद्विद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ तथा इसी विषय का अध्यापन कर रही हूँ। श्री बघेला जी एवं श्री व्यास जी को इनके अध्यक्ष प्रयासों के लिए बधाई एवं मेरी शुभकामनाएँ प्रेयित करती हूँ।

— * —

डॉ श्रीमती सुशीला शर्मा
एम ए, एम एस पी एच डी
सहायक प्रोफेसर(शिक्षा संकाय)
पत्राचार संस्थान राजस्थान विद्विद्यालय, जयपुर

(१८)

अभिमत

श्री हेतसिंह जी वर्षेला तथा श्री हरिशचंद्र जी व्यास द्वारा राजस्थान
 विश्वविद्यालय के थोड़े एड के तृतीय प्रश्न-पत्र के पाठ्यक्रमानुसार लिखित पुस्तक
 "शाला सगठन एव शिक्षा समस्याएँ" की पाण्डुलिपि का मैंने ध्यान पूर्वक
 अवलोकन किया। मैंने थोड़े में इस प्रश्न-पत्र का गत नौ वर्षों से निरन्तर
 वर्घ्यापन किया है। यह पुस्तक इस प्रश्न-पत्र से सबधित अब तक प्रकाशित ग्रन्थ
 पुस्तकों की वर्षेला विद्यायियों के लिए निरिचित रूप से ब्येठ तथा उपयोगी रहेगी,
 ऐसी मेरी मान्यता है। श्री वर्षेला जी व श्री व्यासजी ने ग्रन्थ पुस्तकों का लेखन
 भी थोड़े एड के विद्यायियों के लिए किया है। याथा ही नहीं पूर्ण विश्ववास भी
 है कि ग्रन्थ पुस्तकों की माँति आपकी यह पुस्तक छावाध्यापकों तथा प्रवक्ताध्यों
 के लिए सहायक सिद्ध हो सकेगी।
 मैं इस पुस्तक के लिए लेखकद्वय को हार्दिक बधाई देती हूँ तथा शुभकानाएँ
 प्रेपित करती हूँ।

श्रीमती प्रभा शर्मा

एम ए (हिन्दी, संस्कृत) एम एड, आर एस
 श्रीफेसर, राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय, जयपुर

दो शब्द

राजस्थान विश्वविद्यालय ने बी एड (नियमित), बी एड (प्राचार) तथा गिरा शास्त्री के पाठ्यक्रम में गत दो वर्षों से परिवर्तन कर तृतीय प्रश्न-पत्र को 'शास्त्र सगटन एवं शिक्षा समस्याएँ' नाम से पुनर्गठित कर दिया है। साय ही मूल्यांकन विधि में भी संशोधन किया है। अभी तक इस प्रश्न-पत्र से संबंध थोड़े एसी पुस्तक उपलब्ध नहीं थी जिसमें नवीन पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रकरणों को नवीन मूल्यांकन पद्धति से समायोजित कर प्रस्तुत किया गया हा एवं उनमें भव्यतन सामग्री को समाविष्ट किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक का लेखक ने अपने शिक्षण-अनुभव एवं शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के विद्वान् प्राचारीयों व प्रवक्ताओं के बहुमूल्य सुझावों के आधार पर अधिकाधिक उपयोगी बताने का प्रयास किया है।

लेखक-द्वय थीं वे एन माहेश्वरी, प्राचार्य, आदर्श विद्यामंदिर शिक्षा महाविद्यालय जयपुर व कर्मीनर, शिक्षा सकाय बोड औफ स्टडीज (राजस्थान विश्वविद्यालय) के प्रति आभारी हैं जिन्होंने पुस्तक की पाण्डुलिपि देखकर प्राक्षयन लिखा है तथा हाँ सीएम शर्मा अभारी रीडर, बी एड प्राचार भव्यतन संस्थान (राजस्थान विश्वविद्यालय) डॉ (थीमती) पुश्तीला शर्मा य थीमती प्रभा शर्मा के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस प्रश्न-पत्र के अपने शिक्षण अनुभव के आधार पर पुस्तक के विषय में अपने अभिमत दिये हैं। थी जगदीश नारायण पुरोहित प्राचार्य राजकीय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय बीकानेर के हैम हृदय से वृत्तन हैं जिन्होंने पुस्तक लेखन के समय हमारा माग दरान किया व पाण्डुलिपि देखकर अभिमत भी लिखा है। अत मे हम अपने प्रकाशक थी दिशन सालजी याहार्या को बधाई देते हैं जिन्होंने इस पुस्तक को समय पर प्रकाशित कर लेखक द्वय को प्रोत्साहित किया है।

लेखकों की यह आकृद्या है कि पुस्तक आगामी सक्करणों में अधिकाधिक उपयोगी बनती रहे। इस हेतु पाठ्यक्रम के रचनात्मक सुझावों का सदव स्वागत है।

- लेखक-द्वय

(४)

विषय-सूची

अध्याय

पृष्ठ

प्रथम इकाई (UNIT I)

[विद्यालय वातावरण के निर्माण में प्रधानाध्यापक व अध्यापक की भूमिका, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएँ, स्वास्थ्य व शारीरिक-शिक्षा तथा अनुशासन।]

1 विद्यालय वातावरण के निर्माण में प्रधानाध्यापक व अध्यापक की भूमिका	1-44
(Role of the Headmaster & teacher in building the tone of the School)	
2 पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएँ (Co-Curricular activities)	45-58
3 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा (Health & Physical Education)	59- 72
4 अनुशासन (Discipline)	73-86

द्वितीय इकाई (UNIT II)

[विद्यालय हेतु अत्यावश्यक सुविधाएँ व सेवाएँ तथा माध्यमिक विद्यालयों की प्रमुख समस्याएँ]

5 विद्यालय भवन एवं उपकरण (School Building and Equipment)	87-100
6 विद्यालय प्रयोगशाला (School Laboratory)	101-112
7 विद्यालय पुस्तकालय (School Library)	113-128
8 विद्यालय छात्रावास (School Hostel)	129-141
9 शाला प्रवेश एवं गृहकाय (Admissions & Assignments)	142-159
10 अकादमिक मूल्यांकन एवं क्रमोन्नति (Academic testing & Promotion)	160-186
11 समय विभाग चक्र (Time-Table)	187-205
12 विद्यालय-प्रभिलेख (Schools Records)	206-228

तृतीय इकाई (UNIT III)

[सर्वानिक शैक्षिक प्रावधानों के राज्य में क्रिया वयन में अध्यापकों की भूमिका तथा राष्ट्रीय शैक्षिक समस्याएँ]

13 सर्वानिक शैक्षिक प्रावधानों के क्रियावयन में अध्यापक की भूमिका (The Role of Teachers in implementing the Constitutional Provisions on Education)	1-18
14 राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता (National & Emotional Integration)	19-43

15 भाषा विवाद सभीष्य समाधान (Language Controversy Possible Solutions)	44-63
16 छात्र भ्रस्तोप पारण तथा उपचारात्मक उपाय (Student Unrest Causes & Remedial Measures)	64-83
17 शिक्षा का भारतीयरण (Indianisation of Education)	84-112
18 धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा (Religious & Moral Education)	113-144
19 व्यावसायिक उपक्रम (Vocational Preparation)	145-158

चतुर्थ इकाई (UNIT IV)

[विद्यालय समून्यन योजना अक्तिगत एवं विद्यालय स्वास्थ्य पाठ्यक्रम, जनस्थान-शिक्षा, योनि-शिक्षा निर्देशन मेवाले तथा शारीरिक जी ॥ के साथन के शिक्षा र]

20 विद्यालय समून्यन योजना (Institutional Plan)	1-8
21 अक्तिगत एवं विद्यालय स्वास्थ्य पाठ्यक्रम (Personal & School health programme)	9-24
22 जनस्थान-शिक्षा (Population Education)	25-46
23 योनि शिक्षा (Sex Education)	47-66
24 निर्देशन सेवाएँ (Guidance Services)	67-76
25 प्रायोगिक काम (Practicums)	I-XX
(i) सस्था वार्षिक योजना, वार्षिक शिक्षण योजना तथा सनानुसार अन्त काय योजना का निर्माण	I-IX
(ii) छात्र-भ्रस्तोप को प्रभावित करने वाले कारकों के निर्धारण हेतु सामुदायिक सर्वेक्षण	X-XII
(iii) विद्यालय के भौतिक संसायनों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना का विकास	XII-XIII
(iv) शारीरिक प्रशिक्षण व खेलकूद की उपलब्ध सीमित साधनों के आतंगत योजना बनाना	XIV-XIV
(v) विद्यालय म निर्देशन के द्वारा स्थापना	XIV-XVI
(vi) पाठ्यक्रम सहगामी क्रियान्वयों सचित मूल्यांकन व छात्रों हेतु व्यावसायिक सूचना सम्बन्धी अभिलेखों का संधारण	XVI-XX



प्राद्यानाध्यापक एवं अध्यापिक की
विद्यालय-वातावरण के निर्माण में भूमिका

अध्याय - १

(The role of Headmaster & Teacher in Building the tone of the School)

प्रियदर्श प्रवेश—विद्यालय वातावरण के बाग भीतिक एवं भौतिक जैविक उनके, निर्माण में पटक (१) मुानवीय व भौतिक सावीय संसाधनों में प्रधानाध्यापक व अध्यापक का महत्व—विद्यालय वातावरण के निर्माण में प्रधानाध्यापक की भूमिका—
(२) प्रधानाध्यापक की स्थिति, (३) विद्यालय में स्थान एवं महत्व, (४) प्रशासक के हथ में (प्र) विद्यालय अवादमी व अव्यविधाकलापों में सुष्टुतनकर्ता के हथ में, (५) शिक्षक के हथ में; (६) दृष्टीनरथ, कमच्छान्नियों के प्रति स्वयं के स्थान उनके परस्पर मानवीय सूचनाओं के नियोजन के हथ में, (७) छात्रों के अभिभावकों में प्रति, (८) उच्च युविकारियों के अस्त्र लोगों वे प्रति, (९) इतिहाय-एक दायित्व, (१०) समस्याएँ ह एवं उनका गिरावरण।

विद्यालय वातावरण के निर्माण में अध्यापक की भूमिका—
(क) शिक्षक के हथ में (१) द्वात्रों व अभिभावकों के प्रति व्यवहार, (ग) विद्यालय प्रशासन में सहयोगी के हथ में, (घ) विद्यालय के भीतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण के निर्माण में सहयोग के हथ में (घ) सूल्यांद्रन—द्वयस्त्रहार]

प्रधानाध्यापक—
प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय का गुदोटा हाता है विद्यालय वातावरण में अधिक प्रभावी तत्व युद्ध का झूह प्रधानाध्यापक ही है। विद्यालय, में उसकी अद्वितीय स्थिति होती है। शिक्षण, जियार्थी, ड्रग्मांडप इत्यादि एवं गिरि गहरायी है। प्रधानाध्यापक अपने व्यक्तित्व, काय लिखा एवं गूजाया, विद्यालय को रग्नून्यन् पी धोर से जाता है और विद्यालय में शिक्षण एवं प्रशिक्षण को अपने एवं उसका व संरक्षण प्रदान करता है। अपनी विविध भूमिकाओं में प्रधानाध्यापक वृक्षल नदी वातावरण में विद्यालय विकसित होते हुए एवं गर्भेन योतावरण वा हास्टा होता है। उपर्युक्त योतावरण की सजना विद्यालयी बोधनमीं की सेपर्सन विविति हतु प्रथम बोधदेता है। विद्यालय की विभिन्न घटनों में प्रतिष्ठा ददा ये रि ए प्रधानाध्यापक वा नह तसा पनि

हीती है। दुश्मन प्रधानाध्यपक अपने शिक्षिक व्यवसार्थिक सगठनात्मक, प्रशासनिक एवं विभागीय दायित्यों के घराने वर अपने कायद कलामो में से उत्तरकर विद्यालयी प्रगति वा मरण प्रणस्त करते हैं परन्तु बदल एवं अविवेकी प्रधानाध्यपक अपेक्षित छज्जाईयों पर वीमे रह जाते हैं और विद्यालय में आये दिन बलेश, गिरवा शिक्षापत्र जन्मगण्यता और स्तरीयता वा हासापा पनपावान वातावरण के कारण विद्यालयी कायद कलाम और तमुनम की गतिविधियों का सरल मार्ग अवश्य हो जाता है।

विद्यालय रामाज द्वारा स्थानित एक ऐसी सम्भावा है जहाँ देश के भावी नागरिक और कर्मचारी वैदिक विद्याम करके भारतीय नागरिक बनावा जाता है। बालकों में सर्वांगीण विद्याम करक आदर्श नागरिक तंयार करने का कायद शास्त्रायां में अध्यापक बनते हैं। शाला में विभिन्न विचार पाराओं, मूर्खों, जादा अविश्वास व प्रतिष्ठित व प्रतिष्ठित वायापक कायद त होते हैं भारतीय तथा सतुरित नीति का निवरण करते हुए उन्हें सर्वांगीण विद्या। हेतु नीति प्रधानाध्यापक द्वारा बाई जानी है ताकि भिन्न-भिन्न अध्यापकों द्वारा स्वेच्छा नुसार विकास न हो सके और अध्यापकों द्वारा लिए पूछ में एक निर्दिष्ट मास का अनुस रा वाते हुए सामूहिक रूप से बालकों का सबगोन विद्याम प्रारंभ होते हुए पर्याप्त विद्याम वर्णन तथा सफल प्रयास किया जा सके। शाला में सामाजिक वातावरण बनाते हुए रा वैष्णवी के अनुरूप शाला का सभी छोड़ों में अनुशासनमय वातावरण बनाते हुए शिक्षिक नता का कायद सम्पन्न करता है, इसलिए उसे अध्यापकों द्वारा मुख्यता या प्रधानाध्यापक द्वारा है। सेना के नेता अयवा राजनतिवालाके नेता के पद से यह नतत्व भिन्न है। सेना के नेता का मेतत्व हिंसा और दण्ड के अधार पर अवलम्बित है तो राजनीति के नेता का अपने अनुपस्थिती की लघता वे अधार पर, शाला के नतत्व के पास ये दोनों ही अधार अनुपस्थित है अंटर बनि उत्तमित भी हों तो उनका प्रयोग खतरे से भरा हुआ है। साथ ही प्रधानाध्यापक के उत्तरदायित्व कम नहीं है। प्रधानाध्यापक द्वारा अपने सहवागियों वा नेतृत्व करना फड़ना है, एम स्टेपोनी जिसम अधिकांश तो शायद योग्यता में उसी के समकक्ष हो। इसर उसे उन शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना होता है जिनके पास ज्ञान कोई दृढ़ स्तरकार नहीं परन्तु जिनके प्रसग में यह दर बाहर होता है कि उनके द्वारा अनुचित स्तरकार में फड़ जाय।

अबेले प्रधानाध्यापक द्वारा अपने कर्तव्य निभाने में पां-पां पर बठिनाईयों वा सामाजिक रूप से यदि प्रत्येक सहवागी जानक के प्रक्रिया उत्तरदायित्व करने वाले गोरख वा अनुभव वर्ते हैं तो अभियंत्रितकारी नीति यह जाता है। इस नेतृत्व का यही लक्षण है।

जिस प्रकार के व्यतिरिक्त वा प्रधानाध्यापक होंगा, उसी के अनुभ्य साला का वातावरण बनता है। शाला की उन्नति व प्रबन्धि उसी की शक्तिक यामदारा, काय-

स्थान तथा अनुभव पर ही निभेर करता है। प्रधानाध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली उत्तरोत्तरादायक व अनुररणीय होने सरही शाला की उन्नति व शैक्षिक उन्नयन हो जायेगा अबगां शाला गद में चली जायेगी। इसी जीवनाध्यापक ने ठीक ही कहा है “बच्चे अब बच्चे सुरे प्रधानाध्यापक के बानुसार विद्यालय उन्नति अथवा अवनति प्राप्त करत है। महान् प्रधानाध्यापक महान् विद्यालय वो जन्म देते हैं।” अत अनफल प्रधानाध्यापक के बल शाला वी ही अवनति नहीं करता बल्कि भावी पीढ़ी जो कक्षाएँ में अध्ययनरत है उसे भी परोक्ष-अपेरोक्ष रूप से हानि पहुंचाता है, और उनका अविष्य उज्जग्नत होने की बजाय अधिकारसमय हा जाता है। यही शैक्षिक उन्नयन व अशासन की पुरी होता है। वह शाला का हृदय होता है। जिस प्रवार हृदय काय सुचाह रूप के नहीं बरने या अनफल होने की स्थिति में मानव शरीर भाटी रह जाता है ठीक इसी प्रकार प्रधानाध्यापक शाला वो गर्त में ले जा सकता है। वह अच्छा सगठनकर्ता, सयोज्जव पर्येक्षक, निर्देशक, मित्र, दाशनिक व परामर्शदाता है। प्रधानाध्यापक के बल रोब, डर, भय प्रदक्षित करने के आधार पर मुख्य नहीं बल्कि अध्यापन की दृष्टि से श्रोट होता है। देश विदेशों में होने वाले यद्येष, अनुसधान के बारे में ज्ञान रखते हुए अध्यापकों का शैक्षिक निर्देशन काय में उन्नयन करने में सहयोगी सिद्ध हो सके। प्रधानाध्यापक के व्यक्तित्व तथा इतिहास पर विचार करना तर्वंभगत प्रतीत होता है।

प्रधानाध्यापक का विद्यालय में स्थान एवं महत्वः—

(The Place of Significance of The Headmaster in the School)

प्रधानाध्यापक सम्पूर्ण विद्यालय की प्रयत्नि का प्रेरणा का स्रोत है। विद्यालय में एवं बनाये रखने, विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में सतुरन बनाये रखन, विद्यालय परम्पराओं को जीवित बनाये रखने राधा विद्यालय वो प्रगति के मार्ग पर से जाने के लिए प्रधानाध्यापक एक प्रमुख शक्ति के रूप में काय बरता है। विद्यालय की समस्त नियाएँ उसके चारों ओर घक्कर काटती हैं। समाज वो विद्यालय में तथा विद्यालय को समाज में ले जाने वा काय प्रधानाध्यापक द्वारा ही सम्पन्न करता है। पी सी रेन के शब्दों में “धड़ी में जो मुख्य स्प्रिंग का बाम है तथा भूमि भ जो पहिये जा सकत है अब वा पानी के जहां में जो इतन का स्थान है विद्यालय में वही स्थान प्रधानाध्यापक का है। “सस्थ बोई अच्छी या बुरी नहीं होती, प्रधानाध्यापक बुरा है तो सस्थ बुरा हा जाती है। महात् प्रधानाध्यापक से ही महान् बहरा होती है न कि विद्यालय भवन से।”

1. रेन पी सी पेज/3

2. बाचर एस के “सकेन्डरी स्कूल एहमिनिस्ट्रूशन” पेज 31

प्राप्ति की जिस प्रकौरि विसीं बोली जाने के अन्दे में चोला के लिए सुधीय व्यवस्थाएँ का महत्व है जो ममी भौतिक व मानवीय साधारण सत्त्वन बनाये रखता है। तथा सम्मृश्व विद्या के अन्वयमय विद्यास को विश्वस्त बनाती है। स्कूल में समस्त काय की वह छुगे हैं उनी के चारा थोर ममस्ते वाये का चक पूर्णता है। 'इसीलिए तो प्रधानीव्यापक वो स्कूल में वही स्थान हियो है जो भौतिक में उसे खालीने वाले वक्त का है अथवा इसीन वा जहोने में है। विद्यालय वा बुशेल सर्पेलने, प्रशासन वी प्रबोध-पटुता पर निभर है। उसमें प्रशासन दमेता के गाय सेमायोडा ईमता वो हाना आदेशक है अथवा भविष्याश भविष्य वानोडो एवं जैविक प्रेयाम विभव होवर वेवल क्षेत्रमा भीय रह जायेगी। ऐसा एता मुखजी न उत्ता प्राणी को सना दी है जिससे सम्मूर्ख प्रधानीलय में गति बनी रहती है। उत्तमा पद उत्ता ही महत्व पूरा है जिसां कि सेल व मैदान में विमी दीम ज्ञे कप्तान वा युद्ध वे भैगन में सेता के जैरानी रॉर्टी अथवा शहाज म द्वार्द्विरवा स्थान है। यदि हम विद्यालय की उपमा एक हवाई जहाज से द तो विद्यालय के विद्यार्थियों को जहाज व मायी धैष्यार्थियों को जहाज के दूजों से उपमा दी जा सकती है और प्रधानाव्यापक की उपमा उग ठान वे पाइलट से देता तुकि पूरा है। जिस प्रकार जहाज के यात्रियों का विदिष्ट स्थान तक पहुचाने के लिए इन जहाज को सीधता है और उसका पाइलट उग जहाज के इजने वी गतिविधियों पर निपत्रण रखता हुआ अमूल उस्तु यात्रियों वो गत्य स्थान तुर पहुचाता है, उमी, अवार एक सफल प्रधानाव्यापक भी अपने अध्यापकों वे दार्यों पर अपनी योग्यता और काय दग्दा वे अल पर नियमण रखता हुआ विद्यालय के छात्रों की सवारीए विद्याग करने म सहायता बरता है।

प्रधानाव्यापक पद के महत्व का वर्णन कुछ शिक्षाशास्त्रियों ने इस प्रकार किया है—
1) उसी पर विद्यालय का सुसचारान निभर है। — माध्यमिक शिक्षा योग्याग

2) शिक्षा किया भ स्कूल के मुम्भाव्यापक अथवा प्रितिपल का विशेष महत्व है। स्कूल
पद्धति वी सफलतों उसी की कलापूर्ण एव सुलभात्मक योग्यता पर निभर करता है।

— डा. जुस्वन्तसिंह

3) म्हकूल की कोई भी योजना तव तक उपादेयता प्रहण नही कर सकतो जब तव कि उसका निर्माण दूरदृशिता तथा योग्यता के भावोर पर न किया गया हो। प्रधानाव्यापक को ही दूरदृशितो एव योग्यता से कार्य करन का अय दिया जा सकता है।

4) प्रधानाव्यापक महान विद्यालयों का निर्माण करते हैं तथा विद्यालय प्रतिदि वो प्राप्त होते हैं अथवा अधिकार व गत म विनीन होते हैं जब महानतम अथवा निम्नतम प्रधानाव्यापक उनके अध्यक्ष होते हैं।

— पी सी रेन

५) प्रधानाध्यापक विद्यालय का प्राण है। प्रधानाध्यापक राष्ट्रीयता के विभिन्नों अन्तर्गत एहु सूत्र में वाय नहू ताठा करने यात। अति है। प्रधानाध्यापक विद्यालय के वास्तु अथवा शातरिक प्रशासन के मध्य एक बड़ी है।

६) प्रधानाध्यापक किसी जहाज के कलान वो भानि भूमि में अपना सुख्य स्थान उत्पत्ता है। पीसी रेल

७) प्रधानाध्यापक वा अतिथि ही भूमि के चारों ओर प्रविश्यत होता है। भूमि वालहे और प्रधानाध्यापक उक पर रामाइ जाने वो भी भूतर है। पीसी रेल

८) प्रधानाध्यापक की विद्यालय में विद्युति वही है जो सनात्न सेनात्नति शब्द नाव पर नाविक भी हाती है। प्रधानाध्यापक विद्यालय प्रशासन भगुण्ड का घाँटार ही पत्तर होता है।

९) अच्छे अध्यावास्तु भूरे प्रधानाध्यापक के अनुसार विद्यालय उन्नति अथवा अवसर्ति प्राप्त करते हैं। महान् प्रधानाध्यापक महान् विद्यालय को जमादेन है।

१०) वह एक विशेष व्यापार्य का व्यापारी है जिसमी धदात्त में केवल धोधी ही नहीं वरन् निदोप भी आते हैं। वह एक प्रवतक है जिसे अपने विद्यालय के भवित्व की कल्पना करनी चाहिए तथा जनता वो अपनी याजा के मनुष्य बदलना चाहिए वह प्रत्येक मावाय के लिए 'ज्ञानादिग्रु' विशित्य है जिसके स्वेच्छाचारी व्यक्ति की देख रेख की आवश्यकता है, वह प्रत्येक धात्र के लिए मित्र है भीर सभी दुक्षी धरो के लिए भी मित्र, उसकी शक्ति, उसके वाय, यहा तक कि उसके शतकायों को किसी भी भोतिक धर्मी से नापा नहीं जा सकता।

— विल क्रेच

आधुनिक जिज्ञा उद्देश्यों की पूर्ति इसन प्रधानाध्यापक वे वायम से ही कर सकते हैं क्योंकि उसका कांयश्वेत व जिम्मेदारी वेव्रां कर्ता वे वर्मरो में पाठ्यक्रम पूरा करनामा मात्र ही नहीं है बल्कि सम्पर्ण समाज के राष्ट्र को आवाहानों के अनुशरू छात्रों में चारित्रिक नाशास्त्र को प्राप्त कर देते वी प्रजातोत्तर विवस्था की सफलता हृतु ताप-रिय विद्यालय कारने के साथ-साथ समाज के धोटै नै में विद्यालय का विकास करना है। सारे समाज, राष्ट्र, भ्रमिभावक, अध्यापक बालों के प्रति अत्यधिक जिम्मेदारिया है, जिन्होंने उसे निवाह करना है। यदि राजननिन्दा जान्त्रवेता वी भाषा में यह कहा जाए

कि 'वह स्कूल इसी प्रारंभ में यूथ मिंड है जिसमें चारों ओर प्रारंभ तथा पूर्मते हैं तो अतिरिक्त नहीं होगी।' प्रधानाध्यापक स्कूल में नता दी नहीं है, वर्षांनु वह मणीन को छलाने वाली शक्ति है और मणीन के उसी भागों ने उसी शक्ति से शक्ति प्राप्त हुयी है।

प्रधानाध्यापक वा शाला में महत्व विभिन्न विद्वानों के वर्णन से स्पष्ट है कि किसी स्कूल का प्रधान कार्य उत्तर मादर्शों के अनुदर्श ही प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। प्रधानाध्यापक-शाला, शिखाक्रम, देविति वायक्रम, सामाजिक वातावरण व स्कूल वा शाला वायव्य-हार उनीं वे द्वारा निर्मित मावें में ढलकर प्रयत्न स्वरूप धारण करता है। इन्हें मकई ऐसे स्कूल हैं जिनको इसी प्राथार पर प्रधानाध्यापक के नाम पर नामवारण किया गया है, जसे थी हर्रो (Harrow) वा स्कूल तथा रगबी (Rugby) का स्कूल।

अत हम इस निष्पत्ति पर पहुँचते हैं कि समाज, अभिभावक, शिशुर, भावनु व राष्ट्र शाला का मानविक प्रधानाध्यापक पर ही करते हैं। याथ प्रधानाध्यापक सदैव भावनों व समाज वा प्रेरणा वे स्त्रोत वा बाय बनते हैं।

विद्यालय सगठन एवं प्रधानाध्यापक के गुण – अ) प्रशासनिक व) व्यक्तिगत स) व्यवसायिक

विद्यालय सगठन का सम्बन्ध शैक्षणिक प्रक्रिया के सघालन में भावशक्ति सापनों तथा सामग्री के एकत्रित करने तथा शिक्षा के मानवीय तथा भौतिक तत्वों के मध्य सम्बन्ध स्थापित करते हुए विभिन्न पहुँचुप्रां में सगठन स्थापित करता है। सगठन एवं ढाँचा है जिसमें शिक्षा के विभिन्न पहुँचुप्रां, साधनों तथा बातों वा सम्बन्ध प्रिया जाता है। उत्तम संगठन ही प्रशासन सफल बनाता है अत प्रधान वा एक उत्तम सगठनकर्ता होने व नाय माथ मुश्ल प्रशासक भी होना चाहिए तभी विद्यालय वीं शिक्षा प्रक्रिया अपने लक्ष्यों व प्राप्ति करने में सफल ही सकेगी ।*

प्रधानाध्यापक का रूप में जिन गुणों वा अपेक्षा हम करते हैं वे हैं –

(1) विद्यालय में नेतृत्व प्रदान करना – शाला परिवार वा नेतृत्व प्रधानाध्यापक के द्वारा ही प्रदान जिया जाता है। डा. एम एन मुखर्जी ने नेतृत्व प्रदान करने के लिए वहा है – अपनी सामाजिक विद्वानों व प्रारण प्रयत्न साधियों के समान वा पात्र हो, अपने व्यवस्थापक वग का तीता तथा याथ व्यवस्थापक हो।" अर्थात्

1 ब्रिटन के प्रधानमंत्री वे सम्बन्ध में कहा गया है "He is the solar orb round which Planets move"

2 What a loss to England and America as well if there has been no Arnold the great headmaster of Rugby ! (Sir John Adams)

3 शिक्षा प्रशिक्षन – कुदेशिया – पैन/11-12

उसकी वाय + ज्ञाता तथा ज्ञान से अध्यापक व कर्मचारी प्रभावित हो। प्रग्रामा अध्यापक को चारि ॥ वह प्रपत्ते महयोगियों की योग्यता, क्षमता तथा अनुभव का स्वाक्षर करे ताहि उसे प्रजातात्त्वकर समर्पकर नेतृत्व स्वीकार करते रहेगे।

शाला में नेतृत्व प्रजातात्त्वकर तिद्धाता के आवार पर होना चाहिए क्याकि प्राय उनम् हयोगी उमि शैक्षणिक योग्यता एव अनुभवी होते हैं। अध्यापका की मनो वृत्तियों का समन्वय की क्षमता होनी चाहिए। प्रो ई पी कूबली ने प्रभ केवल पश्चास्त्र होने के कारण ही नेता नहीं है। उसके नेतृत्व प्रधान अग है- तत्त्वशक्ति, प्रग्राह ज्ञान तथा अदर्श्य उत्ताह।" भाधुनिक भारतीय परिस्थितियों में मानवीय गुणों जैसे सहानुभूति, प्रेम, सहयोग, आत्म विश्वास, सामाजिकता, सगठन शक्ति आदि गुणों का होना आवश्यक है जिसने अपने सहयोगियों, अभिभावकों एव समाज के अन्य लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजा बरके शिक्षा के हित को अवधिक साभ पहुँचा सकता है।

- (2) चरित्रवान - विद्यालय की उपयुक्त सक्रियता प्रधानाध्यक्ष के प्रभावशाली चरित्र होने पर ही सभी के द्वारा सम्मान प्राप्त कर सकेगा वह विचारक, हठ शक्ति और निर्धारित सिद्धातों व आदर्शों को पूर्ण रूप से पालन करने वाला जिससे शाता परिवार के सभी सदस्यों पर अभिट छाप रहेगी अपथा वह विद्या-में स्वच्छ वातावरण सृजन करने में विकल रहेगा चरित्रवान प्रधान अध्यापक बहुत सी समस्याओं को अपने व्यक्तिगत प्रभाव से समाधान करते हुए पूर्व में निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति बरने म सफल तिद्ध हो जाता है
- (3) सामजिक स्थापित करने की योग्यता - सामाजिक देखा गया ह कि आजकल शालाओं, अध्यापकों व बालकों में गुटबदी क्षेत्र, जाति, व अ-व कारणों स हा जाती है जिससे शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती अत प्रधाना यापक शिक्षका तत्त्व शिक्षार्थियों के माय स्वय को, 'शिक्षकों को शिक्षार्थिया के साम तथा शिक्षकों को पारस्परिक रूप से समायोजित रूप मे रखने का सफल प्रयास करे। वह विद्यानन्द के छोटे स छोटे तया बडे से बडे सभी कमचारियों से व्यक्तिगत सम्बन्ध बनाने हुए उनकी समस्याओं में स्थित सहयोग प्रदान करे। इस सम्बन्ध मे सुल्तान माहीउद्दीन न लिखा है- "प्रधानाध्यापक नेता के रूप मे अपने सहयोगी अध्या पका को इन बात से परिवित दराने की क्षमता रखे कि शाला कोई भी समस्या नेवल उनकी समन्वय नहीं है, अपितु उन सब की है।" आगे इर प्रो



मोहीउद्दीप बहते हैं जि "प्रधानायापक" की प्रतिष्ठा का निवाग बाल्य में द्वारा प्राप्ति नहींनुभवि थीरे वैद्यनिष्ठों में ही निर्दित है।" समाधीजित विद्यालय ही निरन्वर प्राप्ति की श्रीरूपप्रसर होत है। जब तक नुभवि से परिवर्त जैन एवं विद्यालय महो जाता है तो वह मुनिया की तरह विद्यालय दर्शन में एवं विद्यासंताप निष्ठानामे सफल रहता है।

(4) लिपेकतात्रिय दृष्टिकोण वालों - प्रत्यव याय म सहजीय अध्यापक द्वारा भी भी से लेना चाहिए और उन्वर्ण भीकनार्गतया विचारोंमें आरं वरना चाहिए। इवाचता, समानता, आकृत्व तथा न्यायप्रियता जैसे प्रजोतार्थक गुणों, सिद्धाता पर विद्यालयका संगठन व सचालने करे। उसे समाज को आवश्यकतामें मूल्य। पारण्याद्यो तथा परम्परागो वा शान्ति तार्गत समाजेव जातों को 'सार्वानन्द' एवं से प्रगति परवाने में सफल हो सके। याकृबद्धत हुए परिवेश में विद्यालय — श्रीरामान्न में तालमेलानीठाया जाय, यह प्रधानानिष्ठेहृग से ही पूरी हा ज्ञावता है। उसके लिए उसे उत्तरदावित्व यो समानिता, समानता वित्तनता, सहकारिता, न्यायप्रिय व्यक्तिगत विशेषताओं भी मान्यता एवं प्रोत्साहन, नतत्वं तथा 'प्रधान' पक्ष समाज एवं उच्च अधिकारियों से सहयोग भाव से कोय वरना चाहिये।

(5) कुशल प्रशासनिक क्षमताएँ—जीलायी उपलब्ध भौतिक व मौजूदीय साधन। या अधिकतम पड़योग शाला के उद्देश्या वी प्राप्ति हेतु बैराना। विद्यालय की उपर्युक्त उसकी कुशलता पर निभर करती है। उसे विभिन्न बोर्डों में सम्बन्ध दायति करते हुए वित्तीय व्यवस्था बनाय रखने में दर्शाए होना चाहिए। अन्यत्र इवाच के एवं में अच्छे ज्ञान जैवी तैयारी, अच्छा संगठनकर्ता तथा अध्यापक, अभिभावका व द्यात्रों से अच्छे पारस्परिक सम्बन्धोंका विकास करना चाहिये। (6)

(6) दूसरों को प्रेरणा प्रदान करने की क्षमता - प्रधानाध्यापकों में ऐसी समता होती चाहिए जि वह घण्टे साथ काश्रण न्यायोपकों व अधिकारियों वा मार्गदर्शन त पुरामण देकर पूछ में निर्णयित शासिक सोजना का विद्यावयन इस देने की प्रेरणा द सके। वह ऐतापा (अध्यापक) वा नवाजी स्थिति में होने के दौरान घण्टे विषय का प्रबाल्प विद्वान होन के सार्थ सामर्य जान सभी विषयों पर लोग ही चाहिए जिससे वे अयोग्य लिए प्रेरणादायक निष्ठ हों सके। शालों व भीतिक व मानवीय सम्बन्धों का अधिकरतम उच्चयोग वर्वान की प्रेरणा ही उसका प्रनुन उद्देश्य होता है ताकि शाला वा शैक्षण उन्नयन व साध-साध समाज की प्रगति के लिए सद्गुण-प्रयास कर सके। प्रा श्रेनिज्ञता है 'अहं बावरना अध्यान गे रघो चाहिए जि द्याव-द्यावाए प्रधानाध्यापक वो एवं एसे यात्रा नक्कि के

रूप म देखते हैं जो अपने ज्ञान तथा बुद्धि वौशल म साधारण व्यक्तियों में बहुत आगे है।”

- (7) मानवीय सम्बन्ध करने की क्षमता – प्रधानाध्यापक विद्यालय और समाज के मध्य, शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य, शिक्षक एवं शिक्षक के मध्य, छात्र-छात्र के मध्य अभिभावकों व जाता प्रशासन के मध्य सन्तुलित व मधुर सम्बन्ध का विवास मानवीय आवार करने की सफलता दा बाढ़ित है अत्यथा शाला म सामाजिक व मौहाद्धूण वातावरण नहीं बन पायगा। जब मानवीय गणों वा विद्यार्थी नहीं हो पायगा तो आधारिक है विषयत्व, विद्यालयीय, मामाजिक शिक्षा तथा भिन्न-भिन्न समस्याओं का स्थाई समावान करने म असफल रहेगा। शिक्षा प्रशासन का मूल आधार ‘मानवीय’ को विशिष्ट मेरखकर ही नियमा व कानूनों की स्थापना करना ही हितकर है।
- (8) व्यवसायिक निपुणता एवं विद्वत्ता – प्रजातात्त्विक इन से विद्यालय मे उत्तेज्या व उनकी प्राप्ति के साथनों का निधारण करने के लिए ग्रादर्शों का ज्ञान रखते हुए दूसरों के सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत दरे। शिक्षा जगत मे नवीन परिवर्तन शिक्षण-विधिया, मूल्यावन आदि भि निरक्तर उन्नयन हो रहा है। वह अपने मे व्यवसायिक निपुणता पदा करने हेतु शिक्षा वी सभी तरह वी प्रक्रिया से अवगत होने पर ही अपने साथी अन्यापकों व छात्रों के उन्नयन म सहयोगी मिल हो सकेगा। वह एक विशिष्ट मनोवैज्ञानिक हाना चाहिए जिससे शिक्षा की परिस्थितियों के अनु-वृत्त उचित शिक्षण विधियों का चयन करकर विषयवस्तु का बालका तक पहुँचाने पाठ्यश्रम निर्धारण हेतु सिद्धान्तों को अपनाने उपयुक्त शिक्षण विधियों को विद्यान्वित रूप दन की दक्षता हानी आवश्यक है। वह अपने उन्नयों न उत्तरदातिवों पा व्यवसायिक दक्षता व अभाव म पूरी तरह निर्वाह नहीं कर पाना चाहे व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या छात्रों के सम्बन्धित हो।
- आज बदलते हुए परिवेश म प्रधानाध्यापक वेवल विद्यालय तक ही उसां के बानित नहीं होकर सारा समाज है। उसकी योग्यता ना परोक्ष व अपराधशृण इन से नहीं हर भी अभाव पड़ेगा। उस की व्यवस्था व उन्नी मे भेद न होने, विभिन्न विषय स प्रगणण विद्वान होने पर ही समाज को अनुपरण करने हेतु उत्त्वेरित बर पायगा।
- (9) अध्यापकों मे समर्पित रखने की क्षमता – अध्यापकम परम्पर सौहाद्धूण यातावरण न होने से सामाजिक स्थिति शाला म नहीं बन पायेगी जिससे विद्यालय मे विभिन्न वास्तविकों का प्रभावशाली क्रियान्वित रूप से पालन नहीं होगा, अध्यापक शुशलतापूर्वक उत्त्वों को एकजुट न होने पर निभा नहीं सकेगे, जाता मे सहयोगी

प्रतितिया के माध्यम से सर्वांगीण विवास के बायों में बाधा आ सकती है। प्रति प्रवानाभ्यापक म ऐसों क्षमता होनी चाहिए कि शाला परिवार के मध्य मधुर सम्बन्ध स्थापित करने में सफल सिद्ध हो सके।

- (10) अध्यापकों के मध्य काय वितरण करने की योग्यता - गामायत प्रधानका म बाय वितरण का सेवक शाला में ढाँड़ पेश होता है। कई प्रधानका इस सद जाते तो बुझ बाय-मुक्त होकर भीज करते हैं जिससे असताप पढ़ा हाता है। तो नहीं योग्यता, स्त्रियों, भादनों, भभिरुवियों व शमतामों आदि को ताक में रखकर बाय आवटन पर दिया जाता है या व्यक्तिगत विभिन्ना में तिदान वा हिट म नहीं रखा जाने पर शाला अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्त नहीं हो सकता। प्रति बाय वितरण प्रशातात्रिक दग से किया जाय जिगस वे उम म्ब-निमित समझ कर हृदय से सहयोगी सिद्ध हो सके। काय क्षमता का हिट में रखकर निवाह करने का उत्तरदायित्व उन्हीं पर छोड़ दना चाहिए। निसी कारण वश पाय सम्पन्न हाने में असुविधा होने पर उत्त्वेरित कर और सम्पूर्ण वरदान में मिथ के रूप में सक्रिय सहयोग प्रदान करे।

प्रधानाभ्यापक का अध्यापका में बीघ भावटित बाय का निरीभण व पवेदण बरते रहना चाहिए जो गलती देखने के हिटकोण से न हावर रानना मक सुझावा के द्वारा उल्लंघन ही घेय हाना चाहिए।

प्रशासक के रूप में प्रधानाध्यापक में निम्नाकित व्यक्तिहत सम्बन्धी गुणों का होना आवश्यक है' -

- 1 विद्यालय की प्रगति हेतु उचित एव स्वतन्त्र निषय लेने की क्षमता।
- 2 विद्यालय में चारित्रिक भावना को सचारित बरने की क्षमता।
- 3 विषय से सम्बन्धित मौलिकवा तथा कठिन कायों का करने हेतु पहल कदमी।
- 4 निर्वारित कायकमा में निष्ठा तथा उसकी सफलता हेतु सक्रिय शर स काय बरन की क्षमता।
- 5 कतव्यपरायणता, आत्म-नियन्त्रण, आत्म-सेवा, आत्म विश्वासी, आत्म आताचक होने के गुण।
- 6 दृढ़ इच्छा वाला, वक्ता तथा सगठनकर्ता वे गुण।

- 7 दिनिन वर्गा, व्यक्तियों तथा समूहों में सामजस्य स्थापित करने की क्षमता ।
- 8 बिद्यार्थी को समाज के निकट साने की क्षमता]
- 9 शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा सिद्धात तथा शैक्षिक विधियों का ज्ञाता ।
- 10 त्रिरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करने सम्बंधी चाता का ज्ञान होना ।
- 11 ऐसी प्रबन्धन को सुलभते अथवा प्रस्तावों एवं कार्यविधानों को सचालित करने में बोर किसी भय के ।
- 12 अनुशासन एवं वायकारी (एकजीक्यूटिव) क्षमता एवं नेतृत्व शक्ति ।
- 13 आकाशवादी तथा दूसरों को प्रेरित कर सकने की क्षमता ।
- 14 दूरीशता (फोरमाइट) तथा दूसरों में आत्म विश्वास उत्पन्न करने वाला व्यक्तित्व
- 15 गवलोवन शक्ति तथा परिस्थितियों के अनुकूल उचित निर्णय लेने की शक्ति ।

विद्यालय संगठन एवं प्रधानाध्यापक तथा उसके गुण -

- 1 व्यवसाधिक ज्ञान - बदि आधा वा नेता प्रधा होने की स्थिति विकटमय वन जाती है उसी प्रवार प्रधानाध्यापक व्यवसाधिक ज्ञान के प्रभाव में सही नेतृत्व छाप व अध्यापकों को देने की स्थिति में नहीं हो सकता । अत उसे शिक्षा प्रणालियों, एवं प्रविधियों, शिक्षा दर्शन, इतिहास एवं मनोविज्ञान आदि प्रक्रियाओं से पूरणतया अवगत रहना चाहिए । अपने व्यवसाय को प्रतिष्ठित बनाने हेतु ऐतिहासिक, सामाजिक राजनीतिक, साल्हतिक एवं आधिक तत्वों वा नान वालित है क्योंकि य तत्व वनमान शिक्षा संगठन व प्रशासन को प्रभावित करता है । इसके साथ ही साथ उसे शिक्षासंहिता (Education code) विभागीय नियम, अधिनियम, आनांद्रो, आदेश वोड घोष संबंधी एज्यूकेशन के नियमों की जानकारी होनी चाहिए ।
- 2 विद्वान् - प्रधानाध्यापक सभी अध्यापकों व छाना का नेता होता है अत शाता के सम्पूर्ण वर्ग उसकी विद्वता के कारण ही आत्मा से आदर करने हैं । अत अपने अनुभव व अनुभवीय विद्वता के कारण ही अपने अध्यापकों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने वाला मिल हो सकता है । सर्व अध्ययनशील व नवीन परिवर्तनों का अपनाने की क्षमता होगी तब ही अध्यापकों व छात्रों के उन्नयन करने में सफल होगा ।
- 3 निष्ठाचान - व्यवसाय में सफलतावाली पूजी निष्ठा ही है । अत अपने व्यवसाय में प्रति निष्ठा तथा चतुर्यों का सफलतापूर्वक निर्बाट करते रहना चाहिए । सफल नेतृत्व निष्ठा में बिना सम्भव नहीं है । प्रो जसवन्तसिंह के विचार है 'कोई भी सर्वोच्च गरिमामय स्थिति में नहीं हो सकता जब तक अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठाचान नहीं है । जब प्रधानाध्यापक सोबत प्रशासन पद की आवाद्धा बरसा है तो स्पष्ट है । इसमें

अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा नहीं है। जिससे नेतृत्व देने में अमर्भन रहेगा जो उम के उज्जवल भवित्व का प्रभावित भर बगेर नहीं रहेगा जो सत्या तथा समाज का पूर्ति न होन वाली शक्ति रहनाता है। १ प्रत उसे अपने प्रायात्मक य सत्या का प्यार करना कर चाहे प्रभिक श्रम भी क्षमा न देना पड़े।²

4 आधुनिक शिक्षा पद्धतियों का ज्ञान - प्रधानाध्यापक को सर्व शृणामक चिन्तन व विद्योजन हतु समय देना चाहिए। एक भी राज ऐसा न पाने पाये कि वह नये विचारों व प्रविधियों के बारे में चिन्तन न करे। अब शिक्षारार्थी की मीमितना व लाल भीवाशाही के बाय नये अच्छे कार्यों को बढ़ नहीं बरता चाहिए। शिक्षा शिक्षिकारी कभी कोई खोजने पा आदि नहीं होता अब परिवर्तियों ने अनुमार बाय सम्बन्ध करने में भय नहीं बरता चाहिए। नये व उपयागी शिक्षण पद्धति व प्रविधि को उपयोगिता के आधार पर बाय सत्याग्रह में अपनाय जाने की प्रतिष्ठा बिए बगेर प्रारम्भ कर देना चाहिए। परम्परागत पद्धतिया व अन्यात्र प्रगति में बायक हो सकती है। ३

5 मनोविज्ञान व दशन का ज्ञाता - प्रधानाध्यापक अध्यापकों व छात्रों के हृदय को जीतने की क्षमता मनोविज्ञान के गहर ज्ञान से ही सम्भव है सभी प्रधारक व छात्र एक ही तरह की बुद्धि के नहीं होते। कभी ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा बरनी पड़ती है जाहे पात्र होती नहीं तो कभी-कभी केवल सामग्रानी व सहायुक्ति पूर्ण सुनने मात्र से उनका तूफान जात हो जाता है अत मनोविज्ञान का जाता है।

डा जसवन्तमिह ने बहा है - "आधुनिक शिक्षा सम्बन्धी विचारण राष्ट्र एव अंतर्वर्षा व अध्ययन पर आधारित प्रधानाध्यापक की सन्तुलित दार्शनिकता निर्भर होनी चाहिए। ४

6 अध्ययनशील - प्रधानाध्यापक के अध्ययनशील होने में अब अध्यापक व छात्र भी अध्ययनरत रहते हैं। उसे अच्छे पुस्तकालय का संगठन बरयाने की व्यवस्था में रुचि लेनी चाहिए। उसे अपनी जानकारी व्यवमाय के सम्बन्ध में ताजा रखने के लिए ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए। 'उसे कठिन परिश्रम कर अपने ज्ञान का तरोनाजा बनान स व्यवसायिक क्षमता बढ़ेगी और सदृश शक्षा पर विचार विमल बरने रहना

1 जसवन्तसिंह - मस्तक प्रधानाध्यापक येज/43-44

2	,	"	पञ्च/45
3	"	"	45
4	"	"	44
5	,	"	45

चाहिए। “अध्यापक प्रथा पद पर नियुक्ति मात्र से उसे उच्च नहीं माने बैलिक उच्चे योग्यता, कामकाजमता एवं चरित्रवान होने पर आत्मा से अपना प्रधान मानते हैं।”

- 7 प्रबन्ध योग्यता - प्रधानाध्यापक भे गहायक अध्यापकों, कल्की, छात्रों तथा कम-चारियों भादि की सेवाओं को पूर्ण उपयोगी करने की क्षमता होनी चाहिए। इर, भय प्रलोभन से सदैव काय नहीं लिया जा सकता। सभी को अपने उत्तरदायित्व निवाह परन भो अपना धम समझन लगे ऐसी अभिरुचियों का विकास किया जाना चाहिए।
- 8 शिक्षा राजनीतिज्ञ के रूप में - राजनीति का ग्रन्थ कुक्षलता व कौशल से अन्यों के मुकाबले में प्राप्त करन से है उहे अपने उद्देश्य के प्राप्त करने में महयोगियों के साथ उच्च स्तरीय राजनीतिज्ञ भी तरह उद्देश्य प्राप्त करने में लिए सहयोग देना चाहिए।
- 9 समाज को आवश्यकताओं के अनुरूप हो - कक्षा कक्ष में देश वे भावी नागरिक तैयार हो रहे हैं और कालान्तर में वे समाज में प्रविष्टि करेंगे तो शाला द्वारा प्रदत्त ज्ञान सामाजिक धारकाकाशों के अनुरूप होने पर ही अच्छा समायोजन वर पायेंगे। इसीलिए शाला को सामाजिक सत्या कहा गया है। अत प्रधानाध्यापक को छात्रों भी सामाजिक परिस्थितियों के गुणा और आवश्यकताओं का अध्ययन करते रहना चाहिए वयोंकि हमारी शाला रूपी फेमट्री का उत्पादन समाज में ही उपयोग हेतु जाना है।
- 10 अधिकार व कर्तव्यों का ज्ञान - प्रधानाध्यापक भो पूर्ण रूप से यह ज्ञान होना चाहिए कि उसके अधिकार वया क्या है? ताकि सभी समय समय पर वह उन्हें प्रयोग में ला सके। साथ ही उसे अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी वह अपने कर्तव्य पूर्ण कर सकता है विशेष रूप से उसे दफतर के काय भी पूर्ण रूप से प्यार से करे।
- 11 प्रभानी वक्ता - अध्यापकों, छात्रों, अभिभावकों के समझ भिन्न भिन्न अवसरों पर अभिभावण करना पड़ता है। प्रधानाध्यापक वाक्‌पद होने से शोतागण उसकी बात से प्रभावित होंगे और अपने विचारों के अनुकूल बनाने में सफल सिद्ध हो सकेंगा।
- 12 शिक्षण कला में निपुणता - मूल रूप से प्रधानाध्यापक एक प्रखर अध्यापक ही होता है। अत उसे शिक्षण कला में विशिष्टि दक्षता को प्राप्त करने का प्रयास भी करते रहना चाहिए। जब अध्यापकों ने शिक्षण काय का प्रबोक्षण करता है तो उससे आज्ञा भी जा सकती है कि वह भिन्न भिन्न विषयों की शिक्षण पद्धतियां के बारे म जानता है, तब ही अय अध्यापक को सजनात्मक परामर्श देने में सफल हो सकेंगा।
- 13 प्रगति पर नजर रखना - “अपने काय का वितरण तथा अधिकारों का उपयोग करने हेतु जड़ीनस्थ कमचारियों को सौपने के उपस्थित उसे जाला में ही रहे भिन्न-2

शासा की प्रगति की दी पोर नजर रखनी चाहिए । वह शासा की प्रत्येक गतिविधि को दृष्टि में रखता है ।”

14 अनुशासन स्थापित करना — शासा में भारत अनुशासन स्थापित करने हेतु नपल प्रयास करने चाहिए । अनुशासन जीवन का अभिनन्दन प्रगति में एवं भयन जाय, ऐसी अधिकारियों का विकास करना । प्रधानाध्यापक आरम्भ नियन्त्रण से ही शासा का अनुशासन बन पायगा ।

15 सुधार लाने में शीघ्रता नहीं — प्रधानाध्यापक का विसी मुपार का साने में शीघ्रता नहीं भरनी चाहिए । विसी भी तरह के सुधार लाने के पूर्व उसे सभी परि स्थितियों को घटाकर तरह समझ लेना चाहिए और यथासंभव अभ्यासका, धारा और अभिभावका से वास्तव में परामर्श अवश्य भर लेना चाहिए ।

विद्यालय संगठन एवं प्रधानाध्यापक तथा उसके गुण -

वैज्ञानिक दृष्टिकोण — प्रधानाध्यापक को प्रगतिशील एवं वैज्ञानिक दृष्टिकाण रखना चाहिए । उसे उचित ढांग से वस्तुत्यनि का अबलाजन भरना चाहिए, जहाँ व्यक्तिगत दृष्टिकाण केसा भी यथो न हो उस पूर्वाप्रह से प्रभावित नहीं होना चाहिए । तथा के बाधार पर निर्णय लेते हुए मजबूत ढांग से शमानीकरण किया जाना चाहिए ।

2 उत्तम स्वास्थ्य प्रधानाध्यापक इतने बड़े उत्तरदायित्व को तभी उचित न्य सम्पन्न कर सकता है जबकि वह मानविक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ हो । बगेर अच्छे स्वास्थ्य वह प्रेरणादायक व स्फूर्तिशाली नहीं हो सकता । इस जसवत्तिह का वर्णन है कि “उसे मनुष्यित खान पान, विटामिनों का प्रयाग, पदार्थ जननान बुरादमा का परित्याग तथा व्यायाम एवं निरोग जीवन का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए ।”²

3 अच्छी आदतें एवं व्यक्तिगत जीवन की शुद्धता - प्रधानाध्यापकमें आदर्श आदत होनी चाहिए । व्यक्तिगत जीवन का दृन्द जितना धातुक पाठशाला में होता है, उतना अच्छा नहीं । यदि व्यक्तिगत जीवन अच्छा नहीं है तो उसकी कुशनता एवं सफलता पर बुरा प्रभाव पड़ता है । व्यक्तिगत जीवन भी पूर्णतया शुद्ध होना चाहिए अथवा शासा परिवार पर ही नहीं बनिक पूरे समाज पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा । सादा जीवन उच्च विचार को जीवन में उतारत हुए सर्वे उच्च आदर्शों को नीति का आपार बनावे जिससे विद्यालय परिवार उनका अनुकरण कर सके ।

4 उच्च चरित्र - शिशण सत्याओं का प्रमुख उद्देश्य अच्छे चरित्र का निर्माण करना है । यदि प्रधानाध्यापक वच्चों के सम्मुख उच्च चरित्रवान होनेर आदर्श प्रस्तुत नहीं बरता है तो छात्रा म भरिग निर्माण एक कल्पना मात्र रह जाएगी । प्रधानाध्यापक

उच्च चरित्र की ममिट द्याप छानो पर डाले बगैर नहीं रह सकता। सत्यवादी तथा ईमानदार ही दमग के हृदय का जीत सकेगा। उसके चरित्र रूपी दोषक से सम्पूर्ण विद्यालय प्रवाशित होता है।

५ वायशोन - जो प्रधानाध्यापक स्वयं काय न कर दूसरा से कायं करवाने पर दबाव दाकन है व मफन ने नृत्व नहीं कर पात। अत उसे सदैव अपने छानो एव सहयोगियों क ममक मेटनती उदाहरण प्रस्तुत करने का सफल प्रयास करना चाहिए।

६ नेतृत्व की क्षमता - सगठित समाज रूपी शाला का मुख्य सगठन व सचालनकर्ता प्रधानाध्यापक होता है, उसमे याग्य नेतृत्व क्षमता होनी आवश्यक है। उसे प्रजातान्त्रिक द्वितीयों को हृदयगम भरते हुए शाला प्रशासन के प्रत्येक कायं को सम्पन्न करना चाहिए।

७ प्रभावशाली व्यक्तित्व - उसका निष्कलक जीवन, सहानुभूति पूर्ण व्यवहार और हड़ निश्चयता वा हाना चाहिए। अपने सहयोगियों के साथ निरकुश सानामाहो का व्यवहार न रखकर, वास्तविक सहयोग का व्यवहार करना उसके लिए अपेक्षित है। अपने सहयोगियों की जहरतो, उनकी कमजोरियो, उनकी असफलताओ, उनकी बेबसियों को समझन तथा उनके चरित्र वी तह मे बैठ सकने की योग्यता जब तक उसमे न होगी वह उह अपना न सकेगा। प्रधानाध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं होगा तो नवीन योजना अथवा मौलिक विचारों की काँड़ नहीं होगी वह इदिवादी न होकर 'प्रगतिशील द्वितीयों रखना चाहिए।' (सुल्तान मोहीउद्दीन) उसी प्रकार भार. ए लेम्ब भी निखते है — 'प्रधानाध्यापक वही सफल हो सकता है जिसमे आत्म सथम, सहनशीलता, प्रे म दया कुशलता, दूरदर्शिता तथा मौनिक गुणो का समावेश हो।'

८ आत्म नियन्त्रण — चिढ़चिढ़ेपन से व बगुनाहो को आवेश मे अध्यापक व छानो को सजा प्रधानाध्यापक द्वारा मिल जायेगी। समझा बुझाकर सभापण कर लेना, प्रधनाध्यापक वे हाथो मे एव ऐसा अदोध अस्त्र है जो दुश्मनो को भी जीत लेता है। यह गुण पाठशाला के उद्घड छानो को भी सज्जन बना देगा और सब व स्नेह वा वातावरण प्रस्तुत करणा इससे यह अभिप्रे त नहीं कि 'मनसि अन्यद्' और 'वचसि अन्यत्' की मिशाल प्रधानाध्यापक प्रत्यक्ष नरे। पाठशाला की प्रेरणा की प्रतिनिधि होने श्रीर उस प्रेरणा को पाठशाला के समस्त सदस्यो मे कूक सके, भर सके, ब्राह्मित वर सके।

९ सहानुभूति की भावना - प्रधानाध्यापक वो अपने अध्यापक तथा छानो के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार वा पालन करना चाहिए। उसे अध्यापको वो अपना सहयोगी मानकर चलना चाहिए, न कि सेवक। यदि किसी अध्यापक से भूल हो जाती है तो सुधारने के लिए उचित सलाह देकर आत्मीयता का भाव दियाना उचित है। अच्छे

दायरे के लिए उसे गदा प्रोत्साहित करते रहा चाहिए। समय ममथ पर उसे प्रायापरों की व्यक्तिगत कठिनाईयों को दूर करने में सुभाव देना भी अच्छा रहेगा।¹ । यात्रों के साथ बठोर व्यवहार के बजाय पुत्रवृत्त व्यवहार कहीं सामनायक सिद्ध होगा।

10 मानवीय सम्बन्ध स्थापित करने की दायता —मानवीय सम्बन्ध स्थापित करने की शोषणता पर ही उसकी सफलता निभर है क्योंकि यदि वह शिक्षक के बाच छात्रों छात्र के बीच, शिक्षक छात्र के बीच, शिक्षक व मन्त्रालयों के बीच, शिक्षक व अभिभावकों के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने में सफल न होने की स्थिति महसुला मध्यात्मन ठीक नहीं होगा।

11 सहयोगी की भावना — प्रधानाध्यापक को प्रध्यापक की सहायता से बाय करना पड़ता है, इसी बारण उसे सहयोगपूर्ण भावना को साथ लेकर चलना चाहिए। प्रध्यापक व यात्रों के सहयोग से ही समस्त प्रबन्ध स्वतं अच्छा चलेगा। किंगी भी यात्रना का प्रारम्भ उसे सूत्र बास्तविक सहयोग प्राप्त करने का सफल प्रयास करने से तो यात्रना ए स्वतं ही गति पवड़ लेगी।

12' नि स्वार्थे भाष — प्रधानाध्यापक को ऐसा बोई बाय नहीं करना चाहिए जिसमें उनके व्यक्तिगत स्वार्थ निहित हो। एक आदर्श प्रधानाध्यापक को स्वार्थी तत्व उस अपने कवव्य और न्याय के मार्ग से हुटा सकते हैं ऐसा बाई भी प्रवसर नहीं देना चाहिए जिसमें उसके सम्बन्ध में विसी प्रकार वा संदेह विद्या जा सके। विद्यार्थी व समाज विसी प्रवसर की प्रशासनिक अधिकता व व्यवसायिक वर्मी को सहन कर सकते हैं यदि उसमें व्यवसायिक, व्यक्तिगत तथा शैक्षणिक इमानदारी विद्मान है तो।

13 आशावादी इटिकोण, उसे अपने में अमीमित विश्वास होना चाहिए। पतभर भी अपलता से निराश नहीं होना चाहिए।

14 त्यागमय जीवन — सदैव शाला के शैक्षणिक व सहशणिक बायक्रम के साथ विभिन्न क्रमशाला व पृथक्कालय सेवा के उन्नयन के लिए निरन्तर सोचत व बाय करत रहना है। विद्यालय को समर्पित भाव से सेवाएँ देते हुए भावात्मक सगाव पदा करता है जिस प्रकार शृदानुया वा मन्दिर के प्रति विशेष आध्यात्मिक उत्तरदायित्व है ठीक उसी प्रकार शान्त व बाय को पवित्र धार्मिक बाय में लगा समझे।

15 विनोदी भाव प्रधानाध्याध्यापक द्वारा एक मुस्कान हसी विनोदी बानव आदि तनावपूर्ण बानावरण को शान्त कर देना है। विरोधी इटिकोण वो भाईचार भी भावाता में परिवर्ता करने के लिए उपयोगी इजेक्शन वा काम करता है। अत्यधिक तनाव-

1 रायबन छन्दू एम 'शिक्षालय संगठन, पंज/8

परं परिमिति में हसी, शब्दों त। पराग नहीं बराया चाहिए जो कभी भी भद्रे हृष में गतावरण बना नहुगा है ।¹ प्रत्यक्ष प्रगताध्यापक जो इस गुण वे अपनाने वा सकल प्रयास करना चाहिए ।

१६ मित्रवत् ध्यवहार - धात्रो एव अध्यात्मो वे सत्य मित्रवत् ध्यवहार बनाये रखें लेकिन शाला के नियाकलाप में वाई ढील इन सम्बन्धों वे कारण नहीं जायें। ऐसी ढील अराजकता को एदा दरती है। आवश्यकता पड़न पर नावायज लाभ उठाए बालों का चेतावनी भी द सकता है। “धात्रो वे सामुहिक कठिनाइयों भी दूर बरने के लिए उस नर्देव तत्पर रहना चाहिए। आवश्यकता पड़न पर ध्यत्विषय रठिनाई को सुने और दूर बरने वा अपत्ति करे।”²

१७ समय का पावन्द - प्रायक प्रधानाध्यापक वा शास्त्र के विवारित ममश पर ही पहुचने के लिए विशेष ध्यान दना चाहिए जिसमें ज व कमचारी एवं अध्यात्म भी समय पर ही आयें। यदि प्रगताध्यापक विद्युत न पहुचकर अध्यात्मरों में समय पर जान का आशा प्रशासनिक हृषिट से अनुचित ह जीर शाला म गामाजिक दादावरण नहीं बन पायगा ।

१८ आत्म विश्वास - ‘इसी भी विद्यालय के प्रगताध्यापक में आत्मविश्वास का हीनता व्यावश्यक तत्व है। इसके बिना वह अपन काय एवं मफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अनेक विद्यालयों को विभिन्न कठिनाइयों का सामना आय इसी कारण एवं बरना पड़ता है जि उसका प्रधान अपने अन्दर विश्वास नहों फू एवं सकता और न ही अपन सहगारी अव्यापकों का विश्वास प्राप्त कर सकता है।’³ अत इसे द्वेषात्मक स्थिरता नहीं खानी चाहिए ।

१९ निष्पक्ष एवं न्यायप्रिय - न्यय समाज वा सर्वोच्च जारीग है। जब तक समाज न्यय पर अधारित नहीं हाना है, तब तर वह सुचालन से काय नहीं कर सकता। विरावियों सरकारको एवं अध्यात्मको एवं प्रति प्रधानाध्यापक वा ध्यवहार निष्पक्ष एवं न्यायप्रिय होना चाहिए। एकपातपूरण ध्यवहार से यदि दृष्ट एवं आर इुद सहयोगियों की शुद्धा बनाय एवं भव्योग प्राप्त करता है तो इसी जार वह अपने विरावियों का भी जन्म देता है। अत हर परिविति म वह सबके साथ न्योद्दित एवं समरनदा वा ध्यवहार करे, यही उससे आशा की जाती है।

१ लघुवत्तसिंह — ‘तक्ष प्रधानाध्यापक’ पेज/40

२ रायवन, डब्ल्यू एम ‘दी आर्मनियजेशन आक स्कूलस पेज/22

३ रायवन, डब्ल्यू एम,, पेज/5

20 अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास - उसे विभिन्न धोनों में यहाँ तक सफलता पाप्त हुई है और दहो तक हो पाई है-इसका मदद रिकार्डन्टा है। यह अपने काम के धोन का मात्र बरेगा और उगम बहो तक सफलता प्राप्त हुई है इसका मात्र करता च्छेगा। आनी कमजोरिया दो गदेव दूर करने के प्रयास में यह गाढ़ा अपन कार्य का माप बरहा रहगा।

प्रधानाध्यापक के कर्तव्य तथा दायित्व

(Headmaster's Duties & responsibilities)

शाला वी सभी गतिविधिया का न० यिन्हु प्रधानाध्यापक होता है। ग्रन्त उमके कार्यों वी महत्वा, गम्भीरता वो इटि म रखो हुए उसके कर्तव्य एव दायित्व को निम्न भाठ भागा मे विभाजित रिया जा सकता है-

- 1) प्रशासनात्मक वाय एव दायित्व
 - 2) शिष्यण व्यवस्था सम्बंधी दायित्व
 - 3) शिक्षको से सम्बंधी दायित्व।
 - 4) छात्रों सम्बंधी दायित्व।
 - 5) समाज व अभिभावको के प्रति दायित्व।
 - 6) विद्यालय रियाओ वे सचाला बरने सम्बंधी दायित्व।
 - 7) शिक्षा विभाग, उसके अधिकारियो रो सम्बंधित दायित्व
 - 8) राज्य मे विधित बोड और उमके अधिकारियो से सम्बंध
 - 9) शाला सगम संस्थाओ से सम्बंध
 - 10) मूल्यायन।
- 1 प्रशासनात्मक वार्य एव दायित्व - प्रधानाध्यापक वा पद धर्यधिन जिम्मेदारियो वो अपन वन्धा पर निए हुए है। विद्यालय वी शक्तिव सहगामी प्रवतिया वे रिया योजना वा निर्माण, उसकी त्रियाविनि, उसे पचालन बरेना व उगम सकाता प्राप्त बराया जादि दायित्व प्रधानाध्यापक का ही है प्रधानाध्यापक वो एक प्रशासनक क रूप म सगठ नवता के प्रमुख बतव्य रिभान होते हैं जिससे "उचित ढग से साधना वो काम भ लेन हुए अपने उद्देश्यो वी प्राप्ति बर सके। बमजार प्रशासनक अच्छे सगठन को बमजोर कर दाया है जबकि अच्छा प्रशासनक असल्नोपजनक सगठन वा उन्नत कर सकता है।' 1 वनमान मे सारा उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक वा ही दृता है। उमके बाबो वो छ नाया म विभाजित रिया जा सकता है

- 1) नियाजन
- 2) प्रशासनिक - बजट स्टाफ, निर्देशन, समाजम, सभी वा अभिव्यक्त करना।
- 3) पयवेक्षण
- 4) निर्देशन
- 5) मूल्यायन
- 6) समाज स सम्बंध स्थापित बरन।

प्रधानाध्यापक सगठन प्रक्रिया मे स्वभाव से रुढ़िवानी न ही बर आधुनिक परिस्थिनिया के अनुरूप हो। शाला वे अध्यापको वी इच्छी के अनुदल स तुलित रूप म बाबो

फा विभाजन करना, समायोजन धमता उत्पान करना, विद्यालय प्रशासन को बनाए रखना, शिक्षकों, अभिभावकों तथा विद्यार्थियों को शिक्षा के बर्तनान उद्देश्य से अदगद फराना, शाला पुस्तकालय की उचित व्यवस्था करना, अध्यारकों की स्वयं द्वारा आवो चना न करना जैसितु उह आत्म मूल्यावन के अवमर प्रदान करना, कियामो का लचा जन सुनियोजित एव सुसगठित हर मे करना, कियामो वे लम्परदन मे स्थुक्त शक्ति का उपयोग करना आदि उसके प्रमुख प्रशासनिक उत्तरदायित्व है ।

प्रशासनिक इटिट से वह—

- (1) शिक्षकों के रायों का निरीक्षण व निर्देशन व प्रगति हेतु प्रेरित
- (2) निक्षण वाय का निरीक्षण
- (3) सम्पूर्ण यतिविधियों का निरीक्षण व सुधार के सुझाव देना
- (4) रायालय दा निरीक्षण
- (5) छानवास दा निरीक्षण
- (6) सहगामी प्रवृत्तियों रा निरीक्षण—सन्तुलित विकास हेतु
- (7) भौतिक तत्वों, सेल शारीरिक कियामो महकारी भड़ार, कैंटीन आदि का नियेय ।
- (8) विद्यालय-पुस्तकालय, प्रयोगशाला, भवन फर्नीचर आदि का निरीक्षण
- (9) पाठ्य पुस्तकों व प्रश्न-पत्रों मे साम्यता लाने हेतु परीक्षामों का निरीक्षण
- (10) पाठ्य पुस्तकारा दे चरन मे परामर देना तथा उपरोक्तियों की इटिट से निये रुक्म करना
- (11) शाला अभिभावक सघ के कायों पा नि निरीक्षण
- (12) शाला को जिन तत्वों से हानि होने वर मरावनाएँ हो उसका निरीक्षण करना
- (13) प्रदेश सह्या, अध्यापकों की स्थापा तथा अन्य कमचारियों मे सन्तुलन दबाव रखने हेतु निरीक्षण ।

2 शिक्षण व्यवस्था सम्बन्धी दायित्व—प्रधानाध्यापक का कर्तव्य पाठ्याला का सम्भाल, निरीक्षण, परीक्षण आदि करना तो हो योदि शाला का नेता है परन्तु साय ही वह एक शैक्षिक नेता हाने के नाते शाला मे शैक्षिक प्रयावरण व स्थिति पद्ध वरना जिससे अध्ययन अध्यापन कार्य के साव साथ सहगामी प्रवत्तियों आदि ना उभयन हर सके । वह इस उद्देश्य दी पूर्ति हसु पूर्व म नियोजित करता है, अध्यापका दा परामर देता है और त्रुटियों के सशाधन हेतु सजलात्मक सुझाव मित्र के रूप मे प्रदान करता है । शिक्षण हेतु व्यवस्था करना, विषय-विशेष के योग्य अध्यापकों को अन्यापन हेतु समय सारिए मे कालाश प्रदान करना । शैक्षिक विषयों पर विकासशील इटिटोंसे रखना चाहिए । नई पद्धतिया जो भारतीय परिस्थितियों के लिए व्यवहारिक हो उसे प्रयोग मे लाना चाहिए यो व प्रविधियो को प्रयोग मे लान हेतु प्रोत्साहित रिया जाय ।

बायाप का युग्मी घाटिए जहा बार्गला प्रजातात्रिक दण मे हो । क्रिपात्मक अनुभवान का प्रोत्साहन दिया जाय जहा के निरीभरा द्वारा विद्यालय म प्रमुख सम्भवा की खोज भी की जानी चाहिए । 'जान-विज्ञन की प्रगति दृढ़गति स हा रही है नई विज्ञान पद्धतियाँ प्रविधिया का प्रादु भाव हो रहा है उसकी साज करन तथा पुगनी पद्धतिया का सशाधन बरन रहना चाहिए ।'

शिक्षण वाच-व्यवस्था सम्बद्धित प्रविनायापक के निम्न दाय प्रमुख या से ।-

- 1 सभी विषयों का समुचित शिक्षण व्यवस्था ।
- 2 छन्द के अनुरूप विषय पढ़ने की सुविधा
- 3 अध्यापकों द्वारा विषय योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप के काय दना
- 4 शिक्षण काय में तात्सेत बढ़ाना
- 5 सभी विषयों के दश ग्रध्यापकों की व्यवस्था बरना ।
- 6 सम्पूर्ण सत्र की शक्तिक योजना तैयार बरना
- 7 शाला में स्वभन्नामन हेतु प्रेरित बरना
- 8 विषय-विशेषज्ञों के नामण बरना ।
- 9 अध्यापक समाठी म प्रजातात्रिक दण से विषार-विमर्श कर शक्ति उन्नयन करना
- 10 सेवामालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना
- 11 शैक्षिक उन्नयन हेतु परिविद्या म सजनात्मक सुभाष दना
- 12 जिस धमता के कमरे हो उतने ही छात्रा दा प्रवेश
- 13 पुस्तकालय बाचनालय विनान प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला आदि का विकास बरना और समुचित उपयोग हेतु बनाना
- 14 इश्य अवण साधनों के उपयोग की व्यवस्था बरना
- 15 सहगामी प्रवतिशो क सचालन म निरन्नरता, जिसके माध्यम मे नवागीज विद्या हो से ।
- 3 शिक्षकों सम्बद्धी दायित्व - प्रधानायापक शिक्षकों के प्रति सम्मुखनिपूण मान दीय तथा प्रजातात्रिक दण से व्यवहारबना चाहिए। शिक्षकों के व्यक्तित्व का आनंद बहरत हुए उनकी धमता, यायतादा तथा छन्द का आधार पर काय भार आवटा कर। वह स्वयं एक दक्ष अद्यापक के रूप म अपनी प्रतिभा । ॥ लाभ अध्यापकों को एक शक्ति नना के रूप म प्रश्न बर तना उह उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित कर। अध्यापकों से स्वेच्छा पुण सह्याग प्राप्त बरे। और शाला वी सम्प्रसारा के समाधान म उनका सह्याग प्राप्त बरे। शैक्षिक निषयों म सहयोगी होन मे कायविति म वे

1 जदूब तस्हीह— राफिल प्रधानायापक' पञ्च/55

जपना हादिक सहयोग प्रदान करे जैसे जिससे अध्यापकों में दीर्घ भावना जाएँ हाँ। और सामाजिक यातावरण वा विकास हाँ। सभी अध्यापकों को समान रूप से देख र उचित मान दे। के जो सईदेन ने टीक ही कहा है—“एस अच्छा प्रधानाध्यापक वह होता है जो अपने सहयोगियों पर बढ़ोर जमियारी की भावित हावी हुए बिना उह प्रेरणा एवं प्रोत्माहन दे सके।। एवं यित्र सलाहकार, दाशनिक वी भावित व्यवहार वाला है वह जसका परामर्शदाता बने त विं उसकी कमजोरियों का पता लगाने वाला जामूम। ऐसा प्रधानाध्यापक अपने लक्ष्य में वभी सफल नहीं हो सकता क्योंकि पारस्परिक रिवाम और सहयोग पर ही प्रशासन र्पी गाड़ी सुचारू रूप से चलती है। प्रशासन के रा में उत्तरे निम्न दायित्व है—

- (1) शिक्षकों की प्रगति हेतु योजना का निर्माण
- (2) सहायक सामग्री जुटाना
- (3) विज्ञान प्रयोगशाला व भाषा प्रयोग शाला वी व्यवस्था
- (4) शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व कुशलता के आधार पर शिक्षण काय वा आवटन।
- (5) अध्यापकों के शिक्षण हेतु उत्तर नमस्याओं को सुनकाने म सहयोग।
- (6) सेवा म स्थायित्व लाने हेतु सफल प्रयाम।
- (7) अध्यापकों को सेवाकालीन मिलने वाली सुविधाओं का गविलम्ब देना।
- (8) अध्यापकों की भावनाओं का स्वागत कर्णा-प्रजातात्रिक इंटि से विचार।
- (9) नवीन विधियों व प्रविधियों से अवगत कर्वाना।
- (10) सेवाकालीन प्रशिक्षण वी व्यवस्था करना।
- (11) अध्यापकों की गलती को एकात मे समझाना।
- (12) सभी का समान उत्तरदायित्व मौपना चाहिए।
- (13) अध्यापक वर्ग म दलबदी नहीं हाने पाव और न ही विसी दह म सम्मति हो।
- (14) अध्यापकों पर ही उत्तरदायित्व मौपना चाहिए।
- (15) अध्यापकों दा विश्वास प्राप्त कर जिससे हादिक सहयोग मिताना।

4 छात्रों के प्रति कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व — प्रधानाध्यापक वी सफलता का गन छात्रों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क करने हेतु प्रयत्नशील रहना है। “जो अध्यापक विद्यायियों को अपने भृत्यागी की आख्या से दखलता है वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। छात्रों के लिए सहयोगी हो। शाला मे पढ़ने वाले मे से अधिकतम छात्रों को जा। और पहिचाने, जिससे अनुशासन बना रहगा। छात्रों को शाला प्रशासन मे भागीदार बनाए जाएँ।

1 सईदेन, के जो ‘शिक्षा शास्त्र’ पेज/38

“शाला संसद” के भाष्यम से । उहें महगामी प्रवृत्तियों के संगठा व सचालन का वाय सौंपा जा सकता है । अब उसका चतुराई से समाप्ति विद्या जाय । अब ने पर वो गरिमा को बनाये रखे छात्रों को तग बरके भय व डर से नहीं । वह मानवीय बना रहे, ढेरे नहीं ।” सामाजिक ‘जब छात्र प्रधानाध्यापक’ के पाय अपनी समस्यामा या प्रस्तुत करने जाते हैं तो वे नवस हां जान हैं । एस प्रधान का वाय पद वा मुशोभित करना चाहिए जहां अत्यधिक सस्था म बालबा से गम्भीर नहीं हो । ‘2 छात्रों वो आनंद बाता है जब उसका प्रधानाध्यापक उनकी प्रवृत्तियों का अवलोकन हेतु जाता है ।’³ किर भला प्रधानाध्यापक छात्रों से क्यों सक्रिय बरते हैं ? उहें कभी—अभी प्रत्येक बगा कुछ सभम के लिए जाकर उनकी समस्यामा से अवगत हाना चाहिए और समाधान परने का प्रश्नत बरे । वह पिता-तुल्य व्यवहार बरत हुए समस्यामा या ध्यानपूर्वक समझते हुए कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील रहे जिसस वह आदर व अदा वा पात्र बन सकता है । इस इटिंग से प्रधानाध्यापक का निम्न दायित्व है —

- (1) शाला में प्रवेश विद्यालय एवं कक्षाभा म छात्रों वै बैठन दी धमता परे हटिंग म रखना ।
- (2) विभिन्न वर्गों, समूहों का वर्गीकरण भवावैज्ञानिक आधार पर हटिंग म रखना ।
- (3) छात्रों का मूल्यांकन करना ।
- (4) छात्रों की मात्रसिक्ष, शारीरिक प्रगति को अभिलेख मे अक्षन करना ।
- (5) अभिभावकों के पास छात्रों की प्रगति से अवगत कराना ।
- (6) आत्म अनुशासन का अनुसरण जीवन मे बरन दी आदत विकसित करना ।
- (7) शाला मे निदेशन वैद्य की स्थापना बरत हुए उह अवधारिक शिक्षिक परामर्श देना ।
- (8) सहगामी प्रवृत्तियों मे सभी भागीदार हो सके एसी व्यवस्था करना ।
- (9) उच्च बुद्धिलिंग, पिथडे बाल जपराधी, कुसमायोजित एवं विकलार बालबा के लिए पठन व्यवस्था बरना ।
- (10) आत्म संयम आत्म प्रकाशन, याय संगत एवं वैज्ञानिक हटिंगों का विकास बरन वा प्रशिक्षण देना ।
- (11) छात्रों मे अवाधित चेष्टाओं से सतत रहकर उनका मनोवैज्ञानिक व्यापातर बरना ।

1 कोचर, एस वे, से ‘दूल एडमिस्ट्रेशन पन/58

परसवन्तसिंह— सफल प्रधानाध्यापक पैन/44

“ ” ” पैन/45

- (12) स्वाध्याय की आदत का निर्माण करना ।
- (13) कस्पनाशक्ति वा विकास करना ।
- (14) अवकाश के समय का सुप्रयोग की आदत का निर्माण करना ।
- (15) सादर्यनुभूति वी अभिभवक्ति करना ।
- (16) विरुचिपूर्णता(हावीज) उत्पन्न करना और शाला कायक्रम में उसका समावेष करना ।
- (17) सामाजिक ज्ञान के लिए नवीनतम सूचनाओं से अवगत करना ।
- (18) प्रजातार्तक गुणों का विकास करना ।
- (19) समझाव बढ़ि हतु प्रयावरण प्रदान करना ।
- (20) विद्यालय छोड़न पर रोजगार दिलाने के लिए 'फालो अप सेवाये गठित करना ।

5 समाज व अभिभावकों के प्रति सम्बन्धित दायित्व - यदि चिह्नी निर्देश के समाज व समुदाय की सेवा करनी है और बालकों का समाज का स्वन्धन करना है तो उसे छात्रों के अभिभावकों वा सहयोग प्राप्त करना होगा । इन्हें विद्यालय के अनुशासन बनाये रखने, छात्रों की बठिनाइयों एव समस्याओं का सुनने देखने तक उनके सर्वगीण विकास हेतु उन्नत कायक्रम बनाने आदि बार्ता करना । अत एव प्रधानाध्यापक से आशा की जाती है कि व जाग देने विद्यार्थियों के सम्बन्धी सभी प्रकार की बठिनाइया एव सुनने देखने तक सौहार्दपूर्ण बातावरण का निर्माण किया जा सकता है ।

प्रधानमंत्री ही हांग और ना ही शाला के प्रति सहनुभूति वन् पायथंडी और भनामश्यक प्रतिकृत जनमत तयार ही जाता है जिससे शाला के द्वारा उद्देश्य प्राप्ति म बाधा भाना है। । इति प्रधानानाध्यापक को समाज व शाला मे धनिष्ठ रामवाच स्थापित बरना चाहिए। लेकिन उसे राजनीतिक दल की दस्तावत राजनीति मे भागीदार कभी नहीं बनाया चाहिए ।

प्रधानाध्यापक जो अभिभाववा व समुदाय से सम्पर्क बरन हेतु निम्न मुख्य पत्रध्याएँ, पालन बरना चाहिए –

- (1) विद्यालय का कायक्रम के माध्यम मे गमान की आवश्यकतामा भी पूर्ति हो सके।
- (2) विद्यार्थियों की शारीरिक, मानसिक तथा अध्यापन और उनका चरित्र सम्बन्धों बानों का सेया, 'प्रगति-पत्र' के माध्यम से भेजना चाहिए।
- (3) अध्यापक अभिभावक संघ का निर्माण हा और प्रधानाध्यापक उममा मंत्री रह।
- (4) विशेष अवसरा पर अभिभावक आमन्त्रित हो, जिससे समस्याओं का समाधान।
- (5) अभिभावक दिवस मनाया जाय।
- (6) अभिभावकों द्वारा आयोजित उत्तरव पर समिग्लित होता।
- (7) सप्ताहोपयोगी उत्पादन काय (SUPW) मे सहयोग देना, उपदान, सामाजिक कायक्रमों प्रोड शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा कायक्रमों म सहयोग देना।
- (8) सामाजिक कुरीतियों को दूर बरने हेतु विभिन्न उत्तरवों पर शिक्षाप्रद भजन, नाटक आदि सांस्कृतिक कायक्रमों का आयोजन म समाज को आमन्त्रित बरना।
- (9) शिक्षाप्रद सांस्कृतिक कायक्रमों का आयोजन का प्रदर्शन जिससे अशिक्षित जाता वा मनोरजन के साथ अपरोक्ष रूप से शिक्षा भी प्राप्त हो सके।
- (10) पाठ्याला को सामुदायिक के द्वारा रूप देना चाहिए।
- (11) स्थानीय मेलो, जलवाया, बाड़ अकाल, महामारी पर बालवा जो भाग लेने के लिए भेज ताकि समाज-सेवा के साथ समाज से सम्पर्क भी मजबूत होगा और छात्रों के व्यवहारिक जान प्राप्त होगा।
- (12) निश्चित उद्देश्यों को प्राप्ति हेतु विकास समिति का निमाण बरे जिसम समाज के प्रमुख व्यक्तियों को रखा जाय।
- (13) गणमान-वक्तिया की समिति का निर्माण, जो छात्र समाज सेवा मे इच्छित सबै।
- (14) विद्यालय व समाज के बीच रामवाच से समाज का हिंटिकोए रचनात्मक बनेगा जो अप्रस्थके रूप से उपादेव।

1 जसवर्त्तसिंह- सफल प्रधानाध्यापक पेज/57

2 दोषर एस के, 'माध्यमिक शाला प्रशासन पेज/59

- (15) स्थानीय। समस्याओं व आवश्यकताओं विद्यालय के माध्यम से पूर्ति होने से समाज सहयोगी बनेगा।
- (16) अब इच्छी आलाग्रो से सहयोग प्राप्त करने से प्रगति होगी।
- (17) कृषि, बगीचों, खेतीन, प्रयोगशालामो को 'सीखो और आओ' योजनामो से जोड़ना चाहिए।
- (18) शिक्षा से समाजीकरण हो सके, ऐसी व्यवस्था करना।
- (19) अभिभावका के सुझाव व शिकायतों पर समुचित ध्यान दे।
- (20) प्रधानाध्यापक वा चाहिए उन्हें वह समाज की प्रवृत्तियों, कियाइलानों एवं विभिन्न अवस्थाओं को विद्यालय में प्रतिविमित करे जिससे छात्र अपने विश्वलीय जीवन में ही भावी नायरिक जीवन के प्रयोग एवं व्यवहारिक अनुभव दर सके।
- (21) प्रधानाध्यापक समाज के आदर्श विचारशारीरों, परम्पराओं, प्रस्तुतियों से अवगत परवाय जिससे समाज रो समृद्ध बनावें के लिए उत्तरण उत्पन्न हो।
- (22) प्रधानाध्यापक समाजिक, धार्यिक, राजनीतिक वथा सारकृतिक जीवन से श्रेत्र-प्रांत का अवोदन हो।
- (23) शाला में स्नेहमयी एवं सहयोगी बालाभरण तैयार करे।
- (24) प्रधानाध्यापक विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तिक जीवन के गुरुओं वा समावेश हो।
- (25) प्रधानाध्यापक सामरिक वरपरों में सक्रिय वर्गीदार बदान हेतु द्याना वा उत्प्रे-रित होना।
- (26) विशिष्ट दातों की शिक्षा हेतु प्रयाग्रामक प्रदेश करकाते रहना चाहिए।
- (27) 'परिवार नियोजन' व 'जनसंख्याशिक्षा' पर योग द्य से प्रदान होने वो व्यवस्था करे।
- (28) 'योनि शिक्षा' अब विद्यों को पढ़ाते घटक छात्रों वो समझान हेतु प्रबन्ध करना।
- (29) प्रधानाध्यापक को चाहिए कि भावान्मूल व चर्चाए एकत्र हेतु व्यापकों का व्यापाजा हो।

6 विद्यालय कियाओं के सचालन सम्बन्धी दायित्व- द्यानकों ने नवोनीसु विकास के लिए पाठ्यक्रम राहगामी कियाओं का शिक्षा म महत्वपूर्ण रूपान है। मराठ्यमिक शिक्षा आध्योग का कथन है- 'कि पाठ्यक्रम सहगामी प्रवृत्तिया विद्यालय कायदम कर उत्तना ही महत्वपूर्ण नाग है जितना पाठ्यक्रम सम्बन्धी को अंग उत्तरे उत्तरु त साठन हेतु उत्तनी ही सावधानी एवं पूर्ण विचारसी उत्ता की अवश्यकता होती है। यदि उनका भली भाँति संचालित किया जाए तो मूल्यपान अभिवृत्तिया एवं सुणो दे विश्वर म

सहायता हो सकती है। ” यह प्रातियो द्यात्रों की स्वेच्छा पर आधारित हो जि
भाष्यम से शारीरिक इनसास, सार्टिफ़्य, सार्टिनिंग विकास प्रवर्तन का सदृश्य
हस्तकला, नामरिकना का विकास सदाचार कल्पाणा सम्बन्धी प्रयुक्तियों का सचालन
बालका का सर्वांगीण विकास वर सक्त है। कियागा के मध्याना में विभिन्न क्रिया
के मध्य प्रतिक्रिया समुद्रन तथा साठन भी बाहर रखना चाहिए पिपस उनके द्वारा ।
लक्ष्य के किसी पहलू को हानि न हो गर्न।

ऐल्सवर्थ टोम्प्किंस (Ellsworth Tompkins) द्वारे द्वारा व्यक्तिगत, सार्वान्वयनीक
नाम नामरिक तथा नैतिक उन्नयन होने की सम्भावना बताया है। विद्यार्थ-क्रिया
के सचालन हेतु प्रधानाध्यापक के निम्न उत्तरदायित्व हैं—

1. कियाओं को शारीरिक महत्व की हटाए जा चुका होना।
2. द्यात्रा का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 'शान्त समद लक्ष्यवा समिक्षा
का निमाण करना।
3. द्यात्रा की यात्रा उम्र, रुचि एवं यादता के जाग्रार पर कियाओं का आधार
करना।
4. कियाओं के माध्यम से स्वाउठिंग, गाइडिंग बालचर, एन भी तो आदि प्रशिक्षण
5. ऐसी व्यवस्था हो कि सभी द्यात्रा भागोदार हो सकें।
6. कियाओं के सचालन से द्यात्रा में करब्बपरायणता, सहयोग, धैर्य, नेतृत्व ए
सामाजिकता वे मुण्डों का विकास हो सके।
7. प्रधानाध्यापक वे नैतिक साधनों व आर्थिक स्थिति तो अनुमार हो नियाजन
8. प्रधानाध्यापक कियाओं का पयवेदण व पय प्रदान वरे।
9. एक द्यात्रा को अनेक बाध करने वा नहीं दिए जाय।
10. समाज के सभी समग्रना का सहयोग प्राप्त करे।
11. प्रधानाध्यापक का चाहिए कि वे द्यात्रों म स्वेच्छा-भावना से सम्मिलित हो
प्रात्मानित वरे।
12. दियाओं वा मूल्याकान वरे।
13. पारितापिकों एवं पुरुषकारों का प्रबंध करें।

प्रा मिलर, मोयर और पटिक 1 न भी कियाओं को प्रभावी बनान हेतु
वा प्रतिपादन किया है— सार्वान्वय सिद्धान्त, समृद्ध शैक्षिक कायक्रम से सम्बन्धित
मिडार्ट, प्रौढ़ नेतृत्व से सम्बद्धित मिडार्ट, समग्रन प्रशासन एवं पयवेदण से
मिडार्ट। प्राय उपरोक्त लिपित बातों ही की आवाज की गई है।

1 ऐल्सवर्थ टोम्प्किंस, 'एकस्ट्रा कनास एसीविटी पोर आल पिपल्स' पेज/3

2 F.A. Miller, J H Moyer, R.B Patrik, Planning Student Activit

७ शिक्षा विभाग व उसके अधिकारियों से सम्बन्ध - माध्यमिक शिक्षा आयोग ने प्रधानाध्यापक यह प्रमुख पत्रब्ध बताया है कि—“शिक्षा विभाग के अधिकारियों वे निदेशों का पालन करना ही उसका काम है।” अतः शिक्षा विभाग के आदेशों का पालन परना चाहिए। पूछे गये प्रश्नों का प्रतिउत्तर शिक्षा विभाग को देना उसका करतव्य है। विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करे। शाला के निरोक्षण के अवसर पर सम्मान करे और तभी क्रियाकलापों का प्रदर्शन करे। विशेष उत्सवों पर शिक्षा विभाग वे अधिकारियों को आमंत्रित करे। विभाग के अधिकारियों से पारस्परिक सहयोग तथा सद्भाव बढ़ाने से शाला की उन्नति होगी और अधिकतम योग प्राप्त होगा। प्रधानाध्यापक को निम्नलिखित बातों का दायित्व निर्वाह करना चाहिए—

- (1) विद्यालीय शिक्षा की भिन्न भिन्न शाखाओं से सम्बन्धित परिस्थिरों से शिक्षा विभाग का अवगत करना।
- (2) शिक्षा की प्रगति व सम्बन्ध व मेरे अधिकारियों को सूचित करना।
- (3) शासन की शिक्षा नीति वा विद्यालय मेरे होने वाली प्रतिस्थिति मेरे विभाग को अवगत करना।
- (4) शैक्षिक आवश्यकताओं से अधिकारियों को अवगत करना।
- (5) अनुशासन बनाना और अन्य भाषक तत्वों के बारे म अवगत करना।
- (6) अध्यापक व कमचारियों की काम प्रणालियों से अवगत करना।
- (7) शिक्षा विभाग के नियमों का समय सारिणी म क्रियावित हर देना।
- (8) शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित पुस्तकों का जयन करना।
- (9) विद्यालय की विभिन्न प्रत्युत्ति व प्राप्ति से विभाग को समय समय पर सूचित करना।
- (10) विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क प्राप्त करना।

८ राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोड व उसके अधिकारियों से सम्बन्ध —

राज्य की माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालाओं का शिक्षिक नियन्त्रण उस राज्य शिक्षा बोड द्वारा है। बोड द्वारा ही शाला गिराव सम्बन्धित विषय पर राज्य सरपारा का सलाह देना है। सभी शालाएँ इही के द्वारा मापना प्राप्त करती हैं। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाला गिराव के निए पाठ्यपत्र वा नियमाण व उन्हीं परीक्षाएँ उसी के द्वारा सम्बन्धित होती हैं। अतः शैक्षिक उन्नयन के लिए प्रशान्ताध्यापक वा माध्यमिक शिक्षा बोड से भी गहरे सम्बन्ध बनाय रखना चाहिए। प्रशान्ताध्यापक वा प्रशिक्षित बातों पर मेरा लाना चाहिए—

- १ विद्यालय की विभिन्न शैक्षिक परिस्थिरों से अवगत करना।

- 2 निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुदृत कामगाम बनाना ।
- 3 विद्यालय की शैक्षिक आवश्यकताओं को बनाना ।
- 4 माध्यता के लिए लगी छड़ीसंस को पूरा करना ।
- 5, बोड द्वारा प्रमारित नियमों का विधावित हण देना ।
- 6 बोड द्वारा निरी तथा अक्षर पर सभी क्रियाएँ ताजा के घारे में अवगत करवाना ।
- 7 बोड द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का ही अध्ययन-प्रध्यापन सेतु उपयोग में रखना ।
- 8 वार्षिक-प्रतिवेदन भेजना ।
- 9 बोड द्वारा छात्रवत्तिया, अनुदान जादि के घारे में छात्रों को अवगत करना ।
- 10, बोड द्वारा आवाजित परीक्षाएँ का सचालन करना ।
- 11, बोड द्वारा अप्पोजित काष्य मापिया में अध्यापकों का भेजना ।
- 12 शाला के शैक्षिक उल्लंघन हेतु जो भी निदेश बोड द्वारा प्राप्त होते हैं उसकी अनुपालना करना ।

'शाला सगम' की स्थायी से सम्बद्ध - 'शाला-सगम' के विचार में एक माध्य-मिक्स या उच्च माध्यमिक लगभग तीन या चार उच्च प्राथमिक शालाएँ तथा दम से बीत प्राथमिक शालाएँ, जो एक दूसरी के नजदीक हैं वे एक इकाई के रूप में व्यापक वर्तमान हैं । माध्यमिक शाला उसकी मयोजक सगम के रूप में व्यापक वर्ती है । जिससे ग्राम विक जिम्मदारी बढ़ जाती है । प्रधानाध्यापक वा अन्य सहयोगी स्थायी से सम्बद्ध में निम्न उत्तरदायित्वा का निर्दोष करना चाहिए -

- (1) आमपाम की स्थायी के प्रधानाध्यापकों की समिति उसका मर्योजन करना ।
- (2) कम से कम वर्ष में दो बार अत्यावधालय सम्मेलन
- (3) अपने विद्यालय के उत्तमवा में दूसरे विद्यालय के प्रधानाध्यापक व अध्यापकों को आमत्रित करना ।
- (4) बोई भी ऐसा काय नहीं करना जो अब विद्यालयों के लिए अहितकर हो ।
- (5) विद्यालयों के मध्य प्रतिदोषिता उत्पन्न करना ।
- (6) शाला प्रधानाध्यापक व पुस्तकालय 'सगम' की स्थायी के बालकों को अवकाश व रोज उपयोग करने की अनुमति दे ।
- (7) केंद्रीय माध्यमिक संस्था हाने के मात्रे पुस्तकों उधार के रूप में अब संस्थाओं को दे ।
- (8) अच्छे प्रशिक्षित अध्यापकों को भी पढान हेतु भेजा जाय ।

(9) चिरकरा व सेत प्रधापक प्रायमिक स्तर की शालाओं में तही है वहा उन अध्यापकों को शाला के कायभार के अतिक्त भेजा जाय।

(10) एक अध्यापक प्रायमिक शालाओं के अध्यापक द्वाटी रहने पर अध्यापक भेजना।

10 प्रधानाध्यापक द्वारा मूल्यांकन—पाठशाला में वालकों को परीक्षाएँ, वार्षिक, अद्व-वार्षिक होती है। उनका सभी प्रबाध जैस प्रश्न—पत्र बनवाना, उहे छाटना उचित स्थान पर गुप्त रूप से छपवाना, उत्तर पुस्तिकामा को जचवाना तथा परीक्षाओं में बाई भनितविता त होने पारे इन सब का प्रबाध तथा परीक्षाफल समय पर तैयार करके घासित करने का उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक का ही है।

प्रधानाध्यापक वो देवना चहिए कि छात्रों ता मूल्यांकन कायक्रम नियमित रूप से हो रहा है या नहीं। उस अध्यापकों के गपों ही मूल्यांकन उपकरण बनाने के लिए प्रात्साहित करना चाहिए।

विद्यालय — वातावरण

(The Tone of the school)

"विद्यालय का भवना एक वातावरण अथवा रीति स्वामित करना बड़ा ही बठिन पाप है और इसमें वई वप ना जाते हैं। यह वातावरण एसा हो, जि इसका छात्रों और अध्यापकों पर ऐसा प्रभाव पड़े कि भी वर्ते इपरापरण बने और उनका नवीनीण विभाग हो सके। इस सम्बन्ध में भी प्रधानाध्यापक का प्रधान करब्रह्म है। जिस विद्यालय का वातावरण जच्छा रहता है उसके छात्रों वा आचरण में वोई द्राप नहीं दिललाई पडता, वे विभी को विभी भी प्रबार वा दुष्म नहीं देते और उनके आदर्श तथा चरित्र की नीव उनके विद्यालय काल में ही पढ़ जाती है। ।

प्रधानाध्यापक की समन्याएँ एवं निराकरण पाठशाला का सम्पूर्ण उत्तर दायित्व प्रधानाध्यापक वा ही है और इतन अधिक कार्यों व उत्तरदायित्वों को अति विलक्षण योग्यता वाला प्रधानाध्यापक ही पूर्ण कर सकता है। अत्यधिक प्रयत्न के उपरान भी उसे परिवर्तित समय और समाज की बदलती हुई सामाजिक, आधिक, राजनीतिक दशा में प्रनिष्प पृथ्वी और नये दाय भी अपनान पठते हैं विशेषतर शिक्षा देश मा द्वूत का सारा काय सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप क्रियान्वित करके उसे नई समस्याओं के समाधान तदनुकूल बरने पठते हैं। यापुनिक गमस्था सामाजित निम्न प्रकार भी उनके सम्मुख जाती है ।-

11 अनुपयुक्त पुस्तकालय - पुस्तकालय शाला की रीड भी हड्डी है। उसका निरंतर विकास व उनान बाधित है।

मुझाव — 1 धर्मिक मनुदान प्रदान दिया जाय।

2 प्रगिधारण प्राप्ति पुस्तकालाध्यक्षों की नियुक्ति।

3 भव्य सार्वत्य प्रदान दरखत।

12 अध्यापकों का शोधता से स्थानान्तरण - स्थानान्तरण वय व मध्य मन नी हान चाहिए। गांज प्रधानाध्यापक के बोर पूछे ही अध्यापक वा स्थानान्तरण दर दिग जाए है जिसमें उनकी योजना को क्रियावित रख देने में अभियान रहती है।

गुमाव — 1 तीन वय से पूर्व अध्यापक के स्थानान्तरण न हो।

2 स्थानान्तरण निति का निमाण।

3 प्रधानाध्यापक से शाला तथा शैक्षिक प्रबतियों के सचालन वे हित वा इच्छा में रखते हुए प्रधानाध्यापक वी अभियान उपरात ही स्थानान्तरण की

4 स्थानान्तरण राजनीति से प्रेरित न हो।

अध्यापक

विद्यालय वातावरण के निर्माण में अध्यापक की मूलिका
(Role of teacher in building tone of School)

अध्यापक माली के समान पौष्टों वो यथास्वान रोपता-सीधता उनम साद ढालता और रुकुओं के आधाता से बचाकर सम्बोद्धत करता है। उत्तम बाटि की शालाओं पा धन इससे भी आग है वे पढ़कर चले जान क पश्चात भी अरने द्याता वी चिठा रखती है और उनसे सम्पर्क बनाय रखती है।

वर्द्ध शालाएं अपने विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त काम भी दू ढन वा सफर प्रयत्न तरती है और इस प्रवार शाला वा शिक्षक माली के समान अपन पौष्टा फलना पूर्णता भा दखता है। इस फलत-पूर्णता वीवा के पूछे उस मानी रूपी अध्यापक वा कठिन परि अम, सम्म, रचि तथा साधन सम्प नेता निहित है। बह अरने विद्यार्थिया वा सत्रार्थीण विवाद करने के लिए जयक प्रयत्न वरत हुए समाज वी यादाक्षांश्च अनुरुप योग्य य राष्ट्रउपयोगी नागरिक व रक म प्रदान वरता है। अत स्त ट है वि जसा अध्यापक होग वह ही शाला वागी As the teacher so is the School, यदि एक मच्छे शिशा पिद प्रशासक द्वारा द्याता व उन्नयन के लिए योजना बनाय। यदि अध्यापक यप्रशिक्षित है द्वास य के प्रति अल्पचि है व साररदाह है तो उसका बहुत हो वम अनुपात म ताम होगा। इसी प्रकार प्रो टी रेमाण्ट न कहा- ' योजना चाहे कितनी ही व्यापक दी एम स्टेनिष दी प्राफेशन याक टीचिंग' नई दिल्ली, प्रिटीक हाल इडिया 1969 प्रव

यथो न हो, विद्यालय का भवन चाहे कितना ही भव्य क्यों न हो, साज सज्जा कितनी ही प्राकृतिक वयो म हो, पाठ्यक्रम कितना ही उपयोगी क्यों न हो जब तक उस योजना का धार्यावित करने वाले अध्यापक सुयोग एव सुसङ्खेत नहीं होग, जब तक योजना उसी प्रकार निरन्तर भिन्न होगी जिस प्रकार एक अनाडी के हाथों एक सुन्दर यन्त्र की स्थिति होती है।” डा. पेरिस के भावाव भी यही है कि “जिस थेरेणी का राष्ट्र के अध्यापक होगे, उसी थेरेणी का राष्ट्र होगा।” इसी तथ्य को मुदालिया कमीशन ने दोहराया—“देश के पुनर्वना मे अध्यापक एक मुख्य घटक है।”

“अध्यापक विद्यालय को गत्यात्मक शक्ति है। विद्यालय भवन एव साज-सज्जा महत्वपूर्ण और छीव बैसा ही स्थान पाठ्यक्रम पुस्तकों और प्रयोगशाला आदि का है। लेकिन इन सभी बातों के होते हुए भी अध्यापक विहित विद्यालय ग्रात्मा रहित (मन) शरीर के समान है।”

शाला बातावरण व अध्यापक — प्राधुनिक भारतीय शिक्षण संस्थाओं में दिशोर वालक बालिकाओं को निर्देशन व अध्यापन दक्षता से नेतृत्व प्रदान करता है। वह बालकों के लिए निर्धारित उद्देश्यों को अपनी व्यक्तिगत, सूजनात्मक विद्याओं व विद्वत्ता से पूरा चरवाता है। वह कौशलपूर्ण प्रभावी अध्यापन के लिए योजना बनाने निर्देशन देन व अपना तथा छात्रों का समय समय पर मूल्यांकन करता है। वह ही तो छात्रों को विभिन्न अध्यारण पढ़निया से विषय वस्तु को अचिकर व सहयोगी ढंग से अध्यापन हेतु उत्त्रेरित करता है। छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु कौशल का विकास करता है। वह व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक छात्र को समझने का साल प्रयास करते हुए व्यक्तिगत निर्देशन जब भी आवश्यकता होती है प्रदान करता है। याज के प्रजातात्त्विक पढ़ति मे जध्यारह ही समुदाय और परम्पराओं, धरत्तराओं मूल्य वा समझते हुए उनसे अच्छे सहसम्बन्ध बनता है। अपने छात्रों व उनके अभिभावकों से मधुर सम्बन्ध स्थापित करने हेतु शाला व समुदाय मे आयाजित कायक्रमों मे सहभागी बनता है। अध्यापक जीवन भर विद्यावें समझते हुए अपने धर्षसाधिक दक्षता का निरंतर विकास करता है। अपने जध्यापकों कार्यालय लिखिक, चतुरथेणी कमचारियों व प्रधानाध्यापक से मधुर व परिवार जसे सम्बंधों की स्थापना बरता है ताकि शाला मे अध्ययन अध्यापन हेतु सामाजिक बातावरण को स्थापना हो सके। इन सबसे प्रमुख विशेषता उसमे होनी चाहिए कि वह एक सचेत विद्यार्थी बना रहे। यदि इन सभी गुणों से ओत-प्रोत हैं तो स्वाभाविक है कि वह एक अध्यापक के रूप मे, अकादमिक कार्य के नियोजन व त्रियान्विति व अभिभावकों से मानवीय सम्बन्ध स्थापित करने मे, प्रधानाध्यापक व साथियों से मधुर सम्बन्ध स्थापा ना मुश्कीली, एस एन, “सर्वेष्ठरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ऐज/106

पित करते में, सामाजिक परिवेतना म गतिशील बनाने म, विद्यालय वा शारिक व भौतिक वातावरण के निर्माण में अहम भूमिका रहेगी जिसमें समस्त शाना एवं गमुदाय के रूप में प्रतीत होने लगेगी ।

अध्यापक की सामाजिक योग्यताएँ - अध्यापक वा उत्तरदायिक इतना अधिक और महत्वपूर्ण है कि उह एक सामाजिक बुद्धि एवं सामाजिक चरित्र वा व्यक्ति पूर्ण नहीं बर बतता । 'विवेकानन्द ने कहा कि- 'एक सब्ज्ञा अध्यापक' वह है जो तुरन्त विद्यार्थियों के स्तर तक उत्तर बर विद्यार्थी की आत्मा में अपनी आत्मा स्थानात्मित कर उसके मस्तिष्क के माध्यम से उस समझ सके ।' 1 विद्वान् और वतव्यपरायण व अनुकूलणीय आदतों वाला होना चाहिए स्वामी न्यायाद न कहा है— 'जो अध्यापक पुरुष व स्त्री दुष्टाचारी हो उनसे शिक्षा न दिलावे किन्तु जो पूर्ण प्रियायुक्त और धार्मिक हो वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने के योग्य हैं ।' 2 विद्वान् ने अध्यापकों के विभिन्न गुणों को अपने छह से प्रस्तुत किया है जैसे प्रो आयर वी मोइलमन पाच गुणों वा हाना परम आवश्यक बतलाया है ।³ (1) शक्ति, (2) भावात्मक स्थिरता, (3) बुद्धि, (4) सामाजिक गुण, (5) प्रशिक्षण ।

संयुक्त राष्ट्र भ्रमेत्रिका में डा एफ एल कैल्प (F L Calpp) जिक्षण व्यक्तित्व के दस गुणों का होना परम आवश्यक बतलाया है ।

(1) सम्बोधन (2) वैयक्तिक आड्हति (3) आशावादिता (4) मम्भीरता (5) उत्साह (6) चिन्तन वी स्पष्टता (7) वकादारी (8) सहानुभूति (9) जीवा शक्ति (10) विद्वत्ता

प्रो पी सी रेन सफल अध्यापक के लिए बताया है — (1) असीमित धर्य (2) आकर्षक व्यक्तित्व (3) निषुणता (4) दक्षता (5) वाक्पटुता (6) विनोदप्रिय (7) विभिन्न रूचियों (8) मौलिकता (9) उल्लास (10) वायक्षमता (11) आशा दादिता (12) शोध निषय (13) निष्कर्षक (14) जरित्र (15) विनय (16) स्फूर्ति (17) समस्वभाव (18) तीव्र अवण (19) दृश्य शक्ति (20) अध्यवसाय (21) आत्म मम्मान (22) आत्मनिभरता (23) स्वस्थ एवं शारीरिक बल (24) दया (25) पूर्ण-हृदयता ।

प्रो रायबन न कहा है कि — "अध्यापक का चुनाव बरत समय प्रधानाध्यापक एवं प्रब थक की इन तमाम वानों वा ध्यान रखना चाहिए सब प्रथम तथा परमावश्यक है

1 विवेकानन्द 'एजेक्यूकेशन मद्रास श्रीरामकृष्ण माह 1953 पेज/28

2 स्वामी दयानन्द, महर्षि दयानन्द के सबथ्रेष्ठ भाषण, पेज/123

3 मोइलमन, आयर वी 'शाना प्रशासन' पेज/315

चरित्र, उसके बाद वच्चों को समझाने तथा उसके साथ उचित रूप से काय परन की क्षमता, अध्यापन की योग्यता, काम परने की इच्छा, शक्ति और सहयोगिता।”¹

प्रो एस एन मुखर्जी ने ‘सफल अध्यापक के लिए निम्नलिखित गुण व अच्छाइया वाचित बताया है—’²

- 1 व्यक्तिगत गुण — व्यक्तिगत प्रकटीकरण, मदुलभाषी, शिष्ठ, मेहनती, उपसाहृ, अभियान चलाने वाला, पहल कदमी, खुले दिमाग।
- 2 व्यवसायिक गुण — मनोविज्ञान का ज्ञाता, विषय वस्तु का ज्ञाता, अध्यापन की पद्धतियों का ज्ञान अध्यापन में रुचि, पढ़ान का बढ़िया कौशल।
- 3 सास्कृतिक व शैक्षिक गुण — पढ़ाये जाने वाले विषय का ज्ञान सामाय ज्ञान, सस्त्रुति का ज्ञान।
- 4 शारीरिक गुण — स्वास्थ्य, शारीरिक शक्ति, स्कूलि शारीरिक दोषों से मुक्त।
- 5 मानसिक गुण — उच्च बुद्धि, मानसिक चेतन निर्णय शक्ति, सामान्य बुद्धि।
- 6 सबेगात्मक सतुलान का गुण — अत्मनिवृत्त, मानसिक स्थिरता, सहनशोलता भनुचित विश्वास से स्वतन्त्र, पूर्वाग्रह से ग्रसित न होना।
- 7 सामाजिक समायोजन — सामाजिक परम्पराओं का ज्ञान, दूसरों के साथ समायोजन की क्षमता नीतिक गुणों से आत प्रोत।

भिन्न भिन्न शिक्षाविदों के ही आधार पर छात्रों को कुछ स्पष्ट करने के दृष्टिकोण से विवरण सहित विद्युतार मध्यापकों के गुणों का समिप्त विवेचन अवबोधन हेतु प्रस्तुत है।

- (1) अपन विषय का पण्डित — होने पर आदृप सम्मान पैदा होगा, बालक गलतिया पकड़ेगे आदर प्राप्त नहीं होगा और ता ही उचित ढग से ज्ञान दे पायेगा।
- (2) शिक्षण कला का प्रवीण — जिससे वह ज्ञान को अधिक सरल और प्रभावशाली ढग से व्यबहारगत परिवर्तन बरवान मे सफल हो सकेगा। “अध्यापक का बाल अध्ययन मे उत्साहित, अपन विषय एव विधि मे उत्साहित होना चाहिए।”³
- (3) प्रभावशाली व्यक्तित्व — [जिससे बालकों, अभिभावकों और दूसरे अध्यापकों आदि पर प्रभाव पड़ेगा और सम्मान प्राप्त कर सकेगा।
- (4) मनोविज्ञान का ज्ञान — से ही निर्धारित कर सकता है कि वह अपनी शिक्षण

1 रायबन डच्यू एम, (मनु धी वास्तव) — विद्यालय समाज पेज/32

2 प्रा मुकर्जी एस एन से ‘स्कूल एडमिस्ट्रेशन पेज/106 107

3

पढ़ति में कब परिवर्तन वरे जिससे बालकों की मानसिक स्थिति थो अपने अनुकूल बना सके ।

(3) बच्चों से प्रेम तथा सहानुभूति — बालका म अपने प्रति तथा अपने द्वारा प्रदत्त विषय ज्ञान के प्रति श्रद्धा और विश्वास उत्तम बरने व लिए प्रेम तथा सहानुभूति आवश्यक है । "ग्रध्यापक वे हृदय में बालक के प्रति गहरा प्रेम और सहानुभूति तथा उसके व्यक्तित्व के प्रति सम्मान वी भावना का हाना आवश्यक है ।"

(4) अध्यापने काय के प्रति रुचि — इच्छि के साथ शिक्षण काय न बरन पर बालक उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं वार सकते । परिव्रम वृद्ध नामित होगा । "जिसने हृष्टता से निश्चय कर लिया हो कि आजाम शिखन रहगा ।"

"अधिकाश देखा गया है जब तब नवयुवकों को कही नोकरी नहीं मिलती, तब तक वे जध्यापन काय वरे रहते हैं तथा अच्छी नोकरी मिलन पर अध्यापक काय वा स्थाग देते हैं ।" 3 अध्यापक काय एवं अवसाय नहीं है यह ता एवं स्वेच्छा पर आधारित नैतिक काय ।

(7) उच्च चरित्र — अध्यापक मे चारित्रिक दुर्बलता होने पर बालकों मे चरित्र सर भी निम्न होगा । चरित्रही अध्यापक श्रद्धा, बालका व समाज म नहीं हा सकती ।

(8) नेतृत्व शक्ति — मनोवज्ञानिक युग मे बालका मे स्वाभाविक विकास पर विश्वास विद्या जाता है — अध्यापक से नेतृत्व व पथ प्रदर्शन वी ही याशा की जाती है । नेतृत्व वे बगेर शिक्षण सम्पादित नहीं होगा ।

(9) धैयवान — अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों म मानसिक सतुलन नहीं होता चाहिए और धय के साथ परिस्थिति पर नियन्त्रण कर लेना चाहिए ।

(10) प्रत्युत्थानमति — अध्ययन प्रध्यापन मे बाधा या उपक्रम शिक्षण सहायक सामग्री न होने पर भी, समय विशेष पर उपलब्ध सामग्री से विषय चलनु का सफल करना

1 प्रो तनेजा, बी आर, "एज्यूकेशनल थाट एण्ड प्रेटिक्युल अध्याय 8

2 The fist condition of a good teacher is that he shall be a teacher & nothing else , that he shall be trained as a teacher not brought to serve other profossion Murk Pottison

3 पेस्टालाजी हाउ जरटयुड टीटेज हर चिल्ड्रन अध्याय 1

4 प्रो रायबन, पेज/30

चाहिए। कक्षा के बाहर भी ऐसा उपागम की आशा की जानी है।

- (1) आत्म सम्मान – अध्यापक का पद थ्रेण है अत उसमे आत्म समान का भाव होना चाहिए। अपने अधिकारों व कर्तव्यों का निर्वाह सही रूप से करना चाहिए।
- (2) आत्म नियन्त्रण — आवेश में आकर किसी भी कार्य को नहीं करना।
- (3) अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान जिससे वह समय-समय पर अधिकारों का उचित प्रयोग और अपने कर्तव्यों का पालन भी। “शिक्षा वी पुनर्चनना में कोई भी बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी अध्यापकों की योग्यता और उसकी कर्तव्य परायणता।”¹
- (4) कुशल वक्ता – कलापूर्ण तरीके से प्रस्तुत वी गई बात का विद्यार्थी तथा जनता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है।
- (5) सहगामी प्रवृत्तियों में रुचि – अध्यापक स्वयं सहगामी क्रियाएँ में भाग लेता है तो वालव भी आकर्षित होगे।
- (6) जनतन्त्रात्मक दृष्टिकोण – कक्षा में विभिन्न प्रकार की समितियां बनाकर उत्तरदायित्व सीपा जाय, इसके साथ ही उनके विचारों तथा अच्छे वार्यों को आदर की दृष्टि से देखें।
- (7) विस्तृत दृष्टिकोण – छात्रों में राष्ट्र प्रेम, विश्व बधुत्व की भावना, जाय धम जाति व धर्म के लोगों से प्रेम उत्पन्न करने का सफल प्रयत्न वरे।
- (8) निष्पक्षता – शाला में विभिन्न काय जो उनके द्वारा सम्पन्न होते हैं उसमे निष्पक्षता से ही उत्तरदायित्वों का निवाह करने में सफल होकर सम्मान प्राप्त करेगा। रायबन – वालकों में अध्यापन का प्रभाव अंतायी हाने के बारण जितना नष्ट होता है, उतना दूसरी बात से नहीं।²
- (9) समय का पाव द – अपने काय को ठीक समय पर सम्पन्न करके व शाला व कक्षा में समय पर पहुचने से ही छात्र उनका अनुकरण करें।
- (10) सामाजिकता की भावना – ‘पाठशाला समाज का छाटा रूप है।’ मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है – समाज के अलग कुछ नहीं। उसे छात्रों व सहयोगियों से मिलजुल कर सीहादपूर्ण बातावरण से काय करने से शाला में सामाजिक बातावरण बनेगा अर्थात् वालकों में सामाजिकता के गुण का विकास सम्भव नहीं।

1 व्हीर हुमायु – “एव्यूकेशन इन ‘यू इण्डिया’ पेज/20

2 रायबन डब्ल्यू एम, “विद्यालय सगटन पेज/33

- (21) उत्तम स्वास्थ्य - मानसिक व शारीरिक स्वस्थ्य अध्यापक ही शिखण व विद्यालय में रुचि ले सकता है।
- (22) आशावादी - समस्याओं से हतोत्तमाहित न होकर आशावादी बननेर काय वर तभी वह अतिम रूप से सफलता पेर चुमेगी।
- (23) निय त्रण शक्ति — हान से ही कष्ट म अनुशासन रहेगा और अध्ययन अध्यात्म विद्या सम्पन होगी।
- (24) विनोदप्रिय - तारि वालक उससे भय न मान और तिसपोच रूप से प्रसन्नी असुविधाए वता सब और निकट या सबे जिसस एक द्वारा को समझेंग।
- (25) जीवन के विभिन्न पक्षों का ज्ञान - जितन काय बरन म एक विषय वा जीवन के विभिन्न पक्षों से सम्बन्ध स्थापित बरन से अवबोधन हागा।
- (26) अपने विषयों के अतिरिक्त आय विषयों का सामाज्य ज्ञान - यह तभी मन्मव है जबकि उन विषयों का सामाज्य ज्ञान रखता है।
- (27) उत्साह - सफल अध्यापक को कु जो है। "अच्छा अध्यापक अपन काय वे प्रति उत्साही होता है।"
- (28) ज्ञान-पिपासा अपने ज्ञान के भण्डार वा बढाने के लिए सबा युद्ध न शुद्ध प्रयत्न करते रहना चाहिए।
- (29) वेश भूपा — अध्यापक की वेशभूपा साफ सुथरी तथा सादगी पूण हा।
- (30) कण्ठ स्वर — स्वर स्पष्ट तथा मधुय हो इतने उच्च स्वर से बोले वि उसकी आवाज समस्त छात्र सरलता से सुन सके।
- (31) कक्षा व्यवहार — ऐसा काय अध्यापक को नहीं बरना चाहिए जिसे देखकर इसे। ऐस क जगवाल — "शिक्षक की आनंदे फूहड नहीं होनी चाहिए। दान से नालून काटना, हाय म नाक टिक धुमाना, पतलून की जेव मे हाय ढालवर पढाना हाय, मुह अथवा आख मटवा कर पढना, हाय पटवारना, आख निकलना पेर हिलाना नाक कान कुदेरना आनि तुरी आन्त हैं!"
- (32) प्रायोगात्मक हिट्कोण — हर बात का प्रसालिङ्करना एव विश्वमनोषता मालूम करन के लिए प्रायोगात्मक हिट्कोण रखना चाहिए।
- उपरोक्त गणों क अतिरिक्त उसमे दूर्दृश्यता अध्ययन प्रियता इच्छनि चय, सहन शोत आवपक स्वर रचनात्मक हिट्कोण मीलिक विचार वाला, जाधुनिक शिक्षा

प्रिकास (देश व विदेशों में) योजनाओं के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान रखने वाला होगा चाहिए। इन पूर्व के पृष्ठों में उल्लेखित गुणों वाले अध्यापक की शाला, समाज में तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी ही, उसके साथ ही माथ शाला का शैक्षिक, सहगामी प्रवृत्तियों में उन्नयन करने में सफल होगी और शाला दी टोन व प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

अध्यापक के कार्य तथा उत्तरदायित्व

(Teacher's Duties & responsibilities)

शाला और उन्नति व अवनति प्रधानाध्यापक पर डालते हैं परतु उसकी सफलता ऐसे असफलता का आधार अध्यापकों की काम क्षमता एवं प्रभावशाली ढग से उत्तरदायित्व के निर्वाह पर ही निभर बरती है। अध्यापक से समर्पित भाव से शाला के प्रतिनिधि तमका सम्बंध स्थापित कर काय वो सम्पन्न बरता है तो पाठशाला द्वारा निर्वाहित उद्देश्यों की पूर्ति होने में कोई कसर नहीं रह जायेगी। प्रो एस एन मुखर्जी ने कहा है—
अध्यापक बड़ी लग्न व आत्मा से आज्ञाकारिता के रूप में अपने व्यवसाय का काय बरना चाहिए। अपने यापको सुधारने की पहलकदमी बरनी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से जिह अध्यापन से प्यार नहीं है उह अध्यापन व्यवसाय को छोड़ देना चाहिए।” 1
अध्यापक को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों के अनुसार व्यवसाय करने हेतु प्रो मफत ने प्रभावशाली शिक्षक के लिए निम्न विशिष्ट विशेषताओं का होना आवश्यक बताया है 2

(1) प्रभावशाली शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग —

- 1 अधिगम क्रियाकलाप उद्देश्यनिष्ठ होना चाहिए।
- 2 अधिगम क्रियाकलाप बाल के द्वारा होना चाहिए।
- 3 स्वयं विद्यार्थियों द्वारा भागीदार बनने की व्यवस्थाएँ।
- 4 विद्यार्थियों का विकास व प्रगति वा समय समय पर मूल्यांकन।
- 5 पाठ योजना की पूर्ण तयारी
- 6 अध्यापन की विद्य वस्तु का एवं सहायक सामग्री का प्रयोग।
- 7 छात्रों का विभिन्न अनुभव प्रदान करने की परिस्थितिया देना।
- 8 व्यक्तिगत रूप से निर्देश देवर अधिगम में निरन्तरता बनाने का प्रयास।
- 9 विषय वस्तु तथा सहायक सामग्री की पूर्व में योजना बनाना।

1 डा मुखर्जी एस एन सैकड़री स्कूल प्रशासन, पेज/107

2 (Prof Maffat quote in his book Social Instruction at P/70-71)

R N Cassed and W L Johns "The critical Characteristics of an Effective Teacher" The Bulletin of the National Association of Secondary School Principals, XLIV No 259 (Nov 1960), 120 122

10 अधिकृत अधिकारी की तरह निर्देश देकर अधिगम विधावलाप का प्रभावशाली बनाना ।

11 कक्षा म हवा और रोशनी का प्रत्युत्र प्रबंध ।

12 छात्र प्रत्येक पाठ के उद्देश्य व व्यवहारगत परिवर्तन के बारे म समझ ।

13 गढ़वाय का देते समय स्पष्ट समझाना चाहिए ।

14 शोध, क्रियात्मक शोध के लिए काय करे ।

15 अधिगम योजना अनुभव के द्वीत होनी चाहिए ।

16 छात्रों की रुचि के जाधार पर शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ावे ।

17 जीवन के उद्देश्यों से कक्षा अधिगम को जोड़ने का प्रयत्न परना ।

(2) सम्पूर्ण प्रभावशाली मनोविज्ञान का प्रयोग —

1 छात्र का उसके विकास व प्रगति के मूल्यांकन म सहयोग देना ।

2 सभ्व छात्रों की विश्वसनियता एव प्रतिष्ठा को बनाय रखे ।

3 सद्व बालकों की विभिन्न प्रकार की भिन्नता को हिट मे रखे ।

4 सही बात के लिए छात्रों को सहयोग देना ।

5 छात्रों के साथ सहायुक्ति रखत हुए एक दूसरे को समझना ।

6 प्रभावशाली अनुशासन तथा कक्षा नियन्त्रण ।

7 छात्रों की सामाजिक एव भावात्मक आविश्यकताओं को मायता देना ।

8 अधिगम म अनें बाली कठिनाईयों को दूर करना ।

9 नतिज मूल्यों से लगाव बनाने हेतु छात्रों को उत्प्रेरित करना ।

10 शाला अनुशासन को बनाये रखने हेतु आयोजित क्रियाओं पर नजर रखना ।

11 छात्रों की व्यक्तिगत गुणता व व्यक्तिगत जीवन स्वयं व परिवार का, उसे गुप्त रखना ।

(3) प्रभावशाली मानवीय सम्बद्धों का प्रदर्शन —

1 ग्राम सोमा स मधुर रम्भ घ बनाना ।

2 वास्तविक विजिष्टता, दात्रों व प्रौढ़ा म विद्यमान है-स्वीकारना ।

3 छात्रों के कल्याण के लिए व्यक्तिगत रुचि लेना ।

4 दात्रों से अच्छे सम्बद्धों का बनाये रखना ।

5 सहगामी प्रवतिष्ठों म स्व इच्छा से भागीदार बनने हेतु पहलवद्दमी करना ।

6 मर्मांशे सहयोग भाव से कार्य करना ।

7 सभ्व द्वारा दे साथ पनिष्ट सह सम्बद्धों को बनाये रखना ।

8 राय म कायरत लोगों से अच्छे सम्बद्ध बनाना ।

- 9 आवश्यकतानुसार अच्छा थोता बनना ।
- 10 किसी वो विशिष्ट मान्यता को हृदय से मानना ।
- 11 सूजनात्मक समालोचना को सहर्ष स्वीकारना ।

(4) समाज से प्रभावशाली व ठोस सह सम्बन्ध -

- 1 शाला में सम्पन्न क्रियाकलापों वो प्रभावशाली दग से प्रस्तुत करना, समझाना ।
- 2 शाला के निए अच्छा जन-सम्पक एजेण्ट का कार्य करना चाहिए ।
- 3 सामाजिक प्रवतियों में रुचि रखते हुए उसमें भागीदार बनना ।
- 4 अभिभावकों से सहयोगी-भाव रखना ।
- 5 'अध्यापक-अभिभावक' प्रवृत्तियों में रुचि से भागीदार बनना ।
- 6 समाज में उपलब्ध साधनों को प्रभावशाली दग से शाला हेतु उपयोग करवाना ।
- 7 स्पष्ट को समाज का अभिन भाग समझें और समाज की मानवताओं को शिरोधाय ।
- 8 शिक्षा वी उन्नति के कारण व उपयोग से जनता को अवगत कराना ।

(5) प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान करना —

- 1 प्रत्यक्ष काय में प्रजातात्प्रक प्रक्रिया में निरतरता व प्रभावशाली बनाय ।
- 2 द्यात्रों का नेतृत्व क्षमता से नेतृत्व प्रदान करना ।
- 3 समय पर अच्छे निर्णय लेना ।
- 4 सगटनात्मक क्षमता से विद्यालय में प्रभावशाली क्रियाकलाप करना ।
- 5 द्यात्रों में निर्णय-शक्ति वा विवाद करना ।
- 6 नेतृत्व करने वाले व नहूत्व जिनका किंश जा रहा है उसकी उचित भूमिका निभानी चाहिए ।
- 7 समूह निर्णय के आधार पर 'शाना नियमा' का निराण ।
- 8 स्वयं तथा द्यात्रों के लिए इवहारिक उद्देश्यों का ही प्रतिशादन करना ।
- 9 अपने अनुशरणीय व्यवहार से द्यात्रों का उदाहरण प्रस्तुत करना ।
- 10 नये मायामो वा भव्यास एक क्रियावित रूप देना ।
- 11 उचित जिम्मेदारियों वा निर्वाह करने हेतु द्यात्रों वो प्राप्ताहित करना ।
- 12 ऐसे द्यात्र जो मानवता आहते हैं, उन्हें उचित प्रतिधाप प्रदान करना ।
- 13 सदव अच्छे व बारे में सोचना ।
- 14 घरन विचारा वो प्रस्तुत करने के उपरान्त मूह-निशाय वा ही स्वीकारना ।
- 15 द्यात्र य साधिया वी इश्वरत करना ।

(6) व्यवसायिक प्रदर्शन —

- 1 अध्यापक का व्यवसाय में पहचान वार्ता से होनी चाहिए ।
- 2 सदैव व्यवसायिक उन्नति करत रहना चाहिए ।
- 3 पहनाव अध्यापक लायक हो ।
- 4 सदैव स्पष्ट व प्रभावशाली उच्चारण होना चाहिए ।
- 5 छात्रों वीं जायज बात को मान लेना चाहिए ।
- 6 शाला की विभिन्न समितियों में क्रियाशील रहे ।
- 7 अध्यापन व्यवसाय को बड़े आनंद से व्यतीत करे ।
- 8 पूव के व्यवसायिक अनुभवों का होना आवश्यक है ।
- 9 अपना स्वयं का शिक्षा-दर्शन हो ।
- 10 शोध के निष्पत्तियों वो निकालने में वनानिक दृष्टिकोण हो ।
- 11 अध्यापकों के लिए आयोजित सेमिनार, वक्-शोप, सम्मेलन में सभागी बने ।
- 12 जिस ज्ञान से अनगिज है उसे सहेप स्वीकार लेना चाहिए ।

(7) अध्यापक व समाज — अध्यापक सदैव शाला व समाज का नजदीक लाने हेतु प्रयत्न करता है— शाला व घरों में सहकारिता का भाव पैदा करता है । प्रो विल्स ने कहा है—“अध्यापक जो आशा करता है सारे समाज में शक्तिक विद्या कलाप क माध्यम से नेतृत्व की ता उसे समाज का समझना होगा । किस प्रकार के लोग रहते हैं? उनकी रहन—सहन परिस्थितिया क्या है? उनको आशा व आकाशा क्या है? शक्तिक कायद्र में लिए किस समूह का निमिणि किया है? कौन कौनसी शै प्रवतिया करने से वाक्स्मिक रूप से बालव बालिकाएं अधिगम करने में सफल हो सकते हैं? ऐसे बहुत से अध्यापक हुए हैं जिहोने वर्षों उस समाज के बातों को शिक्षा दी है लेकिन उस समाज की शैक्षिक घटवा का उहैं पता नहीं जो प्रभाव डानती है । ’1 अत समाजिक परिस्थितियों के बारे में विस्तृत जान होने से ही अध्यापक समाज में शक्तिक नेतृत्व प्रदान करने में सफल सिद्ध हो सकता है । इसके लिए समाज के व्यक्तिया, अभिभावका से अध्यापक द्वारा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किय जाने चाहिए ।

(8) अध्यापक व निर्देशन सेवा — अध्यापन वाय के अतिरिक्त उस निर्देशन परामर्शदाता के रूप में छात्रों व अभिभावकों को उनके भावी जीवन की योजना एवं व्यवसाय ध्ययन के लिए सहयोग प्रदान करना चाहिए । सहयोगी भाव से अध्यापक छात्रों वा दर्शक समस्याओं में सहयोग करना । अध्यापक छात्रों की समझना

1 K. Wiles Teaching for Better Schools 2nded Englewood cliffs, N J
Printed Hall, Inc 1950 P/263

निर्णय करने की दामता आदि मुण्डा को जानने से पूर्व निर्णय नहीं लिया जा सकता।² अच्छी निर्देशन सेवा के अन्तर्गत - “परामर्श-सेवा” ‘ध्यवसाय चयन सेवा’ ‘कोला ग्रप सर्विस’³ इस निर्देशन सेवा के आयोजन से व्यक्तिगत सम्बन्धों में विकास होता है— अध्यापकों-अभिभावकों के बीच।⁴

(9) अध्यापक व अनुशासन — प्रधानाध्यापक अनुशासनमय बातावरण बताये रखने का उत्तरदायित्व की पूर्ति अध्यापकगण वी सक्रियता पर ही निभर करती है। व्योकि अध्यापक ही अधिक समय तक बालकों के निकट सम्पर्क में रहता है। अत इस काय का अध्यापक सुचारू रूप से सम्पन्न कर सकता है।

(10) अन्य काय — इन सभी कार्यों के अतिरिक्त अध्यापक की शाला में उपस्थिति, शुल्क रजिस्टर, मूल्यायन आदि निव्य प्रति किय गय कार्यों का ढायरी में लेखा रखना, पाठ्यक्रम सहगामी प्रवत्तियों में भाग लेना, मीटिंग में उत्तिष्ठत हाना, आदि कार्य भी करने पड़ते हैं। अध्यापक ही इन कार्यों में भी विसेप ध्यान देना चाहिए। उसे प्रधानाध्यापक, सहयागी अध्यापकों, अभिभावकों व बालकों से अच्छे सम्बन्ध रखने चाहिए जिससे शाला में सामाजिक बातावरण बने।

उपस्थान धन्त में शिक्षकों का धानों के मन्त्रिकों में बेचन जान ही नहीं भरना है वरन् उनमें चरित्र की आधारभिन्नता भी स्थापित करनी है यह सुयोग्य, उत्साही एव कठघ-पगवण अध्यापक ही सम्पन्न हो सकता है। आज शिक्षक की स्थिति समाज में सम्मान-जनक नहीं है तभी तो नदमुक्त क्वार्ड ध्यवसाय न मिलने वी स्थिति में इसम प्रविष्ट करन। “जिम्या पर सीधे गिरण का धरित भार पड़ गया है कि धानों का परामर्श व्यास्था और विकास के लिए बहुत दम इशान दिया जाना है। इससे यह अनपक्षित धारणा बन जाती है कि शिक्षण ठीक दृष्टि मानदशन व परामर्श नहीं देता है।⁴ अत गिरां शाधियों एव मरकार को इन ध्यवसाय को गम्भीरता पूर्वक विचार वरना चाहिए। जब तक समाज अध्यापक का सम्मान नहीं करेगा, तब उन शास्त्र निर्माण एव बालक का सर्वांगीण विकास हृष्ण की कल्पना मात्र रह जायगी। अत अध्यापक की प्रतिशतावर रिप्पति वी पुन स्थापना चाहिए।

1 Educational Policies Commission, the Central Purpose of American Education (Washington, De National Education Association, 1961 P/17

2 The curriculum in the Prince George's country Public school P/13

3 California Test Bureau 'Guiding Todays youth' P/33

4 पोइलमन, पापर वी (मनु श्राति शर्मा) "शाला प्रशासन" पेज/312

मूल्यांकन (Evaluation)

लघुत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer type Questions)

- 1 प्रधानाध्यापक के नात विद्यालय में शैक्षिक यातावरण मुंपारा का पांच मुझाय दीजिये। (बी एड परीक्षा 1985)
- 2 एक प्रधानाध्यापक के नात विद्यालय यातावरण मुंपारा के निए पांच मुझाय दीजिय। (1984)
- 3 प्रधानाध्यापक की पांच महत्वपूर्ण भूमिकाएं बताइय। (1984)
- 4 आप एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। आगले दो सप्ताह यातावरण से आप क्से निपटेंगे ? (1983)
- 5 प्रधानाध्यापक के दिना याता की प्रणति में कौनसी बढ़ियाँ याता हैं। (1983)
- 6 आप अपने प्रधानाध्यापक के गाय मधुर गम्बाघ इयानि करने हुन् या क्या करने उठायेंगे ? (1982)
- 7 प्रधानाध्यापक और विद्यालय कमचारियों के बीच गम्बाघ के मध्य में विवेचन कीजिये। (1980)
- 8 एक प्रधानाध्यापक की अपने अध्यापका से पांच अपेक्षाएं बरीदना के त्रम में लिखिय। (बी एड पत्राचार 1980)

निवाघात्मक प्रश्न (Essay type Questions)

- 1 अध्यापकों के स्तर में गिरावट के मुख्य तत्व याता है ? विभिन्न गिरावटों ने अध्यापकों के स्तर को मुंपारने के लिय याता-याता फिरारिये भी है ? बी एड (1983)
- 2 "जैसा प्रधानाध्यापक होगा वहाँ ही स्कूल होगा।" इस टिप्पणी पर अपनी याता चनात्मक समीक्षा दीजिय। अपन विद्यालय में एक आदेश शिक्षिक यातावरण एवं पारस्परिक सम्बन्ध का निर्माण करने के लिय प्रधानाध्यापक अपन साथी शिक्षकों दो विस प्रकार प्रेरित वर तवता है। (1983)
- 3 'जसा प्रधानाध्यापक होता है वैसा ही विद्यालय होता है।' विवेचना कीजिय। (1980)
- 4 आपका एक कुसचालित सरकारी शाला का प्रधानाध्यापक नियुक्त रिया गया है। आप इसे एक आदेश शाला बनाने में विस प्रकार वायारम्भ बरने ? (1979)
- 5 प्रधानाध्यापक की विभिन्न भूमिकाएं याता हैं तथा एक सत्तात्मक प्रधानाध्यापक का तौर-तरीका जनत-व्रात्मक प्रधानाध्यापक से विस प्रकार भिन्न होता है। (1978)

सह-शैक्षिक व अनुरजनात्मक प्रवृत्तिया (Co curricular activities)

[विषय-प्रवेश, सह शैक्षिक प्रवृत्तियों का अथ, आवश्यकता और महत्व, उद्देश्य-कार चयन एवं नियोजन के सिद्धात, प्रमुख सह शैक्षिक प्रवृत्तियां, अनुरजनात्मक नेत्राओं का अथ एवं क्षेत्र, शिक्षा में अनुरजनात्मक विषयकालापा की आवश्यकता एवं उत्तर विषय अनुरजनात्मक प्रवृत्तियां, अनुरजनात्मक प्रवृत्तियों की व्यवस्था, उपमहार]

विषय-प्रवेश-

शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है तथा उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था हेतु एक योग्य नागरिक बनाना है। अत बतमाल युग में पाठ्यक्रम प्रवृत्तियों के समान ही पाठ्यतर प्रवृत्तियां (Extra curricular activities) का पाठ्यक्रम सहगामी या सह-शैक्षिक प्रवृत्तियों या क्रियाकलापों Co curricular activities के रूप में स्वीकार विषय जाने लगा है। प्रस्तुत अध्याय में इही क्रियाकलापा एवं अनुरजनात्मक प्रवृत्तियों के विभिन्न पक्षों पर विचार किया जायगा।

प्रवृत्तियों का अथ -

सह शैक्षिक (पाठ्यतर) प्रवृत्तियों की सबल्पना एवं पाठ्यक्रम सहगामी प्रवृत्तियों या क्रियाकलापों के रूप में दी जाती है। सबल्पना का यह विकास शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक अनुसंधाना एवं प्रयोगों के आधार पर हुआ है तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था से भी इस नवीन हाइटिकोण को प्रेरणा मिली है। पाठ्यतर प्रवृत्तियों के प्रति परम्परागत दृष्टि का अनुसार इह अतिरिक्त क्रियाकलाप माना जाता या क्याहि विद्यालय में द्धाना वा समय अध्ययन में नष्ट होने के कारण उपदाणों समझा जाता या क्याहि विद्यालय का वाय छात्रों को बेवल पुस्तकोंय ज्ञान वराना था। इन्तु शिक्षण प्रणियों की नवीन सकलना वे उदय वे साथ इन प्रवृत्तियों का पाठ्यक्रम सहगामी प्रवृत्तियों की ध्येयी में माना जान्ते उनको विद्यालय में विशिष्ट स्थान दिया गया है।

पाठ्यक्रम सहगामी प्रवृत्तियों का परिवर्तित अथ निम्नावित शिक्षाविदों के मत से स्पष्ट होता है —

डॉ एस एस माधुर - "बालक या सर्वांगीण विकास उसी समय मनव है जबकि

उसे विभिन्न क्रियाओं में भाग लेने को प्रोत्साहित किया जाये और वे क्रियाएं ऐसी हों, जिनको करने से बालक का मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक विकास हो सके ।

यदि सहगामी क्रियाओं का सगठन एवं सचालन उचित ढंग से क्रिया जाये तो वे शान्ति-इष्टिकौण से बहुत मूल्यवान सिद्ध हो सकती हैं । अतएव हम ऐसी क्रियाओं को अतिरिक्त क्रियाएं न कह कर सहगामी क्रियाएं कहते हैं ।¹

पारस नाथ राय — “पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं” वे क्रियाएं हैं जिनके सहयोग से शिक्षण-क्रिया और विद्यालय का बातावरण सजीव हो उठता है तथा द्यात्रा में सर्वांग विकास में सहायता मिलती है ।²

विश्वनाथ जैन — “कुछ समय पूर्व तक द्यात्र-प्रवत्तिया के लिए पाठ्यक्रमातिरिक्त प्रवत्ति (Extra curricular) शब्द का प्रयोग किया जाता रहा है इस शब्द में यह निहित था कि ये प्रवत्तिया पाठ्यक्रम से पृथक् तथा अस्वद्ध हैं । पाठ्यक्रम की व्याख्या अब उन सब प्रवत्तियों एवं अनुभवों के रूप में जीती है जो विद्यालय द्वारा द्यात्रा की उसके विकास हेतु उपलब्ध किया जाते हैं । अत द्यात्र प्रवत्तिया को अब विद्यालय कायद्ध का एक अभिन्न अग माना जाता है । वास्तव में पाठ्यक्रम सम्बन्धी तथा पाठ्यत्तर प्रवत्तिया विद्यालय-उद्देश्य की हड्डि से एक दूसरे की पूरक हैं और दानों का विद्यालय कायद्ध में समान महत्व एवं बल देना जावश्यक है ।”³

जॉन डिवी (Johan Dewey) — ‘विद्यालय जीवन की तीव्रारी का स्थान नहीं, वह तो स्वयं ही जीवन है ।’

कोठारी शिक्षा आयोग — “हमारी हड्डि से विद्यालय पाठ्यक्रम, विद्यालय के तत्वावधान में उसके अद्वारा और बाहर आयोजित होने वाली असरद्य प्रवत्तियों की एक सम्पूर्णता (Totality) है जिनके द्वारा वह बालकों की सोखने के अनुभव प्रदान करती है । इस हड्डि से पाठ्यक्रम सम्बन्धी और पाठ्येतर काय में अन्तर हट्टिगत होना समाप्त हो जाता है ।”⁴

उपरोक्त कथन शिक्षा के प्रति परिवर्तित हट्टिकौण के प्रत्यस्वरूप पाठ्यत्तर प्रवत्तियों का पाठ्यक्रम का अभिन्न अग मानकर उह पाठ्यक्रम सहगामी प्रवत्तियों कहना आवश्यक समझत है । प्रवति शब्द भी अप्रेजी के ग्राम Activities के लिए प्रयुक्त होना उपरोक्त नहीं है क्योंकि इसका समानान्यता अप्रेजी शब्द Tendency ही अभिवृत्ति

1 डॉ एस एस मायुर विद्यालय सगठन एवं स्वास्थ्य शिक्षा (पेज/197)

2 पारस नाथराय शक्तिक प्रशासन एवं विद्यालय सगठन पेज/76

3 विश्वनाथ जैन शक्तिक प्रशासन, प्रशासन एवं पर्यवेक्षण पेज/57

4 कोठारी शिक्षा आयोग पेज/207

(*Attitudr*) का परिचायक है। अत 'प्रवति' के लिए 'कियाकलाप' शब्द अधिक उपयुक्त है। वस्तुत पाठ्यक्रम नियाकलाप के बारा ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति ही अधिक करते हैं, ज्ञानोपयोग, अवबोध, बौगत अभिलाष्टि एवं अभिवत्ति सम्बन्धी उद्देश्य पर आधारित विद्यार्थियों में वाधित व्यवहारगत परिवर्तन पाठ्यक्रम सहगमी प्रवृत्तिया अथवा कियाकलापों द्वारा ही सम्भव होते हैं। अत ये परस्पर एक दूसरे के पूरक होते हैं तथा पाठ्यक्रम सहगमी कियाकलाप पाठ्यक्रम का एक अभिन्न भाग हैं।

पाठ्यक्रम सहगमी कियाकलापों की आवश्यकता एवं महत्व —
इस सम्बन्ध में निम्नान्वित विटु व्याख्यातव्य है —

- (1) सर्वांगीण विकास — ये कियाकलाप विद्यार्थियों के सामाजिक, मानविक, नैतिक एवं शारीरिक विकास में सहायक होकर उनका सर्वांगीण विकास करते हैं।
 - (2) नागरिकता की भावना का विकास — लोकतात्त्विक जीवन शैली के उपयुक्त नागरिक गुणों का विकास होता है जैसे सहयोग, सेवा, सहकारिता, कृषि व्यवस्था, यत्न, अम के प्रति निष्ठा आदि गुणों का विकास।
 - (3) सामाजिकता की भावना का विकास — विद्यार्थी समूह में कायकर समाजी पर्योगी गुणों का अजनन करते हैं।
 - (4) चारित्रिक विकास — इन कियाकलापों द्वारा विद्यार्थियों में सत्यता ईमानदारी वाप नवृत्त आदि चारित्रिक गुणों का विकास होता है।
 - (5) पाठ्य विषयों में सहायक — ये कियाकलाप पाठ्य विषयों को इनमें निहित खेल द्वारा शिक्षा तथा कियाशीलता के कारण रोचक व बोधगम्य बनाते हैं तथा कियाशीलता के कारण द्वारा सम्भव न होने वाले वाधित व्यवहारगत परिवर्तनों की सप्राप्ति में सहायता होते हैं।
 - (6) अवकाश के क्षणों का सदुपयोग — ये कियाकलाप द्वारा वो अपने रचितवाय (Hobbies) वर अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने के अवसर प्रदान करते हैं।
 - (7) मूल प्रवृत्तियों का उन्नयन या शोधन — ये भी प्रवृत्तियों सहायता होती हैं।
 - (8) इसका विवरण पूछ म विद्या जा चुका है।
- एस मायुर ने कियाकलापा वा मनोवैज्ञानिक महत्व प्रबट करत हुए बहा है कि "एक विद्यार्थ के लिए इन कियामा वा महत्व प्रबट भी मधिक है। रिमोर व अन्नर प्रतिरिक्त शक्ति (Surplus energy) होती है, सहगमी कियाए एक प्रबार भी सेफनी वाल्व (Safety Valve) है जिनके द्वारा किसी वाल्व की प्रतिरिक्त शक्ति को नियन्त्रण वा मात्रा मिल जाता है।"

- (9) शारीरिक विकास— खेल सम्बन्धी क्रियाकलापों द्वारा बालक का शारीरिक विकास होता है तथा उसमें अग्र प्रत्ययों के सोहेश्य सचातन का कौशल विभिन्नत होता है। शारीरिक विकास स्वास्थ्य के लिए प्रावश्यक है।
- (10) मनोरजन का साधन— बालकों को इन क्रियाकलापों द्वारा अपनी रुचि के जूँ कूल स्वेच्छा से स्वस्थ मनोरजन होता है तथा वाय में विविधता आकर मानसिक वाय की घटना (Fatigue) का निराकरण होता है।
- पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों के उद्देश्य—**
- इस क्रियाकलापों के उद्देश्य उपरोक्त बतलाय गये उनके महत्व में निहित है प्रमुख उद्देश्य निम्नान्कित है—
- (1) व्यक्तिगत का पूर्ण विकास— पुस्तकीय ज्ञान से बालकों का एकाग्री विकास होता है। इन विविध प्रकार के क्रियाकलापों द्वारा उनका शारीरिक, मानसिक, निर्माण सामाजिक तथा सासृष्टिक सर्वांगीण विकास सभव होता है।
 - (2) समाजोपयोगी नागरिकों का निर्माण— इन क्रियाकलापों द्वारा लोकतान्त्रिक व्यवस्था पर आधारित समाज के अनुकूल गणा का विकास होता है।
 - (3) पाठ्यक्रमीय क्षेत्रागत कारों का रोचक बनाना— ये क्रियाकलाप पाठ्यक्रमीय काय की पूरक हैं तथा उसे रोचक व वाधगम्य बनाकर अर्जित ज्ञान का व्यावहारिक एवं स्थायी बनाती है।
 - (4) बालक की जननिहित क्षक्तियों का विकास— इन प्रवतियों द्वारा बालक में जनननिहित क्षमताजों एवं क्षक्तियों के निदान एवं उनका समुचित विकास होता है।
 - (5) बालकों की विद्यालय के प्रति रुचि उत्पन्न करना— छोटी आयु के बालकों व किशोरों में ये प्रवतियों खेल व क्रियाशीलता द्वारा विद्यालय के प्रति रुचि एवं आकर्षण उत्पन्न करने में सहायक होती है। उनमें विद्यालय के प्रति अपनत्व का भी भावना भी विकसित होती है।
 - (6) अववाह का सदुपयोग— ये क्रियाकलाप बालकों को अपने अववाह के समय का स्वस्थ मनोरजन द्वारा सदुपयोग करने की प्रेरणा देते हैं।
 - (7) जनन इव उत्तरदायित्व की भावना का विकास विभिन्न क्रियाकलापों के नियों जनन क्रियायन एवं मृद्युलन में विद्यालयों के सहभागत द्वारा उनमें नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है।
 - (8) स्वानुशासन का प्रशिक्षण—ये प्रवतियों विद्यालयों में अनुशासनहीनता की समस्या वा निराकरण कर विद्यालयों की स्वानुशासन (Self Discipline) का प्रशिक्षण
 - (9) लोकतान्त्रिक जीवन-शैली का विकास—विद्यार्थी परिषद् या संसद एवं विभिन्न

क्रियाकलापों हेतु गठित समितियों के नियावलाएँ से विद्यार्थी लोकतात्त्विक संस्थाओं से अतगत होते हैं तथा उनमें लोकतात्त्विक जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा मिलती है।

(10) चारित्र विकास—इन प्रवतियों के माध्यम से उनमें अनेक नैतिक गुणों का विकास होता है जिससे उनका चारित्रक उत्थान होता है।

पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों के प्रकार —

पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों (प्रवतियों) का वर्गीकरण कुछ शिक्षाविदों ने उनके उद्देश्यों तथा विकास योग्य क्षमताओं के आधार पर किया है तथा कुछ शिक्षाविद उन्हें पाठ्यक्रम सहगामी होने के बारण पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों के आधार पर वर्गीकृत बताते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोड, राजस्थान ने आतंरिक मूल्यांकन योजना (Internal Assessment Scheme) का माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में समावेश किया है। यही योजना यथासम्भव साधन सुविधाओं के अनुसार प्रायमिक तथा माध्यमिक कक्षाओं में भी प्रयुक्त की जा सकती है। इस योजना के अनुसार क्रियाकलापों का इस प्रकार वर्गीकरण किया है —

(क) रचनात्मक प्रवृत्तियाँ

(1) साहित्यिक—जैसे वाद विवाद, [शाला-पत्रिका, औत्याक्षरी, कविता-पाठ, चित्र कला आदि], (2) सास्कृतिक—जैसे नाटक, संगीत, नर्तक पर्वोत्सव का आयोजन आदि, (3) विकास सबधी गोष्ठी (Clubs) —जैसे विज्ञान, वाणिज्य, भूगोल इतिहास आदि के क्लब।

(2) शारीरिक प्रवतिया—इसमें अतगत व प्रवतिया है जिससे शारीरिक धम होता हो जैसे खेल स्पोर्ट्स (Sports) एवं सी सी बालचर (Scouting), ममाज सेवा, योगासन व ऋगण आदि।

उपरोक्त प्रवतियों के अतिरिक्त निम्नांकित प्रकार भी हो सकते हैं —

(3) सामाजिक प्रवृत्तिया—लोकतात्त्विक जीवन शैली एवं गुणों का विकास हेतु सामाजिक—प्रवतिया जैसे विद्यार्थी परिवद या संसद, सहकारी समितिया, बचत बौक, स्वानुशासन हेतु गठित समितिया, स्थानीय संस्थाओं का परिदृश्यन व भ्रमण आदि उपयुक्त रहती है।

(4) रुचि कार्य (Hobbies)—संग्रह कार्य (टिकिट, सिक्के, पत्ते खनिज पत्ताय आदि का संग्रह), फोटोग्राफी, चित्रकला आदि रुचि कार्य जो अवकाश के क्षणों के संतुष्टयोग हेतु विद्यार्थियों की रुचि के अनुकूल आयोजित की जायें।

(5) कार्यानुभव यद्यपि कार्यानुभव विद्यालय पाठ्यक्रम का अग है किंतु उ गादुन एवं

'सीखो-करो' वी हृष्टि से किया गया कार्यानुभव इन प्रवतियों के भन्तगत माना जा सकता है।

दूसरा वर्णिकरण विषयों वी हृष्टि से भी किया जा सकता है जिसे वि ये प्रवृत्तियाँ कक्षागत काय वी पूरक बन कर विद्यार्थिया म वाधित व्यवहारणत परिवत ना वी प्राप्ति मे सहायक बन सकें। जैसे भाषा शिक्षण से सख, बहानी, एकाकी लसन प्रतियोगिताए वाद विवाद भाषण, अत्याधारी विव सम्मलन, विद्यालय-पत्रिका आदि वो सम्बद्ध किया जा सकता है। इसी प्रकार उपरोक्त सभी प्रवृत्तियों वा पाठ्यश्रम के निमी न रिसा विषय से सम्बद्ध कर उन विषयों से सबद्ध कर उन विषयों वा शिक्षण रोचक एव प्रभावी बनाया जा सकता है। पारस नाय राय के शादा म-''यदि पाठ्यश्रम सहगामी क्रियाआ वा आयोजन करते समय उनके सम्बद्ध और महत्व वो स्पष्ट करदें तथा पाठ्य विषय से उनका सम्बद्ध जोड़ दें तो पाठ सजीव हो उठेंगे और इन क्रियाआ वा मूल्य स्वय स्पष्ट हो जायगा ।''¹

पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों के चयन एव नियोजन के सिद्धान्त

पाठ्यश्रम सहगामी क्रियाकलापो (प्रवृत्तिया) वा सम्बन्ध जिन सिद्धान्तों के आधार पर किया जाना वाल्यों है, वे निम्नांकित हैं—

- (1) प्रवृत्तियों का चयन-प्रवतियों का चयन विद्यालय के उद्देश्य, उपलब्ध मानवीय भौतिक एव वित्तीय समावनो (Resources), उनके शास्त्रीय महत्व, छात्रा वी आवश्यकताओं एव हचिओं के आधार पर किया जाना चाहिए।
- (2) समय व स्थान का प्रावधान विभिन्न प्रवतियों के लिए विद्यालय समय विभाग चक्र मे निश्चित समय का प्रावधान किया जाना चाहिए। इनके अतिरिक्त प्रवृत्तियों के सचालन हेतु स्थान या स्थल तथा उसम भाग लेन वाले विद्यार्थियों के समूह या वग का निधारण भी आवश्यक है। सेल-कूद प्रवृत्ति विद्यालय समय के बाद आयोजित करना सुविधाजनक रहता है। पूर्व म बतलाया जा चुका है कि पाठ्यक्रम सहगामी प्रवतियों वी पथर से समय-तालिका बना कर विद्यार्थियों एव शिक्षकों की सूचनाय उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित वी जानी चाहिए।
- (3) समस्त विद्यार्थियों को प्रवृत्तियों मे सह भागत्व (Participation) प्राप्त देखा जाता है वि कुछ चुने हुए विद्यार्थियों को ही प्रवृत्तियों मे भाग लेन वा अवसर द्वार उपलब्ध घनराशि उही पर खन करदी जाती है। यह शैक्षिक हृष्टि से अनुचित है। प्रत्येक बालक के सर्वांगीण विकास हेतु सभी बालकों वो उनकी

1 पूर्वोदत देख/86

रुचि के अनुसार किसी न किसी प्रवृत्ति में भाग लेने का प्रावधान होना चाहिए । साधन सुविधायों के अभाव में तदनुकूल प्रवृत्तियों का ही चरण किया जाय तथा विद्यायियों के बर्ग या समूह बनावर उनके लिए समय तालिका में प्रवृत्तियों का नियोजन किया जाय ।

- (4) प्रोत्साहन का प्रावधान- प्रवतिया में रुचि के अनुकूल भाग लेने, लोकतात्त्विक विधि से उनका सचालन करने तथा स्वानुशासन स्थापित करने की हप्टि से विद्यायियों की सम्बन्धित प्रवृत्ति के नियोजन, कियान्वयन एवं मूल्यांकन हेतु, शिक्षक को प्रभारी व परामर्शदाता नियुक्त कर, समितिया गठित वीं जानी चाहिए व विद्यायियों को उनके सचालन का दायित्व सापा जाय । प्रवृत्तियों में भाग लेन हेतु व अच्छे प्रदर्शन हेतु विद्यायियों का प्रोत्साहन व प्रेरणा भी देना आवश्यक होना है ।
- (5) मार्गदर्शन- प्रत्येक प्रवृत्ति के प्रभारी रूप में ऐसे शिक्षक को नियुक्त किया जाना चाहिए जिसकी उस प्रवृत्ति में गति एवं रुचि हो ताकि वह छात्रों वो मार्गदर्शन दे सके व प्रवृत्तियों के शैक्षिक उद्देश्यों वीं उपलब्धि हो सके ।
- (6) सतुलित प्रावधान- पाठ्यक्रम सहगामी प्रवृत्तियों को इतना महत्व भी न दिया जाये कि वे पाठ्यक्रमीय क्रियाओं में वाधक बन जाये । पाठ्यक्रमीय क्रियाओं व इन प्रवृत्तियों के प्रावधान में सतुलित हप्टिकोण अपनाया जाये ।
- (7) सभी शिक्षकों का सहयोग प्राप्त हो प्राय देखा जाता है कि विद्यालय में वेवन पीटी प्राई (शारीरिक शिक्षा अनुदेशन) या कुछ अध्यापकों पर सभी प्रवृत्तियों के सचालन वा भार डान दिया जाता है । फलत अव्यवस्था अनियमि तना व अनुशासनहीनता वीं प्रवृत्ति प्रभाव लगती है । अत प्रत्येक अध्यापक वा विसी न विसी प्रवृत्ति वा प्रभारी या सहायक प्रभारी बनावर छात्रों व मार्गदर्शन एवं प्रवृत्ति में सक्रिय भाग लेकर उहें प्रोत्साहित करने के लिए सहयोग प्राप्त होना आवश्यक है ।
- (8) अत्यधिक महत्वाकांक्षी न होना- इन प्रवृत्तियों के विद्यालय में समावेश हेतु अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना भी हानिकार ह । मानवों और भौतिक सतततनों वीं हप्टि से इन् धीरे धीरे सामूह क्रिया जाय तथा उत्तरोत्तर उनकी सह्या और गुणात्मकता में बृद्धि वीं जानी चाहिए ।
- (9) अध्यापकों का प्रशिक्षण- प्रशिक्षण विद्यालयों में अथवा बाद में आवश्यक अत्यधिक वालीन प्रशिक्षण वापकमा द्वारा प्राप्त क्रियाका का विद्यालय वीं आवश्यकता-

- नुसार एक दो प्रवतियों में सचालन म प्रशिक्षित करने की व्यवस्था हानी चाहिए।
- (10) प्रवति साधन है साध्य नहीं प्रवतियों द्वारा शारीरिक उद्देश्यों की पूर्ति हाना बोध नीय है। निरहेश्य, अव्यवस्थित महत्वाकाशी एवं उपदित्त इटिंग से इनका मायो जन निरथव होता है। बस्तुत प्रवतियों स्वयं साध्य नहीं बत्तिव वे शिक्षित नाया की पूर्ति का एक साधन अथवा माध्यम है।
 - (11) विद्यार्थियों की शारीरिक एवं मानसिक दमतानुकूल होना प्रत्यक्ष रूपा व आयुर्वर्ग के बालकों की मानसिक व शारीरिक दमता के अनुरूप प्रवृत्तियों का प्रावधान और उनका सचालन किया जाना चाहिए।
 - (12) पुरस्कार की व्यवस्था अच्छा प्रदर्शन दिसाने वाले, नियमित रूप से भाग लेने वाले तथा उत्तरदायित्व का बहा वरा वाले शिक्षणों व विद्यार्थियों का प्रोत्साहित करने हेतु उनके लिए कुछ पुरस्कार या प्रसारण पत्र देने की व्यवस्था हानी बोखनीय है।
 - (13) सन्तमूल्याकन— प्रवतियों के स्तर के उनपन हेतु प्रत्येक प्रवति का नियमित अभिलेख रखने, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्याकन न घरन तथा मूल्याकन व आधार पर उनमें निरंतर परिस्कार करते रहने की अत्यन्त आवश्यकता है ताकि वे एक नियमित (Routine) काय न होकर प्रेरणा का स्रोत बन सकें।
 - (14) समयबद्ध (Time bound) कायक्रम शिविरा द्वारा प्रकाशित 'विभागीय पचास म निर्धारित समयावधि' के अनुसार इन प्रवतियों को समयबद्ध कायक्रम के रूप म आयोजित किया जाये।
 - (15) स्थानीय समुदायों से सम्पर्क-प्रवतियों के आयोजन म स्थानीय समुदाय से घनिष्ठ सम्बंधों के विकास का भी व्याप्त रखा जाना चाहिए ताकि विदासद 'सामुदायिक केंद्र' बन सके।

उपस्टौर— अन्त मे माध्यमिक शिक्षा आयोग के शास्त्रों म पाठ्यक्रम सहगामी प्रवतियों का महत्व इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है—‘पाठ्यक्रम प्रवृत्तियों विद्यालय म प्रदत्त शिक्षा का अभिनन अग होना चाहिए तथा समस्त अध्यापकों को ऐसी प्रवतियों म निर्धारित समय अवश्य लगाना चाहिए।’¹

¹ माध्यमिक (गुदालिया) वेज/235

अनुरजनात्मक प्रवृत्तियाँ (Recreation activities)

विषय-प्रवेश —

पूर्व में इसी अध्याय में पाठ्येतर प्रवृत्तियों^१ के विवेचन के समय यह स्पष्ट किया जा चुका है कि बालकों में वाहित व्यावहारिक परिवर्तन प्राप्त करने हेतु इन प्रवृत्तियों का आयोजन किया जाता है, अत इह पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलाप अधिक उपयुक्त है। यह भी बतलाया गया था कि इनका एक उद्देश्य बालकों का अनुरजनन या मनोरजन करना भी है। कुछ नियाकलाप ऐसे होते हैं जिनका विशुद्ध उद्देश्य मात्र अनुरजन करना होता है। ऐसी प्रवृत्तियों को अनुरजनात्मक प्रवृत्तियाँ मानकर उहे भी शिक्षा का अभिन्न अग्र माना जाना चाहिए। अत अनुरजन का शिक्षा से सम्बन्ध तथा उसके विविध पक्षों की चर्चा इसी अध्याय के आगे के पृष्ठों में की जा रही है।

अनुरजनात्मक क्रियाओं का अर्थ एवं क्षेत्र—

अर्थ— 'अनुरजन' अंग्रेजी शब्द 'Recreation' शब्द का पर्याय— वाची शब्द माना जा सकता है जिसका अर्थ होना है मनोरजन, विनोद, विहार आदि 'मन + अनुरजन' मिलकर 'मनोरजन' अर्थात् मन को प्रसान करना या आनंद देना वहलाता है। मनोरजन प्राय हम अपने अवकाश या फुस्त के समय Leisure time बहरत हैं जब हम अपने दिनिक कार्य से मुक्त होकर अपनी रुचि और स्वेच्छा से आनंद-दायक कार्यों में प्रवत्त होते हैं। इसमें हम पर बोई वाहरी दबाव या आग्रह नहीं होता। इस प्रकार किय गये कार्य ही अनुरजनात्मक क्रियाएँ होती हैं।

मनोगौजानिक शीवस (Shivers) के अनुसार "अनुरजन (Recreation) व्यक्ति भ तनाव को दूर करके सतुलन उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया का अंतिम परिणाम है।" अत व्यक्ति को अनुरजन की आवश्यकता उस समय होती है जब वह अपनी ऊब Boredom को दूर करना चाहता है। यह ऊब प्राय मानसिक या शारीरिक यकान (Fatigue) के द्वारण होती है अथवा दिमी कार्य की नीरसता (Monotonousness), एकरसता Routine) व निरतरता से भी उत्पन्न होती है इस ऊब को दूर करने का उपाय (Variety)लाना तथा अनुरजनात्मक कार्य करना होता है। इस प्रकार अनुरजनात्मक क्रियाएँ ऊब का निवारण करने हेतु वी जाने वाली क्रियाएँ भी हैं।

जब "अनुरजनात्मक क्रियाएँ वक्तियाएँ" हैं जो व्यक्ति वी अतत प्रेरणा से वी जानी हा भीर जिनके सपादन में उसे खेल से प्राप्त होने वाले आनंद वी सी अनुभूति होती है ।^१

1 पश्चाचार पाठ्यक्रम — पाठ संख्या 128 (राज शक्ति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर) पेज/54

क्षेत्र — अनुरजनात्मक क्रियाएँ वा क्षेत्र (Scope) निरतर विस्तृत होता जा रहा है। अब ये नियंत्रित विद्यालयों में सेल या पाठ्यश्रम सहगामी प्रवतियों तर ही सीमित न रहकर उसके आत्मर्गत विद्यार्थियों वी आयु रुचि, आर्थिक स्थिति, सासाधनों वा उन सदृशता, सामाजिक परिवेश आदि के आधार पर आय भनेक क्रियावलाया वा समावृत्त ही गया है। दृष्टान्तिक और तकनीकी विवास न अनुरजनात्मक प्रवृत्तियों वी विविधता में अभिवृद्धि की है।

शिक्षा में अनुरजनात्मक प्रवृत्तियों की आवश्यकता और महत्व शिक्षा में अनुरजनात्मक प्रवृत्तियों वी आवश्यकता और महत्व निम्नान्ति वि दुप्रौ से स्पष्ट होता है —

- 1 आधुनिक युग में वैज्ञानिक विकास के बारण प्रवृत्तियों (Leisure) वा समय अधिक उपलब्ध होता है जिसके संदृप्त्योग वी आवश्यकता है।
- 2 बालक की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही अनुरजनात्मक प्रवृत्ति या रोम वी आर होती है जिसका शक्तिक उपयोग बाढ़नीय है।
- 3 चिकित्सा सुविधाओं में प्रगति के बारण रोगा पर काफी सीमा तक नियन्त्रण हो जाते से मानव की श्रीसत आयु में बढ़ि हूई है, अत शिशु बालक, किशोर, प्रोड तथा बढ़ सभी आयु के व्यक्तियों के लिए अनुरजनात्मक क्रियाएँ का प्रति स्वस्थ भवित्व विकसित बरना शिक्षा का काय है।
- 4 वैज्ञानिक और तकनीकी विवास के बारण विशेषीकरण (Specialisation) जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त हो गया है। इससे एक ही प्रकार के बाय बरने से उत्पन्न नीरसता (Monotonousness) का निवारण बाढ़नीय है।
- 5 व्यक्ति की ऊब (Boredom) का मनोरजन द्वारा दूर बरना अपेक्षित है।
- 6 लोकतात्त्विक व्यवस्था में समाज मात्र स्वस्थ मनोरजन की प्रवृत्तियों में भाग लेने का प्रशिक्षण देना शिक्षा का एक उद्देश्य है।
- 7 श्रीशोधीकरण एव शहरीकरण के कारण आधुनिक अनुरजनात्मक प्रवृत्तियों में लोगों की रुचि अधिकारिक होती जा रही है।
- 8 जाज के व्यस्त मध्यमय जीवन में मानसिक तनावा (Mental Tensions) को अनुरजन द्वारा दूर बरना स्वास्थ्य के लिए जावश्यक है।
- 9 अनुरजन क्रियाओं द्वारा बालक की अनन्तिहित क्षमताएँ व योग्यताओं का विकास सम्भव है।
- 10 बालक की सूल प्रवृत्तियों (Instincts) का शोधन व मार्गांत्रिकरण (Sublimation) अनुरजनात्मक प्रवृत्तियों से बरना सरल होता है।

विविध अनुरजनात्मक प्रवृत्तियाँ

विद्यालयों में आयोजनीय अनुरजनात्मक प्रवृत्तियों को निम्नांकित स्पष्ट में वर्णीकृत किया जा सकता है —

- (1) बाल प्रवृत्तियाँ— छोटी आयु के बालकों के शारीरिक और मानसिक विकास के अनुकूल उनकी मृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने हेतु ऐसी सरल एवं अनुरजनात्मक प्रवृत्तियों का आयोजन किया जाना चाहिए जिन्हें बालक स्वेच्छा से बर सके तथा जो उनमें आनन्दानुभूति उत्पादन करे। जैसे विभिन्न सेल, 'रुचि काय उद्योग, कार्यानुभव वी वे प्रवृत्तियाँ जो पूर्व उल्लेखित अनुरजनात्मक प्रवृत्तियों की सबस्थना के अनुकूल हों।
- (2) रुचि काय — (Hobbies) रुचि काय का आधार व्यक्ति की स्वेच्छा से उद्भूत होता है। "विभिन्न रुचि लोक" उक्ति के अनुसार यह रुचि काय विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों के प्रति हो सकती है जैसे सगीत, नृत्य, चित्रकला, साहित्यिक खेल, फोटोग्राफी, तैरना, पवताराहण आदि। रुचि काय अवकाश के समय के सदृप्योग और स्वस्थ मनोरजन के उत्तम साधन है यह स्मरण रखना वायनीय है कि प्रत्येक प्रकार की पाठ्यक्रम सहगामी प्रवृत्ति या काय रुचिकाय नहीं हो सकता। रुचिकाय वी श्रेणी में वही क्रियाकलाप माने जायेगे जिन्हें बालक स्वेच्छा से रुचि पूर्वक करे तथा जिनसे उसे आनन्द या मनोरजन की उपलब्धि हो।
- (3) सगीत और अनुरजन — सगीत नृत्य, अभिनय, मूर्तिकला व चित्रकला की नाति ललित कलाओं के अत्तर्गत माना जाता है। अय ललितकलाओं की भाति सगीत भी बालक के लिए विभिन्न अनुरजनात्मक प्रवृत्तियों के अवसर प्रदान करता है। सगीत शिक्षा का रोचक साधन भी है। इसीलिये उसे छोटी कक्षाओं के पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। सगीत सम्बद्धी प्रवृत्तियों में बालगीत, समूह-गीत अभिमान गीत, देशभक्ति पूर्ण गीत, प्रार्थना व राष्ट्रगान, पर्वोत्सव पर गाये जाने वाले गीत सम्मिलित किय जा सकते हैं। सगीत के अन्तर्गत बठ एवं वाद्य दोनों प्रकार की सगीत सम्बद्धी प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं।
- (4) नृत्य और अनुरजन।— नृत्य व सगीत वा धनिष्ठ सम्बन्ध होता है। नृत्य उपयुक्त लय एवं गति से अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। आयु वर्ग की क्षमता एवं रुचि के अनुसार लोक-नृत्य या शास्त्रीय-नृत्य को स्वतं प्रेरित प्रवृत्तियाँ बालकों के लिए आयोजित की जा सकती हैं। शिशु और बालकों की आयुनिक शिक्षण पद्धति में ऐसी प्रवृत्तियाँ दी विशेष महत्व दिया गया है। ये प्रवृत्तियाँ शिक्षा के साथ अनुरजन का साधन भी होती हैं।

- (5) अभिनय एवं अनुरजन-प्रभिनय लिखित पता वा प्रग है तथा प्रभिन्यका प्राप्ति रजनात्मक साधन है। अभिनय गिर्भण पद्धति (Dramatization method of teaching) इतिहास, भाषा आदि विषयों की राचना गिर्भण विधि है। यही जिसमें बालक स्वेच्छा से रुचि पूर्वक भाग लेते हैं वे उससे यान् ॥ प्रातः करते हैं। विद्यालयों में कभी कभी एकांकी, नाटक, भूमालिया, ध्यायाभिनय, विविध वैश-भूषण प्रदर्शन, घटम सहस्र (Mock Parliament) प्रादि प्रभिन्य सम्बन्धी प्रवत्तिया अनुरजन एवं गिर्भण दोनों ही हिटिया से आयोजित विद्या जागा जायेगी है।
- (6) चित्रकला एवं अनुरजन — चित्रकला भी आत्माभिन्यका साधन है। अर्थात् वह गिर्भण एवं अनुरजन की हिटि से उपयोगी है। विभिन्न प्राय-वर्ग एवं उनकी रुचि के अनुसार रेताकल, प्राइतिक चित्रण, पटिग, पेस्टल बलर चित्राकल, माडत-चित्रकला, काटू न यद्यन आदि चित्रकला की अनुरजनात्मक प्रवत्तियाँ आयोजित करना अनुरजन के उद्देश्य की पूर्ति करती है। शब्द द्वारा आयोजित बालकों की चित्रकला सम्बन्धी प्रतियोगिता में देश विदेश में हजारों बालक स्वेच्छा से भाग लेते हैं। यह बालकों की अनुरजनात्मक प्रवृत्ति के प्रति उनकी रुचि का परिचायक है। विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिताएँ प्रायोजित वर्त बालकों की इसके लिए प्रेरणा दी जा सकती है।
- (7) साहित्यिक कायकम और अनुरजन — पूर्व में अध्याय पाठ्यक्रम सहगानी नियाकलापों में एसी साहित्यिक प्रवृत्तिया का उल्लेख किया जा चुका है। जिनके विद्यार्थियों का पर्याप्त अनुरजन होता है। विभिन्न पर्वोत्सव उत्सवों पाठ, विद्यार्थी, बादल, वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता, बाल सभा अत्यादारी, विद्यालय सम्मलेन आदि साहित्यिक-प्रवत्तिया में प्रस्तुतरता तथा आता, दशक या पाठ्यक्रमों की आनंद आता है। वक्षा-स्तर के अनुसार इनका आयोजन किया जा सकता है।
- (8) उद्योग एवं अनुरजन — उद्योग सम्बन्धी क्रियाकलाप यद्यपि इसी उद्योग के विधिवत् प्रणिक्षण से सम्बन्धित हात है बिन्दु उनमें भी अनुरजन करने की क्षमता है। यदि पर्याप्त सूझ देख और बीशल से प्रवत्तिया आयोजित की जाती है तो उनमें बालक काफी रुचि लेते हैं और उह आत्म संतोष व मनोरजन के अनुभूति होती है। प्रायोगिक क्षेत्रों में हृषि व कृषी उद्योग के क्रियाकलापों वालक रुचि से भाग लते हैं।
- (9) वायानुभव तथा अनुरजन — वायानुभव का उद्देश्य जीवन की वास्तवि

स्थितिया में किसी उत्पादक काय में भाग लेना है। यह रचि काय से भिन्न है, रचि काय में आनन्दानुभूति होती है जबकि उत्पादकता से जुड़ा होने के कारण कार्यानुभव में ऐसा होना आवश्यक नहीं है। किन्तु वास्तविक स्थितिया में कार्यानुभव का रचि से किये जाने पर उसमें भी जात्मसंतोष मिलता है। अन्त वायर्नुभव से ही अनुरजन कुछ तीमा तक होता है।

(10) समाजसेवा काय और अनुरजन — यदि नि स्वाव भाव से सेवा काय किया जाये तो आनन्द दायक होता है। समाज सेवा के अनुरजन एक दूसरे के पूरक हैं। अमदान, स्कॉलरशिप आदि काय समाज सेवा तथा अनुरजन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करती है। इस काय विद्यालय में आयोजित किये जाने जाहिए।

प्रवरोक्त अनुरजन के प्रकारों के अतिरिक्त विषयवार या पाठ्यक्रम सहगामी प्रवत्तियों के आधार पर भी अनुरजनात्मक क्रियाओं का बगोकरण किया जा सकता है।

(11) अनुरजनात्मक प्रवृत्तियों की व्यवस्था — शिक्षा में अनुरजन का विशेष महत्व है क्योंकि अनुरजन शिक्षा का एक रोचक माध्यम होने के साथ सायं विद्यार्थियों के अवकाश के दण्डों में स्वस्थ मनोरजन के प्रवसर भी प्रस्तुत करता है। किन्तु यह जब ही समझ होता है कि अनुरजनात्मक क्रियाओं की सुनियोजित व्यवस्था हो तथा उनका प्रभावी सचालन हो। विद्यार्थियों के लिए इन प्रवृत्तियों का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि उनसे उह आनन्दानुभूति हो सके। विद्यार्थियों की धमता योग्यता तथा विद्यालय में उपत्यका साधन मुश्किलों के भनुतार इन प्रवृत्तियों का चुनाव दिया जा सकता है। शिक्षक का मार्गदर्शन उपरोक्त श्रोत्साहन इनकी सफल क्रियाविति में सहायता होता है। इनकी व्यवस्था में यह भी साधारणी रखनी है कि सभी छात्रों का इन नियमित रूप से नाग लेने का प्रवसर मिल।

उपसंहार —

यदि उपरोक्त वातों का ध्यान रखकर अनुरजनात्मक प्रवृत्तियों का आयोजन किया जाना है तो ये प्रवत्तियों की वाली जी हा मरनी है जो इन प्रवृत्तियों का मूल उद्देश्य है। शिक्षन का विद्यार्थियों के स्तर के अनुरूप समुरजनात्मक प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में वरने का प्रयास करना चाहिए।

मूल्यांकन (Evaluation)

(अ) लघुत्तरात्मक प्रश्न -

- 1 विद्यालय में सहगामी क्रियान्वयों के पार लाभ निश्चिये। (यो एड 1984)
- 2 सहगामी क्रियान्वयों की विद्यालय में क्या भूमिका है ? (, 1981)
- 3 आप विद्यार्थियों में साहित्यिक रूचि का विकास प्रवणता हेतु योनि शोधसी विनियोग प्रवतीयों आयोजित करना चाहते हैं ? („ 1978)
- 4 विद्यार्थियों को नियमित रूप से शोलों की प्रवृत्ति उत्पाद परतों में लिए आर क्या प्रयास करेंगे ? („ 1978)
- 5 विद्यालय में अनुरजनात्मक क्रियामान की क्या उपयोगिता है ?

(ब) निबन्धात्मक प्रश्न-

- 1 आप विद्यार्थियों के नेतृत्व के गुणों को विषयित परतों हेतु योनि-शोधसी प्रवृत्तियों एक शाला में आयोजित परता चाहेंगे ? (यो एट 1979)
- 2 "पाठ्यश्रम सहगामी क्रियाएँ" विद्यार्थियों के सर्वांगीण विषयात में लिए उपयोगी होती हैं।" आप इस व्याख्यन से कहाँ तक सहमत हैं ? युक्ति यत्त विवरण योनिए।
- 3 शिक्षा में अनुरजनात्मक प्रवृत्तियों वो आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश ढास।

स्वास्थ्य एवं व्यायाम शिक्षा

(Health & Physical Education)

। विषय प्रवेश स्वास्थ्य शिक्षा का अथ, स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता, वालक के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक (Factors) स्वास्थ्य के प्रकार, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का अधिगम पर प्रभाव, उपस्थार

व्यायाम का अथ एवं आवश्यकता, व्यायाम वे प्रकार एवं पद्धतियाँ -

1 पाश्चात्य पद्धति के व्यायाम (क) पीटी (ड्रिल), (स) खेल, (ग) एथलेटिक्स , (घ) जिमनेस्टिक्स (Gymnastics) 2 भारतीय पद्धति के व्यायाम (क) कसरत कुश्ती, (ख) योगासन योगिक आसनों वे प्रकार एवं लाभ, उपस्थार परीक्षापर्याप्ति प्रश्न]

विषय प्रवेश

(अ) स्वास्थ्य शिक्षा

शिक्षा का उद्देश्य वालक का सर्वांगीण विकास करना है जिसके अत्यंत उसके शारीरिक मानसिक, नैतिक आदि सभी पक्षों का विकास सम्मिलित है। सर्वांगीण विकास की हड्डि से वालक का शारीरिक और मानसिक रूप में स्वस्थ रहना ग्रन्थन्त आवश्यक है। उसके लिये विद्यालयों में वालकों को स्वास्थ्य शिक्षा अथवा निर्देशन (Guidance) देना बाध्यनीय होता है। प्राय देखा जाता है कि विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा को उचित महत्व नहीं दिया जा रहा है। इस उपेक्षा और उदासीनता का उल्लेख करते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा है—“देश के युवकों के शारीरिक कल्याण का मुख्य दायित्व राज्य का होना चाहिए तथा जीवन की इस अवधि में शारीरिक कल्याण के सामान्य स्तर के नीचे गिरने से गम्भीर परिणाम होते हैं—ये रोग उत्पन्न कर सकते हैं या कुछ रोगों से ग्रस्त होने की आशंका बनी रहती है। अत शारीरिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा का इतना महत्व हो जाता है जिसकी उपेक्षा विसी राज्य को नहीं करनी चाहिए।” स्वास्थ्य शिक्षा के अत्यंत शारीरिक तथा मानसिक हड्डि से स्वस्थ रहने हेतु वालों को निर्देशन दिया जाता है जिसका उत्तरदायित्व शिक्षकों का होता है। डा. एस. एस. मायुर के अनुसार “विद्यार्थी के स्वास्थ्य को अच्छा रखने का उत्तरदायित्व अध्यापक पर अधिक रहता है परन्तु ग्रन्थापक इस दायित्व का उसी समय निभा सकता है जबकि वह स्वास्थ्य विज्ञान से परिचित हो।” शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षणाधियों का इसका ज्ञान दिया जाना अपेक्षित है।

गत अध्यायों में पाठ्याला प्रबंध से सभी आवश्यक पक्षों वा विस्तार से विवेचन

किया जा चुका है। प्रस्तुत तथा प्रागाभी ग्रन्थायों में स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व को देखते हुए उस पर विचार किया जा रहा है।

स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ

स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ प्रबल बरत हुए दा एस एम मायुर ने कहा है—“स्वास्थ्य शिक्षा से तात्पर्य उन सभी साधनों से है जो व्यक्ति का स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जान प्रदान करते हैं। विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा देना प्रयाजन यह है कि छात्रा भइ इन द्वारा स्वस्थ आदतों का निर्माण हो तथा वे अपना स्वास्थ्य गुदार बनाये रखने में तिन प्रयत्न करते रहें।

एम एस रावत ने अपनी पुस्तक “मूल स्वास्थ्य विनान” में स्वास्थ्य शिक्षा को उसके उद्देश्यों के रूप में परिभावित करते हुए कहा है—“स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं के चरित्र तथा व्यवहार में स्वास्थ्य सम्बन्धी परिवर्तन साना है। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य छात्र को वैज्ञानिक ढंग से रहना, सुधारूप रूप से जीवन ध्यतीत करना तथा सर्व सुखी और प्रसान रहना सिखाना है। साधारण विद्येषण द्वितीय तो यह प्रतीत होता है कि स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा मुख्य उद्देश्य हैं—

(1) स्वास्थ्य सम्बन्धी जान (Knowledge about Health)

(2) स्वास्थ्य के प्रति वास्तविक अभिव्यक्ति हाना (Proper Attitude for Health)

जे पी शरी ने स्वास्थ्य शिक्षा अथवा विदेशन का अर्थ इस प्रकार व्यक्त किया है “स्वास्थ्य निर्देशों से बालक वो उन सब बानों को जानकारी दी जाती है जिनकी समाज तथा जाति के बतमान तथा भविष्य के स्वास्थ्य को बनाये रखने की आवश्यकता होती है।

डी पी विजयवर्गीय एवं रामदत्त शर्मा ने शब्दों में—“विद्यालयों में विद्यार्थियों के सवागीण विकास की ओर ध्यान दिया जाने के निमित्त बालकों के बीड़िक विकास की दृष्टि से विषयाव्यापन किया जाता है जैसे ही उनके शारीरिक विकास के निमित्त खेलबूद व व्यायाम की व्यवस्था की जाती है और उनके व्यक्तिगत तथा सामूहिक स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जानी चाहिए इसकी जानकारी दी जाती है। विद्यालयों में लिए इस प्रकार स्वास्थ्य सम्बन्धी जो सद्वातिक और प्रायोगिक ज्ञान दिया जाता है उस स्वास्थ्य रक्षा के विषय में सम्मिलित किया जाता है।”

उपरोक्त परिभापानों से स्वास्थ्य शिक्षा को अवधारणा में निम्नावित तत्व विद्यमान है—

(1) विद्यालयों में बालकों के सवागीण विकास हेतु स्थानीय शिक्षा दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

- (2) स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत बालकों स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान देना तथा उनमें स्वास्थ्य के प्रति उचित अभिवृत्तियों का विकास करना।
- (3) स्वास्थ्य शिक्षा से बालकों में स्वस्थ्य आदतों का निर्माण होता है।
- (4) इसके द्वारा व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्वास्थ्य की रक्खा होती है।
- (5) यह बालकों को समाज तथा राष्ट्र के बतमान तथा भविष्य के स्वास्थ्य दोनों को बनाये रखने हेतु सक्ष क्षमता है।
- (6) इसके अंतर्गत शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की स्वास्थ्य की रक्खा हेतु निर्देशन दिया जाता है।
- (7) इसके क्षेत्र में मानव-शरीर की रचना व फायद प्रणाली, चालक, के शारीरिक एवं मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्त्व, बाल्यावस्था वे विशेष एवं सामाजिक रोग कुपोषण से बचाव तथा सनुलित आहार का ज्ञान, शारीरिक अंगों की स्वच्छता प्रायमिक उपचार, विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएँ तथा स्वास्थ्य परीक्षण सम्मिलित हैं।

स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता—

स्वास्थ्य शिक्षा की उपरोक्त अवधारण में इसकी आवश्यकता उद्देश्य एवं महत्व निहित है। स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व एवं आवश्यकता सम्बन्धी निम्नान्ति विद्यु उल्लेखनीय हैं

- (1) बालकों के उचित विकास हेतु स्वस्थ आदतों का निर्माण - प्रायमिक स्तर के 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिये विशेष स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व है क्योंकि इसी अवधि में बालक का शारीरिक मानसिक, सामाजिक एवं सेवणात्मक विकास द्रुतगति से होता है जिसमें स्वस्थ आदतों के निर्माण से विशेष सहायता मिलती है।
- (2) सामान्य एवं सकामक रोगों में सुरक्षा इसी शाफ्ट में बालकों का विभिन्न सामाजिक एवं सकामक रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य शिक्षा इस आवश्यकता की पूर्ति करती है।
- (3) समुचित विकास हेतु कुपोषण एवं सनुलित आहार का ज्ञान - अत्यन्त आवश्यक है। स्वास्थ्य शिक्षा से पोषण सम्बन्धी वायक्रमों में सहायता मिलती है।
- (4) अधिगम में सहायक - सीखन अवयवों अविगम की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में बालक का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का विनेय महत्व है। इस इष्टि में

स्वास्थ्य शिक्षा अधिगम में सहायक होती है।

- (5) व्यक्तिगत एव सावजनिक स्वच्छता (Hygiene) — स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा शारीरिक आगे की स्वच्छता तथा विद्यालय में आय लोगों की हड्डियाँ से बातावरण की स्वच्छता सम्बन्धी उचित अभिवृत्तियों एव जादतों वा विकास बालकों में होती है।
- (6) आवस्मिक दुघटना में प्राथमिक उपचार — विया जाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि डाक्टर की चिकित्सा के पूर्व रोगी को जान बचाई जा सके। छात्रा वा स्वास्थ्य शिक्षा के अन्तर्गत इसका ज्ञान कराया जाता है।
- (7) मानसिक स्वास्थ्य में सहायक — बालकों में जनेव कारणों से कुसमायोजन से उत्तरान अनेक मानसिक विहृतियाँ हा जाती हैं। स्वास्थ्य शिक्षा बालकों में आत्म विश्वास, हठ इच्छा शक्ति तथा सामाजिकता का विकास वर उनके मानसिक स्वास्थ्य एव व्यक्तिगत समायोजन में सहायक होती है।

उपरोक्त कुछ प्रमुख बिंदु स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता एव महत्व की प्रबंध धरते हैं। शिक्षकों का इस हड्डिय से दायित्व विशेष होता है। डा एस एस मायुर के शब्दों मे—“प्रत्येक शिक्षक का क्षत्रिय है कि वह विद्यार्थियों में स्वस्थ आदतों का निर्माण और करे उहै स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करें स्वस्थ आदता एव हड्डि कोणों को बनान में सहायता प्रदान करें।”

बालक के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक (Factors)

बालक के स्वास्थ्य (शारीरिक और मानसिक) को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नावित हैं—

- (1) दूषित बातावरण — घर तथा विद्यालय के दूषित बातावरण का प्रभाव बालक के स्वास्थ्य पर सर्वाधिक पढ़ता है।
- (2) वशानुक्रम — (Heredity) कुछ स्वास्थ्य सम्बन्धी विकार वशानुगत होते हैं।
- (3) अध्यापक का व्यवहार — बालक के स्वास्थ्य वो अध्यापक का व्यवहार भी काफी मोमा तर प्रभावित करता है।
- (4) कुपोषण — बालक वे शारीरिक विकास हेतु उसे खाद्य पदार्थों से उचित मात्रा में भोजन के तत्व बायोरास्ट्रीट, प्रोटीन सबण, विटामिन, वसा व जल मिलन चाहिए जिससे उसे जापु क अनुगार ऊर्जा उत्पादन हतु क्लारीन (Calories) प्राप्त हा सके। कुपोषण से अनक रोग उत्पन्न होत है। सतुलित भोजन व सूपोषण से बालक वा स्वास्थ्य ठीक रहता है।
- (5) व्यायाम खेन-कूद एव मनोरजन के अवसर — बालक के स्वास्थ्य के लिये

विशेष महत्व रखते हैं।

- (6) सामान्य एवं सक्रामक रोग — बालको के स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं। अत इनकी रोकथाम, उचित चिकित्सा एवं परिधर्या की आवश्यकता है।
- (7) स्वास्थ्य परीक्षण — नियमित रूप से विद्या जाना चाहिए ताकि बालको के रोगों और विकृतियों का पता चल सके और उनके अभिभावकों को चिकित्सा हेतु परा मश दिया जा सके। इसके अभाव में बालको के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- (8) अच्छी आदतें तथा अभिवृत्तियाँ — बालकों में स्वस्य जीवन हेतु अच्छी आदतें और अभिवृत्तियों का निर्माण किया जाना चाहनीय है। बुरी आदतों व अभिवृत्तियों से उनका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है।
- (9) मानसिक स्वास्थ्य — मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहने से बालकों का प्रत्येक काय और परिव्यक्ति से सुग्रायोजन होता है। इसके अभाव में कुसमायोजन के कारण बालकों में अनेक मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अत ऐसे घानों का पता लगा कर उनके रोगों का निराकरण करना आवश्यक है।
- (10) वैयक्तिक निर्देशन (Personal Guidance) — वैयक्तिक विभिन्नताओं, परेलू वातावरण तथा शैक्षिक वारणी से बालकों द्वारा कठिनाईयों एवं समस्याओं का अनुभव होता है जिनका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। अत वैयक्तिक निर्देशन द्वारा बालकों की समस्याओं का समाधान किया जाना अपेक्षित है।
- (11) व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्वच्छता — व्यक्तिगत शारीरिक अगों की स्वच्छता तथा शाला एवं घर पर सभी लोगों की स्वच्छता बालक के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।
- (12) शारीरिक आसन (Postures) — अनेक शारीरिक विकृतियों एवं मानसिक व शारीरिक घटान का पारण बालकों के बैठने, खड़े होने पड़ने या लिखने के अनुचित शारीरिक आसन होते हैं जो अनुपयुक्त फर्नीचर तथा शुद्ध वायु, जल व प्रकाश के अभाव से बन जाते हैं। अत इन कारणों द्वारा निवारण कर बालकों को उचित आसनों की आदतें डाली जानी चाहिए। बालक के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले उपराक्त कारणों तथा स्थानीय परिव्यक्ति से उत्पन्न विशेष कारणों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य के प्रकार --

स्वास्थ्य के मुख्यतः दो प्रकार हैं (1) शारीरिक स्वास्थ्य (2) मानसिक स्वास्थ्य

शारीरिक स्वास्थ्य के विषय के अंतर्गत सेलकूद और शारीरिक शिशा में सदम में विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। ध्यायाम के सदम में इसकी और चचा वी जायेगी। यह मानसिक स्वास्थ्य के अथ व उसके महत्व को स्पष्ट करना आवश्यक है।

मानसिक स्वास्थ्य — मानसिक स्वास्थ्य की निम्नांकित परिभाषाएँ उल्लेखनीय हैं—
क्रो तथा क्रो (Crow and Crow) “मानसिक स्वास्थ्य मानव कल्याण का विनान है जो मानव सम्बद्धी के समस्त प्रक्षो वो अपने में समाहित करता है।

ठा एस एस माथुर—“हम मानसिक स्वस्थ्य व्यक्ति उसी का बह सकते हैं, जिनके सम्बूद्ध अजित या वशानुगत गुण पूर्ण रूप से विकसित हात हैं और उद्देश्य को समने रखते हुए इनका अंत वतुप्रा के साथ नामजग्य रहता है। मानविक स्व-य से तात्पर्य एक आकर्षक व्यक्तित्व बाना व्यक्ति नहीं, परन्तु वह व्यक्ति मानविक स्वभूत वहै जात है जो सामाजिक हा तथा जिनकी इच्छा गति ढृढ़ है। और जिनमें आत्म-विश्वास हो। मानसिक आरोग्य विज्ञान के दो मुख्य काय हैं—

(1) मानसिक विहृति को रोकना, और (2) मानसिक विहृति वा उपचार करना।

इन परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मानविक स्वास्थ्य बालक की मानसिक विहृतियों के कारण उत्पन्न उसके कुसमायोजन का निराकरण कर उसके व्यक्तित्व के समायोजन में सहायता होता है तथा उसमें आत्म विश्वास कर उत्पन्न उसके अविगम का प्रभावी बनाता है।

शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का अधिगम पर प्रभाव

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य वा अधिगम या सीखन पर प्रभाव को स्पष्ट करते हुए ठा रामपालसिंह वर्मा तथा राधावल्लभ उपाध्याय का वर्थन है—“शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी सीखन की प्रक्रिया पर प्रभाव डालते हैं। जो बालक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वभूत होते हैं उनकी जान या किया को सीखने में रुचि रहती है और शोध सीखते हैं। इसके विपरीत सदैव रमण रहने वाले छात्र शारीरिक हृषि से इतने बहुजोर होते हैं कि वे कक्षा में विसी काय को सीखत समय शोध यकान अनुभव करने लगते हैं अथवा अनियमित रहने वे कारण अध्यापक द्वारा सिलाये गये चान में तार्तम्य न विठा सकत से उस पाठ में रुचि नहीं ले पाते हैं। इसके साथ ही मानसिक रामा सं पीडित द्यावो स तो यह आशा ही नहीं की जा सकती कि वे सीखने में कुशल हों।” अत प्रभावी अधिगम की हृषि से यह आवश्यक है कि बालकों को शारीरिक और मानसिक हृषि से स्वस्थ रमा जाये तथा इस हृषि से रोगी बालकों के निदान चिकित्सा तथा उनके प्रति सहानुभवि पूर्ण व्यवहार एव उनके घटित निदेशन पर ध्यान दिया जाये।

उपसहा —

स्वास्थ्य शिक्षा के अथ, महत्व और उपयोगिता को व्यक्तिगत रखते हुए विद्यालयों में इसके शिक्षण की उपयुक्त विधिया पर भी ध्यान दिया जाना बाछनीय है। विजयवर्गीय एवं शर्मा के शब्दों में —“स्वास्थ्य रक्षा वा ज्ञान के बल सिद्धाता की शिक्षा से ही नहीं दिया जा सकता। इसे प्रत्येक बालक में उचित स्वास्थ्य सम्बद्धी आदतों को विकासित करके ही दिया जा सकता है। इस प्रकार व्यक्तिगत शिक्षण के रूप में ही अधिक उपयोगी एवं हितकर हो सकता है।” स्वास्थ्य शिक्षा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों विधिया से ही दी जा सकती है। सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा आदि विषयों के आतंत स्वास्थ्य सम्बद्धी सद्व्याप्तिक ज्ञान देने के अतिरिक्त विद्यालय के सभी नियावलारों तथा दृश्य अवयव सामग्री के माध्यम से बालकों में अप्रत्यक्ष रूप से वाचित स्वस्थ्य आदतों एवं अभिवृत्तियों का विकास किया जाना चाहिए।

(ब) व्यायाम

विषय प्रवेश

विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा के कायक्रमों में व्यायाम का प्रमुख स्थान है। भारतीय शिक्षा में शारीरिक शिक्षा वा व्यायाम का महत्व प्राचीन काल से विद्य मान है जा व्यायाम की देशी पद्धति के रूप में विकसित हुआ था। देश में अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति के प्रचलन के साथ ही विद्यालयों में व्यायाम की पाइचात्य पद्धति का समावेश हुआ जिसका प्रमुख आज भी बना हुआ है। व्यायाम की देशी पद्धति में शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार के विकास पर बल दिया जाता था किन्तु पाइचात्य पद्धति में व्यायाम मात्र शारीरिक विकास ही करता है, विद्यालयों में देशी पद्धति के व्यायाम के प्रति उपेक्षा विचारणीय है। व्यायाम हेतु विद्यालयों में व्यायाम प्रशिक्षक, स्थान एवं उपकरणों के अभाव में देशी व्यायाम पद्धति अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु व्यायाम अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 1956 में भारत सरकार द्वारा निर्मित ‘शारीरिक शिक्षा की राष्ट्रीय योजना’ इस महत्व को इस प्रवार प्रकट किया गया है—“शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य बालकों को शारीरिक मानसिक एवं सदेगारमक रूप से सुक्षम बनाना तथा उसकी उन व्यक्तिगत तथा सामाजिक गुणों के विकास करना हाना चाहिए जो उसे दूसरों के साथ प्रसंनता से रहने तथा उसे एक अच्छा नागरिक बनाने में सहायता हो सके।” अतः विद्यालयों में जो भी व्यायाम की पद्धति अपनाई जाय वह इस लक्ष्य को पूर्ति में सहायता होनी चाहिए। प्रस्तुत ग्रन्थाय में व्यायाम के उन प्रकारों का विवेचन किया जायगा जो सह-शैक्षिक प्रवृत्तियों के अन्तर्गत बतलाये गये हैं कूप के अनिरिक्त हैं।

व्यायाम का ग्रथं एव आवश्यकता

व्यायाम को बतमान में प्रचलित भ्रात धारणा तथा उनका गही गत्रय शास्त्र वरते हुए बोठारी आयोग न कहा है— “शारीरिक शिक्षा मध्यमी हात की साकारी योजना में यह प्रवति देखन वा मिलती है कि शारीरिक शिक्षा म शरीर का स्वस्थ रप पर ही बल दिया जा रहा है और उसके अन्तर्म मूल्य वो मुलाया जा रहा है। यह स्पष्ट कर देने की आवश्यकता है कि शारीरिक शिक्षा वे न पैदन शारीरिक स्वास्थ्य पर ही अच्छा प्रभाव पहता है, बल्कि शारीरिक समता, मानसिक तुम्हा पौर परिष्ठम दन-भावना नेतृत्व, नियम वा अनुगरण नियम और प्राचय म सम्भाव जैसे कुछ उच्च गुणों के विकास मे सहायता मिलती है।” इग वयन से यह स्पष्ट हाता है कि शारीरिक शिक्षा या व्यायाम न वेवन शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है बल्कि वह मानसिक एवं भवेगत्मक विकास हेतु उतना ही मर्मित है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ भवित्व का निवास होता है। इस प्रवार व्यायाम वानक की प्रसिद्ध प्रतिया में भी गहायर हाता है। मान्यमिक शिक्षा आयोग ने इग तथ्य को प्रस्तुत करत हुए कहा है— “यह(व्यायाम) न वेवल शारीरिक भारणा से भपरिहाय है बल्कि इनलिए भी कि शारीरिक स्वास्थ्य पर पूर्ण मानसिक स्वास्थ्य निभर रहता है। अत समस्त विद्यालया पा यह दावित होना चाहिए कि उनके बालक स्वस्थ रह ताकि वे अपनी जिम्मा से अधिकाधिक सामान्यता हो सकें।”

व्यायाम की आवश्यकता और महत्व

व्यायाम की आवश्यकता और महत्व उसके निम्नान्त लाभों ने स्पष्ट हाता है—

- (1) व्यायाम से रक्त-ध्रमण व हृदय गति तीव्र होकर शरीर की मात्रेशियाँ भाजन के पौष्टिक तत्वों को जटिक प्रहण कर शातिशाली बनती हैं।
- (2) नियमित व्यायाम से सभी अग पुष्ट एवं सुदर होते हैं।
- (3) व्यायाम द्वारा तेज साम लेने व छोड़ने से शरीर कमश अधिक आसीजन प्रहण करता है तथा कामन डाइआसाइड छाड़ता है जिससे मामिपशिया अधिक विकसित होती है।
- (4) व्यायाम से बध(Chest) सम्ब धी रोग नहीं होत।
- (5) इससे शरीर हृष्ट पुष्ट व आकृपक हो जाता है।

- (6) यह पाचन क्रिया एवं मल-मूत्र उत्सर्जन क्रिया को ठीक करता है।
- (7) इससे मानसिक व्यक्ति (Fatigue) तथा ऊब (Boredom) कम होती है।
- (8) सुधारात्मक व्यायाम से बालकों के अनुचित आमन (Postures) ठीक हो सकते हैं।
- (9) व्यायाम मासपेसियो व मस्तिष्क में उचित सतुलन व समावय उत्पादन करता है।
- (10) इससे अनेक सामाजिक एवं नागरिक गुणों का विकास होता है।
- (11) व्यायाम से बालकों में स्फूर्ति व ताजगी पैदा होती है।
- (12) व्यायाम में बालक की छचि होने से वह बालक वा मनोरजन भी करता है।
- (13) यह बालक में स्वानुशासन की भावना विकसित करता है।
- (14) इससे बालक को व्यायाम विशेष में दक्षता प्राप्त होती है।
- (15) व्यायाम बालक को सद्यमी बनाकर उसका चारित्रिक विवास करता है।

व्यायाम के प्रकार एवं पद्धतियाँ

व्यायाम की मुख्यत निम्नांकित दो पद्धतियाँ देश में प्रचलित हैं जिनके विभिन्न बार इस प्रकार है —

- 1) व्यायाम की पाश्चात्य पद्धति — के अनुगत निम्नांकित प्रकार प्रमुख है —
 - (क) पी० टी० छथवा ड्रिल — पी टी (Physical Training) छथवा ड्रिल (Drill) विद्यालय में शारीरिक शिक्षा की सर्वाधिक प्रचलित पाश्चात्य पद्धति का व्यायाम है जिसके लिये एक शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (Physical Training Instructor या P.T.I.) प्रत्यक्ष विद्यालय में होता है तथा इस हेतु एक कालागा का प्रावधान समय विभाग चक्र में भी किया जाता है। पी टी शारीरिक अग सचालन की विभिन्न मुद्राओं का सामूहिक रूप संभव्याम होती है जिसका उद्देश्य विभिन्न अगों को चुन्नत व पुस्त परना होता है और ड्रिल द्वारा की सामूहिक परेड है जो द्वारों को समूह में अनुदेशक के निर्देशानुसार अनुशासित रूप संगतिशील होना मिलानी है। जब पी टी या ड्रिल बैड या सगीत के साथ हानी है तो द्वारों में तय, गति एवं सौन्दर्य वृद्धि का विकास होता है।
 - (ख) सेलपाश्चात्य पद्धति वे सेलों का विद्येचन सह-शैक्षिक प्रवृत्तियों के

अतगत बाले अध्याय में विद्या जा चुका है। खेल भी व्यायाम के रोचक साधन हैं।

(ग) एथलेटिक्स (Athletics) — इसके अतगत सभी कूद, ऊँची कूद दौड़, बाधा दौड़ पाल बालट, जबलिन, चक्र तथा गाला फैक, रस्साकसी, रिं दौड़ आदि व्यक्तिगत या सामूहिक व्यायाम हैं। ये स्वस्थ स्पर्धी व प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करते हैं। इसके लिये उपयुक्त ट्रैक, स्थल तथा उपकरणों की आवश्यकता होती है।

(घ) जिमनेस्टिक्स (Gymnastics) — इसके लिये विशेष व्यायामशाना एवं उपकरणों (परेललबार हारीजा टलबार रिं आदि) की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षित जिमनास्टिक (Coach) के निर्देशन में विद्यार्थी विभिन्न व्यायाम (exercises) सीखते हैं। इनसे शरीर सतुलन व नमनीयता के साथ शक्ति का विकास होता है।

(2) भारतीय व्यायाम पद्धति — के अतर्थात् निम्नाविन प्रकार प्रमुख हैं —

(क) कसरत-कुश्ती — पाठ्यात्म पद्धति की कुश्ती फोम रबर के गहा पर विशेष पोषाक पहन कर प्री स्टाइल प्रकार की होती है जबकि भरतीय पद्धति में जमीन पर अखाड़ा बनाकर बेवल लगोट-बच्छा पहनकर पहलवान जोर बरते हैं। देशी कसरतों में इण्ड-बैठक, मुग्दर घुमाना आदि प्रमुख हैं। भारतीय पद्धति में विशेष उखरणों की आवश्यकता नहीं होती और न अधिक स्थान वी ही। अत विद्यालय में इनका प्रचलन होना चाहिए।

(ख) योगिक आसन — यह भारतीय पद्धति का अत्यन्त प्राचीन बाल से प्रचलित व्यायाम है जिससे शारीरिक विकास के अतिरिक्त मानसिक और सेवेगात्मक विकास भी होता है। इसका विस्तार से विवेचन आगे दिया जा रहा है।

भारतीय एवं पाठ्यात्म पद्धति के उपरोक्त प्रकार के व्यायामों में अतिरिक्त कुछ और भी व्यायाम हैं जैसे मुखकेवाजी (Boxing), तैराकी (Swimming) पवतारोहण (Mountaineering), गोताखोरी (Driving), धनुर्विद्या (Archery), घुडसवारी (Horse riding) आदि। साधन मुविधाओं के अनुसार इन्हें शिक्षा संस्थानों में अपनाया जा सकता है।

योगिक व्यायाम (योगासन)

योगिक व्यायाम भारतीय योगदर्शन का अभिन्न अंग है। योगदर्शन के

अनुसार अष्टाग योग के अत्तर्गत आठ अनुष्ठान इस प्रकार हैं — (1) यम (अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह), (2) नियम (शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय व ईश-प्रार्थना), (3) आसन, (4) प्राणायाम, (5) प्रत्याहार, (6) धारणा, (7) ध्यान, तथा (8) ममायि। इस प्रकार योगासन भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं जिनसे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक विकास होता है। विद्यार्थी जीवन में इनका विशेष महत्व है। अनेक रोगों की चिकित्सा में भी योगासन सहायक होते हैं। विशेष स्थान, उपकरण व धन की आवश्यकता के अभाव में ये विद्यालयों के लिए अत्यन्त अनुकूल हैं। इस दिशा में अब प्रयत्न विषय जा रहे हैं। अत शिक्षकों को इनसे परिचित होना आवश्यक है।

योगिक आसनों के प्रकार — वैसे तो योगिक आसनों के अनेक प्रकार हैं जो समय, आवश्यकता एवं शारीरिक क्षमता के अनुसार विकसित किये गये हैं जिन्हें स्थानाभाव के कारण यहाँ हम कुछ प्रमुख आसनों की प्रक्रिया और लाभ वा विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं —

- (1) पद्मासन—इस आसन में दाया पैर वायी जाघ पर तथा बायाँ पैर वायी जाघ पर पालकी से लैठा जाता है व हाथ गोद में, शरीर सीधा, ठाढ़ी को गले से लम्बाकार रखकर दृष्टि सामने केन्द्रित की जाती है। इस आसन से रक्त, पाचन, वीर्य आदि के विकार दूर होते हैं तथा अतिसार जैसे रोगों का उपचार होता है।
- (2) सर्वगासन—सीधे चित्त लेट कर जुड़े हुए पैरों को शाने शने उठाते हुए गदन से नीचे का शरीर छपर इस प्रकार उठाते हैं कि शरीर का समस्त भार गदन व कंधों पर आ जाये जो जमीन पर टिके रहते हैं। इस आसन से पेट, श्वासशय, काष्ठबद्धता (कब्ज), रीढ़ की हड्डी, नन आदि अनेक रोगों का उपचार होता है।
- (3) मयूरासन—इसमें साधक की स्थिति व आङ्गृति मोर जैसी होती है। इस आसन में पट के बल उल्टा लेटना पड़ता है। हयेलियों को जमीन पर टिका कर कुहनियों को नाभि पर टिका देते हैं। तथा सारे शरीर का हयेलिया पर सतुरित कर जमीन वे समानान्तर उठाते हैं जि सामन हृष्टि गदावर मोर के सामान स्थिति में बना रहे। इस आसन से पट, दस्त, बम्बन, पचिश, कब्ज, पित्त, कफ आदि के विकार दूर होते हैं।

- (4) घनुषासन — इसमें आहृति घनुपानार होती है। पीठ क्षेत्र पर जमीन पर लेटे हुए साधक जपने हाथों से पर के पजो का पीठ के ऊपर पड़दता है तथा सिर ऊपर उठा वर भीना लेने रखता है। इससे पीठ के विकार दूर होवार नेत्री व उदर के रोगों का निराकरण होता है।
- (5) हलासन — इसमें साधक जमीन पर चित्त सीधे लेट जाता है तथा परों के ऊपर उठात हुए शरीर के सारे घड़ को उठा लेना है तथा परा को मुख के पास जमीन से स्पर्श करता है। इस प्रकार हल जैसी आहृति बन जाती है। इस आसन से रोड़ की हड्डी, गदन, कमर, मधुमेह, महूत, पीढ़ी आदि रोग दूर होते हैं।
- (6) पाद हस्तासन — इसमें सीधे खड़े होकर आगे मुरते हुए हाथ पे पजो से पैर के अगुठे पबड़ते हैं तथा सिर को घुटनें से स्पर्श करते हैं। इस पून शृंगक स्थिति मे आ जाते हैं। नीचे मुरते भयभी सात आदर तीव्रते हैं तथा उठते समय बाहर फौंकते हैं। इससे मौटापा कम होकर पट के तभी विवार दूर होते हैं।
- (7) चक्रासन — इस आसन मे दैरों के मध्य एवं कुरु वा जन्तर रसकर सीधे खड़े होते हैं। शन शन हाथों को ऊपर ऊठा कर पीछे की ओर और और स प्रकार ले जाते हैं कि हथेलियाँ जमीन पर टिक जायें। इस स्थिति मे पट आवाश की जोर व पीठ जमीन के समान द्वारा छोड़ जाते हैं। सारा शरीर चक्र या पर्हिये की आहृति भी हो जाता है। इस आसन से भेददण्ड व पेट के विकार दूर होकर मौर्खा, दमा, कमर दद आदि रोगों का उपचार होता है।
- (8) शीर्षासन — इस आसन मे सिर के बन उट्टा सीधा खड़ा हुआ जाता है। धीरे धीरे विवार वा सहारा लेकर इसे आरम्भ किया जा सकता है। सिर के नीचे तकिया या गदे का आधार होना चाहिए। इस आसन से मिर, पट, वमर, नेत्र जादि के रोग दूर होते हैं तथा अब सभी रोगों के उपचार मे सशक्त होता है। जल. यह सर्वोदिक उपयोगी आमन है।

गोगिक आसनों के लाभ — निम्नांकित है —

- (1) शरीर स्वस्थ, मुड़ोल तथा आकर्षण होता है।
- (2) शरीर निरोग होवार सूक्ष्म एवं शक्ति सम्पन्न होता है।
- (3) मानसिक तनाव एवं रोगों का निराकरण होता है।

- (4) ये मनुष्य को आयु में बढ़ि करते हैं इरोकि वद्वावस्था के रोगों को दूर बरते हैं।
- (5) ये रोगों का उपचार बिना औपचारिक के प्राकृतिक रूप से करते हैं।
- (6) इनसे जब्धान, स्मृति, ध्यान, विचार आदि मानसिक शक्तिया विकसित होती है।
- (7) ये सबेगात्मक सतुलन स्थापित करते हैं।
- (8) इनसे तामसी व राजसी प्रवतियों के स्थान पर सात्त्विक प्रवृत्ति जागृत होती है।
- (9) ये ज्ञानी एवं मत्तिष्ठ में सामजिक उत्सन्न करते हैं।
- (10) ये चारित्विक उत्थान में सहायक होते हैं।

उपसंहार -

इम अध्याय में वर्णित पाश्चात्य एवं भारतीय पढ़ति के विभिन्न व्यायामों से छात्रों को लाभान्वित करने हेतु यह अत्यात आवश्यक है कि इनका नियोजन, कियावयन तथा मूल्यांकन सावधानी से विया जाना चाहिए। विद्यालय के मानवीय एवं भौतिक समाधानों को दृष्टिगत रखते हुए व्यायामों का चुनाव एक समावृत्त सावधानी से किया जाना चाहिए। छात्रों की शुचि, आयु वर्ग, क्षमता एवं आवश्यकना का ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि मुनियाजित ढंग से व्यायामों का सचालन किया जाय तो ये निश्चित रूप से छात्रों के ज्ञानीरिक, मानसिक एवं सबेगात्मक विकास में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

मूल्यांकन (Evaluation)

(अ) लघूतरात्मक प्रश्न -

- 1 विद्यालय में स्वास्थ्य सेवा से क्या क्या उद्देश्य होते हैं ?
- 2 विद्यालय में ज्ञानीरिक शिक्षा की क्या आवश्यकता है ?
- 3 विद्यालय में ज्ञानीरिक शिक्षा के महाव का वर्णन कीजिए।

(बी एड 1982)

(बी एड 1982)

(बी एड 1979)

4 शाला में खेलों के संगठन के बुनियादी सिद्धांतों के बार म लिखिय !

(बी एड 1978)

5 सुधारात्मक व्यायाम से आप क्या समझते हैं ?

6 विद्यालय म स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था क्या आवश्यक है ?

7 शारीरिक विकास पर आसना का क्या प्रभाव पड़ता है ?

8 'योग ग्रन्थास मर्त्त्वपूष व्यायाम है।' स्पष्ट कर ।

(ब) निवाधात्मक प्रश्न-

1 विद्यालय शिक्षा म खेलकूद अभिन्न भाग क्यों है ? अनुशासन एव राटीय एकता के विकास मे अनिवाय खेला के क्या लाभ है ? (बी एड 1985)

2 विद्यालय कायम मे खेलकूद का क्या महत्व है ? विद्यालय कायम म खेलकूद का अभिन्न भाग बनाने हेतु एक योजना बनाइय । (बी एड 1984)

3 हमारे विद्यालयो में शारीरिक शिक्षा क्यों आवश्यक है ? एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आप खेलकूद का कायम कैसे संगठित करेंग ? (बी एड 1982)

4 आप एक ऐसे माध्यमिक विद्यालय के लिए जिनके पास खेलने वा पर्याप्त मौदान नहीं है किन-किन शारीरिक कायमों की अभिशसा करेंग ? (बी एड पत्राचार 1981)

5 किसी उच्च माध्यमिक विद्यालय की IX, X व XI कक्षाओ मे ऋमश 30,35,40 विद्यार्थी है । उत्त सभी विद्यार्थियो को खेलों व खेलकूद मे भाग लिवाने वी हटि से एक व्यवहारिक योजना बनाइय । (बी एड पत्राचार 1981)

6 हमारी शिक्षण-संस्थाओ मे संगठित खेलों का क्या महत्व और मूल्य है ।

7 खेलकूद का संगठन वरते समय बिन किन बातो का ध्यान रखा जाना चाहिए ?

विद्यालय अनुशासन

(School Discipline)

[विषय प्रवेश, अनुशासन की नवीन सकल्पना स्वानुशासन-अनुशासन के प्रकार, अनुशासनहीनता के कारण एवं उनके निराकरण हेतु सुभाव, कक्षानुशासन कक्षाध्यापक के सामाज्य कर्तव्य और दायित्व, एक अध्यापकीय शाला में मोनटीरिंग व्यवस्था, छात्रों के बैठने की व्यवस्था के अनुसार हेर फेर, स्वानुशासन के विवास में सहायक प्रवृत्तियाँ, पुरस्कार और दण्ड अनुशासन के साधन के रूप में सूच्याकृत, उपस्थार]

विषय-प्रवेश—

विद्यालय अनुशासन ही शिक्षा के उम नक्ष्य वी पूर्णि करता है जो विद्यार्थियों को राष्ट्र के समाज का एक योग्य नागरिक बनाना चाहता है। माध्यमिक शिक्षा आधीरण के शब्दों में—“शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य युवकों को नागरिकता के दायित्वों का बहन रखने हेतु प्रशिक्षित करना है। और सभी लक्ष्य आवश्यक है। अत अनुशासन माता-पिता शिक्षक, सामाजिक जनता तथा सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व होना चाहिए।” आज विद्यार्थियों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता एवं अस तोष वी प्रवति पिछा लयों में अनुशासन बनाये रखने की आवश्यकता और महत्व वी प्रकट करती है। प्राथ मित्र एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वित चारिनिक मुरों और नागरिक भावना का विकास विद्या जा सकता है वे विद्यार्थी के सतुरित व्यक्तिगत का निर्माण कर उसे भागी जीवन में स्वानुशासनप्रिय बना सकते हैं। यद्यपि माता पिता, अभिभावक व समाज का दायित्व छान-अनुशासन की इष्टि से सर्वाधिक है तथापि विद्यालय का इसमें योग-दान महत्वपूर्ण होता है। प्रस्तुत अध्याय में विद्यालय अनुशासन के विभिन्न पक्षों का स्पष्ट किया जायेगा।

अनुशासन की नवीन सकल्पना स्वानुशासन

अनुशासन का अर्थ— डा एस एस मायुर का कथन है—“अनुशासन स तात्पर्य पह है कि विद्यार्थी विद्यालय के नियमों इत्यादि का पालन कर परतु अनुशासन का अर्थ हम सीमित रूप में ही प्रयोग करते हैं। विस्तृत रूप में अनुशासन से अथ है कि विद्यार्थी का शारीरिक व मानसिक प्रशिक्षण हो और वे इन दोनों वी नियमण में जाना सोख जाये। विस्तृत अर्थ में अनुशासन का जो अनिवार्य

आता हैं उसी को सामने रखकर हम विद्यार्थियों को अनुशासित रखने के लिये बल दे सकते हैं। यह बहने स हमारा तात्पत्ति यह है कि विद्यार्थियों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाय कि व अपनी आत्मा अपन मन्त्रिण एवं अपन शरीर पर नियन्त्रण रखना सीख लें वे जब भी कोई काय वर्ते ता ऐसा न हो कि उनम आत्म नियन्त्रण या आत्मसंयम का अभाव हो।' इस व्यापक म उत्तित विस्तृत धर्म मे अनुशासन स्वानुशासन ही है। यही अनुशासन की आधुनिक संवर्पना है। जितु इस सबल्यना के विकास को समझते हेतु अनुशासन की पुरातन धारणा को देखना होगा।

अनुशासन की पुरातन धारणा — अनुशासन की पुरातन धारणा प्राचीन वाल ग चली आ रही उस मायता का परिणाम थी जिसके अनुमार छात्रों को नियन्त्रण म लाना ही अनुशासन है। इस मायता के अनुसार छात्रों के मानसिक, नियन्त्रण शारीरिक विकास के लिय बठोर नियम बनाये जाते थे और उन नियमों का उल्लंघन वरने पर कठोर दण्ड देने का प्रावधान था। इस अनुशासन का आधार शक्ति एवं छात्रों मे भय एवं आतक उत्पन्न करना था। यह अनुशासन का दमनात्व दृष्ट था। लोगों म यह धारणा थी कि डडे वा सहारा न लेने से बचे बिगड़ जाते हैं। Spare the rod and spoil the child) पाश्चत्य देशो मे भी यही पुरातन धारणा प्रचलित थी। ग्रो हैरिन न आज्ञापालन को ही अनुशासन का प्रमुख आधार बताते हुए कहा है—'विद्यात्पथ का प्रथम नियम व्यवस्था स्थापित करना था शिक्षक का पहला काय नियमों का पालन करना तथा शिक्षार्थी का प्रथम बताय आज्ञापालन के अनुहृष्ट व्यवहार करना था।' इस प्रकार अनुशासन की यह धारणा केवल वाह्य नियन्त्रण का ही अधिक महत्व देती थी आत्मिक नियन्त्रण या स्वानुशासन को नहीं।

अनुशासन की नवीन धारणा का विकास — आधुनिक युग मे अनुशासन की उपरोक्त धारणा की शिक्षा शास्त्रियों द्वारा आलोचना की जाने लगी व वालक को बठोर दण्ड दिये जाने का विरोध हाने लगा। वाल मनोविज्ञान एवं लोकतात्त्विक विचार पाय के विकास के साथ शिक्षा वाल केंद्रित (Child Central) मानी जाने लगी जिसका प्रभाव अनुशासन की नवीन धारणा के विकास मे स्पष्ट निर्धार्द देने लगा।

अनेक शिक्षा-शास्त्रियों एवं विचारको ने इस धारणा को व्यक्त किया है। ऐटो के अनुमार—“वालक को दण्ड की अपेक्षा खेल द्वारा नियन्त्रण करना बही अच्छा है।”

पेस्टालोजी ने कहा—‘अनुशासन वा आधार और नियन्त्रण शक्ति प्रेम होता चाहिए। रूपों के मतानुमार वालकों को प्रहृति के भनुसार चलने दो, उसके काय भ वाधा भठ

दो।” जान डिशी ने अपने ग्रन्थ ‘Democracy and Education’ में कहा है—“अनुशासन शक्ति है और काय करने के लिए उपलब्ध साधनों का सदुपयोग है। हमें क्या परना है कैसे करना है तथा किन साधनों से करना है यह जानना ही अनुशासन है। विद्यालय में अनुशासन भी पूर्णत सामाजिक होना चाहिए। स्कूल जीवन की तैयारी वा स्थान नहीं अपितु स्वयं ही जीवन है। इस प्रकार निरक्षुशतावादी और स्वेच्छाचारी व तानाशाही विचारों पर आधारित अनुशासन की भ्रात धारणा के स्थान पर आधुनिक युग में लोकतात्त्विक विचारधारा और बाल के द्वितीय शक्तिक मायता से प्रेरित नवीन ज्ञान धारणा का विकास हुआ जो ‘स्वानुशासन Self discipline’ के रूप में अनुशासन का मानन लगी। “विद्यालय संगठन” म आत्माराम शर्मा ने इम धारणा को स्पष्ट करत हुए कहा है—“आधुनिक युग में बालकों को स्वानुशासन में रहना तिक्खा ही सर्वोत्तम माना जान लगा है जिसके लिए उचित बातावरण तथा स्वयं का आदर्श उपस्थिति किया जाता है और बालकों को विभिन्न नियाओं में स्वतंत्रता से करने के लिए प्रात्साहन दिया जाता है। इस प्रकार वालक बातावरण से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होकर स्वयं ही आत्मविकास करते हैं।”

अनुशासन के प्रकार— अनुशासन के सम्बन्ध में विभिन्न सकल्पनाओं के आधार पर अनुशासन के तिम्नावित तीन स्वरूप या प्रकार हैं—

- (1) **दमनात्मक अनुशासन (Repressionist Discipline)** पुरातन धारणा के अनुसार अनुशासन का वह स्वरूप है जिसका अथ विद्यार्थियों का शक्ति, भय और आतंक से नियन्त्रित करना हाता है। यह अमनोवज्ञानिक एवं अलोकतात्त्विक है, अत वत्सान स्थिति में त्याज्य है।
- (2) **प्रभावात्मक अनुशासन (Impressionist Discipline)** के अनुसार शिक्षक को अपने आदर्श आचरण और चारित्रिक गुणों के अनुकरण करने की प्रेरणा द्यात्रों को दिनी चाहिए तथा द्यात्रों में दण्ड का भय उत्पादन कर शिक्षक के प्रति थदा और भक्ति विकसित को जानी चाहिए। यह एक आदगवादी हितिकोण है जिस में द्यात्र के ध्यक्तित्व वा स्वतंत्र विकास न हावर द्यात्र को गिरफ्त वा अनुवरण परनेवाला बना दिया जाता है। मौकमन वा मत है कि द्यात्रों के ऊपर गिरफ्त के ध्यक्तित्व को प्रधानता लादना भी एक प्रवार का दण्ड है तथा द्यात्रा द्वारा गिरफ्त वा आधानुकरण करना अनुचित है। अत अनुशासन का यह रूप निश्चा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये एक मात्र साधन नहीं माला जा सकता।
- (3) **मुक्तात्मक अनुशासन — (Emancipationist Discipline)** म दमनात्मक

अनुशासन के विपरीत बालक को पूण स्वतंत्रता देकर स्वानुभव के आधार पर अनुशासन सीखने की धारणा विद्यमान है। इसे इस विचारधारा के प्रवक्तक थे। फ्लोयल, मार्टेसरी नील, नारमन मेडमन तथा जान डिवी शिग्गा शास्त्री भी इस विचारधारा के समर्थक थे। इनका विचार यह कि बालक मूलत सात्त्विक प्रहृति का होता है और स्वतंत्र व स्वाभाविक विकास द्वारा उगम अनुशासन स्वत ही उत्पन्न हो जाता है।

उपरोक्त अनुशासन के विभिन्न स्वरूपों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दमनात्मक स्वरूप तो पूणतय अनुचित है तथा मुक्तात्मक स्वरूप भी बालक की अपरिपक्व स्थिति को देखत हुए एक मात्र साधन नही माना जा सकता। यी पी नन का यह कथन सत्य है—‘बालक को आरम्भ से ही पूण स्वतंत्रता नही जा सकती। जब तब वह अपन परा पर खड़ा होने की योग्यता नही प्राप्त कर लेता, वह स्वतंत्रता का उपयोग नही कर सकता। बालक का अपनी जिम्मारी पर छोड़ देना उसका हित करना नही बल्कि अहित करना है। सामाजिक सत्याएँ इसी लिए बनी हैं कि उनके द्वारा व्यक्ति का शिक्षण हो और वह इन प्रकार दूसरा की सहायता से आत्म नियन्त्रण की शक्ति प्राप्त करे।’ अनुशासन का यही रूप श्रेष्ठ है और श्रेष्ठत्व है। यह एस एम मायुर ने कहा है—“अनुशासन का नवीन इष्टिकोण स्वानुशासन (Self discipline) के रूप म है और इसकी मुख्य विशेषता है जात्म-नियन्त्रण (Self Control) नवीन विचार भी विद्यालय मे व्यवस्था की महत्ता को महत्ता को प्रधानता देती है। अतर केवल यह है कि वहा व्यवस्था तथा अनुशासन बालक की सजनात्मक कियाइ की उपज है। यह विश्वास किया जाता है कि यदि बालक का जात्म-प्रकासन के अवसर मिल जाये तो वे स्वानुशासन तथा जात्म-नियन्त्रण सीख ले गे और उनमे उचित वतियों तथा आदतों का निर्माण हो जायगा जो व्यवस्था तथा अनुशासन के लिए गुणकारी सिद्ध होगी।’

अनुशासनहीनता के कारण एव उनके निराकरण हेतु सुझाव—
विद्यानय अनुशासन को बनाये रखन हेतु अनुशासनहीनता के बारणा का सक्षेप म देव लेना उनके निराकरण हेतु उचित रहेगा। ये बारण निम्नावित है—

- (1) आर्थिक कठिनाइया—माता पिता जबका अभिभावक की निवनता और आर्थिक कठिनाइया के बारण बालको की उचित शिक्षा व्यवस्था नही हो पाती तथा उन के लिये आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त करने म कठिनाई होती है। फनत छात्रा में असत्ताप व अनुशासनहीनता उत्पन्न हो जाती है।

- (2) अगिक्षित अभिभावक — देश में अधिकारी अभिभावक निरसार या अगिक्षित है। अत वे बालकों की शिक्षा पर उचित ध्यान नहीं दे पाते हैं जिसके कारण शिक्षकों को अभिभावकों का सहयोग नहीं मिल पाता और छात्रों में अनुशासन-हीनता व अवाधित व्यवहार का निराकरण नहीं हो पाता।
- (3) समाज में व्याप्त अनुशासनहीनता — आज समाज में भ्रष्टाचार एवं अनैति-कर्ता व्यपत है जिसका प्रभाव बालकों के अनुशासनहीन व्यवहार में परिलिपित होता है। अनेक राजनीतिक पार्टियां विद्यार्थियों का उपयोग अपने स्वार्थों की पूर्ति में करती हैं।
- (4) सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन — पाठ्यकालीन प्रभाव के कारण भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का विषटन नहीं रहा है तथा सामाजिक मूल्यों में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है। इसके कलस्वरूप कुसमायोजन के कारण छात्रों में अनुशासनहीनता उत्तम होती है।
- (5) असुरक्षित भविष्य — शिक्षित वेरोजगारी के कारण छात्रों को अपना भविष्य असुरक्षित लगता है। यह असुरक्षा की भावना अध्ययन में अरुचि एवं अनुशासनहीनता की अभिवृत्ति पैदा करती है।
- (6) अपोग्य अध्यापक — अधिकारी अध्यापक अपोग्य होने के कारण बालकों में असफल रहते हैं तथा अपने अध्ययन के प्रति रुचि एवं उत्साह जागृत करने में असफल रहते हैं। यह अपोग्य अध्यापक अनुद्दल प्रभाव छात्रों पर नहीं डालते।
- (7) दोषपूरण शिक्षा प्रणाली — बनमान शिक्षा प्रणाली पुस्तकीय तथा अन्यवहारीकृत रुचि है। विद्यार्थियों का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना ही रह गया है जिसके बारण परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग सम्बंधी अनुशासनहीनता पनपती है। अत शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक व्यावसायासुर तथा विचार प्रेरक बनाया जाना चाहिए।
- (8) पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का अभाव — बालकों के व्यक्तिगत प्रभावों की विकास वाली विकास हेतु पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में अनुद्दल प्रभाव द्यात्र वा भाग लेना बाध्यनीय है। विद्यालयों में प्रायः इन क्रियाओं की उपचित व्यवस्था नहीं चोरी जाती। अत इस और ध्यान दना प्रायः व्यक्ति-व्यवस्था का अनुपुत्त पाठ्यक्रम एवं गिरिजा विधियों — प्रायः शास्त्रों में दृष्टि द्यने के लिए वाले देते हैं तथा जिशा विधियों पर निराग देते हैं। इस और ध्यान दना प्रायः व्यक्ति-व्यवस्था का अनुपुत्त पाठ्यक्रम एवं गिरिजा विधियों पर निराग देते हैं। इस और ध्यान दना प्रायः व्यक्ति-व्यवस्था का अनुपुत्त पाठ्यक्रम एवं गिरिजा विधियों पर निराग देते हैं।

रुचि लेकर अनुशासनहीन व्यवहार में प्रवृत्त न हो सकें।

- (10) धार्मिक व नैतिक शिक्षा का अभाव – विद्यालय के सौहार्षपूर्ण बातावरण, शिक्षकों के अनुकरणीय व्यवहार तथा प्रत्यक्ष विधिया द्वारा धर्मनिरपेक्ष ननिक शिक्षा द्वारा बालकों में चारित्रिक एवं नागरिक गुणों का विकास किया जाना अपेक्षित है। इस आर विद्यालयों में प्राय ध्यान नहीं दिया जाता। वक्षाध्यापक का दायित्व इस ट्रिटि से महत्वपूर्ण है। प्राय ना सभा, प्रबचन, धार्मिक पर्वों एवं महा पुरुषों की जयतियों का जायोजन आदि प्रबतियाँ इस दिशा में अधिक सहाय्यक सिद्ध ही सकती हैं।
- (11) नोपपूर्ण परीक्षा प्रणाली – केवल वार्षिक परीक्षा पर ही अधिक बल दना परीक्षा प्रणाली को प्रभावहीन बना रहा है। परीक्षा-सुधार की ट्रिटि में 'मनव रत मूल्याकान योजना' का अपनाया जाना नितात आवश्यक है जिससे कि सत्र-पर्य त छात्र अपन अध्ययन के प्रति रुचि एवं अवधान बनाय रख सकता है। परीक्षा प्रदन पत्रों को वस्तुनिष्ठ और उद्देश्यानुरित बनाया जाना बाढ़नीय है ताकि परीक्षा काय में बदला और विश्वसनीयता के साथ व्यावहारिकता का भी समावेश हो सके।

अनुशासनहीनता के उपरोक्त प्रमुख कारणों के अतिरिक्त भी आय कुछ कारण हो सकते हैं जिहें विद्यालय अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार खोज कर चनका निदान एवं उपचार कर सकते हैं।

कक्षानुशासन

विद्यालय अनुशासन का क्षेत्र अत्यात विस्तृत है। इसके अतार्गत कक्षा-कक्ष, विद्यालय-प्रामण, खेल के मैदान, पुस्तकालय, विभिन्न क्रियाकलाप, समाज-सेवा आदि में छात्रों का व्यवस्थित एवं उत्तरदायित्वपूर्ण वह व्यवहार होता है जो स्वानुशासन भावना से प्रेरित हो। इन सभी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को स्वशासन का भार सौंपना चाहिए। इसके लिए सम्बद्धि धर्म की एक-एक समिति होनी चाहिए जिसके सदस्य अध्यक्ष, सचिव जाति छात्र-अधिकारी छात्रों द्वारा निर्वाचित होने चाहिए तथा निर्धारित नियमात्मक प्रभारी शिक्षक के निर्देशन के अंतर्गत प्रत्यक्ष समिति वो उह सौंपा गया काय सवादित करना चाहिए। स्वानुशासन की जाधारभूत इकाई कक्षा को माना जा सकता है। कक्षानुशासन का दायित्व कक्षाध्यापक (Class teacher) का होता है। अत वक्षाध्यापक के सामाजिक कर्तव्य एवं दायित्वों से अवगत होना बाध्यनीय है।

कक्षाध्यापक के कर्तव्य और दायित्व

सामाजिक प्रत्यक्ष अध्यापक को कक्षाध्यापक का उत्तरदायित्व निभाना होता है। कक्षाध्यापक प्रायः उसे कहा जाता है जिसे किसी कक्षा की उपस्थिति अकल, बन्धानुशासन, छात्रों की प्रगति का लेखा जोखा रखने, मुक्त वसूल करने आदि का दायित्व सौंग जाता है। इसके अतिरिक्त विषय शिक्षक के सभी काय बरने ही होते हैं। राजस्थान एज्यूकेशन कोड (Education code) में कक्षाध्यापक से जो अपेक्षाएँ की गई हैं उन्हें मर्गेप में निम्नांकित रूप में दिया जा रहा है —

- (1) बालकों पर व्यक्तिगत अवधान — कक्षाध्यापक वो अपनी कक्षा के प्रत्येक बालक की प्रगति व अनुशासन पर व्यक्तिगत ध्यान रखना होता है। अभिभावकों से सम्पर्क कर इस प्रगति से उह अवगत कराने का दायित्व भी उसी दा होता है।
- (2) बालकों की सर्वोत्तमुत्तमी प्रगति पर हृष्टि — प्रत्यक्ष बालक की शारीरिक मानसिक, नैतिक, धैर्यिक, सामाजिक व सास्कृतिक प्रगति पर रखते हुए उह उचित परामर्श व निर्देशन देना उसका करन्य है।
- (3) पिछड़ व प्रतिभावान बालकों पर विशेष ध्यान रखना — कक्षाध्यापक वा विशेष दायित्व है।
- (4) पाठ्यक्रम सहगामी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन — छात्रों की रुचि एवं क्षमता के माध्यार पर देना उसका वतन्य है।
- (5) कठिनाई व आवश्यकता पड़ने पर अभिभावको से सहयोग लेने वी अपेक्षा उससे भी जाती है।
- (6) छात्रों की अपनी कठिनाइया रखने हेतु प्रोत्साहन देना भी उसका दायित्व है।
- (7) छात्रों को दिये जाने वाले गृहकाय में समन्वय कक्षाध्यापक वो ही बरना चाहिए ताकि विषयाध्यापक छात्र वी क्षमता एवं रुचि के अनुकूल ही गह-बाय दे सकें। यह काय उस कक्षा के सभी विषयाध्यापकों वी सहमति से गृह बाय का समय विभाग-चक्र बना बर बरना चाहिए।
- (8) गृहकार्य न करने वाले छात्रों को अतिरिक्त समय की व्यवस्था बरना बाय-ध्यापक वा बाय है।
- (9) अनुशासनहीन तथा नैतिक अपराधों को प्रधानाध्यापक तक पहुचाना बाय-ध्यापक वा दायित्व है।
- (10) कक्षा की उपस्थिति वा नियमित तथा समय पर अकल भी उसे ही बरा होता है।

- (11) छात्र प्रगति पत्रों की पूर्ति कर अभिभावकों को भेजने वा यारस मगाने वा काय उसे ही करना होता है।
- (12) विद्यालय शुल्क की कक्षाएँ छात्रों से समय पर बमूलों उसे ही बरनी हानी है।
- (13) छात्रवत्ति पात्रता से दिलाने में योगदान क्षाध्यापक वा ही होता है।
- (14) प्रधानाध्यापक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निष्पक्ष भाव से उपयोग करने की अपेक्षा कक्षाध्यापक से बीजाती है।
- (15) दोषहर के भोजन की व्यवस्था कक्षाध्यापक वा ही बरनी चाहिए।
- (16) छात्रों के बैठने की स्वस्थ एवं संतोषजनक व्यवस्था क्षाध्यापक वा ही करनी पड़ती है।
- (17) छात्रों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था कक्षाध्यापक वा अभिभावकों से सर्व पर करनी चाहिए।
- (18) छात्रों को स्विचारण्य अपनाने के लिए प्रोत्साहन उस देना चाहिए।
- (19) छात्रों में नतिक मूल्य वैयक्तिक और सामाजिक स्वास्थ्य की आदतों का विकास बरना कक्षाध्यापक वा करना है।
- (20) छात्रों में आत्मविश्वास के विकास की अपेक्षा उससे बीजाती है।

प्राथमिक विद्यालय में तो प्राय अध्यापक वा कक्षा 1 से 5 तक वी सभी कक्षाएँ पढ़ानी पड़ती हैं, अत उस किसी कक्षा के कक्षाध्यापक वे दायित्व निभाने में कठिनाई नहीं होती। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जिस कक्षा के कक्षाध्यापक वा दायित्व निभाना होता है, उसमें किसी विषय का अध्यापन काय अवश्य निया जाना चाहिए। एकल अध्यापकीय शालामारा (Single teacher school) में एक ही अध्यापक वो विषयाध्यक्ष कक्षाध्यापक व प्रधानाध्यापक तोनों का दायित्व निभाना होता है। कक्षाध्यापक अपने दायित्व वी भी भानि जब ही निभा सकता है जबकि वह अभिभावक वी भानि छात्रों से स्नेह व सहानुभूति रखे। एकल अध्यापकीय शाला में मानोटिरिंग व्यवस्था एवं छात्रों के बठों वी प्रवस्था म हेर-फेर करना अत्यात महत्वपूरा है क्योंकि य विद्यालय अनु-शासन में सहायक होत है।

एक अध्यापकीय विद्यालय में मानोटिरिंग व्यवस्था

एक अध्यापकीय शाला में एक ही अध्यापक वो कक्षा 1 से 5 तक की सभी कक्षामारा की व्यवस्था करने तथा प्रत्यक्ष छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देने वी टॉपिं से उसे प्रयक्ष कक्षा म योग्य छाना वो मानोटर तथा सहायक मानोटर नियुक्त कर उह कक्षा

के कुछ उत्तरदायित्व सोंपना चाहिए। मॉनीटर यदि निर्वाचित हो तो उचित रहेगा अथवा योग्य छात्रों को चुन कर उहे नियुक्त करना चाहिए। ऐसे छात्र पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि के हाने चाहिए तथा उनमें निष्पक्ष भाव से कक्षा को अनुशासित रखने की क्षमता भी हानी चाहिए।

ऐसी शालाओं में एक ही अध्यापक को कक्षा 1 से 5 तक वी सभी कक्षाओं को पढ़ाना पड़ता है जितु एक समय एक कक्षा से अधिक कक्षाओं को पढ़ाना उसके लिए अनम्भव होता है अत एक अधानापकीय शाला का समय विभाग चक्र इस प्रकार बनाया जाना है कि जिस कालाश में अध्यापक एक कक्षा को पढ़ाता है तो उस कालाश में जब कक्षाओं को मानीटर के परिवेक्षण में अब काय में व्यस्त रखा जाता है जैसे— मुलेख, नकल गिनती बोलना, पीटी पठन, सेल, कार्यानुभव आदि। इस प्रकार के समय-विभाग-चक्र का नमूना पिछले जन्म्याय में दिया गया है। कुशाग्र बुद्धि वा छात्र जो मानीटर होता है, वह इन कार्यों में कक्षा को व्यस्त एव व्यवस्थित रखता है। इसके अतिरिक्त क्षमाध्यापक के कुछ काय भी मॉनीटर कर सकता है जैसे उपस्थिति अक्षन, शुल्क वसूली, प्रगति पत्र वितरण, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, प्रार्थना-सभा के श्रायों जन में सहायता देना, सफाई का निरीक्षण करना, उद्घाटन कार्य पर नियश्रण रखना, दमजोर व पिछड़े छात्रों को सहायता देना गृह-काय सशोधन करना आदि। इस प्रबार मानीटर व्यवस्था एव अध्यापकीय शालाओं में काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

छात्रों के बैठने की व्यवस्था के अनुसार हेर-फेर

अनुशासन की दृष्टि से कक्षा में छात्रों के बैठने की व्यवस्था तथा विभिन्न विद्यालयों के अनुसार बैठक व्यवस्था में हेर-फेर करना विशेष महत्व रखता है। विदेषत एव अध्यापकीय शालाओं में कक्षा 1 व 2 की अविभक्त इकाई वी कक्षाओं में बैठक-व्यवस्था में हेर-फेर करना समर्पित होता है। बैठक व्यवस्था के सम्बन्ध मन्मार्गिन विदु ध्यातव्य है—

- (1) छात्रों को अध्यापक के समक्ष सीधी व समानांतर पत्तिया में इस प्रबार बैठाया जाय जि वे अध्यापक वी कियाये तथा इयामपट्ट वर टीक प्रकार से देन व सुन सकें।
- (2) बैठक-व्यवस्था इस प्रबार हो जि वे आते जाते समय असुविधा वा अनुभव न पर सकें। इसके लिए प्रत्यक्ष छात्र से आसपास पर्याप्त स्थान छाड़ा जाना चाहिए।

- (3) छात्रों को उनके बद के अनुसार बैठाया जाये। छोटे छात्र तथा हृष्टिदीप व कभी सुनने वाले छात्रों को अगली पक्कि में तथा लम्बे बद वाले पिछली पत्तिमें
- (4) कक्षा में फर्नीचर (आसन कुर्सी, स्टूल, बैच, टेस्क आदि) छात्रों के आयु की के अनुकूल हो ताकि छात्रों में खलत आसन (Postures) से बैठने के बारण शारीरिक दोष उत्पन्न न हो।
- (5) बैठक व्यवस्था में हेर फेर निम्नांकित परिस्थितियों में विद्या जाना चाहनीय है - प्रायोगिक कार्य करते समय, घाद विवाद, अत्याक्षरी, श्रुतिलेख, साधिक परीक्षा (Test) या परीक्षा प्रोजेक्टर या एपीडायस्कोप द्वारा प्रदशनीय वस्तुओं (फ़िल्म, फ़िल्मस्ट्रिप चित्र, स्लाइड आदि) का प्रथेपण रेडियो या टी बी क प्रसारण तथा मौसम (सर्दी गर्मी-वरसात) के समय बैठक-व्यवस्था में अनुबूल हेर फेर आवश्यक होता है।
- (6) श्याम पट्ट की स्थिति के सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दु ध्यान में रखे जाने चाहिए
 (क) श्यामपट्ट की स्थिति ऐसी हो जहाँ छात्र उसे सुविधापूर्वक देख सके,
 (ख) श्यामपट्ट पर पर्याप्त प्रकाश हो जिन्हें उस पर प्रकाश के परावतन के कारण चकाचौंध उत्पन्न न हो, (ग) श्यामपट्ट लेख सुपाठ्य व सुन्दर हो,
 (घ) लिखते समय कक्षानुशासन पर हृष्टि रखी जाये, (ङ) उसका अनावश्यक प्रयोग न विद्या जाये।

स्वानुशासन के विकास में सहायक प्रवृत्तियाँ

स्वानुशासन ही वास्तविक अनुशासन है। अत वक्षा-कक्ष के प्रतिरिक्त धर्य प्रवृत्तियों या क्रियाकलापों के माध्यम से छात्रों में स्वानुशासन का विकास दिया जा सकता है। कुछ प्रवृत्तियाँ स्वानुशासन में विशेष सहायक हो सकती हैं। ये प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं

(1) विद्यालय-संसद या छात्र-परिषद् (2) विभिन्न क्रियाकलापों (सेलेक्यूल, सास्कृतिक धार्यक्रम सफाई आदि) की समुचित व्यवस्था हतु अध्यापक के निदेशन में निम्न समितियों के कार्य (3) राष्ट्रीय व सास्कृतिक पब्लिक का आयोजन (4) समाज-सेवा या अमदान की क्रियाएँ (5) खेल बूद प्रतियोगिताएँ, (6) अमण्ड व शैक्षिक यात्राएँ, (7) नाटक व एवाजी का अभिनय आदि।

उपरोक्त क्रियाकलापों द्वारा स्वानुशासन का विकास छात्रों का काई उत्तरदायित्व मौजूद ही सम्भव है पाता है। 'शैक्षिक एव माध्यमिक शिक्षानुय व्यवस्था' प्रय में गड एव जमा ने कहा है - 'स्वामान तभी सफल हो सकता है। जब हमें विश्वास है और साय ही साय हम यह अनुभव करते हैं कि विद्यार्थियों में भी जिम्मदारियों की

निभाने की धर्मता है। यदि हम इस विश्वास के साथ काये नहीं करते हैं तो हम विद्यार्थियों को जनतन्त्रीय जीवन का अस्यास नहीं करा सकते। स्वनुशासन स्कूल में सामूहिक जीवन को सुदर बनाने के लिए बहुत महत्व रखता है और अनुशासन की हाईट से इसका बहुत महत्व है।”

पुरस्कार एवं दण्ड अनुशासन के साधन के रूप में

विद्यालय में अनुशासन बनाये रखने और अनुशासनहीनता को दूर करने के दो साधन या उपाय हो सकते हैं —

- (क) सकारात्मक उपाय — ये हैं जिनसे छात्रों में अनुशासित रहने अथवा स्वानुशासन की भावना जागृत होती है। इन उपायों में विद्यार्थी परियद् कक्षा समितियां, विभिन्न विषय परियद्, मॉनीटर या श्रीपैक्ट पद्धति, हाउस पद्धति (House-system) शिक्षक अभिभावक परियद्, सेल कूद, पाठ्यरम-सहगामी क्रियाएं, विद्यालय प्रबन्ध में छात्रों का सहयोग, नैतिक शिक्षा तथा पुरस्कार प्रमुख हैं।
- (ख) नकारात्मक उपाय — ये हैं जिनके द्वारा छात्रों को अनुशासनहीनता के कायों से रोका जा सकता है। इनका आचार भय, आतंक, शक्ति तथा सामाजिक निर्दा होता है। इनमें प्रमुख हैं — निर्दा, धमकाना, सामाजिक बहिष्कार, पद घुट करना, शाला समय के पश्चात रोक कर काय करवाना, शारीरिक दण्ड, आर्थिक दण्ड (जुमानी घरना), दूसरों के सामने लजिजत बरना आदि।

पुरस्कार — पुरस्कार की आवश्यकता एवं महत्व प्रकट करते हुए डा एस एस मायुर दा वा कथन है — “शिक्षा में पुरस्कार भी एक शक्तिशाली प्रेरक माना जाता है। यह समझा जाता है कि पुरस्कार मिलने से विद्यार्थी को अधिक सीखने की प्रेरणा मिलती है यदि विद्यार्थी अच्छा व्यवहार करता है या अनुशासित रहता है और इसके लिए जब उसे पुरस्कार मिलता है तो वह और अच्छे व्यवहार की प्रेरणा प्रहरण कर लेता है। इस प्रकार पुरस्कारों का महत्व अनुशासन रखने में बहुत अधिक है।” किन्तु कभी कभी पुरस्कार देना हानिकारक भी होता है। ऐसी स्थिति तब होती है जब यह दूसरे बालकों में होप की भावना उत्पन्न हो, जब पुरस्कार प्राप्त करना ही बालकों का लक्ष्य बन जाय और वे बनावटी रूप से उसे प्राप्त करने की चेष्टा करे तथा जब पुरस्कार न प्राप्त करने वाले छात्रों में उदासीनता व अच्छे कायों के प्रति दृष्टि व उपेक्षा वा भाव उत्तरन हो जाय।

अतः पुरस्कार प्रदान करते समय निम्नान्वित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए —

- (1) पुरस्कार हिस्सी विद्येय काय वे लिये देने वे स्थान पर सभी दायों वा सब भर

मूल्याकन वरने के पश्चात् दिया जाये ।

- (2) व्यक्तिगत रूप की अपेक्षा सामूहिक रूप से (वक्षा या टीम या हाउस) पुरस्कार दिया जाना श्रेयस्कर होता है ।
- (3) पुरस्कार समय पर तत्काल दिया जाये । विसम्बव बार दन में उम्मा महत्व न हो जाता है ।
- (4) पुरस्कारों की सत्या अधिक न हो । सासांग वार्षों के लिये पुरस्कार न दिये जाये ।
- (5) पुरस्कार पदाय के रूप में देने की अपेक्षा प्रशंसा या सराहना के प्रमाण पत्र के रूप में दिया जाना उचित है ।

दण्ड —दण्ड अनुशासन का नवारात्मक साधन है । आमाराम शर्मा ने अपनी पुस्तक “विद्यालय सगठन” में कहा है—“शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट पहुँचाकर दण्ड दन का उद्देश्य है बालकों को अनुचित और अवाल्यनीय काय बरने से रोकना तथा दूसरे छात्रों को यह अनुभव बराना है कि इस प्रवार के अनुचित वार्ष बरन पर विस प्रवार अपमान अथवा दुःख सहन करना पड़ता है । यद्यपि दण्ड देने की परपरा विद्यालयों में प्राचीन बाल से चली आ रही है तथापि भावुनिक युग में बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से अनेक शिक्षा शास्त्री इसका विरोध करते हैं । इनका बहना है कि दण्ड द्वारा स्थापित अनुशासन अस्थायी होता है इससे बालकों में विद्रोह एवं असत्ताप की भावना उत्तर होती है दण्ड का दुष्प्रभाव केवल शरीर तक ही सीमित न रहकर मस्तिष्क का भी विहृत बर देता है, दण्ड के बरए छात्रों में स्कूल से भागने की प्रवृत्ति पदा होती है इससे अपब्यंग एवं अवरोधन की समस्या विपर्म हो जाती है तथा बारक निष्पत्त हो जाते हैं ।

अत दण्ड देते समय निम्नाकित सावधानिया रखनी जाहिए ।

- (1) दण्ड बालकों की आयु शारीरिक अवस्था, बुद्धि स्वभाव आदि को दृष्टिगत रखते हुए दिया जाना चाहिए ।
- (2) दण्ड अपराध के अनुकूल तथा उसके अनुपात में देना चाहिए ।
- (3) दण्ड देने के पूर्व अपराध के कारणों की पूरी जानकारी प्राप्त कर तथा चेतावनी देने के पश्चात् ही दिया जाना चाहिए ।
- (4) दण्ड देने में कोई पशपात नहीं करना चाहिए ।
- (5) दण्ड केवल सुधार करने के उद्देश्य से दिया जाना चाहिए ।

(6) इसका उपभोग आवश्यकतानुसार बहुत कम अवसरों पर व कम मात्रा में दिया जाना चाहिए।

(7) दण्ड देते समय अभिभावक का सहयोग भी लेना चाहिए।

(8) दण्ड का नियम छात्रों की निर्मित "अनुशासन समिति" द्वारा किया जाये तो स्वा नुशासन विकसित होता है।

दण्ड देने सम्बंधी विभागीय नियम शिक्षा संहिता (Education Code) में दिये हुए हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए।

उपसहारा —

विद्यारथ-अनुशासन के उपरोक्त विवेचन से इस निष्पत्ति पर पहुंचा जा सकता है कि विद्यालय के मुचाई रूप से सचालन य शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यालय के छात्रों, शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों में स्वानुशासन की भावना को विकसित करने की चेतावना अत्यन्त आवश्यक है। प्रधानाध्यापक विद्यालय अनुशासन एवं विद्यालय में अनुकूल वातावरण बनाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। वह विद्यालय के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण को आवश्यक बना सकता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित "दस वर्षीय स्कूल शिक्षात्रम्" (Curriculum for the Ten Year School) में विद्यालय-वातावरण के सदर्भ में कहा गया है—“प्रधानाध्यापक विद्यालय वातावरण को आवश्यक बनाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। इस वातावरण के दो तत्व होते हैं—भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक शाला भवन सामाजिक होते हुए भी उसे आवश्यक बनाया जा सकता है। विद्यालय का मनोवैज्ञानिक वातावरण वालक तथा अभिभावक के लिये आवश्यक होना चाहिए जिससे कि विद्यालय के प्रति शाता परिवार के सभी सदस्यों में अपनत्व की भावना विकसित हो सके। प्रधानाध्यापक, शिक्षक छात्र एवं अभिभावक में पूर्ण सदभाव होना चाहिए।” इस प्रकार विद्यालय के अनुकूल वातावरण से विद्यालय अनुशासन को बनाये रखने में पर्याप्त सहायता मिलती है।

मूल्यांकन (Evaluation)

(अ) लघुत्तरात्मक प्रश्न - (Short Answer type Questions)

- 1 छात्रों में अनुशासन बढ़ाने के लिए पांच उपाय लिखिये। (बी एड 1985)
- 2 विद्यालय में अनुशासन सुधारने हेतु पांच क्रियाएं लिखिये। (बी एड, 1984)

3. आपकी वक्ता से भाग जाने वाले छात्रों के सम्बन्ध में आप पर्याय अनुशासनिक उत्तर अपनाये दें ? (बी एड 1979)
4. पुस्तकार और दण्ड विद्यालय के व्यवहार में सुधार हेतु बिम प्रसार लाभारप्त है?
5. स्वानुशासन के विकास हेतु कौन सी सोनसी सहायता प्रवृत्तियाँ आयोजन करनी चाहीए।
6. विद्यालय में शारीरिक दण्ड के विरोध में पाठ्य तथा प्रश्नात्मक पर्याय हैं।
7. स्वशासन से क्या तात्पर्य है ? स्वशासन स्थिति प्रबार पा हो गवता है ?

(द) निवारणीक प्रश्न— (essay type Questions)

1. छात्र अनुशासनहीनता के क्या प्रभय हैं ? निवारणीक प्रश्न में छात्र अनुशासनहीनता कम करने के सुझाव दीजिए। (बी एड 1984)
2. अनुशासन की प्राचीन एवं नवीन धरणों के व्यवधारणापाठ में भातर बताइये। विद्यालय प्रश्न तिथों द्वारा इसे कैसे विवरित किया जा गवता है। (बी एड पत्राचार 1984)
3. हमारे विद्यालय में छात्रों में स्वानुशासन का विवाह परत के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव दीजिये। (बी एड 1982)
4. "हमारे स्कूलों में अधिकांशत छात्रों में आरम्भ-अनुशासन अर्थात् अनुशासनपूर्ण व्यवहार का अभाव पाया जाता है। यहाँ अनुशासन वा मात्र प्रदर्शन ही होता है।" इस वर्धन की व्याख्या करें अनुशासन स्थानित वरन वे सवाराम्भ के नवारात्मक साधन के प्रस्तुत में व्याख्या दीजिए।
5. दण्ड देते समय किन-किन बातों को ध्यान में रखा चाहिए ? दण्ड देने के मिट्टीवां का उत्तेज कीजिये।

विद्यालय के भौतिक संसाधन (Building & equipment)

[विषय प्रवेश, विद्यालय के भौतिक संसाधन (1) विद्यालय की स्थिति, विद्यालय भवन, (3) फर्नीचर, (4) प्रयोगशाला, (5) पुस्तकालय एवं वाचनालय, (6) कार्यालय, (7) खेल के मैदान, (8) शिक्षण सहायक सामग्री, (9) अन्य संसाधन विद्यालय के मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का प्रभावी सम्बन्ध एवं सचालन उपस्थार, परीक्षोपयोगी प्रश्न]

विषय प्रवेश —

विद्यालय के मानसिक संसाधनों वा महत्व एवं उनके अतः सम्बन्धों से हम पूर्व अध्याय में अवगत हो चुके हैं। विद्यालय के ये मानवीय संसाधन—प्रधानाध्यापक, अध्यापक विद्यार्थी, अन्य कमचारी एवं अभिभावक यद्यपि विद्यालय के शैक्षिक उद्देश्यों वी पूर्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा ये विद्यालय के भौतिक संसाधनों के अभाव में ये मानवीय संसाधन स्वयं को जसहाय, असमय एवं निष्प्रभावी समझते हैं। विद्यालय के भौतिक संसाधन — भवन, खेल के मैदान, पुस्तकालय-वाचनालय, कार्यालय, शिक्षण-सहायक सामग्री आदि—ही विद्यालय में वे सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं तथा वह वातावरण निर्मित करते हैं जिनके माध्यम से मानवीय संसाधन नियाशील एवं प्रभावी होते हैं। विनायनतम आवश्यक भौतिक संसाधनों के विद्यालय के शैक्षिक एवं सह-शास्त्रिक क्रियाकलाप सुचारू रूप से सम्पन्न नहीं हो सकते। प्रस्तुत अध्याय में इही आवश्यक भौतिक संसाधनों का विवेचन किया जायेगा।

विद्यालय के भौतिक संसाधन

विद्यालय की स्थिति —

विद्यालय की स्थिति से तात्पर्य विद्यालय भवन हेतु उपयुक्त स्थल, भूमि एवं वातावरण के चुनाव से है। शिक्षाविद् विलियम यिगर (William Yeager) का वचन है— “समस्त शैक्षणिक कार्यशाला में आकर्षक वातावरण को अपेक्षा अन्य कार्य स्थल इतना प्रभावी नहीं होता जो विद्यालयों में सहकारिता की अभिवृत्ति तथा विद्यालय के प्रति प्रेम विकसित कर सके।” विद्यालय की स्थिति वह अनुकूल वातावरण प्रस्तुत परता है जिसमें शिद्धार्थ तथा शिक्षण-शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सुविधापूर्वक संलग्न रह सकते हैं।

"ज्ञानिक एवं माध्यमिक शिक्षात्मय स्वास्थ्या" प्रथ में छो एन गैंड तथा भारपी शर्मा ने विद्यालय भवन की स्थिति के विषय में अपना मत प्रबढ़ करते हुए कहा है —
 "स्कूल की इमारत के लिए जगह चुनते समय यह स्थान रखा जाये कि जिन परिस्थितियों में बालकों को भौतिक सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो सकती हैं और स्कूल में स्वास्थ्य की हालियाँ से जच्छा वातावरण प्रस्तुत किया जा सकता है।' अतः विद्यालय-भवन के लिए उपयुक्त स्थान एवं भूमि के चुनाव हेतु आवश्यक बातों को हालियत रखना आवश्यक है।

विद्यालय-भवन की स्थिति के चुनाव हेतु स्थानव्य विदु य विदु निम्नांकित हैं —

- (1) स्थान — विद्यालय भवन का स्थान गौव या नगर की जावादी से कुछ दूर हटकर होना चाहिए जो बच्चों के लिये आने जाने में दूर भी न हो तथा जिस पर जावादी के कोलाहल, शोरगुल तथा प्रदूषण (पूल, पुएं, गदगी आदि) का दृष्टप्रभाव भी न पड़े।
- (2) स्वास्थ्यप्रद और आकपक पर्यावरण — भवन स्थल ऐसे स्थान पर ही जहा शुद्ध वायु प्रकाश एवं जल उपलब्ध हो सके तथा उसका निकटवर्ती पर्यावरण हरे भरे वृक्षों एवं मनोहारी प्राकृतिक दृश्य में भारण आकपक एवं स्वास्थ्यप्रद हो।
- (3) भूमि — शाला-भवन के स्थान की भूमि क्षारीय, नम, दलदलीय, वालूमय पोली तथा गर्दे नदी नाले के पास न हो। भूमि ऊँची हो जहाँ दर्पा का पानी न खट्टा हो। भूमि उपजाऊ तथा दीमक जसे किटाणुयां से रहित हो ताकि विद्यालय बाटिका या छृष्टि उद्योग के काय में बाधा न पहुँचे। भूमि समतल हो ताकि भवन व खेल के मैदान बनाने में असुविधा न हो।
- (4) क्षेत्रफल — भूमि का क्षेत्रफल शाला-भवन आवास खेल के भदान, बाटिका छृष्टि काय मूलालय शोचालय प्रयोगशाला वायशाला(Workshop) जादि वा प्राधान करने के लिए पर्याप्त हो। यथा सम्भव भविष्य में द्याव-सूखा में बढ़ि के भारण भवन विस्तार की सम्भावनाओं की पूर्ति करने हेतु भी उस भूमि में प्रावधान रखा जाना चाहिए।
- (5) दुर्घटना से सुरक्षित — शाला भवन हेतु भूमि सड़क के पास तो हो जिससे द्यात्रों के आवागमन में सुविधा हो किन्तु वह इतना समीप न हो कि सड़क के

यांत्रियाते के शोरेंगुल से प्रभावित रहे तोथा सड़के दुष्टनाओं की आशका बनी रहे। दुष्टनाओं से मुक्ता की हार्टि से इस भूमि के पास कोई नदी, नाला, रेल की पटरी, खुलां कुंभा, बाबड़ी, जलनशील सूखीधास, सकड़ी की टाल आदि न हाँ।

- (6) अवांछनीय स्थलों से दूरी — शाला भवन की भूमि के निकट असामाजिक और अवाद्यनीय स्थल जैसे — धर्मशाल भूमि, कविस्तोन, जुआधर भद्रितय, सिनेमागृह, फैक्ट्रियों, मिल, आदि न हों।
- (7), जल — शाला भूमि के निकट शुद्ध और मीठे जल को स्तोर्त हों जो सुरक्षित हो। रेगिस्टरी क्षेत्रों में शाला प्रणयणों में ढको हुए जल-भण्डार हेतु टाका होना आवश्यक है।

[2] विद्यालय भवन

विद्यालय हेतु उपयुक्त स्थलों के चुनावों के पश्चात् वहां शिक्षा स्तर (प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर) के अनुकूल ऐसी शाला भवन के निर्माण की आवश्यकता है जो उपयुक्त हो। वर्तमान में शाला भवनों की स्थिति के सादम में कोठारी गिर्का आयोग के शब्द उल्लेखनीय है — ‘स्कूली इमारतों की वर्तमान अवस्था अति असंतोषजनक है। प्राथमिक स्तर पर केवल 30 प्रतिशत स्कूलों के लिए सातोप्रद भवनों की व्यवस्था होना कहाँ जाता है।’ राजस्थान में अधिवाश प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों की स्थिति असंतोषजनक है। मानीए क्षेत्रों में भूपे था द्विप्पर बाले एक बमरे पर तथा नगरीय क्षेत्रों में किराये के अनुपयुक्त पुराने व जर्जर भवनों में अनेक विद्यालय चन रहे हैं जो शिक्षा स्तर एवं द्यात्रों व अभिभावकों के मनोवैज्ञानिक लिए उत्तरदायी हैं। भ्रत विद्यालय भवन के निर्माण हेतु उपयुक्त योजना बनाई जाना बाध्यनीय है जो न्यूनतम प्राधिकारिकों की पूर्ति करे तथा जिससे भवन निर्माण को लागत भी कम आये।

विद्यालय भवन निर्माण सम्बन्धी ईयातव्य विन्दु निर्मार्दित हैं —


- (1) भवन निर्माण वे पूर्व किसी योग्य इंजीनियर तथा कला विशेषज्ञ (Architect) की सलाह से भवन का मानचित्र (Blue Print) बनाया जाना आवश्यक है। भवन की संरगत कम साने की हार्टि से कोठारी शिक्षा आयोग ने रुदकी के “इंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान” तथा “भारतीय मानक संघ” द्वारा प्रस्तुत शाला भवनों वे प्राप्ति के आधार पर भवन-निर्माण की अनिवार्यी है।

- (2) शाला-भवन एक मजिल वा ही ताकि वच्चों को बोई प्रसुविया न हो। भवन में दोनों और वरानदे हो ताकि प्रत्येक छतु में सुविधा रहे।
- (3) कक्षा-वच्चों (कमरा) में शुद्ध वायु के आने और अशुद्ध वायु के निष्पातन तथा प्रवास के आने हेतु पर्याप्त दरवाजे, लिफ्टिया तथा रोमानदान (Ventilators) होने चाहिए।
- (4) भवन में सभी कक्षाओं व विषय-विभेद के वक्षों, आर्यातिय, पुस्तकालय, वाचन-तथा प्रयोगशाला, भृत्यार-गृह, काष्यशाला, शौचालय, मूत्रालय, सभा-भवन आदि का प्रावधान रखा जाना चाहिए।
- (5) भवन का घरातल बाहर की भूमि के घरातल से केवल रहे।
- (6) सभी कमरों की केवल कम से कम 15 फीट हो, कक्षा-कागज का क्षेत्रफल 400 से 600 वर्ग फीट हो, सभा-भवन (Hall) का क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट, कार्यालय 360 वर्ग फीट, पुस्तकालय-वाचनालय 800 वर्ग फीट, भड़ार गृह 400 वर्ग फीट जल-गृह 300 वर्ग फीट व मूत्रालय-शौचालय प्रत्येक 20 वर्ग फीट ही हो।
- (7) शाला-प्राणण में खेल के भदान दो (एक छोटा व एक बड़ा) वाटिका 1000 वर्ग फीट की तथा चार दीवारी चारों ओर 4 फीट के ऊँची व $1\frac{1}{2}$ फीट ऊँची एवं पबकी होनी चाहिए।
- (8) शाला-भवन वा मुख्य-द्वार दक्षिण या पूर्व को ओर होना चाहिए ताकि वायु व प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिले।
- (9) वक्ष व हॉल के दरवाजे बरामदे में चुलने चाहिए लिफ्टिया प्रामने-पामने ही तथा फक्ष से $1\frac{1}{2}$ फीट की केवल तरह हो। सभी कमरों में फक्ष से 4 फीट केवल तरह काले या गहरे रंग की पुताई हो फक्ष सीमट पत्थर या रिंट का हो। दीवार पर श्यामपट पायाप्त लड्डे व चौड़े तथा छात्रों की आयु वर्ग के अनुसार केवल देना उपयुक्त रहता है। अध्यापक के बठने का स्थान फक्ष से तुल्य केवल प्लेट-फाम पर ही होना चाहिए।
- (10) विद्यालय भवन की आकृति —विद्यालय-भवन को आकृति वद शूली व अपेक्षा शुली शैली की आकृति अब उपयुक्त मानी जाती है। शुली शैली शाला-भवन की आकृतियाँ अप्रेजी के निम्नावित अभरों के आकार होती हैं—


I, T, U E तथा H

इनमें E आकृति का भवन सर्वोत्तम माना जाता है। अगले पाठ पुरोक्त आकृतियों के भवनों के रेसाचित्र दिये जा रहे हैं जिनमें क=वक्ष हा=हाँ पु=पुस्तकालय, व=वरामदा आदि सर्वेतों से दर्शाये गये हैं—


"A" आकृति के भवन




"B" आकृति के भवन




"C" आकृति के भवन



"D" आकृति के भवन



"E" आकृति के भवन



[3] फर्नीचर

विद्यालय के फर्नीचर के विषय में पी सी रेन(P.C Wren)ना कथन है 'शिक्षादियों के शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास में फर्नीचर एवं अस्थि स महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि अनुपयुक्त डेस्कों हो या डेस्कों पी जगह बैठों का प्रयोग किया जाय तो रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा होना, सीना सुकड़ा होना, बैंधों का गोल होना, हृष्टि दाय होना आदि शारीरिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, खराब अनुशासन चिह्नितापन, असताप तथा असुविधा जसे नैतिक दोष हो जाते हैं तथा शारीरिक प्रसुविधा के कारण अनवरत अवधान बनाये रखने में असमर्थता जैसे मानसिक दोष हो जाते हैं " फर्नीचर का बासदृ की आपु बग तथा काय की प्रहृति के अनुसार सुविधाजनक होना अत्यन्त आवश्यक है अत्यथा आसन (Postures) सम्बन्धी अनवरत दोष उत्पन्न हो जाते हैं जिनका मन और मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त उपयोग की हृष्टि एवं सुरक्षा के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार के फर्नीचर की आवश्यकता होती है। फर्नीचर के अन्तर्गत छात्रों के बैठने व लिखने पढ़ने के काम हेतु उपयुक्त आसन, बचे, कुमिया इस्तें तथा बीजों की सुरक्षा हेतु अलमारियाँ प्रदर्शन पेटिया (Show Cases), मेजे, स्टूल बचे मयोग तथा उद्योग का बिशेष मेजों की अपेक्षा होती है।

फर्नीचर वे विषय में निम्नांकित भावों का ध्यान रखा जाना वाधुनीय है ।

- (1) छात्रों की आपु तथा शारीरिक विकास के अनुकूल बठने व लिखने पढ़ने का फर्नीचर होना चाहिए।
- (2) बैठने की बैंधों व स्टूलों के पीछे छात्रों को सहारे की अवस्था होनी चाहिए। सीट सुविधाजनक हो।
- (3) बैंधों व स्टूलों की ऊँचाई इतनी हो कि जमीन पर पैर टिकाने समय छात्रों के घुटने समकोण बनाते हुए भूके तथा डेस्कों की ऊँचाई छात्रों के सीने तक हो व घरातल से उनका झुकाव 15° के कोण का रहे।
- (4) फर्नीचर को बक्सा में ड्रेस प्रकार लागाया जाये कि सभी छात्रों के लिए वह पर्याप्त हो तथा उन्हें भाने जाने में उससे कोई असुविधा न हो। अत उस कुछ पत्तियों में विभक्त कर कुछ दूर दूर रखा जाये।
- (5) अब आवश्यक फर्नीचर उपयोग के अनुकूल हो।
- (6) फर्नीचर के क्षय करते समय उनके स्तर, किफायत तथा टिकाऊत पर ध्यान रखा जाये।
- (7) फर्नीचर के रख रखाव, सुरक्षा सफाई, रग रोगन तथा सत्यापन हेतु विद्या सम का नाम व सख्त संकेतान्वयों में लिखने का ध्यान रखा जाये।

[4] प्रयोगशाला — (Laboratory)

प्रयोगशाला विनान-विषयों के विभिन्न प्रयोगों के करने तथा सम्बन्धित सामग्री के रख रखाव हेतु एक विशेष कक्ष होता है। यद्यपि वर्तमान में बहुत कम प्रायमिक व उच्च प्रायमिक विद्यालयों में इसका प्रावधान रखा जाता है तथापि अब $10+2$ शिक्षायोजना के अन्तर्गत विनान शिक्षण पर विशेष वक्त दिये जाने के कारण वर्तमान से कम उच्च प्रायमिक विद्यालयों में तो एक प्रयोगशाला का प्रावधान रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। प्रयोगशाला के अभाव में विनान-शिक्षण को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। कक्ष म ही विभिन्न उपकरणों वो लाने-लेजाने में व्यर्थ समय नष्ट होता है तथा समान के टुटने व फूटने की आशका भी रहती है। दिनेश्वरन्द्र भार द्वारा के शब्दों में—‘विनान का शिक्षण केवल पुस्तकों के आगार पर ही नहीं किया जा सकता, वैज्ञानिक सिद्धांतों को कमीटी पर कसने के लिये हमें प्रयोग का ही सहारा लेना पड़ता है। द्याव विसी भी बात को जितनी शीघ्रता से प्रयोगों के माध्यम से समझ जाते हैं उन्हें और किसी माध्यम से नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विज्ञान शिक्षण म प्रयोगशाला का अपना विशेष महत्व है।’

प्रयोगशाला की साज सज्जा - प्रयोगशाला कक्ष लगभग 30 छात्रों के एक साथ प्रयोग करने हेतु पर्याप्त होनी चाहिए। इसका माप $45' \times 25'$ हो तथा उससे सलमन $25' \times 16'$ वा एक भण्डार गृह (Store room) तथा एक और छोटा सा झौंकरा-कक्ष (Dark Room) भी विशेष प्रयोग हेतु हीना चाहिए। प्रयोगशाला में शीर्षे लगी घलभारियों में विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण व रसायन व्यस्थित रूप से रखे जाने चाहिए। विषेषते एव विस्फोटक पदाय विशेष सावधानी से रखे जायें। प्रयोगशाला की दीवारों पर वैज्ञानिक चाट, रेखाचित्र, चित्र आदि प्रदर्शित विषयों जायें तथा प्रदर्शन-प्रेविकायों (Show cases) में माँहल्म तथा बनस्पति एव प्राणी शास्त्र सम्बन्धी मूर्ने (Specimens) रखे जा सकते हैं। प्रयोगशाला की भेज का माप $6' \times 4'$ व ऊँचाई छात्रा के वर्द के अनुकूल हो। ऐसी लगभग सात भेजे हो जिनमें प्रत्येक पर 4 छात्र प्रयोग कर सके। भेज के बीच में विभिन्न रसायन शैलफ (Shelfs) म रखे जायें। भेज के मध्य में पानी का मिक (Sink) हो जिसमें नल लगा हा। भेज पर प्रयोग हेतु स्प्रिट-सेप घयवा गैस वर्तर हो। छात्रों के द्वाठने हेतु ऊँचे स्टूल हो। प्रयोगशाला में प्रकाश, जल व शुद्ध वायु की उचित व्यवस्था हो तथा फल पक्का, चिकना टाल हो। इस कक्ष में एक श्याम-पट्ट व एक प्रदर्शन-पट्ट (Display Board) हा जिस पर प्रयोग हेतु छात्रों की मूचनाय विशेष सामग्री प्रदर्शित रहे।

[3] फर्नीचर

विद्यालय के फर्नीचर के विषय में पी सी रेन(P,C,wren)का कथन है 'शिक्षाविदों के शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास में फर्नीचर एवं प्रत्यारुप महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यावरण के देखभाव की जगह बैचों का प्रयोग किया जाय तो रीढ़ भी हड्डी का टेढ़ा होता, सीता सजड़ा होता, बैचों का गोल होता, हृष्टि दाप होता। आदि शारीरिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, सराव घनुगासन चिह्नितान, असताप तथा असुविधा जसे नैतिक दाप हो जाते हैं तथा शारीरिक असुविधा ये कारण प्रत्यरोध अवधान बनाये रखने में असमर्थता जैसे मानविक दोष हो जाते हैं' फर्नीचर का बातचीजी आपु वग तथा काय की प्रवृत्ति के अनुसार सुविधाजनक होना अत्यन्त आवश्यक है अत्यथा आसन (Postures) सम्बंधी अनश्व दोष उत्पन्न हो जाते हैं जिनका मन और मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त उपयोग की हृष्टि एवं सुरक्षा के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार के फर्नीचर की आवश्यकता होती है। फर्नीचर के अन्तर्गत छात्रों के बैठने व निलाने पड़ने के काय हेतु उपयुक्त आसन, बचे, कुमियाँ देखें तथा जीजो की सुरक्षा हेतु अलमारियाँ प्रदर्शन पेटियाँ (Show Cases), बेजे, स्टूल बचे उपयोग तथा उद्योग का विशेष मेजों की अपेक्षा होती है।

फर्नीचर के विषय में निम्नांकित घातों का ध्यान रखा जाना वाद्यनीय है —

- (1) घातों की आपु तथा शारीरिक विकास के अनुकूल बैठने व निलाने पड़ने का फर्नीचर होना चाहिए।
- (2) बैठने की बैचों व स्टूलों के पीछे घातों को सहारे की अवस्था होनी चाहिए। सीट सुविधाजनक हो।
- (3) बैचों व स्टूलों की ऊँचाई इतनी हो कि जमीन पर पैर टिकाने समय घातों के घुटने समझौता बनाते हुए फुके तथा देस्कों की ऊँचाई घातों के सीने तक हो व घरातल से उनका फुकाव 15° के कोण का रहे।
- (4) फर्नीचर को बक्सा में इस प्रकार लगाया जाये कि सभी घातों के लिए वह मर्यादित हो तथा उन्हें आने जाने में उससे कोई असुविधा न हो। अत उस कुछ पक्कियों में विभक्त कर कुछ दूर दूर रखा जाये।
- (5) अप्य आवश्यक फर्नीचर उपयोग के अनुकूल हो।
- (6) फर्नीचर के ऋण करते समय उनके स्तर, किफायत तथा टिकाऊन पर ध्यान रखा जाये।
- (7) फर्नीचर के रख रखना, सुरक्षा सफाई, रग रोगन तथा सत्त्वापन हेतु विद्या नाम व सब्दा सकेताशरों में लिखने का ध्यान रखा जाये।

[4] प्रयोगशाला — (Laboratory)

प्रयोगशाला विज्ञान-विद्यो के विभिन्न प्रयोगी के दरने तथा सम्बद्धित सामग्री के रख रखाव हेतु एक विशेष बक्ष होता है। यद्यपि वर्तमान में बहुत कम प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इसका प्रावधान रखा जाता है तथापि अब $10+2$ शिक्षायोजना के अन्तर्गत विज्ञान शिक्षण पर विशेष बक्ष दिये जाने के कारण कम से कम उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तो एक प्रयोगशाला का प्रावधान रखा जाना अत्यात् आवश्यक है। प्रयोगशाला के अभाव में विज्ञान-शिक्षण को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। कक्ष में ही विभिन्न उपकरणों को लाने-लेजाने में व्यर्थ समय नष्ट होता है तथा समान के टुटने व फूटने की आशंका भी रहती है। दिनेश्वन्द्र भार द्वारा के शब्दों में—‘विज्ञान का शिक्षण बेवल पुस्तकों के आधार पर ही नहीं किया जा सकता, वैज्ञानिक सिद्धांतों को कपीटी पर कसने के लिये हमें प्रयोग का ही सहारा लेना पड़ता है। छात्र किसी भी बात को जितनी शीघ्रता से प्रयोगों के माध्यम से समझ जाते हैं उन्हें और किसी माध्यम से नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का अपना विशेष महत्व है।’

प्रयोगशाला की साज सज्जा — प्रयोगशाला कक्ष लगभग 30 द्वांओं के एक साथ प्रयोग करने हेतु पर्याप्त हीनी चाहिए। इसका माप $45' \times 25'$ हो तथा उससे सलग $25' \times 16'$ का एक भण्डार गह (Store room) तथा एक ओर दोटा सा अंदरान्कक्ष (Dark Room) भी विशेष प्रयोग हेतु हीना चाहिए। प्रयोगशाला में शीशे लगी अलमारियों में विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण व रसायन व्यस्थित रूप से रखे जाने चाहिए। विवैले एवं विस्फाटक एवं विशेष सावधानी से रखे जायें। प्रयोगशाला की द्वाओं पर वैनानिक बाट, रेखाचित्र, चित्र आदि प्रदर्शित किये जायें तथा प्रदर्शन-पेक्षिकाएँ (Show cases) में माडल्स तथा बनस्पति एवं प्राणी शास्त्र सम्बद्धी ममूने (Specimens) रखे जा सकते हैं। प्रयोगशाला की मेज का माप $6' \times 4'$ व ऊँचाई द्वाओं के बढ़ के अनुकूल ही। ऐसी लगभग सात मेजे हो जिनमें प्रत्येक पर 4 छात्र प्रयोग कर सके। मेज के बीच में विभिन्न रसायन शैल्फ (Shelfs) में रखे जायें। मेज के मध्य में पानी का मिक (Sink) हो जिसमें नल लगा हो। मेज पर प्रयोग हेतु स्प्रिट-लैप ध्रयवा गैस बनर ही। द्वाओं के दौठने हेतु ऊँचे स्टूल ही। प्रयोगशाला में प्रकाश, जल व शुद्ध वायु की उचित व्यवस्था ही तथा फश पक्का, चिकना ढालू ही। इस कक्ष में एक श्याम-पट्ट व एक प्रदर्शन-पट्ट (Display Board) ही जिस पर प्रयोग हेतु छात्रों की सूचनाथ विशेष सामग्री प्रदर्शित रहे।

प्राथमिक एव उच्च प्राथमिक शालामो में विज्ञान-शिक्षण हेतु विभिन्न विधियों एव आवश्यक सामग्री की सूचना व परामर्श राजस्थान राज्य विज्ञान संस्थान (State Institute of Science), उदयपुर से प्राप्त किये जाने चाहिए। इस संस्थान ने विज्ञान शिक्षण हेतु उपकरणों का एव बिट (Kit) भी तैयार किया है जो प्राप्त किया जा सकता है। प्रयोग शाला के सामान के रख-रखाव व सुरक्षा का पूरा ध्यान विज्ञान-शिक्षक तथा प्रयोगशाला सहायक को रखना चाहिए।

[5] पुस्तकालय व वाचनालय (Library & Reading Room)

प्राय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय व वाचनालय का कोई प्रावधान या उचित व्यवस्था नहीं की जाती। यह अनुचित है। डा एस एस मायुर ने पुस्तकालय के प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि— “पुस्तकालय का मुख्य प्रयोजन यह है कि वह अधिक से अधिक विद्यार्थियों में अध्ययन की रुचि का विकास करे। जब विद्यार्थियों में अध्ययन की रुचि विकसित हो जाती है तो वे अच्छी प्राची पुस्तकों और परिकामों को पढ़ने लगते हैं, जिसके बारें उनका बोलिक विकास होता रहता है। पुस्तकालय का यह भी यह प्रयोजन है कि इसके द्वारा विद्यार्थियों को अपने अवकाश का सुनुपयोग करना आ जाये। वे अवकाश के समय अच्छी पुस्तकों पढ़ें और इस प्रकार अपना अमूल्य, समय नष्ट न करके उसे अपने बोलिक विकास के लिये उपयोग कर। पुस्तकालय द्वारा विद्यार्थियों की अनेक समस्याओं तथा प्रश्नों के उत्तर हड्ड निकाले जा सकते हैं,” इस प्रकार पुस्तकालय तथा वाचनालय की आवश्यकता एव महत्व उसके प्रयोजन में निहित है।

पुस्तकालय व वाचनालय की व्यवस्था—इस सादर में निम्नानुकूल विवर दर्शाती है।

- (1) कक्ष—बहुधा पुस्तकालय व वाचनालय का एक ही कक्ष कुछ विद्यालयों में होता है। पुस्तकों एव समाचार पत्रों को पढ़ने के लिए एक पृथक् कक्ष होता आवश्यक है। इसके अभाव में छात्रों को पुस्तकों व समाचार पत्र चुनकर पढ़ने तथा उद्देश्य अध्ययन हेतु लेने में असुविधा होती है। पुस्तकालय व वाचनालय का कक्ष इतना बड़ा होता चाहिये कि उसमें पुस्तकों की अलमारियाँ, समाचार-पत्रों के अध्ययन हातु बटी भेज व छात्रों के बोठन का कर्नर्चर तथा पुस्तकालय प्रभारी अध्यापक या लिपिक के लिए पर्याप्त स्थान हो। इस कक्ष में एक समय पर 30-40 छात्रों का बोठकर पढ़ने की व्यवस्था हो ताकि रिक्त कालाश अथवा पुस्तकालय कालाश में एक कक्षा के विद्यार्थी उसका उपयोग कर सकें। इस कक्ष में शुद्ध वाय, प्रवाह व जल की व्यवस्था होनी चाहिए।

- (2) पुस्तकों व समाचार पत्रों का चयन-प्राथमिक एव उच्च प्राथमिक विद्यालयों

मे कक्षा एवं आयु वर्ग की अभिरचि योग्यता एवं पठन क्षमता के अनुसार विभिन्न विषयों की उपयोगी पुस्तकों एवं समाचार पत्रों का विवेकपूर्ण चयन किया जाना चाहिए। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा स्तर के अनुकूल विद्यालय के लिए उपयुक्त पुस्तकों व समाचार-पत्रों को अयं बरने हतु अभियंति किया जाता है। यह काय प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान के बीकानेर स्थित निदेशक के कार्यालय में उपनिदेशक (समाज-शिक्षा) द्वारा किया जाता है। अत विभाग प्रसारित सूची वा अवलोकन कर चयन किया जा सकता है।

(3) व्यवस्था -पुस्तकालय व वाचनालय की समुचित व्यवस्था हेतु कम से कम उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तो एक पुस्तकालयाध्यक्ष (Librarian) अथवा प्रभारी अध्यापक की व्यवस्था होनी चाहिए। पुस्तकालयाध्यक्ष या प्रभारी का अनुभवी, इच्छी शील एवं विद्यार्थियों को स्वाध्याय हेतु उत्प्रेरित करनेकी क्षमता सम्मान हीना बाध्यनीय है। डा० एस० एस० माथुर का यह कथन सत्य है—“पुस्तकालय अध्यक्ष विद्यार्थियों को अध्ययन बरन के सम्बन्ध में उचित परामर्श दे सकता है तथा उह प्रोत्साहित कर सकता है कि वे अच्छी पुस्तकें पढ़ें। यदि अध्यक्ष अपने उत्तरदायित्व को ठीक ढग से निभाये तो पुस्तकालय विद्यालय की समस्त कियाओ वा केंद्र बन सकता है।”

(4) कक्षा पुस्तकालय (Class Library) कक्षा स्तर के अनुकूल पुस्तकों का चयन कर उह सम्बन्धित कभा अध्यापकों को दिया जाना छानो के लाभाय दिया जाना चाहिए। ये पुस्तकें कक्षा-कक्ष में अलमारी में रखकर कक्षा-पुस्तकालय के रूप में प्रयुक्त की जा सकती हैं।

(5) विषय-पुस्तकालय (Subject Library)—उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुछ विषयों-जैसे विज्ञान, और्गेंजी, सामाजिक ज्ञान आदि-की पुस्तकें पृथक विषय पुस्तकालय के रूप में विषयाध्यापकों के प्रभार में रखी जा सकती हैं। विषय-ध्यापक इन पुस्तकों में से पढन हतु छानो को परामर्श दे सकता है।

इस प्रकार पुस्तकालय एवं वाचनालय को न बेवल स्वाध्याय एवं अवकाश वे समय के सदृष्टियोग हेतु प्रयुक्त किया जाना चाहिए बल्कि इसका प्रयोग उन्नत शिखण-विधियों (जैसे परिवीक्षित अध्ययन, प्रायोजना-विधि, विचार-विभाग विधि आदि) हेतु भी किया जाना चाहिए।

[6] कार्यालय (Office)—प्रधानाध्यापक वे कक्ष के निकट ही विद्यालय का कार्यालय होना चाहिए जिसमें लिपिक अथवा प्रभारी अध्यापक वे बढने की पृथक व्यवस्था

होनी चाहिए। कार्यालय में अभिलेखों (पंजिकाओं व पत्रावर्तियों की सुरक्षा हेतु असमाधियों एवं अन्य आवश्यक कर्त्ताचर (कुर्सी, बेज रैब, सेवन-सामग्री आदि) की व्यवस्था होनी चाहिए।

[7] खेल का मंदान— शिशा का सूच्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। बालकों के शारीरिक विकास में खेल-कूद का विशेष महत्व है। इस प्रवृत्ति में सहायक भौतिक संसाधनों में खेल के मंदान प्रमुख हैं। प्राथमिक व उच्च प्राप्तिक विद्यालयों के पास प्राय खेल के मंदानों का अभाव रहता है। इस अभाव की पूर्ति जन-सहयोग या स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। खेल के मंदान कम से कम एक छोटा और एक बड़ा प्रत्यक्ष विद्यालय में होना चाहिए जहाँ कबड्डी, खो-खो, बॉलीघाँस, फुटबाल आदि के खेल एक निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार प्रत्यक्ष घास को उसकी रुचि के अनुकूल उपलब्ध हो सके। खेल के मंदान दो समतल बनाने तथा उसे खेल के नियमानुसार व्यवस्थित रखने का काय पीं टी आई के निर्देशन में किया जाना चाहिए खेलों में प्रयुक्त सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए जो आवश्यक नुसार भदार प्रभारी द्वारा छात्रों द्वारा जानी चाहिए।

[8] शिक्षण सहायक सामग्री (Teaching Aids)— शिक्षण को प्रभावी बनाने में जहा मात्रबोध संसाधन अर्थात् शिक्षक का स्थान तो सर्वोपरि है ही किन्तु शिक्षण प्रतिया को सुवोध, रोधक एवं विचार प्रेरक बनाने में भौतिक संसाधन अत्याव शिक्षण-सहायक सामग्री का प्रयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शिक्षण-सहायक सामग्री के अतगत न्यूनतम आवश्यक वस्तुओं के रूप में निम्नान्वित प्रमुख हैं—

- (1) श्याम पट्ट, (2) चित्र, (3) रेखा-चित्र या चाट्स, (4) मानचित्र,
- (5) ग्लाव, (6) विभिन्न विषयों से सम्बंधित उपकरण जैसे चिकित्सा में प्रयोग हेतु उपकरण (टेस्ट ट्यूब, पलास्क बनर, स्टैण्ड, थर्मोमीटर बरोमीटर, सूक्ष्म दशक यथा दूरदृश्य यथा, चिकित्सा यथा इत्यादि), भूगोल में सम्बंधित उपकरण (जैसे रिलोफ भैप्स मानचित्र चित्र, चाट, माड्हस, वायु दिशा सूचक यथा आदि) तथा इतिहास व नागरिक शास्त्र सम्बन्धी मानचित्र व रेखाचित्र, (7) मॉडल्स (8) छात्रों द्वारा संग्रहीत स्थानीय पेह-पीछे, पत्तियों, पुष्पों, बीजों, मिट्टी चट्टान, खनिज जीवों के नमूने आदि (9) दृश्य-श्रव्य-साधन जैसे मिक्रो क्लैमेन्ट, प्रोत्रेक्टर, एपीडासकोप, रेडियो टी बी, ग्रामोफोन, टेपरेकोडर आदि,

(10) शिक्षकों व छात्रों द्वारा बनाये गये उपकरण ।

शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग एवं व्यवस्था -

शिक्षण सहायक सामग्री जैसे महत्वपूर्ण भौतिक सासाधनों का उपलब्ध होना ही पर्याप्त नहीं है, उनका सही प्रयोग एवं उनके रख-रखाव की उपयुक्त व्यवस्था जिया जाना अधिक चाहनीय है। इस सादभ में निम्नावित विद्युत घ्यातव्य है-

- (1) प्रायमिक एवं उच्च प्रायमिक विद्यालयों में यथासभव उपरोक्त शिक्षण सहायक सामग्री का हीना अपेक्षित है। इनके अभाव की पूर्ति विभाग के उच्चाधिकारियों ने सहयोग व शाला संगम के माध्यम से की जानी चाहिए। अध्यापकों के मार्ग दर्शन में छात्रों द्वारा स्थानीय साधनों से तैयार किये गये आशु-उपकरण (Improved Apparatus) इस कमी की पूर्ति में सहायक हो सकते हैं।
- (2) इस सहायक सामग्री के उचित भण्डारन, रख रखाव एवं उनके उचित समय पर उचित विधि में प्रयोग किये जाने हेतु इसका दायित्व पुस्तकालयाध्यक्ष अथवा अध्यक्ष किसी प्रभारी शिक्षक को सौंपा जाना चाहिए। विषयाध्यापकों को प्रतिदिन अपनी आवश्यकतानुसार इसे प्रभारी व्यक्ति से लेवर प्रयोग के बाद लौटा देना चाहिए। जिन विषयों के लिए पृथक कक्षों की व्यवस्था है उन विषयों से सम्बद्धित सामग्री विषयाध्यापक के प्रभार में सम्बद्धित कक्षों में रखना ही उपयुक्त है जिसे विज्ञान, भूगोल, इतिहास, कला उद्योग आदि की सामग्री।
- (3) शिक्षण सहायक सामग्री में आवश्यकतानुसार निरतर वृद्धि की जानी चाहिए तथा उनकी टूट फूट की मरम्मत वीजानी चाहिए।
- (4) इस सामग्री का उपयोग मान-प्रदर्शन के लिए न किया जावर उसे विषय-शिक्षक का विचार प्रेरक, रोचक व योग्यम्य बनाने में जिया जाना चाहिए।
- (5) शाला संगम के माध्यम से विद्यालय परस्पर विनियम द्वारा उनके पास उपलब्ध सामग्री अथवा कीमती उपकरणों (जौ से दी वी, प्रोजेक्टर आदि) का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं।

[9] अय भौतिक सासाधन —

अय भौतिक सासाधन जा विद्यालय के मुचाद सचासन में सहायक हो सकते हैं, व निम्नावित हैं—

- (1) धारावासा— प्रामील धोत्रा दे उच्च प्रायमिक विद्यालयों में प्राय धाराव द्वारस्य स्थानों से भी पड़ने आते हैं। उनका बहुत मासमय एवं जक्कि स्कूल आन आने में ही नष्ट हो जाते हैं जिसके कारण वे ग्रन्ता अध्ययन कियेवत गह बाय रने में असमर्प होते हैं। ऐसे धात्रों के लिए विद्यालय के किसी प्रभारी अम्भा

पक के मार्गदर्शन में चलने वाले एक छात्रावास की आवश्यकता होती है। ऐसे छात्रावास भवन किराये पर अथवा स्थानीय जन सहयोग से प्राप्त कर किसी अध्यापक के माग दर्शन में उसकी इस प्रकार व्यवस्था की जा सकती है जो छात्रों के लिये विफायती एवं उपयोगी हो। छात्रावास में आवश्यक सामान जैसे — पलग अलमारियाँ, स्टूल, टबल, एवं प्रकाश की व्यवस्था, भोजनालय के उपकरण खेल व मनोरजन के साधन बाचनालय आदि हीना चाहिए जिससे छात्रों को बाईं असुविधा न हो। छात्रावास अधीक्षक (Warden) के रहने वा वक्त भी छात्रावास से सलग हीना चाहिए। छात्रावास की उपयोगिता दो ढा एस एस माथुर इन शब्दों में व्यक्त करते हैं — “हम यह विद्यालय पूरब कह सकते हैं कि मदि छात्रावास में अच्छा बातावरण व उचित व्यवस्था अच्छा प्रबन्ध हो ता छात्रावास के छात्रों का शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास बहुत ही सुदर एवं प्रभावशाली ढग से हो सकता है।”

(2) सह-शैक्षिक क्रियाओं में सहायक भौतिक सासाधन —विद्यालय में अनुबूति वातावरण के निर्माण तथा छात्रों के सर्वांगीण विकास की हित से सह-शैक्षिक क्रियाओं के प्रभावी सचालक हतु कुछ भौतिक सासाधनों वी आवश्यकता होती है जैसे शारीरिक शिक्षा हतु व्यायाम सम्बन्धी उपकरण (डबल्स, लेजिम, जिम-नास्टिक के उपकरण आदि), कार्यानुभव या उच्चोग सम्बन्धी वायशाला व उपचारण, प्रकृति निरीक्षण एवं सप्रह की प्रवत्ति के विकास हतु सप्रहालय व उसकी साज-सज्जा की वस्तुएँ प्रायना सभा को प्रभावी बनाने में सहायता उपकरण जैसे हारमोनियम तबला, स्कूल बोड, वा सामान आदि थमदान और समाज-मेवा हतु आवश्यक वस्तुएँ कला एवं साकृतिक वायशमों के उपयोगी उपकरण जैसे ड्राइग पे टिंग वा सामान नाटक मधिनीत बरने हतु रगमच, परद, वेप भूवा आदि। इन भौतिक सासाधनों से सह-शैक्षिक क्रियाओं का प्रभावी व उपयोगी बनावा जा सकता है।

विद्यालय के मानवीय एवं भौतिक सासाधनों का समन्वय व सचालन

विद्यालय के मानवीय एवं भौतिक सासाधन उपलब्ध होना ही पर्याप्त नहीं है। व स्वयं अपन पथक अस्तित्व से वियाशील एवं प्रभावी नहीं वा सकते। उनमें परस्पर उचित सम्बन्ध ढारा उनके प्रभावी सचालन से ही शैक्षिक उद्देश्य की उपलब्धि हो सकती है, जूत उचित विद्यालय संगठन एवं प्रधानाध्यापक की प्रशासनिक योग्यता ढारा ही सभव हा सकता है। प्रथम अध्याय में वर्णित पाठशाला प्रबन्ध वे सिद्धांत व प्रतिया वे तत्त्वा —नियोजन संगठन, सम्बन्ध, निर्देशन नियन्त्रण तथा मूल्यांकन के

आधार पर ही विद्यालय के मानवीय और भौतिक संसाधनों में उचित समवय लाकर उनका प्रभावी संचालन किया जा सकता है। जागामी अध्याय में समय-विभाग चक्र के विवेचन के सादर में यह स्पष्ट किया जायगा कि इन संसाधनों का अधिकतम उपयोग इस प्रकार किया जा सकता है। प्रधानाध्यापक मानवीय संस्थाओं के आधार पर इन संसाधनों का उचित समवय कर समय विभाग चक्र द्वारा उनके संचालन की व्यवस्था करता है। इस समवय और संचालन की प्रक्रिया में मुख्य लक्ष्य बालक वा सर्वांगीण प्रशिक्षण करना होता है।

विद्यालयों में प्राय संसाधनों के अभाव में काय धमता की कमी तथा निरत शिक्षा-स्तरों का अधिक्षित प्रबल करने को अवाक्षीर्ण प्रवृत्ति देखी जाती है। यह अनुचित है क्योंकि कोठारी शिक्षा आयोग ने विद्यालय संमुन्यन योजना द्वारा उपलब्ध संसाधनों से ही शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाते की अभिप्रसा करते हुए कहा है—“गुणात्मक सुधार के कायशमों में अब तक आधारभूत इटिकाण यह रहा है कि मानवीय तत्वों की प्रिया के स्थान पर भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था पर ही जोर दिया गया है। हमने यहाँ राष्ट्रीय गुणात्मक सुधार कायशम का जो सुझाव दिया है उसका उद्देश्य ही इस प्रशिक्षण को उलट देना और उस योगदान पर जोर देना जो शिक्षा के गुणात्मक सुधार में अध्यापक, पर्यावरण, वच्चों के माता-पिता और द्यात्र अपने सम्मिलित प्रयास से कर सकते हैं।” अत उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत भी प्रधानाध्यापक और अध्यापक अपनी पहल शक्ति, सजनशीलता और प्रयोगशीलता के आधार पर विद्यालय में शिक्षा के स्तर पोंछें उठा सकते हैं।

उपसंहार

विद्यालयों के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक न्यूनतम मानवीय एवं संसाधनों का होना आवश्यक है। द्यात्र स्थाया में निरन्तर बढ़ि एवं लाकर्ता-प्र में तोगों की शैक्षिक आवाहाओं की पूर्ति हेतु विद्यालयों की स्थाया में निरन्तर बढ़ि हो रही है। इस अनियन्त्रित बढ़ि के परिणाम स्वरूप ऐसे सुदूर, दुर्गम एवं पिछड़े क्षेत्रों में विद्यालय गुल रहे हैं जिनमें न्यूनतम भौतिक संसाधनों की कमी है तथा एक अध्यापकीय शालामा(Single Teachers Schools) व अध्यापकों की नियुक्ति के अभाव में जहाँ मानवीय संसाधन भी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में विद्यालय संचालन नितान अमम्भव हो जाता है। निराविकाग एवं सरकार को इस विद्यालयों का सालने के पूर्ण ही इन संसाधनों की व्यवस्था पर दर्दी घाहिए तथा बाद में भी इनकी कमी की पूर्ति तत्काल बरनी चाहिए। बिना यह भी सत्य है कि सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों और पिछड़े पन के कारण विद्या राष्ट्रों में संसाधनों की कमी होना अपरिहाप है। इस विषम परिस्थितियों में उपसंहार “संसाधनों के अधिकतम उपयोग और जन-भव्योग द्वारा शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन हेतु कोठारी शिक्षा आयोग की उपराक्त अभियान अध्यात्म्य है।

मूल्यांकन (Evaluation)

(अ) लघुत्तरात्मक प्रश्न - (Short Answer type Questions)

- 1 विद्यालय-लाइब्रेरी के समठन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
(बी एड 1982)
- 2 मध्य दिवसीय भोजन योजना विद्यालय कायक्रम में किस प्रकार योगदान देती है।
(बी एड 1981, 79)
- 3 शाला में एक सप्रहानय वा वया महत्व है ?
(बी एड 1979)
- 4 विद्यालय भवन आकृति के दृष्टि से कितने प्रभाव के होते हैं, तथा इनकी पूनर्निर्माण आवश्यकताओं का उल्लेख कीजिये।
- 5 विद्यालय प्रयोगशाला के महत्व के बारे में सक्षिप्त में वर्णन कीजिए।

(ब) निम्न-धार्तम प्रश्न (essay type Questions)

- 1 मध्य अवकाश भाजन, कौन सेवायें तथा टिप्पन सेवायें एक दूसरे से किस प्रवाग भिन्न है ? किन परिस्थितियों में एक की अपेक्षा दूसरे को वरीयता देनी चाहिए ?
(बी एड 1983)
- 2 नगरों की सीमित परिस्थितियों वो ध्यान में रखते हुए बतलाइये कि विद्यालय भवन स्थल का चुनाव करते समय किन आधारभूत बातों को ध्यान में रखना चाहिये ?
(बी एड 1981)
- 3 यदि आपको किसी विद्यालय के पुस्तकालय का दायित्व सौंपा जाता है तो आप अधिकतम उपयोग की दृष्टि से इसकी सेवा वा पुनर्गठन किस प्रकार करेंगे ?
(बी एड प्राचार 1981)
- 4 किसी भी विद्यालय में अजायबघर (म्यूजियम) वा वया महत्व है तथा इसकी मवाँ को किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है ?
(बी एड 1979, प्राचार 1986)
- 5 'पुस्तकालय एक शाला की आत्मा है' - वा विचार प्रस्तुत कीजिये।
(बी एड 1977)
- 6 विद्यालय में पुस्तकालय का वया महत्व है ? इसका सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है ?
(बी एड 1978)

विद्यालय प्रयोगशाला

(School Laboratory)

[प्रयोगशाला की सकल्पना उसका महत्व, प्रयोगशाला स्थापना के सिद्धात् प्रयोग शाला के प्रकार-विज्ञान प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला सामाजिक ज्ञान प्रयोगशाला, विभिन्न प्रयोगशालाओं की साज सज्जा, विभिन्न प्रयोगशालाओं की सामग्री, प्रयोगशाला बनाने वाला आदि]

सकल्पना —प्रजातात्त्विक जीवन दर्शन के अनुसार व्यक्ति को स्वयं ही अपनी चि तन शक्ति विकसित करनी चाहिए जिससे वह अपने जीवन के विश्वासो और मूल्यों के आधार पर आत्म निर्णय कर सके। मुख्यतः अध्यापक का काय शक्तिक पर्यावरण पैदा करके विषय के प्रति रुचि पैदा करने हेतु उत्तेजना पदा करते हुए प्रयोगात्मक शिक्षण की प्रोत्साहित करना है, इसका अथ वस्तुपरक प्रमाण को खोजने प्रयोग करने की योग्यता उत्पन्न करना, वज्ञानिक इक्टिकोण का विकास करना तथा दूषित तथा भावनाजय आशिक सत्य को पहचान कर उसे दूर करना है। ऐसी योग्यता प्राप्त करने के लिए विचारों की अभिभूति से पूर्व बालक तथ्यों का व्यवहारिक एवं जीवनोपयोगी ज्ञान प्राप्त करता है जिसका आधार वर्के सीखना (Learning by doing) है। जिसके परि एक स्वरूप वर्कवल मात्र ज्ञान के लिए सद्वितीय ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं बल्कि अधिकाधिक व्यवहारिक तथा जीवन से सम्बद्ध यत् ज्ञान को अजन वरन् मे सफलसिद्ध होते हैं तथ्या, नियमा और सामाजिक सिद्धियों के सत्यापन कर सके, ताकि बालात्तर मे व्यवहारिक-जीवन मे खरे उत्तर सके।

आज शिक्षा का स्वरूप वास्तव मे वडा गतिशील, प्रयोगात्मक और अनाप्रही है जिसे कार्यात्मकवादी व अभ्यास दोनों को क्रियात्मक रूप देने से ही बालक का परिवर्तनशील समाज मे उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

परम्परागत प्रयोगशाला केवल विज्ञान विषय के लिए ही प्रयोग मे ताया जाता पा लेकिन बदलते हुए परिवेश तथा कार्यात्मकवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक इक्टिकोण का विकास बाह्यित है। अत भाषा सामाजिक ज्ञान के विषय भी वैज्ञानिकता

को लेकर छात्रों को प्रस्तुत किया जाता है और प्रयोगात्मक प्रणाली से अध्ययन प्रधापन का काय सम्पान करने का सफल प्रयास किया जाता है।

प्रयोगशाला के महत्व —

- (1) बच्चों में रटन व अप्रयोगितमक शिक्षण को प्रोत्साहन न देकर प्रयोगात्मक पक्ष पर अधिक जोर देना।
- (2) विषय के अनुकूल शैक्षिक वातावरण बनाने में प्रयोगशाला वाक्ति है।
- (3) विषय को प्रयोगशाला उस विषय विशेष के अध्ययन हेतु कुशलता प्राप्त करने का वातावरण छात्रों में उत्साह भरता है।
- (4) विषय से सम्बद्ध उपकरण, चाट, ग्रांफ, मांडल आदि को देखकर उसमें जिन्सा पदा होती है और उनका प्रयोग बरतन व देखने में विशेष ध्यान द का अनुभव करत है।
- (5) व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए विषय में विविधता एवं रुचि जाग्रत होती है।
- (6) विषय में अधिकतम रुचि लेने हेतु उत्तेजना का काय करता है।
- (7) विषय-प्रयोगशाला में रखें समान उपकरण, चाट, मांडल ग्रांफ, आदि का जब साक्षण करने से वालक अनायास ही अधिगम हो जाता है।
- (8) बच्चानिवार इंटिकोए का विकास होता है।
- (9) काय वारण सम्बद्ध स्थापित बरक, रचनात्मक शक्ति का विवास होता है।
- (10) समस्याओं वा हल करने के लिए सम्पान विए गय कार्यों से छात्रों में व्यवहारिक ज्ञान में आने वाली समस्याओं को हल करने वा प्रशिक्षण मिलता है।
- (11) प्रयाग के माध्यम से अनेकानुष्ठान अधिगम शीघ्रता से व स्थाई रूप से होता है।
- (12) प्रगतिशील पिया प्रधान शिक्षण पद्धतियों जैसे समस्या विधि, योजना, स्त्रोत तथा सामूहिक विवेचन प्रयोगशाला के माध्यम द्वारा प्रभावशाली ढग से अधिगम सुलभ हो जाता है।
- (13) छात्रों में पहलकदमी, बासोचनात्मक इंटिकोए, साधन-सम्पानता, सहयोग वैयक्तिक काय बरन की शक्ति शान्ति गुणों का विकास होता है।
- (14) विनिन विषया के सम्बद्ध मध्यवहारिक कार्यों व योजनाओं के लिए प्राप्ताहित भरती है।

1 मप्त, एम पी 'गोमिल स्टीडिज इस्ट्रेनिंग प्र० 212

2 गुणियों, एम पी, 'विद्यालय प्रशासन एवं सम्बन्ध' प्र० 309

- (15) विषय की प्रयोगशाला में समान एवं स्थान पर ही रखा रहता है जिससे समय व थम की बचत होती है।
- (16) प्रयोगशाला के अभाव में उपकरणों वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने लेजाने म टूट फूट अधिक होती है।
- (17) छात्रों द्वारा सिद्धात को व्यवहारिक पक्ष देखने से आत्मविश्वास का विकास होता है।
- (18) सामाजिकता को भावना का विकास, निरतर सामूहिक रूप से कायरत होने से होता है।

प्रयोगशाला सगठन के सिद्धात

विद्यालय में भौतिक, रसायनिक, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा-विज्ञान की व्यवस्था और स्थापना वे सम्बन्ध में निम्नांकित सिद्धातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए —

- (1) उच्च माध्यमिक स्तर तक प्राय सभी भौतिक विज्ञान के लिए एक ही प्रयोगशाला हो।
- (2) प्रायमिक और उच्च प्रायमिक स्तर तक सम्पूर्ण प्रदृष्टि तथा आसपास के पर्यावरण वो प्रयोगशाला के रूप में अपनाया जाय।
- (3) माध्यमिक स्तर पर सभी भौतिक विज्ञान के लिए पथक पृथक प्रयोगशालाये स्थापित की जायें।
- (4) प्रयोगशाला के लिए जो कक्ष निर्मित किय जाय या चुने जाय उनकी निम्नलिखित विशेषताएँ हों —
- (अ) प्रयोगशाला कक्ष सामर्त्य कक्ष से बड़ा हो।
 - (ब) प्रयोगशाला में सबोतन की पर्याप्त व्यवस्था हो।
 - (स) मुख्य कक्ष के साथ सलग्न दो छोट-छोट कक्ष कक्ष भी हो जिनमें एक भडार के रूप में तथा दूसरा प्रभारी के कार्बलिय के रूप में प्रयोग किया जाय।
 - (द) प्रयोगशाला कक्ष में पानी की अच्छी व्यवस्था हो।
- (5) प्रयोगशाला में पर्याप्त और उपयुक्त साज-सज्जा हो। प्रयोगशाला के लिए रखी गई साज-सज्जा तथा फर्नीचर के सम्बन्ध में निम्नांकित तथा ध्यान में रखना चाहिए।
- (अ) प्रत्यक छान के लिए कुछ ऊँची स्टूलों तथा उपयुक्त आकार की मेजें हो।

2 रामपालसिंह, "विद्यालय सगठन और स्वास्थ्य सेवा" पज/90-91

- (व) मेज मे दराजे हो जिन पर छात्र अपन ताले लगा सके ।
- (स) धावश्यक स्थला पर हाथ आदि धोते के लिए जल की व्यवस्था हो ।
- (द) प्रयोगशाला मे छात्रो के अनुपात मे पर्याप्त उपकरण एव साज सज्जा हो ।
- (य) प्रयोगशाला मे प्रायिक चिवितसा वी व्यवस्था रखी जाय ।
- (र) प्रयोगशाला मे आग बुझाने की व्यवस्था हो ।
- (6) प्रत्येक प्रयोगशाला का विषय से सम्बंधित अध्यापक प्रभारी हो । प्रभारी अध्यापक के गतावा एक सहायक भी हो ।
- (7) सभी प्रयोग प्रभारी-अध्यापक की देव रेय म ही सम्पन्न रिय जाये ।
- (8) प्रभारी अध्यापक तभा छात्र एप्रिन पहिनकर प्रयोगशाला मे थाय वरे गत पर्याप्त मात्रा मे एप्रिन भी होने चाहिय ।
- (9) सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशालामा मे सम्बंधित विषय के लिये उपयोगी सभी साहित्य तथा उपकरण होने चाहिय ।
- (10) भाषा विज्ञान प्रयोगशाला मे सम्बंधित साहित्य टेप रिकार्ड, स्टीरियो ग्राफ इति करण होने चाहिए ।
- (11) प्रयोगशाला मे उचित उपकरणो की उपलब्धि प्रयोग के समय दृष्ट-रात तथा स्वच्छता आदि के प्रति शिक्षक के मतव रहना चाहिए ।
- (12) प्रयोगशाला काय मे यथा सम्भव छात्रो का सहयोग लिया जाये जस समान बाँटन मे या उहै एकत्रित वरने मे ।
- (13) छात्रो का उपकरणो के विषय मे पूण नान दिया जाना चाहिए तथा उ ह रखन मे सावधानिया भी बता देतो चाहिए ।
- (14) विजातीय एकत्रित पदायो का निवतन कराते रहना चाहिए ।
- (15) पुरान तथा खराव अथवा दोष मुक्त उपकरणो की तुरत ठीक कराया जाय या नय उपकरणो की व्यवस्था भी जानी चाहिय ।
- (16) उपकरण छात्रो की सहया के अनुपात मे ध्रवश्य बढत रहने चाहिए आयथा सभी छात्र प्रयोग नही कर पायगे और इधर उधर स पूछ ताथ कर आलेखन वर सके ।
- (17) प्रतिभाशाली तथा पिछडे बालको के प्रयोगात्मक वार्ष पर पूण ध्यान दिया जाये और उनका उचित प्रकार स पथ प्रदशन विया जाना चाहिए ।
- (18) अनुस्थित हुए छात्रो के प्रयोग पूण वरने की अतिरिक्त समय मे व्यवस्था भी जानी चाहिए ।

- (19) प्रयोगशाला की प्रत्येक वस्तु पर उसके नाम लिखे होना चाहिए अर्थात् दुर्घटना की सम्भावनाएं हो सकती है।
- (20) प्रयोगशाला में प्रत्येक वस्तु का स्थान निश्चित होना चाहिए।
- (21) एक ही प्रकार के उपकरण पर कमाक लगाने से गिनती में सुविधा रहेगी।
- (22) पाठ्य मीडियम की आवश्यकता के अनुरूप उपकरण कम करे।
- (23) विभिन्न प्रयोग शालाओं का स्टॉक रजिस्टर रखा जाय।
- (24) विषय से सम्बंधित उपकरण को विनिय करने वाली सभी दुकानों की विवरणों को होनी चाहिए।
- (25) प्रयोगशाला में "प्रयोगशाला-निर्देश" छात्रों की दिए जाने चाहिए।

स्थानों से प्रयोगशालाओं की स्थिति

प्रयोगात्मक कार्यों को सफल रूप से करने के लिए एक प्रयोगशाला का होना आवश्यक है। हमारे देश में प्रयोगशालाओं का अभाव है। जो प्रयोगशालाएँ हैं, वे आदर्श रूप में नहीं हैं। एक आदर्श प्रयोगशाला के निर्माण के लिए विषय विशेष के अध्यापकों से राय लेनी चाहिए।

लविन दुर्भाग्य है कि "प्रयोगशाला" के दरवाजे कभी-कभी ही खुलते हैं। ऐसा को गढ़ की कभी-कभी ही बाहर निकालने की तकलीफ की जाती है।³

प्रयोगशालाओं के प्रभावशाली उपयोग से ही द्वानों में व्यावहारिक ज्ञान करके सीखने के गुण का विकास सम्भव है अतः उसके लिए— "ग्राम्यनिकीकरण, यात्र सञ्जातथा संदर्भ ग्राम्य संग्रह युक्त रखने हेतु राज्य सरकारों से अनुदान सहायता विशेष प्रयत्नों द्वारा और सम्भव मुद्रा वी अपेक्षा उपकरणों के रूप में प्राप्त की जाय। इसके अतिरिक्त राज्य-सरकार एसी स्थान भी उपलब्ध रहे जहाँ प्रयोगशाला के अवधिकरणों की मरम्मत, साज सभाल उचित मूल्य पर करायी जा सके।"⁴

विभिन्न विषय धर्मों उनकी प्रयोगशालाओं के प्रकार—विज्ञान विषय की माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर सामान्यत भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान को प्रयोगशालाएँ होती हैं। भाषा—विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों के विषयों के प्रभावशाली अधिगम हेतु प्रयोगशाला वी अन्नी विशिष्ट विशेषताएँ होती हैं। सभी विषयों को प्रयोगशालों के बारे में सामाज्य जानकारी प्रस्तुत की जा रही है।

³ अप्रवास श्याम सरन, "विज्ञान शिक्षण एक विवेचन" साहित्य परिचय 1976 पे/219

⁴ प्रो धी बास्तव, भगवती प्रसाद वही

विज्ञान विषयों की प्रयोगशाला की सरचना हेतु निर्देशन —

- (1) एक प्रयोगशाला में एक बार में सामान्यतः 24 तथा अधिकतम् 30 विद्यार्थी कायरत हो सके।
- (2) 30 विद्यार्थियों के लिए 1000 वर्ग फीट, यानि 45×25 लम्बाई व चौड़ाई होनी चाहिए।
- (3) कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने पर उन्हें दो बगौं में विभाजित करना चाहिए।
- (4) प्रयोग के लिए मेजे तथा उनके बीच सिन्क की व्यवस्था हो।
- (5) प्रत्येक सिन्क के किनारों में पानी के नलों का प्रबंध होना चाहिए।
- (6) विद्यार्थी की मेज पर गेस पाईप व बिजली का समुचित प्रबंध हो।
- (7) भेजों को फर्श में जमाकर नहीं रखा जाय जिससे सफाई आदि सुविधा से हो सके।
- (8) प्रत्येक मेजे में पत्र अध्यापन समान रखने व लिए कप बोडेस होने चाहिए।
- (9) अध्यापक वीं मेज में गैस बनर, सिंक, बिजली, कप बोड आदि का प्रबंध होना चाहिए।
- (10) विद्यार्थियों के लिए स्टूल 22 इच से 25 इच तक की हो।
- (11) अध्यापक अध्यापन के समय छात्र उसका और मुँह करके बढ़े।
- (12) प्रयोगशाला का मुख्य सदा उत्तर पीं ओर होना चाहिए ताकि सूर्य का प्रकाश आ सके।
- (प्र३) लिडकियाँ बाच की होनी चाहिए।
- (14) रोशनदान का प्रबंध हो तथा रसायन शास्त्र प्रयोगशाला में एक्जेस्ट फन लगाया जाय।
- (15) लिडकियाँ फश से 4 फीट ऊँची हो।
- (16) एक्टिवरियम् एक अलग स्थान पर बनाया जाय।
- (17) अधेरे कमरे बनाने के लिए लिडकियों पर काले पट्टे लगाने जान चाहिये।
- (18) दीवार के किनारों पर उचित स्थानों में आलमारिया रखी जानी चाहिए।
- (19) कप बोडेस की चाविया रखने के लिए अलग स्थान बनाया जाय।
- (20) दृत पर एक पानी की टक्की का प्रबंध होना चाहिए।
- (21) बु सन बनर(Bunsen Burner) के प्रयोग हेतु गेम-टक्की की व्यवस्था हो।
- (22) भौतिक तुला सादि के लिए समतल व बठोर धगतल हो।
- (23) अध्यापक की मेजे के पीछे श्यामपट्ट हो।
- (24) फण मजबूत हो व नालिया कश के नीचे हो।

- (25) प्रयोगशाला के पास सामान रखने हेतु धारा कमरा हो ।
- (26) सामान तथा प्रयोगशाला बद करने वी व्यवस्था हो ।
- (27) इमरे मे रोकनी, पानी, गैस का प्रचुर मात्रा म प्रबाध हो ।
- (28) अधिक इमरे को कई प्रयोग मे लिया जा सकता है जैसे फोटोग्राफी आदि ।
- (29) विषय विशेष या सामाय फिल्म दिखाने हेतु पर्द की व्यवस्था की जानी चाहिए ।
- (30) सशाधित माँडल, उपकरण आदि बनाने हेतु व्यवस्था होनी चाहिए ।
- (31) प्रसिद्ध वैज्ञानिकों वे चित्र व उनके द्वारा किये गये आधिकारी वा उल्लेख हो जिससे उचित धातावरण व उत्प्रेरणा देने मे सहायक होते हैं ।

अब हम विभिन्न विषयों की प्रयोगशाला के घारे मे विचार-विमर्श करेंगे जो सामायत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालाओं वो आवश्यकता है और उनके लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण ।

प्रयोगशाला की सामग्री व उपकरण — अध्यापक प्रभारी को पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते हुए निश्चय करना पाहिए कि कौन कौनसी सामग्री और उपकरणों वी आवश्यकता धारा को हो सकती है किर यजट वो भी हॉट मे रखना चाहिए वर्ष एवं म अधिक उपयोगिता के सिद्धान्त वा पालन करे । इन्रुवाईज्ड उपकरण धारों के द्वारा भी बनाने हेतु प्रोत्साहन दिया जाना उचित है । समान प्राप्तवरने लिए विनान के उपकरण व सामग्री विक्रय वरने शाल फम से मूर्चियां मण्डा व तुनातमक अध्ययन वरके व्य आैश प्रसारित किये जाय । उपकरण व सामग्री सरल हेतु निम्नलिखित धाता वी हॉट म रखा जाय—

- (1) उपकरणों को ठीक बरने वाल औजार वा प्रायमिक वर्ष दिया जाय ।
- (2) महग उपकरण वी बजाय सकते ही व्य किये जाय ।
- (3) उपकरणों वी प्रायमिकता वे आधार पर व्य किया जाय अर्थात् प्रायश्वर को प्रयम ।
- (4) धात्र सत्या वो हॉट म रखकर ही उपकरण व सामग्री खरीदे जाय ।
- (5) प्रयोगशाला मे वाम मे याने पाली प्रयोग सामग्री पर अपेक्षाकृत अधिक वर्ष किया जाय ।
- (6) प्रयोगशाला म यही उपकरण रस जाय जो धात्रों वे उपयोग नहु हो बेवल प्रयगन लिए नहो ।
- (7) गामग्री वो व्य करने से पूर्व उसको गुरुदा वी व्यवस्था वे घारे म गम्भीरता से विचार करना चाहिए ।

- (8) साधारण—या व्यवस्था वस्तुओं को विद्यार्थी स्वयं प्रयोगशाला में ही बनावे। जिससे कालातर में विद्यार्थियों में खोज करने की ओर अप्रसर होगे।
- (9) भ्रमण के अवसर पर अध्यापकों के निर्देशानुसार 'सप्रहीत' वस्तुओं को कम कीमत पर प्रयोगशाला में रखी जानी चाहिए।
- (10) छाट, वैज्ञानिकों के चित्र, क्रियात्मक रेखाचित्र आदि जहाँ तक हो सके छात्रों को तयार करने हेतु उत्तरेति किया जाय।

प्रयोगशालाओं में सामग्री व उपकरणों का रख-रखाव — प्रयोगशाला में सामान क्रय करके आने या 'संग्रह (Collection) द्वारा प्राप्त होने वाले स्थाई व रोजाना खर्च होने वाली वस्तुओं सभी का प्रयोगशाला में स्टाक रजिस्टर में दज हाते हैं और प्रतिवर्ष इनका सत्यापन होता है। इस व्यवस्था को अध्यापक स्वयं या प्रयोगशाला सहायक द्वारा सम्पन्न किया जाता है। इसके लिए स्टाक रजिस्टर के अतिरिक्त क्रय रजिस्टर आवश्यकता रजिस्टर (Demand Register) तथा वस्तुओं के लेन देन रजिस्टर का उपयोग सामान्यत दिया जाता है। इन रजिस्टरों में वस्तु, मूल्य, तादाद क्रय की गई दुकान का नाम आदि का विवरण होता है। जब वस्तुएँ खच हो जाती हैं या जो टूट-फूट जाती है उह प्रधानाध्यापक की अनुना से खारिज की जा सकती है। स्थायी वस्तुओं के टूटने या खो जाने पर समिति के निर्णय के उपरात राशि को दृष्टि में रखकर ही सक्षम अधिकारी द्वारा 'सर्वे रिपोर्ट फाम' खारिज की जा सकती है। विद्यार्थियों द्वारा निर्मित इ-प्रोवाइडर उपकरणों को भी स्टाक रजिस्टर में दज दिया जाना चाहिए।

प्रयोगशाला में वस्तुओं को सुरक्षित रखने की व्यवस्था — प्रयोगशाला की बीमती विषेशों और विस्फोटक पदार्थों से हानि या दुष्टना वा उत्तरदायित्व सम्बंधित अध्यापक पर होता है। समान आरो उनको प्रयोग द्वारा उपयोग हेतु प्रदान वरने प्रादि का विवरण रजिस्टरों में दज होना होना चाहिए। प्रयोगशाला में सुरक्षा और अनुशासन का कठोरता से पालन हो। अध्यापक को अपेक्षाकृत कम कायभार दिया जाय ताकि वह अच्छी प्रकार से प्रयोगशाला के लिए सुरक्षात्मक उपाय कर सके। अध्यापक प्रति माह अपने स्टाक रजिस्टर से सामान की मिलान करता रहे और प्रतिवर्ष स्टाक रजिस्टरों के आधार पर सर्वे रिपोर्ट फाम भरकर समिति द्वारा निरीक्षण दरवाकर खारिज करने की कायबाही करनी चाहिए। प्रयोगशाला हेतु अध्यापकों और छात्रों के लिए नियमों वा पालन वरना चाहिए।

प्रधानाध्यापक, अध्यापक एवं छात्रों वा शाला प्रयोगशाला के प्रति कर्तव्य — प्रधानाध्यापकों वा शाला की विनान सकाय में जिए उपकरणों की आवश्यकता है उहें अपने साधनों को दृष्टि में रखकर अध्यापक की अभियानुसार व नियमानुसार

कथ करने में सचेत रहता चाहिए। प्रति माह पर्यवेक्षण करके सूजनात्मक सुझाव दे तथा प्रति वर्ष सत्यापन करवाते हुए गनावश्यवं वस्तुओं को खारिज की व्यवस्था करे।

अध्यापक को चाहिए कि वे प्रयोग में ही रहे जब छान कायरत हो, उह नियात्रण में रहते हुए छानों को दुष्टनाशी से बचाने हेतु प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था को तैयार रखे। छानों को समय समय पर आवश्यक निर्देश दे तथा प्रयोग विधि और सावधानियाँ के बारे में विस्तृत ज्ञान दे। गैस, विद्युत विस्फोटक पदाथ व जहरीली वस्तुओं के प्रति सचेट रहे। सामग्री व उपकरणों को पर्याप्त मात्रा में छानों को उपलब्ध बरवाये। विज्ञान विषय की विभिन्न प्रयोगशालाओं में प्रभारी द्वारा 'प्रयोगशाला-क्रियाज्ञो' के प्रति सचेत रहना चाहिए और निधारित समय पर सम्पूर्ण हो जाय।

छानों को सदैव प्रयोग शाला व उनके उपकरण व प्रयोगशाला की सुरक्षा व स्वच्छता के प्रति सचेत रहना चाहिए। प्रयोगशाला में शात्मानुशासन के आधार पर कार्य हो और अध्यापक प्रभारी के आदेश, निर्देशानुसार ही बाय करे। वैयक्ति न रहने से दुष्टना हो सकती है। गैस, पानी, विजली सामग्री का आवश्यकतानुसार ही उपयोग करे। अनजानी वस्तुओं पर प्रयोग अहितकर होता है।

सामाजिक विषयों को प्रयोगशाला (Laboratory of Social Subjects)

आधुनिक विषय वस्तु की इकाई या समस्या जो विषय केंद्रित या अनुभव केंद्रित, उह कोर-कक्षाओं के माध्यम से प्रभावशाली अधिगम का बातावरण छानों को दिया जा सकता है, जिससे वे क्रियाशील बनाने के लिए आवश्यक साज-समान तुरत उपयोग हेतु उपलब्ध करवाये जाय। सामाजिक अध्ययन-सम्बन्धी सभी प्रकार की सुविधाओं से ही छान मूल्यवान अनुभव प्राप्त करते जो प्रभावशाली अध्ययन हेतु आवश्यक है।

वर्तमान में सामाजिक अध्ययन हेतु परम्परागत विधियों की बजाय योजना, स्त्रीत तथा सामुहिक विवेचन जैसी विधियों का सामायत प्रयोग होता है या समस्याएं जो विषय वेन्ड्रित या अनुभव केंद्रित होती है उह 'कोर-कक्षाओं' के माध्यम से स्थाई एवं प्रभावशाली अधिगम हेतु बातावरण देकर स्वत क्रियाशील बनाने की प्रेरणा दी जाती है पञ्चे अधिगम जिससे परिणाम-सूजनात्मकता एवं चित्तन शक्ति की बढ़ोतारी पञ्चे साधन-सुविधाओं पर निर्भर करते हैं। जहा प्रत्येक छान विशिष्ट समस्या 'कायरत होते हैं, परन्तु विषय-वस्तु की इकाई से सम्बन्धित ही। अत सामाजिक विषयों से सम्बन्धित सभी सामग्री अध्ययन जर्यापन किया वेमवसर पर छानों को उपलब्ध

करवाई जाय तथा उहे व्यवस्था सम्बंधी दायित्व सौपा जाय ।

सामाजिक अध्ययन कक्ष में अध्यापक उनकी प्रगति हेतु आवश्यक निर्देश देता है जहाँ विज्ञान की प्रयोगशाला जैसा ही बातावरण हो जिससे प्रयोगशाला कियाग्रो द्वारा प्राप्त अनुभवों से छात्रों के जान में सहज विकास सम्भव हो सके । अत इस निर्विवाद रूप से सामाजिक विषयों की प्रयोगशाला की आवश्यकता का आवश्यक समझते हैं ।

सामाजिक अध्ययन कक्ष की सामग्री —प्रा० मेक कानील एवं आँवड़ के अनुसार 'परिवर्तनशील व एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानात्मण करने योग्य फर्नीचर, शब्द हश्य सामग्री, टेलीविजन, पुस्तकालय, प्रोजेक्शन-रूम आदि की सुविधाएँ' उपलब्ध करवाई जाय ।¹

प्रा० मफत के अनुसार — 'अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया हेतु बड़ी आवश्यकता है— खुल कुसिया डेस्क फाईलिंग बैंकिंग बुक-केसेज आलमारिया, चाक-बोड, तुलेटिन बाड ग्लाव, मैप चाट, प्रोजेक्टर, रिकांडर, रेडियो, टेलीविजन, पुस्तकें, बक बुक, विश्व-बोप, शब्द-कोप आदि ।'²

सारांश रूप में कहा जा सकता है ~ अधिगम प्रयोगशाला का उद्देश्य क्रियाशील क्रियाकलापों द्वारा मूल्यवान अनुभव की सुविधाएँ प्रदानकर प्रभावशाली अधिगम करवाना है ।

भाषा प्रयोगशाला (Language Laboratory)

भाषा अध्यापन में नई विचारधारा

बीसवी शताब्दी में भाषा अध्यापन के सिद्धोत (Theories) द्वारा तिसे भाषा ज्ञान तत्व व मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर पुनर्स्थापना हो रही है । परम्परागत व्याया-अध्यापन विधियाँ केवल अक्षम नहीं बल्कि कुछ अशो में हानिकर सिद्ध हो रह है इसोलिए उन विधियों को भाषा विज्ञान के अन्यापन विधियों से हटाया जा रहा है । वैज्ञानिक आधार पर भाषा विज्ञान को पढाने हेतु नई प्रविधियाँ, अध्यापक की दमता को बढ़ाते हुए प्रभावशाली ढग से अध्यापन हेतु काम में ली जानी है । परम्परागत ट्रिटमेंट से अध्यापन को बदा समझा जाता था लेकिन आधुनिक युग में अध्यापन को

1 जे डी, मेक कानील एवं जी एफ आँवड़ "आन लार्निंग एडेक्टिव कलाश रूम, जनरल प्रोसिजर इन प्लार्निंग एकेडेमिक कलाश रूम" पे 36

2 प्रो मर्फें एम पी "कोसिल स्टडिज इनस्ट्रूटेशन", पे 154

विज्ञान माना जाता है। अध्यापन-काय वो एक सामाय अध्यापक वज्ञानिक आधार पर नियोजन करते हुए अभ्यास द्वारा उच्च श्रेणी की दक्षता प्राप्त करने में सफल सिद्ध हो सकता है।

भाषा शिक्षण वा नात्य भाषा सम्बद्धी नान व सूचना प्रदान करना नहीं है बल्कि विभिन्न प्रकार के उपकरणों वा माध्यम से भाषा अध्ययन के कौशल का विकास करना है अध्यापक की व्यवसायिक दक्षता के मूल्यांकन वा आधार धारों वो भाषा अध्ययन करते हुए उन्हें बोलने, पढ़ने व लिखने हेतु कौशल के विकास में सहयोगी बन सके। अध्यापक की सफलता धारों वो धीरे धीरे अध्ययन के कौशल इस ढंग से विकास करे कि वे विदेशी भाषा के विभिन्न तांबो वा स्वाभाविक ढंग से प्रति उत्तर देने में सफल हो सके। सफल अध्यापक धारों में निरंतर अभ्यास व कौशल से ऐसा आत्म विश्वास पैदा करदे कि वे उक्त भाषा वा गलत उपयोग कर ही न पाये।¹

भाषा प्रयोगशाला—टेप रेकार्डर युक्ति वा ही एक विवरित रूप भाषा प्रयोगशाला है जिसका प्रयोग अमेरिका में बहुत किया जाता है और अब अन्य देशों में उसका प्रचार बढ़ रहा है। इसके प्रयोग के लिए 'वूय' होते हैं। और प्रत्येक वूय में टेप रेकार्डर होता है जो एक मुख्य टप से परिचालित होता है। द्वितीय भाषा शिक्षण में इसका विशेष उपयोग होत है। वालक विदेशी भाषा की ध्वनि एव सरचना का शुद्ध रूप टेप से सुनता है और दूसरे टप पर उस होटराता है। दूसरे टेप को फिर बजाकर अपनी ध्वनियों वी तुलना मूल ध्वनि (प्रथम टेप की ध्वनि) से करता है। इस प्रकार वह विविध सर चनाओं का अभ्यास करता है। वह अनुच्छेदों के बोध प्रश्नों का उत्तर देता है। भाषा प्रयोगशाला द्वारा सभी वालकों वो जपनी गति से प्रगति करने वा अवसर मिलता है।²

उपस्थार-विद्यातय में सनिहित प्रयोगशालाओं का अत्यधिक महत्व है विभिन्न विषयों में विशेष कौशल अर्जित करने हेतु इनकी उपयोगिता स्वयंसिद्ध है। यहाँ आते ही विद्यार्थी विशेष उसाह वा अनुभव करते हैं वे रुचि साथ प्रत्येक वात को यहराई से समझन के साथ साथ 'करके मीखने के सिद्धांत की भी अनुपालना करते हैं। विभिन्न प्रयोगशालाएँ वे विषय विशेषज्ञ वो विचार विमलकर एव गहन चिन्तन के पश्चात ही इनका संगठन करना चाहिए तभी उद्देश्यों की पूर्ति सम्भव हो सकेगी।

1 देशपाठ, एस के "मू टेक्नीकरन आफ से गवेजज टीचिंग"

(नया शिखक वर्ष 9 अव 2 3, 1967, प/212 213)

2 निरजनकुमारमिह, "माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी शिक्षण," प्र 393

मूल्याकन (Evaluation)

(अ) लघुत्तरात्मक प्रश्न ~ (Short Answer Type Questions)

- विद्यालय में प्रयोगशालाओं के महत्व की सक्षिप्त चर्चा कीजिए।
- विद्यालय में प्रयोगशाला का भाषा-किञ्चण में क्या महत्व है ?
- प्रयोगशाला संगठन के क्या सिद्धांत हैं ?

(ब) निम्नधार्तमक प्रश्न (Essay Type Questions)

- विद्यालय शिक्षा में प्रयोगशाला का क्या महत्व है ? एवं विज्ञान प्रयोगशाला की खरेखा प्रस्तुत कीजिए तथा उसके खरखाव हेतु सुझाव दीजिए।
- माध्यमिक स्तर की प्रयोगशाला के लिए व सामग्री के लिए योजना प्रस्तुत कीजिए।
- विज्ञान विषयों की प्रयोगशाला की सरचना बरते समय किन-किन विनियोगों को हिट भ रखना चाहिए ?

[विषय प्रवेश, नई शिक्षा व्यवस्था मे पुस्तकालय की आवश्यकता, शाला पुस्तकालय का उद्देश्य, शाला पुस्तकालय की वतमान दशा, पुस्तकालय निषेजन एव समझ पुस्तकालय कक्ष, फर्नीचर पुस्तकों का चयन, पुस्तकों का बर्गीकरण, खुला पुस्तकालय पद्धति, अनुलय सेवा, कक्षा पुस्तकालय, पुस्तकालय को छात्रों हेतु आवृपक बनाने वे उपाय पुस्तकालयाध्यक्ष के करणीय काय, उपसहर, परीक्षाप्रयोगी प्रश्न]

पुस्तकालय की आवश्यकता एव महत्व

(Need & Importance of School Library)

शाला पुस्तकालय का महत्व शैक्षिक दृष्टि से माध्यमिक शिक्षण व्यवस्था मे सब मात्र है। पुस्तकालय कक्षा मे अध्ययन अध्यापन वे काय वा पूरक करता है क्योंकि कक्षा मे छात्रों का कुछ विषयों की सीमित पाठ्य पुस्तके पढाई जाती है परन्तु छात्रों वा सर्वशील विदास करने के लिए आवश्यक है कि वह विभिन्न विषयों की अनेकों पुस्तक पढ़कर ज्ञान प्राप्त करे और पत्रिकाएं पढ़कर वर्तमान मराठिक घटनामो आदि का परिचय प्राप्त करे। विभिन्न प्रकार वी पद्धतियों से सामाजिक अभिनन्दन द्वारा ज्ञान को अर्जन करने का सफल प्रयास करता है। धीमी गति से अविगम करने वाले बालक व बालिकाओं को भी कक्षा-अध्यापन वे उपरात स्वाध्याय कर वक्षा स्तर वे समान आ सकता है।

विभिन्न क्षेत्रों मे इकट्ठा विद्या हुआ ज्ञान प्राप्त करवाने का पुस्तकालय सीधन है। मैंडो वर्षों पूर्व जिसने समाज को ज्ञान उपलब्ध करवाया, हम याज उनकी पुस्तकों के माध्यमसे प्राप्त कर सकते है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पुस्तकालय के महत्व पर प्रकाश डाला है — 'विज्ञान सम्बन्धी विषयों को पढाने के लिए जो स्थान प्रश्नोगामाला का है तरनीकी विषयों के लिए जो स्थान कायशाना का है पुनर्गठित सूल मे बौद्धिक एव साहित्यिक ज्ञान अभिवृद्धि के लिए वही स्थान पुस्तकालय वा है क्योंकि यही किमी भी सस्था का मुख्य स्थान अध्यवा के द्वारा धुरी माना जाता है। अक्तिगत शैक्षिक वाय सामूहिक प्रोजेक्ट या प्रयोजन, अनेकानेक अक्तिगत खंडियों तथा विविध महायक कायशमो औ सकलता के लिए एव समृद्ध तथा मुख्यवस्थित पुस्तकालय की नितान्त आवश्यकता है।

“महान् दाशनिक सिसरों के घनुसार—“A room without book is a body without Soul”

वालक प्रजातात्त्विक शासन व्यवस्था में स्वचिन्तन करते हुए भिन्न भिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों में अग्रसर हो अर्थात् प्रशिक्षित नागरिकता का प्रशिक्षण शाला समय में ही प्राप्त होता है।

“जाधुनिक शिक्षा प्रणाली में छात्रों को सम्म्या का उद्यन करना, काय सम्बन्ध करने लिए योजना का निर्माण करना, तथा विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर अधि कृत विचारधारा वा प्रतिपादन करना सीखते हैं। इसके लिए विस्तृत अध्ययन, बहुत से सदभौं का अवलोकन करते हुए मूलरूप की सूचना का ज्ञान वाहित है। पुस्तके, पत्र पत्रिकाएं, पेप्पलेट्स, बैंप, दृश्य अव्य सहायक सामग्री, तथा प्रशिक्षण प्राप्ति पुस्तकाध्यक्ष द्वारा पुस्तकालय का संगठन प्रभावशाली ढग से करते हुए इनसे लाभ उठाने के लिए उत्प्रेरित करना आवश्यक है। जाधुनिक युग में किसी भी प्रकार वा कायक्रम प्रभावशाली ढग से सचालित न होकर उद्देश्य प्राप्ति नहीं बर सकता, जब तक पुस्तकालय सेवा किसी न किसी रूप में नहीं पिलती। 1

एक पाठ्य पुस्तक से पाठ्य अम पर अधिकृत अधिकारी बनाने वाला जमाता नहीं है। आज गत्यात्मक पाठ्यक्रम की पूर्ति के लिए बहुत सी पुस्तकों व विभिन्न सदभ विषय वस्तु का अवलाकन करना होता है जिससे शाला पुस्तकालय अपरिहाय होगई है बात ह विभिन्न विद्वानों की पुस्तकों पत्रिकाएँ चित्र, पेप्पलेट्स, डिवसनरी, विश्व-कोष, तथा आय साधनों से सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए शाला पुस्तकालय का संगठन ही उपलब्ध बरखाता है। 2

“अध्यापक वे काय तथा प्रभाव के अतिरिक्त भी पुस्तकालय शिक्षा का मुख्य साधन है। अध्यापक के पास जो शिक्षा के आयाय साधन है, उसम पुस्तकालय भी दिव्य रूप से + रूप है। और यदि किसी बच्चे में पुस्तकों वे अध्ययन के प्रति रुचि तथा प्यार उत्पन्न बर दिया जावे सा बच्चे के लिए ऐसे अस्त्य मात्र खुल जाते हैं जिस पर चलकर वह मानवीय ज्ञान तथा अनुभव वी एक समद्वय निधि प्राप्त कर सकता है। ऐसे वातावरण में जहा पुस्तकों को उचित स्थान दिया जाता है, पले हुए बच्चे, अय वर्चों से निदर्शय ही अधिक ज्ञानवान होगे, क्योंकि बच्चों को आरम्भ से ही ऐस वातावरण में आवश्यकता रहती है जो कि आकृपक तथा मनोरजन पुस्तकमय ही आर विद्यालय

1 Cess and W A Heaps School Library Service ,P 17-18

2 Helen Hesternan, "Foreword to Teachers & Parents' P/7 8

सबप्रथम कतव्य है कि वे वचने की इस आवश्यकता को पूर्ण करें तथा उहें ऐसा बाता—
वरण जुटाए।”¹ आनन्दमय अनुभूति से पुस्तकालय का उपयोग निश्चय ही पुस्तकों के
प्रति प्रेम करने को अग्रसर होगे।

“शिक्षा के दो मुख्य उद्देश्य— धारा वा व्यक्तिम् सर्वांगीण विकास तथा समाज
के सदस्य के रूप में विकास। प्रथम उद्देश्य पूर्णरूपेण विकास करते हुए उसकी क्षमता,
योग्यता, शारीरिक स्फुर्ति के आधार पर बालक वा अधिकतम विकास करते हुए सतु
लित व्यक्तित्व का निर्माण करना है। जबकि दूसरा उद्देश्य वक्षा स्नूल रूपी छोटे समाज
बिल के मदान में सामाजिक व्यवहार का विकास करना। जो व्यवहारिक जीवन में उससे
आशा की जाती है। उसमें सामाजिक जिम्मेदारियों के निवाहि का प्रशिक्षण दिया जाता है।²

“इस प्रकार शिक्षा दशन, नये आयाम, नवाचार व शिदा के उद्देश्यों के हितिकोण
का धारों में विकास शाला पुस्तकालय के माध्यम से सम्पूर्ण करने में सफल हो सकते हैं।³

जॉन डिवी “शाला व समाज” में लिखा है कि पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है।
धारा जहा विभिन्न अनुभव, समस्याये तथा प्रश्न लेकर आते हैं और तब उन पर विचार
विमर्श करते हैं और दूसरों के अनुभवों तथा संग्रहीत विद्वता, जो कि पुस्तकालय में सुस
जित, सुध्यवस्थित तथा प्रदर्शित रहती है, वे माध्यम से नवीन ज्ञान की खोज करते हैं।⁴
यह पुस्तकालय के महत्व को स्वत ही स्पष्ट करता है।

नई शिक्षा व्यवस्था से शाला पुस्तकालय की आवश्यकता 5

डा एस आर रगनाथन ने नई शिक्षा व्यवस्था में पुस्तकालय का महत्व बताया
है कि—

- (1) व्यक्तिगत विभिन्नता व विकलाग धारों के सहयोग के लिए
- (2) डाल्टन शिक्षण-पद्धति के प्रतिपादन के लिए
- (3) गृह ज्ञाय के लिए
- (4) एसाइ-पेट के लिए
- (5) प्रोजेक्ट शिक्षा पद्धति के लिए
- (6) उद्देश्यनिष्ठ अध्ययन के लिए

1 Smeaton, J “School Libraries, Ministry of Edu 1959 P/I

2 Carnegie United Kingdom Trust” Libraries in Secondary Schools’ P/12

3 Viswanathan, CG, ‘The High School Library’ P/4

4 Ranganathan, SR ‘Suggestions for org of Libraries in India’ P/15

5

- (7) वार्षिक लघु शोध लिखने के लिए
- (8) चित्रमय अध्ययन के लिए
- (9) गलत सकल्पना को सही समझने के लिए

डा. रागनाथन¹ ने पुस्तकालय को विद्या शार्ति के लिए अच्छा साधन बताया है कि अच्छे साहित्य पढ़ने से तथा सान्तिकाल में उन्नति होती है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने से द्यात्रों में युद्ध अभियानों नष्ट होगी। वायशाला की सना भी शाला पुस्तकालय को दी है जहाँ द्यात्र अपने अध्ययन धाय में त्रियाशील रहते हैं। शिक्षण-संस्था की धूरी शाला पुस्तकालय वो बताया है क्योंकि शिक्षण के सारे उपागम इसी पर निभर करते हैं। “क्या है” भी व्याहोना चाहिए, हम आसे मुद्दे हुए नहीं, खोलकर निष्कप निकालते हैं। पुस्तकालय आधे खोलती है पुस्तकालय की पठनीय सामग्री से।”

प्रो. फरगो के अनुसार विद्यालय पुस्तकालय के निम्न उद्देश्य हैं—

- (1) द्यात्रों तथा उनके पाठ्यप्रमाणी आवश्यकताओं के अनुसार पुस्तकों तथा दूसरी सामग्री प्राप्त करना तथा उनका ठीक प्रकार से प्रबन्ध करना।
- (2) विद्यार्थियों को पुस्तकों व धाय शैक्षणिक सामग्री स्वयं चयन करने हेतु पथ प्रदान करना।
- (3) विद्यालय में पुस्तकालय तथा पुस्तकों वा प्रयोग सम्बंधित बुशलता उन्नत करना तथा स्वयं शोस सम्बंधी आदतों को प्रोत्साहन करना।
- (4) आवश्यक रुचियों को उन्नत करने में विद्यार्थियों की सहायता करना।
- (5) सोदर्यात्मक अनुभव तथा क्लास्टमक प्रशासन को उन्नत करना -
- (6) आजीवन शिक्षा को प्रोत्साहन करता है।
- (7) साजिक रूभानों को प्रोत्साहित करना तथा सामाजिक एवं प्रजातात्रिक जीवन में अनुभव देना।
- (8) विद्यालय तथा प्रशासन की हृषि से स्वूल स्टाफ के साथ सहकारिता का बाय करना है।

उपरोक्त कथन के आधार पर हम कह सकते हैं कि पुस्तकालय को आवश्यकता तथा महत्व—द्यात्रों में अध्ययनशीलता का विकास, विभिन्न रुचियों और आवश्यकताओं की पूर्ति, सामाजिक ज्ञान की वृद्धि सहायक पुस्तकों के अभाव की पूर्ति, प्रिय विद्वान् लेखकों से सम्पर्क, कक्षा शिक्षण की पूर्ति, अवकाश के समय वा सद्गुपयोग, अन्यापकों के बोटिक विकास में सहायक, मौन पाठ वा ग्रन्थास, ग्राम्यनिकतम ज्ञान प्राप्ति नई शिक्षण विधियों

¹ Ranganathan SR 'New Education and School Library' P/17 18

द्वारा अध्ययन, शकांशो का निवारण तथा बालकों के चरित्र गठन में सहायता होता है। सेक्रित जहां तक सभव ही पुस्तकालय के संगठन एवं सचालन में प्रजातात्त्विक रूख अपनाते हुए छात्र व अध्यापकों को अधिकाधिक भाग लेने दिया जाय जिससे वे पुस्तकालय की ओर स्वतं आकृष्ट होते और उनमें पढ़न की प्रवृत्ति बढ़ेगी और पुस्तकों से प्रेम बढ़गा।

शाला पुस्तकालय का उद्देश्य (Objectives of School Library)

माध्यमिक शिक्षा आयोग निम्नलिखित उद्देश्य बतलाये हैं।

- (1) बतमान प्रजातात्त्विक सामाजिक व्यवस्था में सहभागी होने का प्रशिक्षण देना।
- (2) प्रपने राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि के लिए प्रायोगिक और व्यवसायिक दक्षता का विकास करना।
- (3) द्वात्रों में साहित्यिक प्रलातमन और सांस्कृतिक की रुचियों का विकास करना जो स्वयं का स्पष्टीकरण करने तथा व्यक्तित्व के विवास हेतु आवश्यक है।¹
- (4) 'पुस्तकालय-बातावरण से विद्यार्थी को प्रजातात्त्विक नागरिकता के गुणों का विकास हेतु बहुत से अवसर प्राप्त होते हैं।'²
- (5) 'शाला पुस्तकालय मानव जगत् के तजुर्बे व ज्ञान का प्रतीक है जो विद्यार्थी तजुर्बा व ज्ञान प्राप्त करते हैं।'³
- (6) अध्यारकों को अध्ययन अध्यारण में मुख्या देना।
- (7) स्वाध्याय के कोशल का प्रशिक्षण देना।
- (8) पुस्तकों को प्रदर्शित कर उत्प्रेरित करना ताकि छात्र खालों समय में मिनवत् साचित हो सके।
- (9) पाठ्यक्रम का अधिक उपादेय बनान में सहयोग देना।
- (10) छात्रों के लिए विविध साहित्य को वर्गीकरण द्वारा क्रमबद्ध करना तथा सूचीकरण द्वारा निर्धारित स्थान की ओर इग्नित करना।
- (11) पुस्तकालय प्रगतिशील अध्यायन विधियों का अभ्यास करवाने का अनिवार्य साधन है।⁴
- (12) 'व्यश्य-व्यवहार साधना' के माध्यम से सम्पादन कार्यक्रम से छात्रों में उन पर काम करने वा प्रशिक्षण मिनता है और संक्षिप्त उपयोगिता भी है।⁵

¹ Secounday Education Report quited by Dr C G Viswanathan
Book title 'The High School Library' P/4

² Malfatt M P, Social studies 1st Instruction' 309

³ 308

⁴ Govt of Indian Report op cit 110

⁵ Linder Ivan H, 'Secondary School Adm, 249

- (13) 'पुस्तकालय' व समाज के नेताओं के सहयोग से समाज या क्षेत्र के विकास हेतु कायक्रम का निर्माण करना । ।
- (14) विद्यार्थियों के लिए उपयोगी पुस्तकों के चयन और अच्युत साधनों के एकत्रिकरण के लिये अध्यापकों का सहयोग प्राप्त करना ।
- (15) छात्रों में शैक्षिक सम्पन्नता प्रदान कर उपयोगी व व्यवहारिक इक्टिकोणा का विकास करना ।
- (16) छात्रों को सदभ साहित्य व प्रयोग के बारे में परिचित करवाना और उपयोग करने को विधि भी समझाना ।
- (17) तर्वं-चिन्तन व निर्णय शक्ति का विकास हेतु तयार करना ।

शाला पुस्तकालयों की वर्तमान दशा (Present Condition School Libraries) शाला पुस्तकालय नाम मात्र की न होकर सरकार इस और ध्यान दे रही है परन्तु अभी भी स्थिति विशेष सुधार नहीं है । गढ़े, सकरे अनाकपक एवं शोर गुल के बीच स्थित है । पुस्तकालय प्रभारी अप्रशित, पुस्तकों की सख्ता व स्तर दोनों इक्टियों से हीन है । माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में पुस्तकालय को नाम मात्र ही बताया है । उहोंने उल्लेख किया है अधिकाश माध्यमिक अनुपयुक्त तथा छात्रों की अभिभूतियों एवं स्वचियों को ध्यान में न रखकर चयन की हुई पुस्तकें हैं । उनको कुछ आलमारियों में रख कर बाद बार दिया गया है । आलमारिया अनुपयुक्त एवं अनाकपक कक्ष में रख दी गयी हैं । पुस्तकान्य जिन व्यक्तियों द्वारा अधीन, वे या तो कलंक हैं या शिक्षक, जो अशकालिन आधार पर इस काय को बरते हैं और जिनकी इस काय में रुचि नहीं है लौर न ही उनको पुस्तकों से प्रेम है और ऐ पुस्तकालय-नीतियों का नान । स्वभावत वहीं सुध्य-स्थित पुस्तकालय सेवा नाम की बोई वस्तु नहीं है जो कि जट्ठयन करने तथा उनमें पुस्तकों के प्रति प्रेम जागत बार सके ।²

वर्तमान पुस्तकालयों में आयोग ने भी इनकी दुष्काशा के बारे में प्रकाश ढाना है कि इन पुस्तकालय व्ही ठीक आवास व्यवस्था नहीं, प्रशिक्षण प्राप्त पुस्तकालय नहीं, अध्य-पर्व पुस्तकालय व पुस्तकों के प्रति अपेक्षाभाव, पुस्तके निम्नकोटि की चयन की जाती है, बजट बहुत कम रहता है गुम होने के भय से वर्गीकरण नहीं की जाती, समय सारिणी में स्थान नहीं, परीक्षा उत्तीर्ण ही उद्देश्य होने से सस्ती कु जीया ही छात्र पढ़ते हैं ।

1 Jacobson et al, op cit P/603

2 Report of the Education Commission P 180

"पुस्तकालय के लिए 20 प्रतिशत शालाएँ हैं जियाँ अलग से पुस्तकालय-वक्ष हैं। पुस्तकालय-वक्ष है भी तो बहुत छोटा केवल दस प्रतिशत के पास 250' फीट है, पुस्तकों व पत्र-पत्रिकाओं के लिए बजट नहीं देश की लगभग 50% स्थायें ऐसी हैं जहाँ वर्ष में 500/- पुस्तकालय पर खच होता है। देश की शाला पुस्तकालयों में केवल 0.10% प्रशिक्षण प्राप्त पूरे कायकाल के लिए पुस्तकाध्यक्ष उपलब्ध हैं।"

ऐसी स्थिति में पुस्तकालय के उन्नयन के लिए कायवाचित है।

पुस्तकालय सेवा के उन्नयन हेतु शाला पुस्तकालय के नियोजन, वर्गीकरण, सूचीकरण, वक्ष-पुस्तकालय, पुस्तकालय-भूमतक चयन, छात्र व छात्रों के पुस्तकालय व प्रति सनेह वर्नना सीखाया जाना चाहिए ताकि शाला पुस्तकालय का सगठन ठीक ढंग से किया जाकर प्रभावशाली सेवाएँ प्रदान कर डा एस आर रगनाथन के पांच सूत्रों का निर्वाह किया जा सके।"

पुस्तकालय का नियोजन एवं सगठन

(Planning and Organisation of School-Library)

स्थिति - शाला पुस्तकालय की स्थिति शाला की चार दीवारी में के द्र स्थल पर ही जहाँ से सभी छात्र व अध्यापक वर्षेर आलस्य किए आकर उपयाग पर रथ। केंद्रीय-स्थल पर पुस्तकालय की स्थिति प्राय सभी पाठका के लिए सुविधाजनक रहेगी। यह स्थान पूर्ण रूप से ज्ञात होना चाहिए। यह पारीरिक शिक्षा पद्धति, सगीत जलपानप्रदृढ़ तथा प्रशासनिक कार्यालय के पास नहीं हानी चाहिये।"

यदि शाला-ब्लॉक व्यवस्था (Block System) का है तो, मुख्य भवन से दूर होना चाहिए।"

कमरा या हॉल पुस्तकालय के लिए चयन किया जाय तो वह निम्न प्रायशक्तिगार्गी की पूर्ति करने वाला हो —

- (1) बातावरण शात एवं स्वास्थ्यप्रद हो।
- (2) पुस्तकालय में प्रचुरमात्रा में प्राइवेट रागनी व स्वच्छ हवा या प्रमय य हो।
- (3) दोषफल पर्याप्त मात्रा में हो जिससे व्यागम से अतिगम य गमूद्ध य पारिगम हो सके।
- (4) पुस्तकालय के उपनीम हेतु जाता गमय ये उपग्रात भी गुप्त रहे।
- (5) नविष्य में पुस्तकालय के विकास की व्यवस्था हो।

चनूल-जाकार जाता भवन में पुस्तकालय आ नहिं केंद्र बना या छात्र में हो चाहिए।

1 Mukerjee Ak. School Library'-NCERT P (vi)

2 डा रगनाथन, एम आर 'पुस्तकालय विज्ञान की उन्निश्च' पत्र/मूल २८

3 Viswanathan, C G, 'The High School Library P/27

4 Ralph, R G, 'The Library in Education' P/108

पुस्तकालय कक्षों - "प्रत्येक पुस्तकालय का एक आकर्षक सुन्दर एवं मनोहर भवन होना चाहिए। जैसे ही आप पुस्तकालय में प्रवेश करते हैं आपकी हाथि लेन देन विभाग, आकर्षक शेत्फ और चमकती हुई बेज-कुसियों पर पढ़ती है। आकर्षक पुस्तकालय में बोठबर कुछ उपयोगी काय करने वाले आमत्रित वरे ॥"

डा रमनाथन वे पाठ्ये सिद्धांत- 'पुस्तकालय विज्ञानशील सम्पद है। (Library is growing organism) अत पाठ्यों वी सम्पद निरन्तर बढ़ेगी। पाठ्या और पुस्तका वी अधिकृदि के साथ-साथ सदस्यी आशावित अभियुदि पुस्तकालय निर्माण के कारण हुया करती है पुस्तकालय भवन के निर्माण में भी व्यस्त अवस्था की आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए इसके भवन को अग्नो मे पूर्ण बरने वा बायक्रम बनाना चाहिए।" 2

शाला पुस्तकालय एक अलग इकाई के रूप में कायरत रहगा। यदि ट्राव-व्यवस्था के आधार पर शाला का निर्माण हुया है तो वे द्वीप-ट्रांक मे रखा जायेगा। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक पुस्तकालय यदि एक बड़े हॉल या बहुत बड़े कमरे मे स्थानित करना है तो सामायत पाँच भागों मे विभाजित करना चाहिए— 1 मुख्य पुस्तकालय, 2 पुस्तकालयाध्यक्ष का काय-एम 3 सम्मेलन कक्ष 4 बाचनालय एवं 5 स्टॉक रूम । 3

शाला पुस्तकालय के लिए इतने बड़े क्षेत्रफल का भवन हो वि एक बार मे एक कक्षा पुस्तकालय का उपयोग हेतु सभा सभे पाठ्यों के लिए बैठने की क्षमता शाला में प्रविष्ट छान सरदा पर ही निभर करता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 30 से 40 छानों की सह्या एक कक्षा के लिए निर्धारित की है तथा 500 से 750 शाला मे कुल छान सरदा। आग अभिशापा की है वि प्रत्येक छान के लिए 10 वर्ग फीट क्षेत्रफल होना चाहिए। अत इस आधार पर एक साथ 40 विद्यालियों के बैठने की व्यवस्था हो।

फर्नीचर — पुस्तकालय अधिक चमकदार न हो। फर्नीचर उपयुक्त भजवूत तथा सुन्दर हो और उह सरलता के साथ फिट किया जा सके। फश वो कवर किया जाना चाहिए जिससे देखने मे आवश्यक तथा आवाज का न आना। यह कवर ऐसे ढग से लगा या जाय वि सफाई आसानी से सम्भव हो सके। जूट, कारपेट, नाईलॉन, पार्पेट अवैक्षा वृत ज्यादा उपादेव रहेगा।

पुस्तकालय के लिए लकड़ी का काय आकर्षक टीक की लकड़ी से तयार किया हुया होना चाहिए। लिडकिंया पर सावारण पर्दे लगाये जाने चाहिए। पुस्तकालय मे सूख की

1 डा रमनाथन, एस आर 'पुस्तकालय विनान की भूमिका' बेज/21

2 753-754

3 विज्ञान विज्ञान की 'दी हाई स्कूल लाइब्रेरी'

रोशनी को आने में किसी प्रकार की वाधा नहीं होनी चाहिए। साज सज्जा आकपक ही। चित्र को उत्तरे रणादायक हो, जिसकी कला—मूल्य हो उसे लगाना चाहिए जो सामायत पठक देख सके और उन पर रोशनी की भी प्रचुर व्यवस्था हो। चित्रों वा छड़न शाला के वरिष्ठ छात्रों से ही मन्मन करवाया जाय।

पुस्तकों को रखने के लिए सत्त्वस प्रमुख फर्नीचर है। सैत्वम खुले तथा आवश्यकतानुसार समायोजित करने की क्षमतावाला हो। लकड़ी के सैत्वज लोहे के सैत्वम से सस्ते होते हैं। 'मुनिट-युक केसेज' बढ़िया होते हैं।

सैत्वस की ऊँचाई 5 फीट 4 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसका नीचला सैत्वस धरातल से एक फीट ऊँचा होना चाहिए। सैत्वज 8 इंच से 10 इंच गहरे, 4 to 1 मोरे तथा 3 फीट लम्बा नहीं होना चाहिए।

मुविधाजनक तथा आकपक कुसियाँ व टेबुल पुस्तकालय के लिए हानी चाहिए। टबुल वा साईज 5' × 3' छ पाठकों के लिए उपयुक्त है। छोटे छात्रों के लिए 2 फीट तथा बड़े छात्रों के लिए 3 फीट ऊँचाई होनी चाहिए।

कुसियाँ आकपक हो सेक्षिन वगैर हत्ये की होनी चाहिए। कुसियों के पैरों के नीचे रेड के गुटके लगे हो ताकि आवाज नहीं आये।

पाईलार बेबिनेट — पुस्तकालयाध्यक्ष की डेस्क, मैगजीन, रेक सूचीदारण फाइलें, जादान प्रदान करने की टेस्क चार्जिंग ट्रै, एटलस स्टेण्ड बुलेटिन-रोड पेप्पलेट बौबन बुक-स्पोटम तथा दीवार घड़ी आदि।

पुस्तकों का चयन

(Book-Selection)

पुस्तकालय के भवन के निर्माण के उपरात सबसे महत्वपूर्ण काय पुस्तकों का चयन परना है जिसके पीछे उद्देश्य है "पुस्तकों का चयन ना दि पुस्तका वा मग्रह।" भारा पुस्तकालय अपने निर्धारित बजट के अनुरूप ही चयन काय बरता है पुस्तकों का चयन-आवश्यकता, उपयोगिता, स्थायी साहित्य होना चाहिए। पुस्तक को त्रप्त करने से पूर्व गम्भीरता से पुस्तक भी उपयोगिता व स्थाईत्व को दृष्टि मे रखकर ही मध्यन किया जाना चाहिए। पुस्तक नय करने से पूर्व गम्भीरता से विचार वाधित है। "पुस्तकों के चयन के बारे में नीति का स्पष्टीकरण सभी को कर देना चाहिए जिसम चार सिद्धातों को दृष्टि मे रखा जाना चाहिए। (1) उपयोगी पुस्तकों लेनी है, (2) पुस्तकालय म तु

लित रहे (3) द्यावों की रुचियों का सामृद्धिकरण हो जाय, तथा (4) रुचिया में परिमाजन व समाजोपयोगी बनाना ।”¹

शाला-पुस्तकालय सभी स्तर के द्यावा दे हित वो हाइट में रखते हुए बरना चाहिए। पाठ्य-पुस्तके उत्प्रेरणादायक पुस्तके, पवित्राएं, नाटक, पर्म जीवनी, दग्न, उपायास, सूचनाप्रद पुस्तके विज्ञान, इतिहास यात्रा एवं उपयोगी-बत्ता, मनोरजन वे लिए पुस्तके हास्य लेख, सभी ज्ञान थेग्र पा हस्का-फूलका साहित्य ।

अनुलय सेवा — सभी से अत्यधिक उत्तरदायित्व पुस्तकालय का है—अनुलय सेवा प्रश्नन बरना। सदम सेवा (अनुलय—सेवा)। द्यावों के स्तर के अनुच्छ पर्योग्यन हतु विश्व वाय जैसे “वट्ड युक इनसाकोपिडियाँ, आवस्फोड़ जुनियर एनसाईक्लोपिडियाँ थेविय भाषा वा विश्व—कोप, अच्छे स्तर वा शब्द योप तथा एटलस नी यदि इथाई शब्द योप हा तो अय करना चाहिये ।

अध्यापकों दे मदर्म हेतु अलग से विभाग हाना चाहिए जहाँ द्रहस्त सामाय चाल एवं अनुलय पु तके उपलब्ध होनी चाहिए ।

पुस्तकों के चयन वे लिए सभी अध्यापकों वा क्रियाणील करना चाहिए। स्थानीय सावजनिक पु तबालय के पुस्तकाध्यक्ष, भी समिलित किया जाय द्यावों के सजनात्मन सुझावा का मानवता देनी चाहिये। पुस्तकों के चयन करते बत्त सभी उम व शरणे वालकों को हाइट में रखे। शाला की माग, धावश्यवत्ता व अथ व्यवस्था तीनों म साम—जस्य बैठासर अय किया जाय ।

पुस्तके आवपक क्वर पेज अच्छी द्याई, प्रबुर मात्रा मे प्रांतागिक रेता वि: के साथ ही पुस्तकालय सस्करण ही अय किया जाय त्रिसभी जिल्द मजबूत हो। पुस्तक अय करने के साधन — राष्ट्रीय सूची, विषय एव लेखक सूची साप्ताहिक, मासिक, और मासिक लिस्ट जो विभिन्न विश्व विद्यालयों व बोड द्वारा प्रसारित होती है। शिक्षा निदेशक से प्रसारित लिस्ट, प्रकाशक का सूचि—पत्र, पत्र—पत्रिकायों मे द्यरी समालोचनाएं, पाठ्यको व विषय विशेष के विद्वानों द्वारा दिए गये सुभावों के ग्रावार पर अय करने की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

आर सी रेल्फ के शब्दों म पुस्तक चयन की बात समाप्त करत है—“A School Library Can not reflect the Character, it is better for it make its own Collection which, if not ideal, will at least be Characteristic ”²

1 रैफ आर जी ‘दी लाईब्रेरी इन एज्यूकेशन’ प 58

1 Ralph Rc ‘The Library in Education’ P/58

पुस्तकों का वर्गीकरण एवं सूचीकरण (Classification and Cataloging of Books)

वर्गीकरण—पुस्तकालय पुस्तके पाठ्यों के लिए तैयार होती है उसमें सब प्रथम वैज्ञानिक प्रमुख आलमारियों में व्यवस्थित करना पड़ता है जिससे उसका अधिक से अधिक उपयोग सरलतापूर्वक हो सके। पुस्तकालय विज्ञान के अन्तर्गत इस क्रिया को पुस्तक-वर्गीकरण कहा जाता है। कट्टर के अनुसार—‘एक ही विषय या सामान्य विषय पर लिखी हुई पुस्तकों को समूह में करने को वर्गीकरण कहते हैं।’² वर्गीकरण करते समय निम्न पाच सिद्धान्तों को इष्ट में रखा जाना चाहिए।³

- (1) मूल विषय के आधार पर अधिक उपयोगी वर्गीकरण हो।
- (2) एक पुस्तक कई विषयों से सम्बन्धित है तो सबसे महत्व के विषय में रखी जाए।
- (3) विषय के उपभाग के विशिष्ट विषय में रखी जाए।
- (4) पुस्तक का वर्गीकरण करते हुए निर्धारित भ्रक्तु दिए जाए।
- (5) विषय को आगे नापा, प्रकार, पुस्तक प्रकाशन वष प्रादि को ध्यान में रखते हुए रखी जाए।

समार में अनेक वर्गीकरण पद्धतियां प्रचलित हैं उसमें छ प्रतिद्वंश उल्लेखनीय है—(1) दशमलव पद्धति, (2) विस्तारशील पद्धति, (3) काप्रेस ला पद्धति, (4) विषय पद्धति (5) वालन पद्धति, (6) वाडमय सूचि विषय। इसमें सबसे प्रतिद्वंश पद्धति ‘डबी बलामीफिलेशन प्रणाली’ है। जिसमें सम्पूर्ण ज्ञान का 9 वर्गों में विभाजित विषय योग्य है। दस वर्ग इस प्रकार है—0 सामान्य, 1 वर्णन, 2 धर्म, 3 सामाज विज्ञान, 4 भाषा शास्त्र, 5 शुद्ध विज्ञान, 6 उत्तरी बलाएं 7 लिंगाद्यनाएं 8 साहित्य एवं 9 इतिहास।

सूचीकरण—पुस्तकालयों में सकलित अध्ययन सामग्री का अधिक से अधिक उपयोग सूचिकरण के याध्यम से ही हो सकता है। सूचीकरण पुस्तकालय की ‘शास्त्रे’ है जिस प्रकार वगैर आंखे ध्यक्ति नहीं देते पान। ठीक इसी प्रकार वगैर सूचीकरण पुस्तक का निर्धारण स्थान मात्रम नहीं पड़ सकता। सूचीकरण उन सभी वर्णित विषयों की जानकारी सहज में ही प्रदान करता है। ‘सूचिकरण’ के बगार लेन्ड पुस्तक यालेन्ड, व विषय का ज्ञान नहीं हो सकता, पुस्तक के विषय की व सेवन की पुस्तक उपरब्ध है या नहीं पसाद को पुरतक प्राप्त करवाने में सहायता करता है।³ इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु नेशनल सूचीकरण, अलेख सूचीकरण व विषय सूचीकरण तैयार की जाती है।

² Dutta, A Practical to Library Procedure P/20

³ Mukerjee, AK ‘School Library’ P/19

अच्छी सूचीकरण प्रणाली के आवश्यक तत्व हैं—(1) पाठ्का के अनुकूल हो (2) उत्तम पढ़ति, (3) आधुनिक उपयोगी हो, (4) पढ़ति सुनोच हो, (5) पूर्ण एवं नियन्त्रित होना चाहिए। सूचिदरण में रजिस्टर, खुले पत्र एवं पद्धति प्रणाली हैं।

खुला पुस्तकालय पढ़ति (Open Shelf System)

स्वच्छाद प्रवेश व्यवस्था से आशय है कि प्रत्येक पाठ्का को अविकार है कि वह पुस्तक आलमारियों के पास जावर अपनी इच्छा वी पुस्तक का चयन करता। वह बिना किसी हिचकिचाहट के व्यक्तिगत घरेलू पुस्तकालय की तरह उपयोग कर सकता है।¹ इसके परिणामों की ओरभी सचेत रहना चाहिए और उसे कम करने के लिए भवन का निर्माण बरते वर्त पुस्तकालय में आने और जाने वा एक ही रास्ता रवा जाय और अर्थ लिडकिंग्स तारबाली जालियों से बांद कर दी जानी चाहिए। पुस्तका के पेत्र फाइन जानबूझ कर पुस्तकों को गलत स्थान पर रख दना अत दुलभ ग्राव थोटे-थोटे पेम सैट आदि स्वच्छाद प्रवेश से अलग रखे जाय।

जब तक कोई मुक्कमिल व्यवस्था पूर्व में न हो जाय तब तक 'स्वच्छाद प्रवेश' व्यवस्था को लागू करने की नहीं सोचनी चाहिए।²

अनुलय सेवा (Reference Service) सामाजिक सद्भ पुस्तकों के बारे में उपयोग करने वा ज्ञान प्रभावशाली अधिगम के लिए उपयोगी है। शाला पुस्तकालय निर्देशन मुभाव, सही तथ्य छाप्रो तक पहुचाने वा सफल प्रयास किया जाता है। बहुत से छाप्रो वो शाला पुस्तकालय में जाकर भी यह ज्ञान नहीं होता कि सही सूचनाओं को किन प्रकार संग्रहीत करे।

पुस्तकालयाध्यक्ष वो चाहिए कि पुस्तकालय के नियमों, पुस्तकालय व्यवहार, वर्गीकरण, सूचीकरण व्यवस्था तथा सूचियों को देखना, निश्चय समय पर निकलने वाली पथ पत्रिकाओं व पुस्तकों के बारे म व्यक्तिगत निर्देश दे। उसे बहुत ही व्यवहार कुशल व मृदुल स्वभाव का होना चाहिए ताकि छात्र और हिचक के उससे सह योग के लिए पहुच सके। सादर्भ सेवा दो प्रकार की होता है— 1 प्रस्तुत सद्भ सेवा और व्याप्त (लम्बे समय तक चलने वाली) सद्भ सेवा। प्रस्तुत अनुलय सेवा म सिर्फ़ पुस्तकों के द्वारा अभीष्ट सूचना शीघ्रतिरीच प्रस्तुत की जाती है। 2 व्याप्त अनुलय सेवा में सूचनाओं वा प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत अनुलय सेवा की मपेक्षा कुछ अधिक समय लेता है।

1 डा रणनायन एस आर अनुलयालय विज्ञान वी भूमिका पेज/743

2 मुक्कर्जी एके स्कूल लाइब्रेरी

कक्षा पुस्तकालय (Class Library) 'आधुनिक युग मे यह दृष्टिकोण बन गया है कि प्रत्येक शाला मे केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित हो । कक्षा कक्ष पुस्तकालय स्वच्छदं प्रवेश केंद्रीय पुस्तकालय व्यवस्था अधिक लाभान्वित होता है । आज भी शाला मे कक्षा पुस्तकालय को प्रार्थनिकता देते है ।'¹ । यदि कक्षा पुस्तकालय को व्यवस्थित रखें तो अत्यधिक उपयोगी सम्भावनाएँ बन जाती है । मे बाहर के छात्रों द्वारा स्वयं ही पुस्तकें संग्रहित की जाती है और संगठित भी जाती है । यह शाला मे कानूनिक का ही मान है । शाली समय का सुनुपयोग कक्षा-पुस्तकालय व्यवस्था से व्यवहारिक एप दिया जा सकता है इसको प्रभावशाली ढग से चलाने हेतु अधिक धन की बजाय अध्यापक का दृढ़ निश्चय ही काम जाता है । कक्षा पुस्तकालय से आदान-प्रदान अद्व्युक्ताश मे सम्पत्ति किया जा सकता है । शाला पुस्तकालय मे महत्वपूर्ण पुस्तकों की कई प्रतियां लेकर बना पुस्तकालय के उपयोग हेतु दे सकता है ।²

पुस्तकालय को छात्रों हेतु आकर्षक बनाने के उपाय

(Suggestions to make Library attractive to the Students)

शाला या कक्षा पुस्तकालय का संगठन करन मात्र से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती । विश्वस्था वालका को परतव के प्रति प्रेम जाग्रत करना है । यद्यपि इस क्रिया की अति धीमी है लेकिन एक दफा छात्रों मे इस आदान का निर्माण हो जाता है तो । स्वयं ही शाली समय मे पुस्तकों का उपयोग हेतु पुस्तकालय स्वत ही जाने वी आदत रन जायेगी ।

शाला छात्रों का ज्ञान, अच्छी पुस्तके प्रदान करना अच्छे पत्र एवं पत्रिकाओं की व्यवस्था करना उनका महत्वपूर्ण बत्त व्य है । शाला पुस्तकालय छात्रों मे ऐसा वौगत रहा करता है कि वे अच्छी और गंदी पुस्तक अच्छों व गंदी पत्रिका, के बारे म भेद कर सके, और विश्वविद्य, शब्द कोप तथा अनुक्रमिका का उपयोग करना सीख लता है । पुस्तकालय ये पुस्तकों दे आदान-प्रदान की व्यवस्थाओं को हृदयगम कर लेता है ।

"उसे पाठ्यका का ध्यान नई पुस्तकों पर जाना चाहिए तथा समग्र-समय पर भरनी पस्तकों की व्यवस्था पर ध्यान भावित करना चाहिए । शाला पत्रिका म प्रसारण करना चाहिए ।"³ 3 पुस्तकालय की प्रभावशाली सेवा के लिए उसे विशिष्ट पुस्तकालय

¹ रणनाथन, एस आर 'पुस्तकालय विज्ञान की भूमिका' पृ X8 3

² Mukerjee AK School Library'-NCERT P 34

³ डा रणनाथन, एस आर 'पुस्तकालय विज्ञान की भूमिका' पेज/730

दिवस, बुलेटिन बोड वा समुचित उपयोग, पुस्तक प्रदानियों, विशिष्ट अध्ययन सूचि का का प्रसारण, पुस्तकों की समालोचना आदि उपागम वर पुस्तकालय सेवा को प्रभाव शाली बना सकता है। यह सब तभी होगा जब पुस्तकालय व्यक्तिगत रूचि ले रहे हुए जाने कत्त व्य का निर्वाह करेगा।

पुस्तकालयाध्यक्ष के करणीय कार्य (Functions of Librarian)

शाला पुस्तकालय सेवा का माध्यम, प्रशिक्षण माध्यम, अध्ययन केंद्र, सम्बन्ध बोर्ड, और वह केंद्र जहाँ अध्ययन की आदत ढालने हेतु निर्देश देने वाली संस्था है। यह उद्देश्य अप्रशिक्षण प्राप्त व पुस्तकों से प्रेमन रखने वाले पुस्तकालयाध्यक्ष से सम्पन्न होने में सदिगता है।

शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त पुस्तकालयाध्यक्ष व उसका स्तर — वह ग्रेजुएट मर पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि प्राप्त होना चाहिए। उसका शाला में अच्छा स्तर होना चाहिए। यदि प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष उपलब्ध नहीं है तो वी एड म पुस्तकालय विषय का विशिष्ट प्रश्न-वक्त लेकर उपाधि प्राप्त को प्रभारी बनाया जा सकता है।

कर्तव्य और उत्तरदायित्व

- (1) वह देखे वि पुस्तकालय के लिए उपयुक्त स्थान है या नहीं जहाँ प्राइविक हवा और रोशनी आ रही है या नहीं।
- (2) पुस्तकालय केंद्र स्थल पर है या नहीं।
- (3) वहा उपयुक्त फर्नीचर है या नहीं।
- (4) पुस्तकालय-कक्षा पूर्णरूपेण सजा हुआ है या नहीं।
- (5) पुस्तकालय समिति का निर्माण करे जिसका सभापति प्रधानाध्यापक हो और वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषयों के तथा छात्रों का सहयोग भी लिया जाय।
- (6) उचित पुस्तकालय-नियमों का निर्माण करना।
- (7) सभी छात्रों के उपयोग हेतु पुस्तकों का चयन।
- (8) पुस्तक कल के तुरंत बाद उधार देने हेतु तैयार रखे।
- (9) पुस्तकों का वर्गीकरण व मूल्यांकन की ओर ध्यान रखे।
- (10) पत्र-पत्रिकाएं निर्धारित समय पर आते हैं या नहीं, पाठ्यक्रम के उपयोग हैं प्रदर्शित करे।
- (11) पुस्तक-वित व पत्राचार की ओर व्यक्तिगत ध्यान देना।

- (12) पुस्तकालय कालाश समय सारिणी में लगाया है या नहीं ।
- (13) अनुलय सेवा हेतु निर्देशन देना ।
- (14) कक्षा पुस्तकालय के मियाकनाप का पर्योक्षण करना तथा उन्हें पुस्तकालय संगठन के बारे में निर्देशन देना ।
- (15) छात्रों को पुस्तकालय के प्रति प्रेम पैदा बरने हेतु उत्तरीरित करें ।
- (16) 'बुक जाकेट' का प्रदान करना ।
- (17) पुस्तकालय के समान की सुरक्षा के बारे में निर्देश देना ।
- (18) पुस्तकों का आदान-प्रदान निर्धारित समय पर ही ।
- (19) पुस्तकालय की वार्षिक सत्याभूति प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण ।
- (20) पुस्तकालय बजट में से विभिन्न भवों में व्यवस्थित हृषि से खर्च करना ।

पुस्तकालय के प्रति छात्रों में प्रेम उत्पन्न करना —

- (1) वाद विवाद का संगठन बरना, पुस्तक समालोचना पढ़वाना ।
- (2) प्रचली पुस्तकों की प्रदर्शनी आयोजित करना ।
- (3) शैक्षिक फ़िल्म दिखाना ।
- (4) राष्ट्रीय विभूतियों के जामदिन भनाना ।
- (5) राष्ट्रीय पच मनवाना आदि वार्षिकों के संगठन से छात्रों में पुस्तकालय के प्रति भावात्मक सम्बन्धित स्थापित होंगे ।

उसे उपरोक्त सभी कार्यों से महत्वपूर्ण कार्य यह है कि उसमें कौशल पैदा हो कि वह अध्यापन वस्तुओं को ऐसे ढंग से संगठित करे कि छात्रों में स्वाध्याय की आदत निर्माण हो सके । ये सभी कार्य बाला व्यक्ति जिसने प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है और वह पुस्तकों से प्रेम व व्यवसाय से प्रेम रखता हो ।

मूल्यांकन (Evaluation)

(अ) लघूत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions)

- विद्यालय पुस्तकालय-सेवा का अधिकतम उपयोग करने हेतु पाच सुझाव दीजिए ।
(बी एड 1985)
- विद्यालय-पुस्तकालय सेवा का अधिकतम उपयोग करने हेतु पाच उपाय प्रस्तुत कीजिए ।
(बी एड पत्राचार 1984)
- विद्यालय लाइब्रेरी के संगठन में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?
(बी एड 1982)

(व) निवन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

- 1 यदि आपको किसी विद्यालय के पुस्तकालय का दायित्व सौंपा जाता है तो आप अधिकतम उपयोग की हिंदि से इसकी सेवा का पुनर्गठन किस प्रकार करेंगे ?
(बी एड पत्राचार 1981)
- 2 'पुस्तकालय एक शाला की आत्मा है'— विचार प्रस्तुत कीजिए। (बी एड 1979)
- 3 विद्यालय में पुस्तकालय का क्या महत्व है ? इसका सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है ?
(बी एड 1978)
- 4 आप विद्यालय में पुस्तकालय का प्रयोग किस ढंग से करेंगे जिससे छात्रा के अन्दर स्वाध्याय के लिए प्रेम उत्पन्न हो सके तथा उनको अपनी विशेष रुचियों से पुस्तक पढ़ने में पथ-प्रदर्शन मिलता रहे ?

[रूपरेखा छात्रावास को आवश्यकता व महत्व, छात्रावास का सगठन, छात्रावास का प्रवर्ण, छात्रावास अध्ययन के काय, बालको के रहन सहन सम्बन्धी कार्य, सामाजिक काय, अनुशासन सम्बन्धी कार्य, निरीक्षण सम्बन्धी काय, स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य, अन्य करणीय काय, छात्रावास नियम, छात्रावास व प्रधानाध्यापक सम्बन्धी समस्याएं और उनके निराकरण हेतु सुझाव, छात्रावास से लाभ, छात्रावास की परिसीमाएं एव सावधानिया, मूल्यांकन]

भारत मे छात्रावास की व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है। गुरुकुल शिक्षण व्यवस्था मे छात्र अपने गुरु के चरणो मे बैठकर अध्ययन करते और व्रह्मचर्य आश्रम की व्यवस्था तक छात्र आश्रम मे ही निवास करता था। मध्य युग मे मढो, विहार मदिरो तथा मसजिदो के साथ विद्यार्थियो के आवास की व्यवस्था हाती थी। आधुनिक शिक्षण व्यवस्था खास तौर से माध्यमिक स्तर पर जहाँ वच्चे को सस्वारिक करने का ऐरम उद्देश्य है, वही छात्रावास मे ज खास वर उसमे भिन्न भिन्न गुणो का विकास किया जा सकता है। आश्रम व्यवस्था मे मध्यम छात्र छात्रावास मे रहता है लेकिन जाज की घटनी हुई छात्र सहयोग मे सम्भव नही है।

छात्रो मे सामूहिकता, सहयोग और ग्राह्य निर्भरता विकसित करने की शिक्षा जितनी छात्रावास से प्राप्त होती है उतनी विद्यालय के किसी अय साधन से नही। छात्र छात्रावास मे रहकर स्वशासन की शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही जीवनोपयोगी बातो की भी शिक्षा प्राप्त करते हैं।

“छात्रावास के माध्यम से छात्रो की शारीरिक मानसिक तथा नैतिक स्वास्थ्य का प्रशिक्षण हैना चाहते हैं तो छात्रावास म अच्छा बातावरण उचित व्यवस्था तथा अच्छा प्रबन्ध हो तो खात्रो का शारीरिक, मानसिक एव नैतिक विकास बहुत ही सुन्दर और प्रभावशाली दग से हो सकता है।” ।

शिक्षा के प्रसार अभियान के फलस्वरूप माध्यमिक विद्यालय ग्रामीण दोनों

मायुर एम एस, “विद्यालय सगठन एव स्वास्थ्य शिक्षा”, प० 187

निरतर बढ़ रहे हैं। आसपास के छात्र पढ़कर अपने-अपने घरों को छले जाते हैं। इहरो छात्र अभिभावकों के साथ रहते हैं। आज छात्रावास पा जीवन भी तो आर्थिक दृष्टि से महगा होने के कारण बाहर से आने वाले छात्र भी कही व्यक्तिगत व्यवस्था बरके विद्या तथा में अध्ययन करते हैं।

विद्यालय छात्रावास की आवश्यकता तथा महत्व

(Need and Significance of Hostel)

इस सादम में निम्ननिखित बिंदु उल्लेखनीय है —

- (1) छात्र दूरदराज से विद्यालयों में अध्ययन के लिए आते हैं उचित शिक्षण परिस्थितियों पैदा करते के दृष्टि से रहने व खाने की सुविधाएं छात्रावास में रख में वाढ़त है।
- (2) जिन छात्रों का ग्रह वातावरण अस्वस्थ व कष्टदायक है उन लड़कों के लिए छात्रावास की आवश्यकता है।
- (3) छात्रों के ऐसे अभिभावक जो निरतर स्थानातरण होते रहते हैं।
- (4) आस-पड़ोस में अच्छी जिकाग संस्था के न होन पर अभिभावक अच्छी संस्था में अध्ययन करवाने की इच्छा से छात्रावास वाली संस्था में पढ़ाना चाहते।
- (5) छात्रावास से विशेष शिक्षा उद्देश्य प्रजातनीय गुण पैदा होते हैं।
- (6) छात्रावास के नियम और अनुशासन का मानता हुए और सामूहिक जीवन का अन्यास बरते हैं। जो भावों नागरिक के लिए आवश्यक है।
- (7) छात्रावास में अपनत्व की भावना का विकास होता है।
- (8) समाजता, स्वालम्बन, उदारता उत्तरदादित्व आदि के आधार पर दिनचर्य व्यक्तिगत करने से प्रजातात्त्विक गुणों का विकास होता है।
- (9) “छात्रावास विद्यालय में सीखने के सिद्धान्तों की प्रयोगशाला है। यह वह स्थान है जहा बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है तथा उपयुक्त आदतों एवं आदर का निर्माण किया जाता है।” १
- (10) छात्रावास का स्वास्थ्यप्रद वातावरण होता है जहा छात्र पुले मैदान में खेल-कूद बरसे हुए नियमित जीवन व्यतीत करके अपने चरित्र को सुहृद कर सकते हैं।
- (11) छात्रावास सर्वांगपूरण विकास (शारीरिक, मानसिक, आठ्यारिक) में सहायता देती है, वयोंकि वहा पढ़ने, लिखने, लेने-कूदन तथा सामाजिक कार्यों में भाग लेने की पूरण व्यवस्था रहती है।
- (12) अपने व्यवहारिक जीवन की शिक्षा स्वतंत्रतापूर्वक आत्म निभर तथा कम पंसो

१ रायबन डब्ल्यू एम “विद्यालय संगठन,” पृ

से जीवन चलाने का प्रशिक्षण सहज ही मिलता है।

- (13) सोचन-विचारने के दृष्टिकोण में व्यापकता भाती है।
- (14) मनुकरणीय शिक्षकों के सम्बन्ध में भाने से बहुत से गुण भानावास ही सीख जाता है।
- (15) पुस्तकालय, वाचनालय तथा अध्ययन के विभिन्न साधनों के उपलब्ध होने से मानसिक विकास होता है और स्वाध्याय की आदत का निर्माण होता है।
- (16) घातावास में सारा दिनचर्या नियमित होती है और अच्छी आदत का विकास होता है और व्यय के समय क्रियाशील रहत है जिससे नैतिकता का समावेश उसके व्यक्तित्व में ही हो जाता है।
- (17) रसों के अनुसार —खेत वे भदान तथा छात्रावास में बालक एक दूसरे से जो पाठ सीखते हैं, वे विद्यालय में सीखे हुए पाठों से सौ गुना अधिक उपयोगी होते हैं।"
- (18) विभिन्न धर्म, जाति, सम्प्रदाय तथा धोन के विद्यार्थी घातावास में एक साथ रहने से उनमें भावात्मक सम्बन्ध स्थापित हो जाते हैं जो राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता में लिए आवश्यक गुण है।
- (19) बालक व्यवहारिक जीवन में प्रविष्ट होने से पूर्व विभिन्न दशाओं एवं समस्याओं का अध्ययन य निदान करते हुए समाधान ढढने की आदत का विकास होता है।
- (20) घातावास में अपनी प्रत्येक वस्तु को निर्धारित स्थान पर ही व्यवस्थित तरीके से रखने का प्रशिक्षण लेता है।
- उपरोक्त विद्युमों के अवलाभन से स्पष्ट है कि विद्यार्थी-जीवन में घातावास का मूल्यवान अनुभव प्रदान करते हुए व्यवहारात् परिवर्तन करवाने का सफल प्रयास इरता है। अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान ठोस व स्थाई होता है, लेकिन यह सब उद्देश्य दग्ध संसाधित एवं सचालित होने से ही हो पायगा।

घातावास का सगठन

स्थिति — घातावास की स्थिति भासा भवन वे समीन हानों चाहिये। भासा भवन के ऊपर घातावास बनाने की प्रया सापारण थेयस्वर नहीं। अतः उसे भवन भासा के पास ही रखा जावे। यह ऐसे स्थान पर हो जहाँ स्वास्थ्यप्रद भवस्याए हो और यह दूर हेतु पर्याप्त मात्रा में सुखी जगह हो। इससे उत्तरात् भी वहाँ दूर भी हा तो मुम्ब दूर पर स्थित होने चाहिये ताकि घात्रों के घाने में यातायात मम्बादी घनुविद्या न हो घातावास में घात्रों द्वारा विवर्जित मोनिटरस जनरल मोनिटर तथा मुक्त मानिटर

होते हैं जो रोजाना के काय मे जिम्मेदारी से सहयोग देते हैं।

द्वात्रावास मे रहने की व्यवस्था सामान्यत तीन प्रकार की होती है—(1) दार मिट्टी विधि, (2) कॉटेज पद्धति तथा (3) हाउस पद्धति।

प्रो० रायबन २ के अनुसार — 'द्वात्रावास भवन के बारे मे जा विशेषता होने चाहिए इस प्रकार है—

- (1) द्वात्रावास मैदान मे पर्याप्त दूरी पर होना चाहिए । यदि सम्भव हो तो पाठ्यालय सड़क के सन्निकट हो द्वात्रावास उसके पीछे हो ।
- (2) सर्वोत्कृष्ट ढग की इमारत एक मजिल की होती हैं ।
- (3) रात के समय आसानी से बढ़ विद्या जा सके ।
- (4) इमारत मे फाटक के पास एक और प्रवार्धक का निवास स्थान वार्यात्मक मौर दूसरी और बाघनालय तथा धृष्टियन-बद्ध होना चाहिए ।
- (5) भवन के तीनो विनार श्यनागरो मे विभाजित हा जहाँ 12 से 20 विद्यार्थी रह सके ।
- (6) प्रति विद्यार्थी 50 से 60 वर्ग फीट की जगह होनी चाहिए ।
- (7) श्यनागरो की कैंधाई 16 या 17 फीट होनी चाहिए ।
- (8) श्यनागरो की चौड़ाई इतनी होनी चाहिए कि उसमे दो विस्तरे कतारो मे विद्यार्थी जा सके और कतारो के दोनो सिरो पर एक एक विस्तर ओर लगा दिय जाय तो दीवार से मिले हो ।
- (9) प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक-एक आलमारी दीवार मे होनी चाहिय ।
- (10) प्रत्येक विद्यार्थी को एक कुर्सी व एक मेज दी जानी चाहिय ।
- (11) विद्यार्थियो को खराब, धुआधार लैसो के पास काम न करने देना चाहिए ।
- (12) खिडकियाँ और रोशनदान बहुतायत से होना चाहिए ।
- (13) भवन मे आदर की ओर आगन के चारो तरफ बरामदे होने चाहिए ।
- (14) कण ईंट या सीमेट का बना हुआ होना चाहिए ।
- (15) भवन के पीछे के कमरो में एक कमरे को खाने का बमरा बना लिया जाय, जिसे द्वार बाहर रसोई की ओर खुलना हो ।
- (16) भवन के पिछ्याडे की तरफ उसी सिरे पर, जिधर धुलाई के कमर स्थित हो, सेप्टिक टैक्वाले पालाने बनाये जाने चाहिए ।
- (17) भवन के उस भाग मे जिधर रसोई हो, नीकरा के निवास स्थान तथा खनाक

1 प्रो० रायबन 'शिक्षालय संगठन' प० 132-133

और ईंधन रखने के कमरे होने चाहिए ।

(18) आवश्यक बनाने के लिए पेड़ और फूलों के पीछे लगाये जा सकते हैं ।

(19) चिन्हों का प्रयोग स्वच्छता से करना चाहिए ।

(20) अतिथि कक्ष, वाचनालय, चिकित्सा कक्ष, सामूहिक कक्ष, जिमनास्टिक-कक्ष, स्टूडी वस्तु भण्डार तथा कार्यालय को व्यवस्था हो ।

छावनालय का प्रबन्ध (Organization of the Hostel)

छावनालयाध्यक्ष(Hostel Warden) — जिस अध्यापक द्वारा छावनालय की ऐसे ऐसे व प्रबन्ध किया जाता है उसे छावनालयाध्यक्ष कहते हैं इसके रहने की व्यवस्था सामान्यत छावनालय में ही हानी है क्योंकि वह अधिक समय में आता है और स्थानीय अभिभावक होता है ।

"छावनालय के प्रबन्धक का काम बड़ा ही बड़िन है उसके लिए धैर्य, कौशल तथा वज्ञानिक हृषिकाण और चतुराई भी आवश्यकता है । यदि यह ठीक से किया जाए तो निम्नलिखित पूरे समय का काम है ॥" १ क्योंकि यही सभी सुविधाएँ जुटाना है छात्रों के लिए । इतनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए वह गुणवान हो ।

छावनालयाध्यक्ष के गुण —

- (1) छावनालयाध्यक्ष उच्च और दृढ़ धरित्र तथा उत्तम विचारों वाला व्यक्ति होना चाहिए ।
- (2) छावनालयाध्यक्ष बालकों से पिता के समान स्तेह रखे ।
- (3) वह सभी हो तथा नियमित जीवन व्यतीत कर छात्रों के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करे ।
- (4) किसी प्रकार का व्यसन जसे तम्क्षाकू, मरिरा, जुआ आदि नहीं हो ।
- (5) कई विषयों का ज्ञाता, खेलकूद में रुचि लेने वाला हो ।
- (6) व्यवहारिक शनुभवों का अच्छा ज्ञाता हो ।
- (7) रुपये पैसे का हिसाब व्यवस्थित रखने की क्षमता हो ।
- (8) सुयोग्य एक कुशल प्रबन्धक हो ।
- (9) शील स्वभाव तथा बाल-मनोविज्ञान का ज्ञाता ।
- (10) निष्पक्ष तथा दूरदर्शिता हो ।
- (11) सभी छात्रों के साथ उदार रहना चाहे किसी भी जाति, धर्म, सम्प्रदाय के ही ।
- (12) कक्ष में भी व्यवहार ठीक हो, छात्रों का विश्वासी हो ।

१ रायबन, 'विद्यालय संगठन'

- (13) उसका प्रत्येक काय नि स्वाय एव सेवा भावना से प्रेरित होना चाहिए।
 (14) सतुलित भोजन एव व्यायाम की प्रगति सम्बंधी ज्ञान होना चाहिए।
 (15) छानो के बीच झगड़ों को सुनकर तुरत निर्णय लेकर याय करे।

छानालयाध्यक्ष के कार्य (Functions of Hostel Warden)

छानालयाध्यक्ष की अनेक जिम्मेदारियां हैं और उनके सफल सम्पादन द्वारा ही छानावास में उपयुक्त बातावरण को सूषित सम्भव है जिसमें रहकर बालक प्रजातात्प्रक आदर्शों की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके प्रमुख कार्य एव उत्तरदायित्व निम्न हैं—

- (1) बालकों के रहन सहन सम्बन्धी काय — छानालयाध्यक्ष ही वहा रहने वाले बालकों को भा बाप जैसा स्नेह देना उसका पुनोत करत्व है। अत वह उनके स्वास्थ्य, रहन सहन सम्बन्धी सभी निम्नलिखित बातो का ल्याप रखे—

- (1) भोजन व जल व्यवस्था का समय समय पर निरीक्षण
- (2) स्नानागार, पेशावधर, टट्टी आदि की सफाई का ध्यान दे।
- (3) छानावास की सफाई और शुद्ध बातावरण बनाये और आवश्यक दवाईयाँ व 'प्रायमिक चिकित्सा बावस' सदब रखे।
- (4) कमरों की व्यवस्था ऐसी हो कि छान सुविधा से रह सके।
- (5) खेलकूद की व्यवस्था को नियमित व उत्साहित बनाये।

रायबन ने छानावास में रहने की दशाओं पर छानालयाध्यक्ष के करत्व बतलाये हैं— 1

- (6) श्यनागार काकी हवादार है या नहीं
- (7) सप्ताह मे कम से कम तीन बार विस्तर धूप मे डाले।
- (8) कमरों की सफाई और वे विस फग से रखे जाते हैं, उस भोर ध्यान दे।
- (9) गदगी और दुव्यवस्था के मामले मे उसे बड़ी सकती से काम लेना चाहिए
- (10) उसे तश्तरियों और खाने के बतन की धुलाई पर जल्हर नजर रखनीचाही
- (11) रसोई खाने, खाना पकाने के प्रबन्ध और खाना रखने तथा सामान रखने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।
- (12) गोदाम का निरीक्षण नियमित रूप से करना चाहिए।
- (13) नोकरों व छानों की समितियों पर सामाजिक पर्वोक्षण बनाय रखे।
- (14) आयिक इटिकोण से छानावास का जीवन इतना महगा न हो।
जाये कि सामाजिक व्यक्ति अपन बालक वो छानावास मे रख ही न न सके
- (15) छानाओं की छानावास सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाय।

1 रायबन, 'विद्यालय सगठन'

[2] छात्रालयाध्यक्ष के सामाजिक कार्य —

- (1) वगैर आधिक, सामाजिक भेदभाव के सभी को एवं सा पिता-तुल्य व्यवहार करे।
- (2) छात्रों के साथ उठने-बढ़ने, सेलने-कूदने, मिलने-जुलने तथा सामूहिक काम करके कौटुम्बिक बातावरण बनाये।
- (3) छात्रावास के प्रबंध व व्यवस्था में छात्रों को भगीराद बनाने हेतु विभिन्न उपसमितियों का गठन करे, जैसे सफाई समिति, अनुशासन समिति, भैस-समिति और विकास समिति आदि।
- (4) छात्रों की रुचि प्रकृति के बारे में प्रधानाध्यापक व अभिभावका को अवगत करात रहना चाहिए।
- (5) सामूहिक गीत, सामूहिक प्रायना, भजन, वीतन, गोष्टिया, सात्कृतिवाद कायकम, सेमीनार, समूह-विभार विमल आदि के आयोजन से मनोरजन के साथ सामाजिकता की भावना का विकास होता है।
- (6) छात्रावास ग्रहाते में सभी छात्रों को वक्षारोपण के लिए उत्प्रेरित करें।

[3] छात्रालय व्यवस्था तथा अनुशासन सम्बन्धी कार्य

- (1) अनुशासन बनाये रखने म ढील नहीं दी जानी चाहिए तो अनुशासन तानाशाही भी न हो बल्कि सहयोग प्राप्त करके करना चाहिए जिसके लिए मनोवैज्ञानिक उपचार बांधित है।
- (2) छात्रावास के अनुशासन नियम सत्र के प्रारम्भ मे ही बना लिए जाय।
- (3) अनुशासन नियमा को वगैर भेदभाव के लागू किये जाय।
- (4) छात्रावास के लिए छात्रों मे से एक प्रिफेक्ट वो मनोनीत करें।
- (5) उपयुक्त समय विभाग चक्र वा निर्माण हो जहां प्रात 4 30 से रात्रि 10 बजे तक दिनचर्या घोरना हो, आवश्यकतानुसार सशोधन हो सकता है।
- (6) सामूहिक कायकम मे सदैव उपस्थित रहना चाहिए।
- (7) सामूहिक प्राथंता मे सदैव उपस्थित रहना चाहिए।
- (8) प्राता प्राप्ति किये वगैर छात्रावास से बाहर नहीं जाये।
- (9) बाहर का भी कोई व्यक्ति वगैर छात्रालयाध्यक्ष की अनुमति वे नहीं ठहरे।
- (10) बड़े छात्रों द्वारा छोटे बालकों को तग बरता, भवभीत बरता आदि प्रवृत्तिया को बठोरता से समाप्त करे।
- (11) चोरी, चोर-जबदस्ती छोन-भपट आदि कार्यों से बठोर सुरक्षात्मक प्रबंध करे।
- (12) छात्रों के सामाजिक आचरण पर नियाह रखे ताकि छात्रों वे आचरण वा स्तर भी केंचा बना रहे।

[4] निरीक्षण सम्बन्धी काय —

- (1) भोजन तथा भोजनालय का निरीक्षण करते हुए आवश्यक पौष्टिक पदार्थों की मात्रा है या नहीं देखते रहे ।
- (2) छात्रों को भाजन उचित समय पर प्राप्त हो ।
- (3) पढाई के लिए निर्धारित समय पर अध्ययनरत है या नहीं ।
- (4) अध्ययन समय में एक-दूसरे के कमरे में सामाज्य नहीं जान पावे ।
- (5) कमरों में प्रविष्ट होकर अप्य निरीक्षण के साथ वया पढ़ रहे हैं, वहीं असामाजिक साहित्य तो नहीं पढ़ रहे हैं ।

[5] स्वास्थ्य सम्बन्धी काय —

- (1) छात्रों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य व सफाई के लिए प्रोत्साहित कर ।
- (2) छात्रावास वे पास औपधालय की व्यवस्था होती है उसका आवश्यकतानुसार छात्रों के लिए प्रभावशाली उपयोग बरवाय ।
- (3) चेचब, हैजा, वी सो जी आदि के टीके लगवाना चाहिए ।
- (4) कीटाणुओं द्वारा बीमारी न फैले उसके लिए सचेत रहे ।
- (5) किसी छात्र को छुत की बीमारी हो गई हो तो उपचार के साथ अस्प छात्रों से अलग रखना चाहिए ।
- (6) पीने के पानी को स्वच्छ रखने का प्रबन्ध करे ।
- (7) गर्मी के मौसम में पानी का समुचित प्रबन्ध होना चाहिए ।

[6] अप्य करणीय काय —

- (1) पाठ्यक्रम सहगामी प्रवतियों का संगठन व संचालन व्यस्थित रूप से निरन्तर वर्ष भर चलाने का सफल प्रयास करे ।
- (2) विभिन्न समितियों के काय, रजिस्टरों का अवलोकन व पर्येक्षण करते हुए सुन नामक सुभाव देवे ।
- (3) छात्रावास के उदान, पेड़-पौधों व खेल के मदान की देखभाल और आवश्यकता मरम्मत बरवाये ।
- (4) पुस्तकालय व वाचनालय की व्यवस्था पर्येक्षण तथा छात्रावास की पुस्तकालय समिति को उन्नयन हेतु सजनात्मक सुभाव देवे ।
- (5) दण्ड, भय, प्रभोलन आदि की व्यवस्था द्वारा अनतिक कार्यों की रावणाम करे ।
- (6) छात्रावास की वस्तुओं एवं सम्पत्ति जाहे उपहार स्वरूप ही प्राप्त हुई है उसका रजिस्टर में दर्ज करवाना ।

छात्रावास नियम (Hostel Rules)

छात्रालयाध्यक्ष को छात्रावास के सचालन हेतु अपने कर्तव्यों का भली प्रकार निर्वाह करने से व्यवस्थित होगा। छात्रावास नियमों का निर्माण प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया से करते हुए सभी छात्रों द्वारा प्रसारण किया जाय। उसके लिए कुछ नमूने दिये हैं। प्रो० रायबन के अनुशार निम्नलिखित हैं।।

- (1) छात्रावास प्रवेश से पूर्व अग्रिम धन तथा सुरक्षा शुल्क जमा करेनां पड़ेगा।
- (2) छात्रावास सम्पत्ति नष्ट कर देने पर नुकसान पूरा करना पड़ेगा।
- (3) विद्यार्थियों के पास कुच रूपये हो या बीमती^१ सामान हो तो छात्रालयाध्यक्ष का जमा करा सकते हैं।
- (4) छात्र अपने विस्तर, बपड़े और चीजें साफ-सुधरी रखें।
- (5) मग्लबार बहस्तिबार और शनिवार को सारे विस्तर बाहर डाले जाने चाहिए।
- (6) ग्रातमारी बास व कमरे में खाने का सामान न रखें।
- (7) टिगरेट व मादक वस्तुओं का सेवन निपेढ़ है।
- (8) छात्र बगेर प्रब धकर्ता की आज्ञा के छात्रावास नहीं छाड़े।
- (9) सदब प्रात बाल के व्यायाम से अवकाश हेतु स्वीकृति वाद्यित है।
- (10) बगेर छात्रालयाध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति छात्र अपने अतिथि को साथ नहीं छहरायें।
- (11) किसी दुकानदार व साथी छात्रों से नेन-इन बगेर छात्रालयाध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति आयादित है।
- (12) छात्र को समितिया वो सहयोग देना चाहिए, गम्भीर मामलों में समिति के नियम के विळद्ध प्रब-धको का अपील करें।
- (13) द्व मास निरन्तर छात्रावास में रह रहे विद्यार्थियों को ही समिति निमाण का अधिकार होगा।
- (14) प्रयानाध्यात्मक की पूर्व स्वीकृति के बार, शाला ममय म कोई भी विद्यार्थी छात्र वाय में नहीं रहेगा।

वास्तविक जीवन की शिक्षा — “छात्रावास म रहन्ते जीवन वा अभ्यास करते हैं और गुणा व ग्रादता वो सीखते हैं। छात्रावास के जीवन से बान्दर को जीवन की शिक्षा मिलता है— 1 छात्रावास म रहने वाले अनुशासन युक्त जीवन का अभ्यास होता है, 2 एक-दूसरे के साथ रहना सीखता है, 3 छात्र एक दूसरे की सहा-

यता करते हैं, तबलीफ में एक-दूसरे के साथ खड़ा होना 4 एक दूसरे के साथ “याय वा वर्ताव करना 5 धरो वे सकीर्ण वातावरण से बाहर निकल जाते हैं। 6 स्वावलम्बन जीवन का प्रशिक्षण 7 आय छात्रों में सौहाद व समानता की भावना का सचार बरता है”¹

छात्रावास व शाला प्रधान — जिम सरथाओं में छात्रावास है वहाँ के प्रधानाध्यापक का उत्तरदायित्व है कि वे घर जैसा वातावरण तथा सभी प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करने में कोताई न करे। प्रधानाध्यापक को छात्रालयाध्यक्ष से वस्तुस्थिति के घरे में अवगत होवे और उसके बत्तमान प्रशासन व भविष्य में विकास हेतु विचार-विमर्श करते रहना चाहिए।

उसे नियमित रूप से छात्रावास का निरक्षण करने के लिए जाते रहना चाहिए। सभ्य बदल बदल कर उसे छात्रावास जाना चाहिए जिससे विद्यार्थियों और कमचारियों को यह प्रतीत होने लगे कि प्रधानाध्यापक एक विशिष्ट समय पर आते हैं और वह उस समय ही नियमित और अनुशासित हो जाएँ²। उसे यह भी देखना चाहिए कि विद्यार्थी पढ़ने के समय पर पढ़ते हैं, खेलने के समय पर खेलते हैं और ठीक समय पर सो जाते हैं।

छात्रावास सम्बन्धी समस्याएँ व उनके निराकरण के सुझाव (Problems regarding Hostels for their solution)

- (1) बड़े सड़के छोटे सड़कों के माध्य अस्कार्डिक सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं और तग भी करते हैं। एक कमरे में समान आयु वर्ग के छात्रों का रखा जाय।
- (2) रात्रि का चौकीदार से मिलकर छात्रावास से बाहर रहना। चौकीदार को बड़ी हिदायत हो कि निर्धारित समय के उपरात कोई आवागमन न हो। छात्राध्यक्ष को वगैर सूचना के क्षमरा का निरोक्षण करे।
- (3) शाला समय में छात्रावास में छात्र आकर बैठ जाते हैं। विद्यालय समय समाप्ति तक छात्रावास बाद कर दिया जाय।
- (4) छात्रों द्वारा नौकरों से दुःखवहार बरना। नौकर छात्रावास के हैं छात्र के नहीं यह बान उह हृदयगम बरवादी जाय।
- (5) वस्तुऐं चोरी हाना। अधिक धन रखने की अनुमति न देना।
- (6) इसी भी मित्र को अतिथि बनाकर टहरा देना। अभिभावकों द्वारा प्रवेश के समय छात्र के सम्भावित अतिथि की मूच्ची प्राप्त बरले, उसके अलावा नहीं छहरे।
- (7) बाहर के भिन्न विग वालों से नौकरा के माध्यम से पत्र-वाहक वा काय न थरे।

1 मायुर, एत एस, ‘विद्यालय सगटन और स्वास्थ्य शिक्षा’

पज/106-107

2 गोड एव शर्मा, ‘भारतीय जनता’ और शिक्षालय-व्यवस्था’

पज/243

- (8) बाहर के लोगों व दुकानदारों से रूपयों का लेन देन करने हैं। वे परस्पर उधार न ले, यदि ऐसा मालूम पड़ते ही अभिभावकों का सूचित कर दिया जाय।
- (9) छात्रावास में समितियों के निवाचित को लेकर हृन्द पदा होता है। छात्रावास अध्यक्ष विभिन्न पाठियों से मिलकर भेदभाव समाप्त करवाये।
- (10) छात्रावास को समिति सदस्य आमदनी का साधन बनाते हैं। समिति द्वारा प्रदत्त हिसाब का आय छात्रों द्वारा आडिट करवाई जाय और छात्रावास अध्यक्ष बस्तु-स्थिति से अवगत होकर आवश्यक कार्यवाही करे।

छात्रावास से लाभ (Advantages of Hostel)

पिछले पृष्ठों के विवरणात्मक अध्यन से स्पष्ट होता है कि छात्रों को आज के सामाजिक मूल्यों के अनुष्ठ विभिन्न प्रकार के गुणों का उसके ध्यक्तिव विकास में सह-योगी रहता है जैसे —

- (1) नागरिकता की शिक्षा को प्रजानार्थिक शामन व्यवस्था के लिए अत्यात आवश्यक गुण है, उसका विकास होता है।
- (2) छात्रावास का सचालन छात्रों द्वारा ही सम्मान होने से उनम उत्तरदायित्व भावना का सहज ही विकास होता है।
- (3) लोकतान्त्र की सफलता उनके नागरिकों में सहन शोन्ता, सहयोग, भातूत एव आत्म निय ए पर ही निमर करता है इन सभी गुणों का अनोपचारिक रूप स छात्रावास जीवन से रखत ही पदा हा जाते हैं।
- (4) छात्रावास के छात्रों में आपसी सहयोग एव सहायता से उनके बीदिक स्तर का विकास होता है।
- (5) धीमि गति से अधिगम करन वाले छात्रों को थेष्ट छात्रों के सहयोग से अध्ययन पे सहयोग प्राप्त होता है।
- (6) विशिष्ट बुद्धिवाले छात्रों को अन्यथन में आय छात्रों हृदय से सहयोग वरन से वे प्रखर हो जाते हैं।
- (7) दूसरे छात्रों की बात व जिजारों को सुनते व प्रस्तुत वरने की भवतानता से विचार विमर्श करने की दक्षता प्राप्त होती है।
- (8) छात्रों मे स्नेह एव सौहार्दपूर्ण वातावरण से पैदा हुई अभिवृद्धि व्यवहारिक जीवन मे एक विशिष्ट स्थान बनाने म सफल हो जाते हैं।
- (9) स्कूल मे यह अत्यधिक ज्ञान प्राप्ति का साधन बन सकता है।
- (10) सामाजिक एव मानवीयता वे भावों का प्रकटीकरण होता है।

- (11) सामाजिक एवं मानवीयता के भावों को प्रकट होने से अनुपयुक्त और अप्रयोग-शील भावनाओं तथा अहंकार का दिमाग से उम्मूलन होता है।
- (12) छात्रों में भावावैश, साहस तथा उत्साह में परिपक्वता स्थान लेती है।
- (13) छात्र चित्तमन लगाकर योजना बनाना, उस पर काय करना और सम्पूर्ण करना आदि प्रक्रिया से द्वारा काय पूर्ण बरत वी भावत का विकास होता है।
- (14) व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी प्रशिक्षण सम्मिलित होकर काय बरते का गृण छात्रावास जीवन वी देन है।
- (15) अपनी दैनंदिनता के आधार पर काय पर दृष्टि रखकर अपनी दक्षता और योग्यता से काय को आगे बढ़ाने वी आनंद पर निभर करता है।

छात्रावास की परिसीमाएं और सावधानिया

छात्रावास जिस उद्देश्य के आधार पर सचालित किया जाता है उसके भिन्न प्रकार वे दोप निरीक्षण व्यवस्था वर्मजोर होने से बन जाती है जैसे —

- (1) छात्र अध्ययन की वजाय गप्प शप मे या अय बृथ के कार्यों मे समय बर्बाद कर देते हैं।
- (2) विभिन्न जातिया नगरों से प्राने वाले वालवी वी स्वय रीति रियाज व परम्पराएं होती है लेकिन सामूहिक मिलन से सब भूल जाते हैं।
- (3) बड़े लड़के कम आगु के बच्चा को तग घरते हैं।
- (4) छात्रावास की अव्यवस्था मे शैक्षिक वातावरण खराब होने की प्रबल सभावनाएं हो जाती है।
- (5) छात्रावास के खराब, शरारती, व्यसनी छात्र ऐसा अशैक्षिक वातावरण बना देते हैं जिससे परिव्रमी तथा योग्य छात्रों के अध्ययन मे अवरोध पैदा होता है।
- (6) योग्य और परिक्षमी छात्र अपने परीक्षा परिणाम आशा के विपरीत होने की स्थिति मे ही रता की भावना पैदा तो होती ही है साथ हा अभिभावका ढारा विनियोजन व्यथ सिद्ध होता है।
- (7) अभिभावकी से दूर रहने पर छात्रालयाध्यक्ष ही स्थानीय सरकार होते हैं उनकी ढील से कायदा उठाकर छात्र अनुचित कार्यों के व्यसना मे अनुरक्षन होते हैं।
- (8) अनुचित कार्यों से प्रतित होने के पलस्वरूप उनके शारीरिक मानसिक और ननि पतन की सभावनाएं बढ़ती है।
- (9) छात्रावास मे राजनीतिक, जाति, धर्म, समुदाय या क्षेत्र के आधार पर दलवारी होने से सघप जैसी स्थिति हो जाती है।

- (10) दलगत सघप से अनुशानहीनता, विवटतात्मक क्रियाएँ, लडाई-झगड़े होने से छात्रा को नुकसान होता है। अत छात्रावास के अधिकारी व प्रधानाध्यापक का दायित्व अधिक दत्तचित होने तथा अभिभावकों का भी पूर्ण सहयोग मिलने पर ही छात्रावास शैक्षिक संस्थान की पवित्रता को बनाये रख सकती है।

□□

मूल्यांकन (Evaluation)

(अ) लघूत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions)

- विद्यारथ में छात्रावास की क्या उपयोगिता है?
- छात्रावास अध्यक्ष में किन किन गुणों का होना आवश्यक है?
- छात्रावास में किन-किन अभिलेखों का रखना आवश्यक है? परिचय दीजिए।
- छात्रावास के संगठन एव सचालन में क्या सावधानियाँ वालित हैं?

(ब) निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

- आप छात्रावास में रहने वाली छात्रों का जीवन किस प्रकार नियमित करेंगे? विस्तार योजना प्रस्तुत करें।
- यदि आप छात्रावास के बाड़न बना दिये जाय तो आप कौन-कौन से कार्य करेंगे जिससे छात्रा के जीवन नियमित बन सके।

[विषय-प्रवाग—(व) प्रवेश सबधी प्रमुख समस्याएँ एवं उनका निराकरण (1) प्रायमिक स्तर पर, (2) उच्च प्रायमिक स्तर पर, तथा (3) माध्यमिक स्तर पर-प्रवेश सबधी विभागों विषयम् नाम पृष्ठवरण एव पुन प्रवेश—स्थानात्मक प्रमाण-पत्र (T C) गह-काय का परम्परागत एवं नवीन सप्रत्यय गह ह काय के उद्देश्य उसकी आवश्यकता एवं महत्व गह काय के प्रवार-गृह काय के सिद्धात गह नाम सम्बद्धी समस्याएँ एवं उनका निराकरण (1) गह काय की मात्रा का नियमन, (2) गह काय का सशोधन, तथा (3) गृह-काय का अनुवत्तन (Follow up) गह काय का समय-विभाग-चक्र उपस्थार मूल्यांकन]

विषय-प्रवेश —

विद्यालयों में छात्र-प्रवेश ग्रथवा नामांकन की समस्या सत्रारम्भ में सर्वाधिक तथा सत्रप्रयत्न किसी न किसी रूप में बनी रहती है। शिक्षा के प्रत्यक्ष विद्यालयीय स्तर (प्रायमिक उच्च प्रायमिक तथा माध्यमिक स्तर)। वो सम्याप्ती में प्रवेश की समस्या प्रमुख होती है। प्रवेश ग्रथवा नामांक (Enrolment) की राष्ट्रीय नीति की ओर इए कोठारी शिक्षा आयोग (1966) ने कहा है "हमारे मानव-साधन का विकास राष्ट्रीय पुनर्निमाण के महत्वपूर्ण कायदों में से एक है और इस हिट से शिक्षा के प्रता भी कोई सीमा भी निर्धारित नहीं भी जा सकती। लेकिन इसी बर्त में इसी एक समय पर शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का स्वरूप, परिणाम तथा स्तर विस प्रकार का हो यह दो बातों पर निभर करता है। यह बात अशत तो साधनों के उपलब्ध होने पर अशत जनता के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन-ज्ञान के बिद्धाता पर निभर रहती है।

भारत ने एक लोकनाशीय तथा समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना का सकल्य तिया है।¹ इस सार्वभ में आयोग ने शिक्षा के विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों में शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने की दिशा में मार्गदर्शन के लिए मूल सिद्धात इस प्रवार

1 कोठारी शिक्षा आयोग (1966) यूप्ट/100

बताये हैं —

- (1) प्रत्येक बालक/बालिका को नि शुल्क व अनिवार्य कम से कम 7 वर्ष तक की प्रभाव शाली सामाजिक शिक्षा और यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर अद्वार माध्यमिक शिक्षा का विस्तार होना चाहिए ।
- (2) जो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक तथा योग्य हों उनके लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करना । इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करते समय प्रशिक्षित जनशक्ति (Man Power) की मांग और आवश्यक स्तर बनाये रखने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए । अतिविविध सेक्टरों से अभावग्रन्थ व्यक्तियों को समुचित आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए ।
- (3) वित्तीक तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के विकास पर बल देना चाहिए तथा कृषि व उद्योगों पर बल देना चाहिए तथा कृषि व उद्योगों के विकास के लिए अपेक्षित कुशल कमचारी तयार करने चाहिए ।
- (4) प्रतिभा की पहचान बर्नी चाहिए और उसके पूर्ण विकास में सहायता देनी चाहिए, तथा
- (5) शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं की ममता रूप से व्यवस्था करने के लिये निरतर प्रयत्न करते रहना चाहिए और आरभ में कम से कम अत्यधिक स्पष्ट असमानताएं दूर की जानी चाहिए ।

प्रस्तुत अध्याय में माध्यमिक विद्यालयों की प्रवेश सम्बन्धी समस्याओं व उनके निराकरण के सुझावों का बोठारी शिक्षा आमोग द्वारा निर्धारित उपरोक्त राष्ट्रीय नामा वन नीति के मद्दम में विवेचन करेंगे । तत्पश्चात् इसी अध्याय में दूसरी प्रमुख समस्या गह काष की चर्चा करेंगे ।

प्रवेश सम्बन्धी प्रमुख समस्याएँ एव उनका निराकरण .

विभिन्न शिक्षा स्तरों पर ये समस्याएँ इस प्रकार हैं —

- [1] प्रायमिक स्तर — भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 अनुसार 14 वर्ष की आयु वाले के भभी बच्चों के लिये नि शुल्क और अनिवार्य तथा अच्छेदग्रीष्मीय शिक्षा की व्यवस्था बरना ही इस स्तर की सबसे महत्वपूर्ण बात है । यह दो चरणों में विभक्त है — (1) प्रायमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 अयात् 6 + व 10 + के आयु वर्ग हेतु) की शिक्षा, तथा (2) उच्च प्रायमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 अयात् 11 + व 14 + के आयु वर्ग हेतु) शिक्षा/प्रायमिक स्तर की प्रमुख समस्याएँ व उनके निराकरण हेतु सुझाव निम्नान्वित है —

(1) नामांकन की समस्या—संविधान वे प्रावधान के अनुमार प्राथमिक स्तर तक वी शिक्षा नि शुल्क, अनिवाय एव मावजनीन होन वा सदृश गत 36 वर्षों के प्रयास वे बाद भी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अब इस लक्ष्य का 1990 तक प्राप्त वरने वा सरल्य किया गया है। सदृश वी पूर्ति म वापर तत्व नामांकन वा शत प्रतिशत न होना है - विशेष वर ग्रामीण धोओं म।

इस समस्या के समाधान वा एक भाग यही उपाय है कि इस स्तर के आयु वर्ग के वच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय उनकी मुविधानुसार सबसे साल जायें तथा नामांकन शतप्रतिशत किया जाये। ग्रामीण धोओं म 'नामांकन अभियान' (Enrolment Drive) जो चलाया जा रहा है, उसे गति प्रदान वी जाय।

(2) निधन छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाय — घातवति, उन्नक व पाठ्य-सामग्री, मध्याह भोजन गणवेश आदि के नि शुल्क वितरण द्वारा तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा (ग्रामनवाडी) त्रीडा-केंद्र आदि वी व्यवस्था वर।

(3) अपव्यय एव अवरोधन वी समस्या — प्राथमिक विद्यालयों मे केवल नामांकन शतप्रतिशत वरना ही पर्याप्त नहीं है वल्कि उह पक्षा 5 तक विद्यालय म रोके रखना भी बांद्रनीय है आयथा नामांकन निरपक्ष सिद्ध होगा। इस स्तर पर भा व्यय और अवरोधन (Wastage and Stagnation) वी समस्या सबसे अधिक है। इसके कारणों का निरावरण किया जाये। निरावरण हेतु अविभक्त इवाई योग्या विद्यालय बातावरण वा आकप्क होना, शिक्षण वाय प्रभावी होना, अध्यापक-अभिभावक सम्पक घनिष्ठ होना, अभिभावको के अनुकूल विद्यालय समय का निर्धारण जैसे प्रहर पाठ्यालाएँ आदि।

[2] उच्च प्राथमिक स्तर — उच्च प्राथमिक स्तर पर भी प्राय उही प्रवेश सबधी ममस्याओं वा सामना वरना पडता है जो कि उपरोक्त प्राथमिक स्तर पर है। यह स्तर भी संविधान के अनुसार 14 वय तक की नि शुल्क अनिवाय एव सावजनिक शिक्षा के अतर्गत महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा की प्रगति के साथ ही उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रवेश या नामांकन मे तानुकूल वृद्धि होनी चाहिए। दश के विभिन्न राज्यों तथा राज्यों के विभिन्न धोओं मे व्याप्त शिक्षा सुविधाज्ञा के असतुलन को दूर किया जाना चाहिए।

इस स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा समाप्त कर वच्चे प्रवेश लेने हैं। अत प्रवेश सम्बद्धी विभागीय नियमों का अनुपालन किया जाना चाहिए जिनका उल्लेख आये किया जा रहा है। यद्यपि इस स्तर पर सामाय शिक्षा-

क्रम होता है किन्तु कुछ वैश्विक विषयों जसे चिकित्सा व वाणिज्य में से प्रवेश के समय एक विषय चुनना होता है तथा कार्यानुभव अथवा समाजोपयोगी उत्पादन (Work experience or SUPW) सम्बन्धी कियाकलापों का भी चुनावकरना होता है। अतः प्रवेश के समय उह इन विषयों के चुनाव हेतु पर्याप्त निर्देशन (Guidance) मिलना चाहिए।

अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या इस स्तर पर भी गम्भीर रूप में व्याप्त है। प्रति उपराक्त वर्णित उपायों को अपनाना चाहिए।

[3] माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर — पर प्रवेश या नामावन सम्बन्धी निम्नावित समस्याएँ होती हैं जिनमें निरावरण सम्बन्धी उपाय इस प्रकार हैं—

(1) प्रवेश सम्बन्धी विद्यार्थियों की निरन्तर बढ़ती हुई सरया — माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सरया अभी प्रवेशार्थियों की सरया के अनुपात में काफी अपर्याप्त है। यद्यपि प्रत्येक राज्य माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में निरन्तर बढ़ि कर रहा है तथापि वित्तीय साधनों की कमी तथा जनसरया बढ़ि के कारण वह सभी विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश देने में असमर्थ है। इस समस्या का निरावरण अधिकाधिक विद्यालयों को खोलने हेतु राज्यों को केंद्रीय वित्तीय सहायता देना तथा प्राचार पाठ्यक्रमों (Correspondance Course) के प्रचलन द्वारा हा सकता है। कुछ राज्यों में ऐसे पाठ्यक्रम बहा के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सचालित भी किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त निजी विद्यालयों (Private School) के खोलने हेतु अनुदान (Grants) भी दी जानी चाहिए।

(2) युले अथवा चयनित प्रवेश (Open or Seclected Admissions) की समस्या देश में जन साधारण की शिक्षा सम्बन्धी आवाक्षाआ में बढ़ि हुई है तथा साक्षात्कारिक देश का यह दायित्व भी है कि वह इन आवाक्षाआ की पूर्ति करे किन्तु वित्तीय साधनों द्वारा भाव में ऐमा करना सम्भव नहीं जान पड़ता। अतः सुले प्रवेश के स्थान पर चयनित प्रवेश की नीति को ही तब तक अपनाना होगा जब तक कि माध्यमिक शिक्षा सर सुनभ नहीं हो जाती। किन्तु चयनित प्रवेश में इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्रतिभाशाली व योग्य विद्यार्थियों को निष्पक्ष होने और प्रवेश दिया जाय तथा समाज के पिछड़े वर्गों, वालिकानों आदि द्वारा प्रवेश हेतु आरक्षण (Reservation) दिया जाये।

(3) स्तरीय व निम्नस्तरीय विद्यालयों में प्रवेश की समस्या — कुछ स्तरीय अथवा अच्छी शिक्षा ध्यवस्था बाले विद्यालयों जैसे बाबैट स्कूल, पनिन स्कूल,

निजी विद्यालय आदि में प्रवेश हेतु विद्यार्थिया में अधिक आकृष्णा होती है। इन स्थान (Seats) सीमित हाने पे कारण योग्यता के आपार पर प्राप्त व ही विद्यार्थी प्रवेश पात हैं जो सम्पन्न वर्ग के हैं। जबकि निम्न स्तरीय (विषयपत् राजकीय) विद्यालय में प्रवेश हेतु पम विद्यार्थी आत है और जो आत है व प्राप्त निधन या निम्न मध्य वर्ग के होत हैं। ग्रज्यो शिक्षा सभी को निष्पक्ष ह्य स उपलब्ध हो, इस हेतु काठारी शिक्षा यायोग द्वारा प्रभिस्थित मुभावो का अनुपालन किया जाना चाहिए जैसे स्तरीय विद्यालयो म निधन वि तु योग्य विद्या यियों को छात्रवति देवर प्रवेश दिया जाय गामाय व पढ़ीमी विद्यालय (Common or neighbourhood School), निम्न स्तरीय विद्यालयो क स्तरोन्नत आदि के द्वारा।

[4] क्षेत्री असन्तुलन के कारण उत्पान प्रवेश समस्या-शिक्षा राज्य का विषय है, अत माध्यमिक शिक्षा सुविधामो की दृष्टि से विभिन्न राज्यो व मध्य असन्तुलन (In balance) है तथा राजनतिक प्रभाव क पानस्वरूप एक ही राज्य के विभिन्न प्रदेशो तथा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रो म इस शिक्षा सुविधाया म काफी असन्तुलन है। इसके पलस्वरूप पुछ विद्यालय एस स्थाना पर गुल गय ह जहाँ विद्यार्थियो का सहाय नगण्य है और व अनायिक जा अविक तर्दील (Un economic) निर्द हुए हैं जब वि कुछ राजानो पर जावश्यकता हाते हुए भी विद्यालय नही गुन जिसके कारण विद्यार्थियो को दूर स्थित विद्यालय म प्रवेश लेना पड़ता है जो उनकी आर्थिक रिक्ति के जनुवूल नही। अत इम समस्या का समाधान आवश्यक पर आवारित उचित स्थान पर विद्यालय गोल बर इस असन्तुलन को दूर करने से हो सकता है। जनायिक विद्यालयो को बदकर आवश्यकता वाले वस्त्रो व मध्यवर्ती वे द्वीय स्थान पर विद्यालय व छात्रावास स्थापित बरव भी इस समस्या का हल खोजा जा सकता है।

[5] नगरीय या ग्रामीण क्षेत्रो के विद्यालयो मे स्थानाभाव की समस्या— कुछ विद्यालयो मे स्थानाभाव या अतिरिक्त गनुभाग (Sections) की स्वीकृति न मिलने के कारण स्थानीय विद्यार्थी प्रवेश लेने स यक्ति रह जात हैं। अत रास्त द्वारा अतिरिक्त कक्ष बनवाने हेतु वित्तीय सहायता देकर व अतिरिक्त गनुभाग खोलने की अनुमति पूव योजनानुसार दनी चाहिए।

[6] माध्यमिक स्तर पर विभिन्न शिक्षा-सरचना (Structere) होने स प्रवेश लेने की समस्या— उत्पान होती है। एव ही राज्य मे उत्तराहरणाय राजस्थान

मेरे अधिकारी विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बांडे, राजस्थान से सम्बद्ध होने कारण 10+1 सरचना के हैं तथा कुछ केंद्रीय विद्यालय या निजी विद्यालय ऐसे हैं जहा 10+2 शिक्षा योजना प्रचलित है। इन विद्यालयों सरचना तथा पाठ्य-प्रयोग सम्बन्धी परिवर्ति विभिन्नताएँ हैं। इम कारण इन विद्यालयों के विद्यार्थी एवं विद्यालय को खोद्वार नित सरचना बाले विद्यालय में प्रवेश लेने पर पठिनाई अनुभव करते हैं। इस समस्या का समाधान देश मे समान माध्यमिक शिक्षायोजना (10+2) अपनाएँ हो सकता है।

[7] अतर्जियोग स्थानान्तर पर प्रवेश की समस्या — राज्यों मे माध्यमिक शिक्षा की विभिन्न प्रणालियां व प्रचलित होने से एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रयोग नहिं होने वाले विद्यार्थी को पठिनाई आती है क्योंकि वह नये पाठ्य-क्रम में स्वयं को समावाजित नहीं कर पाता। यह समस्या भी समान शिक्षायोजना (10+2) अपनान पर हल हो सकती।

[8] प्रवेश के सभी भाषा सम्बन्धी कठिनाई किसी राज्य मे भिन्न भाषा भाषी राज्य या प्रदेश से आये हुए विद्यार्थी को भाषा सम्बन्धी कठिनाई आती है जैसे शिक्षा के माध्यम की भाषा तथा तृतीय भाषा (Third Language) सम्बन्धी। इस कठिनाई का निराकरण राज्यों द्वारा इस हेतु निमित्त नियमों के अन्तर्गत विधा जा सकता है जैसे किसी विद्यालय मे यदि भिन्न भाषा-भाषी विद्यार्थियों को कुल सरया 30 है अथवा किसी एक कक्षा मे 10 है तो उनकी भाषा मे शिक्षण हेतु घटवस्था की जानी चाहिए।

[9] ऐच्छिक विषयों मे प्रवेश की समस्या — माध्यमिक विद्यालयों मे व्यासवाय वी अपेक्षा प्राय वालिज्य, विज्ञान व गृह विज्ञान मे प्रवेश हनु आशार्थी अधिक होते हैं जबकि विद्यालय मे उपलब्ध स्थान (Seats) सीमित होती हैं। एसी समरेयाओं का समाधान योग्यता (Merit) के आधार पर चयनित प्रवेश (Selected Admissions) अथवा जीक्षिक निर्देशन (Educational Guidance) द्वारा विधा जाना चाहिए ताकि ऐच्छिक विषयों, सकाय, उद्याग वार्तानुभव, समाजोपयानी उत्पादन वाय (SUPW) आदि का चयन द्वारा समुचित रीति से विधा जा सके। चयनित प्रवेश मे भी पिछडे वर्ग हेतु आरक्षण का प्रावधान हीना चाहिए तथा निधन द्वारों वो छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए।

[10] महिलाशिक्षा (Co Education) सम्बन्धी प्रवेश वी समस्या अनेक म्याना पर काया माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हात, अत वालिवाद्या को प्रिव्य होकर वानका के विद्यालयों मे प्रवेश नेना होता है कि तु अभी सामाजिक प्रतिवर्ती

व मायताओं के बारण अभिभावक इसे प्रचला नहीं मानते जिसके बारण उनकी वालिकाएँ प्रवेश लेने से बचित रह जाती है। अत इस समस्या के निराकरण हेतु वालिकामों के विद्यालय आपश्यवतानुसार सोलकर अद्यवा समाज म सहयोग के प्रति अनुबूल हटिंगोए उत्तरान करके विद्या जा सकता है। सह शिक्षा वाले विद्यालयों मे कुछ शिक्षिकामों तथा वालिकामों के लिए एक समान कक्ष (Girls Common room) की व्यवस्था करना चाहिए।

प्रवेश सम्बन्धी विभागीय नियम

कुछ समस्याएँ प्रवेश सम्बन्धी विभागीय नियमों का व्याप्त न रखने से उत्तरान होती है। अत इन नियमों की प्रवेश के सम्बन्ध हटिंगत रखना अनिवार्य है। ये नियम सक्षम मे इस प्रकार हैं—

द्वात्रा प्रवेश—द्वात्रा के प्रवेश के लिए भिन्न भिन्न राज्यों म भिन्न प्रकार के नियम शिक्षा विभाग द्वारा प्रसारित किय जाते हैं। सभी विद्यालयों म उन नियमों के आधार पर काम होता है। राज्यानन म प्रायमिक विद्यालय ग्रामीण भेत्र मे पचासवर्ष समितियों के प्रशासन मे है और और शहरी धोन म जिला शिक्षा अधिकारी के नियमण म परतु पचासवर्ष समितियों मे भी शिक्षा विभाग के ग्रामेशो पा पालन किया जाता है। सामायत द्वात्रा प्रवेश का बाय प्रत्यक्ष सत्र के प्रथम सप्ताह मे समाप्त हो जाता है। कक्षा 1 मे भी ऐसा ही यत्न होता है भिन्न भी इस क्षा म प्रवेश पूरे सत्र तक होता है। जब भी कोई वालक विद्यालय मे कक्षा एक म प्रवेश लेने जाता है, उसे प्रविष्ट दर लिया जाता है। नव भी कोई द्वात्रा विद्यालय म प्रवेश के लिए आता है तो उसके लिया अभिभावक से प्रवेश 'प्रायना पत्र' की पूर्ति कराई जाती है। प्रवेश प्रायना पत्र मे कइ पूर्तियाँ करनी होती हैं। इनमे सबसे महत्वपूरण है द्वात्रा यो ज मतियि। यह ईनवी सन् मे लिखाई जानी चाहिए और उसे अको मे लियवाकर शब्दों मे भी जहर लियवानी चाहिए। पिता वे जीवित होने की दशा मे अभिभावक मे इस प्रायना-पत्र की पूर्ति यद्य सम्भव नहीं करवानी चाहिए क्योंकि ऐसा होने पर द्वात्रा के जाम दिनांक पर भविष्य मे कभी पिता द्वारा आपत्ति उठाई जा सकती है। ऐसी समस्या के समाधान के लिए माझ धानी वरतना जरूरी है। इस प्रायना-पत्र मे एक सूचना यह भी अकित की जानी है कि द्वात्रा ने इस विद्यालय म प्रवेश चाहने से पूर्व राज्य द्वारा स्वीकृत किसी अद्य विद्यालय मे शिक्षा नहीं पाई है। इस सूचना का ध्यान से देख लेना चाहिए, जिससे भविष्य मे उस द्वात्रा के प्रवेश से सम्बद्धित काई आपत्ति पैदा न हो।

नामाकन (Enrolment)— छात्र प्रवेश का प्रार्थना-पत्र अभिभावक या छात्र के माता-पिता से से किसी के हस्ताक्षर सहित पूरा और ठीक तरह नरा हुआ जैसे ही विद्यालय में वापिस प्राप्त होता है तो उसकी जाच कर यह विश्वास किया जाता है कि इसमें पूर्तिया ठीक स्थान पर अवित की गई है और जो भी विवरण छात्र के बारे में दिया गया है वह सही है। इस प्रार्थना पत्र को जाच के बाद प्रधानाध्यापक छात्र को विद्यालय में प्रवेश देने की आज्ञा लिखित में उसी प्रार्थना पत्र पर देते हैं। प्रधानाध्यापक की लिखित आज्ञा के उपरान्त उस छात्र का नामाकन विद्यालय की नामाकन पंजिका में कर लिया जाता है। इस पंजिका को स्कॉलर्स रजिस्टर (Scholars Register) भी कहते हैं। इसमें छात्र के विद्यालय में प्रवेश करते ही उसका नाम व उससे सम्बद्धित सभी सूचनाएँ उसके प्रवेश प्रार्थना पत्र में अवित किये गये जनुमार अवित करती जाती हैं। जिस नामाक पर एक बार छात्र का नाम अवित हो जाता है, वह उसके उस विद्यालय में रहने तक बना रहता है। जब वह छात्र विद्यालय छोड़ता है तब उसी में कारण और दिनांक अवित कर दिय जाते हैं और विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र (T C) दिया जाता है।

छात्र उपस्थिति (हाजिरी)— प्रवेश प्रार्थना पत्र की प्राप्ति पर दूसरी पंजिका जिसमें छात्र का नाम अवित किया जाता है, वह है— छात्र उपस्थिति-पंजिका (Attendance Register)। ये पंजिकाएँ कक्षावार होती हैं। जब किसी प्रार्थनिक विद्यालय में छात्रों की संख्या कम होती है तब एक रजिस्टर में ही एक से अधिक कक्षाओं के छात्रों के नाम निम्ने जाकर हाजिरी ली जाती हैं। जब छात्र उपस्थित होता है उसे 'उ' या 'P', अनुपस्थित होता है तो 'अ' या 'A' और अवकाश पर रहता है तो 'अब' या 'L' संकेत का उपयोग उस छात्र के नाम की दाई ओर निविचित टिनाई के नीचे लिया जाता है। जब छात्रनिर्धारित प्रतिशत के दिन उपस्थित रहता है तभी उसे वार्षिक पंजीका में दैठने का अधिकार प्राप्त होता है। उपस्थिति का यह प्रतिशत राजदीय नियमों जुमार बदलता भी रहता है। छात्रों की दीवां उपस्थिति अवित कर सेन के परन्तु प्रतिदिन उपस्थिति छात्रों का योग भी उपस्थिति पंजिका (रजिस्टर) में अवित किया जाता है। प्रतिदिन का उपस्थिति योग गिराव का यह दर्शाता रहता है कि छात्र घात्राएँ किस सीमा तक नियमित रूप से विद्यालय में रहे हैं।

मासिक एवं वार्षिक तालिकाएँ— छात्र उपस्थिति रजिस्टर में जब पूरे एक वर्षीन तक एक वक्ता के सभी छात्रों की उपस्थिति अवित करती जाती है तब मरीन के अन्तिम दिन प्रत्येक वक्ताध्यापक छात्रों की उपस्थिति वा जीमत निवालता है। यह भीमत छात्रों की उपस्थिति के प्रतिदिन के योगों का जोड़कर और विद्यारथ उन-

महीने में जितने दिन चता— उन दिनों की सरया से भाग देवर छाप उपस्थित औसत निकाला जाता है। यह उपस्थिति औसत, जो कक्षावार होता है, उसे एक 'गाशवारे' में सभी कक्षाओं के लिए अवित वर पूरे स्कूल की 'मासिक' औसत तालिका बनाई जाती है। इस तालिका को भरकर उच्च अधिकारियों वे वार्षिक म भेजने वा नियम प्रचलित है। इस मासिक तालिका में छात्रों की जातीयगत सूचा, उन की सर्वया में बृद्धि या कमी आदि वा अवित वरन की व्यवस्था रहती है। भिन-भिन राज्या में इसके लिए भिन-भिन प्राप्त प्रचलित है। इस मासिक तालिका में यह भी अनित किया जाता है कि अमुक महीने में जितने छात्रों न दिस किस कमा म प्रवेष पाया और इतने छात्रोंने विद्यालय छोड़ दिया या वे अपना स्थानातरण प्रभाल पर ले गय।

जिस प्रकार स छात्रों का नामांकन, उपस्थिति औसत और पृथक्करण का मातिक विवरण तालिका म तथार किया जाता है उसी प्रकार सम्पूर्ण विद्यालय की सभी कक्षाओं के छात्रों की उपस्थिति का वार्षिक औसत, वप-भर में जितने छात्रों ने विद्यालय में जित जिन कक्षाओं में प्रवेश लिया उनका विवरण और जितने छात्रों न वप में विद्यालय छोड़ा उसका विद्यालय छोड़ने के कारण सहित विवरण वार्षिक तालिका में प्रकित किया जाता है। इन सभी सूचनाओं को अवित वरन के लिए वार्षिक तालिका में लाने लिये रहत हैं। य मासिक और वार्षिक तालिकाओं के प्राप्त द्यपे हुए शिक्षा विभाग द्वारा सभी विद्यालयों में भेज दिये जात हैं। राज्य स्तर पर तो यह काय सम्भव नहीं, यत विभाग द्वारा तो मासिक और वार्षिक तालिकाओं के प्राप्त निश्चित किये जाते हैं और उनके नमूने विद्यालय निरीश्वरों के पास भिजवा दिये जाते हैं। विद्यालय निरी धारा तो उन नमूनों को ही विद्यालया में भेज देते हैं या किर उनके आधार पर अपने यहा इन तालिकाओं के खाती प्राप्त छपवावर प्रत्यक्ष विद्यालय वो भिजवा देते हैं। यह द्यपे हुए प्रारूप विद्यालय में नहीं ही तो भी विभाग द्वारा निश्चित किये हुए प्रारूप में य तालिकाएँ हाय से बनावर प्रति माह और वप के अत में उच्च अधिकारियों को प्रत्येक विद्यालय द्वारा प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर एवं मुहर सहित उच्च अधिकारियों को भिजवानी पड़ती है।

नाम काटना—कमा । त 11 तक के छात्रों के नाम के पृथक्करण के लिए शिक्षा विभाग समय समय पर जवधियाँ निश्चित बरता रहता है। उसके अनु सार ही विद्यालयों म पालना भी होती रहती है। मोटे द्वप में कमा छ 1 से 11 तक जगर सात दिन तक लगातार एक छात्र अनुपस्थित रहे तो उसका नाम पर्यक क

दिया जाता है। कक्षा 1 से 5 तक इस नियम में बोही ढील साम में लाई जाती है। बालक के अनुपम्यित रहने का अम प्रारम्भ होत ही जध्यापक को अभिभावक से सम्पर साधना आवश्यक हो जाता है। बालक विद्यालय में उपस्थित होना प्रारम्भ करदे, इसलिए प्रयत्न बराबर चलता रहता है और उसमें जब शिक्षक असफल हो जाता है तो उसके नाम को काट दिया जाता है। इस काम में एक महीना भी व्यतीत होना सम्भव है। प्राथमिक व्याख्या के लिए यह छात्र छानों द्वारा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने की हड्डि से रखी गई है।

जब छात्र का नाम काट दिया जाता है तो उपस्थिति रजिस्टर में उस दिनांक के कोठक से अगले कोठक तक छात्र के नाम के सामने यह अकित किया जाता है कि नाम काट दिया गया। इसके साथ साथ वह कारण भी लिख दिया जाता है, जिससे एक जध्यापक वा करना पड़ा। उपस्थिति पंजिका में यह पूर्ति कर देने के बाद छात्र नामांकन पंजिका में भी ऐसी पूर्ति करदी जाती है।

स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र(T C) यह प्रमाण पत्र किसी भी विद्यार्थी की उस समय दिया जाता है जबकि वह किसी भी कारण से इसी दूसरे विद्यालय (उसी शहर या दूसरे विद्यालय के) में प्रवेश लेना चाहता है। इसके लिए छात्र को विधिवत् प्रायना वा प्रत्युत करना होता है। इस प्रमाण पत्र में दो भाग होते हैं। एक में विद्यार्थी के विषय में सूचना संक्षिप्त रूप में अकित दी जाती है और वह विद्यालय में ही रकाड़ के रूप में रह जाता है। दूसरे भाग में सूचना विस्तृत रूप में अकित की जाकर, इसे छात्र या छाना को दिया जाना है। इस प्रमाण-पत्र को सावधानी से तैयार करना जरूरी है। विशेषत छात्र की ज म तियि, वक्ता जिससे उसने विद्यालय छोड़ा, और जिस दिनांक को विद्यालय छोड़ा, इन सूचनाओं को अब और शब्द दोनों में अकित किया जाना चाहिए। एक वरने से इस प्रमाण-पत्र में निको गई जाम-तियि या विद्यालय छोड़ने की वक्ता और दिनांक में से किसी म भी छात्र या उसके अभिभावक किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं कर सकेंगे।

इस प्रमाण पत्र को देने के साथ साथ छात्र का उसके उमी वय के टेस्टो एवं अद्यार्थिक परीक्षा म (यदि इस परीक्षा के बाद विद्यानय छोड़ा हो) प्राप्त लिए हुए प्रमाण वा भा प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए। छान न विद्यालय छोड़ते समय तक जो नी शुरू कर उस चालू वय म जमा कराये हो, उनका उल्लेख भा स्थानान्तर प्रमाण-पत्र म किया जाना चाहिए। यदि इसके लिए उस प्रमाण-पत्र में खाने पहले से ही लिचे न होता तो पर्यक से ही विद्यार्थी को इस सम्बंधी प्रमाण-पत्र देना चाहिए जिससे छात्र वा दूसरे किसी विद्यालय में विधिवत् प्रवेश सम्भव हो सके।

पुन नामांकन करना — विद्यालय घोड़कर जाने वाले छात्र को यदि उसी दिन तथा मध्ये पुन प्रवेश चाहिए तो उसके लिए वह विधिवत् पुन प्रवेश के लिए प्रारंभना पत्र विद्यालय द्वे प्रधानाध्यापक द्वे नाम पर देगा। जैसे ही पुन प्रवेश का प्रारंभना-पत्र विद्यालय मध्ये प्राप्त हो वैसे ही विद्यालय के रैकाड मे उस प्रारंभना पत्र मे लिखे विद्यालय घोड़ने की कदम श्रीग. दिनांक की जात्य की जानी चाहिए। साथ ही अभिभावक का यह बतला देना चाहिए दि उसक बालक की उपस्थिति का प्रतिशत वार्षिक परीक्षा तक अमुक रहगा और वह वार्षिक परीक्षा मे सम्मिलित हो सकेगा या नहीं।

माध्यमिक एव उच्च माध्यमिक विद्यालयों मे छात्रों के प्रवेश, पुन प्रवेश, स्थाना-तरण प्रमाण-पत्र तथा आय राजकीय एव छात्र नियियों के अंतर्गत लिय जाने वाल शुल्क वैसी तात्पृष्ठा निम्नांकित है जिन्ह सम्बन्धित छात्र से बमूल करना भनिवार्य हाता है, आय गम्भीर अनियमिताएं हानी है जिसके लिए प्रधानाध्यापक व सम्बन्धित नियिया आद्यापक उत्तरणायी होता है —

(क) छात्र-निधि(Boys Fund)

शुल्क	वधा 6 से 8	वधा 9 से 11
(1) श्रीग. शुल्क	6 रु वार्षिक	6 रु वार्षिक
(2) पुनवालय शुल्क	1 "	1 "
(3) याचनात्य ,	2 "	2.50 "
(4) विद्यालय परिका ,	1 "	1 "
(5) छात्र समृद्ध	1 "	1 "
(6) मारोरजन	1 ,	1 "
(7) उद्याग	50 रु प्रति माह (12 माह तक)	50 रु प्रति माह (12 माह तक)
(8) विकास	1 रु वार्षिक	3 रु वार्षिक
(9) चिट्ठा ,	50 रु "	50 रु "
(10) वार्षिक	75 रु प्रति माह	1 प्रति माह
(11) गामा य विभान ,	X	1 "
(12) परीगा ,	3 रु प्रति परीगा	4 रु प्रति परीगा
(13) कर्मन सनी योगाई राज वार्तो X		5 रु

(म) राज्य-निधि (Govt Money)

(1) २५८, पुन प्रवेश शुल्क	—	1 रु
---------------------------	---	------

- (2) स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र शुल्क
 (3)
 (4) प्रयोगशाला (द्वितीय प्रति)

I 6
 50 रु
 50 रु मासिक

(ग) शिक्षण शुल्क (Tuition Fees)

	माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों से राज्य-निधि हेतु प्राप्त शुल्क	
9	कक्षा १ आयकर (Income Tax) नहीं देने वालों से	आयकर देने वालों से
10	150 रु प्रति माह	3 रु से 10 रु- तक
11	150	भ्राय-वर्गनुसार
	4	"
	"	"

दत्त गृह-कार्य का परम्परागत एवं नवीन सप्रत्यय
 (The Traditional and New Concept of Assignment)

गृह-काय की उपयोगिता को प्रधिकार शिखाविद् स्वीकार करते हैं किन्तु यह उपयोगिता तब ही समव है जब इसे उचित अर्थ में ग्रहण किया जाये। परम्परागत मायता-तुसार पृष्ठ कार्य के बहुत विद्यायियों को घर पर व्यस्त रखने हेतु, निष्प्रयोजन एवं प्रारूपवस्तु को रखने की, हिट से दिया जाता है। स्पष्ट है ऐसी मायता से गृह-काय का उपयोगी होने की अपेक्षा निरर्थक एवं हानिकारक एवं आत्मनिभरता व आत्मविश्वास के गुणों के विकास हेतु सथा कक्षा शिक्षण को समुष्ट करने में सहायक बनने हेतु दिये जाने में विश्वास करता है। गृह-काय की उपयोगिता के सम्बन्ध में निम्नान्वित

पी सी व्रेन (P.C. Wren) — "जब विद्यालय में प्रथेक (विद्यार्थी) अपनी इच्छा के विषयों में गृह काय करता हो तो हो वे विषय नितिक या मानसिक हो, जब वह दिनिक नियोगन व प्रामाण ढारा, अपनी अभिभूतियों व अभिवृत्तियों के विकास में उत्तर रहता है, तो गृह-काय एक अच्छी बात है।"

(When everybody in School does homework on the subjects he enjoys be they moral or mental, when he follows his bent and pursues his inclinations under the daily guidance and advice of the teachers, then homework is a good thing)

लोरेन फॉक्स (Lorene Fox) — “गृह-वाय विद्यार्थियों को चुनौती पूछ होना चाहिए।”

(Homework should be challenging to the students)

रेड एवं शर्मा — “शैक्षिक एवं नितियाँ दोनों ही इटियों से गृह-वाय का बहुत महत्व है।”¹

डा एस एस मायुर — “गृहवाय यो विद्यालय निकाश में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। गृह-वाय बालक प्रपते पाठ वा पुनरावलोकन कर सेते हैं, उसे प्रच्छो तरह याद कर सेते हैं और इस प्रकार वह जान जो उर्ध्वान विद्यालय में प्राप्ति किया है मगाठित रूप से उसके मस्तिष्क में सचिन हो जाता है।”²

उपरोक्त कथनों से गृह वाय अध्यवा दत्त-वाय की उपयोगिता प्रबंध होती है तथा उसकी माध्यमिक सद्वल्पना भी।

विन्तु कुछ शिक्षाविद दत्त-वाय के विरोधी भी हैं। जसे ‘ब्रे’ (Bray) का कथन है—“विद्यालय में लम्बे असे तब काय के उपरान्त विद्यार्थियों को गृहवाय देना उचित नहीं है, इससे लाभ यी अपेक्षा हानि अधिक होती है वैवल सभवत परीक्षा में सफलता को छोड़कर।”

(Under normal Condition, a reasonable days work for a child has been done at the close of the afternoon session and homework as it is generally organised does more harm than good as rule except perhaps from the point of view of examination Success.)

उपरोक्त भत दत्त काय की परस्परा अवधारणाओं के कारण है, तबीन स्कल्प के कारण नहीं। जैमा वि विशन चाद जैन ने कहा है— “गृह वाय के उपरोक्त लाभ और हानियों को इटिय में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि व्यवहारि जीवन में कुछ गृह-वाय अपरिहाय है। मानवश्यकता इस बात की है वि उसे इस प्रका सतुलित विद्या जाये कि उसको हानियाँ कम अध्यवा समाप्त हो जाय और विद्यार्थि को वह लाभदायक खिद हो।”³

1 रेड एवं शर्मा शैक्षिक एवं माध्यमिक विद्यालय व्यवस्था

पैज/36

2 डा एस एस मायुर विद्यालय संगठन एवं स्वास्थ्य-शिक्षा

पैज/112-11

3 किशन चाद जैन। शैक्षिक संगठन, प्रशासन एवं संगठन

पैज/79

दस्त अथवा गृह-कार्य के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व

निम्नांकित बिद्युओं से स्पष्ट होते हैं—

- (1) गृह कार्य कक्षा कार्य का पूरा पूरक होता है क्योंकि वह कक्षा में अर्जित ज्ञान का पृष्ठ-पोषण (Reinforce) करता है।
- (2) यह पठित विषय-बस्तु की पुनरावृत्ति (Revision) द्वारा हृदयगम करने में सहायता होता है। अर्जित ज्ञान स्थायी होता है।
- (3) यह विद्यार्थियों को 'करके सीखने' (Learning by doing) के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त द्वारा मधिगम में सहायता होता है।
- (4) यह विद्यार्थियों में स्वतन्त्र रूप से स्वाध्याय करने की आदत का विकास करता है।
- (5) यह विद्यार्थियों की विचार, तत्त्व ज्ञाना, स्मरण व चिन्तन करने की शक्तियों का विकास करता है।
- (6) यह पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त ग्राम्य पुस्तकों व संदर्भ ग्रंथों के अध्ययन का अवसर देता है।
- (7) यह छात्रों में नियमित रूप से कार्य करने को प्रेरणा देता है।
- (8) गृह-कार्य में छाना का अपनी रुचि के विषयों के अध्ययन द्वारा सूजनात्मक आनंद देता है।
- (9) यह छात्रों को अपनी गति एवं योग्यता के अनुरूप कार्य करने में सहायता होता है।
- (10) इससे छात्रों में आत्मनिभरता एवं आत्मविश्वास की भावना विवस्ति होती है।
- (11) गृह-कार्य से अभिभावकों को छात्रों की प्रगति से अवगत होने का अवसर मिलता है।
- (12) गृह-कार्य की मात्रा व गुणवत्ता के आधार पर शिक्षक को भी अपने शिक्षण कार्य हेतु पृष्ठ-पोषण (Feed back) मिलता है और उसमें सुधार हेतु प्रेरणा मिलती है।
- (13) गृह-कार्य विद्यार्थियों की कमज़ोरियों के निदान (Diagnosis) में सहायता होकर शिक्षक को उपचारात्मक शिक्षण (Remedial teaching) की योजना बनाने की दिशा देता है।

गृह-कार्य के प्रकार :

गृह-कार्य के निम्नांकित प्रमुख प्रकार हो सकते हैं—

- (1) लिखित कार्य — प्राय विद्यार्थियों का गृह-कार्य हेतु लिखित कार्य ही दिया जाता है जिसमें निर्धारित प्रश्नों के उत्तर, व्याख्या, सारांश, पत्र, निबंध, कुछ विचार प्रेरक प्रश्नों के मौलिक ढंग से उत्तर लिखने को कहा जाता है।
- (2) स्वाध्याय कार्य अथवा मीडिक कार्य — कक्षा में पठित पाठ से सम्बंधित

पाठ्यपुस्तक के प्रतिरिक्त पुस्तक, समाचार पत्र, सदम धार्य आदि के स्वाध्याय हेतु कहा जाता है अथवा बोई याद करने हेतु काय दिया जाता है जिसे मौखिक रूप से पुनर्स्मरण कर मुनाना होता है जैसे गतिशील विनान के सूत्र, पद, ऐतिहासिक घटनाएँ व तिथियाँ आदि।

- (3) प्रायोगिक काय (Practical work) — विज्ञान, उद्योग, कार्यानुभव, समाजोपयोगी उत्पादन काय, मानचित्र, रेखाचित्र, मॉडल, समय रेखा, आदि से सम्बंधित काई प्रायोगिक काय जो घर पर किया जा सके, शृङ् काय हेतु दिया जाता है।

उपरोक्त गृह-काय के प्रकारों का अपना महत्व एवं प्रयोगजन होता है। विषय व प्रकरण की प्रवृत्ति तथा उद्देश्यों को विभिन्न रपते हुए इनमें प्रवारों का यावश्यक बना प्रयोग किया जा सकता है तथा गृह-काय में विविधता लाकर उसे रोचक व चुनौतीपूर्ण बनाया जा सकता है।

गृह-कार्य के सिद्धांत निम्नान्वित हैं —

- (1) गृह काय को विद्यार्थियों के लिए भार व्यरूप न बनाकर उसे रोचक तथा उसके मनोरजन के काय में हस्तक्षेप न करने वाला बनाना चाहिए। उसकी मात्र निश्चित हो।
- (2) गृह-काय एवं सुनियोजित समय विभाग-चक्र के अनुसार दिया जाना चाहिए ताकि प्रतिदिन का नियमित विषयों में दिया गया काय प्रधिकरण 2 घट्टे का हो।
- (3) उसे इस रूप में दिया जाये कि छात्र उसे स्वयं कर सके तथा आर्य किसी की मद्दत न ले अथवा पुस्तक की नकल न करे।
- (4) वह छात्रों की तक एवं चित्तन शक्ति के विकास में सहायक हो सके।
- (5) छात्रों के गृह-काय का शिक्षक द्वारा नियमित सशोधन हो व छात्रों द्वारा उसका अनुबद्ध न हो।
- (6) गृह काय में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाये।
- (7) वह छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास करे।
- (8) गृह काय में अभिभावकों का सहयोग छात्रों को साधन-सुविधा देने में तिथि जाए।
- (9) वह कक्षा कार्य के पूरक या पुनर्यलन (Reinforcement) का कार्य करे।
- (10) उसके आधार पर छात्रों की कमजोरियों का निदान हो सके व शिक्षक द्वारा उन चारात्मक शिक्षण की व्यवस्था हो।

गृह-कार्य सम्बन्धी समस्यायें और उनका निराकरण

गृह-कार्य सम्बन्धी समस्याओं को मुख्यतः निम्नांकित रूप में वर्णित किया जा सकता है—

(1) **गृह-कार्य की मात्रा का नियमन** — प्राय देखा जाता है कि घात्र को प्रतिदिन प्रत्येक विषय के अध्यापक द्वारा गृह-कार्य दिया जाता है जो घात्र की योग्यता, समता एवं समय की उपलब्धता की दृष्टि से अव्यवहाय सिद्ध होता है। गृह-कार्य की मात्रा अनियन्त्रित व अनियोजित होती है। फलत छात्र या तो गृह-कार्य को अपने अभिभावकों की सहायता से अथवा दूसरों की नकल कर पूरा करते हैं अथवा उसे पूरा न करने की दिशा में दण्ड से बचन हतु स्कूल या वक्ता में नहीं जाते। इससे गृह कार्य का प्रयोजन सिद्ध न होकर वह छात्रों के लिए हानिकारक बन जाता है।

अत इस समस्या के निराकरण हेतु कक्षा को पढ़ाने वाले सभी विषयों के अध्यापकों को प्रधानाध्यापक के निर्देशन में सत्र के आरम्भ में ही एवं सुनियोजित गृह कार्य हेतु साप्ताहिक सम्पूर्ण विभाग-चक्र बना लेना चाहिए जिसकी प्रतिर्योगी प्रत्येक अध्यापक की ढांचरी में तथा वक्ता-कक्ष के प्रदर्शन पट्ट पर होनी चाहिए। इससे शिक्षक तथा शिक्षार्थी गृह-कार्य को एक सुनियोजित मात्रा में प्रतिदिन क्रियाविनंत कर सके गे।

(2) **गृह कार्य का सशोधन** — प्राय सभी विद्यालयों में सतोषजनक विधि से नहीं रिया जा रहा है। इसके अनेक कारण हैं— कक्षा में घात्र सम्या अधिक होना, शिक्षकों को गृह कार्य के सशोधन हेतु रिक्त कालांश न मिलना, अध्यापकों वा अभाव होना, शिक्षक द्वारा सशोधन कार्य न देवल हस्ताक्षर दर औपचारिकता निभाना प्रधानाध्यापक वा शिखित परिवीक्षण शिक्षक अभिभावक सहयोग वा अभाव वाले। अत गृह कार्य को उचित मात्रा निर्धारित की जाये, शिक्षक उसके सशोधन हेतु पर्याप्त रिक्त कालांश दिये जाये प्रधानाध्यापक द्वारा गृह-कार्य का उचित परिवीक्षण से तथा अभिभावक का इस कार्य में सहयोग नियम जाये। इनके अतिरिक्त सशोधन की नवीन विधियाँ अपनाई जायें।

(3) **गृह कार्य का अनुवर्तन** — (Follow-up)भी प्राय देखने को इस मिलता है। गृह-कार्य के सशोधन के आधार पर घात्रों की त्रुटियों का उनके द्वारा शुद्ध में प्रयोग कराया जाये तथा उनकी कमियों के निदान (Diagnosis) द्वारा उनके उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching) की ध्येयता की जाये। यह कार्य

का अनुवत्तन उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होता है। इसकी उपेक्षा करने से उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है।

इसके अतिरिक्त गृह-कार्य से सम्बद्धित आय गौण समस्याएँ भी हैं जैसे गृह-काय में द्यावों द्वारा नकल करना, गृह-काय न बरने पर कक्षा से भाग जाना, शिदाका द्वारा सशोधन काय की उपेक्षा करना, घर की स्थितियाँ गृह-काय के अनुकूल न होना आदि। इन समस्याओं का निराकरण पूर्व में दिये गये सुभावों के आधार पर किया जा सकता है।

गृह कार्य का समय-विभाग-चक्र— आगे अध्याय से 11 'समय विभाग-चक्र' का अंतर्गत दिया गया है।

उपसहार-

प्रवेश एवं गृह-कार्य सम्बंधी माध्यमिक विद्यालयों की समस्याओं के निराकरण में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वह प्रधानाध्यापक द्वारा आवित काय से बन-पनिष्ठता एवं कुशलता से सम्बन्ध कर सकता है तथा प्रपत्ती सूक्ष्म-बूझ एवं पहल गति द्वारा इन समस्याओं के हल खोजने में प्रधानाध्यापक की सहायता कर सकता है। अभिभावकों एवं विद्यार्थियों से निरंतर सम्पर्क साध कर तथा उनकी समस्याओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण ध्यवहार अपनाकर वह उनका सहयोग प्राप्त करने में सफल हो सकता है। बड़ी विद्यालयों में गृह-कार्य के सशोधन की प्रभावी विधियों को खोज, प्रयोग व प्रायोजनाओं के आधार पर विद्यार्थियों द्वारा की जा सकती।



मूल्यांकन (Evaluation)

(अ) संक्षुत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions)

- 1 माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश सम्बंधी किसी ही पात्र समस्याओं व उनके समाधान का उल्लेख कीजिये।
- 2 ग्रामिक स्तर पर द्यात्र प्रवेश हतु नामोंन क्षमियान से क्या सात्यर्थ है? इसमें अपना योगशाल नियम प्रकार दे सकता है?
- 3 माध्यमिक स्तर पर प्रवेश सम्बंधी कौन सी साधारणियों रखना आवश्यक है। उन्हीं में निपत्तिये।
- 4 गृह-कार्य देने वे किसी ही पात्र उद्देश्या वा वर्गीन कीजिये।

5 गृह कार्य देने हेतु माध्यमिक विद्यालय को किसी एक कक्षा का साम्पत्ताहिक समय-
विभाग-चक्र बनाइये।

6 गृह-कार्य के प्रभावी सशोधन हेतु कोई पांच सुझाव दीजिए।

7 "शक्ति एवं नीतिक दोनों ही दृष्टियों से गृहकार्य का वहुत महत्व है।" गृह एवं सम्पर्क
उपरोक्त कथन का शोधित्य स्पष्ट कीजिए।

(व) निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1 निम्नलिखित पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये—

गृह-कार्य अथवा गृह-कार्य योजना का महत्व (बीएड, 1985, शिक्षा सास्कृति 1984)
2 राजस्वाल में विद्यार्थियों के प्रवेश सम्बंधी विभागीय नियमों का स्वेच्छ में उल्लेख
कीजिए।

3 माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश सम्बंधी कौन सी समस्याएँ होती हैं? इन्हें नियन्त्रण
के द्वारा उपाय हैं?

[विषय-प्रवेश (क) शैक्षिक परीक्षण का अर्थ एवं आधुनिक सप्रत्यय, शैक्षिक परीक्षण का नियोजन एवं क्रियावय्या, शैक्षिक परीक्षण सम्बन्धी समस्याएँ एवं उनका निराकरण (ख) प्रोन्नति का अर्थ एवं उद्देश्य, प्रोन्नति के सिद्धान्त, - प्रोन्नति के प्रकार, प्राप्ति सम्बन्धी समस्याएँ एवं उनका निराकरण, प्रोन्नति सम्बन्धी विभागीय नियम, उपस्थान, मूल्यांकन]

विषय-प्रवेश —

माध्यमिक विद्यालयों की प्रमुख समस्याओं में से दो समस्याओं — प्रवेश एवं गह-कार्य का विवेचन गत अध्याय में किया जा चुका है। प्रस्तुत अध्याय में अर्थ दो प्रमुख समस्याओं— शैक्षिक परीक्षण तथा प्रोन्नति का अध्ययन करेंगे। यद्यपि मूल्यांकन की आधुनिक अवधारणा वे अनुसार राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (S I E R T) उदयपुर की मूल्यांकन एक (Evaluation unit) तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) दिल्ली के निदेशन से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोड द्वारा शैक्षिक परीक्षण की एक नई दिशा दी है तथापि भर्ती भी भवित्वाशी माध्यमिक विद्यालयों में परम्परागत परीक्षा की अवधारणा के अनुसार शैक्षिक परीक्षण उद्देश्यनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाया है। फलत प्रोन्नति की प्रतिया भी निष्पक्ष एवं प्रभावी सिद्ध नहीं हो पा रही है। अत इन दो समस्याओं के सही विध एवं उनके निराकरण के उपायों से शिक्षकों का अवगत होना वाच्चनीय है।

शैक्षिक परीक्षण का अर्थ एवं आधुनिक सप्रत्यय

शैक्षिक परीक्षण (Academic Testing) का आधुनिक मंप्रत्यय नयोन मूल्यांकन प्रणाली के स्वरूप में निहित है। मूल्यांकन की नवीन अवधारणा के अनुसार अब उद्देश्यों, भानाजन अनुभवों तथा मूल्यांकन तकनीक में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो गया है।

डा ब्लूम(Bloom) ने इस सम्बन्ध को निम्नांकित त्रिभुज के द्वारा स्पष्ट किया है।
शैक्षिक उद्देश्य(Educational Objectives)



शिक्षण स्थितियाँ
 तथा ज्ञानार्जन अनुभव
 (Teaching Situations of Learning Experiences)

मूल्यांकन तकनीक
 (Evaluation Techniques)

उपरोक्त रेखाचित्र में प्रदर्शित तीन चिह्न से उद्देश्य, ज्ञानार्जन, अनुभव तथा मूल्यांकन की परस्पर आत्मनिभरता तथा सहसम्बन्ध भली भांति स्पष्ट हो जाता है। मेरे परस्पर एक-दूसरे का निर्धारण भी करते हैं तथा एक-दूसरे से प्रभावित हो परस्पर गोबन, परिवर्तन तथा परिवर्द्धन भी करते रहते हैं। वस्तुतः परीक्षा अभ्यवा मूल्यांकन व एक अच्छे शिक्षा-कार्यक्रम का अभिनन अग्र बन गया है। इसके कारण बाह्य परीक्षा के साथे आन्तरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) को भी अब भार देकर सबा महत्व स्वीकार कर लिया गया है। आन्तरिक मूल्यांकन के अस्तर्गत सावधिकार तथा विषयगत विद्यार्थी का ध्यक्तिगत बाय तथा उसके लेखनीयों को अब भार भर तथा उसे बाह्य परीक्षा के अंत में जोड़कर सफलता एवं असफलता का निर्धारण किया जाने लगा है। इससे परम्परागत बाह्य परीक्षा का प्रभुत्व कम हो गया है तथा अवधिकार जाच द्वारा सत्रपत्र त विद्यार्थी द्वारा की गई प्रगति को भी मूल्यांकन में समावेष्ट कर लिया गया है। यद्यपि इस नवीन अवधारणा के अनुसार मूल्यांकन की इस रणात्मकी का सवत्र समान रूप से प्रचलन अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है किन्तु इस दिशा में काम आरम्भ हो चुका है।

मूल्यांकन के नवीन संप्रत्यय के अनुसार अब विषयगत उद्देश्य एवं व्यवहारगत अंतर्वर्तन निश्चित कर तदनुकूल शिक्षण एवं ज्ञानार्जन की स्थितियों की योजना एवं उसका किया व्यवन किया जाता है। तत्पश्चात् निर्धारित उद्देश्यों की उपलब्धि की जाती

1 ब्लूम द्वारा इवेलुयेशन इन सेण्डरी स्कूल्स, पैज/8

हेतु मूल्यांकन के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों वा विश्लेषण पर यह पता समाप्त जाता है कि द्वारों की उपलब्धि में उद्देश्य, जानार्दन अनुभव एवं मूल्यांका वीं विकासीय अभिभाव में कहा भीर बिनों कमी रह गई है तथा उसके आधार पर तदनुरूप परिवर्तन पर निर्गण की भीर प्रभावी याने वाप्रापाम किया जाता है। इस प्रवार परीक्षा वा परम्परागत उद्देश्य विद्यार्थियों का उत्तीर्ण भीर अनुत्तीर्ण घोषित करना मात्र प्रब्रह्म रह नहीं गया है। इसके स्पान पर अब यह माना जान लगा है कि परीक्षा विद्यार्थिया भव्यापका प्रधानाप्यापका तथा अभिभावकी के निर्देशन हेतु उपयोगी मूच्चना प्रदान करती है तथा यह विद्यार्थियों की प्रगति के माप माध्यम स अध्यापकों द्वारा प्रस्तुत निर्गण वाप्र वा भी मूल्यांकन पर सकती है।

निम्बाधात्मक परीक्षा के दोषों का दूर करने तथा उसमें निहित मात्रापरवर्ता से उत्पन्न कमियों के निरावरण हेतु मूल्यांकन की नवीन अवधारणा एवं स्वरूप म व व काफी परिवर्तन आ गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षिक मनु-संधान पश्च प्रशिक्षण परिषद् के तत्त्वाधान में प्रकाशित “इतिहास की हायर सेकंड्री विद्यालयों के निमित्त प्रश्न-पत्र” नामक पुस्तिका में मूल्यांकन के नवीन स्वरूप की निम्नांकित विशेषताएँ स्पष्ट की हैं।

(1) प्रश्न-पत्र में निर्धारित उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम के सम्बूज भूमों के आधार पर प्रश्न निर्मित किये जायें।

(2) प्रश्नों की सरचना सरल एवं सुव्योग हो जिससे द्वारा को अवैधित उत्तर के विषय में पूर्ण स्पष्टता हो।

(3) निम्बाधात्मक प्रश्नों के स्थान पर अधिक सश्या में अनुनिष्ठ एवं उपुरात्मक प्रकार के प्रश्न (Objective and Short Answer type) पूछे जाएं जिससे कि सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को उनमें समाविष्ट किया जा सके। इससे विद्यार्थियों म पाठ्यक्रम म दुष्प चने हुए प्रवरणों को रटने की दुष्पवृत्ति समोन्त होगी। अभियुक्ति की इष्टि से निम्बाधात्मक प्रश्नों की भी आवश्यकता होती है कि तु उनकी सश्या वम हो।

(4) प्रश्न पत्र में ‘कि ही 5 प्रश्नों के उत्तर’ लिखिये’ जौसे विकल्प न दिये जाए उसके स्थान पर प्रश्न के भारतीय ही विकल्प दिया जानी चाहिए जिससे विद्यार्थियों म चुने दुए अंशों को रटने की प्रवृत्ति वम हा सके।

2 शमा की ही इम्प्रूविंग एकजामिनेशन्स (एन सी ई आर टी, न्यू देहली) पृष्ठ 3

3 बोर्ड ऑफ सेकंड्री एज्यूकेशन, राजस्थान, भजमेर, सैम्पल कैवेइचन पेपर पौर हायर सेकंड्री एकजामिनेशन पृष्ठ 3।

(5) प्रश्न-पत्र को उत्तर-तालिका एवं अक विभाजन योजना परीक्षकों के निर्देश हेतु बनाया जाना अनिवार्य है जिससे कि परीक्षण में वस्तुनिष्ठता एवं एकत्रिता आ सके।

(6) कुछ प्रश्न कक्षा स्तर के प्रत्यक्ष ऐसे अवश्य दिये जाएं जो विद्यार्थियों में सभीक्षात्मक कुशलता को विकसित कर सके।

(7) प्रश्नों की भाषा एवं निर्देश सरल, स्पष्ट तथा विशिष्ट हों जो उत्तरों के लिए एवं परिणाम परिसीमित कर सकें जिससे कि धारों में आत्मप्रकता कम हो।

नवीन मूल्याकृति प्रणाली की कमीटी निम्नानुसार यीन विशेषताएँ होनी चाहिए।⁴

(1) वैधता (Validity) — मूल्याकृति तब ही वैध माना जा सकता है जबकि वह उन उद्देश्यों की उपलब्धि का मापन करे जिनका मापन करना वाद्यनीय है। प्रश्न-पत्र में प्रत्येक प्रश्न किसी न किसी पूछ निर्धारित उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए तथा विभिन्न प्रश्न विभिन्न निर्धारित उद्देश्यों पर आधारित होगे। इस प्रकार प्रश्न-पत्र उन समस्त वाद्यनीय उद्देश्यों की उपलब्धि का मापन करेगा जो अध्यापक ने शिक्षण के पूछ निर्धारित किये थे तथा जिनकी पूर्ति हेतु उसने अपने शिक्षण के माध्यम से प्रयास किया था।

वर्तमान परीक्षा-प्रणाली में वैधता की सर्वाधिक उमेका दी जाती है। उदाहरण के लिए इतिहास में पानीपत के तृतीय युद्ध-प्रकरण के लिए यदि हम अवरोध उद्देश्य पर प्रश्न बनाना चाहते हैं तो यह पूछने की अपेक्षा कि “पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के कथा कारण थे ?” यह प्रश्न पूछतार कि “मराठों को विजय प्राप्त करने के लिए कथा करना चाहिए था ?” अधिक साधक होगा। पहला प्रश्न कक्षा में बतलाये गये कारणों की आवृत्ति माप होकर रटने की प्रवृत्ति की प्रोत्साहित करेगा, जबकि दूसरा प्रश्न विद्यार्थियों को नवीन परिस्थितियों में उनकी सभीक्षात्मक बुद्धि को प्रेरित करेगा। इस प्रकार वाद्यित उद्देश्य की उपलब्धि दो जाच करना प्रत्येक प्रश्न की वैधता के लिए आवश्यक तत्व है।

(2) विश्वसनीयता (Reliability) — विश्वसनीयता से तात्पर्य मूल्याकृति द्वारा मापन की एकलूपता है। एक विश्वसनीयता प्रश्न वे उत्तर पर विभिन्न समय में अधिवा विभिन्न परीक्षकों द्वारा एक जसे अक प्राप्त होगे। उनमें किसी प्रकार के परिवर्तन की सम्भावना नहीं होगी। उदाहरण के लिए इतिहास के प्रश्न-पत्र में निम्नानुसार दो प्रश्न अवबोध के शासन पर प्रबन्ध हैं —

(अ) अवबोध के शासन प्रबन्ध का वर्णन करो।

4 धर्मा, वी. दी. इम्प्रूविंग एवं जामिनेशम्स, पृष्ठ 9।

(व) अकबर ने मूमि प्रबाध तथा सेनिक संगठन के क्षेत्र में शेरशाह की व्यवस्था में क्या सुधार किए ? (उत्तर 10 पृक्षियों में व्यरेक्षित है) पहला प्रश्न अस्पष्ट एवं अपरिसीमित है। अत उसक उत्तर पर विभिन्न समय अववा विभिन्न परीक्षणों द्वारा प्रदान किए गये अका में आत्मपरक तत्त्व का कारण विभिन्न आना स्वभाविक है और उसकी विश्वसनीयता सदिगम है। दूसरा प्रश्न स्पष्ट, विशिष्ट एवं परिसीमित है। प्रत उसके उत्तर पर प्राप्त अका में एक हृता आना निश्चित है। दूसरे शब्दों म यह प्रश्न विश्वसनीय कहा जा सकता है। परम्परागत परीक्षा प्रणाली का प्रमुख दोष उसको आत्मपरकता रहा है जिसे नवीन मूल्यांकन प्रणाली में विश्वसनीयता लाकर ही दूर किया जा सकता है।

विश्वसनीयता निम्नांकित घटकों(Factors) पर आधारित होती है। जिसका ध्यान प्रश्न-पत्र निमाता को सदैव रखना चाहिए—

(क) प्रश्न-पत्र को लम्बाई — छोटे प्रश्न-पत्र की अपेक्षा सम्भाल प्रश्न-पत्र अधिक विश्वसनीय होता है। इसका कारण यह है कि सम्बन्ध प्रश्नों भी समाहित कर विद्यार्थियों के पाठ्यश्रम मध्य-बी अधिकाधिक जान का मापन किया जा सकता है। किन्तु समय की सीमा के अंतर्गत प्रश्नों की सख्त बहुत अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। इनके लिए वस्तुनिष्ठ तथा लुरात्मक प्रश्न निम्नांतरक प्रश्नों की अपेक्षा उपयुक्त रहते हैं।

(ख) पुरोक्षाकन (Scoring) की वस्तुनिष्ठता — विश्वसनीयता परिणाम प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उत्तरों का परोक्षाकन भी वस्तुनिष्ठ किया जाए। इसके लिए प्रश्नों की स्पष्टता, बोधगम्यता तथा विशिष्टता वौद्धनीय है। जिससे कि प्रत्येक प्रश्न का एकनिश्चित उत्तर ही प्रत्येक समय अववा प्रत्येक परीक्षक के जिए अपनित हो सके। परीक्षण के पूर्व प्रश्न-पत्र की उत्तर-आलिका एवं अक विभाजन योजना इसमें सहायक होती है।

(ग) निर्देशों की स्पष्टता — विश्वसनीयता के लिए तीसरा घटक प्रश्न-पत्र में विद्यार्थियों तथा परीक्षकों के निमित उत्तर-सीमा, अक विभाजन, प्रश्न-पत्र के विभाग एवं निर्धारित समय-सीमा आदि का विस्तृत उल्लेख करना है। यह वस्तुनिष्ठता आहता एवं प्रश्न पत्र के विद्यार्थियों के समक्ष सफल प्रस्तुतीवरण के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

(३) व्यावहारिकता(Practicability) — नवीन मूल्यांकन की तीसरी विशेष व्यवहारिक हृष्टि से उसकी उपयोगिता एवं औचित्य है। उपरोक्त विशेषताओं के होते हुए भी यदि प्रश्न-पत्र समय, साधन, एवं परीक्षण की हृष्टि से अनुकूल नहीं हैं तो वह

उपयोगी नहीं कहा जा सकता। उसकी उपयोगिता तब ही सम्भव हो मर्ती है जबकि उसका निर्माण उसके विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुतीकरण, क्रियाविति, परीक्षाकान परिणामों के बगोंकरण एवं व्याख्या को हृष्टि से सरल एवं सुबोध हो। इसके लिए प्रश्न पत्र निर्माता को शाला-समय में परीक्षा हेतु उपलब्ध समयाविधि को हृष्टि में रखते हुए उपलब्ध समयाविधि को हृष्टि में रखते हुए ऐसे प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए जिनके हल करने से अरेकाइन कम समय लगे कि तु जिनका सर आप अपेक्षित विशेषनाप्राप्त आधार पर उच्च बना रहे।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि मूल्याकान या शैक्षिक परीक्षण के नवीन सप्रत्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह परम्परागत परीक्षा-प्रदत्ति के दोपो एवं कमियों का उचित निराकरण कर मूल्याकान को व्यापक एवं उपयोगी बना सके।

शैक्षिक परीक्षण का नियोजन एवं क्रियान्वयन

(Planning and Execution of Academic Testing)

(क) शैक्षिक परीक्षण का नियोजन (Planning) इस हेतु निम्नांकित तथ्यों एवं सोचानो से अवगत होना चाहनीय है —

शैक्षिक परीक्षण के उपकरण (Tools) मूल्यांकन के स्वरूप की उपरोक्त विभेद-पताका के अनुरूप मूल्याकान प्रश्नों के प्राप्त निम्नांकित तीन रूप प्रयुक्त होते हैं।

(1) निम्बन्धात्मक प्रश्न—इस प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों की निम्नलिखित योग्यताओं की जांच हेतु विशेष उपयोगी रहते हैं —

- (क) जटिल विषय-वस्तु अथवा तथ्यों को समझकर व्यवस्थित करना,
- (ख) सभीभात्मक विवेचन करना,
- (ग) इलाधारात्मक योग्यता,
- (घ) प्रभावों अभिव्यक्ति।

परम्परागत निवारणम् प्रश्नों वे दोपो के निराकरण हेतु यह आवश्यक है कि इन प्रश्नों को धर्मिकाधिक वस्तुनिष्ठ बनाया जाय इसमें लिए उत्तर वी अधिकृतम् सीमा पा निर्धारण तथा विवेचनीय विशिष्ट विन्दुओं का दिया जाना अपेक्षित है। इस प्रवारणे पर ये प्रश्नों में अस्पष्टता तथा अनिश्चितता दा नितांत अभाव होना चाहिए।

(2) लघुत्तरात्मक प्रश्न—इन प्रश्नों के उत्तरों की सीमा 50शब्दी तक निपारित होती है जो एक पराप्राप्त वे अन्तर्गत निखें जा सकें। ऐसे प्रश्न विस्ती प्रपरण के विभिन्न विन्दुओं वे मूल्याकान के लिए उपयुक्त रहते हैं। इनकी सहायता से पाठ्यनाम का अभिधारण प्रश्न-पत्र में समाहित विया जा सकता है।

(3) वस्तुनिष्ठ प्रश्न— उपरोक्त दोनों के प्रश्नों की मध्येका वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षांकन की हाइट से पूछतया वस्तुनिष्ठ होते हैं तथा इनके द्वारा सम्पूण पाठ्यग्रन्थ को प्रश्न पत्र में समाहित किया जाना सम्भव हो जाता है। इनके प्रमुख रूप निम्नांकित हैं

(क) 'सत्य/असत्य' अथवा 'हा/ना' प्रकार के, प्रश्न,— कुछ कथन दिया जाकर उनकी सत्यता अथवा असत्यता को चिह्न द्वारा विद्यार्थी प्रवर्ट कर सकते हैं।

(ख) बहु विकल्पी (Multiple Choice) प्रश्न— इस प्रकार के प्रश्न में एक कथन प्रश्न अथवा वाक्य के रूप में होता है जिसकी पूर्ति प्राप्त पाँच विकल्पों में किसी एक सही विकल्प ये द्वारा की जाती है। परीक्षार्थी यह पूर्ति आगे दिये गए कोष्ठक में सही विकल्प का अधार लिख कर करता है। यह रूप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि इसमें विकल्प द्वारा धनुमान लगाने वा निराकरण हो जाता है।

(ग) रिक्त स्थान की पूर्ति — इस प्रवार के प्रश्नों में विसी वाक्य में दिये गये रिक्त स्थान की पूर्ति करना होता है।

(घ) युग्माधारित (Matching Type) प्रश्न — प्रश्नों का यह प्रकार बहु-विकल्पी प्रश्न के सिद्धांत पर आधारित है किन्तु एक भिन्न रूप में प्रस्तुत किया जाता है जैसे 3 स्तम्भों (Columns) में पहले स्तम्भ में कुछ घटनाओं की सूची दी जाती है तथा दूसरे स्तम्भ में वीं गई विद्यार्थियों की सूची भी से मही नियि को चुनकर तीसरे स्तम्भ में लिखी जाती है।

उपरोक्त लिखित परीक्षा के अतिरिक्त विद्यार्थियों का मूल्यांकन मीलिंग परीक्षा स्थाया आन्तरिक मूल्यांकन से भी परिपुष्ट किया जाता है।

नवीन विधि के प्रश्न-पत्र निर्माण के सिद्धांत एव सौपान

विद्यार्थियों के विषयगत शाकाद्यमिक सप्राप्ति (Academic achievements) के प्रभावी मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र निर्माता वो निम्नांकित सिद्धांत के आधार पर प्रश्न तथा निर्माण की पूर्व योजना (Plan) बना सकता चाहिए 5

(क) रूपरेखा (Disigen) का निर्माण—

प्रश्न-पत्र के निर्माण, उसके उत्तर देने तथा परीक्षांकन करने में आरम्भकरता के निवारण तथा सम्पूण पाठ्यक्रम एव विर्वारित उद्देश्यों को समाहित करने की हाइटे उसकी रूपरेखा बना सकता आवश्यक होता है। मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया ह। सा

6 बोड ऑफ सकल्ड्री एज्यूकेशन, राजस्थान, भजमेर संपिच बैंकिंग ऐवर इन हिस्तो
(एन सो ई आर टी —स्थू देहसी) पृष्ठ 17।

में शिक्षण की विभिन्न अधिकारों के अंत में मूल्यांकन हेतु विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछो की रूपरेखा बनाई जानी चाहिए जैसे प्रत्येक पाठ के अंत में लघु मूल्यांकन, प्रत्येक विषय-गत इकाई (Unit) के अंत में इकाई जाच पत्र तथा अद्व-वार्षिक परीक्षा हेतु सम्पूर्ण प्रश्न-पत्र। रूपरेखा के निर्माण में निम्नान्वित पक्षा का ध्यान रखना चाहिए —

(1) उद्देश्यों का अक भार (Weightage) पूर्व-निर्धारित विषयगत उद्देश्यों में से उन उद्देश्यों का चुनाव किया जाना चाहिए जिनका कि मूल्यांकन करना चाहनीय है। इस प्रकार चुने हुए उद्देश्यों के प्रश्न-पत्र के निर्माण में अक भार निश्चित किये जाने चाहिए। अब-भार निश्चित करते समय इन उद्देश्यों के विशिष्ट व्यवहारगत परिवर्तनों को ध्यान में रखना आवश्यक है। ऐसा बरते से विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति बहुत ही तथा निर्धारित उद्देश्यों को उपलब्ध की जाच भी सम्भव हो सकेगी।

(2) पाठ्य-वस्तु का अक-भार — उद्देश्यों के अक भार के साथ ही उनसे सम्बन्ध पाठ्य-वस्तु के विभिन्न प्रकारणों अथवा इकाईयों का अक भार निश्चित करना अपरिषिक्त है। पाठ्य-वस्तु के ये विभिन्न अंश शिक्षण एवं ज्ञानाजन की उन विभिन्न विषयों के द्वारा तक हैं जिनका कि निर्माण अध्यापक ने कक्षा-कक्ष में पढ़ाते समय चिया है। इसके लिए प्रश्न-पत्र निर्माता को इतिहास के उस पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर प्रत्येक प्रकरण का अक भार निश्चित करना होता है जिनका कि मूल्यांकन करना चाहनीय है।

(3) विभिन्न प्रश्न रूपों का अक भार (Forms of Questions) — प्रत्येक प्रकरण तथा उद्देश्य की जाच हेतु उसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त प्रश्न के प्रकार योग्यमिक्ता देवर उसका अक भार निश्चित करना चाहिए। मूल्यांकन हेतु प्रश्नों के अनेक रूप हात हैं जैसे वस्तुनिष्ठ, लघुतरात्मक एवं निवाचात्मक तथा वस्तुतिष्ठ। प्रश्नार्थ के प्रश्नों के भी अनेक रूप हो सकते हैं जैसे वहुविकल्पी, हाँ ना के प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति, युग्माधारित आदि। उदाहरण के लिए इस समय में अधिकतम पाठ्यक्रम तथा उद्देश्यों की समाहित करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न उपयुक्त रहते हैं, इतिहास में समय ज्ञान, भी जाच के लिए युग्माधारित प्रश्न ठीक रहें, घटनाओं के काय-कारण सम्बन्ध की लघुतरात्मक प्रश्नों द्वारा ठीक जाच की जा सकती है तथा भभिन्नकि की जाच नियमात्मक प्रश्नों द्वारा ही सम्भव है।

कुछ प्रश्न रूपों के उदाहरण अधोनिलिखित हैं —

(अ) वस्तुनिष्ठ प्रश्न — (Objective type questions)

(१) सत्य/असत्य अथवा हाँ/नहीं के प्रश्न —

निम्नांकित घटनों के समक्ष सत्य/घसत्य घयवा है/ना घयित थीजिए—
अशोक का एक शिलालेख राजस्थान में बैराठ नामक स्थान पर है।—सत्य/घसत्य
फीरोज तुगलक द्वीप सावेतिक मुद्रा छलाने थी योजना विफल रही। —हाँ/नहीं

(2) रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न—

निम्नांकित वाच्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति थीजिए—

चांद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में नामक यूनानी राजदूत न पाटिपुत्र का विवरण
लिखा है। (भेगस्थनीज)

हुमायूँ को शेरराह से के युद्ध में पराजित हो भारत से भागना पड़ा (कम्बोज)

(3) बहुविकल्पी प्रश्न—

निम्नांकित घटन के सही विवरण का असाधार सामन दिये बोधक में लिखिए—
शिवाजी के मन्त्रिमण्डल में विदेश मंत्री का नाम या—

- | | | |
|------------|------------|-----------|
| (क) अमात्य | (ख) सुमत्र | |
| (ग) मंत्री | (घ) सचिव | |
| | | (इ) पेशवा |

[३]

(4) युग्माधारित (Matching type) प्रश्न

निम्नांकित घटनाओं के समक्ष दी गई तिथियां में से सही तिथि के अधार सामने
दिये बोधक में लिखिय—

- | | | |
|---------------------------|------------|-----|
| 1 कन्नोज को बोद्ध-सम्भा | (क) 633 ₹० | [ष] |
| 2 हर्ष का राज्यरोहण | (ल) 619 ₹० | [च] |
| 3 बल्लभी पर विजय | (ग) 647 ₹० | [क] |
| 4 ह्वेनसांग का भारत जागमन | (घ) 643 ₹० | [ध] |
| | (च) 606 ₹० | |
| | (छ) 630 ₹० | |

(व) लघुत्तरात्मक प्रश्न—

निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों के अंतर दीजिए—

बहुमनी राज्य की उत्पत्ति क्से हुई?

शिवाजी की धार्मिक नीति धौरणजेव से किस प्रकार भिन्न थी और क्यों?

(स) नियधात्मक प्रश्न—

ग्रन्थवर के शासन प्रवाद का विवरण निम्नांकित शीषकों के अनुग्रह विविध
(उत्तर 300 शब्दों से अधिक न हो) —

- (क) प्रातीय शासन

(क) भूमि-सुधार
(ग) सेतिक-संगठन

यह प्रश्न पत्र निर्माता के विवेक पर निर्भर है कि वह किस प्रकार उपयुक्त प्रश्न-रूपों का निर्धारण कर अक-भार निश्चित करता है।

(4) विकल्प (Options) की योजना —प्रश्न-पत्र की रूप रेखा बनाते समय इस बात का भी निर्धारण कर लेना आवश्यक है कि प्रश्न-पत्र में विद्यार्थियों को प्रश्नों के उत्तर देने में क्या विकल्प प्रस्तुत करने हैं। नवीन मूल्यांकन प्रणाली में प्रश्नों का परस्पर विवल्प देना उचित नहीं है। विकल्प के बल प्रश्नात्मक ही देना चाहिए और वह भी ऐसे प्रश्नों के अन्तर्गत जिसके दोनों प्रश्न रूप उद्देश्य, पाठ्यवस्तु कठिनाई एवं स्तर के अनुरूप हो।

(5) प्रश्न पत्र के अनुभाग (Sections) — वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को प्रश्न-पत्र में समाविष्ट करने के बारण उसका कुछ विभागों में विभाजन आवश्यक हो जाता है। एक से प्रश्न रूपों को एक विभाग में रखना तथा उनके लिये समुचित समय निर्धारित करना चाहिए। विभिन्न विभागों की समयावधि इसी आवार पर निर्धारित की जानी चाहिए। प्राय सम्पूर्ण प्रश्न-पत्र को दो विभागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम विभाग में वस्तुनिष्ठ एवं अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न रखे जाते हैं तथा उसका समय 30 मिनट निर्धारित किया जाता है जो निश्चित अवधि के पश्चात् विद्यार्थियों से ले लिया जाता है। दूसरे विभाग में लघुत्तरात्मक तथा निवाधात्मक प्रश्न होते हैं तथा उसका समय ढाई घण्टा निश्चित होता है।

(क) आधार-पत्रक (Blue Print) का निर्माण

उपरोक्त रूप-रेखा तैयार कर लेने के पश्चात् प्रश्न पत्र के लिये एक आधार पत्रक बनाया जाना चाहिए। आधार-पत्रक एक ऐसा अभिलेख है जो प्रत्येक प्रश्न की चारोंकांड रूपरेखा के अनुसार स्थिति प्रबट करत हुए प्रश्न-पत्र का समग्र क्रियात्मक वित्र प्रस्तुत करता है। 16 यह आधार-पत्रक एक त्रिपार्पी रेखा चित्र (Three Dimensional Chart) होता है जो विभिन्न प्रश्नों की निम्नांकित सदृश में स्थिति प्रकट करता है —

(1) प्रत्येक प्रश्न द्वारा जारी किया जाने वाला उद्देश्य,

6 बोड आफ सेकंड्री एज्यूकेशन, राजस्थान, अजमेर मूनिट ट्रेस्टस इन हिस्ट्री

(एन सी ई आर टी — यू देहली) पृष्ठ 2।

(2) प्रत्येक प्रश्न द्वारा जीच किया जाने वाला पाठ्य-वस्तु प्रकरण,

(3) प्रश्न का रूप जो उपरोक्त 1 तथा 2 की जीच हेतु अत्यन्त उपयुक्त है।

इसके अतिरिक्त आधार पत्रक द्वारा निम्नांकित तथ्य भी प्रबन्ध होते हैं —

(1) प्रत्येक प्रश्न का अवधार, तथा (2) प्रश्नांतर्गत विश्लेषण भी योजना।

“इस आधार-पत्रक प्रश्न पत्र निर्माण की उपरोक्त पर आधारित एक विस्तृत योजना है।”⁷

(ख) आधार पत्रक के अनुरूप प्रश्नों का निर्माण

प्रश्न पत्र की स्पष्टीया एवं आधार-पत्रक के बनाने के पश्चात् तीसरा सोपान विभिन्न प्रश्नों का निर्माण है जो निर्धारित योजनानुसार होने चाहिए। प्रश्नों के निर्माण के लिए विषयगत उद्देश्य व तदनुरूप व्यवहारात्मक परिवर्तनों का ज्ञान, विषय पत्र के अधिकार तथा विभिन्न प्रश्न दृष्टों के बनाने वाली कुशलता आवश्यक है। पत्र प्रत्यक्ष प्रश्न का निर्माण करते समय प्रश्न पत्र निर्माता को निम्नांकित तथ्य दृष्टिकोण से चाहिए कि वह —

(1) शिक्षण के पूर्व निर्धारित विशिष्ट उद्देश्य पर आधारित है,

(2) विशिष्ट पाठ्य-वस्तु प्रकरण से सम्बन्धित है,

(3) अपने स्वरूप में लिये अपेक्षित नियमों के अनुरूप है,

(4) वौचित कठिनाई स्तर का व्यक्त करता है

(5) आपा-शर्तों की विशिष्ट स्थिति से विद्यार्थियों के लिए वोधगम्य एक स्पष्ट है।

(ग) प्रश्न पत्र का सपादन (Editing) :—

उपरोक्त सोपानों के पश्चात् प्रश्न-पत्र के निर्माता द्वारा सपादन हेतु निम्नांकित प्रक्रिया अपार्नी चाहिए —

(1) प्रश्नों का व्यवस्थापन — प्रश्न पत्र के विभिन्न विभागों के अन्तर्मत प्रश्नों वा विभाजन कर उह कठिनाई स्तर के क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए। यह प्रम सरल से कठिनतर होना चाहिए।

(2) परीक्षार्थियों के लिए निर्देश — परीक्षार्थियों से प्रदान पत्र के उत्तर के मन्वाद में जो अपेक्षा वी जाती है उसे सामान्य तथा विशिष्ट निर्देश से विभक्त कर लिखा जाना चाहिए। ये निर्देश प्रश्न-पत्र के प्रत्येक विभाग के आरम्भ में अंकित होने चाहिए।

7 बाँड़ आफ सैकण्ड्रो एज्यूकेशन, राजस्थान, अजमेर सैम्प्रल वैश्वेचन पेपर इन हिन्दी सैकण्ड्रो एज्यूमिनेशन पृष्ठ 9।

(३) क्रियान्वयन (Administration or Execution) हेतु निर्देश — प्रश्न पत्र के विभिन्न विभागों की समयावधि वा निर्धारण कर देना उसके प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से उपयोगी रहता है। यह विधायियों में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने में भी सहायता होता है।

(४) उत्तर-तालिका (Scoring Key) तथा अक्योजना का निर्माण — चस्तु-निष्ठ प्रश्नों की उत्तर तालिका तथा लघुत्तरात्मक एवं निवाघातमुक प्रश्नों के सभावित उत्तर-संकेतों की अक्योजना बनाई जानी चाहिए जिससे परीक्षकों के काम में वस्तुनिष्ठता एवं एकल्पता लाई जा सके।

(५) प्रश्नानुक्रम से प्रश्न पत्र का विश्लेषण — प्रश्न-पत्र को कमियों तथा उसके प्रभावी रूप का जानने के लिए यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण प्रश्न पत्र का प्रश्नानुक्रम से एक तालिका में विश्लेषण कर दिया जाए। इस तालिका द्वारा प्रत्यक्ष प्रश्न का तंत्रदृच्छीय प्रबरण प्रश्न-रूप, कठिनाई स्तर, समयावधि एवं अक भार स्पष्ट हो जाता है। परीक्षाकर्ता के पदचार्ता इस तालिका के आधार पर परीक्षा-परिस्थिति का विश्लेषण एवं व्याख्या दरना सरल हो जाता है। इस प्रवार मूल्याकान उद्देश्या एवं शिक्षण-पद्धति में वाक्तिक परिवर्तन करने में सहायता होता है।

शिक्षण में इकाई जाच-पत्र तथा जद्वायिक अवधारणा वायिक परीक्षा के लिए सम्पूर्ण प्रश्न पत्रों का निर्माण करना पड़ता है। दोनों प्रकार के प्रश्न पत्रों के सामान्य सिद्धांत एक जैसे होते हैं जिनका ऊपर उल्लेख दिया जा चुका है। यहां हम उच्च माध्यमिक कक्षाएं के प्रथम प्रश्न-पत्र के मानवात्मक मध्यकालीन भारत के इतिहास का प्रश्न पत्र नमूने के रूप में लेंगे तथा उसके माध्यम से उपरोक्त सोपानों का अध्ययन करेंगे।

इतिहास के नवोन विधि के प्रश्न-पत्र का निर्माण — मध्यकालीन भारत के इतिहास वो कक्षा ९ के निमित प्रश्न पत्र के निर्माण में उपरोक्त सोपानों वा निम्नावित तालिकाओं में समावेश किया जा सकता है यद्यपि इसमें आवश्यकतानुकूल परिवर्तन किये जा सकते हैं। १८

(क) प्रश्न पत्र की रूपरेखा (Design) —

(1) उद्देश्यों का अक भार (Weightage) —

तालिका 1 प्रश्न-पत्र प्रथम (मध्यवासीन भारत)

श्रम संख्या	प्रश्निया उद्देश्य	निर्धारित भव	प्रतिशत
1	ज्ञान	25	50%
2	अवयोधन	15	30 "
3	उपयोजन	8	16 "
4	बौशाल	2	4 "
	योग	50	100

(2) पाठ्य-वस्तु का इच्छावालों का अक-भार-तालिका 2

तालिका 2-प्रथम प्रश्न-पत्र (मध्यवासीन भारत)

श्रम संख्या	पाठ्य वस्तु के प्रमुख शेष	निर्धारित भव	प्रतिशत
1	दिल्ली सल्तनत	20	40%
2	मुगलवाल	30	60 "
	योग 50		100

(3) प्रश्न रूपों का अकभार—तालिका 3

अनुभाग	प्रश्न-रूप	प्रश्नों की संख्या	निर्धारित भव	प्रतिशत
(अ)	वस्तुनिष्ठ	20	10	20%
	अति लघुरात्मक	5	5	10
(ब) भाग(1)	लघुरात्मक	5	10	20
	निवाधात्मक	1	5	10 "
भाग(2)	संघुतरात्मक	4	8	16 "
भाग(3)	निवधात्मक	2	12	24 "
	योग 37		50	100

प्रश्न पत्र में प्रश्नों की अनुसंधान स्तर, विकल्प, विभाग तथा प्रस्तुतीकरण के आधार पर प्रश्नों की समाविधि का निर्धारण जैसे कि अगले पृष्ठ दिया है किया जाना चाहिए।

(4) समय निवरिण तालिका 4

विभाग	प्रश्न-रूप	कुल अक	प्रश्न संख्या	मानवित समय (मिनटो म)
(अ) (क) वस्तुनिष्ठ	10		20	20
(क) अतिलघुत्तरात्मक	5		5	5
(ब) अतिरिक्त समय	—		—	6
(क) लघुत्तरात्मक	17		9	75
(क) निवाधात्मक	17		3	75
योग	50		36	180

(स) आधार पत्रक (चल्ने प्रिंट)

मध्यकालीन भारत

क्रम संख्या	उद्देश्य प्रश्न रूप	नि स अ य	शान	भवाप	उपयोग	फुसलता	याप
1	पाठ्यबच्चु प्रवरण	—	2(1) —	—	—	—	2
2	मुस्तिम भाकमण्डकारी	—	—	6(1)	1/2	2 (1)	6
3	गुलाम वरा अलावदीन निलजी	—	1/2 (1)	—	—	2 (1)	6
4	तुगलक वरा	—	1(2) 2(1)	—	—	—	—
5	अहिं शादोलन व दर्दिण के राज्य	—	—	—	—	—	—
6	मुगल साम्राज्य की स्थापना (वावर व हुमायूं रथा शेरजहा	2(1) 2(2)	—	1/2 (1)	1(1) (1)	2 (1)	3
7	यकबर	—	6(1)	—	—	—	—
8	जहांगीर शाहजहां व	—	—	—	—	—	—
9	ग्रीष्मांशु मराठो का उत्थान व	5(1) 1(1)	—	1(2) (1)	1/2 (1)	—	8
10	मुगलो का पतन भारत में मुगल शासन का फुनराबद्देन	— 2(1)	— 1(2)	— 1(1) $\frac{1}{2}(1)$	— $\frac{1}{2}(1)$ $\frac{1}{2}(1)$	4 — 4	4 — 4
योग	— 11(2) 6 (3) 3 (3) 5 (10)	— 25	— 6(1)	— 4(2) 2(2) 3 (6) 6(3)	— 2 (4) 2 (1)	— 8	— 2 50

पीछे की तालिका में अक्षर नि, ल, अ तथा व शब्द। निवधात्मक, लघुतरात्मक' अतिलघुत्रात्मक तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न रूपों के संबेत चिह्न हैं। कोण्ठक के अत्यगत प्रश्नों की सम्भवता उनके बाहर प्रश्नों के नियांरित अक्षर हैं। आधार पत्रक में निर्दिष्ट प्रश्नों का उद्देश्य, पाठ्यवस्तु तथा प्रश्न रूप के आधार पर अक्षर पूर्व तालिकाओं के अनुरूप है।

प्रश्न पत्र का कक्षा में प्रस्तुति (Administration) तथा परीक्षाकरण (Scoring) प्रश्न-पत्र की कक्षा में समुचित प्रस्तुति की डिटि से यह आवश्यक है कि परीक्षायियों को वाधित उत्तर देने से सहायक निर्देश स्पष्ट एवं बोधगम्य हो। इनका उल्लेख पहले बिया जा चुका है। मूल्यांकन की वैधता, विश्वसनीयता एवं वस्तु निष्ठता की रक्षाय यह आवश्यक है कि प्रश्न पत्र की प्रस्तुति अनुकूल परिस्थितियों तथा समुचित वीक्षण (Invigilation) से अत्यगत की जाए।

प्रश्न-पत्र के परीक्षाकरण के लिए परीक्षाकरों के मार्गदर्शन हेतु विस्तृत उत्तर-तालिका एवं अक्षर विभाजन योजना पहले से तैयार कर उह उपलब्ध कराई जाय। यह परीक्षाकरन की वस्तुनिष्ठता एवं एकल्पता की डिटि से अत्यवृत्त जावश्यक है। इस प्रकार समग्र रूप से प्रश्न पत्र वास्तविक शक्तिशाली का आधार बन सकता है। शिक्षण एवं परीक्षण में इसी नवीन डिटिकोण का अनुसरण करना बाछनीय है।

शैक्षिक परीक्षण सम्बन्धी समस्याएँ एवं उनका निराकरण

(1) शिक्षकों का नवीन मूल्यांकन प्रणाली में प्रशिक्षित न होना —

शैक्षिक परीक्षण के विभिन्न प्रकारों पाठ्यपरामरण (Unit test), सावधिक परीक्षण (Periodical Tests) यद्यवापिक एवं वार्षिक परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों निर्माण एवं क्रियान्वयनका शिक्षकों का ही करना होता है जो विभागीय एवं माध्यमिक शिक्षा बोट के नियमानुसार नवीन मूल्यांकन प्रणाली के कारण चाहिए। निन्तु सभी शिक्षक इस प्रणाली में प्रशिक्षित न होने के कारण शिक्षण व प्रश्न पत्रों का निर्माण समुचित रूप से नहीं कर पाते। कफ्तत परीक्षण को इन दिया में अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। बतमान में राज्य शायोजित अल्पकालीन प्रशिक्षण एकक (SCERT Evaluation Unit) माध्यमिक शिक्षा बोट द्वारा आयोजित अल्पकालीन प्रशिक्षण यिविर अपर्याप्त है, इनका विस्तार अपेक्षित है। 2) प्रश्नों व प्रश्न पत्र के निर्माण में असाधारणियों के कारण अनक समस्याएँ उत्तर न होती है जैसे प्रश्नों में वैधता (Validity) विश्वसनीयता (Reliability),

के चर्चित सधारण एवं उनको गोपनीयता न रखने से अनेक अनियमिताएँ उत्पन्न होती हैं। अतः स्थाय प्रधारण द्वारा इन अभिलेखों के समुचित सधारण की व्यवस्था करनी चाहिए।

प्रोन्नति (Promotion)

प्रोन्नति का अर्थ एवं उद्देश्य—

अर्थ—प्रोन्नति प्रथम कक्षोन्नति का अर्थ संक्षिक परीक्षण के आवार पर विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर अगली कक्षा में प्रोन्नति (Promotion) करना है। यह प्रोन्नति विभागीय नियमों के अनुसार (जो आग दिये गये हैं) सार्वाधिक परीक्षणों में प्राप्त अर्कों के योग आधार पर होती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों के अनुसार केवल बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के आवार पर ही कक्षा 10 व 11 के विद्यार्थियों की प्रोन्नति होती है।

किसनचंद जैन के अनुसार—“ठाको की कक्षोन्नति शिक्षा का तथा प्रकासको के लिए एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या है। कक्षोन्नति बालक के जीवन को अच्छा या प्रभावित करती है। परीक्षा में ग्रसफलता कभी-कभी बालक के जीवन को अच्छा या बुरा एक नया मोड़ देती है। इसके परिणाम स्वरूप वह अधिक परिश्रम एवं उत्साह से दर्शक करने लगता है, अवश्य वह निरोग होकर औपचारिक सूखा के कारण बतमान परीक्षा के दर्शक करने लगता है, अवश्य वह नियम बनी हुई है।” अतः प्रोन्नति के ही परीक्षा में ग्रसफल ठाको की अत्यधिक सख्त्या विषय बनी हुई है। अतः प्रोन्नति के कक्षोन्नति की प्रणाली लीप्र आलोचना वा उपयोगी होती है अप्यथा वह आलोचना का कारण उद्देश्यों पर आवारित यदि उसकी नीति एवं नियम प्रत्यक्ष विद्यालय में स्पष्ट एवं निर्विचर न होती है तो प्रोन्नति उपयोगी होती है।

प्रोन्नति के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित होते हैं—
 1. (1) प्रोन्नति सम्बन्धी नियम घात के हित में होना चाहिए। यदि वह अगली कक्षा के पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक सम्पूर्ण करने की शक्ति रखता है तो उसे प्रोन्नत करना बाध्यनीय है।
 2. किसनचंद जैन योग्यिता संगठन, प्रशासन एवं प्रयोग्यवेदाणु
 3. बुद्धिमत्ता

(पृष्ठ 115)
 (115-116)

- (2) प्रोन्नति के बहु शक्तिकृ परिक्षण की लिखित प्रविधि के आधार पर किया जाना अनुचित है क्योंकि उसके द्वारा छात्र के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन नहीं हो पाता। इसके लिये अन्य प्रविधियों का भी अपनाना चाहिए।
- (3) प्रोन्नति सम्बद्धी तिम सभी कक्षाओं व छात्रों के लिये समान होने चाहिए।
- (4) प्रोन्नति सतत एव नियमित सावधिक परीक्षणों के योग के आधार पर की जानी चाहिए ताकि सनपन्नति लिये गये काय व प्रदर्शित आचरण का मूल्यांकन हो सके, इसके सचित अभिलेखों वा विलेखण किया जाना आवश्यक है।
- (5) सत्र के अंतर्गत प्रत्यक्ष सावधिक परीक्षण से प्रबट छात्रों की कमियों के निदान के आधार पर उपचारात्मक विकास की अवस्था होनी चाहिए ताकि छात्र का प्रोन्नति के इस उद्देश्य की पूर्ति हो सके तिं उसे अपने प्रदर्शन को सुधारने का प्रब सर दिया जाता रहा है।
- (6) केवल एक दो विषयों में अनुत्तीर्ण होने पर ही उसे असफल न घोषित किया जाये वलिक उसे पूरक परीक्षाओं द्वारा इन विषयों में अच्छा प्रदर्शन कर दिखाने का अवसर दिया जाये।
- (7) प्रोन्नति का उद्देश्य केवल छात्र को सफल घोषित करना ही नहीं होना चाहिए, वलिक कक्षा में उसके स्थान (Rank) प्रतिशत प्राप्तांकों वे आधार पर श्रेणी तथा मापीकृत मानदण्डो (Standardized Norms) के आधार पर उसकी उपलब्धियों गुणवत्ता का निर्धारण भी होना चाहिए। इससे प्रोन्नति छात्र की भावी उपलब्धियों वा स्तरों नयन करने में सहायक हो सकती है।
- (8) प्रोन्नति के आधार पर अगली कक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षण विधिया, समिक्षण विधानलाप व गत कक्षा की कमियों हेतु उपचारात्मक शिक्षण का निर्धारण किया जाना चाहिए। इस प्रकार प्रोन्नति आगामी शिक्षा-क्रम का आधार बननी चाहिए।

प्रोन्नति के प्रकार

क्षिणनच द जैन के अनुसार कक्षोन्नति अथवा प्रोन्नति के प्रकार निम्नांकित हैं—।

- (1) वार्षिक प्रोन्नति - जिसम केवल वर्ष (सत्र) हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम में छात्र की सप्राप्तियों का मूल्यांकन सत्र के अंत में एक परीक्षा द्वारा होता है। यह विधि दोष पूर्ण है। सत्र पर्यंत नियमित काय के मूल्यांकन का लेखा जोड़ा साव विवरण से रखा जाना तथा प्राप्तांकों के योग के आधार पर प्रोन्नति होनी चाहिए।
- (2) अद्वाविक प्रोन्नति-जिसे उप सत्र उपरात (Semister) प्रोन्नति भी कहते हैं

पूर्वोदय

(प० 116 118)

इसका उद्देश्य अतिम संतात में ली जाने वाली परीक्षा में असकल विद्यार्थी को सहना करना होता है।

(3) शत-प्रतिशत प्रो नति - जिसमें छात्रों के पाठ्यक्रम पूर्ण करने के अनुभवों का आधार पर ही सभी को प्रोन्नत कर दिया जाता है जैसा कि अमेरिका के कुछ विद्यालयों में होता है।

(4) सम्मिलित वार्षिक एवं उपसत्रीय प्रोन्नति (Combined Annual and Terminal Promotion) इसमें शौक्त स्तर के छात्रों को वय के प्रति में प्रो नत किया जाता है तथा कुशाग्र बुद्धि के छात्रों को सब के मध्य में होप्रोन्नत कर दिया जाता है।

(5) विषयवार प्रोन्नति (Subjectwise Promotion) इसमें यदि कोई छात्र किसी एक या अधिक विषयों का पाठ्यक्रम अल्प समय में पूर्ण कर लेता है तो उसे उन विषयों का अध्ययन वह अगली कक्षा में करता है जिसका अध्ययन कक्षा में होता है।

(6) परीक्षण आधारित प्रोन्नति (Trial Promotion) — इसमें उन छात्रों को जिनकी सफलता या असफलता सदिय हो उहे अगली कक्षा में इस शत पर प्रोन्नत कर दिया जाता है कि यदि उनकी प्रगति प्रथम उपसत्र में सर्वोपचारक नहीं रही तो उहे निचली कक्षा में अवनत कर दिया जायेगा। स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रोन्नति सम्बन्धी प्रकारों में कुछ दोष विद्यमान हैं। सर्वोत्तम विधि वही है जिसमें सरन्यत सारविक परीक्षण में प्राप्ताकाम के योग पर छात्र को प्रोन्नत किया जाता है।

प्रोन्नति सम्बन्धी समस्याएँ और उनका निराकरण

प्रोन्नति सम्बन्धी समस्याएँ प्राय प्रोन्नति नियमों के अभाव में जड़वा निधि—
रित प्रोन्नति नियमों के अनुपालन न करने से उत्पन्न होती है। अत विभागीय एवं
माध्यमिक शिक्षा बांड द्वारा प्रोन्नति नियम निरिचित होने चाहिए जो प्रदेश के सभी
विद्यालयों व छात्रों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। राजस्थान में माध्यमिक विद्या
सभा ने एक विधि दी है कि अन्य राज्यों के अनुपालन न करने से उत्पन्न होना
प्रवर्तित होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक तथा छात्र को उनसे अवगत होना
प्रवर्तित होना चाहिए। प्रोन्नति शैक्षिक परीक्षण का अपाय यात्रित सम्बन्ध होता है। शैक्षिक
परीक्षण यदि पूर्योत्तिवित विधि से समुचित रूप से विद्या जाये तो प्रो नति का

(पंच 116 118)

आधार सुदृढ़ तथा निष्पक्ष होता है। इसी प्रकार प्रोन्ति नियमों के समुचित भनुपालन से शैक्षिक परीक्षण का उद्देश्य भी पूरा होता है अब्यास प्रोन्ति एवं शैक्षिक परीक्षण दोनों ही असफल होते हैं। इसका प्रमाण आज असफल छात्रों की एक बड़ी सम्पत्ति तथा उनमें व्याप्त असतोष एवं निराशा में परिलक्षित होता है।

शैक्षिक परीक्षण की जो समस्याएँ हैं वे प्रोन्ति की समस्याओं से सम्बद्ध हैं। अत जो निराकरण पूर्व में सुझाये गये हैं उनका पालन किया जाना चाहिये है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा परीक्षा एवं प्रोन्ति के नियमों का पालन किया जाना आवश्यक है। इन नियमों को यहाँ उद्धृत किया जा रहा है-

परीक्षा एवं कक्षोन्ति नियम।

[1] क्षेत्र— ये नियम परीक्षा एवं कक्षोन्ति नियम कहलाएँगे तथा राजस्थान के सभी राजकीय एवं माध्यना प्राप्त विद्यालय के कक्षा 1 से नी तक समस्त छात्रों पर लागू होंगे।

[2] सामान्य नियम—

(1) परीक्षा प्रवेश योग्यता (1) कक्षा तीन से कक्षा नी तक की वार्षिक परीक्षाओं में केवल वे ही छात्र प्रविष्ट हो सकेंगे जिन्होंने किसी राजकीय अध्यात्म माध्यता प्राप्त शिक्षण सम्याम में नियमित छात्र के रूप में सत्र पर्यन्त अध्ययन किया है अथवा जिहे स्वयं पाठी परीक्षायी के रूप में बैठने की आज्ञा दे दी गई है।

(2) यदि कोई छात्र या छात्रा बौद्ध की परीक्षा में लगातार दो बष्ट तक असफल रहे तो उसे विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाए। यह नियम कक्षा 1 से 9 तक पढ़ने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(2) छात्रों को उपस्थिति—(1) नियमित छात्रों की उपस्थिति विद्यालय आरम्भ होने के दिन एवं पूरक परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की उपस्थिति पूरक परीक्षा परिणाम घासित होने के दिन से शिखी जाएंगी।

(2) छात्रों को सत्र की कुल उपस्थिति का 60 प्रतिशत प्रायमिक कदाचित्, 70 प्रतिशत माध्यमिक कक्षाओं में उपस्थित रहना अनिवार्य है।

1 विभागीय सदर्शका शिक्षा विभाग, राजस्थान, वीकानेर (पृ 164-169)

(3) स्वल्प उपस्थिति से मुक्ति —

यदि प्रधानाध्यापक सतुष्ट हो कि रागणावस्था व अय उचित कारण से अनुपस्थित मूलता भवया अवकाश पर रहा हैं तो वे विद्यालय के कुल दिवसों की प्रतिशत उपस्थिति न्यूनता के माधार पर छात्रों को निम्न प्रदार मुक्त करके वापिक परीक्षा म बैठने की आज्ञा दे प्रत्येक हैं ।

- (1) कक्षा 3, 4 व 5
- (2) कक्षा 6, 7 व 8
- (3) कक्षा 9

15 प्रतिशत
10 "
20 "

परीक्षा तैयारी अवकाश —

(1) प्रधानाध्यापक कक्षा 3 से 11 तक के छात्रों को अद्य वापिक परीक्षा हेतु एक

दिन तथा वापिक परीक्षा हेतु 3 से 9 तक के छात्रों को दो दिन वा तैयारी अवकाश, राजमंत्रित एव रविवार की छुटियों के अतिरिक्त दे सकते हैं ।

(2) कक्षा 10 तथा 11 के छात्रों का परीक्षा तैयारी अवकाश अद्य वापिक परीक्षा हेतु उपरोक्त प्रदार ही रहेगा तथा बोड़ की वापिक परीक्षा हेतु बोड़ के नियमानुसार अवकाश रहेगा ।

न पथ व्यवस्था —

(1) तभी बद्धाओं म परीक्षायियों की स्थाया 10 से अधिक होने की दशा मे प्रदन-पत्र मुद्रित/चक्र लेखावित तथा इससे कम स्थाया होने पर चक्र लेखावित अवयवा कार्बन पेपर से हस्तलिखित होगे ।

(2) परत्वो मे प्रदन-पत्रो को लिखा कर या श्याम-बट पर लिख कर लिखाया जाए । परीक्षाएँ —

(1) कक्षा 3 से 11 तक प्रतिवर्ष नियमित अन्तर के साथ प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय की दो आवधिक परसे होगी ।

(2) कक्षा 9 की तीसरी आवधिक परख होगी और कक्षा 3 से आठ तक तीसरी आवधिक परख के स्थान पर लिखित कार्य का सब मे दो बार (नवम्बर व मार्च मे) मूल्यांकन किया जाएगा जो 55 अंको का होगा । भयांक दोनो मूल्यांकनो कायोग 10 अव होगा ।

1) बोड़ की परीक्षा मे बैठने वाले छात्रों की तीतीय परख नही होगी । इसलिए उनके लिए तृतीय परख के मूल्यांकन पहली दो परत्वो मे ही वितरित कर दिये जाएं ।

(4) सब म दो परीक्षाएँ होगी । पहली (अद्यवापिक) किसी भी समय विसम्बर मास

में तथा दूसरी (वार्षिक) 15 अंग्रेज के पश्चात ।

- (6) वार्षिक परीक्षा परिणाम ग्रीष्मवासाश के लिए शालाम्बा वे बदल होने से पूर्व घोषित कर दिया जायेगा ।
- (7) वार्षिक परीक्षा में वही छात्र सम्मिलित किया जायगा जिसने कम से कम दो आवधिक परसे दी हो या एक परख और अद्वार्षिक परीक्षा दी हो और जिन में वह नहीं बठा हो उनके कारणों यी प्रामाणिकता से सस्था प्रधान का पूर्णनय से सतुर्ण कर दिया हो ।
- (8) अद्वार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा अभ्यास अधिक से अधिक 10 दिन से 14 दिन में समाप्त कर ली जाए ।
- (9) विभिन्न परीक्षाओं में पूर्णांक निम्नलिखित सारणी वे ग्रनुमार होंगे ।

परीक्षा	इकाई कक्षा 1-2	कक्षा 3 से 8 प्रत्येक विषय में	कक्षा 9 से 11				
			अनिवाय विषय / हिन्दी व अंग्रेजी और छोड़ कर शेष में	हिन्दी व अंग्रेजी	वे विषय जिनमें केवल से परीक्षा होती है।	व विषय जिनम सद्वातिक व प्रायोगिक दोनों परीक्षाएं होती हैं। स। प्रा। योग	
प्रथम परख	—	10	5	10	15	—	— 15
द्वितीय परख	—	10	5	10	15	—	— 15
तृतीय परख	—	—	5	10	15	—	— 15
लिखित काय वा दो बार मूल्यांकन	—	प्रत्येक लिखित काय का मूल्यांकन $5 \times 2(10)$					
अद्वार्षिक परीक्षा	—	70	35	70	105	70	35 10
वार्षिक परीक्षा	100 इकाई वार सानिक मूल्यांकन का याग	100	50	100	150	100	50 150
योग	100	200	100	200	300	170	85 300

[3] उत्तीर्णना नियम - (1) धात्री को उनकी आवधिक परख, अद्वायिक व वायिक परीक्षामा के परिणाम वो मिलावर नियमानुसार उत्तीर्ण दिया जायेगा ।

(2) (i) वही धात्र कक्षो-नति/उत्तीर्णता का अधिकारी माना जायेगा जो उपरोक्त सारणी के पूर्णांक के यूनतम 36% अक प्रत्येक विषय मे प्राप्त करेगा ।
(ii) इसके साथ ही वायिक परीक्षा मे 20% यूनतम अक प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

(3) (1) यदि वायिक परीक्षा मे कोई धात्र रुग्णता प्रमाण पत्र देता है, तो उसको उन सब विषयों मे जिसके लिए रुग्णता प्रमाण-पत्र दिया गया है । उन परीक्षा (रिएवजामिनेशन) मे बैठना पड़ेगा ।
(ii) यह पुन परीक्षा उही दिनों मे जिन दिनों मे पूरक परीक्षा होगी
(iii) पुन परीक्षा के लिए वायिक परीक्षा शुल्क लिया जाय तथा परिणाम घोषित करते समय परख एक अद्वायिक के घका को जोड़कर बिना कृपाक दिये हुए परीक्षाकल घोषित दिया जाय ।

(4) माध्यमिक वसान्नो के जिन विषयों म संदर्भिक व प्रायोगिक परीक्षा होती है, उन मे अलग-अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है ।

(5) (1) यदि कोई धात्र अपनी गम्भीर रुग्णता के कारण अपनी किसी आवधिक परख या अद्वायिक परीक्षा मे सम्मिलित होने का स्थिति मे नहीं रहा हो तो उसके द्वारा उत परीक्षा समाप्ति के एक सप्ताह के अद्वायिक रुग्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर केवल उही परीक्षामो के आधार पर जिसम वह सम्मिलित हुआ है, उसका परीक्षाकल घोषित किया जा सकेगा ।
(ii) लेकिन ऐसी स्थिति मे उसका कम से कम दो परख तथा एक परीक्षा अद्वायिक एक परख और दो परीक्षामो मे बैठना आवश्यक है ।
(iii) ऐसे धात्र दो परीक्षामो मे बैठना नहीं होगे ।

(6) कक्षा 9 तक निम्नलिखित अनिवार्य विषयों मे यूनतम 36 प्रतिशत यव प्राप्त करते पर धात्र उत्तीर्णता के योग होगा । मगर इनमे वायिक परीक्षा मे पूरक से यूनतम 20 / यव प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है —

(1) उत्तीर्ण भाषा सस्तृत/उहू/सिथी/पजाबी/गुजराती
(4) संगीत
(iii) ड्राइग उद्योग

(7) किसी भी परख या परीक्षा के प्राप्ताक यदि भिन्न (सही वटे) मे हो तो उही वगते पूर्णांक मे परिवर्तित कर दिया जाए ।

[4] श्रेणी निर्धारण—

- (1) (i) 60 प्रतिशत या अधिक प्राप्ताक होने पर प्रथम श्रेणी ।
- (ii) 48 प्रतिशत या उससे अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम प्राप्ताक होने पर द्वितीय श्रेणी ।
- (iii) 36 प्रतिशत या उससे अधिक परन्तु 48 प्रतिशत से कम प्राप्ताक होने पर तृतीय श्रेणी ।
- (iv) किसी विषय में 75 प्रतिशत अक प्राप्त करने पर उस विषय में विाप योग्यता मानी जाएगी ।
- (2) कक्षा 9 तृतीय भाषा व उद्योग के प्राप्ताक श्रेणी निर्धारण हेतु बहु योग्यक में सम्मिलित नहीं किया जाए ।
- (3) श्रेणी निर्धारण वृपाक रहित प्राप्ताक के बृहद योगाक के आधार पर ही होगा । अर्थात् श्रेणी निर्धारित करने समय वृपाक ना जोड़े ।
- (4) कक्षा 1 से 2 अविभक्त इकाई मानी गई है । इसके लिए अविभक्त वाचा इकाई सदाशिका देवते (जो कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मठल द्वारा प्रकाशित है)

[5] कृपाक—

- (i) यदि छात्र किसी एक विषयों में उत्तीर्ण अब प्राप्त करने में भस फल रहता है तो उसे प्रधानाध्यायक निम्न प्रकार से वृपाक देकर कमो-न्नति दे सकत है
- (ii) वृपाक पाने के लिए छात्र का आचरण तथा अववाह उस सत्र में उत्तम होना आवश्यक है ।
- (iii) प्रति एक वृपाक प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक होगा कि छात्र जिन विषयों में उत्तीर्ण है । उनमें यूनतम से 5 अव अधिक प्राप्त करे । यदि कोई परीक्षार्थी अपेक्षी में असफल है । और परीक्षार्थी अपेक्षी को छोड़कर अन्य विषयों में कुल मिलाकर 36 / अबो से 30 अव अधिक प्राप्त कर लिए हैं तो उसे 6 वृपाक दिए जा सकते हैं ।
- (iv) यदि छात्र एक ही विषय में असफल हैं तो उसे अधिकतम 8 प्रतिशत वृपाक उसमें दिये जा सकते हैं ।
- (v) यदि छात्र दो विषयों में असफल हैं तो उसे अधिक से अधिक 12 वृपाक दोनों विषयों में मिलाकर दिये जा सकते हैं । बिन्तु दोनों में से एक विषय में 7 से अधिक न निय जायें (अर्थात् उन 12 अवो का अधिकतम वितरण $7+5$ ही हो सकता है, $8+4$ या $9+3$ आदि नहीं हो सकता) ।

[6] पूरकपरीक्षाएँ -

(1) जो छात्र एक प्रयत्ना दो विषयों में अनुसीण धोपित हो वह उसी वर्ष जुलाई

के प्रथम सप्ताह में होने वाली पूरकपरीक्षा में सदिगित होने के अविकारी होगेयदि

(क) एक विषय में

(1) एक विषय में अनुसीण होने वाले छात्र को उस विषय में समस्त आवधिक परखों के परीक्षाओं को मिलाकर यूनिवर्सिटी 20 / अक्ष प्राप्त हो ;

(ii) यदि छात्र को सभी विषयों में उत्तीर्णक 36 / अक्ष प्रयत्ना अधिक अक्ष प्राप्त हो, परन्तु किसी एक विषय में वार्षिक परीक्षा में यूनिवर्सिटी 15 / अक्ष प्राप्त हो,

(क्ष) दो विषय में

(1) दो विषयों में अनुसीण होने वाले छात्र जो यदि उन दोनों विषयों में प्रथम-पुण्यक समस्त आवधिक परखों के परीक्षाओं को मिलाकर 22 / से कम अक्ष प्राप्त न हो ।

(2) पूरक परीक्षा पुण्यक वही हीगे जो उस विषय की वार्षिक परीक्षा में है।

(3) पूरक परीक्षा में वही छात्र सकल धोपित किया जाएगा जो उक्त विषय/विषयों में (प्रत्येक में) यूनिवर्सिटी 36 / उत्तीर्णक प्राप्त कर ।

(4) पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए क्षणात्मक नहीं दिए जायेंगे ।

(5) पूरक परीक्षा के परिणाम 15 जुलाई तक धोपित बर दिये जायेंगे ।

(6) पूरक परीक्षा का यूल्क वही होगा जो वार्षिक परीक्षा के लिए है । स्वप्नाती छात्रों में उपरोक्त बिंदुओं के अतिरिक्त उत्तर पुस्तकों की मुरदाया, विभागीय नियमों में अनुचित साधनों के प्रयोग एवं दण्ड सम्बंधी नियम भी दिय गये हैं । इन नियमों के अनुपालन से शक्तिक परीक्षण एवं प्रो-निति की प्रतिया को राज्य के सभी विद्यालयों में समान रूप से क्रियावित करना अनिवार्य है ।

प्रधिकार समस्याओं का निराकरण भी इन नियमों के अनुपालन से स्वत ही हो जाता है ।

उपसहार -

प्रस्तुत प्रधायय में शक्तिक परीक्षण एवं प्रो-निति सम्बंधी समस्याओं के विवेचन से इस भली भावति स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों प्रश्नियाएँ मात्राविवरण विद्यालयों हेतु विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं । इस सदभ में यह भी ध्यातव्य है कि शक्तिक परीक्षण एवं प्रो-निति के परम्परागत सप्रत्यय में शक्तिक मनुसंचान एवं प्रयोगो-प्रायोजनाओं के आवार पर एवं शक्तिकारी परिवर्तन थाया है तथा इनकी नवीन अवधारणाएँ यब प्रणालेय वैज्ञानिक, शक्तिक हिटिकोण से उपयोगी एवं उद्देश्यनिष्ठ हो गई हैं । प्रयत्नि इनस सम्बन्धित विभागीय नियमों के निपारिण से ये प्रश्निया सभी विद्यालयों में समान रूप से सचान्ति हान संशोधन, परिवर्तन तथा परिवर्द्धन की अपेक्षा है ।

मूल्यांकन (Evaluation)

(अ) लघुत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions)

- 1 'शैक्षिक परीक्षण' से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में लिखिये।
- 2 शैक्षिक परीक्षण का क्या महत्व है?
- 3 शैक्षिक परीक्षण सम्बंधी किसी पाच समस्याओं का उल्लेख कीजिए।
- 4 किसी विद्यार्थी के धार्यिक परीक्षा में बैठने हेतु धनुषति देने के क्या नियम हैं?
- 5 परीक्षा में छपांक के क्या नियम हैं?
- 6 परीक्षा प्रश्नपत्र नियमित करने हेतु आयार-प्रिंट(Blue Print)का प्राप्त क्सा होता क्या हिए?

(ब) निवन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

- 1 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये—

(ब) शैक्षिक परीक्षण (शिक्षा शास्त्री 1984)

- 2 राजस्थान के माध्यमिक विद्यालयों में परीक्षा एवं प्रान्ति नियम कौन से हैं? संक्षेप में व्याख्या कीजिए।
- 3 'शैक्षिक परीक्षण' का नियोजन एवं क्रियान्वयन किस प्रकार जिया जाना चाहिए? विस्तार से समझाइये।



अध्याय
११

समय-विभाग-चक्र
(The Time Table)

[विषय प्रवेश— समय विभाग चक्र का घर्थ, समय विभाग चक्र की आवश्यकता एव महत्व, समय विभाग चक्र के निर्माण के लिदान्त, समय विभाग चक्र के प्रकार समय विभाग चक्र के उदाहरण, समय-विभाग चक्र तथा विकासमान शिक्षण-पद्धतियाँ, समय विभाग चक्र की परिसीमाएँ तथा सावधानियाँ, उपराहर, परीक्षाप्रयोगी प्रश्न]

विषय-प्रवेश —

शिक्षा के लक्ष्यों एव उद्देश्यों की प्रभावी रूप से उपलब्ध ही विद्यालय-संगठन का मापदण्ड होता है। यह उपलब्ध विद्यालयों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालय माध्योजनीय निर्माण बीडिंग शारीरिक, भावात्मक एव सास्त्रुतिक क्रियाकलापों की सतुर्खित वित विद्याविति पर निर्भर होती है। विद्यालय की दलिक्ष समयाविधि की एक निश्चित ओमा होती है जिसके अनुरूप तात्पर्य है, समय विभाग चक्र (Time Table) विद्यालय की सार आयोजित किये जाने चाहिए। समय विभाग चक्र का वया तात्पर्य है, इसी अपरिहाय आवश्यकता को पूर्ति करता है। समय विभाग चक्र का वया तात्पर्य है, इसकी आवश्यकता एव महत्व क्या है। इसके विभागित क्या होने चाहिए, यह वितनी प्रकार का ही संकेत है तथा इसको क्या परिसीमाएँ हैं व उनके निरावरण हेतु कोनसी सावधानियाँ रखनी चाहिये हैं—” ऐ प्रेष्ठ इस सदभ म उभर कर आते हैं। इनकी व्याख्या प्रस्तुत ध्याये मे को जायेगी ।

समय विभाग चक्र का धर्थ —

समय विभाग चक्र का अभिप्राय धर्थवा धर्थ विभिन शिक्षाविदों ने निर्मान निर्मान से स्पष्ट किया किन्तु प्रकारात से उन सब का तात्पर्य समान है। इस एस मायुर के अनुसार—“ समयविभाग चरणसाधारण रूप से एक लेता होता है जो विद्यालय के समय और कार्य के विवरण प्रस्तुत करता है। यह बहुधा एव सप्ताह म विस कक्षा का क्या वया विभिन विषय पढाये जाते हैं तथा किस घटे म और कौन-कौन से ध्यायका द्वारा पढाये जाने का विवरण प्रदर्शित करता है । इस प्रकार समय विभाग-

चक्र विद्यालय की समस्त क्रियाश्रा पर नियन्त्रण रखते हुए उनका विवरण प्रस्तुत करता है ।¹

आत्माराम शर्मा के शब्दों में—“विद्यालय म पढ़ाये जाने वाले विभिन्न विषय तथा अन्य क्रियाएँ जिस विस समय और कितनी-कितनी देर तक पढ़ाये अथवा कराई जानी है, इस बात का विवरण इसी समय-विभाग-चक्र म होता है ।”² विशेष चार जन का व्यवहार है कि—‘विद्यालय वी समय-तालिका विद्यालय के समय का विभिन्न विषया एवं प्रवृत्तियों में आवटन का एवं मानचित्र है । विद्यालय समय-तालिका विषयाध्यपत और प्रवृत्तियों को विविधता एवं पूर्व व्यस्थित योजना है जिसके अन्तर्गत विभिन्न विषया प्रवृत्तियों और वक्षाश्रा के मध्य दैनिक विद्यालय समय का आवटन दिखाया जाता है ।³

उपरोक्त परिभाषाओं से प्रकट होता है कि समय विभाग-चक्र या समय-तालिका के दैनिक उपलब्ध समय का पांच आयामीय वर्गीकरण चाट (Five dimensional classification chart) है जिसमें सप्ताह के प्रत्येक बार को प्रत्येक कालाश (Period) में आयोजनीय विषय-शिक्षण अथवा क्रियाकलाप का सम्बंधित कक्षा और अध्यापक या प्रभारी व्यक्ति के साथ वर्गीकृत आलेख रहता है । समय विभाग चक्र के पांच आयाम सप्ताह के दिन, विषय या आय क्रियाकलाप जो पाठ्यक्रम सहगामी हाँ, कक्षा, प्रभारी अध्यापक और कालाश हैं । इनके अतिरिक्त कुछ आय आयाम भी होते हैं जो इनमें व्यक्त किये जाते हैं जैसे कालाशों की अवधि घण्टों अथवा मिनटों में, अतरालों (Interval or Recess) की अवधि, कक्षा-कक्ष या क्रियाकलाप के स्थान का उल्लेख तथा पारी (Shift) का निर्देश यदि विद्यालय दो या अधिक पारियों में लिता हो । इस प्रवार समय-विभाग चक्र विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि की सम्पूर्ण एवं स्पष्ट तालिका होती है जिसके कारण इसे विद्यालय वी ‘दूसरी घड़ी’ (Second Watch of the School) भी कहा जाता है । समय-विभाग-चक्र का नमूना आगे दिया जा रहा है ।

समय-विभाग-चक्र की आवश्यकता एवं महत्व-

समय विभाग चक्र वी उपरोक्त परिभाषा से उसकी उपयोगिता और महत्व स्पष्ट हो जाता है । पारस नाथराय ने शब्दों में—“समय-तालिका विद्यालय का वह महत्वपूर्ण प्रपञ्च है जिसके द्वारा विद्यालय की जटिल व्यवस्था का सुम्चालन सम्भव होता है । इसे विद्यालय की दूसरी घड़ी कहते हैं जिसके ऊपर स्पष्ट हृषि में अकित होता है कि विद्यालय की कौन सी क्रिया किस समय, किस वक्षा द्वारा किस शिक्षक के निर्देशन में कही

- | | |
|---|-------------|
| 1 एस एस माधुर विद्यालय संगठन एवं स्वास्थ्य शिक्षा | (पृष्ठ 101) |
| 2 आत्माराम शर्मा विद्यालय संगठन | (पृष्ठ 106) |
| 3 किशन चार जन शैक्षक संगठन, प्रशासन एवं पर्यवरण | (68) |

पर होगी। अच्छी समय तालिका विद्यालय के सुसंचालन और सुव्यवस्था को प्रकट करती है तथा इससे लक्ष्य-प्राप्ति म सहायता मिलती है।⁴ निरजन कुमार सिंह ने इस महत्व को दूसरे शब्दों में व्यक्त करते हुए कहा है कि—' इससे सभी कार्यों में व्यवस्था रहती है और प्रत्येक कार्य स्वाभाविक और नियमित रूप से ठीक समय पर सुगमता-पूर्वक सम्पन्न होता रहता है। समय-विभाग में कार्यों में संतुलन बना रहता है और जिस काय के लिए जितना समय आवश्यक होता है, उतना ही समय लगता है। अध्यापकों का समय व्यर्थ नहीं जाता, शक्ति और अम की बचत होती है और किसी विषय अध्यापकों का समय व्यर्थ नहीं हो पाती।'⁵

समय विभाग चक्र की आवश्यकता एवं महत्व को प्रकट करने वाले विद्यु नियमोंकित हैं—

- (1) विद्यालय का सुव्यवस्थित संचालन — समय-विभाग-चक्र द्वारा विद्यालय काय का सुव्यवस्थित रूप से संचालन सम्भव होता है क्योंकि "समय तालिका में प्रत्येक वस्तु का पहले से ही नियोजन किया जाता है। अत प्रत्येक शिक्षक तथा विद्यार्थी को यह जात होता है कि किस समय में उसे क्या काय करना है। समय तालिका के अतर्गत उपयुक्त व्यक्तियों द्वारा उपयुक्त समय पर उपयुक्त काय, उपयुक्त प्रकार से दिया जाता है।"⁶
- (2) समय और शक्ति का सदृपयोग पूर्व नियोजित विधि से समय-तालिका के नियमित होने के बारण प्रत्येक विषय एवं क्रियाकलाप को उपयुक्त समय में सम्पन्न किये जाने से अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के समय एवं शक्ति का प्रपञ्च न होकर उसका सदृपयोग होता है। किसी भी वाचित काय की अनावश्यक पुनरावृति एवं उपेक्षा नहीं हो पाती।
- (3) शिक्षकों को काय का समुचित आवटन — सुनियमित समय तालिका में शिक्षकों की व्यक्तिगत योग्यता, कार्य क्षमता और स्वचि की दृष्टि से उहें काय का आवटन किया जाता है जिससे प्रत्येक काय प्रभावी रूप से सम्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त काय भार (Work load) का शिक्षकों में समुचित विभाजन व समान वितरण भी किया जाता है। उहें विभागीय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित दालाशा के काय भार के अनुरूप काय देकर कुछ अवकाश के कालाश भी दिये जाते हैं।

⁴ 4 पारस नाथ शर्मिद प्रशासन एवं विद्यालय संगठन (पृष्ठ 63)

⁵ 5 निरजन कुमार सिंह शिक्षालय संगठन (,, 218)

⁶ 6 विश्वन घन्द जन । शिक्षक संगठन, प्रशासन एवं पर्यवेक्षण (,, 70)

५. जिसमें वे अपनी ध्यान दूर कर सकें तथा छार्टों के लिखित काय वा सशीधन व आय विद्यालय काय(जैसे उपस्थिति रजिस्टरों की पूर्ति पठयक्रम सहगामी क्रिया कलापों के आयोजन, व आलेख, चार्ट काय, इवटित प्रतीक्षण प्राप्ति आदि) कर सकें। समय-तालिका से अध्यापकों में कायभार का समान एवं पायोचित विभाजन किया जाना भी सम्भव होता है जिसमें कि परिश्रमी शिक्षकों पर अत्यधिक कायभार न पड़ सकें तथा काय से जो छुराने वाले एवं बूटिल मनोवृत्ति के अध्यापकों को व्यस्त रख उ हें असामाजिक व्यायों द्वारा विद्यालय वातावरण को दूषित करने का अवसर भी न दिया जाये। कायभार का सतुरित विभाजन विभक्त वर्ग भ अनावश्यक अस्तीप वे निवारण हेतु वाद्यनीय है।
- (4) अनुशासन स्थापित करने में सहायक — समय-विभाग-चक्र के अभाव में शिक्षकों और विद्यार्थियों को अतिरिक्त और मनमाने काय करने की सूट मिल जाती है जिससे विद्यालय वातावरण में अराजकता और अनुशासनहीनता व्याप्त हो जाती है। ऐसे दूषित वातावरण में कोई भी कार्य कर पाना असम्भव हो जाता है। अत समय विभाग-चक्र द्वारा, विद्यालय वातावरण अनुशासन, सामजस्य और सोडश्य नियोजित काय करने की भावना से विद्यार्थियों के सभी गोण विकास के अनुकूल बन पाता है।
- (5) नीतिक विकास में सहायक — सुनिभित समय-विभाग-चक्र द्वारा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में अनेक चारित्रिक और नीति गुणों का विकास होना, सम्भव होता है जैसे समय की पावदी, कतव्यपरायणता, क्रमबद्धता, 'निर्धारित' काय को समय पर पूरा करने की आदत, परिश्रमशीलता, तत्परता, सलमनशीलता आदि।
- (6) विद्यार्थियों की क्षमता एवं आवश्यकता से सम्बंधित शिक्षा का आधार विद्यार्थियों की क्षमता, रुचि व योग्यता के अनुकूल विभिन्न क्रिया कलापों के आयोजन का आयोजन कर उनका सर्वांगीण विकास करना है। समय विभाग चक्र इस आधार के लिए अनुकूल अवसर प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिक और शक्तिक दृष्टि से इसके द्वारा विभिन्न आयुवर्ग के विद्यार्थियों की क्षमता एवं आवश्यकता से उचित समजन किया जाना सम्भव होता है।
- (7) परवक्षण में सहायक — समय विभाग चक्र के आधार पर प्रधानाध्यापक या अधिकारियों द्वारा शिक्षक एवं विद्यार्थी के काय और क्रियाकलाप व प्रभावी परवक्षण (Supervision) क्रिया जाना भी सम्भव होता है। पर्यवेक्षकों को अपने काय में इससे सुगमता, सुविधा एवं प्रेरणा प्राप्त होती है।

उपरीक प्रमुख घटकों के कारण ही समय-विभाग-चक्र को शिखाविद् डॉ. बी. जीवनायकम्⁷ ने 'विद्यालय' की दृष्टिये बड़ी ⁸ कहा है। डॉ. एन. गेड तथा शारपी शर्मा न समय विभाग चक्र के महत्व का समाहार करते हुए कहा है— "सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अच्छी समय-तालिका बन जाने से समय नष्ट होने से बचता है, स्कूल का कार्य सफलता और सुगमतापूर्वक चलता है, शिक्षक और विद्यार्थियों को बाय करने के लिए उचित प्रोत्साहन मिलता है, स्कूल के अनुशासन का स्तर ऊँचा होता है और निदार्थियों को नियमपूर्वक समय की पावन्दी एवं सकल्प के साथ कार्य वरने की आदत पड़ती है।"⁹

समय-विभाग-चक्र के निर्माण के सिद्धांत

समय विभाग चक्र बनाते समय कुछ मूलभूत सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखता हाता है। ये निम्नांकित हैं—

- (1) शिक्षा विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा बाड़ द्वारा निर्धारित नियम — प्रायमिक एवं उच्च प्रायमिक कक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग द्वारा तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं हेतु माध्यमिक शिक्षा बोड द्वारा समय विभाग चक्र के निर्माण हेतु विभिन्न कक्षाओं उनके लिए निर्धारित विषयों के शिक्षण हेतु प्रति सप्ताह कार्त्तिका निर्धारित किये जाते हैं। समय-तालिका के निर्माण में इन नियमों का पालन किया जाना बाढ़नीय होता है। राजस्थान राज्य के शिक्षा विभाग

⁷ Dr D Jivnayakam—"It is second clock, on the face of which are shown at intervals, the hour of the day, the kind of lesson in progress in every class, the veneration interval and moments for assembly and the dismissal."

⁸ डॉ. एन. गेड एवं शारपी शर्मा शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षालय व्यवस्था (पञ्च/336)

⁹ शिक्षा-क्रम कक्षा 1 से 5 तथा 6 से 8 (शिक्षा विभाग राजस्थान पृष्ठ 7 व 8, 4)

द्वारा यह प्रावधान निम्नांकित है —

विषय एवं क्रियाकलाप	प्रति सप्ताह कालाश एवं देविक समयावधि			विशेष
	कक्षा 1 व 2	कक्षा 3 से 5	कक्षा 6 से 8	
1 प्रारम्भिक बाय (सफाई, प्रार्थना सूचना, समाचार, प्रवचन आदि)	25 मिनिट	25 मिनिट	30 मिनिट	कालाश वो अवधि
2 प्रथम/द्वितीय अवकाश	10/25,,	10/25,,	10/20,,	हटु के अनुसार
3 हिन्दी	12 कालाश	12 कालाश	9 कालाश	30 से 35 मिनिट हाली तथा विद्यालय मम्प 4½ से 5 घण्टा होगा
4 गणित	6 "	9 "	9 "	
5 सामाजिक विज्ञान	3 "	3 "	6 "	
6 सामाजिक ज्ञान	3 "	3 "	6 "	
7 क्रियात्मक प्रवृत्तिया				
(1) सलिलकला	} 6	9	X	
(2) सर्गीत				
(3) चित्रकला				
(4) हाथ के बाय				
8 शारीरिक शिक्षा	6 "	6 "	3 "	
9 तृतीय भाषा	X	X	3 "	
10 वार्यानुभव एवं समाज सेवा	X	X	3 "	
11 अप्रेजी	X	X	6 ,	
कुल कालाश	36 ,	42 ,	48 ,	

माध्यमिक शिक्षा बोड, राजस्थान द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक क्षमाप्री हेतु निम्नांकित प्रावधान है — 10

विषय	कालाश प्रति सप्ताह माध्यमिक कक्षा 9 व 10	उच्च माध्यमिक कक्षा 11
1 प्रथम भाषा (हिन्दी)	6 कानौश	9 कालाश
2 द्वितीय भाषा (अप्रेजी)	9 "	9 "
3 तृतीय भाषा	3	X
4 सामाजिक विज्ञान	5	X
5 सामाजिक ज्ञान	5	X
6 उद्योग	3	X
7 वैकल्पिक विषय (कोई तीन)		
प्रत्यक्ष विषय	$5 \times 3 = 15$	$9 \times 3 = 27$
8 स्वास्थ्य विज्ञा	2	3
कुल कालाश	48 ,	48 ,

नवीन शिक्षा योजना के अन्तर्गत विभिन्न कक्षाओं के लिए विषयवार समय निर्मिति निर्धारित किया गया है — 11

विषय	कक्षा 1 व 2	कक्षा 3 से 5	कक्षा 6 से 8	कक्षा 9 व 10
1 प्रथम भाषा	25 /	25 /	8 कालाश	6 कालाश
2 द्वितीय भाषा	—	—	5 "	5 "
3 सूतीय भाषा	—	—	— "	2 "
4 गणित	10 /	15 /	7 "	7 "
5 पर्यावरण अध्ययन (सामाजिक अध्ययन व सामाजिक विज्ञान) 15 /	20 /	—	—	—
6 विज्ञान	—	—	7 "	7 "
7 सामाजिक विज्ञान (इतिहास, भूगोल, तात्त्विक शास्त्र व अथशास्त्र) —	—	—	6 "	7 "
8 कार्यानुभव व कलाएँ 25 /	20 /	—	—	—
9 दार्यानुभव	—	—	5 "	5 "
10 कलाएँ	—	—	4 "	3 "
11 शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा व ऐल 25 /	20 /	6	6	6 "
कुल समय	100 /	100 /	48 कालाश	48 कालाश

शिक्षा विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न विषयों के महत्व की छवि से उनके अध्ययन का समय निर्धारित किया जाता है, और नियमों का समय-तालिका के निर्माण में ध्यान रखा जाना आवश्यक है।

(1) अध्यापकों को कार्य का उचित आवटन — शिक्षा के विभिन्न स्तरों के शिक्षकों की न्यूनतम योग्यताएँ एव उनके कार्य भार (Work load) की मात्रा भी विभाग या बोर्ड द्वारा निर्धारित होती है। शिखण का उच्च स्तर बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक कक्षा एव विषय का अध्यापन उचित योग्यता के पारं शिक्षक द्वारा ही दिया जाये तथा उसका कार्यभार (जिसमें कक्षा अध्यापन के

11 The curricularm for the ten year School (NCERT P / 29&30)

कालांश तथा पाठ्यक्रम सहगामी शियाकलापों वा भावटित कार्य भी सम्मिलित है) उचित मात्रा में हो ताकि उसे रिक्त कालाशों में अपने शिक्षण काय की तैयारी करने अथवा अपनी यकान दूर करने वा समय मिल सके। विद्यानय के समस्त अध्यापकों का काय भार सतुलित रखा जाना भी अपेक्षित है ताकि मूलाधिक काय-भार से अध्यापकों में असातोष उत्पन्न न हो। फूलतम योग्यता के अतिरिक्त प्रत्येक शिक्षक वी व्यक्तिगत काय क्षमता अभिरूचि, एवं अभिवृत्ति का ध्यान भी काय आवटन करते समय रखा जाना चाहिए। प्रत्येक काय को उचित योग्यता क्षमता एवं अभिरूचि वाला अध्यापक ही कुशलता से सपादित कर सकता है। सद्धा-प्रधान को ज्ञाना व्यवस्था के अतिरिक्त अध्यापन-कार्य हेतु निधारित कालाशों में वायं बरना चाहिए तथा अपनी काय क्षमता का आदर सभी भूम्य पक्षों के समक्ष रखना चाहिए।

- (3) यकान से बचाव— सभ्यनविभाग चक्र वे निम्निं में विद्याधियों एवं शिक्षकों की यकान का विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है। अधिगम प्रक्रिया (Learning process) में मा और जरीर दोनों ही कार्य करते हैं, यद्यपि मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार की यकान होती है। यकान को ड्रेवर ने परिभासित करते हुए कहा है कि—“शक्ति व्यष्टि होने के बाद कार्य करने की कुशलता या योग्यता में कमी को यकान कहते हैं।” 12 शारीरिक यकान फ्रीमेन के शब्दों में—“एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर के तनु प्रतिक्रिया नहीं करते और हीर जियिल पढ़ जाता है,” 13 शारीरिक यकान में आलस्य का अनुभव होता है जिसका कारण प्रौंक्षीजन की खपत, रक्तचाप, मासपेशियों का तनाव तथा हीर में हानिकारक (Toxic) रसायनों की उत्पत्ति होना है। सीखने की प्रक्रिया में शारीरिक यकान की अपेक्षा मानसिक यकान का प्रभाव शोध दिखलाई देने लगता है। मानसिक यकान का सम्बंध काय में रुचि (Interest) से होता है। वेता इन के अनुसार—‘मानसिक यकान साधारणत केवल ऊरना प्रथात् बारित् (Boredom) होतो है। जब तक व्यक्ति में रुचि बनी रहती है तब तक उसे यकान का अनुभव नहीं होता है।’ 14 यदि विद्याधियों तथा शिक्षकों की अविगम प्रक्रिया में सहभागिता को प्रभावी बनाये रखने हेतु सम्बद्ध तालिका के निम्न में शारीरिक तथा मानसिक यकान का ध्यान रखा जाना अपेक्षित है इस इटि से निम्नांकित विद्यु इष्टव्य है—

12 Drever A Dictionary of Psychology

(P/34)

13 Freeman Theory & Practice of Psychological Testing

(P/234)

14 Valentine : Educational Psychology

(i) शाला-समय एवं कालाशो को अवधि—शिक्षा विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शाला-समय तथा कालाशो की अवधि विभिन्न आयु वर्ग के बालकों को अवधान (attention) क्षमता के अनुसार निर्धारित की जाती है। माध्यमिक कक्षाओं के छोटे आयु के विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया में शाने पाठ में अधिन देर तक ध्यान नहीं दे पाते, अत उन्हें लिए शाला-समय व कालाश-अवधि कम रखे जाने चाहिए जबकि उच्च प्रायमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थी में आयु परिष्कवता के कारण उनका अधधान अधिक समय तक टिक पाता है अब उनके लिए शाला-समय व कालाश अवधि भी अपेक्षाकृत अधिक अवधि के हो सकते हैं। इस बाद का ध्यान रखना जाना चाहिए।

(ii) अहं का प्रभाव-अहं अववा मौतम वा प्रभाव कार्य क्षमता पर उड़ता है। शरद अहं में ग्रीष्म अहं की प्रपक्षा बालक स्त्रीधृ नहीं सकते तथा वे अविक देर तक काय कर सकते हैं। इसीलिए शरद अहं में स्त्रीष्व की अपेक्षा शाला-समय अपेक्षाकृत अधिक अवधि वा रखा जाता है तथा ग्रीष्म अहं में शाला-समय प्रात काल का होता है। ग्रीष्मावकाश भी इसी सिद्धांत के अनुरूप किया जाता है। कुछ राज्यों में स्थान-विशेष के मौतम के अनुसार भी शाला-समय निर्धारित होना चाहिए जैसे राजस्थान में उच्च पवतों पर स्थित नगर आदू के विद्यालयों में ग्रीष्म की बजाय शरद अहं म लम्बा अवकाश रखा जा सकता है।

(iii) विषय कम वकान वे निराकरण हेतु समय-तालिका में विषयों का त्रैम भी विभिन्न कालाशों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। प्रथम देखा गया है कि समय-तालिका में कठिन विषयों (जैसे गणित, अंग्रेजी भौतिक शास्त्र आदि) का लगातार कालाशों में रखा जाना बालकों की यकान में बृद्धि करता है। इसी प्रकार शारीरिक या प्रायोगिक काय से सम्बन्धी विषयों (जैसे पीटी, चिकित्सा, उद्योग, वार्यानुमय, वैज्ञानिक विषयों का प्रायोगिक काय आदि) अववा सद्वातिक विषयों वो भी निरंतर कालाशों में रखना यकान का कारण बनता है। अत कठिन व सरन विषयों, संद्वातिक व प्रायोगिक या शारीरिक श्रम वे विषयों तथा रुचिवर व अरुचिकर विषयों को निरंतर कालाशों में न रखकर एकातर कालाशों में इस प्रकार रखा जाये कि बालक के अवधान पर अनावश्यक दबाव न पड़े और वह बोरियत के कारण यकान महसूस न दरे। इस सिद्धांत को परिवर्तन का सिद्धांत (The Principle of change) भी कहा जा सकता है व्योगि काय की एकरसता द्वारा उत्पन्न ऊर के निराकरण हेतु समय-तालिका में भिन्न प्रवृति वे विषयों के

एकान्तर प्रावधान से काय में परिवर्तन या विभिन्नता उत्पन्न कर बालकों की रुचि एवं अवधान बो बनाये रखने की चेष्टा दी जाती है। थी निरजन कुमार ने इस तथ्य को इस प्रकार प्रकट किया है— 'हमें यह पाद रखना चाहिए जिसके परिवर्तन भी विद्याम है। अत विषयों में परिवर्तन वच्चों के लिए रुचि और विद्यामदायक होता है। इससे उन्ह विविधता का आनन्द मिलता है।' 15 अत विषय एवं पाठ में परिवर्तन आवश्यक है।

(iv) सप्ताह के दिन— रविवार का दिन प्राय शालाओं में अवकाश का दिन होता है। अत इस अवकाश के तुरत बाद बाला दिन सामवार तथा इस अवकाश से पूर्व बाला दिन शनिवार कमश अवकाश भोगने के बारे की मन स्थिति एवं आन बाले अवकाश के दिन वी तीव्र आवाक्षा के बारण इन दिनों में बालकों में काय करने के लिए अधिक उत्साह एवं स्फूर्ति नहीं होती अतः इन दिनों यथासभव ऐसे विषय न रखे जाये जो अधिक श्रमसाध्य हों अथवा उठिन विषयों का यदि इन दिनों प्रावधान भी हो तो ऐसे विषयों क सरल और रोचक अशो का ही अध्ययन किया जाय। सप्ताह के दिनों के समय-तालिका में प्रभावी प्रावधान हेतु डा एस एस माथुर के विचार हैं कि— "समय विभाग-चक्र बनाने में इस बात की ध्यान म रखना चाहिए कि किसी विषय के सबसे कठिन भागों को मगलवार एवं बुधवार का पढाया जाय और सबसे सरल शनिवार को। इसके अतिरिक्त शनिवार को अधिक समय विषय की शिक्षा की बोर न देकर सहगामी क्रियाओं की ओर लगा देना चाहिए।" 16

(v) अन्तरालों का प्रावधान शाला की दिनिक समय-तालिका में बालकों की यकान के निराकरण और आय अनिवार्य आवश्यकताओं (जैसे पानी पीने व नमू शका करने) के लिए अंतरालों का प्रावधान किया जाता है। प्राय समय-तालिका 8 बालाशों में विभक्त होती है जिसमें एक अन्तराल मध्य म चौथे बालाश के बाद किया जाता है जो 30 मिनिट की अवधि का होता है। किन्तु उपरोक्त कारणों से समय-तालिका में दो अन्तराल (Intervals) का प्रावधान किया जाना उचित रहता है— पहला अंतराल दूसरे कालाश के बाद 10 मिनिट की अवधि का हो जिसमें बालक पानी पीने व लघुशक्का गांदि से निर्भर हो सकते हैं तथा दूसरा अंतराल पाचवे बालाश के बाद लम्बी अवधि (लगभग 20 25 मिनिट) का होना चाहिए जिसमें बालक मध्याह भोजन (Midday meal)

15 निरजन कुमार सिंह शिक्षालय संगठन (पृष्ठ 224)

16 डा एस एस माथुर विद्यालय संगठन एवं स्वास्थ्य शिक्षा (,, 106)

कर पुन स्फूर्ति भी अजित कर सकें तथा कुछ देर विधाम कर सकें। इनके अतिरिक्त प्रत्येक बाल्का के लिए उनके विषय से सम्बद्ध आकाशवाणी प्रसारण (School Broadcast) के लिए भी संपत्ता है मेरे एक दिन कायक्रम के अनुसार अतरान किया जाना चाहिए जो विविधता एवं रोचकता के साथ उपयोगिता की हाई से आवश्यक है। इन अतरालों के पश्चात् कालाशों मेरे बालबा की स्फूर्ति के अनुरूप कठिन विषयों का अध्ययन किया जा सकता है।

इस प्रकार समय-तालिका मेरे धकान के निराकरण हेतु उचित प्रावधान कर विद्यार्थियों की हाँचि एवं अवधान को बनाये रख कर ग्रधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना चाहिए। शिक्षकों की धकान के निराकरण हेतु उनके लिए समय तालिका मेरे उचित कालाशों की चर्चा पहले बीं जा चुकी है।

(4) शिक्षकों तथा छात्रों मेरे सम्पर्क — समय-तालिका मेरे सभी शिक्षकों का अधिकारिक विद्यार्थियों के सम्पर्क मेरे आने वा अवसर प्रदान करने का भी प्रावधान यथासम्भव किया जाना चाहिये। इससे अनेक लाभ हैं— शाला परिवार एवं अनुशासन की हाई से सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों मेरे आत्मीयता की भावना विकसित होती है, योग्य एवं कुशल शिक्षकों का लाभ अधिकारिक छात्रों को मिलता है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत, शक्तिक एवं व्यवसायिक समस्याओं के निराकरण हेतु उह शिक्षकों से मार्गदर्शन और परामर्श मिलता है तथा छात्र की अप्रोत्ति के साथ शिक्षकों से उसका निरतर सपक बना रहता है। शिक्षक छात्र सम्पर्क हेतु प्रत्येक शिक्षक को यथासम्भव शाला की छोटी तथा बड़ी दोनों स्तर की कक्षाओं का शिक्षण कार्य देना चाहिए तथा पाठ्यक्रम सहगामी कियाओं के माध्यम से उसे अधिकारिक विद्यार्थियों के सम्पर्क मेरे आने का अवसर देना चाहिए।

(5) स्पष्टता एवं पूर्णता — समय-तालिका की स्पष्टता से तात्पर्य यह है कि वह इतनी जटिल व पेचीदी न बनाई जाय। शिक्षक और विद्यार्थी उसे समझने व याद रखने मेरे बढ़िनाई का अनुभव न करे और उहे प्रतिदिन एवं प्रत्येक कालाश के पूर्व समय-तालिका देखना पड़े कि उह वया पढ़ना या पढ़ाना है। जटित समय-तालिका से एक ही कालाश मेरे एवं से अधिक शिक्षकों का एक ही कक्षा मेरे आ जाने की आगवा रहता, विषयों व स्थान परिवर्तन के कारण विद्यार्थियों का प्रत्येक कालाश के बाद इधर से उधर दौड़ना तथा कक्षा मेरे विद्यार्थियों द्वारा बाहित पाठ्य-सामग्री न ला सकना आदि कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अतः समय तालिका यथा सभव सरल, स्पष्ट एवं बोधगम्य हीनी चाहिए

जिससे शिक्षक एवं विद्यार्थियों में बोई भ्रम उत्पन्न न हो। विषयों का कालाश में उल्लेख कर देना पर्याप्त है, विषय-शिखण सबधी विस्तृत विवरण देन की आवश्यकता नहीं है जो शिक्षक के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। समय-तात्त्विका का पूरणता का अर्थ यह है कि उसमें प्रत्येक कक्षा के पाठ्यऋग्रंथ के अनुसार समस्त विषयों के विक्षण तथा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों का उल्लेख सहेज में उचित कालाशों प्रभारी अध्यापक एवं स्थान विशेष के साथ किया जाये। क्रियाकलापों (activities) की विस्तृत समय-तात्त्विका पृष्ठक से बनाई जाये। इस प्रकार समय-तात्त्विका में स्पष्टता एवं पूरणता होनी चाहिए।

(6) स्थिरता एवं नमनीयता—समय तात्त्विका की स्थिरता से यह अभिप्राय है कि उसमें समय-समय पर अनावश्यक परिवर्तन कर उसे अस्थिर न बनाया जाय अर्थात् उससे शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में असतोष उत्पन्न हो सकता है तथा शाला काय में अनिश्चितता घ्याप्त हो जाती है। नमनीयता से तात्पर्य यह है कि समय-तात्त्विका इतनी कठोर भी न हो कि छात्र हित एवं किसी विषय वे पाठ की प्रदृष्टि के अनुकूल उसमें परिवर्तन व संशोधन करना असम्भव हो। विश्वनाथ जैन के शब्दों में—“समय तात्त्विका विद्यालय शाय को सरलता से एवं विविध सम्पन्न करने का एक साधन है। अत उसका बढ़ोर तथा सदा के लिए एक रूप में निश्चित होना बाध्यनीय नहीं है। विद्यालय में छात्र तथा शिक्षक की आवश्यकतानुसार उसमें परिवर्तन करना सभव होना आवश्यक है 17 विश्वनाथनीयता का अर्थ यह नहीं कि समय तात्त्विका में बार-बार अनावश्यक परिवर्तन कर उसे अस्थिर एवं अनिश्चित बना दिया जाये। उदाहरण के लिये यदि किसी विषय के अमुक पाठ को प्रायोजना विधि से पढ़ाने हेतु उसके लिये समय तात्त्विका में दिये एक कानून वे स्थान पर दो या तीन कालाशों का समय अपेक्षित है तो ऐसा परिवर्तन किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार के परिवर्तन पूर्व नियोजित तथा सबद्ध अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापक की सहमति से किये जाने चाहिए।

(7) शोर व्यथा कोलाहल का वितरण —जिन विषयों के शिखण में शोर या कोलाहल होने की सभावना रहती है उन्हें समय और स्थान दोनों ही दिश्यों से कमण्ड भिन्न कालाशों में तथा दूर स्थित कक्षों में रखना चाहिए ताकि शोर वा वितरण हो सके। समय-तात्त्विका में इस बात का यथा सभव घ्यान रखा जाय कि शोर वाले विषय विभिन्न कालाशों में पढ़ाये जायें तथा अधिक शोर वाले विषयों को कक्षा के मध्य शाति पूर्वक पढ़े जाने वाले विषय का कक्ष रखा जाये।

अधिक शोर उत्पन्न करने वाले विषय हैं—भाषा, व्याकरण मौखिक पाठ, इतिहास आदि तथा शोर न करने वाले विषय हैं—मुलेख, चित्रकला, गणित आदि।

(8) विद्यार्थियों को वैकल्पिक विषयों के चुनाव को सुविधा— उत्तमान शिक्षा क्रम के अनुसार अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त कुछ वैकल्पिक विषयों का चुनाव विद्यार्थियों को करना पड़ता है। प्रायमिक एव उच्च प्रायमिक कक्षाओं में वैकल्पिक विषयों के चुनाव में कोई कठिनाई नहीं भाती। क्योंकि केवल एक वैकल्पिक विषय चुनना होता है जैसे कोई एक उद्योग तथा चित्रकला एव वाणिज्य में से कोई एक विषय और इनका कालाश भी एक ही रहता है। वैकल्पिक विषयों के चुनाव में कठिनाई माध्यमिक एव उच्च माध्यमिक कक्षाओं में जब जाती है जब कि उह किसी एक सकाय(Faculty)के कोई तीन वैकल्पिक विषयों का चुनाव करना होता है और समय तालिका के किसी एक कालाश में दो या दो से अधिक विषयों का प्रावधान होता है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी एक ही कालाश में पढ़ाये जाने वाले विषयों का चुनाव नहीं कर सकता। प्रत यथासभव समय-तालिका में प्रत्येक वैकल्पिक विषय को पृथक कालाश देना चाहिए ताकि विद्यार्थी को उसकी रुचि के अनुसार शाला में पढ़ाये जा रहे उसे अधिक विषयों में से किंही 3 का चुनाव करने की स्वतंत्रता हो।

(9) उपलब्ध साधन सुविधाएँ— समय-तालिका के निर्माण भ विद्यालय में उपलब्ध साधन—सुविधाओं (शिक्षण सहायक उपकरण, कक्ष, प्रयोगशाला, उद्योग व कार्यानुभव की काय-शालाएँ आदि) का ध्यान रखा जाना चाहिये। उदाहरण के लिए उपलब्ध कक्षों के अनुसार ही शिक्षण काय की व्यवस्था एव कक्ष के भाकार के अनुरूप ही कक्षा में छात्रों की सर्वतों का ध्यान रखना पड़ेगा इसी प्रकार प्रयोगशाला और कायशाला की सर्वतों, आकार एव उपकरणों के अनुरूप कालाशों का वितरण करना होगा, खेल के उपलब्ध मैदानों के अनुसार ही खेलों के लिये विद्यार्थियों के बगी बनाने होंगे व उनका दिन व समय निश्चित किया जायेगा। विद्यालय संसाधनों (Resources) को हास्तिगत रखते हुए समय तालिका का निर्माण किया जाना चाहिए।

(10) गृह-कार्य का उचित आवटन—प्राय सामान्य समय विभाग चक्र में विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में दिये जाने वाले गृह कार्यों वा उल्लेख नहीं होता तथा कुछ विद्यालयों में गृह कार्य की पृथक समय तात्त्विक बनाई जाती है। किन्तु यह कार्य की दृष्टि से आजकल विद्यालयों में व्याप्त अनेक अनियमितताओं के निराकरण हेतु यदि समय-विभाग चक्र में ही गृह कार्य के विषयवार दिवस एव उसकी मात्रा

निर्धारित कर दी जाये तो वाधुनीय होगा। कक्षा कार्य एवं गृह-काय एक दूसरे के पूरक होते हैं तथा विद्यार्थी की अधिगम प्रतिया को प्रभावी बनाते हैं यदि गृह काय की उपेक्षा करना वाधुनीय नहीं है। प्रत्येक कक्षा के विद्याविद्यों के प्राप्त वर्ग की योग्यता एवं क्षमता के अनुकूल उचित मात्रा में गृह काय दिया जाना चाहिए प्रतिदिन 2 या 3 विषयों में ही उचित मात्रा में यह गृह काय आवश्यक दिया जावे ताकि वह विद्यार्थी के लिये भार स्वरूप सिद्ध न हो तथा उसका उचित सशोभन भी शिक्षक द्वारा किया जा सके। समय-तालिका में पूर्व नियोजित वायव्यम् व अनुसार गृह काय के आवटन हेतु दिशा-निर्देश दिया जाना चाहिए।

समय-विभाग-चक्र के प्रकार

विद्यालय स्तर के अनुसार तो समय-विभाग-चक्र नियमानुसार बनाये ही जाते हैं जिसमें एक ही विद्यालय की समय-तालिका को विभिन्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है जिससे अभीष्ट पक्ष स्पष्ट हो सकते हैं। ये प्रकार निम्नांकित हो सकते हैं—

- (1) **सामान्य समय-विभाग-चक्र (General Time table)**— इस प्रकार का समय विभाग चक्र बनाया जाना प्रत्येक विद्यालय के लिए नितात आवश्यक है जिसकी एक एक प्रतियाँ प्रधानाध्यापक कक्षा, शिक्षक कक्ष तथा शाला के नोटिं बोड पर प्रदर्शित करना चाहिये। इस तालिका में प्रत्येक शिक्षक, कक्षा, विषय-कलाप तथा कक्ष या स्थान का कालाश त्रैम से अकेन किया जाता है।
- (2) **शिक्षक-क्रम समय तालिका (Teacherwise Time Table)**— इस तालिका में प्रत्येक शिक्षक क्रम से उनसे सावधित काय दिवस, कक्षा एवं विषय के रूप में प्रदर्शित होता है तथा उनके रिक्त कालाश भी होते हैं जिसके आधार पर विशी आय गिक्षक की अनुपस्थिति में उसके काय को सम्पन्न करने हेतु अध्यक्ष अपने ही विषय के शिक्षण हेतु रिक्त कालाश बाले शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। यदि इस तालिका में अनुपस्थित रहने वाले प्रत्येक शिक्षक के कालाशों के स्थानापन शिक्षक (Substitut Teacher) का उल्लेख दिया जाये तो विद्याविद्यों व शिक्षकों दोनों को ही आवश्यक सूचना नियोजित रूप से मिल सकती है तथा शाला व्यवस्या में कोई व्यवधान भी नहीं आ पाता। इस तालिका से प्रत्येक शिक्षक का काय भार (Work Load) भी नात हो जाता है।
- (2) **कक्षान्त्रम समय तालिका (Classwise Time Table)**— इसमें प्रत्येक कक्षा के समय कालाशत्रैम से सम्बंधित शिक्षक का नाम एवं करणीय काय को दर्शाया

जाता है। इससे प्रधानाध्यापक को हर समय यह जात रहता है कि अमुक कालाश में अमुक काय हो रहा है।

- (4) पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों को समय तालिका (Co Curricular Activities Time Table) —विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से तालिका आवश्यक है। इसमें शाला में चल रही समस्त क्रियाकलापों (साहित्यिक सामाजिक, सांस्कृतिक, खेलबूद्ध, स्काउटिंग, एन सी सी समाज-सेवा आदि) का सप्ताह के एक दिन (प्रायः शनिवार) तथा प्रतिदिन अंतिम कालाश में सचातन के प्रभारी एवं सहायक अध्यापकों एवं सभागी विद्यार्थी के बग (Group) व उस बग के केल्टेन, मालीटर, दल नायक आदि का अक्षर किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा बोड, राजस्थान द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शालाओं में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों में प्रत्येक विद्यार्थी का सभागत्व (Participation) तथा उसका मन्त्र में दो बार मूल्यांकन अनिवार्य कर दिया है। अतः प्रत्येक क्रियाकलाप तथा प्रत्येक विद्यार्थी के अभिलेख (Record) रखने व उसका मूल्यांकन करने हेतु इस प्रकार की तालिका आवश्यक है।
- (5) विद्यालय की पारीक्रम से समय-तालिका — (Shiftwise Time Table) — केवल उन बड़े विद्यालयों में विशेषकर नगरों में जहाँ द्वान सूर्या अधिक होती है तथा स्थानानाम होता है, विद्यालय दो या अधिक पारियों (Shifts) में चलाये जाते हैं। प्रथम पारी में प्रायः उच्च प्रायमिक या छोटी कक्षाएँ होती हैं तथा दूसरी पारी में बड़ी कक्षाएँ होती हैं। तीन पारियों का चलना शाला-भवन एवं शिक्षक सूर्या पर निभर होता है। ऐसे विद्यालयों में कालाश की अवधि कुछ बहुत होती है। प्रत्येक पारी की सामाज्य समय तालिका तथा अप्रत्यक्ष प्रवार की तालिकाएँ बनाई जा सकती हैं।
- (6) गृह काय समय तालिका — (Home assignment Time Table) — यद्यपि पूर्व में सामाज्य समय तालिका में ही गृह काय को सुनियोजित सत्रुलित रूप से प्रदृष्टि करने का सुझाव दिया गया है किन्तु यदि ऐसा सभव न हो तो पथक से विषय एवं कक्षा क्रम से शुह काय की समय तालिका बनाया जाना बांधनीय होगा। इस तालिका से शुह काय विद्यार्थी व शिक्षकों पर भार स्वरूप न बन वर सत्रुलित मात्रा में ही सकेगा तथा उसका समुचित सशोधन (Correction) किया जाकर उसकी गुणवत्ता (quality) का स्तरोन्नति भी हो सकता है।

समय-विभाग-चक्र का उदाहरण

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर समय तालिका के प्रत्येक प्रकार का निमाण किया जा सकता है। समय तालिका के निमाण में प्रत्यात् दूरशिता, अनुभव एव परिथम की अपेक्षा हाती है। अत यह काय विद्यालय के प्रधान या उसके वरिष्ठ सहयोगी अध्यापकों द्वारा सम्पादन किया जाना चाहिए जिससे किसी को अनावश्यक असतोष न हो। स्थानाभाव के बारण यहाँ बेवल एक अध्यापकीय शाला की समय तालिका का नमूना प्रस्तुत किया जा रहा है—

कक्षा	कालाश 1	2	3	4	5	6	7	8
I	हि दी क्षे त्रि करना)	हिदो (नक कला	गणित क्षे त्रि	हि दी पहा डे लिखना	उद्योग	गिनती बालना	खब	
II	हि दी क्षे त्रि	कला	गणित क्षे त्रि नाम क्षे त्रि	सामाजिक कार्यानुभव	उद्योग (Recess)	सामाय	पहाड़े बोलना	खब
III	उद्योग व कार्यानुभव	उद्योग व कार्यानुभव	गणित क्षे त्रि	कला	खेल	हि दी क्षे त्रि	मामाय	मामाजिक
IV	उद्योग व कार्यानुभव	गणित क्षे त्रि	उद्योग व कार्यानुभव	कला	खेल	हि दी क्षे त्रि	खेल	मामाजिक ज्ञान क्षे त्रि
V	उद्योग	गणित क्षे त्रि	उद्योग व कार्यानुभव	सामाजिक ज्ञान क्षे त्रि	हि दी क्षे त्रि	कला	अप्रेजीक्षे त्रि	सामाय विनान क्षे त्रि

नोट — (1) शिक्षक प्रत्येक कालाश में जिन कक्षाओं में काय करेगा वहाँ (क्षे
त्रि) अकित किया गया है।

(2) समय विभाग चक्र में कक्षाएँ पृथक दशायी गई हैं। यह केवल समकान
की दृष्टि से किया गया है किन्तु एक अध्यापकीय शाला में सभी
कक्षाओं के बालक एक साथ ही बैठते हैं। अत बालकों पर शिक्षा
का सीधा नियन्त्रण बना रहता है।

18 डॉ शिवकुमार व रमेश चाहूँ शर्मा, नवीन शिक्षा सिद्धांत, शिक्षण पद्धनिया ए
विद्यालय व्यवस्था (पृष्ठ 249)

समय-विभाग-चक्र तथा विकासमान शिक्षण-पद्धतिया

पूर्व म उल्लेख किया जा चुका है कि समय-विभाग-चक्रमे अधिक स्थिरता नहीं होनी चाहिए तथा इसमे आवश्यकतानुसार नमनीयता (Flexibility) होनी चाहिए। आधुनिक शक्तिक एवं मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों के फलस्वरूप नवीन विकासमान शिक्षण पद्धतियों का प्रायमिकता दी जा रही है जिनके लिए रुद्धिवादी स्थिर समय विभाग-चक्र का नियन्त्रण एवं अनावश्यक बनलाया जा रहा है। प्रनिद शिशा शास्त्री जॉन डिवी (John Dewey) इस नवीन विचारधारा के प्रबन्धक है। उनका कथन है कि—“समय विभाग-चक्र की बात दोल कल्पना है। समय-विभाग विषयों की हाईट से नहीं, बल्कि क्रियाक्रमों (Activities) की हाईट से निर्धारित करने के प्रयत्न होने चाहिए। किसी उपयोगी काय को ही बेन्द्र मानकर उसी के आधार पर आय विषया वी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।”¹⁹ डॉ एस एस माधुर के शब्दों में—“नवीन शिक्षा पद्धतियां में विषय का शिक्षण क्रियाओं के चारा और केंद्रित होता है अतएव अब जिन विद्यालयों में नवीन शिक्षा पद्धतियों के अनुमार शिक्षा प्रदान दी जाती है वहां पर समय विभाग चक्र को कोई महत्व नहीं दिया जाता।”²⁰ डाल्टन प्लान (Dalton plan) तथा प्रायोजना विधि (Project method) इसी प्रकार वी विकासमान शिक्षण विधिया है।

इस नवीन विचारधारा के मूल में तीन विद्यु प्रमुख हैं—(1) बालक को अधिगम (Learning) वी स्वतन्त्रता होनी चाहिए न कि कालाज्ञा में विषयों को पढ़ने की विवशता हो, (2) ऐसे बालकों में वैयक्तिक विभिन्नताएँ (Individual Differences) होती हैं अत उन्हें अपनी गति से सीखने का अवसर किया जाना चाहिए, तथा (3) भान अव्याप्त तथा अविभाज्य होता है, अन विषयों को कालाशों के कटघरे में बद्द कर नहीं पाया जाना चाहिए। किन्तु इस नवीन विचारधारा के अनुकूल नई शिक्षण विधियों के प्रयोग हेतु न तो हमारा देश इतना साधन सम्पन्न है, और न उसके अनुकूल परिस्थितियां ही हैं। अत विश्व चन्द्र जन का यह मत उपयुक्त जान पड़ता है कि—“इस प्रकार के माध्यमिक विद्यार्थों की सह्या हमारे देश में नगण्य है परन्तु प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय के कायकमों में नवीन पद्धतियों का आशिक समावेश किया जा सकता है। और यह समय तालिका में भी तदनुमार प्रावधार किया जाना अपेक्षित है।”²¹ कथन सभी स्तर पर विद्यालयों के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है। समय-विभाग-चक्र में नवीन शिक्षण-विधिया के अनुकूल यदाकदा परिवर्तन किया जाना चाहिए। यह परिवर्तन पूर्व नियोजित होना चाहिए।

-
- | | |
|---|-------------|
| 19 निरजन कुमार सिंह शिक्षालय-सगठन | (पृष्ठ 229) |
| 20 डॉ एस एस माधुर विद्यालय सगठन एवं स्वास्थ्य शिक्षा | (“ 1 |
| 21 विश्वनचन जीन, शैक्षिक सगठन, प्रशासन एवं पर्यवेक्षण | (“) |

समय विभाग-चक्र की परिसीमाएँ तथा सावधानियाँ

समय-विभाग चक्र से सबधित उपरोक्त विवेचन म प्रसगानुकूल इसकी परिसीमाओं
एव उनके निराकरण की चर्चा भी जा चुकी है। किर भी इनका सदैप म यहा उत्तेष्ठ
कर देना उचित रहेगा। विभागीय एव बोड के नियमों के घनुपालन मे समय-तालिका
के निर्माण से कुछ कठिनाईया आना स्वाभाविक है इतु विवरपूर्वक उनका निराकरण
भी प्रध्यापक एव प्रधानाध्यापक मिल वर कर महत है। प्रयम कठिनाई शिक्षा म काय
का सतुलित भावटन करने म होती है। कुछअधिक योग्य एव कुशल प्रध्यापकों
का कायं भार अपेक्षाकृत अधिक ही दिया जाता है जिनसे उनम अस्तोर उत्तर
हो सकता है। इसका निराकरण समय तालिका बनाने सनर यथा समव शिक्षकों से
परामर्श लेना चाहिए तथा उनकी योग्यता एव रूचि के घनुकूल उह काय सीमा जाना
चाहिए। दूसरी कठिनाई यह होती है कि कुछ काठन विषयो को समय कम प्रिय
पाता है जिससे सत्र मे पाठ्यक्रम समाप्त नहीं हो पाता। इसका निराकरण अप विषय
के अध्यापको के सहयोग से किया जा सकता है। तीसरी कठिनाई को कालाशा म विना-
जित कर पढाने से उत्पन्न होती है। कुछ विवासमान शिक्षण विवियो के लिय निषालित
कालाशों से अधिक समय की अपेक्षा होती है अथवा किसी रोचक पाठ का बालाश
समाप्त होते ही अपूरण छोड़ना पड़ता है। इसका समाधान भी शिक्षका के परस्पर सह-
योग से किया जा सकता है। चौथी समस्या कक्षा-प्रध्यापन के समय वयक्तिक विभि-
-नताओं की इटि से मेधावी एव मद बुद्धि छात्रो पर ध्यान नहीं दिया जा सकता।
इसके लिये शाला-समय के अतिरिक्त सबधित बायकमो (Enrichment programs)
व उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching) की व्यवस्था करनी चाहिए। पाठ्य
श्रम सहगामी नियाकलापो के लिये आवश्यक समय न निकल पाना पांचवी कठिनाई
होती है। शनिवारीय कायकमो के लिये पढाई के कालाशा को छोटा वर अथवा
एकातर शनिवारों का प्रथम चार व अतिम चार कालाशो का शिक्षण-काय कर
समय निकाला जा सकता है। छठी कठिनाई किसी दिन अधिक अध्यापको के अनुपस्थित
रहने से स्थानापन-शिक्षकों (Substitute Teachers) की व्यवस्था न हो पान
से उत्पन्न होती है। ऐसे अवसरो पर उपलब्ध अध्यापको से ही शिक्षण-काय की समय
तालिका सजाकर अथवा किसी निया-कलाप मे विद्यायियो को व्यस्त रखकर शाला
व्यवस्था बनाये रखना चाहिए। समय-विभाग-चक्र-की परिसीमाओं को इटिगत रूप
वर विवेक से शाला-काय की व्यवस्था की जानी बाढ़नीय है।

उपसहार —

उपयोगी एवं अपरिहाय उपकरण है जिसकी धुरी पर विद्यालय के समस्त क्रियावलाप परिभ्रमण करते हैं तथा इस के आधार पर उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक समायनों वा समुचित उपयोग किया जा सकता है। किन्तु इसका प्रतिबंध कठोर नहीं होना चाहिए। आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तन परिवद्धन एवं सशोधन यदा कदा होते रहना शक्ति एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बाधनीय है।

मूल्याकान (Evaluation)

(अ) लघुत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions)

- 1 एक माध्यमिक विद्यालय के एक सौ छात्रों को, तीन प्रमुख खेलों में समाहित करते हुए, एक व्यवहारिक साप्ताहिक समय विभाग चक्र बनाइये। (बी एड 1985)
(बी एड पत्राचार 1984)
- 2 विद्यालय की समय सारिणी बनाते समय हमें किन पात्र मुरल बातों का ध्यान रखना चाहिए ? (बी एड पत्राचार 1985)
- 3 कायशील विद्यालयी समय-विभाग चक्र को पात्र विशेषताएँ लिखिये। (बी एड 1985)
- 4 विद्यालय समय विभाग चक्र बनाते समय हमें कौन-कौन सी सावधानिया अपनानी चाहिए ? (बी एड 1984)
- 5 विद्यालय बी समय-सारिणी के माध्यम से यकान के तत्व को मूलतम करने के लिए पात्र सुझाव दीजिये। (बी एड पत्राचार 1984)
- 6 विद्यालय के लिए एक समय-विभाग-चक्र का निर्माण करने में आप विन दो सिद्धान्तों को ध्यान में रखेंगे ? (बी एड 1979)
- 7 यकान का असर कम करने की इच्छा से आप माध्यमिक कक्षा के समय-विभाग चक्र में क्या क्या परिवर्तन करना चाहेंगे ? (बी एड 1978)

(ब) निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

- 1 विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा समय सारिणी से सम्बंधित किन कठिनाईयों तथा समस्याओं का सामना करना पड़ता है ? इन्हें सुलझाने के लिए उसे क्या उपाय बरत चाहिए ? (बी एड पत्राचार 1985)
- 2 विद्यालय सभ्य सारिणी बनाते समय विन किन आधारभूत सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिए ? (बी एड 1981)
- 3 समय सारिणी बनाते समय आने वाली व्यावहारिक कठिनाईयों का विवेचन कीजिए और बताइये कि उसे कस दूर किया जाय ?
- 4 विद्यालय समय सारिणी की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना करें।

विद्यालय-अभिलेख संधारण (School Records)

[विषय प्रवेश—विद्यालय अभिलेख संधारण (रख रखाव) का महत्व, विद्यालय अभिलेखों के प्रकार एव संधारण नियम (क) छात्र सम्बंधी अभिलेख, (ख) लेखा सम्बंधी अभिलेख, (ग) संस्थापन (सेवा) अभिलेख, (घ) परीक्षा अभिलेख, (ट) अध्यापक दैनिकी (डायरी) —उपसहार परीक्षाप्रयोगी प्रश्न]

विषय-प्रवेश —

विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। विद्यालय-संगठन एव प्रशासन हेतु प्रधानाध्यापक को विद्यालय से सबद्ध अनेक घटकों—शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक यथ वर्ष चारों, शिक्षाविकारी आदि से अनवरत सम्पक बनाये रखना होता है तथा भौतिक संसाधनों व विद्यालय की प्रगति का लेखा-जोखा अवित करना हाता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के अभिलेखों (Records) की आवश्यकता होती है जो विद्यालय कार्यालय में रखे जाते हैं। यद्यपि प्राथमिक एव उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अभिलेखों के संधारण (रख रखाव) हेतु लिपिक का प्रावधान नहीं होता किंतु प्रधानाध्यापक अध्यापकों के सहयोग से यह काय सम्पन्न करता है। विद्यालय के विभिन्न पक्षों—छात्र, संस्थापन, लेखा, परीक्षा, शक्ति, पुस्तकालय, सह शक्तिक प्रवृत्तियों आदि से सबद्ध पक्षों—की प्रगति का नियमित लेखा जोखा रखने हेतु कुछ आवश्यक पंजिकायों (Registers) तथा पत्रावलिया (Files) के रूप में अभिलेखों का संधारण करना आवश्यक है। इन अभिलेखों के संधारण-नियमों से अवगत होना भी बाधनीय है। प्रस्तुत अध्याय में प्राथमिक एव उच्चप्राथमिक विद्यालयों में प्रयुक्त अभिलेखों एव संधारण नियमों का परिचय दिया जा रहा है।

विद्यालय अभिलेखों का महत्व —

विद्यालय अभिलेखों का महत्व प्रकट करते हुए आत्माराम शर्मा ने कहा है कि— “पाठ्याला समाज द्वारा संस्थापित एव स्थायी संस्था है और स्थायी संस्था के लिय आवश्यक है कि उसका बोई इतिहास भी हो, उसमें अपनी परम्पराएँ हो। इन सब की

स्थायी रूप से बना रहना तब सम्भव है जबकि उसका लेखा नियमित रखा जाये।' १ विद्यालय के अभिलेखों की सामाजिक परिप्रेक्षण में महत्ता को किशन चद जैन वा भी इन शब्दों में प्रकट किया है— "विद्यालय एक सामाजिक सम्पदा है जो अभिभावकों, छात्रों, सरकार तथा समाज के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिये प्रत्यक्ष सरकारी एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय के लिए कुछ अभिलेख, प्रतिवेदन एवं रजिस्टर रखने आवश्यक होते हैं, जिससे उसके विकास उसकी भूतकालीन तथा वर्तमान दशा उसके उद्देश्यों, उसकी आकाशांशों एवं उपलब्धियों तथा उसकी कायदक्षता एवं उपयोगिता का स्पष्ट ज्ञान हो सके।" २ विद्यालय-अभिलेखों का समुचित संधारण निम्नांकित उद्देश्यों की पूर्ति करने के कारण महत्वपूर्ण होते हैं—

(1) राज्य सरकार के नियमों के अनुकूल कायदे करने हेतु (2) शैक्षिक कायदक्रम की प्रभावोत्पादकता के मूल्यांकन हेतु, (3) अभिभावकों के विद्यालय संनिकट सम्बंधों के विकास हेतु, (4) शैक्षिक नियोजन हेतु, (5) विद्यालय की वित्तीय एवं सम्पत्ति सम्बन्धी लेखा जोखा रखने हेतु, (6) विद्यालय के प्रभावी संगठन हेतु, (7) विद्यालय कर्मचारियों का सेवा लेखा रखने हेतु (8) शिक्षाधिकारियों से सम्बन्ध बनाये रखने हेतु (9) विद्यार्थियों की प्रगति से उच्च तथा आदर्श सबृद्ध व्यक्तियों को अवगत कराने हेतु, (10) विद्यार्थियों के मूल्यांकन एवं क्रमांकन हेतु।

विद्यालय-अभिलेखों के प्रकार एवं संधारण (रख-रखाव) के नियम

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा निर्धारित निम्नांकित अभिलेखों का संधारण आवश्यक है—

[क] सामान्य अभिलेख (छान प्रवेश उपस्थिति एवं परीक्षा सहित)

- (1) पत्र प्राप्ति रजिस्टर, (2) पत्र प्रेषण पुस्तिका, साप्र 1, (3) पत्रवाहक पुस्तिका-सा प्र 2 / ३) अभिदाशक पुस्तिका (Visitors Book), (5) निरीक्षण पुस्तिका (Log Book) (6) अध्यापक दायरी, (7) प्रधानाध्यापक द्वारा परिवोक्त उपस्थिति पुस्तिका (8) आदेश/सूचना रजिस्टर (Order Book), (9) पत्राली पुस्तिका साप्र 3 (10) परीक्षा परिणाम पुस्तिका, (11) स्तर लर रजिस्टर (12) छात्र उपस्थिति रजिस्टर (कक्षावार) (13) स्थानात्मक

१ शार्मा राम शर्मा विद्यालय संगठन

(पृष्ठ 282)

२ विश्वनाथ जैन शैक्षिक संगठन, प्रशासन एवं परीक्षण (,, 178)

३ 'शिक्षा-सहिता' प्रस्तावित प्राप्त— 1978 (शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर मध्याय-16)

प्रमाण-पत्र पुस्तिका (T C Book), (14) छात्र प्रगति पुस्तिका (Progress Report), (15) छात्र दण्ड पुस्तिका, (16) शुल्क मुक्ति पुस्तिका।

[ख] वित्तीय एवं लेखा सम्बन्धी अभिलेख—

(1) रोकड़ बही (राजकीय) (2) रोकड़ बही (छात्र कोप), (3) डाक टिकट का रजिस्टर, (4) स्टॉक (स्थायी भण्डार) रजिस्टर, (5) स्थायी तथा उपयोग्य सामान का अवदान (Issue) रजिस्टर, (5) लेखन सामग्री (Stationary) रजिस्टर, (6) त्योहार अंग्रिम का वसूली रजिस्टर-जी ए 185 एवं (7) शुल्क प्राप्ति रजिस्टर, (8) छात्रवृत्ति रजिस्टर, (9) रसीद बुके जारी करने का रजिस्टर, (10) प्रायमिक एवं उ प्रा विद्यालयों द्वारा जिसा शिक्षाधिकारी द्वे भेजे गये एवं प्राप्त विलो का विवरण।

[ग] संस्थापन सम्बन्धी अभिलेख—

(1) उपस्थिति (कमचारी) रजिस्टर जी ए 159 (2) आकस्मिक अवकाश रजिस्टर, (3) वार्षिक काय मूल्याकान प्रतिवेदन प्रेषण रजिस्टर।

उपरोक्त अभिलेखों के अतिरिक्त पुस्तकालय, छात्रावास आदि से सम्बंधित अभिलेखों का उल्लेख यथोस्थान पूर्व में किया गया है। इन सभी अभिलेखों में से जो अत्यन्त आवश्यक है तथा जिनसे जग्यापको को कार्यालय या परीक्षा प्रभारी अथवा कक्षाध्यापक के रूप में अवगत होना चाहिनीय है, उनका विवरण निम्नांकित है—

[ङ] छात्र सम्बन्धी अभिलेख—

(1) प्रवेश पंजिका (Admission Register)—इस पंजिका में विद्यार्थी के प्रवेश हेतु प्रधानाध्यापक के आदेश होते ही नामाकरण किया जाता है जिसमें विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, कक्षा जिसमें प्रवेश हुआ, पूर्व पाठ्यालय का नाम, प्रवेश दिनांक आदि अकित होता है।

(2) स्कॉलर रजिस्टर (Scholar Register)—यह अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त विद्यालय में विद्यार्थी के अध्ययन पर्यंत उसकी क्षमोन्नति का वर्ष वार विवरण भी होता है तथा चरित्र व व्यवहार सदृशी उल्लेख भी। इसमें अकित विद्यार्थी का क्रमांक प्रवेश-पंजिका, उपस्थिति-रजिस्टर एवं स्पातात्तरण प्रमाण पत्र में लिखा जाता है। जन्मतिथि शब्दों व अक्षरों दोनों में अंकित वीं जाती है।

(3) छात्र उपस्थिति रजिस्टर-प्रवेश के पश्चात् कक्षाध्यापक द्वारा विद्यार्थी का

नाम व स्कॉलर रजिस्टर से या इस रजिस्टर में लिखी जाती है। यह बक्षा वार व वर्ग वार होता है जिसमें प्रतिदिन दोनों भीटिंग की उपस्थिति, अनुपस्थिति या अवकाश अकित किया जाता है। इसी के आधार पर माह के अंत में कक्षा की ओसत उपस्थिति व मासिक मानचिंग (गोशवारा) में उपस्थिति सम्बंधी तथ्य अकित कर उच्चाविकारियों को भेजे जाते हैं। गोशवारे पा प्रपत्र इस अध्याय के अंत में सलाह है।

(4) स्थानान्तरण प्रमाण पत्र पुस्तिका— (Transfer Certificate Book)

द्वारा किसी कारणवश विद्यालय छोड़ने पर जो स्थानान्तरण प्रमाण पत्र उसे दिया जाता है, उसका विवरण इस पुस्तिका में रखा जाता है। इस प्रमाण-पत्र में (इस अध्याय के अंत में सलाह प्रपत्र) विद्यार्थी का पूर्ण विवरण चरित्र प्रमाण पत्र तथा वसूल किये गए गुन्क का उल्लेख किया जाता है।

द्वारों के प्रवेश, नाम पृथक्करण, पुन प्रवेश एवं स्थानान्तरण सम्बन्धी नियम निम्नान्ति हैं जिनके आधार पर उपरोक्त अभिलेखों का सधारण किया जाता है।—

विद्यार्थियों के प्रवेश एवं अनिलेख सधारण सम्बन्धी नियम एवं प्रपत्र

जिक्षा विभाग के आदेशानुमार श्रीमावकाश के जून माह के अंतिम सप्ताह से यह शाय प्रारम्भ किया जाकर एक जुलाई से शैक्षणिक काय आरम्भ कर दिया जाना प्रावश्यक है जितु विशेष परिस्थितियों में प्रवेश शाय जुलाई मास के प्रथम सप्ताह तक निरंतर चल सकता है। इसके बाद सत्रावधि में कुछ माय कारणों के उपस्थित हीन पर भी द्वारों को प्रवेश दिया जा सकता है।

शाय-प्रवेश से सबधित शिक्षक का यह प्रथम दायित्व है कि वह द्वार के अभिभावक से “पाठशाला प्रवेश प्राप्तना पत्र” की पूर्ति कराए। इस प्राप्तना-पत्र के खण्ड (अ) के अंतगत 17 बिंदु दिये गये हैं। इनमें जो बिंदु शाय से सम्बन्धित हों, उनको पूर्ति अभिभावक से कराई जानी चाहिए। इस खण्ड में बिंदु क्रमांक (4) जामनियि की पूर्ति विशेष मावधानी से कराई जानी चाहिए। ज म नियि इसी सन् की नियि में अ को तथा शब्दों दोनों में की जानी चाहिए ताकि उसम परिवर्तन की आवश्यकता न रहे। प्राप्तना पत्र के खण्ड (आ) म तीन बिंदु प्रमाणों करण और प्रतिज्ञा से सबधित होने हैं। इनमें प्रमाणोकरण 2 (क) —“द्वार/द्वारा न

पाठ्याला में प्रवेश से पूर्व विसी भी रात्रि द्वारा प्रमाणित पाठ्याला म शिखा नहीं पाई है” — पर विशेष बल देना चाहिए क्योंकि भविष्य में इस बिटु को लेकर अनेक घारतीय होने की आशा का रहती है।

नामांकन — बालव विशेष प्रायना पत्र की अभिभावक द्वारा पूर्व बर दिये जाने पर प्रायना-पत्र मे अस्ति बिटु “पाठ्यालाधिकारिया द्वारा पूर्ति निमित्त” की सम्बिधित आवश्यक पूर्ति (यदि छात्र/छात्रा की परीक्षा ली जानी है) प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका द्वारा की जानी चाहिए यदि परीक्षा ली जानी है तो सम्बिधित अध्यापक द्वारा परीक्षा ली जाकर विभिन्न विषयों म छात्र की योग्यता एवं अध्यायता की सूचा (रिपोर्ट) इसी प्रवत्र म प्रधानाध्यापक को दी जाती है। प्रधानाध्यापक छात्र/छात्रा की योग्य पाकर सम्बिधित कक्षा मे गुल्फ सेकर प्रविष्ट होने का आदेश देगा। शुल्क शास्त्र के प्रवेगाला Scholar's Register Number प्राप्ति कर प्रधानाध्यापक को अवलोकनात्म प्रस्तुत करेगा। शुल्क दर विभाग द्वारा निर्धारित है।

उपरोक्त कायदाही हो जाने के बाद सम्बिधित कक्षा मे छात्र का प्रवेश-रजिस्टर (Attendance Register) मे विद्यालय का नामांकन (प्रवेशांक सहित) कर लेना। प्रवेशांक सहित नामांकन पंजिका (Scholar & Registers) मे छात्र/छात्रा से सम्बिधित प्रविष्टिया कर प्रवेश प्रायना पत्र को सम्बिधित पंजिका मे पजीकृत file) कर लिया जाता है। इस नामांकन पंजिका मे छात्र/छात्रा से सम्बिधित आगामी प्रविष्टिया (जो इस विद्यालय मे आगामी कक्षाओं मे प्रत्येक सत्र की उपस्थिति सूचा, उत्तीरण/अनुत्तीरण होने का उत्सेख तथा चरित्र व व्यवहार सम्बंधी टिप्पणी की जाती है। जाता स्थाने या अ-य शाला मे स्थानान्तरण के समय मे प्रविष्टिया स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (Transfer Certificate) मे य कित की जाती है।

उपस्थिति विवरण विद्यार्थियों की उपस्थिति का विवरण सम्बिधित कक्षा की उपस्थिति पंजिका मे होता है। इस अभिलेख का काफी महत्व है क्योंकि इसी पर विद्यार्थी को वापिसपरीक्षा मे बैठने की अनुमति दी जाती है तथा इसी के आधार पर शिक्षक अभिभावको को उनके बालको की विद्यालय मे नियमित उपस्थिति के सबूत मे अवगत करा सकता है। परीक्षा म प्रवेश हेतु कक्षा 3 से 5 तक 60% उच्च कक्षाओं (कक्षा 6 से 8 तक) मे 70% तथा माध्यमिय कक्षाओं (कक्षा 9 से 11-ठहर) मे 75% उपस्थिति होना प्रत्यक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है। यदि प्रधानाध्यापक किसी छात्र/छात्रा के लम्बे समय तक अनुरक्षित या जबकाश पर रहने के कारण से अनुरक्षित हो जाये तो वह विद्यालय छुलने के कुन दिवसो की प्रतिशत धूनता के आधार पर दार्जों का इस प्रकार मुक्त कर वापिस परीक्षा म बैठने की अनुमति दे सकता है।

(1) कक्षा 3 से 5 तक 5 से 15%, (2) कक्षा 6 से 8 तक 8 से 10% तक ।
(3) कक्षा 9 को 20% तक । अत छात्रों की उपस्थिति नियमानुसार बनाये रखने के लिए गिरेक छात्र व अभिभावकों का विशेष रूप से सतत व सावधान रहना चाहिए ।

उपस्थिति पंजिका(Attendance Register) – उपस्थिति पंजिका में क्रमांक के बाद प्रवेशाव अत्येक छात्र/छात्रा का अकित किया जाना आवश्यक है जिसके अधार पर प्रवेशाक पंजिका द्वारा विद्यार्थी की वार्षिक प्रगति का अवलोकन किया जाता है । पंजिका में प्रवेश का दिनांक अकित किया जागा चाहिए । उपस्थिति लेते समय उपस्थिति के लिये सुकेत चिह्न 'उ', अवकाश के लिय 'अ' तथा अनुपस्थिति के लिये 'अनु' अंकित किया जाना चाहिए । प्रत्येक कक्षा की उपस्थिति प्रतिदिन प्राथमा-सभा वे पश्चात् अंकित कर उपरा लम्बातर योग लगाया जाये जिसके आधार पर शाला के उपस्थिति पट्ट पर समस्त कक्षाओं वा उपस्थिति योग अंकित किया जाये । प्रत्येक मास व अंतिम दिवस की पूर्तिया करने के बाद उपस्थिति पंजिका की सभी पूर्तियों, जैसे प्रत्येक विद्यार्थी की कुल उपस्थिति, कुल अवकाश कुल अनुपस्थिति कक्षा की औसत उपस्थिति, अनुपस्थिति शालि या जुमनि की राशि आदि वर नेनी चाहिए । यह वाय क्षायाधापक द्वारा किया जाना बाध्यनीय है । कक्षा के छात्रों की औसत उपस्थिति छात्रों की उपस्थिति के प्रतिदिन के योगों को जोड़कर उसमें विद्यालय के उस मास में वाय दिवसों के योग से भाग देकर निकाली जाती है । छात्र छात्राओं के प्रगति प्रति (Progress Reports) में अभिभावकों की सूची शावश्यक सूचनाएँ इसी अभिसेष के आधार पर नियमित रूप से प्रेपित की जाती चाहिए ।

मासिक गोशवारा मानचित्र –

मासिक गोशवारा मानचित्र की दैनिक उपस्थिति पंजिका के आधार पर तैयार किया जाता है । मासिक गोशवारा (मानचित्र) के प्रपत्र म निम्नादित विवरण अंकित किया जाते हैं -

प्रपत्र के शीष पर विद्यालय का नाम नगर/ग्राम वेतन चुकारा व ए (Pay center) जिना व माह की परिवधात्मक सूचनाएँ देनी होती है । प्रपत्र के प्रथम विवरण (प) में जातिगत छात्रों की संख्या एव दैनिक तथा प्रतिशत औसत उपस्थिति दिलानी पड़ती है । इसके अनिरिक्त इसमें माह मे हुए प्रवेश की कुल संख्या अकेला आपतिया (Audit Objections) तथा छात्र संख्या मे एकदम कभी व वेशी वा कारण व आय विवरण भी लिखने होते हैं ।

प्राव(ब)म विद्यार्थियों की संख्या का विवरण कक्षावार व अनुभाग (Section) वार प्रस्तुत माह तथा पिछले माह का देते हुए छात्रों की कमी वैशी साल स्थाही मे अंकित की जाती है । इसमें दिसी कक्षा मे इस माह में खोल गये तथे अनुभाग का विवरण

भी देना होता है। प्रपत्र पर प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर कर उसकी एवं प्रति उच्च विद्या
विभारी का समय पर प्रेषित की जाती है।

नाम काटना (नाम पूर्यक रूपण प्रणाली) —

निम्नालिखित अवस्थाओं में विद्यार्थियों के नाम प्रवेश पंजिका एवं उपस्थिति पंजिका
से पूर्यक किये जा सकते हैं—(अविभक्त इताई भ्रातृ बद्धा 1 व 2 हेतु काई विशेष
नियम नहीं हैं।)

- (1) यदि विद्यार्थी नियमित रूप से शाला में उपस्थित नहीं रहता तिन्हीं भ्रातृ
सम्बन्धित अभिभावक से इस सम्बद्ध धर्म पंजिक वर जानकारी घबराय करेगा।
- (2) यदि विद्यार्थी अपने अभिभावक ने स्थानात्मक वारण भ्रातृय प्रवेश सेने हेतु
प्रयत्नशील है।
- (3) यदि अविभक्त इताई की बक्षाओं में विद्यार्थी लगातार पूरे माह अनुपस्थित
रहता है।
- (4) यदि बक्षा 3 से 8 तक की बक्षाओं में विद्यार्थी 10 दिन तक लगातार अनु-
स्थित रहता है।

विद्यार्थी का नाम प्रवेश एवं उपस्थिति पंजिका में 'शाला-परित्याग' कालम में
काटने का दिनांक व पूर्यक रूपण का वारण अंकित किया जाना है।

पुन नामांकन या प्रवेश काय —

शाला से नाम पूर्यक होने के बाद यदि उसी शाला में विभीं विद्यार्थी को प्रवेश
दिया जाता है तो वह पुन नामांकन या प्रवेश बहलायेगा। इसके लिए अभिभावक को
'पाठशाला प्रवेश-प्रायना-पत्र' की पुन पूर्ति कर प्रधानाध्यापक के समर्थ प्रस्तुत करना
होता है। इस अवसर पर इस प्रायना पत्र के बालम सम्बन्धा 15 की पूर्ति पर बल किया
जाना चाहिए जिसमें पूर्व में छोड़े जानी वाली कक्षा एवं छोड़ने का दिनांक अंकित
किया जाना आवश्यक है इस प्रवृत्ति से यह पता लग सकता है कि कक्षा छोड़े हुए इतना
अधिक समय तो नहीं हुआ जिसका वार्षिक परीक्षा में बठने हेतु उपस्थिति प्रतिशत वी
सूनता के आधार पर प्रभाव पड़े। पुन प्रवेश हेतु राज्य सरकार ने शुल्क निर्धारित
किया है— कक्षा 3 से 5 तक यह शुल्क 25 पसे, कक्षा 6 से 8 तक 50 पसे तथा 8 से
9 से 11 तक एवं रूपया निर्धारित है। यह शुल्क वमूल वर प्रवेश शुल्क की भाँति
राजकीय बोध में जमा किया जाता है।

छात्र के पुन प्रवेश बरने पर नवीन प्रवेशांक अंकित किया जायेगा तिन्हीं पूर्य
प्रवेशांक भी सम्बन्धित कालम में प्रविष्ट किया जायेगा। प्राप्त शुल्क राशि नी उठके
वाँचम म अंकित की जायगी।

छात्रों का स्थानान्तरण (Transfer) —

विद्यार्थीयों के विसी विद्यालय से स्थाना तरण की दो स्थितियां होती हैं —

- (1) नगर की एक शाला से उसी सत्र में वहाँ की आय शाला में स्थानान्तरण इस स्थिति में विद्यार्थी जिस विद्यालय में प्रवेश चाहता है, उसके अभिभावक को प्रवेश प्राप्तना पत्र के साथ वत्सान विद्यालय (जिसे छोड़ा गया) से प्राप्त निम्नाकित प्रमाण-पत्र विशेष रूप से प्रस्तुत बरने होंगे —

1 ट्रांसफर स्टिफिकेट (T C) 2 टेस्ट (Tests) व परीक्षाप्री की अक सूची 3 विद्यालय में जमा की गई राजकीय एवं छात्र कोष (Boys Fund) से सम्बद्धित राशि के विवरण का प्रमाण पत्र ।

- (2) आयथ विसी स्थान पर राजकीय विद्यालय में प्रवेश हेतु भी उपरोक्त प्रक्रिया अपनानी होगी ।

स्थानान्तर प्रमाण पत्र (Transfer Certificate) — इसे सक्षेप में (T C) कहते हैं । अभिभावक के प्राप्तना-पत्र के आधार पर विद्यार्थी को टी सी दिया जाता है । प्रायमित्र कक्षाओं (कक्षा 1 से 5 तक) के लिए कोई टी सी शुल्क निर्धारित नहीं है तथा कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं के लिए 50 पसे शुल्क है । यह शुल्क राजकीय कोष में जमा होता है ।

टी सी के दो अग होते हैं — (1) प्रमाण-पत्र जिसमें विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, निवास स्थान व जिना, ज मतियि, विद्यालय में प्रवेश की कक्षा व दिनांक, छोड़ी जाने वाली कक्षा व छाड़ने का दिनांक छोड़ने वा कारण, आचरण सम्बंधी टिप्पणी प्रमाणित कर प्रधानाध्यापक हस्ताक्षर करता है । (2) छात्र के सम्बंध में विवरण प्रधानाध्यापक द्वारा हस्ताक्षरित होता है । इस टी सी की एक प्रति विद्यालय में रहती है ।

टी सी में जिन बिंदुओं की प्रविटिट्यों की पूर्ति पर विशेष ध्यान देना चाहिए वे हैं — (1) ज मतियि सम्बंधी टी सी के दूसरे अग के चौथे कालम की पूर्ति सावधानी से अकाद व शब्दों में की जानी चाहिए (2) कक्षा जिससे स्कूल छाड़ा (3) दिनांक कक्षा छोड़ने वा आदि । यदि कोई छात्र सत्र के मध्य में टी सी लेना चाहे तो टी सी देते समय उसके पृष्ठ भाग पर राजकीय छात्र कोष को वसूर की गई फीस (शुल्क) का विवरण मय रमीद न व दिनांक के प्रधानाध्यापक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए । इसके प्राप्तार पर विभागीय आदेशानुभाग दूसरे विद्यालय में यह शुल्क छात्र से वसूल नहीं पिया जायेगा । टेस्ट व परीक्षा अब सूची भी टी सी के साथ दिया जाना आवश्यक है क्योंकि इसके आधार पर दूसरे विद्यालय में इसका समावेश उस विद्यालय में निये गये टेस्ट एवं परीक्षा के प्राप्तनावों में किया जाकर परीक्षाकल बनाया जाता है ।

विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र

राजस्थान शिक्षा विभाग पाठशाला प्रवेश प्रार्थना-पत्र

(प्रवेशार्थी/प्रवेशाधिकी के पिता या सरकार द्वारा पूर्ति निमित)

म	पाठशाला या नाम	स्थान
1	प्रार्थना-पत्र अपण करने की तिथि	
2	द्वात्र/द्वात्रा का पूरा नाम	
3	(घ) पम (ब) क्या परिणित या पिछ्ची जाति से है? उग जाति का नाम	
4	ज-मतिथि (ईस्वी मन् मे)	
5	प्रवेश के समय भाषु	
6	द्वात्र/द्वात्रा के पिता या नाम पूरा पता नाम आजीविका एव स्थायी पता ग्राम, तहसील तथा ज़िला घटित	
7	सरकार या पूरा नाम आजीविका एव स्थायी पता (यदि पिता जीवित न हो)	
8	द्वात्र/द्वात्रा और सरकार का मम्बाध	
9	द्वात्र/द्वात्रा का स्थायी निवास स्थान	
	ग्राम	तहसील
10	राजस्थान की निवास की अवधि	ज़िला
11	पिता या पति न हो तो सरकार की मासिक भाष्य	
12	प्रवेश से पूर्व जिस पाठशाला से अध्ययन किया हो उसका नाम स्थान, प्रमाण पत्र तथा प्राप्ताक सूची सहित	
13	कक्षा जिसमें द्वात्र/द्वात्रा प्रवेश चाहता/चाहती है	
14	अभिष्ट ऐच्छिक विषय (1) (2) (3)	
15	यदि द्वात्र/द्वात्रा पुन इसी शाला में प्रविष्ट हो रहा/रही हो तो कक्षा का नाम जिससे पढ़ना चोडा और कव चोडा	
16	द्वात्र/द्वात्रा बीनभी अल्प भाषा लेना चाहता/चाहती है	
17	द्वात्र/द्वात्रा कोनसा उद्योग लेना चाहता/चाहती है	

हस्ताक्षर पिता या सरकार

आ पिता या सरक्षक द्वारा प्रमाणीकरण और प्रतिज्ञा

- 1 मे प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण ठीक है।
- 2 मे प्रमाणित करता हूँ कि छात्र/छात्रा का नाम
(क) ने पाठशाला के प्रवेश से पूर्व किसी राज्य द्वारा प्रमाणित पाठशाला में
शिक्षा नहीं पाई है।
(ख) इस प्राथना-पत्र मे अकित छात्र की जामतियि सही है।
- 3 मे प्रतिज्ञा करता हूँ कि –
(क) जब तक उस छात्र/छात्रा इस संस्था में शिक्षा प्राप्त करता रहेगा/रही
मे संस्था के नियमो उपनियमा से आवद्ध रहेगा।
(ख) छात्र/छात्रा की उल्लिखित ज मतिरि मे परिवर्तन करने के लिए अनुरोध
नहीं किया जायगा।
(ग) पाठशाला वा नियमित शुल्क दू गा।

पिता या सरक्षक के हस्ताक्षर

पाठशालाधिकारियो के द्वारा पूर्ति निमित्त

कक्षा में प्रविष्ट करने के लिए छात्र/छात्रा की परीक्षा ली जावे।

प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका

सम्बिधित अध्यापक के हस्ताक्षर

1	विषय	विषय मे योग्य/अयोग्य पाया गया
2		" "
3		" "
4		" "
5		" "
6		" "
7		" "
8		" "
9		कक्षा मे "फीस प्राप्त" करके प्रविष्ट किया जावे।
तिथि		प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका

यह प्रमाणीकरण तब करने की आवश्यकता है जब नम्बर 12 के पूर्ति न को गई हो
प्रवेशाव पर आवश्यक कीम प्राप्त वरके प्रविष्ट किया गया (फीस का

विवरण	पाठशाला कर्मचारी	अवलोकित
नियि	तिथि	प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका

शिक्षा विभाग,- राजस्थान राज्य

शिक्षा विभाग, राजस्थान राज्य

- 1 नाम धार्म
- 2 पिता का नाम
- 3 निवासी
- 4 जनतियि
- 5 प्रवेश तारीख
- 6 प्रदेश नम्बर
- 7 कक्षा जिसम पहले भर्ती हुया
- 8 कक्षा जिसम रसून घोड़ी
- 9 तारीख घोड़ने की
- 10 चारण घोड़ने का
11. तारीख संटिकिटे देने का

पाठशाला।"तर प्रवेशानुग्रा
प्रमाणित रिया जाता है कि " " " पुरुष/
निवासी" " जिला " " जनतियि "
प्रविष्ट रिया गया था कक्षा भे ता को प्रवेश नम्बर
पोर घोड़ा कक्षा मे से ता " कारण
उसका आचरण न ग सक विदित है " एहा
उसने रसून की सब वाकियात भर दी है ।

पाठशाला " " " मुख्याधापक/अध्यापिका
तारीख संटिकिटे देने की "

मुख्याधापक/अध्यापिका
पाठशाला "

विवरण 'स'

नोट— मदि सब अध्यापकों के नाम इम स्थान पैं न भावे तो एक दूसरे कागज पर लिख दिये जावें।

नाम अध्यापक मध्य पद, निवास स्थान गाँव, राहसील, लाकड़ाता, तिलो	अध्यापक की योग्यता प्रशिक्षण जो प्राप्त किया है	वेतन शुल्क दिनांक जद से इस शुल्कसा में वेतन मिल रहा है	दिनांक वेतन वाद का विवाद	इस शाला में आन का दिनाक इस माह का अवधिकाल	अ य विवरण
---	---	--	--------------------------	---	-----------

भाष्य विशेष विवरण—

नोट— विवरण 'स' के बल तीन बार भेजना है—यह जुलाई, नवम्बर व अप्रैल।

[ख] लेखा सम्बन्धी अभिलेख—

(1) रोकड— लेखा सम्बन्धी अभिलेखों में रोकड (राजकीय एवं धात्र कोप) तथा स्टॉक रजिस्टर प्रमुख होते हैं। रोकड में आय व्यय वा वाय लिखित में तत्काल होना चाहिए। राजकीय रोकड में आय विद्यार्थियों से प्राप्त प्रवेश, पुन प्रवेश, स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र शुल्क तथा अनुपस्थित दण्ड की राशि होती है। वेतन तथा कटिंग दिलो की राशि भी आय के अतिगत होती है। विद्यार्थियों से प्राप्त धनराशि की छपी हुई क्रमांकित रसीद की प्रति दी जाती है। रसीदों पर प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर होते हैं। रोकड में दो पृष्ठ होते हैं - वाया तथा दाया। वाये पृष्ठ पर नियांत्रित स्थान व स्तम्भों (Columns) में आय तथा दाये पृष्ठ पर इसी प्रकार व्यय की राशियों विवरण एवं दिनांक सहित अकिन की जाती है। प्रतिदिन लेन देन के घन्त में समस्त आय-व्यय के आकड़ों वा योग दोनों ओर नगारक शेष राशि अकिन कर उसका निलान विद्यालय में रखी शेष राशि से कर लेना चाहिए ताकि कोई भूल न रह। रोकड में प्रतिदिन प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर होना चाहिए।

धात्र कोप सम्बन्धी रोकड में प्रविष्टियों की प्रक्रिया भी इसी प्रकार की होती है। इस रोकड में स्तम्भों के शीयक धात्र कोप से सम्बन्धित मदों के अनुमार होते हैं त्रिम धात्रों से प्राप्त धनराशि विवरण सहित अकिन की जाती है। प्राप्त धनराशि की पर्याप्त रसीदें देने की प्रक्रिया भी वही है। इस रोकड से धात्र-कोप की विभिन्न मदों में आय व्यय एवं शेष राशि की स्थिति वा पता चलता है। लेखा सम्बन्धी अभिलेखों का सभा रण सामाजिक व लेखा नियमों (G F & A R) के अनुसार किया जाना चाहिए।

निमाकित उदाहरण से सेल-कूद नियि के रोकड स्तम्भ की अकन विधि स्पष्ट हो सकेगी —

वाया पृष्ठ संख्या-12			दाया पृष्ठ-12		
जमा (आय)			खच (व्यय)		
दिनांक	विवरण	रु प	दिनांक	विवरण	रु प
8 4 84	गत शेष	200 00	8 4 84	फुटबाल सरीदा	15 50
	कक्षा 4 से प्राप्त शुल्क	25 00		(वाँडचर स 15)	
	(रसीद स 100 से 140)				
	योग	225 00		योग	15 50
				शेष	209 50
				योग	225 00
				शेष	209 50

दोना रोडो दो रसीदे प्रमाणार सुरक्षित रखना आवश्यक है ताकि उनका बकें
धाएं दिया जा सके। राजस्वीय रोडो की राशि राज-कोप में दूजरी-पालान द्वारा
जमा दी जाती है तथा द्वाप्र-होप दी राशि राज-कोप के पीछे खाते भव्यता बैंक म
जमा की जानी चाहिए गिसकी सास-पुरुष तथा दातान दी प्रतिधी सभाल कर रखनी
चाहिए। दैनिक उपयोग में आने वाली पुँछ राशि विद्यालय के दबल लौक में रखी जानी
चाहिए। सर्विस पोस्टब्र के अय व्यवहार G A प्रपत्र 114 के रजिस्टर म
रहा जाता है। राजस्वीय रोडो द रसीदा का प्रश्न फ़मस्ट G A 48 तथा G A 55
म रहा जाते हैं।

(2) स्टॉक र बस्टर—स्थायी भवडार (Perman ent Articles)—रजिस्टर G A
162, तथा उपभाज्य सामान (Consumable Articles) रजिस्टर G A
161 अतिरिक्त प्रपत्रों में होते हैं। पस्तुओं दो तरफ़ करने अथवा विभाग के प्राप्त
होने के तुरन्त बाद उनको प्रविष्ट्यां मय विवरण के सदित स्टॉक रजिस्टरों में
की जानी चाहिए तथा उपभाज्य सामान के अवदान (Issue) रजिस्टर में ब्रकित
कर वस्तुओं का उपयोग हेतु दिया जाना चाहिए। सब्र दे अत में स्थायी सामान
का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) करना होता है। तथा अनु-
पमोरद सामान (Unserviceable Articles) दो सूची लेयार दर उह सक्षम
अधिकारी द्वारा निरस्त (Write off) करने द नीलाम दरने दी कायवाही की
जाती है। नष्ट करने योग्य वस्तुओं को सक्षम अधिकारी से जाइस प्राप्त कर नष्ट
किया जाता है।

[ग] संस्थापन अभिलेख—

(1) सेवा संस्थापन रजिस्टर-प्रत्येक विद्यालय में एक सेवा रजिस्टर राज्य सरकार
द्वारा स्वीकृत प्राप्त में रखा जाना आवश्यक है इस रजिस्टर में प्रत्येक वेतन
शूलता (Grade) में स्वीकृत पदों का इट्राज तथा उन पदों पर कायरत
व्यक्तियों का विवरण होना चाहिए। प्रत्येक पद के बाद इतना स्थान छोड़ा जाये
कि उसमें 2 3 राम समय समय पर स्थानात्मक होने के कारण लिखे जा सकें।
इस रजिस्टर से रिक्त स्थान (Vacant post) ज्ञात हो सकेंगे तथा कायरत
व्यक्तियों का पूर्ण विवरण - नाम, पिता का नाम ज म तिथि, विद्यालय म काय
रत होने की तिथि, शैक्षिक व प्रशिक्षण योग्यताएँ वेतन शूलता, बदमाज वेतन
विदित होती है। यदि वभी वोई वस्त्रारी अतिरिक्त योग्यता अंजित करता है तो
उसकी प्रविष्टि इस रजिस्टर में दी जानी चाहिए। इस रजिस्टर के धाधार
पर मात्रिक मानचित्र (गोपनारा) के विवरण 'स' की पूर्ति दी जाती है।

(2) अध्यापक की उपस्थिति पजिका—अध्यापक उपस्थिति पजिका में कैनत-शूलका तथा वरिष्ठता फ्रम से अध्यापकों के नाम प्रत्येक माह में घ कित स्थिर जाते हैं। इसमें तिथि में खाने में प्रत्येक अध्यापक को विद्यालय में भगवने प्राप्तमन तथा गमन वा समय नोट वर हस्ताक्षर बरने होते हैं। विद्यालय समय से 5 मिनिट पूर्व उपस्थित होना चाहनीय है। विलम्ब से आने पर अपना स्थायीकरण देवर प्रधानाध्यापक वे आदेश से ही हस्ताक्षर करना चाहिए। प्रधानाध्यापक द्वारा इस पजिका वा प्रति दिन अवलोकन कर हस्ताक्षर करना चाहिए। अनु-पस्थित अध्यापक वे अवकाश प्राप्तना पत्र पर उचित आदेश देकर इस पजिका में अवकाश वी प्रविधि प्रधानाध्यापक द्वारा वी जाती है तथा सबैकिं अध्यापक वी कक्षाओं की अवश्यका की जाती है। अवकाश स्वीकृति हेतु प्रधानाध्यापक वी अवकाश नियमों से अवगत होना आवश्यक है।

अवकाश नियम —

किसी भी आवश्यक या बीमारी की दशा में प्राप्तना पत्र देवर अवकाश प्राप्त दिया जाता है यह तो सब जानते हैं, पर अवकाश दितने प्रकार के होते ही और उनके नियम क्या हैं, यह ज्ञात होने से उहें प्राप्त करने और अधिकार होने की दशा म किसी वो देने मे सुविधा रहती है। अवकाश के बारे मे मुछ मूलभूत बातों से प्राप्त सदैव याद रख
 (1) अवकाश कोई अधिकार नहीं है। यह बेवल एक सुविधा है जिसे स्वीकार करने वाला अधिकारी राज्य काय की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए स्वीकार करता है। (2) अवकाश के लिए बेवल प्राप्तना पत्र प्रस्तुत वर देने से ही उसकी स्वीकृति नहीं हो सकती अर्थात् उसका उपयोग स्वीकृति वे पश्चात् ही किया जा सकता है।
 (3) आवश्यकता होने पर स्वीकृति भी पूणतथा या आंशिक रूप से निरस्त कर कम-चारी को बायं पर उपस्थित होने के आदेश दिये जा सकते हैं। (4) किसी भी प्रकार वा अवकाश (अलावा आकस्मिक के) किसी दूसरे प्रकार के अवकाश के साथ मिलाया जा सकता है। अब देखिए अवकाश दितने प्रकार के हैं —

1 आकस्मिक अवकाश — यह अवकाश वर्मचारी वो आकस्मिक वर्षों के निए वर्ष भर मे 15 दिन प्रदान किया जा सकता है। पर एक बार मे यह अवकाश साथ मे पड़ने वाले राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त अधिक से अधिक 10 दिन का लिया जा सकता है यह एकत्रित नहीं होता। अस्थायी व्यक्तियों वो प्रथम 3 माह मे 5 ति 6 माह मे 10 दिन तथा इससे अधिक बार के निए 15 दिन होंगे। वसे यह सुविधा अवकाश की परिभाषा में नहीं आती।

3 सवेतन अवकाश (Privilege leave) यह अवकाश उन कमचारीयों वो मिलता है जो उन विभागों म हैं जहा शिक्षण संस्थाओं के भीष्मावकाश वी रहे

नियमित अवकाश नहीं होते । पर विसी भी कर्मचारी को अवकाश कितना प्राप्त हो सकता है ? इस बारे में सामाजिक नियम यह है कि स्थायी कर्मचारी अपनी डिग्री पर अपनी उपस्थिति पर अपनी उपस्थिति के दिनों की सह्या का 1/1 भाग सबैतन अवकाश ले सकता है । उपभोग न करने पर यह अवकाश 180 दिन तक एकत्रित रहता है । घटुर्यं श्रेणी कर्मचारी के लिए यह अवधि सेवाकाल पर निभर करती है । हा, आकस्मिक अवकाश की तरह इसे साधारण तथा तत्काल प्राप्त नहीं कर सकते । इसके लिए तीन सप्ताह पूर्व प्रायता पत्र देना चाहिए । ग्रीष्मा वकाश का उपयोग करने वाले अध्यापकों को वप्प में 3 दिन तक सर्वनितक अवकाश देय है । पर किसी ग्रीष्म अवकाश में आदेश द्वारा सरकारी कार्य हेतु रोके जाने से आप उसका उपयोग न कर सकते तो उसके स्थान पर आपको सबैतन अवकाश का लाभ होगा । यह लाभ एक विशेष अनुपात से दिया जाता है । उपर्युक्त दशा के अतिरिक्त साधारणतया हमें सबैतन अवकाश प्राप्त नहीं हो सकता ।

3 अद्वैतन अवकाश — अद्वैतन अवकाश का नियम यह है कि कोई भी स्थायी या अस्थायी कर्मचारी अपने सेवाकाल के प्रत्येक समाप्त हुए वप्प में लिए 20 दिन का अवकाश ले सकता है । बीमारी की दशा में चिकित्सक के प्रभारी पत्र पर अद्वैतन अवकाश के दुगुने के बदले आप सबैतन अवकाश ले सकते हैं । लेकिन स्वयं रुग्ण होने और पुनः स्वस्थ्य होने पर प्रभारी पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है । यह अवकाश परिवर्तित अवकाश या Commuted Leave कहलाता है और समस्त सेवाकाल में किसी भी कर्मचारी के लिए इसकी सीमा 180 दिन है ।

4 विशेष या असाधारण अवकाश (Extraordinary leave) — कभी कभी हमारे पास किसी भी प्रकार का अर्जित अवकाश शेष नहीं होता और हम अवकाश लेना आवश्यक होता है । बताइए ऐसी दशा में क्या होगा ? ऐसी दशा में हमें भवेतनिक अवकाश या जिसे असाधारण अवकाश कहते हैं प्राप्त हो सकता है । इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में डिग्री पर छोट लगने या अपग हो जाने वे वारण भी अवकाश मिल सकता है ।

5 अध्ययन अवकाश — स्थायी राज्य कर्मचारी यदि शैक्षिक योग्यता बनाना या प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहे तो अध्ययन अवकाश प्राप्त कर सकते हैं । लेकिन इसके लिए लिखित प्रतिज्ञा-पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है कि अध्ययन या प्रशिक्षण के पांचात अवकाश की अवधि के अनुसार कुछ समय तक राज्य सेवा अवश्य की जायेगी । यह अवधि एक वप्प के अवकाश के लिए तीन वप्प आर इससे अधिक के लिए अधिक होती है ।

6 प्रसूति अवकाश – महिला कर्मचारियों को प्रसूति काले या गर्भपात इत्यादि की दिशा में प्रसूति प्रबन्ध की सुविधा और है। यह अवकाश अधिक से अधिक एक माह या प्रसव की तिथि से छ सप्ताह जो भी पहले समाप्त हो स्थायी और अस्थाय दोनों प्रकार के कर्मचारियों को डाक्टर वे प्रमाण-पत्र पर प्रदान किया जा सकता है। यह सुविधा ऐवाकाल में सिफ 3 बार ही दी जाती है।

[ग] परीक्षा-अभिलेख—परीक्षा-अभिलेखों में प्रमुख परीक्षा पंजिका (Examination Register) होती है। जिसम प्रत्येक कक्षा की परम्परा, अध्य वार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा के अवार्द्ध वा अवन पिया जाता है। परीक्षा प्रभारी अध्यापक वी देव रेख में इस पंजिका की पूर्ति कक्षाध्यापक द्वारा समय समय पर की जाती है। सत्र अंत में सभी जो के योग के ग्राहार पर विद्यार्थियों का परिणाम घोषित किया जाता है। परीक्षा अभिलेख की पूर्ति हेतु परीक्षा नियमों की प्रमुख जानकारी होता आवश्यक है।

प्राथमिक एव उच्च-प्राथमिक कक्षाओं के लिये परीक्षा एव कक्षोन्नति नियम

विभागीय आदेश शिविरा/प्रा/अ/19746/286/67/70 दि 21-11-72 तथा शिविरा/प्रा/प्र/19746/41/74-75 दि 1-4-75 द्वारा प्रसारित परीक्षा एव कक्षोन्नति नियमों के प्रमुख बिंदु निम्नांकित हैं—

- (1) छात्रों की उपस्थिति—परीक्षा प्रवेश योग्यता हेतु विद्यार्थियों को सत्र की तुल उपस्थिति का 60 / प्राथमिक कक्षाओं में तथा 70 / कक्षा 6 से 8 तक उपस्थिति रहना अनिवार्य है।
- (2) स्वल्प उपस्थिति से मुक्ति—विद्यार्थी की रुग्णावस्था या अन्य उचित कारण से सतुष्ठ होकर प्रधानाध्यापक विद्यालय के कुल दिवसों की प्रतिशत उपस्थिति मूलता के आधार पर निम्न प्रकार मुक्त वरके वार्षिक परीक्षा में बैठने की आवश्यकता है।
 - (i) कक्षा 3, 4 व 5 में 15 / ; तथा (ii) कक्षा 6, 7 व 8 में 10 /
- (3) परीक्षा की तैयारी अवकाश—कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों को प्रधानाध्यापक वार्षिक परीक्षा हेतु एक दिन वा तथा वार्षिक परीक्षा हेतु दो दिन वा परीक्षा तैयारी अवकाश (रविवार व राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त) है सकता है।

4 विभागीय सदर्शिका—1977 (शिक्षा विभाग राजस्थान, बीकानेर। पृष्ठ 164-169

- (4) प्रश्न-पत्र की व्यवस्था—सभी कक्षाओं में परीक्षार्थियों की सख्त 10 से अधिक होने की दशा में प्रश्न पत्र मुद्रित तथा कम होने पर चकलेर्कित या हस्त लिखित (कावन-प्रति) होंगे। परखो (Tests) में प्रश्न पत्र श्यामपट्ट पर लिखे जायें।
- (5) परीक्षाएँ—कक्षा 3 से 8 तक प्रति वर्ष नियमित अंतर के साथ प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय की दो आवधिक परखें (Periodical Tests) होंगी तीसरी आवधिक परख के स्थान पर लिखित वाय का सब में दो बार (नवम्बर तथा मार्च में) मूल्यांकन किया जायेगा जो 5-5 अंक का होगा अर्थात् दोनों मूल्यांकनों का योग 10 अंक होगा। सब में दो परीक्षाएँ होंगी—अध्यावधिक दिसम्बर मास में तथा वार्षिक 15 अप्रैल के पश्चात् वार्षिक परीक्षा में वे दो छात्र समिनित किया जायेगा जिसने कम से कम दो वार्षिक आवधिक परखें दी हों या एक परख और अध्यावधिक परीक्षा दी हो और जिसमें वह नह बढ़ा हो उनमें दो बारणों की प्रमाणिकता से सम्भाल सकुण्ठ हो। अध्यावधिक परीक्षाएँ क्रमशः 10 व 14 दिन में समाप्त कर ली जायें।

- (6) विभिन्न परीक्षाओं के पूरणक—निम्नांकित सारिणी के अनुसार होंगे।

परीक्षा	अविभक्त इकाई कक्षा 1-2	कक्षा 3 से 8 तक प्रत्येक विषय में
प्रथम परख द्वितीय „ लिखित काय का दो बार मूल्यांकन अद्य वार्षिक परीक्षा वार्षिक परीक्षा	— — — — 100 (इकाई बार सात्रिक मूल्यांकन का योग)	10 10 $5 \times 2 = 10$ 70 100
योग पूरणक	100	200

- (7) उत्तीणता एवं श्रेणी निर्धारण नियम—उपरोक्त सारिणी के प्राप्ताकार योग के आधार पर वही छात्र उत्तीण एवं कक्षान्वति का अविकारी होगा जो प्रत्येक विषय में गुनतम 36% अंक प्राप्त करेगा। इसके साथ ही प्रत्येक विषय में

20 / न्यूनतम अक प्राप्त धरना अनिवार्य है । 36 / 48 / तथा 60 / प्राप्ताक होने पर अमश तृतीय, द्वितीय व प्रथम थेणी और 75 / प्राप्ताक पर विशेष योग्यता प्रदान की जायेगी । यदि रुण्टा प्रमाण पत्र के आधार पर काई छात्र वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठता तो उसे शुल्क देने पर पुनः पुरक परीक्षा के साथ देने की अनुमति दी जायेगी । किंतु उसे इपाँक नहीं मिलेग ।

(7) कृपाक — यदि विद्यार्थी एक अयवा दो विषयों में अतुतीर्ण रहता है तो प्रधानाध्यापक इपाक देवर उसे कक्षोन्तति दे सकता है किंतु इसके लिये विद्यार्थी को उत्तीर्ण रहे विषयों में पूनतम से 5 अक अधिक प्राप्त धरना अनिवार्य है । मर्ति वह एक ही विषय में अनुत्तीर्ण है तां उसे 8 / कृपाक दिये जा सकते हैं और यदि दो विषयों में असफल है, तो उसे अधिकतम 12 कृपाक दोना विषयों में मिलाकर दिये जा सकते हैं किंतु दोनों में से एक विषय में 7 से अधिक कृपाक न दिये जायें ।

[ड] अध्यापक दैनन्दिनी (Teachers' Daily Diary) —
अध्यापक दैनन्दिनों का महत्व — अध्यापक की अपने काय-शिक्षण योजना, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण-विधि, विद्यार्थियों के मूल्यावृत्त उनसी उन्नतियों गणना, प्रधानाध्यापक के अनुदेश, उपचारात्मक शिक्षण आदि की पूर्व-योजना के संक्षिप्त अभिलेख रखने हेतु जो स्वीकृत प्राप्तप में पुस्तिका होती है, उसे अध्यापकीय दैनन्दिनी के नाम से पुकारा जाता है । दैनन्दिनी उसलिये कही जाती है इसका उपयोग अध्यापक अपने दिनिक-काय के सपादन हेतु कर सके । अध्यापक दैनन्दिनी अध्यापक के लिये व्यवस्थित योजनावृद्ध काय करने हेतु एक निर्देश-पुस्तिका (Guide Book) है ।

अध्यापक दैनन्दिनी की आवश्यकता एव महत्व

जैसा कि अध्यापक दैनन्दिनी के अथ में ही निहित है । यह अध्यापक के निप्रतिदिन के काय में पूर्व योजनानुसार उसे निर्देश देने हेतु एक आवश्यक अभिलेख है । अध्यापक के काय को योजनावृद्ध, अमवद्ध एव प्रभावी बनाने में इसका अत्यन्त महत्व है । अध्यापक दैनन्दिनी की आवश्यकता एव महत्व उसके निम्नांकित उद्देश्यों से प्रकट होता है ।

(1) दिनिक शिक्षण-काय को पूर्व निर्धारित योजनानुसार प्रभावी रूप से सम्पन्न करने में अध्यापक की सहायता करना, (2) शिक्षण-काय को एक समयवद्ध कायक्रम के अनुसार निर्धारित समय में समाप्त करने हेतु (3) अध्यापक को दिनिक करणीय काय वा स्मरण दिलाने एव उसकी पूर्व तैयारी कर कक्षा में जाने हेतु, (4) स्वय को प्राव

टित वक्षापो एवं प्रवर्तियो (विद्यावलापो) के समय विभाग चक्र एवं प्रधानाध्यापक के निर्देशा के तत्काल सादर (Ready Reference) हेतु (5) विद्यायियों की उपस्थिति गणना द्वारा उनकी नियमितता पर हिट रखने हेतु (6) मूल्यांकन-अभिलेख द्वारा माद एवं तीव्र गति से सीखने वाले विद्यायियों का वर्गीकरण कर क्रमशः उनके उपचारात्मक शिखण (Remedial Teaching)। तथा उनके शिखण की व्यवस्था बरने हेतु (7) अभिभावकों द्वारा विद्यायियों की प्रगति से अवगत बरने हेतु, (8) विद्यायियों को शृंखला के प्रावटन एवं उसका मशोधन हेतु (9) विद्यालय के विद्यावलापा में शिक्षक को स्वयं के एवं विद्यायियों के सहभागात्मक द्वारा अभिलेख रखने हेतु, (10) प्रधानाध्यापक एवं शिक्षाविकारियों को अपने काय से यशात् करने हेतु, (11) अध्यारक द्वारा व्यावसायिक अभिवृद्धि (Professional growth) हेतु विषय यथे प्रयासों को दर्शाने के लिए, (12) दर्शन काय के सपादन के आधार पर पूर्व निर्धारित योजना में परिवर्तन, सशोधन एवं परिवर्धन करने हेतु प्रतिरुद्धित (Feed back) दर्शन के लिए।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति अध्यारक दनन्दिनी म निधारित प्रपत्रों के माध्यम से की जाती है। यद्यपि अध्यापकीय दनन्दिनी के स्वरूप में भी नता पाई जाती है इत्यु इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उसम प्रावधान किया जाना बाध्यकारी होता है जिससे कि वह अध्यारक के लिए उपयोगी हा सके तथा उसके काय म उद्दृष्टता आ सके। अध्यापक दनन्दिनी का स्वरूप—

जसा कि पूर्व म कहा जा चुका है अध्यारक दनन्दिनी के स्वरूप विभिन्न राज्यों तथा एक ही राज्य वे राजकीय एवं निजी विद्यालयों में भी न भिन्न प्रकार के पाये जाते हैं। राजस्थान के शिक्षा विभाग न एक रूपता साने की हिट से सभी राज्यीय विद्यालयों म प्रयुक्त हान के लिए इसका प्रारूप निर्धारित किया है तथा इसे निर्धारित कर जिला शिक्षाविकारियों के माध्यम से विद्यालयों में उनकी आवश्यकना पूर्या वितरित भी किया जाता है। प्रधानाध्यारक द्वारा अध्यापकीय दनन्दिनी विद्यायियों के सभी शिक्षकों को उनकी आवश्यकता एवं विषयों के अनुपार सत्र के आरभात ही नि शुल्क दे दी जाती है। इनके प्रचलित स्वरूप म निम्नांकित प्रपत्रों के प्रारूप यात पहुँचते हैं—

1) अध्यापक की वार्षिक शिक्षण योजना—इसका प्रारूप निम्नांकित है—
का एवं वर्ग
विषय

नं	अध्यापक इकाई	अपेक्षित अध्यापन वालाश	माह	उद्देश्य	प्रधानाध्यापक द्वारा टिप्पणी
----	--------------	------------------------	-----	----------	------------------------------

उद्देश्यों के लघु रूप जो अध्यापक द्वारा अपेक्षित हैं—ज्ञान, अवध्यापक

ज्ञानी=ज्ञानोपयोग, की=कीशल, ए=एचि, अभि=अभिवृति, रस=रस ग्रहण।

(2) इकाई एवं दैनिक पाठ-योजना (उपदेशाद्यो सहित) — इसका प्रारूप निम्नांकित है।

विषय	इकाई का नाम	दिनांक	से	तक
कक्षा एवं वर्ग	"	घोषित अवकाश	"	"
अतेक्षित बालीश				

विषय-वस्तु (पाठ-विषय- सहित)	विशिष्ट उद्देश्य एवं अपेक्षित ध्यवहारिक परिवर्तन	अध्यापन प्रणाली (छात्र अध्यापक क्रियाएँ)	विशिष्ट प्रकरण	सहायक सामग्री	गुह काय	मूल्यांकन का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7

सस्था प्रधान द्वारा टिप्पणी

अध्यापक के हस्ताक्षर

(3) अवकाश दिवस, उत्सव व अन्य निर्धारित दिवसों की सूची—इसका प्रारूप है—

माह	अवकाश दिवस, उत्सव व निर्धारित दिवसों के नाम	दिनांक	कुल दिवस	विशेष विवरण

(4) सस्था प्रधान के अनुदेश विद्यालय वाय सम्बद्धी सस्था प्रधान से प्राप्त
अनुदेश सदम्भ हेतु नीचे लिखे जावें —

दिनांक	अनुदेश

(5) अ को का अभिलेख — निम्नांकित प्रारूप में है —

क्रमांक	पूरणाक छात्र का नाम	प्राप्ताक अण्णो सीमाएँ→ दिनांक →	वर्ग	विशेष विवरण

उपरोक्त प्रारूपों के अतिरिक्त कुछ आय सूचनाओं सम्बद्धी पृष्ठ भी अध्यापकीय दैनिकी में निर्धारित रहते हैं — (1) कक्षा एवं विषय का पाठ्यक्रम, (2) शिखण्ड विधि, (3) माद एवं तीव्र बुद्धि बालकों का बर्गोकरण एवं उनके लिए करणीय काय का विवरण, (4) पाठ्यऋत्र सहायामी क्रियाकलापों हेतु आवटित छात्रों का विवरण, (5) विषय एवं कक्षा का समय-विभाग-चक्र (6) अध्यापक-अभिभावक समझ का

का विवरण, (7) अध्यापक द्वारा ध्यावसायिक अभिवृद्धि हेतु किये गये प्रयासों का विवरण, तथा (8) विद्यार्थियों के उपस्थिति गणना प्रपत्र आदि।

अध्यापकीय दैनिक दिनी कसे रखो जाये ? (उसमें प्रविष्टियों की विधि) —

अध्यापकीय दैनिक दिनी को उपयोगी एवं प्रभावी बनाने हेतु अध्यापकों को इसके प्रपत्रों की पूर्ति के सदम में निम्नांकित बिंदु ध्यातव्य हैं —

(1) इसे सत्रारम्भ में दिये जाने का उद्देश्य यही है कि शिक्षण काय आरम्भ करने के पूर्व इसके सम्बन्धित प्रपत्रों की पूर्ति विधिवत् कर ली जाये। कुछ प्रपत्र जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है तथा जिनकी पूर्ति शिक्षण-काय के पूर्व ही की जानी है, उन्हें अविलम्ब किन्तु सावधानी से पूर्ण बर लिया जाये।

(2) अध्यापकीय दैनिक दिनी की पूर्तियाँ स्वयं के काय को प्रभावी बनाने एवं भावी निर्देशन हेतु की जाती हैं। अत उन्हें पूर्ण रूचि, दायित्व एवं व्यवहारिका से पूरा किया जाये। प्राय देखा जाता है कि कुछ अध्यापक पढ़ाने के पूर्व पूर्तियाँ न कर उसके बाद करते हैं अथवा दीघ समय तक उपेक्षा एवं आलमस्वरूप इस काय को अपूरा छोड़ कर जब कभी निरीक्षण होता है तो उसे पूरा करते हैं। यह प्रवृत्ति दैनिक दिनी के उद्देश्यों के विपरीत है। समय पर पूर्तियाँ करना वाच्यनीय है।

(3) शिक्षण काय अध्यापक का प्रमुख काय होता है। अत इसका पूर्व नियोजन वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक, इकाई एवं पाठ योजनाओं में विभक्त कर विधिवत् किया जाना। चाहिए तथा उनकी प्रविष्टिया दैनिक दिनी में यथास्थान सत्रारम्भ में ही कर लेनी चाहिए। केवल साप्ताहिक एवं दिनिक पाठ योजनाएँ उनकी नियाविति के कुछ समय पूर्व भी अनियंत्रित की जा सकती हैं।

(4) प्रधानाध्यापक का यह कर्तव्य है कि वह अध्यापकों द्वारा दैनिक दिनी की नियमित एवं समुचित पूर्तियों का समय-समय पर अवलोकन करे तथा शिक्षकों को यथावश्यकता परामर्श दे।

(5) दैनिक दिनी की पूर्तियाँ व्यवस्थित संक्षेप में की जाये ताकि यह काय शिक्षकों को भार-स्वरूप न बन जाये तथापि जो पूर्तियाँ की जायें वे स्पष्ट, स्वच्छ एवं दिनिक काय को प्रभावी बनाने हेतु हों।

(6) दैनिक दिनी की पूर्तियाँ केवल खाना पूर्ति के लिए नहीं बीजायें बल्कि वार्षिकी प्रगति के आधार पर अध्यापन काय के नियोजन को प्रतिपुष्ट(Feed back)भी किया जाये तथा उसमें परिस्थिति एवं साधन-सुविधाओं वीडियो से आवश्यक सशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन किये जाये। दैनिक दिनी उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना में इस प्रकार सहायता हो सकती है।

(7) शिक्षण काय के पूर्व उसका अवलोकन अवश्य किया जाये ताकि पूर्व योजना-नुसार आवश्यक सेयारी के साथ कक्षा में प्रवेश किया जाये जिससे वि-विद्यार्थियों एवं

विषय के प्रति वाय किया जा सते।

(8) दैनिकी वी पूर्तियों विद्याविद्या र विरास एवं अभिभावकों को उनको प्रगति से ग्रवगत करात रहने के उद्देश्य से वी जाय।

(9) विद्याविद्यों की टेस्ट (Tests) एवं परीक्षाओं में उपलब्धि का मूल्यांकन कर उनका बर्णन करणे किया जाय तथा इस गति से सीखने वाले वासकों के लिये उपचारात्मक शिक्षण एवं मध्यावधी द्याको हेतु अतिरिक्त वाय वा विवरण दैनिकी म किया जाय।

(10) अध्यापकों का दैनिकी वी उपयोगिता मे पूर्ण निष्ठा रख कर उसकी पूर्तियों अपने वाय का प्रभागे वनाम वी दृष्टि से करना चाह्यनीय है।

अध्यापकीय दैनिकी अध्यापक व वाय वी निदेश पुस्तिका है, उसके वाय वी प्रभावात्मकता म वढ़ि करने वी पूर्व तैयारी है तथा अपने दैनिक अनुभव के आधार पर शिक्षण प्रशिक्षण म निरतर सुधार करत रहने का एवं सशक्त माध्यम है। अत इस की पूर्ति मे अध्यापक वी पूर्ण निष्ठा एवं प्रास्था वा होना नितात आवश्यक है जिसके बाहिर उद्देश्या वी उपलब्धि न हो सते।

उपसहार — अत मे आत्माराम शर्मा के शब्दो म विद्यालय अभिलेखो का महत्व इन प्रकार व्यक्त किया जा सकता है—“पाठशाला समाज द्वारा सहस्याभित एक स्थायी सहस्या है और स्थायी सहस्या के निए आवश्यक है कि उसका अपना कोई इतिहास भी हो, उसमे अपनी परमपराएँ हो। इन राव वा स्थायी रूप से बने रहना तभी सम्भव है जबकि उसका नियमित रूप से रखा जाय।” △

मूल्यांकन (Evaluation)

(अ) लघुत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions)

- विद्यालय अभिलेखो का व्या महत्व है?
 - विद्यालयो मे अभिलेख कितने प्रकार वे होते हैं? उसके रख रखाव के व्या नियम हैं?
 - लेखा सम्बद्ध वी अभिलेख कीन-कीन से होत है जिनकी माध्यमिक शालामो म आवृ-
श्यकता है?
 - परीक्षा सम्बद्धी अभिलेख कीन-कीन से होत है?
 - अध्यापकीय दैनिकी की व्या महत्व है? उसे कैसे रखी जाये?
- (ब) निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)
- सबलित मूल्यांकन आलेख पर पर टिप्पणी कीजिये। (वी एड पत्राचार 1985)
 - विद्यालय अभिलेख से आपका व्या तात्पर्य है? विद्यालय म इसकी व्या उपयोगिता है? सामान्यत विद्यालय मे कीन कीन से अभिलेख तथार किय जाते हैं?
 - विद्यालय अभिलेख व रजिस्टर के महत्व, प्रकारो व निर्माण पर सक्षेप प्रकाश डालें।
 - विद्यालयो म द्याको की आपेक्षित प्रगति का विवरण आप वसे रखेगे? प्रत्यक्ष द्याव की प्रगति निरिचित वरते समय आप इसका किस प्रकार उपयोग कर रे?

१५ इकाई तृतीय

अध्याय १३

सर्वेधानिक शैक्षिक प्रावधानों के क्रियान्वयन में अध्यापक की भूमिका

(The Role of Teachers in Implementing The
Constitutional Provisions on Education)

(प्रस्तावना-भारतीय संविधान और शिक्षा-प्राधिकारिक शिक्षा स्त्री शिक्षा मातभाषा प्रादेशिकमापाओं सम्बन्धी प्रावधान राष्ट्रीयभाषा शिक्षा में अवसर की समानता स्मारकों के सरक्षण सम्बन्धी प्रावधान सब व राज्य-सरकार के दायित्व सम्बन्धी प्रावधान (सघ सूची राज्य सूची एवं समवर्ती सूची) सर्वेधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन में अध्यापक की भूमिका उपस्थान-मूल्यांकन)

द्वितीय गहायुद्ध वो ममाप्ति व लगभग १ माह बाद १६ मितम्बर, १९४५ घोषणा की फि 'यथासम्भव शीघ्र' एवं संविधान निर्माणी निवाप वा आयोजना किया जाएगा और आग चुनावा व बाद निर्वाचित राजस्या व प्रतिनिधिया एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधिया व साथ प्रस्तावित संविधान निर्माता निकाय के भावार-प्रकार, उसकी सामर्य व अधिकारों और काय विधि सम्बन्धी विचार-निमिश किया जायेगा। १ इसी घोषणा की अनुपालनावं संविधान सभा वा गठन हुआ जिसम देश के सबस अधिक योग्य व्यक्ति व स्त्रीया गभी धमों, सम्प्रदाय, प्रातों, अल्पसंस्थानों तथा अनुसूचित जातिया व जनजातिया वो प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया। उस सभा का प्रथम अधिवेशन ६ दिसम्बर १९४६ को हुआ था। संविधान सभा वे सम्मुख प० नहरु न संविधान सभा व कार्यों के बारे म प्रकाश ढालत हुए बहा- 'सर्वं प्रथम इस संविधान सभा वा वार्यं नये संविधान द्वारा देश वो स्वतंत्र दर्खाना, गरीब जनता वा भोजन, राया को कपडे तथा प्रत्येक भारतीय वा अपनी योग्यता के अनुरथ विकास हेतु भवसर प्रदान करना ह।'

१ वैपल प्लान १४ जून १९४५ को प्रकाशित किया गया। देखिये मोतीराम की पुस्तक
Guide to Constituent Assembly P 190

सौभाग्य से १५ अगस्त १९४७ को हम स्वतंत्र हुए । १४-१५ अगस्त की मध्य रात्रि को सविधान सभा का विशेष अधिवेशन सत्ता के हस्ता तरण तथा स्वतंत्र भारत के श्रीगणेश के लिए हुआ और उक्त अवसर पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने सम्बाधित किया कि—‘बहुत वर्षों पूर्व देश के भाग निर्माण हेतु निश्चय किया, अब समय आ गया है जब हम अपनी पूर्व निर्मित प्रणाली से मुक्त हो गये हैं, केवल पूरणरूप से ही नहीं बल्कि सभी देशों में सर्व पूर्ण रूप से । अद्द रात्रि के दक्ष जब विश्व निर्द्रा में सो रहा है, भारत जीवन व स्वतंत्रता का नया जीवन प्राप्त करेगा । आज हम उपलब्धियों वा उत्सव मना रहे हैं वह तो एक पग है, महान् उपलब्धियों जिनकी प्रतीक्षा है उसका ।”

लगभग ३ बप बाद २६ नवम्बर को स्वीकार तथा २६ जनवरी १९५० को सविधान लागू किया गया । सविधान की प्रस्तावना

‘हम भारत के लोग, भारत का एवं सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पत्ति लोकतात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक व राजनीति याय, विचार, भ्रमिक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बधुता बढ़ाने के लिए,

इद राक्षण्य होकर अपनी इस सविधान सभा में आज तारीख २६ नवम्बर १९४६ ईस्वी को इद द्वारा इस सविधान को अयोह्वत, अधिनियमित एवं भात्मसम्पित घोषित है ।’

सविधान २६ जनवरी १९५० को लागू किया गया उसी रोज़ से भारत सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पत्ति प्रजातात्मक गणराज्य हुआ । सविधान वी प्रस्तावना में सम्पूर्ण प्रभुत्वगणराज्य, याय, सामाजिक, आर्थिक, व राजनीतिक, इटि वगर भेद भाव, जाति धर्म, रग, धन से सभी समान होगे । देश के सविधान की आवादाश्रा की पूर्ति शिक्षा-दशन के माध्यम से उद्देश्य सम्मुख रखकर पूरे विए जाने चाहिए । स्वतंत्र भारत के उद्देश्य सविधान के अनुसार ही पूरा कर सकते हैं । शिक्षा के नये उद्देश्य से अपरिचित है और इन नये उद्देश्यों का सम्मूर्ख विचार तभी आसकेगा जबकि हम समाज का नव निर्माण भारतीय सविधान के आधार पर करने का प्रयास करेंगे । सविधान के आदर्शों और मूल्यों की शिक्षा द्वारा ही सचार बरना होगा ।

सविधान द्वारा शिक्षा सचालन ।-

प्रजातात्रिक व्यवस्था में सविधान ही राष्ट्र का माग दशक होता है। राष्ट्रीय जीवन के सभी पहलुओं पर उल्लेख होता है जिसकी अपुणालना राष्ट्र सरकार व समाज का पुनीत वक्तव्य है। यदि उम्मीद प्रभावशाली ढग से उद्देश्य के अनुरूप क्रियाचिति नहीं हो पाती है तो दोष समाज व व्यवस्था का ही समझा जाएगा, नावि सविधान का।

शिक्षा के समठन व सचालन सम्बन्धी सविधान में प्रावधान निहित किए हैं जिससे राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। सविधान वी प्रस्तावना में सभी नागरिकों को सभी प्रकार का व्याय, विचार एवं अभिव्यक्ति वी स्वतन्त्रता, समन्वय और भ्रातव्य की भावना। मीतिव अधिकारों के अध्याय में मास्तुतिव तथा अधिक विकास की स्वतन्त्रता एवं राज्य के नीति निर्देशन तत्वों म १४ वर्ष की आयु तक सभी बालकों को निशुल्क एवं अनिवाय शिक्षा का प्रबंध।

लेकिन हम देखते हैं कि अभी तक इन आधारभूत प्रावधानों की सही ढग से क्रियाचिति नहीं हो पाई है। सस्थाओं में कायरत अध्यापकों का उत्तरदायित्व है कि वे सविधान वी प्रस्तावना को इष्ट में रखकर विद्यायियों का चरित्र निर्माण करें। राज्यों में शिक्षा के अवसर वगर लिंग जाति भेद के प्रदान वरन् हतु तत्पर रहना है और निर्णयन तत्वों के आधार पर अनिवाय शिक्षा जो राष्ट्रीय अभियान वी सफनता में महयोग दिया जाय। शिक्षा का सामा यन उत्तरदायित्व राज्य सरकारों के कांधों पर ही है। सभ सरकार कुछ एवं विषयों पर वाय सचालन वरता है। मामा यन देश के निए राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप शिक्षा नीति वा प्रतिपादन वरता है।

सविधान में शिक्षा-सूत्र एवं राष्ट्र निर्माण ।-

भारतीय सविधान वे द्वारा आदश व उद्देश्य शिक्षा द्वारा पूरे करते हुए प्रजातन्त्र-व्यवस्था का स्वरूप ही नहीं जीवन वन सके। शिक्षा-जगत में मविधान वी अपेक्षानुसार प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में खड़ा हो सकेगा। भारतीय सविधान निमात्री सभा ने बहुत ही महत्वपूर्ण ढग से भारतीय-भविष्य शिक्षा पर आधारित समझते हुए कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को रखा है जसे-

(१) सर्वसाधारण के लिए शिक्षा (Education for all) ।-

बालकों के लिए निशुल्क और अनिवाय शिक्षा वा उपबंध अनु०

४५ के अन्तर्गत अशिक्षा को दूर करने के उद्देश्य में राज्य को १४ वर्ष की आयु तक के सभी बालयों के निए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपचार बरने वा निर्णय देता है।

अध्यापक की मूलिका (Role of Teachers) -

शिक्षा प्राप्त करना प्रजातात्प्रक भारत में किसी वर्ग विशेष का अधिकार नहीं है। राज्य सरकारी द्वारा प्रयोग्य माला में प्राथमिक शालाएँ इस गति में स्थापित की जा रही हैं जिसवा उद्देश्य भासाय कायंकर्ता की समता एवं योग्यता म वृद्धि करके राष्ट्रीय उत्पादन मे वृद्धि करना है। अत भिन्न भिन्न सामाजिक स्तरों से आए हुए बालक शिक्षा वा पूरा लाभ ले सकें और उत्तरदायी नागरिक यन मर्ये।

अध्यापक शाला मे विभिन्न प्रकार की आने वाली समस्याओं की पूर्ति हेतु अपना वक्तव्य समझकर निम्न बाय प्रभावशाली ढग से बोलेगा तो निश्चय ही धारा ४५ के प्रावधान की पूर्ति हो सकेगी-

- १ अध्यापक को चाहिए कि वे आधिक साधन, भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध करवाने हेतु जुटावे।
- २ 'स्कूल चलो अभियान' की प्रभातकेगी निकालकर अभिभावका से जनसम्पर्क करके छात्रों को शाला मे प्रवेश हेतु उत्प्रेरित करे।
- ३ आधिक बमजोरी के बारण अभिभावक छात्रों को नहीं भेजत उहें 'हीमो बमाओ' योजना को प्रारम्भ कर देना चाहिए।
- ४ जनता मे राष्ट्रीय चेतावा के लिए शिक्षा के महत्व पर प्रबाल अध्यापक द्वारा डालते रह।
- ५ पिछडे यारों मे राष्ट्रीय धारा से जोड़ने हेतु समाज बल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न सुविधाएँ प्रदान करवाने हुए छात्रों की आवश्यक आवश्यकाद्या की पूर्ति करवाये।
- ६ शाला पर्दि दूर है तो अध्यापक जी का छाका के लाने-लेजाने हेतु समाज के सहयोग से समुचित प्रबाध करना चाहिए।
- ७ प्राथमिक स्तर पर अध्यापक इतना अधिक सक्रिय रहे कि बारात की एक रोड़ की अनुपस्थिति को गम्भीरता से लें, और मॉनिटर-छात्रा द्वारा बारात की शाना म चुनवान वी व्यवस्था की जाय।

- ६ प्रपत्यय एवं अवरोधन, के प्रति भव्यापक अधिक सचेत रहे।
- ८ १४ वर्ष की अवस्था के बानिकाशों को जो रनिवारी व अशिभित अभिभावक नहीं भेजते हो उह राष्ट्रीय चेतना के आधार पर उत्त्रेगित करने हेतु व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित वर जालाशो में लाने वा मफत प्रयास अपेक्षित है।
- १० प्रायमित्र स्तर पर राज्य मरणार, वेद्वीय मरणार, यूनेस्को अथवा अन्य किसी भी स्थाया छाग मिलने वाली अधिकानम् मुविधाएः छात्रों को ही प्रदान करवाई जाय।

(२) सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से शिक्षा के अवसरों की समानता हेतु अल्पमरणकों वो संस्था की स्थापना व प्रशासन सम्बन्धी प्रावधान —

(Equality of Educational Opportunity as Social Justice)

भारतीय मविधान की प्रस्तावना में इस बाबा का विश्वाग दिलाया गया है कि प्रत्येक नागरिक को मामाजिक, आर्थिक पथा राजनीतिक न्याय प्रदान किया जायेगा। सविधान ने दुर्बल तथा पिछड़े खर्गों वी शिक्षा के लिए विशेष ध्यान रखा है। मविधान में इहा गया है— “अनुच्छेद २६ के मण्ड (२) वी दिनी बात में गज्य वो सामाजिक और शिक्षात्मक हिटि में पिछड़े हुए नागरिक बांगों वी उन्नति के निए या अनुमूल्चित जातिया और अनुमूल्चित आदिम जातियों के निए वोई विशेष उपबन्ध करते में बाधा न होगी।”

अनुच्छेद २६ (१) भारत-संघ म इन बाले नागरिकों के दिनी भी वर्गों को जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, या संस्कृति है, उमे बाये रखने का अधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य अल्प मरणाकों के हितों वो सुरक्षित बरना है। ऐसा वे अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति वो अपनी रूचि वी संस्थानों को स्थापित बरके ही सुरक्षित रख सकते हैं।

अनुच्छेद ३० (१) “सभी अल्पमरणकों वो चाहे वे भाषा वे आधार पर हों अथवा घर्म वे आधार पर, अपनी रूचि वी शिक्षक संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार हांगा।”

अनुच्छेद ३० द्वारा पलत्त अधिकार ‘नागरिकों और ‘अनागरिकों’ दोनों को प्राप्त है। परंतु अनुच्छेद २६ द्वारा प्रदत्त अधिकार केवल नागरिकों की ही प्राप्त है।

अनुच्छेद ३० (२) के अनुमार ‘राज्य शिक्षा-संस्थानों वो महायना

देने मे विसी विद्यालय के विषद् इस आधार पर विभेन न बरेगा कि वह धम व भाषा पर आधारित विसी अल्पसम्बन्धव के प्रबन्ध मे है ।

अनुच्छेद २६ (२) के अनुसार “राज्य द्वारा पोपित ग्रन्थवा राज्य निधि से सहायता पाने वाले विसी शिक्षा-मस्था मे प्रवेश पाने मे किसी भी नागरिक को देवन धर्म, मूलवेश, जाति, भाषा ग्रन्थवा दनम मे किसी भी आधार पर विद्या न दिया जायेगा ।”

अनुच्छेद २६ (२) द्वारा “शिक्षा-मस्थाप्त्रो मे प्रवेश पाने का अधिकार धक्कि को एक नागरिक के रूप मे प्राप्त है न यि समुदाय के सम्म मे है मे” ।२ उनाहरणाथ, यदि कोई स्कूल, जो अल्पसम्बन्धव द्वारा सचान्ति दिया जा रहा है राज्य निधि मे महायता प्राप्त बरना है तो उसमे अय ममुदाय के बच्चो को प्रवेश देने से इकार नही दिया जा बना है । न राज्य ही ऐसे स्कूलो को अपने ही समुदाय के तोगो के लिए प्रवेश को सीमित रखने के लिंदेश दे बना हैं, क्याकि ऐसा अनु० २६ (२) के विषद् है ।

राज्य द्वारा अल्प-सम्बन्धव शिक्षा-मस्थाप्त्रो वा अधिकार विनियमन से मुक्त नही है । जिस प्रकार अल्प-सम्बन्धव मस्थाप्त्रो के जैक्षणिक स्वरूप की बनाये रखने के लिए विनियमन बरने वाले उपाय जरूरी है, उसी प्रकार व्यवस्थित दशा तथा स्वस्थ्य प्रशासन / प्रशासन के अधिकार म कुप्रशासन का अधिकार नही है” ।३ ठीक इसी प्रकार अल्प सम्बन्धव सस्थाप्त्रो को शिक्षा बोड, या विश्वविद्यालय मे सम्बन्धधन (Affiliation) वा मूल अधिकार नही है । सस्था को सम्बन्धधन प्रदान बरने वाने बोड व विश्वविद्यालय की शर्तो के लिए रजामद होना पड़ेगा ।”^४

अध्यापक की भूमिका (Teacher's Role)

- (i) छात्रो के साथ समान व्यवहार किया जाय, चाहे के किसी भी जाति के बयो न हो ।
- (ii) अल्पसम्बन्धव छात्रो के प्रति अपेक्षाकृत अधिक मद् व्यवहार करें ।
- (iii) बहुसरयक व अल्पसम्बन्धव छात्रो के बीच आतत्व भावा का विकास करें ।

२ पाडे जयनारायण भारत का स्विधान प्र २८८ (जोसेफ पोमस बनाम केरल राज्य प आई आर १९५३ केरल ३३ भद्रास बनाम चम्पाकम दोरे राजन प आई आर १९५१ सु० को० २२६

३ लिलो कुरीयन बनाम सीनियर लेविना प आई आर १९७९ सु० को० ५२ ४ प आई आर (१९७३) ३ उम नि प ३५५

- (iv) शाला में शिक्षण सहगामी प्रवृत्तियों में अल्पसंख्यकों के छात्रों को उत्तरदायित्व प्रदान करना चाहिए ।
- (v) छात्रों को छात्रवृत्तियों को निष्पक्ष रूप से प्रदान किया जाव ।
- (vi) अल्पसंख्यक छात्र वे वेदन अहंता न रखने के कारण ही प्रवेश देने से इकार किया जाय ।
- (vii) अल्पसंख्यक संस्था में कायरत अध्यापक, अय समुदाय के लोगों को प्रवेश से इकार नहीं करे ।

(३) अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों तथा पिछड़े लोगों हेतु शिक्षा (Education of s c, s T and Backward Classes)

अनुच्छेद ४६ इस बात का आह्वान करता है कि राज्य जनता के दुबल वर्गों के, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा प्रनुसूचित आदिम जातियों को शिक्षा तथा अर्थ सम्बंधी हितों को विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करना तथा सामाजिक आयाय तथा सब प्रकार के शोषण से उनकी सरक्षा करना ।

अध्यापक की भूमिका (Teacher Role) -

- (i) अध्यापक को चाहिए कि अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को शाला के कार्यश्रम में विशिष्ट स्थान प्रदान किया जाय ।
 - (ii) कक्षा मौनिटर, खेलकूद आयोजन में कप्तान बनान, ऐन सी मी स्काउट आदि कायदमा में अडम स्थावर्क वैवल योग्यता एवं क्षमता के आधार पर ही प्रदान करे ।
 - (iii) अनुसूचित जाति के बालकों का मिलने वाली सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का सफल प्रयास करें ।
 - (iv) सहभोज आदि की व्यवस्था की जायजिसमें सभी जाति के साथ समान रूप से भागीदार रहे ।
 - (v) छात्रावास म मानवीय व भौतिक सुविधा सभी का समान आधार पर प्रदान की जाय ।
- (४) राज्य पोषित शिक्षण-संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना का प्रतियोगि -
- (Secularism in Govt Institutions)

अनुच्छेद २८ चार प्रकार की शक्तिक संस्थाओं का उल्लेख करता है

- (i) राज्य द्वारा पूरी तरह पोषित संस्थाएं,

- (ii) राज्य द्वारा मायता प्राप्त स्थान,
- (iii) राज्यनिधि संसाधनों की सहायता पाने वाली स्थानें,
- (iv) राज्य-प्रशासित विद्युति किमी धरमस्व या याग के अधीन स्थापित स्थानें।

न (१) की थेणी में आने वाली स्थानों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। न (२) और (३) की थेणी में आने वाली स्थानों में धार्मिक शिक्षाएँ दी जा सकती हैं बशत कि इसके लिए लोगों ने अपनी सम्मति दी दी है। न (४) की थेणी में आने वाली स्थानों में धार्मिक शिक्षा दन के बार में बोई प्रतिवेद रही है।

अध्यापक की भूमिका (Role of The Teachers) -

- (i) छाना का सभी घरों पर प्रति सम्मान की भावाएँ को विवरित तर धार्मिक सहिष्णुता विवरित चाहिए।
- (ii) अध्यापक का चाहिए कि यह छाना को सभी प्रमुख घरों में पाई जाने वाली समाजता के बार में पाए जाए।
- (iii) विभिन्न घरों के अनुगायियों के पूजामूल जान हरतु उत्प्रेरित करें।
- (iv) धर्म को सदय वत्तव्य से जाड़ने का प्रयत्न करें।
- (v) विभिन्न घरों की सुगुक्षिया तथा एक दूसरे में पाइ जाने वाली समाजता की ओर इग्निट करें।
- (vi) धर्म का व्यक्तिगत समझ एक दूसरे पर लादन का प्रयत्न न करें।
- (vii) अध्यापक किसी भी धर्म विशेष का अनुयायी हो सकता है। परतु छाना पर अपने धार्मिक विचारों को नहीं धारप।

(५) स्त्री-शिक्षा - (Women Education)

अस्तित्व के सघण में स्त्रियों की शारीरिक बनावट तथा उनके स्त्री जन्म का वाय उहे दुखद स्थिति में कर देते हैं। अत उनकी शारीरिक कुशलता वा सरक्षण जनहित का उद्देश्य हा जाता है जिससे जाति, शक्ति और निषु-णता को सुरक्षित रखा जा सके। अनुच्छेद १५ (३) में इस प्रकार विचार प्रस्तुत विद्या है— “स्त्रियों एवं बालकों के लिए विशेष प्रतिवधान रखा है, राज्य सरकारों द्वारा इस पर नियम बनाने का अधिकार है।”

अध्यापक की भूमिका - (Role of the teachers) -

- (i) अध्यापक व अध्यापिकाओं द्वारा चाहिए कि, छानाओं को अध्यनन हेतु प्रवेश लेने के लिए उत्प्रेरित वार।

- (ii) छात्राओं के साथ सहानुभूति रखें।
- (iii) छात्राओं में मुफ्त शिक्षा व्यवस्था के बारे में प्रचार करें।
- (iv) छात्राओं के अध्ययन के बारे में फले हुए अधिविश्वास को दूर करने का सफल प्रयास करें।
- (v) छात्राओं को मदौं के समाज गुणा, क्षमताएँ, लगन आदि के बारे में ज्ञान करते रहना चाहिए।

(६) भाषा संरक्षण सम्बन्धी प्रावधान :-

(Provision for Linguistic Safeguard)

भारत विभिन्न भाषाओं वाला गण्डू है जो राबगे विवाद वा विपय है। भारतीय संविधान वी अनुच्छेद ३५० में यहां गया है—‘किसी व्यवस्था के विवारण के लिए ग्रंथ या राज्य के किसी पदाधिकारी को यथा स्थिति सम में या राज्य में प्रवाग होने वाली किसी भाषा में प्रतिवेदन देने का प्रत्येक अधिकार होगा।’

अनुच्छेद ३५० (क) के अनुमार, ‘संविधान प्रत्येक राज्य पर यह कत्तव्य प्रारोपित करता है कि वह भाषा जाति अंपसन्ध्यक बग के बालकों को शिक्षा की प्रायमिक अवस्था में मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए पर्याप्त गुविधाएँ उपबोधित करें।’

अनुच्छेद २५० (ख) के अनुमार— भाषा जाति अल्पमत्यक बगों के लिए राष्ट्रपति एवं पदाधिकारी नियुक्त बरगा जा भाषाजाति अल्पसन्ध्यकों को दिये गये संरक्षणों से सम्बन्ध संबंधित विषयों का अनुग्रहान करेगा और उन विषयों के सम्बन्ध में, जसा कि राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति वा प्रतिवदा देगा।”

अध्यापक की मूलिका (Role of The Teacher) -

- (i) ग्रन्थापक वा चाहिए कि वे राष्ट्रभाषा वे महत्व पर प्रशास्त होने।
- (ii) राष्ट्रभाषा के बारे में उचित इटिकोण का विकास करते हेतु यागारा प्रदान करें।
- (iii) भाषा के धाराघार पर अलगावादी लागा में सचेत रहते हुए राष्ट्रभाषा की धावशयकता तथा महत्व के बारे में बताय।
- (iv) संस्था में अल्पमत्यक बालक शाला में शीत व बड़ा में पाठ धारा प्रध्यायनरत है तो उनकी भाषा में प्रध्यापन की अवस्था परे।

(७) राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास हेतु प्रायपान -

(Provision For Development Of National Education)

गप और राजभाषा हिन्दी और लिपि द्वारा गयी हाँगी, बिन्दु सप के राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयाग हाँगा वाते भाषा वा उन भारतीय भाषों का अतराष्ट्रीय रूप हाँगा। १३४(१) में इनी वाते के होते हुए भी नविधान के प्रारम्भ से १५ वर्ष की अवधि तक सप के राजकीय प्रयाग हाँगा के लिए अप्रेजी भाषा का प्रयाग विद्या जाता रहेगा। परन्तु उक्त शास्त्रावधि में भी राष्ट्रपति भादेश द्वारा सप के राजकीय वायी में से विसी के लिए अप्रेजी भाषा के साथ-साथ हिन्दी भाषा वा तथा भारतीय भाषा के अतराष्ट्रीय रूप के साथ-साथ द्वारा गयी भाषा वा एम प्रयोजन कर सकता है। इस अवधि के पश्चात भी रागा विधि द्वारा अप्रेजी भाषा वा एम प्रयोजन के लिए प्रयोग कर सकेगी विए एमी विधि में उल्लिखित है।^५

अनुच्छेद ३५१ के प्रायुसार हिन्दा भाषा की वृद्धि (प्रसार) करना, उसका विकास करना तात्त्व यह भारत की गामाजिक राष्ट्रियता के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो गये तथा उसकी गोलिकता में ऐस्तरेप किय जिन्हे हिन्दुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उत्तिवित अथ भारतीय भाषाओं के रूप, शक्ति और पदावली वो आत्मसात भरते हुए तथा जहाँ-ताँ भावश्यक वाद्यनीय हो वहाँ तब उसके शब्द-भण्डार के लिए मुख्यत रास्तिक से तक गोणुत अथ भाषाओं से शब्द प्रहण भरते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना सप का कर्तव्य होगा।

अध्यापक की मूलिका (Teacher's Role) -

- (i) हिन्दी दिवरा शाला में प्रतिवर्ष शूमधाम से गताया जाय।
- (ii) हिन्दी का प्रचार व प्रगार करना तथा हिन्दी राहिस्य की प्राज्ञनी लगायी जाय।
- (iii) हिन्दी में सच्चप्रतिष्ठ विवि, नाटकवार, सेयरा व चित्र शाला वी दिवारों पर लगाये जाय।
- (iv) हिन्दी भाषा में वाद-विवाद, निवाध प्रतियोगिता वा भाषोजन किया जाय।
- (v) भाषा अध्ययन में आने वाली समस्याओं के लिए त्रिवास्तक अनुशासन करना चाहिए और उपचार भी ढूँढते रहना चाहिए।

४ अनुच्छेद भारतीय संविधान ३४३ (१)

५ अनुच्छेद भारतीय संविधान ३४३ (३)

अध्यापक की भूमिका (Role of Teacher) -

- (i) प्राथमिक स्तर वी शानाधो में सभी वाय प्रादेशिक भाषाओं में सम्पन्न हो।
- (ii) पञ्च-व्यवहार हिन्दी में लिख जाय।
- (iii) हिन्दी भाषा या जनसमुदाय की भाषा में प्रतिलिपि बख्ते हुए अनिभावक व नामांकित गस्थाधो को विश्वास में ने।

(९) राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण सम्बन्धी प्रावधान -

यन्त्र० ४६ यह उपर्युक्त बताता है कि राज्य कलासंबंध या ऐतिहासिक प्रभित्व वाले प्रत्यक्ष स्मारक या स्थान या धर्म यी यथा स्थिति लुढ़न (Spoilation), विस्फैश (Disfigurement), विनाश, घटमारण (Removal), अपन अथवा निर्धारित संरक्षा बरना राज्य का आभार होगा।

अध्यापक की भूमिका (Role of The Teacher) -

राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण प्रदात बरने हेतु छात्रों को प्रशिक्षित किया जाय कि जब भी को व्यवहारिक जीवन में प्रवेश करें तो इनके प्रति आनंद भाव बराये रखें उनके लिए अध्यापक वा बृहत् ही तत्परता से भूमिका अन्न बरनी है—

- १ देश के भवनों के निर्माण व कलासंबंध द्वारा की प्रशंसा की जाये जैसे ताजमहल, लालबिला, जामा मस्जिद, आदि।
- २ ऐने प्राचीन स्मारक, विना आदि के बारे में छात्रों को पाठ दिया जाय।
- ३ ऐतिहासिक भवनों का अवलोकन बरने हेतु उपर्युक्त बारे।
- ४ जाना भवन में ऐसी इमारतों के रेयाचित्र व छाया वित्रों का प्रदर्शन छात्रों के सम्मुख विद्या जाय।
- ५ ऐसे ऐतिहासिक-भवन जो लुढ़क रहे हो, तो सम्बन्धित विभाग वो सूचित करे।
- ६ देश की दुर्भ वस्तु यदि नियान की जाती है तो उसक लिए सरकार के सम्मुख विरोध प्रदर्शन विद्या जाय।

केंद्रिय व राज्य सरकारे व संविधान संघ, राज्य व समवर्ती सूची - (Centre, State & Constitution)

भारतीय संविधान ने संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया है, जिसमें तीन सूचियां तयार की गई हैं। यह सूचियां तीन प्रकार की हैं संघ, राज्य एवं समवर्ती सूचियां हैं। यह सूचिया भारतीय मंविधान के ७ वे परिषिष्ट [धनुष्ठेद २४६] ने अतर्गत दर्गायी गई है। "६ संघ सूची पर केंद्र सरकार की, राज्य सूची में प्रत्यनि विषयों पर राज्य सरकारों द्वारा निर्माण का अधिकार है परन्तु केंद्र सरकार के द्वारा निमित्त कानून ही पाल्य नहीं होगे। इन सूचियों में प्रत्यनि सूचि के विषय जम्मू व कश्मीर पर जागू नहीं होगे।

(अ) संघ सूची (Union List)-

संघ सूची पर केंद्रिय समद कानून वा संघनी है परन्तु १३, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६ विषय शिक्षा से सम्बंधित है। शिक्षा के ८० छ विषयों को केंद्र सरकार अपन अधीन रख सकती है। ये हैं—

प्रविष्ट संघ्या २३—आनन्दराष्ट्रीय सम्मेलनों, सम्पथ आ तथा निकायों में भाग लेना तथा उनमें बिए गए निश्चयों की पूर्ती।

प्रविष्ट ६२—इस मंविधान के प्रारम्भ पर राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय, साम्राज्यिक युद्ध संग्रहालय, विटोरिया स्मारक, भारतीय युद्ध स्मारक नामों में ज्ञान मस्थायें तथा भारत सरकार द्वारा पूर्णत या अंशान्वय वित्तधोपित तथा मग्न में विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित तेमीं बोई ग्राम तदृप संस्था।

प्रविष्ट ६३—इस मंविधान के प्रारम्भ पर वाणी हिन्द विश्वविद्यालय अनीगढ़ मुहिन्दम विश्वविद्यालय और दिल्ली वि० वि० नामों में ज्ञान मस्थायें तथा मसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित बोई ग्राम मस्था।

प्रविष्ट संघ्या ६४—भारत सरकार द्वारा पूर्णत या अंशत वित्त घोषित तथा ससद से विधि द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व की मस्थाएं जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा से सम्बंधित हैं।

६ दिवान पारस व पैम राज्यपूत भारत का संविधान अग्रेजी संस्करण प्र ४५७

प्रविष्ट ६५-सभ अभिवरण की सम्यायें में जो (क) वृत्तिक, व्यवसायिक या शिल्प प्रशिक्षण, जिसके प्रतगत भारतीय पनाधिगारिया का प्रशिक्षण भी है के लिए है अथवा [ग] विशेष प्रध्ययनों या गवेषणा की उप्रति के लिए है अथवा (ग) अपग्रेड के अनुसंधान या पता चलाने में वैज्ञानिक या शिल्पक सहायता के लिए है ।

प्रविष्ट मन्या ६६-उच्च शिक्षा या गवेषणा की सम्यायों में वैज्ञानिक और शिल्पक सम्यायों में वैज्ञानिक और शिल्पक सम्यायों में एक सूचता नामा और माना या घोषित है ।

(ब) राज्य सूची (State List)-

इस सूची में ६६ विषयों पर राज्य मरकारों को कानून बनाने का अधिकार है जेविन जम्मू और कश्मीर पर नागू नहीं है । इसमें सभ सूची की प्रविष्ट ६३, ६४ ६५, ६६ तथा समवर्ती सूची की २४वें प्रविष्ट-२३ के उपवाद के अधीन रहते हुए शिक्षा, जिसके प्रतगत विश्वविद्यालय भी है ।

प्रविष्ट १२-राज्य के नियंत्रित या वित्तयोग्य पुस्तकालय, सप्रहालय या आय समतुल्य सम्याएँ (समद द्वारा निर्मित विधि के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय महत्व की घोषित)७ से भिन्न प्राचीन और ऐतिहासिक इमारत और अभिलेख ।

(स) समवर्ती सूची (Concurrent List)-

समवर्ती सूची में ४७ विषयों पर कानून बनाने की व्यवस्था की गई है । शिक्षा से सम्बंधित दो प्रविष्टियाँ इसी सूची में हैं-

(i) आर्थिक और सामाजिक योजना ।

(ii) अमिको का व्यवसायिक और शिल्पी प्रशिक्षण ।

शिक्षा मनालय द्वारा प्रकाशित पत्रिका "दी रोल आर्फ गवनमेण्ट भार्फ इण्डिया इन एजुकेशन" में शिक्षाविद श्री जे पी नायक ने, शिक्षा के इन कार्यों को दो भागों में विभक्त किया है—(१) प्रमुख (२) समवर्ती

(१) प्रमुख कार्य—इनके अंतर्गत (i) राष्ट्रालिक और सार्क्षिक

(ii) शिक्षा सबधी विचार और जानकारिया प्राप्त करना, (iii) सभ तथा राज्य के शिक्षा कार्यों में सहयोग स्थापित करना, (iv) राज्य क्षेत्र में शिक्षा ।

(२) समवर्ती कार्य—इसमें (i) वैज्ञानिक गवेषणा (ii) शिल्पक शिक्षा, (iii) हिंदी भाषा को समृद्धि भनाना और प्रचार करना, (iv) राष्ट्रीय

७ संविधान संशोधन (६ वा) एकट १९५६ एस २७ संसद द्वारा विधि के द्वारा घोषित ।

कला सहित राष्ट्रीय सस्कृति को बनाए रखना, (v) भाषा सरक्षण, (vi) विकलागों की शिक्षा, (vii) शैक्षिक अनुसंधान तथा राहग्रोग, (viii) अल्प मूल्यकों के सास्थितिक हितों की रक्षा, (ix) अनुसूचित व आदिम जाति के हितों की रक्षा, (x) राष्ट्रीय एकता, (xi) योग्य छात्रों का द्यात्र वर्तिया, (xii) उच्चतर व्यावसायिक प्रशिक्षण, (xiii) केंद्रीय शिक्षा संस्थाओं को चलाना, (xiv) चौदह वर्ष की आयु तक के बालकों के लिये नि शुल्क एवं सावभीम शिक्षा की व्यवस्था बरना शामिल है।

शिक्षा का केंद्रीयकरण हो या विकेन्द्रीयकरण ?

(Centralization or Decentralization of Education)

शिक्षा प्रणाली विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की अपनाइ गई है। इस ने केंद्रीयकरण तो अमेरिका ने विकेंद्रीयकरण वाय प्रणाली का अपनाया है। साधारणत सरद और विधान मण्डलों को सवधानिक शक्तिया के वितरण के दो दर्शक हैं प्रथम केंद्रीय शासन को निश्चित शक्तिया द्वारा योग्य राज्यों को। अमेरिका और आस्ट्रेलिया पहले प्रकार के उदाहरण हैं। दूसरी प्रणाली में राज्यों को निश्चित शक्तिया द्वारा योग्य केंद्रीय सरद वा द्यात्र द्वारा जाती है, जिसका उदाहरण बनादा है। केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण के मध्य एक सामजिक व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए। विटिश शिक्षा प्रणाली इन दोनों का सुन्दर याग है। भारत जसे राष्ट्र के लिए विकेंद्रीयकरण प्रणाली को अपनाने के पक्ष में भारतीय सविधान सभा भी रही है और व्यति एवं समष्टि को शिक्षा के क्षेत्र में बास बरने का अवसर प्रदाता बत्ता है। योजना आयोग भी शिक्षा के प्रसग में केंद्रीय सरकार वेवल समनात्मक वाय सम्पन्न बरनाने का पथधारी है। बोठारो वर्मीशा भी “बहुमान सवधानिय व्यवस्था में भी शिक्षा दोष में केंद्र-राज्य साम्रेदारी की पर्याप्त समावना है।” भारतीय गविष्यान न भी शिक्षा में विकेंद्रीयकरण का आदेश रखता है। सप्रूति समिनि ने १९६४ में प्रदत्त प्रतिवेदन में वेवल उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने की सिफारिश की थी। विकासित सब थी मौलाना आजाद, श्रीमानी, प्रो० हृष्माणू० द्वितीय, आदि सभी राज्य को शिक्षा सोन्पने के पक्ष में रहे हैं सेविन नजर रखने के पक्ष में रहे हैं। शिक्षा आयोग (बोठारी) शिक्षा को केंद्र और राज्यों की साम्रेदारी के पक्षधारी भी रहा है क्योंकि भारत जन सभीय सोक्तनात्मिक देश में कुछ उपमुक्त धेनों में तो केंद्रीयकरण बरना ठीक है और यह धोनों में, विकेन्द्रीयकरण बरना होगा।

सेविन दस में निरन्तर “शिक्षा में केंद्रीयकरण” “राष्ट्रीय नीति”

वी मांग जोर पालती जा रही है। विधिवेता थी एल एम सिंघवी एवं चांगला, डॉ लुत्ता आदि शिक्षा के व द्रीवरण में विश्वास करते हैं। थी चांगला न तो यहां तक कह ढाला कि “संविधान बात समय शिक्षा दो राज्य का विषय बनाना वी गलती वी गई है।”

शिक्षा काम्रेसी सरकार न समवर्ती-सूची म रखा लेखिन जनता भरकार ने इसे पुन राज्य सूची में डाल दिया। निष्पक्षरूप से निषय लेने से पूर्व केंद्रीवरण व विकेंद्रीवरण का शिक्षा प्रक्रिया वा अपनान में क्या-क्या लाभ हानिया है उसके बार में अध्ययन कर लिया जाना धाइन होगा—
शैक्षिक क्षेत्र में केंद्रीकरण को अपनाये जाने वाले पक्षधरों का तक—

- १ शिक्षा प्रणाली म एव स्वता लान हेतु
- २ सार राष्ट्र का दृष्टि म रवयवर याज्ञा वाया जा गवे,
- ३ ते द्री सरकार साधा सम्प्रता के फनस्वरूप परियाज्ञाए व प्रयोग आदि में रालता।
- ४ शैक्षिक प्रयत्ना एव प्रयोग म अधिक समवय लाया जा सकता है और विभिन्न धोनो म एव प्रभार प्रयोगो वो होने से रोजा जा सकता है।

शैक्षिक क्षेत्र में केंद्रीकरण न अपनाये जाने के पक्ष में तक—

- १ वेंद्रीकरण से छाटे छोटे बगों वा भाग लेना वा अवसर नही मिलता।
- २ दूर रित्त धोनो की ओर विसी वा ध्यान ही नही जायगा।
- ३ विकेंद्रीवरण से ही यत्तित्व वा विवास।
- ४ काय करने का अवसर सभी क्षेत्र के लोगो वा नही मिलता आदि।

शिक्षा के विकेंद्रीकरण के पक्षधारियो का तक—

- १ विकेंद्रीकरण स्वय ही प्रजातात्र वा आधार है।
- २ राष्ट्रीय व सामाजिक चेतना सभी धोनो विकेंद्रीवरण से सम्भव।
- ३ शिक्षा वे प्रति रुजान स्वेच्छा से पदा होगा।
- ४ स्थानीय लोगो द्वारा स्थानीय आवश्यकता अनुसार शिक्षा-प्रबन्ध सम्भव।
- ५ विभिन्न धोनो वे मूल्य व स्वस्कृति वी रक्षा सम्भव।

शिक्षा के विकेन्द्रीकरण के विपक्ष में तर्क -

- १ विकेन्द्रीकरण होने से विभिन्न शाक्षिक इकाइयों को प्रधिकारे प्रदान करन पर प्रबाध ठीक होने के फलस्वरूप शक्षिक प्रगति म बाधा पड़ सकती है।
- २ एक समान शिक्षा नीति समझ।
- ३ जातीयता, भाषावाद, सम्प्रदायवाद, धर्मशीलता एव सुकृचित मनोवृत्ति जो देश के अहित मे हो सकती है, बढ़ावा देता है।

उपसंहार(Conclusion) -

शिक्षा से सम्बद्धित प्रावधान को राजनीतिक व शिक्षाविद् दोना ने ही गम्भीरता से नही लिया है जिसका उदाहरण है कि ३५ वर्ष सविधान को लागू हो जाने के उपरात भी अनियाय शिक्षा के लक्ष्य पूरा नही कर पाये ता राष्ट्रभाषा का प्रतिष्ठित न होना। स्वतंत्रता भारत म अब भी समय रहते हुए शिक्षा का नियोजन तथा प्रशासन सविधान के आधार पर नही किया जायेगा तो सविधान निरथक आर निष्फल सिद्ध होगा। आज स्वतंत्रता के ३६ वर्षों के उपरात भी प्रभावशाली शिक्षा व्यवस्था मे परिवर्तन नही हुआ जिससे सामाजिक एव राष्ट्रीय चेतना वा विकास भी नगण्य सा हुआ है।

मुदालियर कमीशन (१९५३) कोठारी कमीशन (१९६४-६६) ने सविधान के प्रावधान के अनुरूप सजनात्मक सुभाव सरकार को प्रस्तुत किए, पर तु उनकी क्रियाविति नही हो पायी और शिक्षा द्वारा देश की प्रगति की आर बढ़ने की गति भी धीमी रही है जिसके कारण राष्ट्रीय व सामाजिक समस्याओं से पूरे राष्ट्र को झूमना पड़ रहा है। यदि शालाओं का संगठन व प्रबंध देश के नये मूल्यों व आशाओं के अनुरूप, सविधान के सूत्रों से भली भांति परिवर्तित हो रहे तो शिक्षा-क्षेत्र मे आ दोलन आ सकता है प्रतिष्फल सुयोग्य एव शिक्षित नागरिक प्राप्त होंगे। भारत का आधार प्रजातन्त्र है-तो प्रजातन्त्र की सफलता प्रभावशाली ढंग से सविधान की क्रियाविति पर निभर करती है, जो सामाजिक व राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के लिए प्ररणा का स्वोन है। शिक्षा के क्षेत्र म ता सविधान के सिद्धान्तों वा विचिष्ट स्थान है, क्योंकि सविधान ही शिक्षा प्रणाली का ज मदाता है और उपयुक्त शिक्षा प्रणाली सविधान व उसकी आशाओं को सबल करती है। इस महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वाह करना बहुत कुछ हमारे राष्ट्र निर्माता शिक्षक पर निभर करेगा जिससे निरन्तर भावी पीढ़ी के साथ क्रियाशील रहने की प्राप्ता भी जाती है।

मूल्यांकन (Evaluation)

[अ] लघूत्तरात्मक प्रश्न -

- १ समुदाय के कमज़ोर वर्गों के लिए भारतीय संविधान में शिक्षा सम्बंधी प्रावधान लिखिये ? [राज० १६८५]
- २ प्राथमिक शिक्षा के सावजनीकरण के सन्दर्भ में अपेक्षाकृत शिक्षा की तुलना में अनोपचारिक शिक्षा पढ़ति की अपेक्षा सिद्ध बरत के उद्देश्य से पाच तक प्रस्तुत कीजिये ? [राज० पश्चाचार १६८४]
- ३ शिक्षा को राज्य सूची की बजाय समवर्ती सूची में रखे जाने के लिए अपने उक्त कीजिए ?
- ४ अल्प संख्यकों के बारे में संविधान में क्या प्रावधान रखया है ?
- ५ "संविधान में शिक्षा सम्बंधी प्रावधान संघीय शासन प्रणाली की इटि से ठीक है।" स्पष्ट करें ?
- ६ भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बारे में क्या प्रावधान रखता है ?

(ब) निवेद्यनात्मक प्रश्न -

- १ शिक्षा के लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है ? समुदाय के कमज़ोर वर्गों की शिक्षा की प्रगति के लिए क्या सावधानियाँ हैं ? [राज० १६८४]
- २ हम जनताओं के समाजदाद' के प्रति रामपित होने तथा शिक्षा गुविधाओं के व्यापक फलाव के उपरान्त भी अमीरों व गरीबों की शिक्षा में भारी अंतर देखते हैं। विवेचन कीजिए। [राज० पश्चाचार १६८४]
- ३ "अनिवाय शिक्षा के प्रसार की समस्या अब मुख्यतया पिछडे वर्गों की शिक्षा की समस्या है।" इस कथन की विवेचना कीजिए। इन वर्गों में शिक्षा प्रसार के लिए उपाय सुझाइये। [राज० १६८३]
- ४ वस्त्रान् सवधानिक प्रावधानों के अंतर्गत केंद्रीय व राज्य सरकारों ने विविध स्तरों पर शक्तिकूप सरसारा की समानता लाने के लिये अब तक क्या कदम उठाये हैं ? उन कदमों की ओर सकेत कीजिये जो समुदाय के कमज़ोर वर्गों के लाभ के लिये विशेष रूप से उठाये गये हैं।
- ५ क्या आप शिक्षा के केंद्रीयकरण के पक्ष में हैं या विकेंद्रीकरण के ? विवेचन करें।

अध्याय १४

राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता

(National & Emotional Integration)

(रूपरेसा-प्रस्तावना राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता राष्ट्रीय एकता के विघटनकारी कारक एकता बनाये रखने के कारक राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता की आवश्यकता राष्ट्रीय एकता का सम्प्रत्य भावात्मक एकता का सम्प्रत्य शिक्षा व राष्ट्रीय एकता अध्यापक का उत्तरदायित्व अभिभावकों का उत्तरदायित्व विभिन्न समितियों की सिफारिशों विशेष सुझाव छात्रों में राष्ट्रीय व भावात्मक एकता के विकास हेतु अध्यापक की भूमिका उपस्थान मूल्याकन)

प्रस्तावना

राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता का शिक्षा से गहरा सम्बन्ध है—इसके विकास की दिशा में शिक्षा का सर्वोत्तम योग होता है। चाहे कितना ही अच्छा पाठ्यक्रम हो, चाहे कितनी ही अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाय पर तु यदि अध्यापक इस ओर उन्नासीन रहता है तो सारा प्रयास व्यर्थ हो जायेगा। अत अध्यापक वो विद्यार्थियों के ममक्ष विसी भी तथ्य को बगर विसी पूर्वाप्रिह के छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए ताकि छात्र स्वय के विवेक व वजानिव दृष्टिकोण से अपनी राय स्थापित करने का सफल प्रयास कर सके। अध्यापक के आचरण और शिक्षण व्यवस्था का छात्रों पर परोक्ष व अपरोक्ष रूप से गहरा प्रभाव पड़ता है। अत उह सबीए वनोवति की भावना से दूर रखकर ऐसे काय करने चाहिए जिससे इस दिशा म सुधार हो सके सम्पूर्ण देश के प्रति अपनत्व की भावना का विकास विद्यार्थियों मे होना आवश्यक है, जो केवल अध्यापक द्वारा ही सम्भव है। उनमे एसी भावना भरी जावे कि वे समूचे देश को ही अपनी धाती या निधि समझ। देश के किसी भी एक भाग या प्रात पर आई हुइ कठिनाई या विपति वो वे अपनी बढ़ि नाई या विपति अनुभव करे। रवींद्रनाथ टेगोर ने ठीक ही विचार रखमे हैं—

"सबसे प्रथम दैश के व्यक्तियों में मातृभूमि के लिये भक्ति की भावना उत्पन्न करना चाहिये। शेष बाय तो इसके उपरात भी किये जाए सकते हैं।" प्रथ वदेद में—"अहस्तिम सहमान उत्तरोनाम् मूम्याम्। अभीया इस्मि विश्वापाद शायाशा विषमहि।"^१ अर्थात् मैं अपनी मातृभूमि के लिए और उसके दुख को दूर करने के लिए सब प्रकार के वषट् सहने यों तैयार हूँ। वे वषट् चाहे जिस ओर से और चाहे जिस समय में आयें, चिता नहीं।

गत दो दशकों में चीन व पाकिस्तान के द्वारा भारत पर आक्रमण हुए, उस वक्त सारे देशवासी भावात्मक एव राष्ट्रीय रूप में एक हो गये चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, सम्प्रदाय व प्राति वे क्यों न थे। बेवल इतने मात्र से ही हमारा कार्य समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि जहाँ चीन और पाकिस्तान के आक्रमणों के समय की बात हम बरते हैं वह हम हाल ही में प्रतीत, भाषा आदि विषयक विघटनकारी शक्तियों के त्रियाशीलता की बात वी उपेक्षा भी नहीं कर सकते। बतमान में भी असम, पजाब वा उग्रवादी आदोलन, महा राष्ट्र के साम्प्रदायिक दगा एव गुजरात का आरक्षण आदोलन भावात्मक एकता वे लिए गम्भीर चुनौति राष्ट्र के सामने हैं। जगह जगह तोहफ-कोह, राष्ट्रीय सम्पत्ति की क्षति, बम्ब विस्फोटक प्रवृत्तिया, एक धर्म व जाति के लोग दूसरे धर्म व जाति के निर्दोष लोगों को मौत वे घाट उतारना, विदेशी राष्ट्रों के लिए जासूसी करना आदि भावात्मक एकता के लिये राष्ट्रीय चिता का गम्भीर मामला है। ३० सम्मूलान्तिद के विचार भी है कि "देश में एकता और यह एकीकृत रहेगा भी चाहे इसके विवासिया में कितनी ही विभिन्नताये क्यों न पाई जाये।" यद्यपि भारतीय सत्कृति की प्रमुख विशेषता 'विभिन्नताओं में एकता', सविधान में समानता, स्वतंत्रता, मातृत्व की भावना प्रथम निरपेक्षता, मूलमूल आधार है फिर भी देश राष्ट्रीय एकता एव भावात्मक समस्याओं से ग्रापित है। अत शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों का पुनीत कर्तव्य है कि वे देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये राष्ट्रीय एव भावात्मक एकता की बात को अपनी दृष्टि से धोखल न होने दें। "हमारा इतिहास प्रमाण है कि अपनी चुरी शिक्षा पढ़ति से किसी राष्ट्र का वितना भला और बुरा हुआ है। गलत शिक्षा पढ़ति का दुस्परिणाम ही आज हम लोग भोग रहे हैं।"^२ अत देश की विकट परिचयति को दृष्टि में रखते हुए शिखण्

१ अद्यवदेद १२ १ ५४

२ रामेश्वदलल दुवे भावात्मक एकता के लिए शिक्षा -साहित्य परिचय शिक्षा और राष्ट्रीय एकता विशेषांक पृ १७७।

सत्याग्रहों में अध्ययनरत भावी नागरिकों में अध्ययन-अध्यापन वे माध्यम से राष्ट्रीय तथा भावात्मक एकता के सम्बार ढाले जाये, जिसकी अत्यंत आवश्यकता भनुभव होने लगी है ताकि राष्ट्रीय सामाजिक, आर्थिक उन्नति, सहृदयता का विकास करते हुए एकता स्थापित भी जा सके। “यह तभी सम्भव है जब शिक्षक और शिक्षा वस्तु लोगों वा उद्देश्य एक ही हो—देश वी भावात्मक और राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति।”^३

राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता की आवश्यकता — (Need of National & Emotional Integration) भारत एक विशाल देश है। यहाँ विभिन्न जातियाँ, भाषा, बोलियाँ सम्प्रदाय व पम के लोग निवास करते हैं भारत का बैंड बिन्दु ‘धम’ है। धम और सम्प्रदाय को आधार बनाकर यहाँ कही भी और कभी भी अशान्ति पदा की जाकर देश की एकता वो सतरा पंदा किया जा सकता है। देश को विदेशी ताकतों से जितना खतरा हो सकता है उत्तम ही आनंदिक शक्तिया देश को विघटा करने में कभी नहीं रखते, जिसके लिये हमें अत्यधिक सचेत रहने की आवश्यकता है अत राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता हेतु लोगों वो विस्तृत व वजानिक दर्शि-कोण का विकास चाहिए है।

इसी प्रसঙ्ग में प० नेहरू ने कहा—“हमें सीमित सर्वीण प्रातीय, सम्प्रदायिक एवं जातिगत भावना मन में नहीं रखनी है क्योंकि हमें बहुत बड़े उद्देश्य को प्राप्त करना है। हमें भारतीय गणतान्त्र के नागरिक होने के नाते खड़े होना है, आकाश को आगे पीछे दखना है, हमें अपने कदमों को धरती पर मजबूती से जमाना है एवं एकता को भारतीय जनता में उत्पन्न करना है। राजनतिक एकता तो किसी सीमा तक प्राप्त हो चुकी है, परंतु मैं जिस तथ्य के पीछे हूँ, वह इससे कुछ अधिक गहरा है अर्थात् वह हैं देश के लोगों वा भावात्मक रूप से एवं होना।”^४

हम देश के सभी वर्गों में एकता व भावात्मक सहसम्बन्ध स्थापित करने के पीछे उद्देश्य है — (i) भारत को एवं सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरना। (ii) सविधान, राष्ट्रीय भृष्टे व राष्ट्रीय प्रतीक के प्रति प्रेम पंदा करना। (iii) देश में शान्ति प्रीम, व धृत्व व सहयोग की भावना का विकास। (iv) प्रजातात्त्वात्मक जीवन दशन और प्रशासन प्रवृत्तियों के विकास हेतु। (v) विज्ञान व तकनीकी प्रगति हेतु सभी भारतीय एक जुट होकर

^३ प्रभाकरसिंह भावात्मक और राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा वही पृ ८१।

^४ जवाहर लाल नेहरू भाग ३ पृ ३५।

विकास मे सभागी बन सके । (vi) राष्ट्रीय भाषा, साहित्य, संकृति व परम्पराओ का विकास । (vii) स्वतंत्रता को भाव न आने देना । (viii) आतंरीक व बाहरी शक्तिया जो देश का विघटन चाहती है उनसे रक्षा करना । (ix) विश्व वापुरुष की भावना पैदाकर विश्वन्समाज मे योगदान देना । (x) धर्म, सम्प्रदाय के धाधार पर होने वाले द्वाद को समाप्त करना ।

राष्ट्रीय एकता के विघटनकारी कारक (Disintegrating Factors of National Integration) राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता के मांग मे अनेक बाधाय है । कुछ तत्व समय-समय पर हिमा भड़काते हैं, राष्ट्रीय सम्पत्ति और राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुचाने मे बोई सकोच नही बरते, जिससे राष्ट्रीय एकता को निरातर गम्भीर खतरा उत्पन्न हो जाता है तथा राष्ट्रीय प्रगति अवृद्ध हो जाती है । प्रमुख विघटनकारी कारक निम्नलिखित है -

(१) साम्प्रदायिकता -सदियो से एक साथ रहने वाले विभिन्न धर्मों के नोग प्राय एक दूसरे के त्यौहारों व उत्सवो मे भाग लेते हैं परन्तु वभी वभी कु स्वीए व चतुर लोग अपने निहित स्वार्थों वी पूर्ति के लिए साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न वर भगडे बरा देते हैं । नरिणाम होता है हिंसा, आगजनी और वप्यु आदि । राजनीतिक लाभ के नटिकोए से ही प्राय ऐ भगडे होते हैं । १६४७ मे हमारे देश का विभाजन भी साम्प्रदायिक भाषाएं पर हुआ और जिसके पीछे अप्रेजो की कुट्टनीति वा सफल प्रयास था ।

(२) जातिवाद -जातिवाद आजकल हर जगह दटिगोचर होता है, चाहे विद्यालय हो, कायलिय अथवा राजनीतिक, रणनीति । बोट की राजनीति मे जाति प्रमुख आधार भारतीय राजनीति मे रही है । प्रवेश, नौकरी, पदों-प्रति एवं राजनीतिक अधिकार सभी मे जातीय पदापात होता है इससे लोगों मे घणा और मनमुटाव के भाव जाम लेते हैं । अनुसृचित जातिया, जन-जातिया तथा आन्विकासिया के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरो मे भार क्षण से उहे लाभ हुआ है परन्तु आय वर्गो मे इनके विरुद्ध प्रतिक्रिया से हुई है जिसका जबलत उनाहरण -“आरक्षण आदोलन” । अहमदाबाद व गुजरात के दगे है । व्यक्तियो को जातिवाद से ऊपर उठाकर वत्थ्य परायण बनाने पर धल दिया जाना चाहिये ।

(३) प्रातीयता -भारत मे अधिकाश लोग अपने को बगानी, गुजराती, राजस्थानी आदि मानते हैं, भारतीय नहीं जबकि सविधान मे एवं हरी नामरिकता की व्यवस्था है । प्रत्येक अपने प्रदेश को सुविधाएं अधिक देना चाहते हैं । चाहे शिक्षण मस्थाप्तो का या उच्चोग धर्मों की स्थापना का प्रस

हो। अन्य प्रान्त के लोगों को प्रवैश व सेवा हतु प्रतिबिधित वर रखा है। यह राष्ट्रीय एकता के लिए बड़ा ही घातक है। आज प्रातीय स्वायतता की मांग होने लगी है अत केंद्र राज्य सम्बंधों को पुनर्परिमार्जित करने के लिए भायोग गठित किया गया है।

(४) क्षेत्रीयता—क्षेत्रीयता की भावना एवं अन्य बड़ी समस्या है। क्षेत्रीयता की भावना के पीछे भाषा का प्रयोग और क्षेत्र के प्रदेश का आर्थिक विकास है। यह कभी प्रदेश की सीमा निर्धारण, कभी स्वतंत्र राज्य की मांग, कभी जल विवाद, कभी उत्तर दक्षिण विवाद के रूप में सामने आते हैं। बगाल, विहार, मध्य प्रदेश, प्रथम भेदालय, पंजाब हरियाणा विभाजन और वत्तमान में अवाली आदोलन, चण्डीगढ़ विवाद इसी श्रेणी के अत्यंत ग्रातंगत आते हैं।

(५) भाषावाद,—संविधान की घारा ३४३ म हिंदी को राष्ट्रभाषा तथा देवनागरी लिपि को लिपि के रूप में मान्यता दी गई परतु दक्षिण भारत म अब तक भी हिंदी का विरोध प्रयत्नित रूप में विद्यमान है। हमारे राष्ट्र की कोई भारतीय भाषा राष्ट्रभाषा न हो तथा भाषा के आधार पर प्रातों का पुनर्गठित हो तथा वे पूर्ण स्वायतता प्राप्त हो, राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से सब्दा अनुचित है। ऐसे म्योर वा कथन है कि “किसी राष्ट्र को बनाने में जाति की अपेक्षा भाषा वा आर्थिक प्रभाव होता है। सब साधारण के लिए एक भाषा का होना एकता का प्रबल तत्व है, जितु विभिन्न भाषाएं हुई तो विभाजन की स्थितिया उत्पन्न हो सकती है।” अत हिंदी सम्बन्धी भाषा हानी चाहिये।

(६) आर्थिक स्थिति एवं युवकों का निराशपूर्ण दृष्टिकोण—दशवासियों की आर्थिक दशा भी राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करती है। अधिकांश विद्यार्थी अध्ययन समाप्त करने के उपरात नोकरी चाहते हैं और कोई रोजगार सुलभ न होने की विधति में निराश होकर अनुशासनहीनता की प्रोत्तर अप्रसर होत है। ऐसे निराश युवक समाज विरोधी एवं राष्ट्रविरोधी तत्वों के चगुल में सरलता से आ जाते हैं। कुछ प्रतिभाएं विदशों को पता यन करती जा रही है। अत देश की आवश्यकताओं और प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या में सातुलन स्थापित किया जावे, सभी को उनकी योग्यता व क्षमता के अनुसार उपयुक्त काम के सुग्रावसर प्रदान करने से युवकों का व्यक्तिगत सन्तुलित रहेगा और राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ हो सकेगी।

(७) दोपूरण शिक्षा प्रणाली—हमारी मौसिक आवश्यकताओं में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् परिवर्तन हुआ है अत शिक्षा नीति म भी उही के अनुरूप परिवर्तन होना चाहिए था, परन्तु हमारा शिक्षिक-दाचा जसा स्वतंत्रता से पूर्व था, लगभग बसा ही आज है। हमारी शिक्षा पद्धति हमारे व्यक्तित्व का पूरण विकास नहीं करती, योग्य नागरिक एव राष्ट्रीय एकता के भाव उत्पन्न नहीं करती, परिणामत राष्ट्रीय समृद्धि, एकता और उपयोगी नागरिक उत्पन्न नहीं हो रहे हैं।

(८) आदर्श विहीनता—ग्राज राष्ट्र के युवकों के समूल कोई आदर्श नहीं है। वे हर दोनों म व्यक्तिगत लाभ को प्रमुखता व राष्ट्रीय हित की उपक्षा होते देखते हैं। आदर्श के नाम पर उनके समक्ष राजनेता या अधिनेता है जिनकी करनी व कथनी म अतार है, तथा जो समाज दिशाने म रावंथा अक्षम है। वाप्रेस समाज सेवा अपना ध्येय मानती थी। ऐसे वग को गांधीजी ने स्वयं सेवक नाम रखा। समूचे राष्ट्र को एक सून मे बाधन और इसके अच्छी दशा मे दखन क आदर्श की आवश्यकता है।

(९) विदेश भक्ति एव विदेशी धन—कुछ तिहित स्वार्थी व्यक्ति, सत्याए एव देश भारत की समृद्धि नहीं नाहते हैं। अत वे अनुचित तरीकों से विदेशी धन भारत मे लाकर कुछ समाज विरोधी एव राष्ट्र विरोधी तत्वों के माध्यम से देश म उचल पुरुष बराने वा सफल प्रयास करते हैं। यह धन धम परिवर्तन, राम्प्रणायिक भगडो, जासूसी वार्यों आदि मे काम तिया जाता है। वतमान मे जासूसी काण्ड वा जा भण्डा फोड हुआ है वह हमारी आखे सोल देने वाला है।

(१०) भारतीय सस्कृति के प्रति प्रेम का अभाव—हम भैपनो सस्कृति से कोई लगाव नहीं है वयाकि शासन म नियुक्त उच्च पदों व सरकारी नोकरियों मे कही भी सस्कृति से प्रेम की बोई आवश्यकता नहीं, न ही सस्कृति वा जान हमारे लिए कही अनिवाय है। हम सारी नतिवता, मानवता एव शिष्टाचारों को तिलाज्जलि देकर भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं जो राष्ट्रीय एकता मे बाधक सिद्ध हो रही है।

(११) राजनीतिक स्वाध्यपरता—देश मे अनेक राजनीतिक दल हैं। उनमे कुसी के लिए द्वाद रहता है न की राष्ट्रीय सेवा। पद प्राप्ति के लिए दल बदलते हैं, यद्यति (अब दलबदल पर पावधि है) जिससे जनता जनादन वा राजनेताओं से विश्वास उठता जा रहा है और निरतर भ्रस्तोपी बनते जा रहे हैं जो दश के अहित म है।

एकता बनाये रखने के कारक (Unifying Factors)–

सब विदित हैं भारत विभिन्नताओं को लिए हुए राष्ट्र है परंतु सामायत भारतीयता^१ को महसूस करते हैं। भारतीय समृद्धि को विश्वविविदीय ने स्पष्ट किया—“भारतीय समृद्धि पूरण विकसित क्मल है जिसकी प्रत्येक पखुड़ी में विविध गध प्रवाहित होती है, यदि एक पखुड़ी नष्ट कर दी जाती है या अविकसित रह जाती है तो पुष्प का समग्र सौदय पूरणत, प्रकाशित नहीं हो पाता।”

यद्यपि एकता में बाधा डालन वाले तत्व प्रचुर मात्रा में हैं फिर भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमें भारत की एकता में बाधकर एक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करता है। डॉ एल डी शुक्ला ने कुछ ऐसे तत्वों का वरण किया है, जो निम्न हैं—

- १ गोरखमय इनिहास, समृद्धि और उमरती हुई ‘मूल्य-व्यवस्था’।
- २ देश का द्रूत गति से आर्थिक विवास।
- ३ देश का उद्योगिक विकास।
- ४ शिक्षा तथा बोध का विकास।
- ५ विज्ञा व तकनीक का प्रभाव।
- ६ नागरिकों में बढ़ती हुई परिवतनशीलता (Mobility)
- ७ सामाजिक व क्षेत्रीयता में ग्रसमानता को समाप्त करने के प्रयास।
- ८ याजना व विकासावधि अखिल भारतीय स्तर पर उपागम।

राष्ट्रीय एकता (National Integration)—सभी प्रकार के लोगों को ऐसे ढग से एकीकृत कर के यह विचार हृदयगम करवाया जाय कि वे एक ही राष्ट्र के अपने आपको समझें। “जब किसी भी राष्ट्र के निवासी भावात्मक रूप से एक हो जाते हैं तब उनमें राष्ट्रीय प्रगति के लिए सकुचित हितों एवं निजी स्वार्थों को त्यागने की वृत्ति का विवास हाता है। राष्ट्र की समस्त मूमि स प्रेम होता है। अर्थात् समूचे राष्ट्र के हिंा का ध्यान में रखना ही राष्ट्रीय एकता है।”^१ दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय एकता एक ऐसा विचार है जो यह इगत करता है कि एक राष्ट्र भूमध्य देश के रहने वाले परस्पर सद्भावना रखते हैं चाहे वे भिन्न भिन्न जाति, धर्म, प्रान्त, सम्प्रदाय

^१ Education Commission, Education & National Development
Delhi 1966

(७) दोपपुराण शिक्षा प्रणाली—हमारी मौलिक प्रावश्यकताओं में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् परिवर्तन हुआ है अत शिक्षा नीति में भी उही के अनुरूप परिवर्तन होना चाहिए था, परंतु हमारा शक्तिक-ढाचा जसा स्वतंत्रता से पूछ था, लगभग वसा ही आज है। हमारी शिक्षा पद्धति हमारे व्यक्तित्व का पूरण विकास नहीं करती, योग्य नागरिक एवं राष्ट्रीय एकता के भाव उत्पन्न नहीं करती, परिणामत राष्ट्रीय समृद्धि, एकता और उपयोगी नागरिक उत्पन्न नहीं हो रहे हैं।

(८) आदर्श विहीनता—आज राष्ट्र के युवकों के सम्मुख कोई आदर्श नहीं है। वे हर क्षेत्र में व्यक्तिगत लाभ को प्रमुखता व राष्ट्रीय हित की उपक्षा होते देखते हैं। आदर्श के नाम पर उनके समक्ष राजनेता या अभिनेता हैं जिनकी करनी व क्यनी में अतर है, तथा जो समाज दिखाने में सबथा ग्रक्षम है। वाप्रेस समाज सदा अपना ध्येय मानती थी। ऐस वह को गांधीजी ने स्वयं सेवक नाम रखा। समूचे राष्ट्र को एक सूत्र में बाधन और इसके अच्छी दशा में देखने के आदर्श की आवश्यकता है।

(९) विदेश भक्ति एवं विदेशी धन—कुछ निहित स्वार्थी व्यक्ति, गस्त्याए एवं देश भारत की समृद्धि नहीं चाहते हैं। भ्रत वे अनुचित तरीकों से विदेशी धन भारत में लाकर कुछ समाज विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों के माध्यम से देश में उचल पुर्यस कराने वा सफल प्रयास करते हैं। यह धन धम परिवर्तन, साम्राज्यिक भगड़ो, जासूसी वायों आदि में काम लिया जाता है। वर्तमान में जासूसी झाँड का जा भण्डा फोड हुआ है वह हमारी प्रादेशी खोल देने वाला है।

(१०) भारतीय सस्तृति के प्रति प्रेम का अभाव—हम प्रेमनी सस्तृति से कोई लगाव नहीं है क्योंकि शायतन में नियुक्ति उच्च पदों व सरकारी नौकरियों में कही भी सस्तृति से प्रेम की कोई आवश्यकता नहीं, न ही सस्तृति का ज्ञान हमारे लिए कही अनिवाय है। हम सारी नतिकता, मानवता एवं शिष्टाचारों को तिलाज्जलि देकर भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं जो राष्ट्रीय एकता में बाधक सिद्ध हो रही है।

(११) राजनीतिक स्वाथपरता—देश में अनेक राजनीतिक दल हैं। उनमें कुर्सी के लिए छाप रहता है त की राष्ट्रीय सेवा। पद प्राप्ति के लिए दल बदलते हैं, यद्यति (अब दलबदल पर पावधि है) जिससे जनता जनादेन या राजनेताओं से विश्वास उठता जा रहा है और निरन्तर भ्रस्तोषी बनते जा रहे हैं जो देश के अहित में हैं।

एकता बनाये रखने के कारक (Unifying Factors) —

सब विदित हैं भारत विभिन्नताओं को लिए हुए राष्ट्र है परंतु सामान्यता 'भारतीयता' को महसूस करत है। भारतीय समृद्धि को विश्वकवि टेलर ने स्पष्ट किया—“भारतीय समृद्धि पूरण विकसित कमल है जिसकी प्रत्येक पखुड़ी में विविध गंध प्रवाहित होती है, यदि एक पखुड़ी नष्ट कर दी जाती है या अविकसित रह जाती है तो पुष्प का समग्र सौदम्य पूरणत, प्रकाशित नहीं हो पाता।”

यद्यपि एकता में बाधा डालने वाले तत्व प्रचुर मात्रा में हैं फिर भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमें भारत को एकता में बाधकर एक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करता है। डा० एल टी शुक्ला ने कुछ ऐसे तत्वों का वर्णन किया है, जो निम्न हैं—

- १ गौरवमय इतिहास, समृद्धि और उभरती हुई 'मूल्य व्यवस्था'।
- २ देश का द्रुत गति से आर्थिक विकास।
- ३ देश का उद्योगिक विकास।
- ४ शिक्षा तथा बोध वा विकास।
- ५ विज्ञान व तकनीक का प्रभाव।
- ६ नागरिकों में बढ़ती हुई परिवर्तनशीलता (Mobility)
- ७ सामाजिक व क्षेत्रीयता में असमानता को समाप्त करने के प्रयास।
- ८ योजना व विकासोद्धारण-अदिल भारतीय स्तर पर उपागम।

राष्ट्रीय एकता (National Integration)— सभी प्रकार के लोगों को ऐसे ढंग से एकीकृत कर के यह विचार हृदयगम करवाया जाय कि वे एक ही राष्ट्र के अपने आपको समझें। “जब किसी भी राष्ट्र के निवासी भावात्मक रूप से एक हो जाते हैं तब उनमें राष्ट्रीय प्रगति के लिए सकुचित हितों एवं निजी स्वार्थों को त्यागने की वृत्ति का विकास होता है। राष्ट्र की समस्त भूमि स प्रेम होता है। अर्थात् समूचे राष्ट्र के हितों का ध्यान में रखना ही राष्ट्रीय एकता है।”^१ दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय एकता एक ऐसा विचार है जो यह इंगित करता है कि एक राष्ट्र अथवा देश के रहने वाले परस्पर सद्भावना रखते हैं जाहे ये भिन्न भिन्न जाति, धर्म, ग्रान्ति, सम्प्रदाय

^१ Education Commission, Education & National Development
Delhi 1966

य तिग के क्यों न हो । ये सभी मिल जुल कर देश की उन्नति, सुरक्षा एवं
वल्याण के लिए सत्रिय रहते हैं । उनमें देश प्रेम का स्तर ऊचा हाता है
उनमें एकीकरण हीता है । ब्रुबाचर (Brubacher) के अनुसार—“राष्ट्रवाद”
एक ऐसा शब्द है जो पुनर्स्थान वाल और विशेषतः फासीसी ग्राहित के बाद
प्रयोग म आने लगा है । यह सामाजिक देशभक्ति की अपेक्षा निष्ठा के एक
व्यापक क्षेत्र की ओर सकेत करता है । राष्ट्रवाद रथानगत सम्बंधों के भ्रति
रिक्त प्रजाति, भाषा, इतिहास, संस्कृति और परम्परा जसे सम्बंधों के द्वारा
प्रदर्शित होता है ।^२ समिति होने का आशय बठोरता से नहीं बल्कि
राष्ट्रीय हित म विश्वास म समिति होने स है । गह अस्तित्व, सहनशीलता,
सहयोग व एकीकरण आदि राष्ट्रीय एकता के मूलभूत भाधार हैं । भावात्मक
एकता राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है ही । ग्रातांगत्वा जिसका उद्देश्य-

१ एकता को बायम बरना, २ राष्ट्र की सामाजिक
एवं आर्थिक उन्नति म सहायक होना, ३ विभिन्न वर्गों की सहस्रति का विकास
बरते हुए राष्ट्रीय जीवन को समृद्ध बनाना, ४ विभिन्न वर्गों की द्विप्रभिन्न
होने की वृत्ति को रोकना ।^३

**राष्ट्रीय व भावात्मक एकता का समर्पण—(Concast of National &
Emotional Integration)**—भावात्मक एकता का सात्त्वय है जि दिल और
दिमाग को इस ढंग से प्रशिद्धि किया जाय जिसके फलस्वरूप सारे देशवासी
विना लिंग जाति व सम्प्रदाय सभी एक समझने हेतु उन्नेश्वरित किए जाय ।
जब भी राष्ट्रीय हित के प्रकरण को उठाया जाय उस बक्त अपने ध्यतिगत,
सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक साम्प्रदायिक मत भेद को मुलाकर राष्ट्रीय
हित की समूति हेतु सबथ समर्पित की भावना बन सके । ग्राहित “सभी
समूहों म समस्त मतभेद मुलाकर, जाति, धर्म भाषायी समुदायों एक” सधन
समूहों मे एकता का निर्माण करती है ।^४

इस प्रसग मे प० नेहरू जी ने अपने भाषण म बहा—“हमें सकुचित
दृष्टिकाण प्रातीयता, साम्प्रदायिकता तथा जातीयता आदि सकुचित दृष्टिकोण
को त्यागना होगा वयाकि हम महान् उद्देश्य को प्राप्त करना है । हम सीधे
खड़ा होना है, पीछे स सीध रहना है तथा आकाश की आर देखना है परो
को मजबूती से जमीन पर जमाने हैं Bring about this Synthesis, यह

२ J S Brubacher A History of the problem of Edu P/52

३ मटनागर सुरेश आधुनिक मार्तीय शिक्षा और उसकी समस्याए पृ ५८५

४ सुरेश मटनागर आधुनिक मार्तीय शिक्षा और उसकी समस्याए पृ ५८५

भारतीय जनता का एकीकरण है।" आगे नेहरू जी ने कहा—"भावात्मक एकता से मेरा तात्पर्य यपने मस्तिष्क और हृदय के ममत्वय से है इसमें अलगाव की प्रवृत्ति का दमन सम्मिलित है।"^१

राष्ट्रीय एकता की समस्या राजनीतिक या आर्थिक प्रकृति से अपेक्षा इत मनोवैज्ञानिक अधिक है। यह जनता के इष्टिकोण व (attitudes) पर निर्भर करता है। इसलिए राष्ट्रीय एकता का आधार भावात्मक एकता ही है।

राष्ट्रीय एकता का उद्देश्य मोटे तौर पर दो हैं— १ प्रतिश्रिया एक दूसरे को नीचा दिखावर प्रमुखत्व को प्राप्त करने की प्रवृत्ति राष्ट्रीय एकता को समाप्त करती है। २ मनोवैज्ञानिक, विचार तथा भावनाओं में एकरूपता लाते हुए राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास विद्या जा सकता है।

हमारे संविधान में प्रजातात्त्विक, धर्मनिरपेक्षता, याय, स्वतंत्रता, समानता आत्मत्व की भावनाओं का प्रावधान रखा है उह राष्ट्रीय एकता से मूलरूप सहज ही मिलेगा।

राष्ट्रीय एकता व भावात्मक एकता में सह सम्बन्ध —

(Inter relationships of National Integration & Emotional Integrant ion)—राष्ट्रीय स्तर पर विविधता में एकता का प्रत्यान ही राष्ट्रीय एकता का मानदण्ड है तथा भावात्मक एकता इसे प्राप्त करने का साधन है। प्रत्येक नागरिक स्वयं को राष्ट्र का अभिन्न अंग एवं महत्वपूर्ण इकाई समझे, इसके लिए आवश्यक है कि ध्यक्तियों के सबेग पूर्णतया नियन्त्रित, प्रशिक्षित एवं समर्गी किये जावे।

भावात्मक एकता द्वारा ही हमारी वहमूल्य विविधता सुरक्षित रह सकती है। डॉ राधाकृष्णन् ने ग्रनुसार—"राष्ट्रीय एकता इट गारे तथा छेनी हयोडे से नहीं निर्मित की जा सकती, इसे शात्तिपूर्वक ध्यक्तियों के हृदय और मस्तिष्क में विकसित बरता होगा। तथा शिक्षण प्रक्रिया से उपलब्धि हो सकेगा।"^२

१ देवसरी एस टो समाप्ति भाषण-राजस्थान विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय अध्यपक परिषद अलवर १९६७

'National integration cannot be built by brick & mortar or with chisel and hammer. It has to grow silently in the minds & hearts of men and the process by which it could be achieved was by Education'

२ हमायु कवीर स्वतन्त्र भारत में शिद्या पृ २४९

हमारे संविधान के प्रसानुर धर्म निरपेक्षता व सभी भारतीयों को अवसरों की समानता प्रदान कर भात्तम विवास के सापन उपलब्ध कराना राष्ट्रीय दायित्व है। यह तभी सम्भव हो सकता है, जब देशवासी परस्पर प्रेम और सहिष्णुता से रहकर राष्ट्र निर्माण के बायों में लग जाय। भल राष्ट्रीय एकता भावात्मक एकता पर आधारित है।

राष्ट्रीय एकता के लिए किये गये प्रयास (Efforts made for National & Emotional Integration) - स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता की आवश्यकता भनुभव करके ग्रनेव प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर किये गये हैं जिसमें महत्वपूर्ण प्रयास निम्न लिखित हैं -

१ राष्ट्रीय एकता समिति १९५८ (National Integration Committee)

विश्वविद्यालय घनुदान आयोग द्वारा गठित राष्ट्रीय एकता समिति के महत्वपूर्ण मुझाव -

- १ भारतीय इतिहास में से साम्रादायिकता की भावना विकसित करने वाले अण्ठों को हटा दिया जाए।
- २ शिक्षण स्थानों में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं धार्मिक, सामाजिक उत्सव मनाये जाये।
- ३ धर्म व जाति के आधार पर आनन्दवृत्तियाँ न दी जाये।
- ४ साम्रादायिक आधार पर आनावास न बनाये जावे।

२ उपकुलपति सम्मेलन - १९६१ (Vice Chancellor Conference)

इस सम्मेलन में निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किये गये -

- १ राष्ट्रीय दृष्टिकोण पदा करने हेतु विश्वविद्यालय भग्ने यहा देश के विभिन्न भागों के विद्यार्थियों के लिए कुछ प्रतिशत स्थान सुरक्षित कर, छात्रावास मुविधा उपलब्ध कराये।
- २ सामाजिक विषयों की पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से छात्रों में प्रेम की भावना वा विकास करे।
- ३ आनन्दधो को समाप्त कर दिया जाय।
- ४ केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोले जाय जिसमें नियुक्तियाँ योग्यता के आधार पर हो। शिक्षा वा माध्यम भग्ने जी या हिंदी हो।
- ५ छात्रों में धार्मिक सहिष्णुता का गुण विकसित किया जाय।

(५) भारतीय शिक्षा आयोग— (Kothari Commission 1964-66)

कोठारी आयोग ने शिक्षा द्वारा अपने महत्वपूर्ण दायित्व को पूरा किये जाने हेतु कुछ सुझाव दिये हैं, जो निम्न हैं—

- १ सामाजिक विद्यानय प्रणाली प्रारम्भ की जाय।
- २ राष्ट्रीय एकता के लिये सुविचारित भाषा नीति की आवश्यकता पर बल दिया।
- ३ सामाजिक एवं राष्ट्रीय-भेदवों को शिक्षा प्रणग बनाया जावे।
- ४ देश की सास्त्रज्ञता विरासत से भवी भाषि परिचित करवावर उनमें राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्र प्रेम विकसित किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार १९७६ में राष्ट्रीय एकता परिपद की विशेष समिति की बठक में सात सूचीय-धारा हिस्सा को कम करना, उद्योगिक क्षेत्रों में हड्डताल और तानावनी रोकना, उत्पादियों पर नियन्त्रण, ग्रन्ति महस्यवों को सरकार इरिजनों की स्थिति में नुधार, अनुमूलित जन जातियों का विकास एवं क्षेत्रीय समता वायकम प्रस्तुत किया गया। १९८२ में पुन धीमती गांधी ने राष्ट्रीय एकता परिपद का पुनर्गठन किया। इसमें सभी विषयकी राजनीतिक दलों को भी आमतित किया गया। अमम, पञ्जाब में प्रवाली आदोलन के उचित समाधान न निकलने तथा उत्पादियों द्वारा नृशम प्रणालीक कायवाहियों को देखते हुए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है।

- थी जे पी नायक के राष्ट्रीय एकता सम्बंधी सुझाव इस प्रकार हैं—
- १ शिक्षा द्वारा युवा पीढ़ी को भारत मा की कल्याणारी तथा पोषक वत्ति में परिचित कराकर उसमे प्रम उत्पन्न कराया जाए।
 - २ विद्याविद्यो के मन म विभिन्न कवियो और लेखको द्वारा सीधे गए भारत मा के चित्र को बठाया जाए।
 - ३ आर्थिक समानता और राष्ट्रीय एकत्र का भाव पुष्ट किया जाए।
 - ४ सभी सम्प्रदायों से एक ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग तयार करना जो हिन्दी का प्रयोग करे और राष्ट्र भाषा के प्रचार प्रसार मे योगदान करे।
 - ५ अखिल भारतीय शिक्षा सेवाए चालू की जाए।

विभिन्न समितिया एवं शिक्षा आयोग की सिफारिशो के आधार पर यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता को सुदृढ़ करने म शिक्षा

प्रणाली एवं शैक्षिक कायन्त्रमो में सुधार की आवश्यकता है। लेकिन जब तक सुधार होत हैं, हमे राष्ट्रीय एकता हेतु निम्न उपाय काम में लेने चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्रीय एकता हेतु महत्वपूर्ण सुझाव — (Important Suggestions in Present time for National Integration)

१ कोमी एकता उत्पन्न करना, २ आधिक भ्रसमानता दूर करना, ३ सभी भारतीय भाषाओं का अधिकतम परिचय देना, ४ सभी प्रान्तीय लोगों को समझाकर एक राज्य भाषा हेतु तयार करना, ५ प्रगतिशील एवं राष्ट्रीय भावनाओं के लोगों द्वारा शोषण, साम्प्रदायिकता का विरोध करें, ६ युवाशक्ति को विघटनकारी शक्तियों का विरोध करने हेतु उत्प्रेरित करना, ७ धर्म को व्यक्तिगत जीवन तक सीमित रखें, ८ देश की परम्परा, सभ्यता एवं संस्कृति के प्रचार द्वारा राष्ट्रीय एकता ढढ़ करें, ९ राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यशास्त्र का निर्माण हो, १० शिक्षा प्रक्रिया व प्रशासन में राष्ट्रीय एकता के अनुरूप प्रभावशाली व अनुकरण आचरण वाच्यित है।

शिक्षा एवं राष्ट्रीय तथा भावात्मक एकता

(Education & National and Emotional Integration)

राष्ट्रीय तथा भावात्मक एकता के भाव पदा करने के लिए शिक्षा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण माध्यम है। असामाजिक व राष्ट्र का विघटन के कगार पर ले जाने वाले विघटन शक्ति के लिए शिक्षा ही प्रभावशाली हथियार है। शिक्षा को ही राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता के लिए जिम्मदार ठहराया जा सकता है। मह प्रतिशयोक्ति नहीं होगी कि शिक्षा ही एकमात्र शक्तिशाली एवं प्रभावशाली साधन है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने का सफल साधन सिद्ध हो सकता है। शिक्षा बालकों की आदतों, दृष्टिकोण तथा मानसिक नजरिया आवश्यकता के अनुरूप ढाल सकती है। हमारी शिक्षण व्यवस्था इस ढग से हो, कि हमारे बालक जातीयता, क्षेत्रीयता, भाषा एवं सम्प्रदायवाद के संकुचित एवं लुभावने नारों के वशाभूत न होकर राष्ट्रीयता वीं भावनाओं से ग्रोत-प्रोत हो सक। राष्ट्रीय एकता के लिए भावात्मक रूप से उनक दिल और दिमाग को धीरे-धीरे तयार करने से ही सफलता सिद्ध हो सकती है, जिसके लिए शिक्षा के ग्रलावा भय कोई साधन नहीं हो सकता।

अत शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता लाना चाहत हैं ता शिक्षा-व्यवस्था का इस ढग से परिवर्तन मविलम्ब किया जाय

जिससे राष्ट्रीय नेतराएँ तथा भावना का उदय हो सके। इस उदय की पूर्ति-हतु निम्नलिखित आधारभूत बिद्यों का दृष्ट में रखना प्राप्तशक्ति है-

१ सबेगों को इस ढंग से प्रशिक्षित करते हुए विद्यार्थी विद्या जाय कि वे भावात्मक रूप से व्यतित्य का गवर्णमीण विकास हो सके।

२ ऐसे दृष्टिकोण पाए विद्यास हो नि आधारभूत मूल्यों व सहन शक्ति जीवन का आधार हो।

३ राष्ट्र के विभिन्न भागों के बार में विस्तृत पान दिया जाय तथा स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूरण तथ्य प्रमुख विए जाय।

४ ऐसी विभिन्न प्रवतियों के आयोजन का प्रोत्साहित विद्या जाय जिससे जातीयता व प्रातों के गही तथ्यों को समझ सके।

५ राष्ट्र के मसाधों का नागरिक होने के नात प्राप्त वरन के मूल अधिकार है ठीक उसी प्रकार वक्तव्य भी उसके साथ जुड़े हुए हैं ऐसी भावनाओं का विवरित विद्या जाय।

राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता के लिए शिक्षा का उत्तरदायित्व

The role of education in bringing National & Emotional Integration

शिक्षण स्थाए अध्ययन स्थल हैं जिनका मुख्य काय समाज की आकाशांगों के अनुरूप छात्र तथार करना। शालांगों के दो प्रमुख काय हैं— प्रथम परिवर्तन के उपरा त भी समाज के ढाच की बनाय रखना तथा द्वितीय छात्रों को समाज के अनुकूल कौशल युक्त बनाना। प्रथम के लिए छात्र राष्ट्रीय परम्पराओं को समझते हुए और अधिक राष्ट्र उपयोगी बनाने में तत्पर हो सके। यह अच्छी शिक्षा द्वारा ही सम्भव है। इस सदम में शाला-स्वर पर अत्यधिक सचत रहने की आवश्यकता है।

इस सदम मे गजे द्रगडकर उपसमिति (१६६८) म राष्ट्रीय एकता समिति ने निष्कर्ष निकाला कि प्रायमिक स विश्वविद्यालय स्तर तक पुनर्गठन हो जिसमे निम्न महत्वपूरण बातों का समावेश हो—

- १ भारतीयता की एकता व प्रमुख सम्प्रदान की भावनाओं का विकास किया जाय।
- २ प्रजातंत्र व्यवस्था म विश्वास करना।
- ३ परम्परागत भारत को धारुनिव भारत बनाने भ राष्ट्र को हर सम्भव मदद करता।

ग्रन्त निविवाद रूप से कहा जा सकता है शिक्षा ही एकमात्र शक्तिशाली साधन है जो ज्ञान प्रदान कर मूल्यों के आधार पर उपयुक्त दृष्टिकोण का विकास कर सकता है। छात्रों से समाज की आकाशाश्रों में भ्रन्तरूप सामाजिक आधार का निर्माण करने हेतु हृदय स मचि ले सके।

शालाश्रों में देश के भावी-भावी कण्ठार तयार हो रहे हैं। वे शिक्षा द्वारा समाज में परिवर्तन लाने में सफल हो सकते हैं। ग्रन्त शालाश्रों का प्रमुख उत्तरादायित्व है कि वे राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता की भावनाश्रों का विकास करने हेतु सहयोग प्रदान करें। इस प्रसंग में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी कहा है—“हमारी शिक्षा को ऐसी आदतों तथा दृष्टिकोणों एवं गुणों का विकास करना चाहिए जो नागरिकों को इस योग्य बनावें जिन जनतीय नागरिकता के उत्तरादायित्वों को बहन करके उन विघटनकारी प्रवृत्तियों का विराग कर सके जो व्यापक, राष्ट्रीय तथा धर्म-निरपेक्ष दृष्टिकोण के विकास में बाधा डालती है।”^१

छात्रों में राष्ट्रीय व भावात्मक एकता के विकास हेतु शिक्षक की भूमिका (Role of Teachers in the development of National & Emotional Integration)

राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता को विकसित करने के लिये अध्यापक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केवल ऐसे शिक्षक ही बालकों में ऐसी भावनाश्रों का विकास कर सकता है जो स्वयं जातीयता, प्रातीयता, साम्राज्यवादीता, धर्म और भाषा आदि दृष्टिप्रवृत्ति एवं सकृदित प्रवृत्तियों से छंपर उठकर राष्ट्रीय एकता की भावना से ओत-ओत हो। वह सुयोग्य नागरिक, देश, व सस्कृति की सेवा करने वाले हो। राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता अध्यापक द्वारा प्रदत्त भाषण से नहीं बल्कि अध्यापन के विभिन्न सामाजिक विधियों को काम में लेने स, जैसे सेमिनार, सम्पोजियम, काफ़े स, समूह-विचार-विमर्श, पनल-डिसकसन आदि, इससे छात्रों में प्रजातान्त्रिक, सहयोगी, समानता, सामाजिकता, सहनशीलता आदि गुणों का विकास हो सके। भारतीय सस्कृति दश के विभिन्न भागों के तानो (Theads) को एक माथ बुनने से ही (Weave) भारतीय सस्कृति बनी है—ऐसे विचारों को हृदयगम करवाने वा अध्यापक द्वारा सफल प्रयत्न करना चाहिए।

अध्यापक धर्म निरपेक्षता के सम्प्रत्यय का स्पष्ट करे और धर्मने धर्म

^१ सेकेन्डरी एज्युकेशन कमीशन रिपोर्ट पृ० २३

के बारे म ही नहीं वल्कि धर्मों की जानकारी होन से ही तुलनात्मक ज्ञान छात्रों को द सकेगा। प्रध्यापक समाज तत्वा एवं धर्माधारों द्वारा सामूहिकता की भावना का विकास कर। छात्रों को महान् भारत के धारा होने का गव उत्पन्न करना चाहिए। समय समय पर छात्रों द्वारा एकता का सबल्प वर्तवाये। सामूहिक काय करने की प्रवृत्ति का विकास करे। प्रपन प्राप्त को जनतान्त्रीय मायताओं के प्रनुरूप डालने का सफल प्रयास कर जनता की भाषा म प्रध्ययन प्रध्यापन प्रक्रिया सम्पन्न हो जो सारे दश म बोली जाती है। -

यह कठिनाइयों और प्रसुविधाओं के उपरात भी राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता की वचारिक ऋन्ति का दुतगति स स्थाई रूप म प्रसार हो सकता है तो एक माय शिक्षक वे द्वारा ही।

छात्रों मे राष्ट्रीय व भावात्मक एकता के विकास हेतु अभिभावक व समाज को मूलिका

(Role of Parents and Society in the development of National & Emotional Integration) —

बालक शाला म प्रवेश लेने स पूव पूणतया प्रपने अभिभावकों, सम्बर्थयों, पारा-पडोसियों व समाज के प्रभाव म रहता है। उस उच्च के बालकों के दिमाग म राष्ट्रीयता एवं दश प्रेम जसों भावनाए अभिभावक सहज ही भर सकते हैं। यदि बालक ऐसे तत्वा के सम्बन्ध व प्रभाव मे हो जाता है जो देश को विघटन वर्तवाने म इच्छ रखते हैं तो शाला के लिए प्रत्य धिक मुश्किल हो जाता है कि ऐसे छात्रों म 'सब भारतीय एक है' की बात हृदयगम करवाना। यिक्षण सस्थाए प्रत्यधिक ऐसे भवसर प्रदान कर सकती है, भारतीय सस्तुति विभिन्नता मे एकता का गुण लिए हुए है। भारत के विभिन्न प्रांतों म रहने वाले लोगो के प्रति धादर, सहनशीलता, प्रपने राष्ट्र के लोगो के प्रति सबेदनशीलता वी भावनाओं का विकास कर सकती है लेकिन शालाओं के साथ-साथ अभिभावकों व सामाजिक सस्थानों द्वारा समय-समय पर भारत की विभिन्न सामाजिक, विभिन्न-धर्मों, विभिन्न भाषाओं का होना हमारे देश की विशिष्ट विशेषता है और उनका आदर किया जाय। प्रभिभावकों व सामाजिक सस्थानों का प्रमुख उत्तरदायित्व है कि वे प्रपने धर्मों सम्प्रदाय व सामाजिक परम्पराओं के प्रतिरक्त अन्य लोगो के विश्वास, परम्पराओं, रीतिरिवाज, व्यवहार, तथा सभी धर्म, कौन्त्र व भाषा के लोगो की प्रशस्ता करते हुए सकरात्मक इन्टिकोण का विकास करते हेतु बालकों को

उत्प्रेरित करे। शिक्षण-संस्थाएं व तमात् परिस्थितियों में परिवार, समाज, प्रचार एवं सचार माध्यम, सांस्कृतिक व राजनीतिक संस्थाओं के बीच सम्बन्ध (Coordinator) का काय ही राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता हेतु कर सकती है। अतः, प्रजातान्त्रिक भारत के नागरिकों अभिभावको व सभी सामाजिक संस्थाओं का उत्तरदायित्व है कि वे इस अभियान में मुस्तदी के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह करे।

राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता की प्रगति हेतु निर्धारित शैक्षणिक कार्यक्रम। Specific Educational Programme for Promoting National & Emotional Integration)–

शिक्षण संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता के लिए सभागी होना चाहिए। शिक्षण संस्था द्वा सम्पूर्ण पर्यावरण ऐसा हो जिससे इसकी प्रभिवृद्धि (growth) में पर्याप्त साक्षा द्वारा में सहयोग प्राप्त हो सके। छात्रों के वाक्त्विक व्यवहार इस दृष्टि से विकसित हो कि वे भारत की एकता पर गवर्नर रहने लगे।

१ पाठ्यक्रम का पुनर्गठन – (Curriculum Re-orientation)

पाठ्यक्रम राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता की भावनाओं को जागृत करने हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण साधन है। इसके द्वारा छात्रों को पढ़ने के लिए विषय वस्तु तथा व्यवहारिक अभ्यास करने हेतु पर्याप्त साधन प्रदान किए जाते हैं। विषय वस्तु को कक्षा कक्ष में अध्यापन किया जाता है तथा व्यवहारिक अभ्यास के लिए सहगामी प्रवृत्तियों का संगठन व सचालन द्वारा उद्देश्य पूर्ति सम्भव है।

“स्थानीय प्रादेशिक भावायी, धार्मिक और धार्य वगगत या संकुचित निष्ठाओं के प्रभाव में राष्ट्रीय एकता की जो भावना सामान्यत बमजोर होती जा रही है, उसमें ये प्रतिविम्बित होती है। इस यत्तरनाक याइयों को पाठ्य संपादन राष्ट्रीय चेतना (National consciousness) एवं एकता को मजबूत बनाने के लिए प्रभावकारी कदम उठाए जाने चाहिए।”^१ इसके लिए आवश्यक है कि व तमात् पाठ्यक्रम, सहगामी प्रवृत्तियों के संगठन एवं सचालन का पुनर्गठन

^१ कोठारी डी एस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट प्र ११

होना चाहिए तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारम्भ होना भाव्यपक है—
विषय शिक्षण (Subject Taught)

(अ) माया का शिक्षण (Teaching of Language) माया पर धिग्गार होने वी स्थिति म ही यह दूसरों को प्रपने विचार प्रभावशाली दण संघनिभक्त बरने मे सफल हो सकता है। प्रत भाया भव्यापन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के विचार म विकास बरवाने हतु पर्याप्त प्रापार उपलब्ध हो जाता है। प्रारम्भिक स्तर पर भारत वी महान् दिन्नतियों जैसे भ्रशेक, घद्रगुप्त मोर्य, भार्णि जस देशभर्तों तो रहानिया नाट्य-दण मे छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत विद्या जा सकता है। ऐतिहासिक चाहिए भव्यापन देश-प्रस्तुति-हेतु सहाय्य हो सकता है जस प्रविष्टना, प्रनुवाद बरवाना, व्यापरण, दोहा-प्रन्तराधारी, कविता पढ़ना, नाटक प्रादि।

भव्यापक को बहुत ही मधेष्ठ होकर ऐसे विषय वस्तु ना बन करना चाहिए, जिससे राष्ट्रीय एव भावात्मक एकता की नावनाए बन सके। एक भाया से दूसरो भाया म विसी गद्य वा प्रनुवाद बरवाने हेतु ध्यन करने मे सकारात्मक दृष्टिकोण का राष्ट्रीय एकता हतु विकास होना है। राष्ट्रीय नेता व स्मारक के बारे म गद्य वा ध्यन बाधित है। भारत के विभिन्न भागों के खोदार, परम्पराए, भादि पर लेन लियवाना लाभप्रद सिद्ध होगा। भव्या पक को चाहिए कि वे कभी नी ऐसे अवसरो वा हाय से न गवाने दे, जब भी अवसर प्राप्त हो राष्ट्रीयता वी नावनामों म घोत प्रोत बरत रहे और उहें ऐसी कविताए, वहानियां, गद्य प्रनुवाद क लिए ध्यन बरना। चाहिए जिससे उक्त उद्देश्य की पूर्ति हो सके। भव्यापक को पुस्तकालय वी घोर इग्नित करना चाहिए जहां वे राष्ट्रीय एव भावात्मक सहित्य का भव्यन बर सके।

(ब) सामाजिक ज्ञान का शिक्षण (Teaching of Social Studies) सामाजिक विषयो वी विषय वस्तु को लेकर सामाजिक ज्ञान शिक्षण विद्या जाता है। इस विषय को पढ़ाने वा प्रमुख उद्देश्य छात्रों म सामाजिकता के दृष्टिकोण का विकास कर घच्छे नागरिक का निर्माण करना। प्रत सामाजिक ज्ञान भव्यापन के माध्यम से राष्ट्रीय एव भावात्मक एकता के दृष्टि दौरा का विकास सरल हो जाता है।

(स) इतिहास शिक्षण (Teaching of History) इतिहास भव्यापक को धनेकता म एकता भारतीय इतिहास की विशिष्ट विशेषता पर जोर देकर पढ़ाना चाहिए। जिसस विभिन्नताओं मे एकता सम्भव हो। भार

तीय इतिहास का अध्यापन करवाते वक्त ऐसे स्थलों और घटनाओं पर जोर दिया जाए जिनसे राष्ट्रीय एकता को बल मिला हो । ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या राष्ट्रीय परिप्रेक्षण में की जानी चाहिए । राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आदोलन को प्रमुख स्थान दिया जाय ।

(द) नागरिक शास्त्र शिक्षण , (Teaching of Civics) — भारतीय संविधान पढ़ाते वक्त धर्म निरपेक्षता पर जोर दे ताकि धार्म ममक जाप कि भारतीय संविधान में जाति, सम्प्रदाय, धर्म व वर्ण विशेष का कोई महत्व नहीं है । समानता की सकलता पर भी जोर दे, ताकि समझे कानून के समक्ष सभी समान हैं—भारत में सभी को समान ग्रवसर उपलब्ध होगे । नागरिक शास्त्र अध्यापक राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता के अध्याय को गम्भीरता से पढ़ाते हुए सम्कार डालने की कोई कोरकमर नहीं छोड़े । नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य का वोध कराकर अच्छे नागरिक के रूप में उपयोगी नागरिक तयार कर सकता है ।

(न) भूगोल शिक्षण (Teaching of Geography) भूगोल अध्यापक राष्ट्रीय एकता के विकास करने का दृष्टिकोण के ध्यान में रखते हुए देश की भूमि, भौतिक व प्राकृतिक साधनों के बारे में ज्ञान । किसी एक भाग की उपज एवं खनिज किस प्रकार आय भागा के लिए उपादेय सिद्ध हो रहे हैं । जीवन-स्तर में यह कहे सह सम्बन्धी है ।

(च) अर्थशास्त्र शिक्षा (Teaching of Eco) अर्थशास्त्र समूचे राष्ट्र के पार्याक विकास को विभिन्न क्षेत्रों व प्रदेशों के विकास से सम्बद्ध करके पढ़ाना चाहिए ।

(म) ललित कलाए (Teaching of fine Arts) संगीत, माहित्य एवं मर्य ललित कलाए व्यक्ति के संवेगों को सीधे प्रभावित करती हैं । भ्रत ललित कलाओं को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाना चाहिए ।

२ सहगामी प्रवृत्तियों का आयोजन (Org of Co Curricularactivities)

सहगामी प्रवृत्तियों का शाला संगठन व सचालन से छात्रों को हृदय से छात्रों के वीच एकता की भावनाओं को वक्ति के विकास हतु प्रत्यधिक प्रवसर शास्त्र होते हैं । शिक्षण-व्यवस्था का यह प्रनिध्न प्रग के रूप में बन जाता है राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता के उद्देश्य वो दृष्टि में रखकर इन प्रवृत्तियों का नियोजन बहुत ही दक्षता के साथ किया जाना चाहिए । नियोजित प्रवृत्तियों निम्न उद्देश्यों की पूर्ति वर मदे—

- १ एक महान् राष्ट्र की विचार धारा का विकास हो
- २ भारतीय संस्कृति, सामाजिक जीवन तथा आर्थिक विकास जो देश के विभिन्न भागों में विद्यमान है उसकी प्रशंसा करना और हृदय से इच्छत करना ।
- ३ सहनशीलता एवं परस्पर विश्वास की भावनाओं का विकास कर परस्पर द्वेष व हानि पहुँचाने वाले विचारों को दिल और दिमाग से हटाना ।

राष्ट्रीय एकता हेतु सहगामी प्रवृत्तियों का संगठन एवं सञ्चालन -

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एन बी आर टी नई देहली कुछ सहगामी प्रवृत्तियों वे शाला में सुझाव व रूप में मणित व सञ्चालित करने से छात्रों में राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता स्थापित होने की प्रबल सम्भावनाएं बन जायेंगी, वे निम्न हैं -

राष्ट्रीय-गान का गाना (Singing of National Anthem)

राष्ट्रीय गान की तरह विशिष्ट ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बालक उपयुक्त ढंग से, अनुशासनमय ढंग से तथा निर्धारित तरीके से गाये। बालकों को राष्ट्रीय गान का तात्पर्य व भावात्म खूब अच्छी तरह समझाया जाना चाहिए।

२ राष्ट्रीय ध्वज का आदर (Reverence of National Flag)

बालकों को राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास व महत्व के बारे में ज्ञान प्रदान किया जाय। उह राष्ट्रीय ध्वज को प्रत्येक अवस्था में तथा प्रत्येक स्थान पर श्रद्धा प्रदान करना चाहिए।

३ राष्ट्रीय पर्वों को मनाया जाना (Celebration of National Festivals)

स्वतंत्रता दिवस व गणराज्य दिवस प्रत्येक शाला में बड़े धूम-धाम व उल्लास के साथ मनाया जाय। शालाओं सामाजिक राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श व वार्ताएं आदि का कायञ्चन्म समय-समय पर संखित किया जाय। स्वतंत्रता के उपरान्त प्रगति के बारे में भी वार्ता आयोजित की जाय।

(५) राष्ट्रीय नेताओं के जन्म दिवस मनाया जाना (Celebration of Birth Days of National Leaders)

राष्ट्रीय स्वतंत्रता विकास व उन्नति के जिए जिन महान् राष्ट्रीय

नेताश्रा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है उनके जन्म-दिवस मनाये जाय, जो छात्रों के लिए उत्प्रेरणादायक सिद्ध हो सके। ऐस महात् देशभक्त जैसे महात्मा गांधी, प० नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, तिलक, मौलाना आजाद, टगोर, सरोजनी नायडू, इकबाल, जे पी बास, भामा, लाजपतराय आदि। अध्यापक को इन महान् संपूतों की राष्ट्र को देन रही उस पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय एकता कायम करन म उनकी भूमिका पर प्रकाश डाले।

(५) राष्ट्रीय एव स्वदेशाभिमान प्रेरित गीत ~ (National and Patriotic Song)

राष्ट्रीय-गीत जैसे, "सारे जहा स अच्छा हिन्दुस्तान हमारा" समूह गान के रूप म शालाओं में नित्य प्रति गाय जावे। विभिन्न भाषाओं म स्वदेशाभिमान प्रेरित गीतों का सम्ब्रह करते हुए उचित ढंग स गाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाय। छात्रों को उक्त गीतों के भावाय, गद्दाय व उद्देश्यों को स्पष्ट किए जाय।

(६) भाषा बलब (Language Clubs) ~

भाषा बलब विभिन्न भाषाओं के जो उत्प्रेरणादायक गीत, नाटक, लोक गीत आदि का सम्ब्रह करते हुए उद्देश्य पूर्ति-हेतु गाये जाय, विचार विमर्श करवाय और नाटक खेले जाय।

(७) पेन-फ्रैन्डशिप बलब (Pen Friendship Clubs) ~

छात्रों के विभिन्न अय राज्यों के छात्रों स पन्न-व्यवहार द्वारा सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक, लोक कथाओं, दाशनिक स्थल, राष्ट्रीय स्मारक आदि के बारे मे जो परस्पर वितरण आदान प्रदान करने से भारत के अलग-अलग भाषों मे रहने वाले छात्रों म घनिष्ठ मित्रताव के साथ साथ भारत की विभिन्न बातों मे जो विभिन्नता है उसका ज्ञान प्राप्त करने म सफल होकर देश के बारे मे ज्ञान हो सकेगा।

(८) साहित्य कलब (Literary Clubs) ~

शाला पत्रिका का प्रकाशन सम्पन्न हो। पत्रिका मे देश के विभिन्न भाषों म रहने वाले लोगों की वशभूपा, रहन-सहन, योजन, परम्पराएं विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, संस्कार आदि का समावेश किया जाय जिससे उन लोगों के बारे मे ज्ञान छात्रों को हो सके।

(९) छात्रों का आदान-प्रदान व साक्षिक भ्रमण (Exchange of Students and Educational Tours) -

छात्र प्राचीन वा शालामों का भ्रमण हेतु जान वी व्यवस्थ हानी चाहिए। उत्तर दम समय के टहरन के बाल में वहाँ की भाषा, वशभूषा, रहन सहन के तोर-तरीक, नोजा, बला तथा चाहित्य प्रादि के बारे में जान प्राप्त कर सकेंगे।

साक्षिक भ्रमण से भी विभिन्न भारतीय प्राचीनों के रहन-सहन के बारे में जान प्राप्त करने के प्रबोधर मिलते हैं।

(१०) धार्मिक-सहिष्णुता के विकास हेतु क्रिया-कलाप (Activities to promote religious tolerance) -

छात्रों का सभी प्रमुख घरों में पाई जान वाली समाजता के बारे में जान देना। विभिन्न घरों के प्रनुयायियों के पूजा स्थल पर जाने हेतु उत्तरेरित करना। इससे धार्य घरों के पूजा पाठ के तोर-तरीकों व बारे में अनभिज्ञ हैं, उसका जान प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे और प्रपते दम के साप धार्य घरों के प्रति भादर भाव बढ़ेगा।

(११) सास्कृतिक कार्यक्रम (Cultural Programmes) -

विभिन्न प्राचीनों के साक्षीत तथा लोक-नृत्य, लाक्कन्याद्या प्रादि कायदम का सफल प्रायोजन किया जाना चाहिए। जिससे धार्य प्राचीनों की सस्कृति का ज्ञान होगा।

डा० सम्पूर्णनान्द समिति ने विभिन्न सहगामी प्रवृत्तियों के संगठन व सचालन हेतु युभाव दिए हैं जसे- १ शाला यूनिकार्म, २ प्रतिदिन सभा का आयोजन, ३ गगन तले नाटक, ४ छात्रों का आदान प्रदान व साक्षिक भ्रमण, ५ शाला-सुधार कायदम प्रादि की अभिज्ञसा की है। इन प्रवृत्तियों के अतिरिक्त निम्न सहगामी प्रवृत्तियों के आयोजन से भी छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हो सकेगा। वे प्रवृत्तियों निम्न हैं-

- १ सभावित विष्टिया व मृत्यु हेतु घन इकट्ठा करना,
- २ शोभामय डस
- ३ अन्तर शाला वाद विवाद प्रतियोगिता एव युवक कायदम
- ४ स्कार्टिय व गल गाइड कायदम
- ५ एन सी सी प्रशिक्षण

- ६ खेलकूद व स्पोर्ट्स
- ७ अध्यापकों का आदान प्रदान
- ८ सामुदायिक भाज व रायि भाज
- ९ सचार साधनों का प्रचुर उपयोग ।
- १० प्रोजेक्ट्स-राष्ट्रीय ।

प्रवर्शन के माध्यम से राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता स्थापित करने हेतु एन सी आर टी का सुझाव—

- १ सभी राज्यों के नवशे
- २ सभी धर्मों के रीति रिवाज ३ सभी राज्यों के निवासियों के रीति रिवाज व तौर तरीकों के बारे में चित्र ।
- ४ विभिन्न राज्यों के लाक नृत्य के चित्र एवं माडल ।
- ५ राष्ट्र के विभिन्न भागों में विचिन ग्रह का काढ बोड मॉडल ।
- ६ विभिन्न राज्यों की पदावार ।
- ७ विभिन्न राज्यों के कवि, पट्टस, राष्ट्रीय नेता, समाज-सुधारक, वज्ञानिकों के चित्र ।
- ८ सभी राज्यों के खनिज पदारथ ।
- ९ प्रत्येक धोन के जानवरों व पक्षियों के चित्र ।
- १० विभिन्न राज्यों में निर्मित बहुउद्देश्यीय योजनाओं के चित्र ।
- ११ रगमच नाटक की सुदरता के चित्र ।
- १२ महत्वपूरण इमारतों व ऐतिहासिक भवनों के चित्र ।
- १३ राष्ट्रीय महत्व के कल-कारखानों के चित्र ।
- १४ भारत का नवशा जिसमें ऐतिहासिक, सास्कृतिक, इण्डस्ट्रीज, धार्मिक महत्व के स्थल प्रदर्शित हो ।
- १५ देश के महत्वपूरण मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद जो विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं उसका चित्र ।
- १६ प्रत्येक राज्य द्वारा आयात-निर्यात वस्तुओं की सूची ।
- १७ भारत की विभिन्न भाषाओं के अक्षरों का चाट (अलग अलग भी और संग्रह रूप में भी)
- १८ विभिन्न धर्मों की सुयुक्तियाँ तथा एक दूसरे म पाई जाने वाली समानता की ओर इग्नित करना ।
- १९ विभिन्न भाषाओं में लिखित लब्ध प्रतिष्ठ प्राचीन व भाषुनिक पुस्तकों तथा लेखकों की लिस्ट ।

सब मिलाकर मुख्य उद्देश्य है कि विभिन्न प्रवृत्तिया, किया बतारों के माध्यम से विभिन्न जाति के लोगों, प्रान्तीय समूह में परस्पर सदृशाव, इज्जत बरने व सहनशील तथा सम्बेदनशील बनाने का सफल प्रयास किया जाय। जो सभी राष्ट्रीय हित में रहेग।

कोठारी कमीशन न इस 'प्रसंग में बहा है—“सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण एक ऐसी समस्या है जिससे वह मोर्चों पर ज़ूझना पड़ेगा। जिनमें से एक शिक्षा भी है। हमारी राय में शिक्षा उसमें निम्नलिखित द्वारा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और उसे ऐसा करना भी चाहिए—

- १ सोक शिक्षा की एक समान स्कूल प्रणाली घारम्य कर।
- २ सभा स्तरों पर, सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा की शिक्षा का एक विभिन्न अग्र बनावर।
- ३ सभी ग्रामीण भारतीय भाषाओं का विकास कर तथा यथा-सम्बन्ध शीघ्र हिन्दी को समृद्ध बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाकर ताकि वह सभ की राजभाषा का काम प्रभावशाली ढंग से करने में समय हो सके, तथा
- ४ राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहन देकर।”^१

मूल्याकान

(अ) लघूत्तरात्मक प्रश्न —

- १ हमारे देश में सामाजिक एकता को सबल करने के पाँच सुझाव दीजिये। (राज० १६६५)
- २ “राष्ट्रीय एकता वा सर्वाधिक प्रभावी सामाजिक साधन है, अन्तर्राजीय विवाह।” स्पष्ट कीजिए। (राज० १६६२)
- ३ आज कोई स्वतंत्रता शुद्ध नहीं है, प्रत्येक स्वतंत्रता सामयिक (सशिलष्ट है। टिप्पणी दीजिए। (राज० पत्राचार १६६१)
- ४ ‘राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता की समस्या के दो प्रमुख कारणों तथा उपायों का उल्लेख कीजिए। (राज० १६७६)
- ५ राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता के सम्बन्ध में कोठारी आयोग द्वारा सुझाई गई पाँच प्रमुख संस्तुतियों का उल्लेख कीजिये। (राज० १६७८)

^१ कोठारी जी एस शिक्षा आयोग रिपोर्ट प्र ११

(ब) निष्पादात्मक प्रश्न —

- १ राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता से क्या सम्भव हैं ? उन कारणों की व्याख्या कीजिये जो राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता में बाधक हैं ? [राज० १६५५]
- २ राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता में बाधक कौन से विघटनकारी कारक हैं ? राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता बढ़ाने में शिक्षा किस प्रकार सहायक हो सकती है ? [राज १६५५]
- ३ “ उचित शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता सभव है ! ” व्याख्या कीजिये । [राज १६५४]
- ४ हमारे सामाजिक व राष्ट्रीय एकता के अवरोधक कारक कौन-कौन से हैं तथा शिक्षा राष्ट्रीय एकता की लक्ष्य-प्राप्ति में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकती है ? [राज पत्राचार १६५४]
- ५ नावात्मक एवं राष्ट्रीय एकता से आप क्या सम्भव है ? तिनापी सूत्र विद्यार्थियों में भावात्मक एवं राष्ट्रीय एकता के नावा को उत्पन्न बनाने में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकता है ? [राज १६५३]
- ६ राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता के विकास के माग में बाधक निम्न लिखित वारकों की विवेचना कीजिए और दैश में एकता करने के उपाय सुझाइए - (क) प्रचलित भ्रष्टाचार, (ख) बढ़ती देरोजगारी, (ग) घन का विषम वितरण, (घ) जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विदेशी भाषा का प्रमुखत्व । [राज १६५२]
- ७ देशभक्ति राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता तथा भारतीयकरण के लिए भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों के सादम में इस शब्दावली की व्याख्या करें और बताएं कि किन बठिनाइयों को बारण हमें इससे किसी भी उद्देश्य में सफलता नहीं मिली है । उपचार सुझाइए । (राज १६५०)
- ८ राष्ट्रीय तथा भावात्मक एकता की सकलनायी को समझाइए । राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के उद्देश्य से स्वतन्त्रता के बाद पाठ्यक्रम के क्षेत्र में क्या ठोक उपाय किए गये हैं । (राज० १६७५)

अध्याय १५

भाषा विवाद-सामाज्य समाधान

(The Language Controversy-possible Solutions)

(रूपरेखा-प्रस्तावना प्रस्तावना भाषा विवाद भाषा विवाद के कारण अंतीय भाषाओं का स्थान अल्प संख्यकों की भाषा का स्थान अग्रेंजी का स्थान आधुनिक भारतीय भाषाएँ व उनका स्थान भाषा विवाद की ऐतिहासिक पूष्ट भूमि-स्वतन्त्रता से पूर्व व स्वतन्त्रता के बाद विभिन्न आयोगों के सुझाव राधाकृष्ण आयोग मुदालियर शिक्षा आयोग भाषा आयोग, केन्द्रिय शिक्षा सलाहकार परिषद व कोठारी आयोग तथा उसका व्यवहारिक त्रिभाषा-सूत्र त्रिभाषा-सूत्र की राजस्थान में क्रियान्विती उपसहार-मूल्यांकन)

प्रस्तावना —

प्रत्येक राष्ट्र के प्रमुख तीन मूलभूत उपागम भाषा जाति एवं मस्तुति होते हैं। इन तीनों के बीच गहरे सह-सम्बन्ध बांधित है चाहे तीनों के उद्देश्य भिन्न-भिन्न क्यों न हो। भाषा के माध्यम से ही विचारों का धारान-प्रदान मम्भव हो पाता है।

भाषा को शिक्षा में हो प्रकार वी भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है—वह शिक्षा का विषय है और माध्यम नी। भाषा वस्तुत माध्यम के रूप में ही रही है विषय के रूप में कम। इसका कारण है कि भाषा के नाम से या तो भाषा विषय में अवतार बाता का पढ़ाया जाता रहा है या उसके माध्यम से साहित्य एवं सस्तुति प्रादि की जानकारी दी जाता रही है। शिक्षा के माध्यम वे रूप में भाषा के प्रयोग की वास्तव में कोई मूलरूप से विवाद नहीं है क्योंकि भाषा केवल साधन है, साध्य है विभिन्न विषय जिनकी जानकारी भाषा के द्वारा दी जाती है। किंतु 'माध्यम भाषा का प्रश्न वस्तुत भाषा शिक्षण से भी अधिक विचार वा व्यवधारण करता जा रहा है क्योंकि बहुतों के साथतोर से दक्षिणी भारतीयों वे मन में यह बात घर कर गई है कि भाषा विवाद को जिस ढंग से मुलभाषा गया है वह यायोनित न होकर एक

भाषा के समूह के लोग दूसरी भाषाओं के लोगों पर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। डॉ सुनीत कुमार चटर्जी ने तो अपने पश्चिमी वग हिंदी साहित्य-सम्मेलन, कलकत्ता के अध्यक्षीय भाषण [१९५१] में स्वीकारा है कि-आधुनिक भारत में हिंदी के प्रमुख स्थान के विषय पर पहले पहल हुए अहिंदी प्रान्तों के लोग” (पृ १३) इसी प्रकार राजाजी ने “हिंदी को राष्ट्र भाषा माना”^१ लेकिन दुर्भाग्य रहा कि राजाजी व डॉ चटर्जी जैसे विद्वान स्वतंत्रता के बाद हिंदी के विरोधी हो गये। अर्थात् भाषा के विवाद में पूर्वाग्रह, एक दूसरे पर अविश्वास है व राजनीतिक स्वार्थवश उलझा रह है। जबकि मनुष्य समाज में समान भूल्यों व भाषा के आधार पर एक साथ रहते हैं। सामाजिक जीवन विचारों के आदान-प्रदान के साथ प्रत्येक क्षेत्र में समानता व मौहाद लाना ही शिक्षा और भाषा का उद्देश्य है न कि विवाद। व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के विकास करने का प्रयास अमरकल रहता है व वगर भाषा के। जब भाषा विवाद अविवेकीय इडनिष्ट रूप में इसी भाषा विशेष के प्रति भावात्मक सम्बद्ध हृदय से स्थापित हो जाने पर अब भाषाओं के प्रतिघण्णा व विवाद होता है और वह विवाद जो मामाजिक विकल्पम रूप में सञ्चामण रोग वी भाति। यही स्थिति हमारे देश में है और भविष्य में विशेष आशाजनन स्थिति वा भान नहीं हो रहा है।

भाषा विवाद जो देश के लिए स्थाई दीमक बन गया है उसे स्थिर बुढ़ि, स्वास्थ्य चित्तन-से दिल और दिमाग से सभी क्षेत्रों के लोगों के सोचने में समाधान सम्भव है। अविश्वास की जड़ तब ही समाप्त हो सकेगी जब सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्ययन-अध्यापन तथा माध्यम वे रूप में प्रचुर व्यवस्था स्थापित की जाय तथा सभी भाषाओं के विकास करने की मुविधाएं प्रदान की जाय। भाषा विवाद के समाधान कानून, ढर नय लोभ सालच, पूर्वाग्रह से सम्भव नहीं है, यह तो शान्तिपूरण एवं मौहाद पूरण याता-वरण में ही सम्भव है। भाषाएँ विवाद केवल व्यक्तिगत या समूह विशेष के लिए ही हानिकारक नहीं बल्कि राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता के लिए भनिवाय है।

^१ Hindi or Hindustani is unquestionably the most Important Language of India and the only speech which can be said to be really National for all India

भाषा-विवाद के विविध कारक (Different factors of the Language Controversy)

रूस में १५ स्वतंत्र गणराज्य हैं जहाँ ५० भाषाएँ हैं लेकिन वहाँ तब भी एकीकरण है जबकि दूसरी तरफ भारत में २२ भाषायाँ राज्य हैं और भाषा विवाद इस प्रकार खड़ा है कि राष्ट्र की एकता को बुनोती बना हुआ है। जब रूस राष्ट्रीय एकता को बनाये रखने में सक्त हो सकता है फिर भारत के सम्मुख इस विवाद का समाधान क्यों नहीं? इसी प्रकार स्विद्वजरलण्ड, कनाडा और वेल्जियम जैसे देश जहाँ अनेक भाषाओं के उपरान्त नी भाषा का विवाद नहीं, जसाकि हिन्दुस्तान में है। जब तक सद्भावना प्रश्न उग से सभी भारतीय दृष्टि से समाधान हेतु विश्वास की भावना से इस और उम्मुख न हो तो तब तक राष्ट्रीय सामाजिक चेतना, भावात्मक एकता, सास्कृतिक व धर्मिक प्रगति सम्भव नहीं है। यह इन वारकों की ओर दृष्टिपात्र करना होगा। समीचीन होगा जो इस विवाद की जड़ में है। इह निष्पाकित शीघ्रको में वर्णित पिया जा सकता है—

- १ प्राचीनिक भाषा पा मातृभाषा का विवाद
- २ अल्प संख्यकों की भाषा का विवाद
- ३ अप्रेजी भाषा का विवाद
- ४ शिशुरा के माध्यम का विवाद
- ५ राष्ट्र भाषा का विवाद

मुख्य रूप से हमारी समस्या है—सारे राष्ट्र हेतु आदर प्रदान माध्यम की। इस कमी के कई कारण हो सकते हैं।

प्रमुख रूप से हमारे राष्ट्र की लिक 'लेनावेज' का प्रभाव है। एक 'समान-भाषा' को एक समान सस्कृति एक से विचार तथा एक प्रकार के चढ़ेश्य, एक समान विश्वास व प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। राजभाषा के विवाद से हमारे राष्ट्रीय नेता राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम काल में चिन्तित रहे हैं। भारतीय संविधान में विभिन्न भाषाओं को प्रतिष्ठित करने हेतु प्रत्युत दावे स्वीकार किए गये। हिन्दी भारत की राजभाषा के रूप में भी।

भारतीय संविधान प्रमुख्ये ३४३ (१) के धनुसार संघ की राज भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। प्रमुख्ये ३५१ के धन्तवर्त धन्दी भाषा की प्रचार-वृद्धि करना उसका विकास करना ताकि वह भारती भाषाजिक वस्त्रिति के तत्वों की भविष्यति का माध्यम हो सके, तथा

आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी और प्रष्टम अनुसूची में उल्लिखित मर्यादा भारतीय भाषाओं के रूप, शली और पदावली को आत्मसात करते हुए तथा जहां आवश्यक या वाच्चनीय हो वहां उसके शब्द भण्डार के लिए मुख्यतः सस्वत् से तथा गौणत ग्राम भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना सध का बतव्य होगा ।

हिन्दी सम्पक भाषा का स्थान दबाव तथा राजनीतिक प्रभाव से नहीं ले सकती, यद्यपि मुदालिय भायोग ने सुविधान का सहारा लेकर इसे राष्ट्र की सम्पक भाषा के रूप में महत्व दिया है । यह जनता-जनादन द्वारा स्वयं को हृदय से स्वीकार करना है । दबाव व प्रभाव से और अधिवास भड़काने वाले दबिकाएं का विकास होगा । अत हिन्दी भाषी लोगों को शान्ति व सहनशीलता प्रकट करने की आवश्यकता है । हिंदों का ग्रहिंदी भाषी क्षेत्र में लोकप्रिय बनाने हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्या में प्रयोग की जाय, जसे— ग्रन्त राज्यीय पत्र व्यवहार, अन्तविश्वविद्यालय, अखिल भारतीय कार्यालय भाषा के रूप में, प्रभावशाली ढग से कदम उठान चाहिए । बगर ग्रहिंदी भाषी क्षेत्र के समर्थन के उपरान्त भी १६६५ से हिन्दी को कार्यालय भाषा (Official Language) के रूप में मान्यता स्थापित की गई है । प० नहरू द्वारा प्रदत्त ग्राम्यासन कि ग्रन्ती सम्बंध भाषा (Associate Language) के रूप में रहेगी, समय की मांग है कि इसे उसी प्रकार का दजा कुछ वप और चालू रखता जाय ।

बहुभाषा सामाजिक धूणा नहीं है जब उचित दृष्टिकोण का विकास होकर इसके बारे में अस्यस्त हो जाते हैं । ग्रन्ती भाषा के प्रति गत्त ढग से लगाव व अथ भाषाओं के प्रति धूणा रखने के बारे में प्रशिक्षित लोगों से भ्रस तुलित, भाषाओं के पूर्वाग्रह आदि से देश के विकास में प्रवरूद्ध पंदा होगा बहुभाषीय राष्ट्रीय एकता का विघटन करने के लिए साधन के रूप में नहीं लिया जाय अन्यथा यह देश के लोगों का उमाद ही समझा जावेगा ।

भारत के सभी भाषाई लोगों को शिक्षित किया जाय कि वे स्पष्ट व वज्ञानिक दृष्टिकोण से चित्तन करें । राष्ट्रीय सम्पक भाषा के लिए एकजुट होकर देश की जनता, शिक्षाविद, राष्ट्रीय नेताओं तथा नीति-निर्धारकों को इस सम्बंध में सयुक्त सफल प्रयत्न करना चाहिए । व्यक्तिगत, लोक प्रशासकों व समाज के सभी लोगों को व्यक्तिगत भेद भूलकर एकजुट होकर काम करने से राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो पायेंगे ।

फलस्वरूप हिन्दी को सम्पर्क भाषा का दजा प्राप्त होगा और यह स्तर प्रतित भारतीय स्तर पर ऐसे सिवके के सामना होगा जो वर्तमान म ही नहीं बल्कि भावी जीवन म उपादेय सिद्ध होगा ।

हिन्दी को लोक-प्रिय बनान हेतु रटिया व ट्लोविजन जैसे सचार साधन प्रभावशाली व शक्तिशाली सावित हो गए हैं । शिक्षा भी हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में लाक्रिय बनान हेतु कारगर साथ है । हिन्दी को राष्ट्र की सम्पर्क भाषा वो स्वीकार कर लेन से राष्ट्रीय एकता म सहायक होगा ।

हिन्दी को राष्ट्र की सम्पर्क भाषा के रूप-विकास हेतु किए गये प्रयत्न (Steps to develop Hindi as the Link Language of the Nation)

- १ ग्रन्थ अहिन्दी भाषी राज्यो म प्रचार व प्रसार के साथ ही हिन्दी के विकसित भाषा के रूप म स्वीकार किया है ।
- २ हिन्दी भाषा की शिक्षा देन के लिये हिन्दी के २००० अध्यापको स अधिक हिन्दी भाषी लोगो म कायरत है ।
- ३ विभिन्न राज्यो म १६ हिन्दी प्रशिक्षण कालेज काम कर रहे हैं । ऐसे दो नवीन कालेज मणिपुर एवं मिजारम म स्थापित किय गये हैं ।
- ४ गर हिन्दी राज्यो म छावा वो मट्रिक शिक्षा वे बाद हिन्दी का अध्ययन करन हेतु छात्र बूतिया दी जाती हैं ।
- ५ स्वेच्छिक सस्थानो वो हिन्दी पद्धारो के आयोजन तथा पुस्तकालय की स्थापना हेतु अनुदान दिया जाता है ।
- ६ हिन्दी दी शिक्षा पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा अहिन्दी भाषी एवं विदेशी लोगो के लिए बनाई जाती है ।
- ७ विभिन्न राज्यो मे सम्बर्क-कायरम की व्यवस्था ।
- ८ अहिन्दी भाषी के द्वाय सरकार के कमचारियो के लिए प्रबोध, प्रवीण और प्रना पाठ्यक्रम का आयोजन ।
- ९ के-द्वाय हिन्दी संस्थान, ग्रागरा देश के विभिन्न लोगो के द्वारों के लिये वैज्ञानिक विधि द्वारा हिन्दी शिक्षण सामग्री एवं सहायक सामग्री के निर्माण काय भ रत है ।
- १० हिन्दी शिक्षा के लिए साधन प्रशिक्षण कायरम का आयोजन ।
- ११ गर हिन्दी प्रदेशो के हिन्दी लखको का प्रोत्साहन देने के लिये पुरस्कार देने की योजना ।

१२, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों में हि दी शब्दावली व पुस्तकों के प्रकाशन की योजना ।

१३ हिंदी म सब प्रिय पुस्तकों के निर्माण, हिंदी के विद्वानों के व्याख्यानों का आयाजन एवं विदेशों म हिंदी के प्रसार आदि कायक्रम को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ।

१४ अहिंदी भाषी क्षेत्रों म माध्यमिक स्तर तक हि दी द्वितीय भाषा के रूप मे पढाई जाती है ।

१५ हमारे राष्ट्र के लब्धप्रतिष्ठ लोगों द्वारा सभी भाषाओं की एक समर्वित माला का विकास करना ।

भाषा विवाद के सम्बन्ध मे विभिन्न विद्वानों के विचारः—

१ महात्मा गांधी— 'शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो । छात्रों पर अप्रेजी नहीं लादनी चाहिए । जब रूप मातृभाषा मे ही अपने देश का विकास कर सकता है तो हम वयों नहीं कर सकते ।'

२ स्व० डा राजेन्द्र प्रसाद न सब प्रथम सुझाव दिया कि हम सामान्य वण्माला (Common Script) को लागू करनी चाहिए । जिसे कालान्तर मे मुख्यमनियों के सम्मलन (१६६१) मे उक्त विचारों को जोरदार शब्दों में समर्थन दिया ।

३ प नेहरू ने कहा—'वतमान में देश की एकता एवं अखण्डता के लिए हमे 'कामन-स्क्रिप्ट' को प्रयोग मे लाने से मूल रूप में साहित्यिक एकता हमारी परम्परा रही है ।

४, श्री एम सी छागल,—सामान्य वण्माला (Common Script) से विभिन्न प्रांतों के लोगों म घनिष्ठता पदा होगी । विभिन्न भाषाओं मे बहुत ज्यादा भेद नहीं है । सस्कृत सब साधारण की भाषा थी । यदि सामान्य-वण्माला को क्रियावित रूप दे दिया जाता है तो, बहुत जल्दी ही राष्ट्रीय एकता स्थापित होगी ।

५ डा बी के आर बी-हिंदी, प्रान्तों के अक्षर-ज्ञान की भाषा मे पढाया जाय ।

६ हुमायूं कबीर—हिंदी व अय भारतीय भाषाओं मे रोमन वण्माला का प्रयोग हो उसके टकण व मुद्रण हेतु सुविधाएं दी जाय ।

(७) डॉ० जाकिर हुसैन—मुझे इसमें शक रही कि गुवाहो को पूरणपूर्ण कुशल बनाने के लिए मातृभाषा प्रावश्यक है। मातृभाषा मानव समितिके लिए उतनी ही प्रावश्यक है जितना बालक के शारीरिक विकास के लिए मातृभाषा का दूष प्रावश्यक है।

(८) चक्रवती राजगोपालाचार्य—यदि भारतीय लोग राजनीति, व्यापार या कला में एक रहना चाहते हैं तो हिन्दी ही वह भाषा है जो समस्त भारतीयों का ध्यान ध्यापित कर सकती है, चाहे वे लोग अपने देश में कोई भी भाषा बोलते हों परंतु हिन्दी का ज्ञान प्राप्त बनना भारत के सभी लोगों के लिए शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए।

(९) डॉ० सुनीत फुमार चटर्जी—‘सस्कृत के राजभाषा के पक्ष में न होकर हिन्दी के पक्षघर रहे हैं। अप्रेजी के पक्ष में नहीं है।’^१ पभी तक एवं समान वर्णमाला (Common Script) के बारे में कोई निष्पत्ति नहीं लिया गया है। विवाद के समाधार हेतु यन्त्रिकों, व्यावहारिक तथा निरपेक्ष उपायम् वालित है। भावुकता, काल्पनिकता, यसत्य एवं स्वयं की अभितापाभा के प्राधार पर काय न कर, हमें सदेव ठोस तक म ही विदेशिन होना चाहिए।
प्रादेशिक भाषा का स्थान (The place of Regional Languages) —

धोर्मीय व भारतीय भाषाओं के बारे में विवाद है। धोर्मीय भाषा का राष्ट्रीय जीवन में क्या स्थान है। अखिल भारतीय भाषाएँ अब राष्ट्रीय भाषाओं के लिया जाता है। लोकतात्त्विक-सरकार को चाहिए कि वह जनता-जनरिदार की भाषा को कायात्य काय हेतु प्रतिष्ठित करनी चाहिए।

“भारतीय संविधान का अनुच्छेद ३४५ म प्रादेशिक भाषाओं के बारे म—“३४६ और ३४७ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य का विधान मण्डल, विवि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए प्रयोग के अथ उस राज्य म प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिन्दी को अनीकार कर सकेगा।

परंतु जब तक राज्य का विधान-मण्डल विधि द्वारा इससे भाष्यमा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन राजकीय प्रयोजनों के लिए अप्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक

^१ डॉ० चटर्जी भारत की भाषा-संवधी समस्याएँ (प्रथम संस्करण पृ ६० ८४)

पहले वह प्रयोग की जाती थी ।"

प्रादेशिक भाषा को राज्य में प्रशासनिक भाषा के रूप में काम में लेने से पूर्व इसका पूणरुपेण विकास किया जाय । ठीक इसी प्रकार उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में काम में लेने से पूर्व भी सम्पूण रूप से इसका विकास चाहिए है । यह प्रजातानिक-व्यवस्था का मूलभूत आधार है । सभी प्रकार की आधुनिक व प्रामाणिक शब्दों का प्रयोग किया जाय, अर्थेजी को अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से तथा सस्कृत, पसियन, अरबीयन भारतीय दृष्टि से । प्रशासीन व वजानिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक समान शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए । इस प्रकार की व्यवस्था से सामाय सम्पर्क भाषा सारे राष्ट्र के लिए बन सकेगी ।

अगर एक से अधिक आधुनिक भारतीय भाषा प्रातः में बहुसंख्यकों द्वारा बोली जाती है तो उन्हें सामातर ढग से जैक्षिक व प्रशासनिक भाषा के रूप में जिला स्तर पर प्रयोग में लाई जावे । प्रातीय प्रशासन में अधिक सोगों द्वारा बोली जाती है उसे ही राज्य के विधान-मण्डल को मान्यता देनी चाहिए ।

(३) अल्प संख्यकों की भाषा का विवाद (Controversy on Linguistic minorities) —

प्रत्येक प्रदेश में कुछ न कुछ जा समूह अल्प संख्यक रूप में इस प्रकार के पाये जाते हैं कि ही बारणों से अपना प्रदेश छोड़कर उस प्रदेश में बस जाते हैं अथवा भरवारी सेवा में होने के कारण अन्य प्रदेशों में पहुंच जाते हैं जिससे शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई होती है । भारत में यह समस्या अधिक गम्भीरता के साथ उभरी है । आदिवासी एवं अल्प संख्यक वर्गों ने अपनी कठिनाइयों को प्रस्तुत किया है ।

अल्प भाषी भागों की भाषा के मण्डलाधीश ने सुभाव दिया कि यदि किसी प्रदेश में किसी विद्यालय में ४० अल्प संख्यक छात्र हैं अथवा किसी एक कक्षा में १० छात्र अल्प संख्यक वर्ग के भाषी हैं तो प्रदेश की सरकार का कतव्य है कि वह उनके लिए उनके ही प्रदेश की भाषा के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था करे ।

(४) अर्थेजी भाषा पर विवाद (Controversy over English Language) —

हि दी अथवा प्रादेशिक भाषाओं के प्रति अत्यधिक प्रेम के फलस्वरूप

अंग्रेजी से धूरणा का भाव पैदा हो रहे हैं जो भाषा के लिए स्वत्त्व चिन्तन की दृष्टि से यायोचित नहीं है। अब देश की स्वतन्त्रता के बाद अंग्रेजी की भूमिका व महत्व को कम नहीं समझा जाना चाहिए। यह विश्व की सर्वाधिक प्रचलित माध्यम भाषा है। हमें इसे प्रातराष्ट्रीय दृष्टिकोण से इसके सास्कृतिक तथा राजनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रध्ययन प्रध्यापन के लिए माध्यम के रूप में अपनाना चाहिए। इसका विस्तार प्रातराष्ट्रीय स्तर पर है। यह विश्व के विनान तथा साहित्य की भाषा है। भारत में शिखित लोगों में पढ़ी भीर समझी जाती है। देश में राष्ट्रीय चेतना को पदा करने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देश में सास्कृतिक पुनर्जागरण में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की है। भारत की महान् विभूतियाँ, कवि, राजनीति, व विश्व को सन्देश देने वाले, वज्ञानिक जैसे डॉ. राधाकृष्णन, श्रीमती सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी, पडित जयाहरलाल नहरू, जाकिर हुसैन, सर सी वी रमन तथा बहुत से प्रेरणा के स्रोत इस भाषा के फल स्वरूप अपने क्षेत्र में विशिष्ट स्थान प्राप्त करने में सफल सिद्ध हो पाये हैं।

हमें आखो के पट्टी बाष्पकर झूठे भावुकता में वशीभूत होकर अनावश्यक रूप से धूरणा की भावना अंग्रेजी भाषा से इसलिए करना कि यह उन शासकों की है जिहाने हमें अपने अधीनस्थ परत व रखा। हमें प्रत्यधिक स्टेणड की अंग्रेजी दो नहीं अपनाना चाहिए परतु भाषा के स्पृह में तथा भाषा माध्यम के रूप में जिससे अन्तराष्ट्रीय स्तर के नान को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से स्वीकार करना ही पड़ेगा।

डॉ० के जी संयदन—“विचार व सस्कृति की दृष्टि से भारत की महान् एव महत्वपूर्ण देन सासार को रही है। यह अपनी स्वयं की तथा अंग्रेजी के भाष्यम से ही हो सकता है।”

डॉ० के बार छीनिवास अयगर—“अंग्रेजी एक महान् भाषा है, विश्व का महान् माहित्य है। विश्व में सबसे लोकप्रिय व प्रपरिभित भाषा है। यह गत्यात्मक भाषा है जिसने विकास छोड़ा नहीं है। यह वह भाषा है जो उत्तरे हुए मसले को सुलझाती है जिसमें सदाम प्रन्तर भी स्पष्ट है। इसका विशिष्ट सम्बन्ध भारत की जनता तथा अंग भाषाओं से है जिसका सबसे लम्बा सम्बन्ध रहा है।

प्राचीन भाषाओं के उच्च अंगों के साहित्य के प्रध्ययन सम्बन्धीय विद्याद (Controversy over Classical Languages)—भाषाएँ सस्कृत,

पर्सियन तथा भरबी जैसी प्राचीन एवं उच्च श्रेणी की भाषा को प्रशासन तथा प्रधापन-माध्यम के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। इन भाषाओं से ही कई प्रन्य भाषाएँ पदा हो विकास कर पाई हैं यद्यपि इसे विलकुल महत्व न देना, अनुचित ही है। ये विषय ऐतिहासिक अध्ययन तथा सोध के विषय बन गये हैं। सरकार इन विषयों को पढ़ने वालों को विशेष आर्थिक प्रलोभन तथा उत्प्रेरित किया जाय। लेकिन कोठारी आयोग ने "प्राचीन भाषा को स्कूल पाठ्यचयाँ में केवल ऐच्छिक रूप में दिया जा सकता है। ऐसा आठवीं विषय से ही किया जा सकता है।"^१

भाषाएँ हमारे पूर्वजों की घरोहर हैं जो सस्कृति की ममृद्धि हेतु महत्वपूर्ण हैं परन्तु समस्त देश में विभिन्न शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रमुख समस्या देश के सम्मुख है। भारतीय मविधान द्वारा १५ भाषाओं को मान्यता प्राप्त है किन्तु इस विषयम् स्थिति में विवाद का समाधान नहीं किया। "भाषा सम्बंधी एक समुचित नीति के विकास से भी सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण में महत्वपूर्ण सहायता मिल सकती है। स्वतंत्रता प्राप्ति वे बाद देश ने जिन अनेक कठिन समस्याओं का सामना किया है उनमें भाषा की प्रश्न एक सबसे पेचीदा और कावू से बाहर का प्रश्न रहा है और अब भी वैसा बना हुआ है। अनेक दागणों में जिनमें शिक्षा, सस्कृति और राजनीतिक से सम्बंधित कारण भी शामिल हैं, इस प्रश्न का शीघ्र ही सन्तोष पूर्ण समाधान करना जरूरी है।"^२

यह समस्या क्यों उत्पन्न हुई प्रादि प्रश्नों पर विचार करने से पूर्व यह प्रावश्यक है कि भाषा के विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि पर गहराई से इष्टिपात किया जाये, क्योंकि भाषा के माध्यम को लेकर विभिन्न प्रदेशों में हिंसात्मक आ दोलन हुए हैं और देश में भाषावार प्रा तो वा निर्माण हुआ। स्वायपरता से प्रेरित राजनीति ने इस विवाद में अग्नि मघत डालने जसा काय किया। देश की वत्तमान परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए तथा राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एवं सामाजिक अभिवद्धि के लिए एक उचित भाषा नीति बाढ़ित है। भाषा-विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background of Language issue)

(अ) स्वतंत्रता से पूर्व—

अति प्राचीन काल में सस्कृत भारत की मुर्य भाषा थी। सस्कृत

^१ कोठारी डी एस शिक्षा आयोग रिपोर्ट प्र २१९

^२ कोठारी, डी एस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट प्र १५

को भूए सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त थी राजभाषा का स्थान सस्कृत को ही प्राप्त था । वौद्ध धर्म के उदय होने के साथ पानी द्वारा उसका स्थान ले लिया गया फिर भी सस्कृत की प्रतिष्ठा व मान्यता बनी रही । मुस्लिम काल में अरबी और फारसी भाषाएँ राजभाषा प्रतिष्ठित हुईं । उक्त काल में भी ही हिन्दी उद्ध एवं कई क्षेत्रीय भाषाएँ प्रचुर मात्रा में प्रचलित थीं सस्कृत भारतीय महाद्वार व पाठशालाओं की भाषा के रूप में ही अपना स्थान बनाये रहीं ।

अग्रेजी काल में भाषा में पुनर्परिवर्तन हुआ । इस काल में शिक्षा का उद्देश्य ईसाई धर्म पाश्चात्य विज्ञान, साहित्य एवं सुस्कृति का प्रसार निर्दिष्ट किया गया । इस समय में शिक्षा, व विज्ञान के माध्यम की समस्या रही परन्तु मैंकाले की जिक्षा व्यवस्था में वालक का अग्रेजी जबरन पढ़ती पढ़ती क्योंकि उसका प्राधार वा नौकरी प्राप्त करना । अग्रेजी को माध्यमिक स्तर तक ही वल्कि उच्च शिक्षा के विषयों के अध्ययन वा माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित की गई और सूल स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता था । अन्त, इस प्रकार अग्रेजी को लोहरा सम्मान दिया गया, शिक्षा के माध्यम के रूप में तथा विषय के रूप में भी । इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप अग्रेजी राजकीय भाषा के साथ साथ विभिन्न राज्यों की सम्पर्क भाषा भी बन गई । लेकिन इतना प्रचार-प्रसार एवं राजकीय प्रोत्साहन के उपरात भी केवल ४ या ५ प्रतिशत भारतीयों को भाषा ही रह गई । यद्यपि राष्ट्रपिता गांधी व डा ग्राकिर हृषेन शिक्षा का माध्यम मातृभाषा के पक्षबाबर रहे हैं ।

(ष) स्वतन्त्रता के बाद ।

भारतीय संविधान व भाषा स्वतन्त्रता के उपरान्त संविधान में भी राजभाषा के प्रश्न पर विचार करते हुए धारा ३५१ में कहा—ही दी भाषा के प्रचार में वढ़ि परना, उसका विकास करना, ताकि वह भारत की सामाजिक, साम्न्यताकी तत्वों की अभिव्यक्ति वा माध्यम बन सके तथा उसकी मातृभीयता में वस्तुशोष किए बिना हि दुस्तानी और आठवीं सूची में उल्लिखित (प्रसमिया उडिया, उद्ध कपड़, कश्मीरी गुजराती, तामिल तेलगू, पजाबी, मराठी, मलयालम सस्कृत, हिन्दी) भाष्य भारतीय भाषाओं के रूप, शब्दों और पदावली को मातृभाषात् करते हुये तथा जहां मावश्यक या वाघनीम हो, वहां उसके शब्द भडार के लिये मुह्यत सस्कृत से गोणत, वसी उल्लिखित भाषाओं से शब्द यहां करते हुए उसकी समृद्धि बरन। संघ का कतव्य है ।”^१

^१ दिवान पारस भारतीय संविधान (अग्रेजी स स्करण) पृ ३७६

विभिन्न आयोगों के भाषा सम्बन्धी सुझाव -स्वतंत्रता के बाद भाषा विवाद ने उग्र रूप धारण किया और उस विवाद के समाधान हेतु केंद्रीय सरकार ने समय-समय पर नियुक्त समिति व आयोगों ने इसके बारे में गम्भीरता को समझाते हुए सुझाव दिये हैं—जैसे १९४८ की ताराचद समिति ने सर्व प्रथम सब सम्मति से निणय लिया कि उच्च स्तर पर माध्यम अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। इसके उपरान्त विभिन्न आयोगों द्वारा भी इस विवाद के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत किए, जैसे—

(१) राधाकृष्णन आयोग के सुझाव—“हम यत्वधिक कीमत अंग्रेजी अध्ययन में चुकानी पड़ी है। चितन व तक की बजाय रटने पर जोर दिया हमने ज्ञान के बजाय अंग्रेजी शब्दों को ग्रहण किया। अत वास्तविक चिन्तन अपनी भाषा से ही सम्भव है।”^१ इसके उपरान्त भी निम्न सुझाव और दिए हैं—

१ भारतीय स्विधान में राजभाषा के रूप में हिन्दी का विकास आवश्यक है, जिससे हिन्दी व्यापार, दर्शन, विज्ञान उच्च स्तर का अध्यापन एवं शोध की भाषा बन सके।

२ “अंग्रेजी भाषुनिक सम्मता, विचारों तथा विज्ञान एवं दर्शन की कुंजी है। अंग्रेजी भारत में एकता स्थापित करने के कारणों में से भी एक है। यह महत्वपूर्ण भारतराष्ट्रीय भाषा है। परंतु अतीत की भाति अंग्रेजी राजभाषा के पद पर नहीं रह सकती और न ही भविष्य में यह उच्च शिक्षा का माध्यम रह सकती है। फिर भी अंग्रेजी भाषा का अध्ययन विश्वविद्यालय स्तर पर निरंतर रखा जाये।

३ सकृत के प्रति भक्ति भाव है फिर भी राजभाषा नहीं बन सकती।

४ शिक्षण एवं प्रजातंत्रवाद के सिद्धांशों के ग्रनुसार उच्च शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए। इसलिये शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं का भी प्रयोग किया जाए। एक या अधिक विषयों की शिक्षा राष्ट्रभाषा के माध्यम द्वारा दी जाए।

५ उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्रों को तीन भाषाओं का ज्ञान कराया जाये—(अ) प्रादेशिक भाषा, (ब) संघीय

^१ राधाकृष्णन आयोग प्रतिवेदन पृ ३१७

भाषा तथा (स) भ्रेजी ।

६ विश्वविद्यालय स्तर पर सभी कक्षाओं में हिन्दी की शिक्षा दी जाय ।

(२) मुदालियर शिक्षा आयोग—मुदालियर शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन अपने अध्याय ५ में 'भाषाओं के अध्ययन' में भाषा के माध्यम और अध्ययन के सम्बंध में निम्नलिखित सुझाव दिए गए—

- १ माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या धोरीय भाषा हो ।
- २ मिडिल स्तर पर छात्र नगर स कम दो भाषाओं वा अध्ययन करे । इनमें से एक भाषा मातृभाषा हो और दूसरी हिन्दी । जहां हिन्दी मातृभाषा हो वहां किसी घाय भारतीय भाषा का अध्ययन कराया जाए ।
- ३ माध्यमिक स्तर पर छात्र दो भाषाओं वा अध्ययन करे । मातृभाषा का अध्ययन अनिवाय हो । दूसरी भाषा हिन्दी (जहां हिन्दी मातृभाषा न हो) ध्रेजी, भाषुनिक भारतीय भाषा, कोई यूरोपीय भाषा या शास्त्रीय भाषा में से चुनी जाए ।
- ४ सकृत वा अध्ययन वक्त्विक विषय के रूप में हो ।
- ५ माध्यमिक स्तरों में ध्रेजी को यथावत् रखा जाए परंतु ध्रेजी का अध्ययन वक्त्विक हो तथा यह अध्ययन जूनियर स्तर पर ही प्रारम्भ हो ।
- ६ हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में महत्व प्रदान किया जाए तथा सभी विद्यालयों में हिन्दी वा अध्ययन अनिवाय कर दिया जाए ।

(३) भाषा आयोग [१९५५]—यी वी जो सरकारी अध्यक्षता में १९५५ में गठित आयोग (जो १९५७ में सप्तम के ममुख प्रस्तुत की गई) ने भी निम्न सुझाव दिये—

- १ हिन्दी का ही शिक्षा वा माध्यम बनाया जाए ।
- २ विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षाओं का माध्यम हिन्दी हो ।
- ३ प्रतियोगी परीक्षा में वक्त्विक माध्यम हिन्दी हो तथा धोरीय भाषाओं को उपयुक्त स्थान दिया जाए ।

(4) केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् का त्रिभाषी सूत्र (1956) —
Three Language Formula of the Central Advisory Board of Education)

26 जनवरी 1956 को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् ने भाषायी विवाद को मुलभाने हेतु त्रिभाषा सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार, माध्यमिक स्तर पर छात्रों को तीन भाषाओं का अययन करना होगा। इस योजना के मुख्य बिंदु —

(1) मातृभाषा या थेट्रीय भाषा।

(2) अंग्रेजी या अन्य अधिनिक विदेशी भाषा।

(3) हिन्दी भाषा अहिन्दी लेखों के लिए एवं कोई भारतीय भाषा हिन्दी लेखों के लिये।

त्रिभाषा सूत्र भाषा विवाद के समाधान हेतु प्रभावशाली नहीं रहा। इसका कारण यह था कि हिन्दी को स्थानीय भाषाओं के स्थान पर सँझन के पढ़ाने की अवस्था की गई तथा अहिन्दी भाषी राज्यों ने हिन्दी का विरोध किया।

राष्ट्रीय एकता समिति को अभिशपाएँ — सन् 1962 में स्व. श्रीमती गांधी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकता समिति ने भी त्रिभाषी सूत्र को लागू करने पर नोर दिया। समिति ने हिन्दी को सम्पक भाषा (Link language) माना और कहा कि इसका अध्ययन अनिवार्य कर दिया जाय जिससे प्रदेशों के आपसी सम्बंधों को बनाएँ रखा जा सके।

इसके उपरान्त डॉ. सम्मूर्णान द ने भावात्मक एकता के लिए भाषा विवाद को हल करने हेतु त्रिभाषा सूत्र को ही समाधान का सूत्र बनाया। “कार्यालय भाषा अधिनियम 1963” में पुनर्सशोधन 1968 में भारतीय संसद ने हिन्दी के साथ अंग्रेजी को भी सह भाषा की मान्यता प्रदान करदी है।¹ इसके उपरा त विवाद को शान्त न होता देखकर दत्तकर केंद्रीय सरकार ने मुद्द्यमन्त्रियों के सम्मलन सन् 1965 में अवित भारतीयों संवादों के लिए प्रतियोगी परीक्षा में लेखों भाषा का माध्यम की स्वीकृति प्रदान कर दी लेकिन दक्षिण प्रांतों के विरोध के फलस्वरूप भारत भी हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में विवाद का विषय बनी हुई है।

Kolbari Commission & Three Language Formula

कोठारी शिक्षा आयोग एवं त्रिभाषी सूत्र — (1966) कोठारी जायग ने त्रिभाषी सूत्र जो 1950 में दिया उसमें सशोधन किया गया। आयग न हिन्दी को राजभाषा के रूप में मान्यता देते हुए अहिन्दी भाषी लेखों में दबाव से नहीं लादा जाता। किसी भी स्तर पर दो नई भाषाएँ प्रारम्भ नहीं हानी चाहिए। कथा 8 से 10 तक का त्रिभाषी अध्ययन के लिए उपयुक्त बताया। चार भाषाएँ एक साथ पढ़ाने की मनाई

¹ बसु ही ही, इष्टोडयूक्सन दु दी कासटीट्यूसन आफ इण्डिया, पृष्ठ 260-361

की गई है वाहे ध्यान किसी भी स्तर पर अध्ययन रत क्यों न हो। सार हर मे दिभाषी सशोधित रूप निम्न है।—

- (1) मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा।
- (2) केन्द्र की राज्य भाषा या सहकारी भाषा।
- (3) आधुनिक भारतीय भाषा या यूरोपीय भाषा जो ऊपर 1, 2 मे सम्मिलित न हो।

व्यवहारिक दिभाषी सूत्र का आधार तथा उसकी क्रियान्विति —
(Practicable Three Language Formula & its Implementation)

स्कूलों के लिए व्यवहारिक दिभाषा सूत्र के निर्माण मे निम्नलिखित मानदण्डों सिद्धांतों से सहायता मिल सकती है।

- (क) मातृभाषा के बाद सब की राजभाषा के रूप मे स्थित हिंदी का ही स्थान पाता है।
(ख) अप्रेजी का व्यवहारिक नान ध्यानो के लिए मूल्यवान बना रहेगा,
(ग) भाषा मे प्राप्त की गई समस्त उपत्थित गिरावटों और सुविधाओं पर उतना ही निभर करती है जितना कि उसके सीखने के लिए दिय जाने वाले समय की लम्बाई पर,
(घ) तीन भाषाओं को सीखने के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था अबर माध्यमिक (आठवीं से दसवीं तक) है।
(ङ) दो अतिरिक्त भाषाओं का एक दूसरे के बीच योड़े अन्तर से शुरू करना चाहिए।
(च) हिंदी या अप्रेजी का अध्ययन तब शुरू करना चाहिए जब उनके लिए प्रधिकरण अभिप्रेरणा और आवश्यकता हो, और
(छ) विसी भी अवस्था मे चार भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य नहीं करना चाहिए।

इन सिद्धांतों के अनुसार सशोधित व्यवहारिक दिभाषी सूत्र भी ये बातें सम्मिलित होनी चाहिए (क) मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, (ख) सब की राज भाषा या सब की सहचारी भाषा (जब तक वह बनी रहे), और (ग) ऐसी भारतीय या यारोपीय भाषा जो (क) और (ख) मे सम्मिलित न की गई हो और जो शिक्षण के माध्यम के रूप मे प्रयुक्त न हो।

आयोग ने भाषाओं के अध्ययन के बारे मे सुझाव दिये हैं —

- (1) अबर प्राथमिक अवस्था मे ध्यान सामा यत केवल एक मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा का अध्ययन करेगा। उच्च प्राथमिक अवस्था मे वह दो भाषाएँ= मातृभाषा (या प्रादेशिक भाषा) और सब की राजभाषा (या सहचारी भाषा) पढ़ेगा। अबर माध्यमिक अवस्था मे वह तीन भाषाएँ पढ़ेगा। मातृभाषा(या प्रादेशिकभाषा)

राज भाषा या सहचारी राज भाषा, एक प्राधुनिक भारतीय भाषा और उसके लिए राजभाषा या सहचारी भाषा, जिसे उसके उच्चतर प्राथमिक अवस्था¹ में नहीं पढ़ा, का अध्ययन अनिवार्य होगा। उच्चतर माध्यमिक अवस्था¹ में केवल दो भाषाएँ अनिवार्य होगी।

- (2) प्रत्येक राज्य में कुछ चुने हुए स्कूलों में अप्रेजी से भिन्न किसी प्राधुनिक पुस्तकालयों की भाषा के अध्ययन की सुविधाएँ मिलनी चाहिए और हिन्दी तथा अप्रेजी के स्थान पर उसके अध्ययन की छुट होनी चाहिए। इसी प्रकार केवल हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में कुछ चुने हुए स्कूलों में प्राधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्ययन की सुविधाएँ मिलनी चाहिए और उसी प्रकार अप्रेजी या हिन्दी के स्थान पर उनके अध्ययन की छुट होनी चाहिए।
- (3) अप्रेजी और हिन्दी के अध्ययन के घण्टों और ज्ञान प्राप्ति के स्तर के रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए। राजभाषा और सहचारी राजभाषा के सम्बन्ध में प्राप्ति के दो स्तर निर्वाचित किये जाने चाहिए। एक तीन साल के अध्ययन के लिए और दूसरा छ दो साल के अध्ययन के लिए।
- (4) उच्च माध्यमिक शिक्षा में भाषा का अध्ययन अनिवार्य नहीं होना चाहिए।
- (5) ऐच्छिक आधार पर हिन्दी के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए एक देश-व्यापी कायक्रम बनाना चाहिए। लेकिन अनिच्छुक लोगों पर इस योग्यता नहीं चाहिए।
- (6) प्रत्येक प्राधुनिक भारतीय भाषाओं के कुछ साहित्य को देवनागरी और रोमन दातों ही लिपियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सभी प्राधुनिक भारतीय भाषाओं को अन्तर्राष्ट्रीय अक भी अपनाने चाहिए।
- (7) अप्रेजी का अध्ययन, सामाजिक पाचवी कक्षा से पहले, जबकि मानभाषा पर अभी पर्याप्त प्रधिकार प्राप्त नहीं हुआ होता, शुरू नहीं करना चाहिए। अप्रेजी का अध्ययन पाचवी कक्षा से पहले शुरू करना शक्ति विभिन्न तुदिमतापूर्ण नहीं है।
- (8) पाठ्यक्रम से ऐच्छिक आधार पर, प्राचीन भारतीय भाषाओं, जैसे सस्कृत या अरबी, के अध्ययन को प्रोत्साहित करना चाहिए और उन पर सभी विश्वविद्यालयों में विशिष्ट रूप से बल देना चाहिए। कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों में इन भाषाओं के उच्च अध्ययन कानून स्थापित किया जाने चाहिए। कोई नया संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया जाना चाहिए।'

¹ सोठारी दी एस, 'शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का सार' (पृष्ठ 723-724)

राजस्थान में त्रिभाषी सूत्र की क्रियान्वयन—राजस्थान में त्रिभाषी-सूत्र की दृढ़ता (Implementation of three Language formula Rajasthan)

पहले से लागू कर दिया गया है। अत्यन्त भाषा समुदाय के छात्रों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने की योजना भी प्रारम्भ से क्रियान्वित की गई है। राजस्थान में भाषा शिपण की व्यवस्था निम्न प्रकार से है—

पूर्व प्राथमिक स्तर (कक्षा १ व २)—राजस्थान हिन्दी भाषी प्राप्त है एवं अधिकांश छात्रों की मातृभाषा हिन्दी है। अत कक्षा १ व २ में छात्रों को हिन्दी के माध्यम से उनको शिक्षण दिया जाता है। जिस अन्त समुदाय के छात्रों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है उनकी उनकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। जिन भवानों को पढ़ाया जाता है, वे हैं—उडूँ, सिंधी, गुजराती तथा पंजाबी। ये भाषाएं राजस्थान के लिए प्रत्येक सत्यका की भाषा के रूप से मान्यता प्राप्त हैं।

प्राथमिक स्तर (कक्षा ३ से ५) जिन छात्रों को हिन्दी के अलावा अन्य भाषा के माध्यम से शिक्षण किया जाता है, उन्हें कक्षा ३ से ५ तक हिन्दी प्रतिरिक्षित भाषा के रूप में पढ़ाइये जाती है।

उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा ६ से ८)—छात्रों को कुल तीन भाषाओं का प्रध्ययन कराया जाता है, (i) हिन्दी (ii) अंग्रेजी तथा (iii) तृतीय भाषा संस्कृत, उडूँ, सिंधी, पंजाबी तथा गुजराती में से काई एक भाषा।

माध्यमिक स्तर (कक्षा ९ से १०)—छात्रों को तीन भाषाओं का अध्ययन कराया जाता है—(i) हिन्दी, (ii) अंग्रेजी तथा (iii) तृतीय भाषा, संस्कृत, उडूँ, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, कन्नड़, मलयालम एवं बगाली में से कोई एक भाषा।

उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा ११)—छात्रों को केवल दो भाषाओं का अध्ययन करना होता है—हिन्दी, उडूँ, सिंधी, पंजाबी गुजराती तथा अंग्रेजी।

राजस्थान में संस्कृत को तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाए जाने का औचित्य—

राजस्थान में आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में तृतीय भाषा के स्थान पर संस्कृत का अध्ययन करवाया जाता है क्योंकि—

- (i) राजस्थान में सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संस्कृत का उच्च स्थान।
- (ii) राजस्थान में संस्कृत अध्यापकों का बाहुल्य।
- (iii), कक्षा ६ से १० तक के लिए उपयुक्त संस्कृत की पाठ्य पुस्तकें।
- (iv) आधुनिक भारतीय भाषाओं में से कई वापासी की जननी।
- (v) संस्कृत तृतीय भाषा के रूप में कक्षा ९ शुरू करने की वजाय कक्षा कक्षा ६ से प्रारम्भ मनीवैज्ञानिक एवं शक्तिक दृष्टि से उपयोगी है।
- (vi) संविधान के परिच्छिद्ध ४ में आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में प्रतिच्छिद्ध।

राजस्थान में आधुनिक भारतीय भाषाओं की क्रियान्विति।—

(Implementation of modern Indian Languages in Rajasthan)

सस्कृत भाषा को तृष्णीय भाषा के रूप में पर्याप्त श्रौचित्यपूर्ण मानने के बावजूद भी निभायी सूत्र की मूल भावना के अनुरूप क्रियान्विति की दिशा में अव्यय उपाय किया जा रहे हैं। राजस्थान में तमिल, मलयालम, बंगाली एवं मराठी भाषाओं को पर्याप्त जाने की व्यवस्था कुछ विद्यालयों में की गई है।

राजस्थान में उद्धू, सिंधी पंजाबी के अल्प समुदाय, की भाषा के रूप में मानता प्राप्त है जो इस भाषाओं में से कोई एक मातृभाषा के रूप में पढ़ते हैं। ऐसे छात्रों को सस्कृत को छोड़ देने की पूरी घूट है।

राजस्थान में तृष्णीय भाषाओं (सस्कृत के अतिरिक्त) को पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्ननिम्नित है —

भाषा	विद्यालय	छात्र संख्या	अध्यापक संख्या
1 उद्धू	372	26495	418
2 सिंधी	102	12942	548
3 पंजाबी	70	3058	78
4 गुजराती	14	1019	13
5 मलयालम	8	512	8
6 तमिल	4	269	4
7 बंगाली	1	13	1
8 मराठी	1	19	1

उपसंहार —

भाषा सम्बंधी विवाद यहाँ तक बढ़ गया है कि आये दिन शब्दों के क्रियान्विति सम्बंधी दृढ़ को लेकर देश में ग्रसामानता दृढ़ व ग्रसान्ति पदा हो जाती है। हम अपनी सारी शक्ति एक ऐसे इण्टिकोण के विकास की ओर लगाना चाहिए जिससे हम सब भारतीय भ्रनुबन्धित होकर राष्ट्रद्वित को सब प्रथम प्रायमिकता दे। भाषा निकाय समस्या इतनी समस्या नहीं जितनी अध्ययन अध्यापन के माध्यम का लकर है। हमारा भाषा विवाद किसी भी इण्टि से उत्तमा हुआ नहीं जबकि प्रपने राजनीतिक स्वाप्न पूर्ति हेतु उत्तमाने वालों की कमी नहीं है।

स्वतंत्रता के बाद विनिन्न भाष्योग, ममितियों ने सत्रनात्मक सुभाव प्रदान किये हैं। शिक्षा जगत् में ध्यवहारिक प्रायामानिक सब राग हर जीपरि ए समान

विवादो का अच्छा समाधान प्रतीत होता है, वशर्ते उसको कियाविति में कोई दील नहीं दी जाय। इसी प्रकार हिन्दी राष्ट्रीय स्तर पर, प्रमुख आधुनिक भारतीय भाषा, जिस स्तर पर स्थानीय लोकप्रिय भाषा को प्रशासनिक व कार्यालय की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के फलस्वरूप देश के सभी भाषाएँ लोग सतुष्ट हो जायेंगे, ऐसा विश्वास है। इस प्रकार की भाषा नीति राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

प्रत्यक्ष भारतीय डा के जी सर्येदन के विचार से सहमत होग कि जिस राष्ट्र में बीस भाषाएँ होने के उपरान्त भी एक ग्रामाज एवं एक होने में विश्वास करते हैं किर भला हमारे देश में बहुभाषी को विधटन का कारण न समझकर राष्ट्रीय सकृदि के विकास में सहायक समझना चाहिए। अत वह भारतीय को देश हित को दृष्टि में रखते हुए छोटी छोटी वातों जैसे भाषा जैसे सम्प्रदाय जादि को लेकर उपर स्व धारण न कर देश में एक होकर याय, भातत्व, सामाजिकता, स्वतानता, समानता जैसे गुणों के विकास हेतु सफल प्रयास करते हुए भारत की भारती व प्रजातात्त्विक शारीर व्यवस्था में सहयोगी सिद्ध होकर "हम सब भारतीय एक हैं" के नारे का बुलाद करना, समय, देश व परिस्थिति की भाग है।



मूल्यांकन (Evaluation)

(अ) लघुत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions)

- 1 श्रेष्ठीय भाषा को सभी स्तरों पर शिक्षण का माध्यम बनाने के पक्ष यथवा विषय में पाच तक दीजिए। (राज 1983 व 1978)
- 2 सशोधित विभाषा सूत्र की भावना क्या है ? (राज 1982)
- 3 'वस्तुत भाज भारत को दो राष्ट्र भाषाएँ हैं- अप्रेजी और हिंदी।' इस कथन को परीक्षा कीजिय। (राज 1981)
- 4 शिक्षा जायग द्वारा सुभाष्य गय विभाषा सूत्र का वर्णन कीजिए। (राज पत्रा 1981)
- 5 भाषा समस्या क सम्बन्ध में मुदालिया आयोग की स्थापिता लिखिए। (राज 1979)
- 6 भाषा समस्या के दो प्रमुख कारकों व उपायों की चर्चा कीजिए। (राज 1979)

(ब) निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

- 1 विभाषी सूत्र को व्याख्या कीजिए। विभाषी सूत्र के क्या लाभ हैं? विभाषी सूत्र को काय रूपमें बदनाम के लिए शिक्षाविद् क्या कठिनाइया अनुभव करते हैं? (राज 1985)

- 2 वर्तमान भाषा समस्या को स्पष्ट कीजिय। निभाषा मूत्र तथा सशोधित निभाषा सूत्र के बावजूद यह समस्या अभी तक क्या बनी हुई है? (राज पत्राचार 1985)
- 3 “भारत की भाषा समस्या का सबोंतम सम्भव हल निभाषा सूत्र नहीं, सशोधित निभाषा मूत्र है।” इस कथन की समीक्षात्मक परीक्षा कीजिए। (राज 1982)
- 4 “विवेकपूर्ण शैक्षिक नीति की छवि से शिक्षा का माध्यम विद्यालयी शिक्षा तथा उच्च शिक्षा में सामान्यतया एक ही रहना चाहिए। शिक्षा आयोग (1966) की इस स्स्तुति का अब तक विरोध क्यों हो रहा है? इस विरोध का आप किस प्रकार उत्तर देने? (राज 1981)
- 5 ‘ततोय भाषा राजनीतिक प्रपञ्च या शैक्षिक घावश्यकता’, कथन की व्याख्या कीजिए तथा अपना अभिमत प्रकट कीजिए। (राज पत्राचार 1981)
- 6 भारत सरकार की घोषित नीति शिक्षा के सभी स्तरों पर ज्यादातर-ज्यादापन की सुविधाएँ प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम द्वारा देन की रही है। उक्त नीति के जनुपा-लनाथ सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाये गए? भगोजी से प्रादेशिक भाषाओं के मार्ग में क्या प्रमुख कठिनाइया हैं? (राज पत्राचार 1979)

[विषय-प्रवेश (क) छात्र भस ताप-विद्युत्यापी व भारत (ख) छात्र भसन्तोप को गम्भीरता (ग) छात्र भसन्तोप के प्रशार (घ) छात्र जसन्तोप व विनिन आयोग व समितियों को सिफारिश (ङ) छात्र भसन्तोप के कारण- (१) नेतृत्व शक्ति का हात (२) चतुरां विद्या विद्यालयों व संस्थाए (३) प्रादूरों का पतन (४) पार्षिक कठिनाई (५) गैंडिक वारण ६) सामाजिक राग (७) राजनीतिक कारण (८) विद्यार्थी भवनों प्रौढ और नवीन मार्गताय (९) पार्टियालिक मा यताय (१०) पुलिस का अवहार (च) छात्र भसन्तोप का मनावज्ञानिक विलेवण (छ) छात्र भसन्तोप समावान प्रौढ मुझाव, (१) प्रशासक (२) शिक्षक (३) प्रचारपर्याय योजना म शिक्षा, (४) भनिजावक (५) राजनीतिक, (६) लेखक व विचारक, (७) नेतृत्व मार्गताय (ज) उपसहार व मूल्यांकन]

विषय-वेश —

भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसके विद्यार्थी भादोतन का इतिहास काफी समय का है भारत के स्वतंत्रता-संग्राम म राष्ट्रीय नेतायां न विद्यार्थियों का सहयोग प्राप्त किया था सब प्रयत्न गाधीजी ने असयोग भादोतन के प्रवसर पर भारतीय नायरिकों से मार दी कि वह अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों और कॉलेजों म पढ़ने न भज। उसके परचात निरन्तर भारतीय विद्यार्थियों से राष्ट्रीय भादोतन म सहायता ली गई। भारत द्वोड्डी भादोतन एक प्रकार से विद्यार्थियों का ही भादोतन कह तो अतिशयाक्षित नहीं होगी क्योंकि इसमें विद्यार्थी यथिक प्रभावों भूमिका निभान हेतु सक्षिय रहे थे। उन्होंने जेल को स्वीकार किया और विद्यालयों कार्य करन म पहल की। विद्यार्थियों ने राष्ट्र के सावनिक जीवन मे भाग लेना राजनीति से प्रारम्भ किया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत का विद्यार्थी समाज राष्ट्रीय जीवन से अलग नहीं हुआ बल्कि उसका धन और विस्तृत हो गया। विभिन्न राजनीतिक दलों न विद्यार्थियों को प्रभावित किया तथा उन्हें विरोध व सघय करने के तरीक भी बताये। स्वतंत्रता संग्राम मे विद्यार्थियों का भाग लेना तथा विभिन्न राजनीतिक दलों का विद्यार्थियों के उत्साह को अपन उद्देश्यों की स्वाव तिद्वि का साधन बनाना, विद्यार्थियों के

प्रादोतन और अनुशासन हीनता का एक कारण तो हो सकता है परन्तु मूल कारण नहीं। इनका आदोलन और अनुशासनहीनता का कारण उनका गम्भीर रूप से असतोष है जिसका एक कारण नहीं वल्कि अनेकानेक कारण है यदि उत्तरदायित्वहीनता के कारण असतोष है तो उसके कारणों का अध्ययन अवश्यभावी है।

छात्र यसन्तुष्ट होकर या दोलनात्मक रवंया अपनाते हैं, जो कवल भारत में ही नहीं वल्कि अंत अनेक राष्ट्रों में भी विभिन्न प्रकार से प्रकट हुई है।

बतमान युग में प्रत्येक राज्य में जिस तीव्रता से धार्थिक परिवर्तन हो रह है या हुए हैं और उनके प्रभाव से जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं या होने चाहिए उनका ठीक प्रकार से हल न निकल पाना, इस समस्या का मुख्य कारण है, जो प्रत्येक राज्य में हमें समान रूप से प्राप्त होता है। द्वितीय महायुद्ध के उपरात, विद्यार्थी समाज और प्राय सभी युवक और युवतियों में उश्व खल और गौर कानूनी काय करन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। जीवन को इन बदलती हुई परिस्थितियों ने उनके जीवन के लिये जहाँ अनेक नवीन मार्ग खोले हैं, वहाँ उनके सम्मुख अनेक समस्याओं को भी प्रस्तुत किया है। इही समस्याओं और मान्यताओं का हल निकालने के प्रयत्न से जो प्रतिप्रिया उनके जीवन, विचार और भावनाओं पर हुई उसी का एक परिणाम उनका तोड़ असतोष और उससे उत्पन्न विघ्वसात्यक काय और अनुशासनहीनता है। मनक भारतीय समाज सुधारक, विद्वान, शिखाविद् अध्यापक तथा विद्यार्थी इस अनुशासनहीनता के फलस्वरूप राष्ट्रीय सम्पत्ति की क्षति व मूल्या पर परोक्ष व अपरोक्ष रूप से प्रभाव नाली प्रहार से चिन्तित है। विद्यार्थियों का असतोष बढ़ता ही जा रहा है और उसका समाधान मुश्किल प्रतीत होता है। जो सम्पूर्ण समाज को प्रभावित किये दिना तही छोड़ता। सारत के बड़े शहरों में हड्डताल, पराराव, आन्दोलन, पराव हाता है, जिसके दमन हेतु लाल पगड़ी धारी मौजूद रहते हैं।

विश्व छात्र आन्दोलन— समस्त विश्व ही आज छात्र प्राचेलन से परे चाल और क्षुध है। योरोप में तो ये जादोलन पूर जोरो पर है। वहाँ पुरानी पीड़ी सरकार और बुद्धिजीवी सशक्ति और मान्दित हैं। विश्व में कोई भी देन पाना नहीं है जो इस दावानल रूपी आन्दोलन की लेपेट में न प्राया हो। ही, हा सरकार है इसका कही कम ता कही ज्यादा प्रभाव हुमा हो लेकिन प्रभाव पहा भवश्य है। भारत के अनुपात में योरोपीय देशों में यह सफल नी रहे हैं क्योंकि—

- (1) यात्र वायिक रूप से निश्चित हैं व्योकि सरकार की ओर से प्रबंध है।
- (2) विद्वान् वयन, सामाजिक, पारिवारिक और धार्थिक जिम्मदारिया सुक हैं।
- (3) यात्र बने रहने से सभी मुविधाएँ भिले तो फिर वे उनके महरूम न्यो रहना

चाहे ।

- (4) जीते रहने का अनुभव वरन के लिए आनंदोलन ।
- (5) छात्र पारपरिक उत्सवों के विरोधी, आनंदोलन की ओर प्रगति ।
- (6) विज्ञान की दिन पर दिन प्रगति उसके मानस का उद्देश्यित कर रही है ।

छात्र असतोष व आदोलन की सरचना - छात्र आदोलन की सरचना में कई राष्ट्रीय विरोधी प्रवृत्ति-प्रप्रत्यक्ष दबाव व पड़यत्र काय कर रहे हैं, जिससे कि उनकी शक्ति एवं स्वरूप को विकृत करने में उन तत्वों को सफलता मिल रही है । इसनिए यह भी विचारणीय सवाल है कि छात्र-असतोष के फलस्वरूप आदोलन का प्रचण्ड रूप को विकसित करना चाहिए । छात्र-आदोलन को अपन सही रूप में विकसित कर्यों नहीं होने दिया जाता है ? इसके विपरित उससे राजनीतिक दल अपने अपने दल का हित साधते हैं । अब यथा तो छात्र-आदोलन इस तेजी से सामने नहीं आते, जिस तेजी से आ रहे हैं । इहना न होगा कि इन तत्वों ने छात्र-असतोष की सरचना में बहुत गति 'पाठ' या 'मूर्मिका अदा' की है ।"

दूसरा आदोलन की मानस भूमि — छात्रों का सदैव सत्ता से दूर रखा है और उसके विलाप साजिस भरा प्रचार-प्रसार करके जनता के मस्तिष्क में उसकी 'एमज' का विगाढ़ा है । राजनीतिक स्वायत्त हेतु विरोधी दलों ने भ्रमित किया है । नीजबानी में जाग है और ऐसा तूफान खड़ा कर देत हैं जिससे जनता व सरकार घबराने लगते हैं । भारत के छात्र व तमान व्यवस्था से असतुष्ट और सस्कार त्यागते हुए परमारओं को तोड़ने मानो उनका प्रमुख उद्देश्य हो गया है ।

भारत के छात्र-असतोष व आदोलन युरोप की तरह सुविधाओं से नहीं, प्रसुविधाओं के कारण शुरू हुए हैं । श्री जानाद कुमार ने लिखा है—

- (1) पढ़ाई की दुष्टतापूर्वक व्यवस्था ही विद्यार्थी असतोष की रीढ़ है ।
- (2) राजनीतिक प्रतिवद्ता के मुकाबले बल्तकर को समर्थित और सामाजिक योजना आकर्षित करती है ।
- (3) आज आदोलन की जपरिहाय से इकारते हुए क्षुद्र सवालों में उलझने वाले विद्यार्थी वे हैं जो केवल परिवारों के बेटे बेटियों के नेतृत्व में हैं, शोधित होने की नियति से जपरिनित है ।
- (4) विषमताओं से मुक्ति के लिए समता और सम्बन्धता का सपना देखने वाला दिल और दिमाग हमेशा अपने अभीष्ट के लिए तड़फता रहता है ।"

1. जान द कुमार 'वया विद्यार्थी-आदोलन जार्थिक तथा सामाजिक कु ठारा के प्रतीक है ?" साप्ताहिक हि दुस्तान पृ/8 अक 19 जुलाई 1970

धात्र धात्र असन्तोष के फलस्वरूप हीते वाले आंदोलन के पीछे रचनात्मक कार्यों का भाव है। यह आंदोलन सत्ता के ढड़े से भयावह बनेगा। अस्थाई तौर पर असन्तोष को दवा भी दिया जाता है तो समाज को ज्ञान भविष्य में कुठित हो जायगी जिसकी जिम्मेदारी बनमान बनस्था का ही होगा।

धात्र असन्तोष धात्रों का दृष्टि में —

कोई भी काय कारण के बिना नहीं होता है और असन्तोष का विकृत रूप नम्ब्री कलमकाश के उत्तरान्त दृष्टिगोचर होता है। जातिर वे कोन से कारण हैं, जिनकी वजह से वे इस प्रकार के निर्णय लेने के लिए विवश हैं। धात्रों की सगोष्ठी में कई बाते धात्र असन्तोष व उसके उत्पन्न आंदोलन के बारे में उभर कर जाई हैं —

(1) 50 प्रतिशत से अधिक धात्र परजानी उठाने हुए भी आंदोलन या विद्रोह के पक्ष में नहीं हैं।

(2) धात्राएं तो नब्बे प्रतिशत से भी अधिक इसके विरुद्ध हैं।

(3) पक्षपात्रपूर्ण वातावरण की निश्चित ही इसके लिए जिम्मेदारी है।

(4) अधिकारियों को समझ में आ जाना चाहिए कि अब देश स्वतंत्र है। अन ताना पाही की बजाय सेवक के रूप में अधिकारियों को काय पढ़ति जपनानी चाहिए।

(5) यूनिवर्सिटी में उन्हीं धात्रों को प्रवेश मिलना चाहिए जो तचरित हैं अच्छी श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं और जो ज्ञान के प्रति जिनासु है।¹

मनीषयों को दृष्टि में धात्र-असन्तोष — धात्र-असन्तोष के अस्तित्व का नकारा नहीं जा सकता। इस असन्तोष को सन्तुष्ट करने की दिशा में कोई ठीक सूझ नहीं दी गई है। यह धात्रों की अतर पीड़ा का प्रतीक है। पाठ्य पुस्तके वेसिर की है, अरिकारी उसको नकार देते हैं। इस सर्वत्र व्याप्त असन्तोष के परिणाम बनमान और भविष्य में दूरगामी परिणाम हो सकते हैं जो सकट का कारण बन सकता है। अत इस प्रभय रहते ऐसे उपाय और माध्यम ढूढ़ने चाहिए, जिनसे इन नवोन्ति शक्ति का दश भी प्रगति हेतु इस्तेमाल किया जाने का सफल प्रयास किया जाय। विभिन्न मनीषियों के विचार वास्तव जबलोकन प्रस्तुत किय जा रहे हैं —

मि चिन्ना - के अनुसार - (1) धात्रों को फीस में बृद्धि (2) धात्रवृत्तिया में कमी (3) राजनीतिक दलों की हिस्सेदारी (4) राजनीतिनों वा पूण सहयोग (5) धात्रों को बरगलाना (6) नब्बे प्रतिशत धात्र सीधे सादे हैं।²

² भट्टाचार्य राजेन्द्र मोहन, "धात्र-आंदोलन समस्या और समाधान" (पृ. 49)

³ चिन्ना, एम एन, "एस्टुडेंट स्ट्राईक इन मसूर ए सासीग्रालॉजिकल एनलिसिस"

प्रकाशित Journal of University Education Vol 4, No 3 मार्च 1966 P 149 161

श्री जनेन्द्र कुमार— “प्रसन्नोप और आकोश न हो, यह अस्वाभाविक और बलमत है। नवयुवक के बढ़ते हुए जीवन की प्रक्रिया में ये भाव अनिवाय रूप से प्रेरक बनते हैं। पुरुषाध की सृष्टि आखिर होती कहाँ से है? व्यक्ति की चेतना अपनी सीमा पर अवरोधों में टकराती और पराजय अस्वीकार करती है। इसी में तो जीवन चंताय का प्रकप और विकास सम्भव हीता है।

इसलिए वह क्या युवक है जो बलमान पर रुक जाता है और भविष्य के आवाहक के तौर पर उसको चुनौती भी नहीं देता रहता है।

इसलिए युवक वर्ग के अस तोप और आकोश को मैं सर्वधा आवश्यक और इताप्य मानता हूँ।

युवको का उत्साह केवल ताप बनकर यदि न रह जाए, यदि उसमें तप भी मिल जाए, तो वह बहुत निर्माणकारी हो सकता है। तप के अभाव में वह ताप भीतर कष्ट क्षेत्र की ही सृष्टि करता है कुछ निर्माण नहीं कर पाता। “...होश साथ न रहे तो जोश फिर ढूट फूट मचाकर बुझ रहता है।

अस तोप और आकोश का फौरन बाहर लुटा देने की बजाय अगर युवक उन्हें अपने व्यक्तित्व की निधि और पूजो बनने देते हैं, यानी उन प्रेरणाओं को जनन भीतर आत्म विसर्जन के सकल्प का रूप लेने देते हैं तो उनका व्यक्तित्व नम्र और दड़ बनता है। उनमें आप्रह सत्याग्रह बनकर उभरता है। इस सत्याग्रह में अनायास दूसरे आकृष्ट होकर जुड़ जाते हैं और एक समवेत शक्ति का निर्माण कर सकते हैं।⁴

डा. सम्पूर्णनन्द—“छात्र अस तोप धार्मिक शिक्षा के अभाव और प्रार्थिक विषय तात्रों में वृद्धि का परिणाम है।”

श्री प्रेम कृपाल—“छात्र-प्रधायापक सम्बंधों के विलक्षण विकास को छात्र-प्रसन्नोप का ना प्रमुख कारण मानते हैं।”

श्री एम सी छागला—ने 7 नवम्बर 1966 में लोकसभा में छात्र-प्रसन्नोप पर व्यक्तित्व का सार—

- (1) शिक्षा के प्रसार के सापेक्ष, सुविधाओं में विस्तार नहीं हुआ।
- (2) छात्रों के सामने और आगामी जीवन के लिए कोई ठोस कायद्रम नहीं।
- (3) अधिकारिक एवं क्षुद्र राजनीति से प्रेरित तत्व निहित स्वाधीनों की पूति के लिए छात्रों को उत्तेजित करते हैं।
- (4) शिक्षक अधिकारी नेतृत्व देने में असमर्प है।

4 जनेन्द्र कुमार। समय, समस्या और सिद्धांत,

(पृ 47 48)

स्व श्रीमती इंदिरा गांधी — “छात्र अशान्ति के कारण राजनीतिक उत्तेजना और आर्थिक विप्रवासन हीनता में लक्ष्यविहीन शिक्षा विद्रोही भावना को जन्म देती है।

प्रो हुमायू कबीर— “परम अनुशासन हीनता के अतिरिक्त नयी पीढ़ी के काफी बड़े बग में अशान्ति और विद्रोह की भावना मर गई है। इसमें से कुछ तो नि सन्देह सारे विश्व में व्याप्त उस अशान्ति का एक अश है। पुराने जीवन मूल्यों के विनाश और उनके स्थान पर नये मूल्यों के तैयार न हो जाने के कारण उत्पन्न हुई है। फिर भारत में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके कारण देश में विद्यार्थियों में अनुशानहीनता और असन्तोष उत्पन्न होता है।”⁵

छात्र-असन्तोष के कारण (Student Unrest Causes)

देश में छात्रों के असन्तोष और उसके फलस्वरूप होने वाले प्रतिक्रियात्मक कार्य पर समाज और सरकार दोनों ही गम्भीरता के साथ विश्लेषण करते आये हैं। जिससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि विभिन्न कारणों के फलस्वरूप ही व्याप्त असन्तोष फलता जा रहा है। यह कारण नई और पुरानी पीढ़ी के बीच ढाढ़, वर्तमान तनाव और बच्चीनी के युग के चाह पूरे देश में व्याप्त असन्तोष का प्रदर्शन, विश्वविद्यालयों भी लेगातार गिरती हुई परिस्थितियों, शिक्षा एवं प्रशासन का निम्न स्तरमान, शिक्षा व्यवस्था में आधारभूत कमिया, ससार के ग्राम देशों में हो रहे प्रदर्शनों से प्राप्त प्रोत्साहन या छात्रावास, पुस्तकालय, शिक्षा शुल्क, छात्र-वृति परीक्षा-प्रणाली के दोष आदि कुछ भी हो सकते हैं। वर्तमान समय में बढ़ती हुई महगाई, प्रशासन एवं विश्वविद्यालयों में भी बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार तथा शिक्षित वेरोजगारी की भयकर समस्या है। छात्र-असन्तोष के कुछ बाहरी कारण हैं, जसे राजनीतिक दलों को छात्र शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, देश में सबत्र भ्रष्टाचार व आर्थिक अव्यवस्था। विश्वविद्यालय में भी बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार तथा शिक्षित वेरोजगारी की भयकर समस्या ने इन कारणों की तालिका का और लम्बा कर दिया है। इस समस्या के मूल में गहन कारण है जिसका सम्बन्ध दश की ऐतिहासिक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों से है। इन विन्दुओं का गम्भीरता से विवेचन नीचे किया जा रहा है— (1) शिक्षा नीति और संस्थाएं (2) आर्थिक परिस्थितिया (3) पारिवारिक और सामाजिक मान्यताएं (4) विद्यार्थी सम्मता और नवीन मान्यताएं (5) सांस्कृतिक कारण (6) नीतिकता।

कारण—(1) शिक्षा नीति और संस्थाएं— विद्यार्थी किसी न किसी शिक्षा संस्था का सदस्य होता है और इस दृष्टि से वह राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था का भी सदस्य हो जाता है। अतः कुछ ऐसे दोष विद्यमान हैं जिससे उसमें असन्तोष निरंतर बढ़ता

⁵ हुमायू कबीर—“स्वतं त्र भारत में शिक्षा”,

ही जा रहा है— (1) भारत की शिक्षा प्रणाली राष्ट्र की आवश्यकतानुकूल नहीं—वह प्रथम उसमें असन्तोष के कारण राष्ट्र की शिक्षा नीति या शिक्षा स्थाये, जिसका वह सदस्य है उनके व्यवहार से उत्पन्न होते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास ब्रिटिश शासन सत्ता के समय में हुआ। अब जो ने इस शिक्षा प्रणाली का विकास मुख्यतया अपने शासन प्रवाद की आवश्यकताओं की दृष्टि से किया था और जो प्रथम उहाँने एक उदार शिक्षा प्रणाली की स्थापना के लिए किया था भी उसमें भारतीय शिक्षा का आधार मूलतया बोन्डिंग प्रगति न बन सका। इस प्रकार भारत की शिक्षा प्रणाली में यह दोष स्थायी रूप से रह गया कि एक तो वह विद्यार्थियों के नाम के विस्तार के लिए शिक्षा प्राप्त करने की भावना को उत्पात न कर सकी और द्वितीय उस पर ब्रिटिश सम्पन्नता की छाप रही। इस प्रकार भारत की शिक्षा प्रणाली का विस्तार स्वाभाविक ढंग से अपने देश की सहजति के अनुरूप नहीं हो सका। स्वतंत्रता के पश्चात भी भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधार अपेक्षा के द्वारा आरम्भ की गई शिक्षा प्रणाली ही रही। समय-समय पर उसमें जो परिवर्तन हुए हैं अथवा जो उसका विकास हुआ है, वह देश को नवीन और बड़ती हुई जावश्यकनामों के अनुकूल अब भी नहीं है। इसका कारण यह है कि भारत जैसे अद्विकसित देश के पास वह साधन नहीं है जिससे वह अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रणाली का विकास कर सके। भारत अभी आर्थिक दृष्टि से पूर्णतया सम्पादन नहीं हो सका है। इसके साथ ही साथ अभी पर्याप्त सत्त्वा न योग्यता प्राप्त व्यक्ति नहीं हैं जो राष्ट्र की बड़ती हुयी शिक्षा की आवश्यकताओं और विद्यार्थियों की सत्त्वा के भाव को समाल सके।

(2) शिक्षा प्रणाली छात्रों को व्यवसाय प्रदान करने में भस्मय-विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने का एकमात्र उद्देश्य, एक जब्ती नोकरी प्राप्त करना समझता है जबकि यह शिक्षा प्रणाली उसके इस उद्देश्य की पूर्ति करने में सबदा भस्मय है। जो जिन्हा आवसायिक है जस-डाकटरी गिराव, इजीनीयरिंग गिराव एम बी ए थार्ड, उनमें प्रवृत्त कठिनता से मिलता है, फिर भी, उहें भी सेवा काय मिलना कठिन हो रहा है। अत हमारी गिराव व्यवसाय प्रदान करती हो ऐसी आशा केवल कल्पना है यद्यपि ऐसी गिराव की व्यवस्था की जाने को है जिससे विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके किसी नोकरी को प्राप्त कर सके, परंतु कहाँ तक सफलता मिलती है यह भविष्य के गम में है।

(3) रुचि के अनुकूल शिक्षा प्राप्त करने में असमय-बहुत से अवसरों पर प्रवेश प्राप्त रखने की कठिनाई के कारण विद्यार्थी को कला अथवा विज्ञान के उन विषयों को पढ़ने के लिए बाध्य हाना पड़ता है, जिह न वह पढ़ना चाहता है न उससे अभिभावक उसे पढ़ना चाहते हैं। ऐसे विद्यार्थी अपनी शिक्षा में रुचि नहीं ले पाते हैं।

(4) शिक्षा में भाषा समस्या - शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, राष्ट्रभाषा हिन्दी हो अथवा प्रादेशिक भाषा हो, यह प्रश्न अभी ठीक प्रकार से नहीं सुलझ सका है। विभिन्न विश्वविद्यालयों ने इस विषय में विभिन्न नीतियों को अपनाया है, परंतु अभी तक समस्या का सतोषजनक हल नहीं निकल सका है, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसकी शिक्षा देना आवश्यक समझा जाता है तो हिन्दी और प्रादेशिक भाषा का ज्ञान भी प्राप्त करना चाहते हैं। विभिन्नता होने के कालस्वरूप भाषा के माध्यम की समस्या रहती है। जिससे उसकी शिक्षा का आधार ही समाप्त हो जाता है। विद्यार्थी तथा अध्यापक दोनों के लिए शिक्षा-माध्यम की समस्या रहती है। इसी प्रभाववश छात्रों में शिक्षा के प्रति अस्विचउत्पन्न होती है जो असतोष का कारण बनती है।

(5) पाठ्यक्रमों का अनुचित निर्माण - राष्ट्र की प्रगति और राष्ट्र की शिक्षा को विश्वस्तर पर बनाये रखने के लिए आवश्यक है पाठ्यक्रम का निर्माण आदर्श को सम्मुख रखकर बनाया जाय। परंतु यह आदर्श वास्तविक परिस्थितियों से पथक हो जाता है। जिस मात्रा में भारत में शिक्षा का प्रसार हा रहा है और जिस प्रकार सभी श्रेणी वर्ग और स्तर के विद्यार्थी शालाओं में शिक्षा प्राप्त करने आ रहे हैं। उसको देखते हुए पाठ्यक्रम वास्तविकता से परे हो जाते हैं। अध्यापक को अपनी रुचि, और तरीके व व्यक्तिगत प्रयास के कोई स्थान बाकी नहीं रह जाता तथा विद्यार्थी अध्यापक से केवल लिखे हुए नोट्स ही चाहता है जिनको रटकर वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। विद्वान् गोरे ने इस विषय में लिखा है कि “इस प्रकार यह व्यवस्था निरकुशी है जिसमें एक अध्यापक अपने पढ़ाने के तरीके स्वयं के पाठ्यक्रम अथवा स्वयं की बीदिक प्रेरणा का बढ़ाने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। 6

(6) दोषपूण परीक्षा प्रणाली - वर्तमान की परीक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को निरतर काय करने तथा बीदिक जागृति हेतु उत्प्रेरणा नहीं दे पाती यह याद करन की क्षमता (Memory) पर अधिक बल देती है। छात्र कक्षा में रुचि नहीं लेत और अध्यापकों के प्रति शृदाभाव नहीं। उनकी श्रद्धा बाजार के नोट्स, प्रश्नोत्तर कु जिया में रहती है।

(7) छोटी आयु में कालेज जीवन — छोटी आयु में ही कालेज में आ जान से विद्यार्थी न तो कॉलेज जीवन के उत्तरदावित्व को समझने की स्थिति में होता है और न उसके अध्यापक ही उसके प्रति एक युवा पुरुष के समान व्यवहार करने की स्थिति में होता है। अध्यापक-छात्र निकटता नहीं बनती।

6 The System, then is an authoritarian one in which the lecturer is not free to develop his own style of teaching, his own courses on his own intellectual initiative” Mr Gore

(8) शक्ति और उत्साह के सदुपयोग हेतु सुविधाभाकी कमो — हमारे देश की शिक्षण सम्याचार में विद्यार्थियों की शक्ति और उत्साह का भव प्रकार से सदुपयोग करने की सुविधाये बहुत कम है। खेलबूद, सास्कृतिक कार्यक्रम व अन्य सहगामी प्रवृत्तियों के सचालन से उनके उत्साह व शक्ति का सही उपयोग किया जा सकता है लेहिन शिक्षण सम्याचारों में अध्ययन प्रध्यापन के प्रतिरिक्त बहुत ही कम सुविधाएँ वह भी सीमित सम्याचारों में उपलब्ध है। मानवीय व भौतिक साधनों के अभाव के माय साथ इन कार्यों के लिए समय बहुत कम रहता है। विभिन्न प्रकार के उलों की व्यवस्था, व्यायामशाला, ड्रामा, बाद विवाद एवं लतित कलाओं की शिक्षा आदि संघातों के व्यक्तिगत का विकास होता है तथा वे हुए समय का सदुपयोग नहीं सिद्धात के तौर पर एन सी सी, एस एस यू आई, एस एम एल, स्कॉर्टिंग, गल गाईड आदि जैसी राष्ट्रीय उपयोगी सम्याचारों का संगठन शिक्षण सम्याचारों में कार्यरत है परन्तु छात्र उसका लाभ उठाकर समाजोपयोगी नागरिक के रूप में परिवर्तित हो सके, ऐसी धारा करना व्यथ है।

(9) योग्य अध्यापकों व उपयुक्त परिस्थितियों का अभाव — छात्रों के असतीय का मुख्य कारण याग्य अध्यापकों का न होना और यदि योग्य अध्यापक हो तो उनके काय करने योग्य उपयुक्त परिस्थितियों का अभाव है। आज की अनुशासनहीनता का कारण बहुत हद तक अध्यापक है। बहुत से अध्यापक स्वेच्छा से इस व्यवसाय में प्रविष्ट नहीं हुए हैं उह सम्मान देने वाला व जटिक पैसा देने वाला व्यवसाय न मिलते की स्थिति में अध्यापक बते हैं। अत स्वाभाविक है कि वे लिखने पढ़ने व छात्रों के विकास में कोई रुचि नहीं रखते। अपनी व्यवसायिक व जटिक योग्यता बढ़ाकर पदों निति व पसे जोड़ना ही उनका उद्देश्य रहता है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी भी उनका सम्मान नहीं करत। लेकिन कुछ अध्यापक अपने कर्तव्य का निर्वाहि करना चाहते हैं उहे काय करने का अवसर नहीं मिलता। अध्यापकों को सामाजिक आर्थिक, व स्तर (Status) की इटिंग से हेठ समझा जाना है। इसलिए योग्य व्यक्ति इस व्यवसाय में नहीं आते, आते भी हैं तो उनको ऐसी परिस्थितिया उपलब्ध नहीं होती कि उनका पूण लाभ उठाया जा सके।

अध्यापकों वा जीवन कठिन है। जब अध्यापक स्वयं अपनी परिस्थितियों के सतोष का अनुभव नहीं करते तो विद्यार्थियों पर भी उनके असतोष का प्रभाव प्राप्त अवश्यभावी होगा। बन्दूद विद्यविद्यालय की खोज की एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि "प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों की अधिकाश निराशा वा कारण उदासीन अध्यापकों और अप्रगतिशील शिक्षा के तरीकों में पाया जा सकता है। 7

7 A large amount of student of Frustration can be traced directly & indirectly to indifferent teachers & unprogressive teaching methods, Report of a Survey of the Student of University of Bombay

इन प्रकार, भारत की शिक्षा नीति व शिक्षा संस्थाओं की काय प्रणाली में अनेक ऐसे नोट हैं जिनका प्रभाव भारतीय विद्यार्थी समाज पर प्रत्यक्ष रूप से आता है और जो उनके असन्तोष का कारण बनता है। भारत के विद्यार्थियों के ग्रधिकाश और दोलनों का मूल कारण यही रहा है।

(2) आधिक परिस्थितिया — छात्र असन्तोष के पीछे पाश्चात्य सकृदान्ति अतिभी- तिकवादी इष्टिकाण और शारीरिक सुखवाद काय रहा है। अथ सम्यता व सकृदान्ति का विकास औद्योगिक कान्ति के समय से प्रारम्भ हुआ है। 1960 से घाटे की ग्रथं व्यवस्था का युग प्रारम्भ हुआ है। जमानों और सटटे वाजारी ने मूल्य वृद्धि म और अधिक सहयोग दिया है। गरीबी के इय बड़त हुए कुचक ने जन जीवन को परेशान कर दिया। इससे उनमे असन्तोष और आकोश बढ़ा। भव्यमवग के छात्र ज्यादातर अध्ययनरत होत हैं जिनका उद्देश्य अच्छी नौकरी प्राप्त करना है। मध्यम वग के छात्रों के पास राज- नतिक प्रभाव और उत्कोच आदि न हाने से नौकरी म भी पिछड गय और वह छात्र समुनाय दुरी तरह भौमुला उठा क्षोकि उसे नौकरी मिलने की सम्भावना कम होने लगी और उसका अनेक उसे उत्तरदायित्वहीन ही नहीं बत्कि अनेक अवसरों पर अपने आधिक, सामाजिक और शिक्षात्मक ढाँचे के प्रति विद्रोही बना देता है अर्थात् छात्र असन्तोष का कारण भूखमरी और भविष्य के प्रति आशाका है।

प्रत्येक काय तत्परता से होगा आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि नहीं होगी और सुगमता से मिलता रहेगा तो ईमानदारी बढ़ेगी इससे छात्रों का असन्तोष घटेगा। तत्कालीन वित्त मंत्री स्व श्री चाहुन ने लोकसभा—“चीजो जिन पर जीवन आशूत है, के दाम सामाज रहते तो भी छात्रों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।”

(3) पारिवारिक व सामाजिक मायताएँ — (1) औद्योगिक कान्ति व समाज — औद्योगिक प्रगति और बदलती हुई आधिक परिस्थितियाँ हमारी पारिवारिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित किया है। आधिक प्रगति की गति के मुकाबले सामाजिक प्रगति नहीं हुई है जिनके फलस्वरूप जमातुलन पैदा होया और आकोश व द्वद पदा हुआ। औद्योगिकरण के कारण सामाजिक मायताएँ बदल रही हैं। पर तु परम्परा, समाज और धर्म का प्रभाव भी भारत पर बड़ा गम्भीर है। इससे मानसिक तनाव विशेषकर शिखित छात्र वग पर आ रहा है। भारत की सयुक्त परिवार व्यवस्था बच्चों का माजाप और परिवार के प्रति उत्तरदायित्व, व्यक्ति का अपनी जाति पड़ोसी सम्बन्धों पर आधिक के प्रति कर्तव्य आदि सभी कुछ एक औद्योगिक समाज के अनुकूल नहीं है। इससे औद्योगिक प्रगति के माग पर अग्रसर भारत मे ये सभी टूटते या बदलते जा रहे हैं।

है। परंतु इस परिवर्तन से जो तनाव उत्पन्न हो रहा है वह विद्यार्थी—समाज को नहीं रखा है और प्रभावित कर रहा है और वह उनकी अनुशासनहीनता का एक मुख्य कारण है।

(2) विद्यार्थियों में निरकृत व स्वतन्त्र वातावरण का दृढ़न्दृ —

आज का विद्यार्थी पर पर निरकृती पौर मित्रों में स्वतन्त्र विचारधारा, दारों से मानसिक तनाव बढ़ता है। वह परिवार के छोटे वातावरण के सम्मुख प्रकट नहीं कर पाता। उसको प्रकट करने का सबसे उपयुक्त स्थान अपनी स्वयं की गिरावट स्थायी होती है।

(3) लड़के व लड़कियों के सह सम्बन्ध — भारतीय समाज लड़के व लड़कियों के पारस्परिक सम्बन्ध स्वतन्त्रता, सहयोग और मित्रता के नहीं है। इसके परस्पर मित्रता के सम्बन्ध स्वीकार नहीं है। लेकिन सह शिक्षा व सेवाओं के लिए समान धरवर जैसी व्यवस्था में दोनों के सहयोगी और मित्रता के सम्बन्ध सम्भव हो गय है। जबकि समाज इसे मूल्यों के प्रतिकूल समझता है। लड़के व लड़कियों के पारस्परिक सम्बन्ध ऐसी परिस्थितियों में स्वाभाविक नहीं बन पाते और तनाव को पैदा करते हैं। दुर्भाग्य है कि अधिकारियों लड़कों का व्यवहार लड़कियों के प्रति उद्दृष्टि और उभूतिता का होकर अज्ञानीय हो जाता है और लड़कियों का व्यवहार लड़कों के प्रति यक्षम और नव का हो जाता है। इसका प्रभाव विद्यार्थियों के व्यवहार पर प्रभाव डालता है। अनेक धर्मयापन पर सह शिक्षा में अनुशासनहीनता का मुख्य कारण लड़के व लड़कियों के स्वाभाविक सम्बन्धों का न होना ही है।

(iv) धार्मिक मा यताओं व परम्पराओं से वास्तविक जीवन में निराशा —

भारत धर्म प्रधान देश है, जिसका सामाजिक जीवन पर प्रभाव डालता है। विद्यार्थी इस प्रभाव से मुक्त होना चाहता है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से धर्म से अपने आपको पृथक नहीं कर सकता। धर्म प्रधान देश के नवयुवकों के लिए दिल और दिमाग में समय पैदा करता है। उसकी धार्मिक मा यताओं और परम्परागत आदर्शों का जो संघरण उसके जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से होता है, उससे उसे निराश और दुःख का अनुभव होता है। एलीन डी रोस ने ठीक ही लिखा है— ‘धार्मिक विश्वास मात्र को ज्ञान देने के साथ समझोता कठिन नहीं है, परंतु जब एक विद्यार्थी इसे अपने पहले के अनेक विश्वासों के साथ-साथ छोता है तो यह उसके लिए एक बड़ा हानिकारक अनुभव हो सकता है।’⁸

(4) विद्यार्थी-सम्भवता और नवीन मान्यताये —

(1) धार्मिक और शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन - विद्यार्थी समाज की अपनी

⁸ Loss of religious faith itself may not be difficult to adjust to but when it occurs at the same time as a student loses men of his early beliefs, it may be a very upsetting experience 'Aileen D. Ross

जलग सम्मता का निर्माण हुआ है : देश की प्रार्थिक और शिक्षा व्यवस्था म बहुत तीव्रता से परिवर्तन हुए हैं। बगैर लिंग व जातिभेद के व्यवसाये चयन की स्वतंत्रता है। विद्यार्थी घर से दूर छात्रावास मे भी रहते हैं जिनकी जलग मनोवृत्ति⁹ का विकास होता है। विद्वान मातजा लिखते हैं—‘नवयुवका मे पृथक होकर अपनी एक पृथक सम्मता के निर्माण की भावना प्रसुख है, यह इस बात से समझा जा सकता है कि यह प्रवृत्ति केवल एक किसी विशेष राष्ट्र या सामाजिक वर्ग तक सीमित नहीं है बल्कि ग्रोथोगिक हण्ठ से प्रगतिशील सभी देशों म पाई जाती है।’⁹

छात्र व छात्रायों के केश-विधास, वेशभूषा, विचारों, भावनाओं की कुछ विशेषताएँ हण्ठगोचर होती हैं। फिल्मे उनकी वेशभूषा, विचारों व आदर्शों को प्रभावित करते हैं। घम और सामाजिकता वर्ग के आधार पर नहीं मानत। आज का विद्यार्थी आर्थिक, सामाजिक समानता व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्षधारी है। इस प्रकार अनेक बात विद्यार्थी-संस्कृति को भारतीय समाज की साधारणतया माय संस्कृति से जलग करती है। परन्तु इनके प्रतिरिक्त उसकी दो बातें विशेष हैं—

(1) वर्ग-भावना और (2) प्राचीन के प्रति विरोध की भावना।

ii) विद्यार्थियों के विचार प्रोड पीढ़ी स्वतंत्रता व प्रगति में वाधक —

जहा उहे अधिक स्वतंत्रता भी होती है वहापर भी वह प्रपने मस्तिष्क से इस विचार को नहीं निकाल पाते। टी आर फीवेल के अनुसार—“जो है इसके प्रति विद्यार्थियों म एक आलोचनात्मक भाव है। यह आलोचनात्मक हण्ठकोण परम्परा से होती पाई आलोचना और अलगाव की भावना और आधुनिक समाज के बुजुर्गों के प्रति नवयुवकों का विद्वेशी हण्ठकोण है।”¹⁰ इस प्रकार शिक्षित युवा पीढ़ी और प्रोड पीढ़ी म जो अन्तर और विरोध हो गया है उसका परिणाम भी विद्यार्थियों का भ्रसन्तोष है।

(iii) युवा पीढ़ी और प्रोड पीढ़ी का अन्तर निरंतर बढ़ रहा है — अभिभावक, समाज व अध्यापकों पर विद्यार्थियों का आभेष है कि वे उनकी स्थिति से अनभिन्न हैं परं उहे अपना रास्ता स्वयं तलाश करना है। ऐसे विचार छात्रों को शासा व समाज म संपर्क की ओर अप्रसर करता है।

⁹ The fundamental nature of this separation of young people into a Sub culture of their own is evident from the fact that this Phenomenon is not confined to any particular nation or Social class, but is found in all highly industrialized Countries” Matza

¹⁰ “There is an inherent tendency for students to take a critical attitude towards the status quo. This critical attitude is the product of a tradition of criticism & alienation and of the rebellions of youth towards their elders in modern society” —T R Fyvel

(iv) प्रोढ़ पीढ़ी आदश और मायतायो को प्रदान करने में असफल।— बास्तव में प्रोढ़ पीढ़ी छात्रों को समय व युग के बदलते हुए परिवेश के अनुकूल प्रादर्श और मायताये प्रदान करने में असफल रही है। देश के विशिष्ट वर्ग चाहे ध्यापारी, राजनेता, समाज सुधारक हो स्वतंत्रता के उपरान्त अनेकिक चरित्र ही प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही रोप और धूणा, पदा करने जौसी काय-प्रणाली को अपनाया है। अध्यापक व शिक्षाविदों ने भी काई ठोस काय नहीं किया, जिससे छात्रों में असताय व विद्रोह की आग को प्रज्जवलित किया। युवा पीढ़ी के घलगाव का कारण उनमें अनेकों के सम्मुख आने वाली विरोधी मांगें और मायताय हैं।

(v) छात्रों की बठिनाई और बुराई दूर करने के लिए समाज द्वारा प्रयत्न नहीं—

आज सभी वर्गों के लोगों का अभियान है कि छात्रों को अनुशासन में रहना चाहिए। उन्हें अपनी शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण प्राचरण अपनाना चाहिए। छात्रों के लिए मानवीय एवं भौतिक साधनों का अभाव है। अध्यापक व छात्रों के बीच भावात्मक संवाद का अभाव है। ऐसी स्थिति में इन असुविधाओं को दूर करने के लिए भी विद्यार्थीयों के पास अपने अपने तोप को प्रकट करने के अतिरिक्त काई जय साधन नहीं हैं। यहाँ आवश्यकताओं और सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों पर ही छोड़ दिया गया है और ऐसी स्थिति में उनके पास हड्डताल, जुनून नारे, धेराव भूल हड्डताल आदि के अतिरिक्त और कोई ऐसा साधन ऐसा नहीं होता है जो उह उनकी उचित सुविधा दिलाए सके।

(5) सास्कृतिक कारण— आज हम सास्कृतिक द्वासा के युग में साँस ले रहे हैं। सस्कृति है क्या? इसके लिए थी ई बी रायलर का कथन— “सस्कृति वह संशिलित अभियोजन है, जिसमें समाजगत ज्ञान, विश्वास, कला, नीतिकता, कानून, रस्म रिवाज की सभी प्रकार की समताएं और आदते समिलित रहती है।” भारतीय सस्कृति की चार विशेषताएँ हैं— (1) राष्ट्रीय एकता (2) गत्यात्मकता (3) समत्व (4) साम्प्रदायिकता रहित भावना। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी सस्कृति के अनुरूप काय न होकर पापचात्य सस्कृति देश में फैल रही है। डा एस रामाकृष्णन ने तत्सम्बन्धी के अनुसार— “पवित्रमी सस्कृति की मुख्य प्रवति मनुष्य और ईश्वर में विरोध बढ़ाना ह जिसमें ईश्वर की शक्ति का प्रतिरोध करता है। भारत में मनुष्य ईश्वर से उद्भूत माना जाता है। भारतीय चित्त में ईश्वर और मनुष्य में हादिक सम वय है।

थी के एम मु शी का कथन है— “पाश्चात्यवाद मनुष्य की उनके निहृष्टतम विचारों के धरातल पर गिरा देता है। उसके लिए अपनी स्वाभाविक इच्छाओं और भाव, श्यकतानों को पूरा करने के सिवाय और तुल्य ही नहीं, जिसे वह मनुष्य बनाने।”

भारत द्वाय सस्कृतियों को अपने में आत्मसात करता आया है। प्रो रावा कुमुद मुकर्जी 'यह वह राष्ट्र है जिसने भौगोलिक सीमाओं का अतिकरण करके सास्कृतिक परिसीमा की नूतन अवधारणाओं को अग्रीकार किया है अर्थात् हम अपनी सस्कृनि ला रहे हैं।

आज के भारत में "मन्त्रा सस्कृति" व 'भौतिक सस्कृति' जिसका प्रतीक धन, भौतिक प्रतियोगिता और भौतिक शक्ति की पूजा है जिसके कारण अनतिकता, स्वाधपरता, भ्रष्टाचार अस्तीलता, मदिरापान, नाइट बलब, रेस, मेम्बरिंग, मडर केवरा आदि का प्रयोग बढ़ रहा है।

आज हमारी शिक्षा, सास्कृतिक क्रान्ति का मार्ग खोलने में पूर्णतया असफल रही है। समय की मांग है कि पाठ्यक्रम में सस्कृति का समावेश हो जब्यथा आज का बालक दिशा भ्रष्ट और विद्वाही होता रहेगा। विध्वस ही उसकी मृजन शक्ति है और आत्मसन्तोष का कारण। हमारी शिक्षा उधार ली गई पढ़ति पर आधारित है।

(6) नैतिक कारण — पाश्चात्य सस्कृति के प्रभाव से तिनेमा, बलब जीवन के बारे, छू-प्रिय यौन उ मुक्तता का हृषिकोण तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसका प्रसार होने का कारण देश के नतिक मूल्यों का पतन है जिसे अब भी गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। मुक्त योनाचार, लड़के-लड़कियों का 'डैटिंग' पर जाना 'एडवॉर्स समझा जाता है। इसके साथ ही अथदा और अनास्था नैतिकता की कमी का कारण है। यही अनतिकता अराजकता को जन्म देती है। छात्र असन्तोष व आक्रोश कुण्ठा और जविष्वास नैतिकता के कारण है। अत द्वाय तो उनमें कतव्य के प्रति उत्तरदायित्वों की भावना बलवती ही जायेगी और स्वस्थ चित्तन की आदत बढ़ेगी।

"छात्र असन्तोष का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण — (Psychological Analysis of Student Unrest)

आज भारतवर्ष का छात्र भी द्वाय पाश्चात्य देशों की भाँति सामाजिक स्तोकरण, माध्यवादी, मूल्यों परम्पराओं को टोड़कर नये ढंग से स्थापित करने में छविकार है। किशोर अवस्था में छात्रों पर समाज, शाला व अभिभावका द्वारा अत्यधिक नियशण रखने का सफल प्रयास किया जाता है जबकि इस अवस्था में बालक नियन्त्रित नहीं होना चाहता। 'बाल-के-द्वीप' शिक्षा अवस्था में बालक को स्वतंत्र वित्तन व स्व-प्राप्ति पर बल दिया जाता है। बदलते हुए मूल्यों में किशोर एवं नवयुवक स्वतंत्रता चाहता ही है। इसीलिए आज का युवक प्रोडो की परवाह किये बगेर ही अपनी विचार-पारा, क्रियाकलाप, अपनी पहचान को बनाये रखने का प्रदर्शन करने में काई कातई नहीं करता। छात्र-असन्तोष प्रोड व बुढ़ों का, नये तथा परम्परागत लोगों के बीच नई विवित माध्यवादी एवं प्राचीन प्रथाओं का सघष्प है।

मनोविज्ञानिक किसी भी असन्तोष को पदराने वाली स्थिति भी श्रेणी म नहीं रखता। चाहिए जैसे कि विद्रोह, विष्वव्यापादि स। भारतीय धार्य प्रावश्यकताओं मूल्यों, दिशाओं और निरन्तर परिवर्तन के लिए कटिवद है तो ऐसो प्रवस्था में असन्तोष एवं सामाजिक असन्तुलन दोस्री स्थिति का प्रादुभाव होना स्वाभाविक किया है। कभी-कभी प्रगति के लिए असन्तोष आवश्यक भी होता है। छात्रों के ढर, भय, प्रलोभन व परम्परा की आट म अनुशासन बनाने हेतु निर्देशित करने की बजाय प्रातम-अनुशासन के लिए संस्कार डाले जाय। अँडर व डिसिप्लिन के भेद को स्पष्ट किया जाय। यहां प्रनुशासन है वहां प्रॉफेसर स्वत ही बना रहेगा परन्तु जहां प्रॉफेसर है वहां प्रनुशासन का होना आवश्यक नहीं। अनुशासन एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को सर्वोच्च मानसिक एवं सामाजिक प्रयत्न करना सम्भव है।

नये विकासों के फलस्वरूप राजनीतिक, सामाजिक, धार्यिक, सांस्कृतिक व पारिवारिक दबाव व तनाव बढ़ रहा है जिससे इन से सम्बन्धित सत्याघो के प्रति असन्तोष व विद्युसात्मक प्रवत्ति बढ़ रही है। उनमें मानसिक कमज़ोरी बढ़ती है जिससे शाला, परिवार, कक्षा, प्रवृत्तियों में सम्भागी नहीं होना चाहिये। इस प्रकार से विकसित असन्तोष सामुहिक हड्डताल करते हैं जो 'मार्व-मनोविज्ञान' के अन्तर्गत विचार का विषय बनता है। धात्रों में असन्तोष मुख्यतः कार्य आगे पढ़ने में रुचि न लेना भी है। पाठ्यक्रम से ऊँट कर गलत तरीकों से परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहता है। वे पाठ्यक्रम को हृदय से स्वीकार नहीं करते तो एकाग्रता कोरी कल्पना ही है। पुराने व नये युग के बीच, नौजवानों व प्रौढ़ों के बीच विवारो का समय है। इसलिए धात्रों के मस्तोप तथा विद्रोह से भय नहीं है। भय इस बात का है कि धात्रों में केवल नकारात्मक एवं विद्युसात्मक प्रवृत्तियों का प्रभाव बढ़ रहा है। यदि उसको शक्ति का उचित स्तेमाल करते हुए सूजनात्मक कार्यों के प्रति उत्प्रेरित किया जाय तो उत्तम रहेगा। सौदय-हृष्टि से व्यभिचार, अद्वितीयता, धृणा व आक्रोस समाप्त होकर उपयोग नागरिक बनेगा।

छात्र असन्तोष समाधान और सुझाव

(Student Unrest remedial measures & Suggestions)

छात्रों की ऊर्जा, का उचित ढग से उपयोग करने और उनमें असन्तोष दूर करने के लिये निम्नलिखित बिंदु सामने आते हैं, जिनके सहयोग और सम्बद्ध दृष्टिकोण से इस समस्या का समाधान ही सकता है—

- (i) प्रशासन, (ii) शिक्षक, (iii) शिक्षा का नियोजन, (iv) अभिभावक (v) राजनीतिश

(vi) नेष्टु विचारक (vii) छात्र (viii) नैतिक मायताएँ (ix) अय कारण ।

(i) प्रशासक —

- (a) शिक्षण सस्थानों को प्रजातान्त्रिक ढग से पुनर्गठन करते हुए नयी व्यवस्था हो ।
(b) शिक्षण सस्थानों के प्रशासकों में अधिकार के प्रयोग की बजाय सेवा की भावना हो।
(c) शिक्षण-सस्था प्रधान दो समझदारी और सद् व्यवहार का बातावरण बतावें ।
(d) परीक्षा-व्यवस्था निष्पक्ष व नियमिताओं को लिए हुए हो ।
(e) प्रस्तुति की स्थिति को समाप्त करने हेतु सकल प्रयास वाढ़ात है ।
(f) सस्था प्रशासन के गसठन व सचालन में छात्रों को भागीदार बनाया जाय ।
(g) शिक्षण-सस्थानों में कोई किसी पर अविश्वास न करे, ऐसा प्रशिक्षण है ।
(h) 'शिक्षक छात्र परिषद' का निर्माण किया जाय ।
(i) 'छात्र कल्याण' के लिए समुचित व्यवस्था हो ।
(j) किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन को लागू करने से पूर्व छात्रों को विश्वास में लिया जाय
(k) सस्था में गम्भीर व चित्तन के बातावरण को बनाया जाय ।
(l) व्यवसायिक सूचना, परामर्श, हावी कल्ब, आदि का सगठन किया जाय ।

(ii) शिक्षक —

- (a) शिक्षक व छात्रों के बीच सीहादपूर्ण बातावरण बना रहे ।
(b) बढ़ती हुई छात्र सस्था के साथ शिक्षक सस्था बढ़ायी जाय ।
(c) शिक्षकों को सभी सुविधाएँ व पदोन्नतियां दी जाय ।
(d) सस्ते नोट्स और कु जिया लिखना अपराध समझा जाय ।
(e) अध्यापक को छात्र के हित में कायरत रहना चाहिए ।
(f) अध्यापकों को आदर्श व्यावसायिक रूप में अपन का प्रतिष्ठित करना चाहिए ।
(g) शिक्षक को छात्र में मैंची भाव स्थापित हो । उनका परस्पर व्यवहार भी प्रिय और अदाजनक हो तो उत्तम होगा ।
(h) छात्रों के सशय का निकालने में मदद करना चाहिए ।
(i) शिक्षक को विश्वसनीय और सम्मानीय बनाने से छात्रों में रुचि और रुक्मान लेने लगेगा ।
(j) शिक्षक छात्रों का आदर्श नेतृत्व तब ही कर सकता है जब स्वयं प्रत्येक प्रवति में भागीदार बने और छात्रों को भाग लेने हेतु उत्प्रेरित करे ।
(iii) पचवारीय योजना में शिक्षा —
(a) शिक्षा-नियोजन इस ढग से किया जाय कि आवश्यकता और प्रूति का सन्तुलन बना रहे ।

- (b) अम]निष्ठा तथा अम का सम्मान करवान की दृष्टि से अमिक वर्ग का स्तर उठाया जाना चाहिए ।
- (c) अम का समुचित प्रौर सम्माननीय मूल्य नौकरों जाय तो नौकरों की समस्या बहुत कुछ सुलझ जायगी ।
- (d) स्वतंत्र व्यवसाय चयन म दितचस्ती का विकास किया जाय ।
- (e) समाज के विशिष्ट वर्ग के लोगों पर, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर का इस अपनान संघातों म भी ईमानदारी, अमनिष्ठा व कत्तव्य पातन क युए का विकास हा सकेगा ।
- (f) पचवर्षीय योजनाय आर्थिक विषयता को स्थाई को पाटे ।
- (g) वेकारी की महामारी से देश को बचाने की व्यवस्था योजना म हो ।
- (h) पचवर्षीय योजनाएँ ठोस, तथा यथायपरक होनी चाहिए ।
- (i) ज्ञानजिन के साथ धर्मजिन(सीखो कमायो, एम यू पी डब्नू) क लिए उचित अवधि उपलब्ध हो ।
- (iv) अभिभावक —
- (a) अभिभावक द्यात्रों की हर प्रवृत्ति की ओर ध्यान दे ।
- (b) अभिभावक की लानरवाही से ही ध्यात्र गैर-जिम्मेदार बनते हैं ।
- (c) उह द्यात्रों के मन मे सशय रहित स्थिति पदा करनी चाहिए ।
- (d) द्यात्रों को समय-समय पर सूजनात्मक सुभाव प्रदान करे ।
- (e) अभिभावकों व द्यात्रों के बीच प्रतिदिन परस्पर वार्ता हो ।
- (f) परिवार म लाकतात्त्विक वातावरण का निर्माण करे ।
- (g) द्यात्र की रुचि, और आदतों के विकास म मदद करे ।
- (h) द्यात्रों मे रुचि, उनके काय के प्रति जिज्ञासा तथा भावी योजना म परस्पर मह योग से अस ताप समाप्त होता है ।
- (i) परिवार-सस्कृति को बरकरार रखना ।
- (v) राजनीतिज्ञ —
- (a) राजनीतिज्ञों को अपने अनुकरणीय काय करने चाहिए ।
- (b) गुटबंदी, दल बदल राष्ट्र विराधी कायवादी को कानूनी अपराध घोषित किया जाय, ताकि द्यात्र राजनेतायों के आचरण का अनुसरण करे ।
- (c) विदेशी राष्ट्रों के एजेंटों को राजनतिक दल कानूनी पाव द करे ।
- (d) सभी राजनतिक दल एकजुट हाकर देश को जनत व व मानवतावादी नावे मे बाते ।
- (e) हमारी सस्कृति, रिवाज व परम्परा आध्यात्मिकता पर माधित है । अतः अध्यात्म व नैतिक शिक्षा का समावेश हो ।

- (f) राजनीतिक दल को छात्र-निर्वाचन व आ दोलन में भाग नहीं ले ।
- (g) राजनीतिक सौदेबाजी छोड़कर जनहित नीति को अपनाय ।
- (h) राजनीतिक दल को अपनी आदर्श नीति पर आवारित शिक्षण-सत्याओं री स्था पना करनी चाहिए ।
- (i) दलों के बीच पारम्परिक ढूढ़ समाप्त किया जाय ।
- (vi) लेखक व विचारक —
- (a) लेखक और विचारकों का दायित्व है कि व माँग की पूर्ति के हितों से साहित्य-सज्जन न कर जनता की मनोवृत्ति का परिष्कार करे ।
- (b) विचारकों को चाहिए अच्छा दग्ध प्रदान करे जिसको आदर्श या लक्ष्य के रूप में देश अपनाय ।
- (c) सुवोध साहित्य को ही रचना करे ।
- (d) लेखक विचारक और प्रकाशक छानों को स्वस्था साहित्य दे ।
- (vii) छात्र —
- (a) छात्र अध्ययन की ओर अनुप्रेरित हो ।
- (b) शिक्षा को नीकरी पाना ही उद्देश्य न समझकर चरित्र विकास का सामने समझे ।
- (c) छात्र वेरोजगारी के हीए से भयभीत न हो ।
- (d) अन्यथन और मनन से थम के प्रति निष्ठाभाव पैदा करे ।
- (e) स्वयं आर्थिक-लाभ को योजना का निर्माण करे ।
- (f) अपन बीच स्टैंडो संकिल का निर्माण कर अच्छे वातावरण का निर्माण करे ।
- (g) वह हल्का बहुमिया और बहकाने वाला न हो ।
- (h) शशक्त बोयपुक्क, स्वालम्बी निर्भीक शा त स्वभाव का, निष्ठावान और सधुरभावी हा ।
- (i) विश्रीत परिस्थितियों म डगमगाय नहीं ।
- (viii) नैतिक मान्यताएँ —
- (a) प्रौढ़-पीढ़ी, नव-पीढ़ी के कायों की भरपुरा करना छोड़ दे ।
- (b) नय हितों को आत्मसाध करना ।
- (c) जहा नैतिक हित से सशोधन याद्यित है, वहा जविलध्व कर देना चाहिए ।
- (d) प्रौढ़पीढ़ी को आवश्यक सशोधन मे पहल करनी चाहिए जिससे विवाद जैसी परिस्थिति ही नहीं आने पावे ।
- (e) हितों और दायरा विस्तृत व उदार हो ।
- (f) पाश्चात्य मान्यताप्रो का विरोध की बजाय मंत्री और सौज पूर्ण वातावरण बनने से नई और प्रौढ़ पीढ़ी मे दृन्द नहीं होगा ।

- (g) नैतिकता का सही प्रत्यय छात्रों का स्पाइ करे कि यह नानव विकास हेतु ही तो है।
 (h) नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था से छात्रों में सहयोग, सद्भावना, सहिणुता, स्वस्थ्य प्रतियोगिता तथा ग्रामनुशासन आदि गुणों का विकास हो सके।

(ix) अय कारण —

- (a) छात्रों को सुविधाएँ देना विरोध के लिए जबरन न दे।
 (b) छात्रों के विश्वास का पुनर्स्थापित किया जाय।
 (c) विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएँ छात्रों के हितेष्वी काय करने से छात्र अकेलापन नहीं समझे।
 (d) ग्रसन्तोप पदा होने से पूर्व ही मनोवैज्ञानिक ढग से व्यक्तिगत निर्देशन व परामर्श प्रदान किया जाय।
 (e) पठ्यक्रमों में विविधता व शिक्षा प्रणाली व्यंजिकर हो।

उपसहार —

यह कहा जाना अनुपयुक्त नहीं होगा कि छात्र-ग्रसन्तोप के पीछे सामाजिक सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक नैतिक तथा जीवनिक व्यपरिवर्तन याजनाया का सोचनीय होना बहुत बड़ा कारण है। जाज के मुग में सब का समर्वित प्रभाव परस्पर पड़ता है। आज किसी भी प्रश्न को एक दूसरे से जुदा करके नहीं देखा जा सकता है। प्रत्येक प्रश्न के साथ अनेक सदर्भित प्रश्न या समस्याएँ हैं। छात्र ग्रसन्तोप वर्तमान परिस्थितियों को देने हैं। यह कोई आकस्मिक पटना नहीं है और न सिफ चौकाने वाली है, बल्कि जीवन के विभिन्न घटकों में हो रहे परिवर्तन और प्रयोग का प्रतिफल है और इसके पीछे ऐतिहासिक पष्ठभूमि काय कर रही है। इसलिए इस समस्या ने कई क्षेत्रों को प्रभावित किया है और यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि कही यह विस्फोटक रूप राजनैतिक उथल पुथल का कारण नहीं बन जाए। यदि इस गुवा शक्ति का सही दिशा में प्रयोग नहीं किया गया तो इसमें दो राय नहीं कि यह शक्ति जन-ऋति तक की स्थिति पैदा कर सकती है और तब इस पर विचार करने का समय निकल चुका होगा, वस्तुतया यह एक भयावह और विद्वसात्मक स्थिति हो गी, जिसके परिणाम व प्रभाव को आज सोचना कठिन होगा।

छात्र-ग्रसन्तोप का मुख्य कारणों में से बेरोजगारी है। शिक्षा पद्धति और पाठ्य-क्रम में कार्तिकारी परिवर्तन शिक्षा का रोजगार से जोड़ा जाय। देश का भौतिक सुविधाओं से नहीं आव्यास्त्र इण्टिकोण के विकास से उन्नत किया जाना चाहिए। नये मूल्यों के प्राधार पर नये समाज की रचना हेतु दर्शन प्रस्तुत किया जाय। हमारी शिक्षा नीति

प निरन्तर परिवर्तन हो रहा है उसे एक राष्ट्रीय नीति के रूप में प्रस्तुत किया जाय। और निश्चित भारतीय इटिकोण को विकसित करते हुए शिक्षा को जीवन की आवश्यकता से जोड़ा जाना चाहिए। छात्र, शिक्षक अभिभावक, राजनीतिज्ञ, लेखक विचारक और शिक्षिक प्रशासकों को चाहिए कि वे सभी सहयोगी रूपया अपनाकर छात्र-प्रस्तोष को समाप्त करने का मफल प्रवास करें। छात्रों को रोब, डर, भय से नहीं बल्कि विश्वसनीय तथा सामाजिक व सन्तोषप्रद वातावरण का निर्माण करे जिससे देश व छात्र समुदाय दोनों को ताम्र हा सके।



मूल्यांकन (Evaluation)

(अ) लघुत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions)

- 1 छात्र भ्रसन्तोष के निवारण हेतु पाच सुझाव दीजिए। (राज पत्राचार 1985)
- 2 आपके राज्य में छात्र-भ्रसन्तोष के पाच कारणों की सूची बनाइये। (राज 1984)
- 3 छात्र-भ्रसन्तोष न्यायसुगत हो सकता है, कि तु छात्र-'आदोलन' नहीं। टिप्पणी कीजिये। (राज 1983)
- 4 शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन में विद्यार्थियों के सम्भाग से छात्र अस तोष की समस्या किस सीमा तक सुलभ सकती है? (राज 1982)
- 5 'मारत मे छात्र भ्रसन्तोष का मूल कारण है बरोजगारी।' इस कथन की परीक्षा कीजिए। (राज 1981)
- 6 यदा शक्ति के मार्गांतरीकरण से आप क्या समझते हैं? (राज पत्राचार 1981)
- 7 राजस्थान में छात्र-भ्रसन्तोष के मुख्य दस कारणों की सूची बनाइये। (राज 1979)
- 8 शिक्षित बरोजगारी तथा छात्रों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता पर टिप्पणिया लिखिये। (राज पत्रा 1979)
- 9 पुराशक्ति को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण हेतु ठीक दिशा में प्रवाहित करने हेतु पाच सुझाव दीजिए। (राज 1978)

(ब) निवन्धनात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

- 1 निर्धार्थी ज्ञादोलन के लिए शक्षिक कारक कहा तक उत्तरदायी ठहराये जाते हैं? इनके निश्चकरण करने के उपाय सुझाइये। (राज पत्रा 1984)
- 2 छात्र भ्रसन्तोष को कम करने के लिए एक शक्षिक योजना बनाइये। (राज पत्रा 1981)
- 3 छात्र भ्रसन्तोष को कम करने के कारकों पर प्रकाश ढालिए और साथ में ऐसे सुझाव प्रस्तुत कीजिए जिनके द्वारा विद्यालय इस समस्या का निराकरण कर सकते हैं। (राज 1975)

[रूपरेखा— विषय प्रवेश, भारतीयकरण की आवश्यकता, शिक्षा में भारतीयकरण का सम्प्रत्यय, भारतीयकरण का जर्ये, शिक्षा में भारतीयकरण की वायदीय अवधारणा सस्कृति और भारतीय सस्कृति, भारतीय शिक्षा ऐतिहासिक परिणाम, शिक्षा का नारंतीयकरण हेतु प्रयास स्वतंत्रता से पूर्व तथा स्वतंत्रता के उपरात भारतीयकरण प्रयास के असफलता के कारण, भारतीयकरण हेतु सुभाव, उपस्थार मूल्यांकन] विषय प्रवेश—

अग्रेजी काल में लाई बैंकोले की शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत के बालक व बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करना न होकर कूटनीति इंडिट से एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का प्रारम्भ करना या जिससे रग से भारतीय बने रहे परन्तु विचार, इच्छा अभिरुचियों रहन सहन, इंटिकाण तौर-तरीके से, नतिक मूल्य सम्बन्धीयत का और मुकाबले निर तर द्रुत गति से हो सक। विनान की प्रगति, तकनीकी विकास यतो का अविष्कार एक दूसरी प्रतिया है। प्रकृति की देन—जलवायु मूल्य चाद के समान ही विनान के उपकरण भी मानवमात्र के लिए एक सरीखे हैं किन्तु अग्रेजी की सत्ता के पिपासु मकाले जसे लोग विनान वी विशालता का सकुचित बनाकर जपने साम्राज्य एवं अपनी भोगवादी सस्कृति एवं जन विदेशी धर्म के प्रचार के लिये विनान को एक अस्त्र बना रहे थे। भारतीय मनियियों समाज सुधारको ने इम प्रकार की शिक्षा नीति का व्यावरिक इंटिट से ही नहीं भि न-भि न मृजनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से भी प्रतिकार दिया। कानिकारी सावरकर ने विदेशीयन से देश को सावधान करते के बारण मानसिक दासता से मुक्त करने वाले कायाकल्प का जनक कहा है। अर्थात् वे चाहते थे कि शिक्षा का माध्यम राष्ट्रभाषा हो और राष्ट्रीय शिक्षा हो ताकि देश भक्ति का विकास हो सक।

भारतीय मनीषि व समाज सुधारक जाहते थे कि भारत के प्राचीन गोरव से वह मान को गुजाते हुए आध्यात्मिकता एवं बनानिकता के सम वय का प्रयत्न करते हुए भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए उपयुक्त मार्ग का अवेद्य करते हुए शिक्षा के

के क्षेत्र मे कुछ नये सिद्धा तो का प्रतिपादन किया गुरुकुल प्रणाली शातिनिकेतन आदि सफल प्रयोग रहे हैं। राष्ट्रपिता व अब राष्ट्रनायक भारतीय शिक्षा को भारतीय परश्पराओं पर जावारित करने के पक्ष मे थे। पाण्डुचेरी जाथ्रम मे अरविंद तथा काशी मे मालवीजी, अहमदाबाद की गुजरात विद्यापीठ आदि शिक्षा मे भारतीयता पर आवारित करने हेतु सफल प्रयोग कहं जा सकते हैं। इन स्थानों ने स्वतान्त्रता से पूर्व ही महान् देशभक्त पदा किये हैं जो स्वतान्त्रता संग्राम म अहम् भूमिका निभाने म सक्षम रहे हैं।

स्वराज्य प्राप्ति से पूर्व राष्ट्रपिता राष्ट्रीयता की ज्योति जगाई जिसके विकास म महामता, श्री नेहरूजी, सरदार पटेल, नेताजी राजाजी एव श्री देसाई आदि जुटे रहे परन्तु स्वत नता के उपरात हमारा इष्टिकोण नकाशात्मक बनता ही गया और सामाजिक एव राजनीतिक क्षेत्र मे निरन्तर भ्रष्टाचार का बोलबाला तथा 'मूल्यो' का हास गो हपा ही साथ ही पाश्चात्य देशो की नकल के जादी होते गये जिसके फलस्वरूप हम अपनी महान सास्कृति, हमारे सामाजिक, राजनीतिक मूल्या एव आदर्शों से दूर होते जा रहे हैं। इसी का कारण है कि आये दिन देश के सम्मुख सम्बद्धिकाना, जातियता, धर्म जब भाषा तथा भारतीय संविधान के प्रावधानो को लेकर ताडवनात्य इष्टिगोचर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति का जड से समाप्त करने के लिए भारत मे प्राचीन मूल्यो मे आस्था स्थापित और पाश्चात्य सम्यता का आवानुकरण न कर, देश की आवश्यकता के अनुरूप भारतीयकरण' करने के सफल प्रयास से ही देश सभी क्षेत्रो मे प्रगति की ओर अग्रसर हो सकता है। इसलिए म दयानाद भारतीयता का अवसूल्यन ननी करना चाहते थे। भारत के शब पृष्ठ प्रगतिवाद-एव पश्चिम के डिजाइन(Design)का भवन व सहन नहीं कर सकते थे। जिस प्रकार किसी वक्ष की पहचान हम उसके फल से करत हैं और फल की परीक्षा स्वाद से होती है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा की पहिचान देश से एव देश की पहिचान सास्कृतिक मूल्यो से हो पाती है। यद्यपि हमने राजनीतिक व्यवस्था मे तो इलड, फास, अमेरिका, स्वीजरलैण्ड आदि का अनुसरण किया है लेकिन देश मे शिक्षा तथा शिक्षा प्रदान करने के माध्यम जनेका अनेक है। अत अरविंद ने इसलिए कहा— 'आधुनिक भारतीय शिक्षा न तो आधुनिक है न भारतीय और न शिक्षा ही।' अत वन्मान पद्धति की जडता से पीछा छुड़ाया जाना आवश्यक है। हमारी शिक्षा नीति 'जिम्म आतरग सुनम्यता हो ताकि वह अपने आपको बदलती हुई परिस्थितियो के अनुरूप ढाल सके।'¹

¹ कोठारो दोलतसिंह, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट(शिक्षामन्त्री श्रीद्वांगला को पत्र 29 जून 66)

किसी दश की पहिचान उसकी संस्कृति से होती है। संस्कृति के हस्तात्मण सरथण एवं सबद्धन का प्रमुख साधन शिक्षा ही है। जल किमी राष्ट्र की शिक्षा उसकी संस्कृति का परिचायक नहीं है तो वह सच्चे धर्म में शिक्षा नहीं है। संस्कृति के प्रमुख तत्व हैं, जीवन-दग्धन, जीवन-चर्चा, भाषा और साहित्य परम्पराएँ व रोति-रिवाज आदि। दीधकालीन दामता के बारण हमारे राष्ट्र में शिक्षा की स्थिति निरन्तर भारतीयता के दृष्टिकोण से कमज़ोर बनती ही रही। यह बुड़ा भारत जो शिक्षा को दृष्टि से सबथेट और जगदगुरु का गया था दुर्भाग्य से भाज इस देश की तियां-पढ़ति की कोई पहिचान तक नहीं है ही भारत की पहिचान श्रिदेव के उपनिषद के रूप में अवश्य रही है। हम 21वीं सतान्दी म प्रविष्ट होने हेतु प्रवस्त्रशीर हैं तो हमारे राष्ट्र की पहिचान हो और यह पहिचान भारती स्वयं की शिक्षा अवश्य द्वारा ही। प्रश्न शिक्षा में भारतीयकरण का प्रभन उठाना स्वाभाविक ही है।

शिक्षा में भारतीयकरण की आवश्यकता

(Need of Indianization of Education)

- (1) शिक्षा दश की भावशक्तियां व भाकाशाधों के घनुस्फ हो।
- (2) शिक्षा का दग्धन भारतीय हा, जिससे देश का पहचान हो सके।
- (3) भारत म निर्मित भारतीय परिस्थितियों के घनुकूल हो।
- (4) शिक्षा भारतीय संस्कृत व परम्पराओं के घनुकूल हो।
- (5) शिक्षा जिससे धार्मिक सहिष्णुता एवं राष्ट्रीय एकता वी भावना का विकास हो सके।
- (6) भारतीय मूल्यों के प्रति आस्वारा, राष्ट्रीय-चरित्र का निर्माण।
- (7) भारतीय जीवन-दर्शन, भाषा, साहित्य और परम्पराओं के प्रति गौरव की भावना का उदय।
- (8) भारतीय सविधान, कांडे, राष्ट्रगीत, व राष्ट्रीय चिह्न के प्रति जास्थावान।
- (9) शिक्षा द्वारा चारित्रिक विकास भारतीय आधार पर।
- (10) सामाजिक, राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करते हुए कृतंशुओं के प्रति उत्तरदारीत की भावना का उदय हो सके।

शिक्षा में भारतीयकरण का सप्रत्यय

(Concept of Indianisation of Education)

भारतीयकरण का क्या धाराव है और भारतीय परम्पराना या भारतीय सोगों के द्वारा अप्य संस्कृति का घटनाने का— यह सप्रत्यय स्पष्ट नहीं है, बदोकि स्वत वहां से पूर्व भारतीय वस्तुओं का प्रयाग ही भारतीयकरण समझा जाता था। “भारतीय संस्कृति

सदव समावयन तथा नये उपकरणों को पचाकर आत्मसाद् करने की अद्भुत योग्यता

१ । १

देश में ईरानी, ग्रीक शक, हूण, कुपाण तुक, मुगलों का गहरा सम्बन्ध रहा है। लेकिन फिर भी हमने अपनी आधारभूत आयामों को नहीं छोड़ा। जिस प्रकार विभिन्न धरियों का पानी हि दमहासागर में विलीन होने पर नदियों अपनी पहिचान खत्म कर दी है ठीक इसी प्रकार भारतीय सस्कृति से इन विदेशी सस्कृति का परोक्ष व अपरोक्ष सम्बन्ध में प्रभाव होते हुए भी हम अपनी मूलभूत सास्कृतिक आगर को नहीं छोड़ पाये। वर्तात्र भारत में प्रो बलराज मधोक ने भारतीयकरण का आशय—“भारतीय भावना तथा भावात्मक एवं रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करने से है।” भारत राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीय भावना उज्जीवित करने का ही दूसरा नाम है—भारतीयकरण।

शिक्षा में भारतीयकरण के आधार तत्व

राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति राष्ट्रीय दर्शन पर निर्भर है तो राष्ट्रीय दर्शन के आधार पर शिक्षा दर्शन का निर्माण होता है और उसी आधार पर पाठ्यक्रम का, जिसके माध्यम से हम अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप उद्देश्यों की पूर्ति करने का सफल प्रयास करते हैं। देश के सभ्यत्व अनेक विकट चुनौतियों का सामना शिक्षा में ऐसे आधारभूत तत्वों का समावेश करने से ही समस्याओं का समाधान सम्भव है। शिक्षा में भारतीयकरण वर्तमान समय में अहम् मार्ग है। भारतीयकरण के निम्न आधार मूल तत्व हैं—

- (1) धर्मों की विभिन्नता में एकता—भारतीयकरण हेतु सभी धर्मों की मूलभूत एकता को समझाना। क्योंकि किसी भी धर्म की शिक्षाओं में अथवा उसके माध्यम से पारस्परिक विद्वेष, ईर्ष्या, सघष आदि प्रतिवादन नहीं किया गया है। “मजहब नहीं मिलाता, आपस में बैर रखना।” सन्नाट अकबर ने ‘दीन इलाही,’ धर्म को प्रचारित किया जो एकता हेतु प्रभावशाली प्रयोग रहा।
- (2) सम्मिलिती—धर्म का तात्पर्य ‘कल्याण’ से जोड़े। सभी धर्मों में मानवीय आचरण से सम्बन्धित नियम निकालकर शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का सफल प्रयास करे तथा परोपकार, अहिंसा, सत्यपालन, सदाचार अपरिग्रह आदि।
- (3) भारतीय जीवन शैली—अध्ययन काल में विना लिंग, जाति, सम्प्रदाय व क्षेत्र भेद के सभी को सामान रूप से शैक्षिक व अंत सुविधाएँ प्रदान की जाय चाह वस्त्र व खानपान की भी क्यों न हों। लेकिन इन सुविधाओं के पीछे उद्देश्य

1 रामकारी सिंह दिनकर, “सस्कृति के खात्र अध्याय” प्रस्तावना लेखक प नेहरू पृ 11 12

सादगी, उच्च विचार, सशक्त वर्ग द्वारा निर्वाल वर्ग की कल्याणकारी वाय कल्प
प्रयोग दान देना, भोगवाद से दूर रहना, सन की जपथा देने म प्रधिक इन,
विश्वास, अतिथि सत्कार त्याग, तपस्या आ अधेष्ठ बताया है तथा भोग को तुदा
जनसंख्या निय त्रण हेतु धर्माचाय पालन, जनमक्ष्या शिशा को छात्रों को समझाय
व पढ़ाया जाय सहकारे वृत्ति-सम्युक्त परिवार। इन वृत्तियों एव विवारों से
शिशा द्वारा पुन स्थापना यादित है।

(4) आध्यात्मिक मूल्यों को प्राविकता — 'इन दश ने आध्यात्मिक मूल्यों के
मुकाबले म भौतिक वस्तुओं का ऊँचा नहीं माना। ऐसा क्यों है कि इस देश के
राजनीतिक नेता भी धार्मिक धर्मिता ही रह हैं उन्हरणाव गोपीजी भी वित्तक
भी धर्मिद, स्वामी विवकान व क्योंकि वे भ्रष्टनी द्वाप इस देश पर द्योद स्फेद
यह उनकी राजनीतिक प्रतिभा के कारण सम्भव नहीं हुआ बल्कि
यह सम्भव हो सका है उनके त्याग और वे राम की भावना के कारण जिसके वे
जीते-आगते उदाहरण ये, क्योंकि वे त्याग की उस भावना को, जिसका अनुबरण
यह दश हमेशा से करता आ रहा है, भ्रष्टने जीवन म उतारने म सक्त
हुए थे।'

(5) प्रजातन्त्र — 'भारत म जागादी मिलने से पहले लोगों म इस प्रकार की जागादी
भी भय था। भारत की जागादी से विन्न हुए इन यात्रोंका को स्वतन्त्रता
प्राप्ति के बाद घटी घटनाओं ने पूरी तरह निराश कर दिया। आज विश्वाल
जन सूख्या बाल देश का यह एकता किसी प्रकार के बल प्रयोग या तानाजादी
के दबाव से नहीं बल्कि उनके लाकाताविक विचारों के कारण ही सम्भव हो
सकी है।' 2 हमने लोकटितकारी समद धर्माती को अपनाया है। अत बालकों
मे इसम जीविकार व कत थों के बारे म जान करवाकर सार भारतीयों के हित
मे काम हो बिना लिग, जाति धर्म, सम्प्रदाय के।

(6) धार्मिकता की स्वतन्त्रता — पिछली तीस बालीस शताब्दियों से हमारी धार्मिक
सहिष्णुता की नीति रही है। स्वतन्त्रता के बाद भी सविधान म 'धर्म-निरपेक्षता'
को कियावित रूप देने हुए प्रावधान रखा है। धर्म मनुष्य द्वारा ईश्वर को अ
क्तिगत स्तर पर खाजन का एक साधन है। अशोक ने यसने एक शिलालेख म
कहा था 'धर्म को लेकर कृष्णने की बजाय सम-वय आवश्यक है। किसी
भी धर्म का अनुयायी होने के बावजूद तुम्हारे अवक्तिव म सम वय स्थापित हो गया
तो तुम ऐसा महसूस करोगे कि तुम तब एक ही परिवार के सदस्य हो।' 3

1 राधाकृष्णन् "हमारी विरासत" पृ 5

2 राधाकृष्णन्, "हमारी विरासत" पृ 9

3 राधाकृष्णन् "हमारी विरासत" पृ 10

- (7) ज्ञान विज्ञान तथा प्रविधि का समावेश — भारतीय जीवन की आवश्यकता— नुसार पश्चिम के नान को हमारी जिक्षा में समावेश करते हुए शोब तथा उनके परिणामों का उपयोग सबजन हृत में किया जाय ।
- (8) राष्ट्रीय विकास तथा चुनौतियों से सामना करने की शक्ति — भारत जैसे विकासशील देश में जार्यिक राजनीतिक व सामाजिक, नान विज्ञान के क्षेत्र में सच्चे, चरित्रवान् परिश्रमी, साहसी राष्ट्र के प्रति भावात्मक लगाव रखने व ले नागरिक ही पदा करने का सफल प्रयास की आशा की जाती है ।
- (9) दुरुणा तथा दुभावनाओं से मुक्त करने वाली जिक्षा व्यवस्था हो ।
- (10) गुरु की महत्ता—जिक्षा में गुरु को ऊचा स्थान देना चाहिए तथा “गुणदूग विद्यायुक्त जिक्षा दिन योग्य हो” ।³
- (11) सादा छान जीवन — घृत्य त विषली वस्तुप्राक के सेवन से पृथक रहकर शुद्ध आहार व्यायाम शारीर के परिश्रम एव सुधम से जीवन निर्वाही और स्वच्छ वस्त्रादि धारण करे अर्थात् सादा जीवन उच्च विचार⁴ छान विद्या व्यसनी बने ।
- (12) भारतीयना के प्रति गौरव की भावना — भारतीय इतिहास का एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत कर मक्के चुनकर अमरिका के विलियम्स वर्ग के नमून पर विकाय किया जाय ।
- (13) समन्वय का सूत्र - उदारता विशावरूपतात्यता हो । विभिन्न सकृतियों, धर्मों, सम्प्रदायों, जातियों का समान जाधार पर अद्वा प्रदान करे ।

भारतीयकरण का सकुचित अर्थ—(Meaning of Indiaization) इंग्रेस न ग्राम प्रारम्भिक काल में भारतीयकरण का तात्पर्य यह भाना था कि राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न धर्मों से विदेशीयों को हटाकर भारतीयों को नियुक्ति करना । कतिंवय ब्रिटिशों ने भारतीय वशभूषा एव साम—पान को ही भारतीयकरण के सामादी जो अनुभुक्त है ।

जिक्षा के भारतीयकरण का व्यापक अर्थ—भारत के प्रथम प्रधानमंत्री प्रेमचंद्र ने प्रपनी पुस्तक ‘हमारी खोज’ में वराया कि विदेशी आक्रमण के ममय भारतीयों ने उनका सामना करके उहै भगाया । जिह ह भगा नहीं सके उह आत्मसात कर लिया । अर्थात् उनके नुसार विदेशी तत्त्वों के समावेश और आत्मसातकरण की प्रक्रिया का नाम भारतीयकरण है । अतः प नहरु जो की दृष्टि में विदेशी तत्वों के समावेश और नहातकरण की प्रक्रिया का ही नाम भारतीयकरण है ।

³ म द्यान द—‘द्यानन्द के सर्वश्रेष्ठ भावण’, पृ 123

⁴ म द्यानन्द वही—पृ 122

प्रो० बलराज मधोक ने अपनी पुस्तक भारतीयकरण में लिखा है—“भारतीयकरण का आशय है भारत और भारतीय संस्कृति के प्रति रागारम-भावात्मक सम्बन्ध रखता। भारत राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीय भावना उच्चीवित करने का ही नाम है भारतीयकरण।”¹ यदि हम इस एसे भी स्पष्ट कर सकते हैं—“सामाजिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व की भावना के विकास का दूसरा नाम ही भारतीयकरण है। राष्ट्रीय भावना का अथ केवल राजनीतिक निष्ठा ही नहीं बरत् राष्ट्र की सांस्कृतिक परोहरों पर गव, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रभाषा, राष्ट्र के महामुर्हयों, राष्ट्र के मूल्यों व विरासत घादि का हृदय से सम्मान करें।

प्रो० मधोक ने भारतीकरण² 2 पुस्तक में भारतीयकरण को नदूत आवश्यक माना है। जिससे भारतीयों में चेतना और गर्व पढ़ा करने के प्रभावशाली साधन प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया है—

- (i) निकिं पिक्षा एवं राष्ट्रीय भावना पढ़ा करने वाले दायरमों का समावेश पाठ्य नम में हो।
- (ii) वर्गभेद दूर हो और राष्ट्रीय एकता की बात पिछालय से प्रारम्भ हो। यदि विद्यालयों में कोई एकता नहीं तो बाहर के जीवन में एकता नहीं हो सकती।
- (iii) कुछ सम्प्रदाय भाषा विशेष से लगाव रखने हैं। यदि सम्प्रदाय या जाति विषय के प्रावधार पर एक भाषा विशेष के माध्यम से अध्ययन करने की मांग करे तो राष्ट्रीय एकता में बाधक है।
- (iv) इतिहास के प्रति सही दृष्टिकोण यह है कि तत्वों को पवित्र समझा जाए और वाज की सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार उनकी व्याख्या की जाए। धूला, इष पैदा करने वाला न ही कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इतिहास का अध्ययन हो जिससे सम्प्रदायों में भौहाद्यपूर्ण वालावरण बनेगा।

प्रो० रमेश कुन्तल मेध के अनुसार—‘भारतीकरण’ आधुनिक भारतीयता तथा भारतीय आधुनिकता³ का सामर्ज्यस्य है।³

‘आधुनिक भारतीयता’ का अथ वह भारतीयता जो भारत में आज है अतीत की भारतीयता नहीं। ‘भारतीय आधुनिकता’ से आशय है आधुनिकता का वह रूप जो भारत में विकसित और स्वीकृत हुआ है। प्रो० मेध का सम्प्रयद्य तथा प॒ नेहरू के विचार

1 मधोक बलराज, भारतीकरण—1970 पृष्ठ 101-112

2

3 रमेश कुन्तलमेध, “आधुनिकता औषध और आधुनिकण” प० 79

एक समान ही है ।

म दयानंद— “परिवर्तन एव सुधार एक फैसल नहीं राष्ट्रीय आवश्यकता समझ कर दे करना चाहत था । उनका हृषि मत था— यादि जाइवत मूल्यों की जो रूल एव मणिया है । हमने अपनी भूल परेस्परफूट से उनको बून पूर्यत कर दिया है । उसी को धोकर स्वच्छ कर नवीन स दर्भों मे उनके उपरत पक्ष को दर्शाना हमारा व्यवहार है ।” ।

स्वामी विवेकानन्द जी भी पूर्व और पश्चिम के विधारों मे आदान-प्रदान के हामी थे । उनका विश्वास था कि भारत पश्चिमी राष्ट्रीयों को अध्यात्म बाद की शिक्षा दे सकता है और पश्चिम से भौतिक प्रगति की शिक्षा प्राप्त कर सकता है ।

डा सवपल्लि राधाकृष्णन् भी अपनी प्राचीन परम्पराओं मे अच्छाई है उह अपनाने तथा आधुनिक बाते भी स्वीकार करने योग्य है उह मानने को तृप्तार है । उन्होंने कहा— ‘म आधुनिक हूँ लेकिन मैं यह मानता हूँ कि आधुनिकता का अथ है— अपनी प्राचीन विरासत की मूल्यवान बातों को बनाये रखना और घटिया बातों को छोड़ देना । ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम परम्परा से प्राप्त हुई हैं लेकिन वे हमारी सम्झौता या देश के लिए गोरखपूर्ण नहीं हैं । इसके अलावा, बहुत सी बातें अत्यन्त मूल्यवान हैं, और उन्हीं को वजह से यह देश टिका हुआ है । 2

तिकदर जसे सम्राट जो सभी गैर यूनानीयों को जगली समझते रहे हैं लेकिन कालान्तर म उनके विचारों मे परिवर्तन आया और कहने लगे—“प्रतिभा और गुणों से सम्पन्न सभी व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य है । ” केवल दुजन-दुष्ट ही विद्यो है । इससे स्पष्ट है कि बगेर लिंग, जाति, धर्म, व सम्प्रदाय भेद के सभी सञ्जन नागरिक भारतीय है और भारतीयकरण की थ्रेणी मे जाते हैं आधिक असमानता, धार्मिक विचार सामाजिक ढांचे मे विभिन्नता होते हुए भी सम्बन्ध व सञ्जनता एक-विचार—भारतीय ही रहेगा । जब कभी कोई कहता है कि वह भारतीय है, फिर वह विद्या या भारत म कही भी दरा न बसता हो, उसका सम्बन्ध व मोगानिक सीमांशो से न होकर भारतीय तम्हे गोरखमय इतिहास से होता है जहा आदरा जाति, अस्तरशता व वृष्ट महान् आदर है ।

शिक्षा मे भारतीयकरण की वांछनीय अवधारणा

शिक्षा का भारतीय सम्झौता के जनरुप इस प्रकार नियोजित किया जाय कि समुद्र विन सामाजिक एव राष्ट्रीय उत्तरदायित्व की भावना का विकास करे और हमारी आज

1 'नव जागरण'

—म दयानंद (पृ ८)

2 डा राधाकृष्णन् 'हमारी विरासत'

(, 25)

की आवश्यकताओं को अधिकतम तीन तत्वों पर ध्यान दें—

(अ) शिक्षा को भारतीय स्स्कृति के अनुरूप नियोजित किया जाए।

(ब) शिक्षा सामाजिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को भावना वा विकास करे।

(स) शिक्षा हमारी बाज की आवश्यकताओं को अधिकतम सीमा तक पूरी कर।

स्स्कृति का अथ और भारतीय स्स्कृति — 'स्स्कृति किसी समुदाय के समूही अवहार का एक प्रतिलिप (Pattern) है जो घण्ट भौतिक पर्यावरण (Environment) से प्रभुत्वित (Conditioned) होता है। यह पर्यावरण प्राकृतिक जगत मानव निर्मित होता है, परन्तु मुख्यतः यह प्रतिलिप मुनिश्चित विचारधाराओं, प्रृतियों, मूल्यों तथा प्रादत्तों द्वारा अनुद्दित होता है। जिसका विकास समूह द्वारा अपनी आवश्यकताओं से पूर्ति के लिए किया जाता है।' 1 डा. राधाकृष्णन् ने ऋग्वेद के सद्भ में इह है कि— 'उस काल से लेकर आज तक, इस देश की स्स्कृति हमें मिल-जुलकर समान प्रादर्श और उद्देश्यों को प्राप्त करने का उपदेश देते हैं।' 2 डा. राधाकृष्णन् ने हमारी स्स्कृति के बारे में लिखा है— "अम्भय यसग अहिसा—ये तीन गुण भारतीयता के वैशिष्टीय पर प्रकाश डालते हैं। यदि हम जानना चाहूँ कि भारतीय स्स्कृति की क्षण विशेषताएँ हैं तो कहा जा सकता है ये तीनों गुण ही भारतीय स्स्कृति की विशेषताएँ हैं।" 3 अत भारतीय द्वारा अंजित ज्ञान, उनके विश्वास, आदत सामाजिक मूल्य, रीति-रिवाज आदि का अध्ययन ही भारतीय स्स्कृति का अध्ययन है। भारतीयों में विभिन्नताओं के कारण भारतीय स्स्कृति सशिलष्ट, सामाजिक एव समावयवादी है।

डा. रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार— "भारतीय स्स्कृति का मूल चिह्न धारी वी सम्यता तथा द्रविण सम्यता में है, मध्य एशिया से आये आयों की इस स्स्कृति पर गहरी छाप है तत्पश्चात् यह परिचम से आने वालों से प्रभावित हुई।

"प नेहरूजी ने भारतीय स्स्कृति की उपमा गगा से दी है। अनक छोटी-बड़ी नदियों उसम मिलकर उसकी धारा को पुष्ट कर यति को बेगवान बनाती है।"

भारतीय स्स्कृति में मुक्ति का विशेष महत्व रहा है। लाला लाजपतराय न मुक्ति को राष्ट्रीय प्रादर्श बताते हुए उसकी व्याख्या की है— "हर प्रकार की दासता, अज्ञानता, रोग, निघनता और कष्टों से इसी जीवन में अपनी और अपनी सतति की मुक्ति है।" इसी प्रकार स्वामी दयानन्द सरस्वती ने शिक्षा में प्राचीन भारतीय दर्शन और जीवन-मूल्यों का पुन लौटने पर बत दिया। उनके विचार अपने सब्दों 'भाषण' में लिखा

1 द्वाजन, जे एफ., 'एज्यूकेशनल साशियोलैंजी

(पठ 72)

2 डा. राधाकृष्णन्, हमारी विरासत

(,, 30)

है—“अपने देशवासियों में स्वयं अपनी राष्ट्रीय भाषायां के माध्यम से साहित्य सृजन हो ता एकता एवं समर्थन भी इसके सम्पर्क से निश्चय ही आजायेगा।” इसी को वे शिक्षा का भारतीयकरण मानने लगे जो वास्तव में ट्रिटिश ग्रामकों की शिक्षा प्रणाली की गम्भीर प्रतिरिद्या थी।

भारतीयकरण हेतु किये गये प्रयास दो कारणों से पूर्वतः सफल नहीं हो सके—

- (i) भारत के मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन सम्प्रदाय के लोगों ने नि-शुल्क वेदकालीन शिक्षा की ओर लौटना सहन नहीं हुआ तथा
- (ii) योडे से हिंदुओं के अतिरिक्त अधिकांश भारतीय यह समझ नहीं पाय कि नान विनान के बतमान युग में प्राचीन वेद कालीन शिक्षा पद्धति द्वारा आवृन्दिकता की मांगों की पूर्ति सम्भव नहीं है।

प्रत भारतीयकरण सदब समन्वयपूर्ण शिक्षा प्रणाली से ही हो पायगा। विनान आधारित शिल्प विनान के आय महत्वपूर्ण परिणाम सामाजिक और सास्कृतिक जीवन पर होते हैं और उसके कारण ऐसे मूलभूत सामाजिक और सास्कृतिक परिवर्तन आते हैं जिन्हें मोटे तौर पर ‘आवृन्दिकरण’ कहा जाता है। क्योंकि विज्ञान के ‘विस्कोट’, जल्दी जल्दी वाले सामाजिक परिवर्तन, शीघ्र उन्नति की आवश्यकता आदि ऐसे आधारभूत विद्युत हैं जिन्हें दृष्टि में रखकर प्राचीन परम्पराओं व सस्कृति के तत्वों के माध्यम आवृन्दिक ज्ञान विज्ञान का मयोग से ‘भारतीयकरण सम्भव है, जिन्हें सभी सम्प्रदाय व क्षेत्रों के सोगों को माय भी हो सकेगा।

भारतीय शिक्षा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

(Historical Perspective of Indian Education)

वैदिक कालीन शिक्षा — जीवन का लक्ष्य पुण्यपाय चतुष्पद्य (धम जर्य, वाप और मोक्ष) को प्राप्ति करना है शिक्षा के उद्देश्य — धार्मिक भावना का विकास, उरिय निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक कत्तव्यों पर वल, सामाजिक कुशलता का विकास, सामाजिक कत्तव्यों पर वल, सामाजिक कुशलता का विकास एवं सस्कृति का सबद्धन।

प्रमुख विशेषताएँ — (i) धम का वचस्व (ii) सुखगत विकास (iii) प्रकृति सानिध्य (iv) गुरुकुल प्रणाली (v) गुरु-शिष्य सम्बन्ध, गुरु ग्राह्यात्मक एवं वीढ़िक पिता, पितृ उसकी मानसी सन्तान — गुरु सरक्षक व भार्गदेशक होता था (vi) व्यक्तिवादी शिक्षा (vii) नि-शुल्क शिक्षा (viii) सबके लिए शिक्षा (ix) वशानुक्रम और पर्यावरण (शुद्र के द्विज बनाने में पर्यावरण का महत्व) (x) शिक्षण विधिया श्रवण मनन ध्यान करना वस्त्राय, परिध्रम द्वारा समाधान।

बौद्धकालीन शिक्षा — उस काल में वैदिक धर्म का पवन, बाहरी आदम्बर, पशुहिंसा, वर्ण व्यवस्था क्रमणा से ज मना, शुद्धि पर अत्याचार भ्रत भगवान बुढ़ने सुधार मार्त्ति बताया बौद्ध धर्म प्रचारकों के लिए। काला तर में बौद्ध शिक्षा सबके लिए वैदिक शिक्षा का प्रभाव-मट्टव स्वीकार लेकिन उद्देश्य वही।

विशेषताएँ — (i) जातिभेद नहीं-शिक्षा बौद्ध धर्म प्रवेश पर ही, 'पञ्चजा' सस्करण द्वारा श्रमण सघ प्रवेश (ii) विद्या समाप्ति पर 'उप सम्पदा' स्वस्कार- भिक्षु धर्म प्रचार विशेष स्थिति सघ त्यागकर- गृहस्थाधर्म प्रवेश। (iii) गुरु शिष्य- निकट्वा' वैदिककाल से काम, पवित्रता मधुरता, शिक्षक उपाध्याय, (iv) सघ, विहार का जीवन सुखमय, विहार महला की भाति विशाल एव सुदर, (v) भोजन- भिक्षा द्वारा, (vi) पाठ्यक्रम धार्मिक साहित्य की प्रधानता, औद्योगिक व अन्य जीवनोपयोगी शिक्षा भी सहकृत जीवन वाय, (vii) स्त्री शिक्षा प्रारम्भ में उपेक्षित फिर उच्च वर्ग हेतु रहने की व्यवस्था एक ही विहार में फिर पृथक (viii) शिक्षा का माध्यम जन भाषा, (ix) शिक्षा में केंद्रीय करण- मठ, सघ आदि प्रचारकों के प्रशिक्षण हेतु (x) विद्यार्थी जीवन वैदिक काल की तपश्चर्या नहीं वरन् सुविधाजनक, (xi) एक सघ में अलेक शिक्षक विषय विशेषज्ञ, (xii) शुल्क किसी न किसी रूप म देय।

मुसलमान युग में शिक्षा — मुसलमान धार्मकारियों ने वैदिक बौद्ध शिक्षा के द्वारा नष्ट कर इस्लामी शिक्षा प्रणाली की स्थापना की। इस्लाम धर्म में शिक्षा प्रनिवाय पवित्र अत शिक्षा हेतु व्यय धर्मादा याता विद्यालय बनाना मस्जिद के समान) पवित्र- प्रारम्भिक शिक्षा हतु मक्तब (मस्जिद के साथ) उच्च-शिक्षा हेतु 'मदरसा'। मदरसों के लिए छात्रावास जीवन सुखमय, शिक्षा-सामग्री, भोजन वस्त्र, जेव खब आदि के लिए दान में प्राप्त जागीरों की आय।

प्रमुख विन्दु — (i) व्याख्यान पढ़ति, (ii) बठोर शारीरिक दण्ड, (iii) पर्याय प्रधा के कारण स्त्री शिक्षा की समाप्ति सम्पन्न घरा व्यक्तिगत रूप से घर पर ही स्थियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था (iv) शिल्पों की प्रशिक्षण घर या कारखाने में (v) शिक्षक का सम्मान, शिष्य विनयी परन्तु प्राचीन भादरी का लोप (vi) शिक्षा का उद्देश्य राज्य में पद, मान व नौकरी प्राप्त करना ही था।

मुसलमान शासन में हिन्दू शिक्षा — निजन वर्जो एव ग्रामा म गुरुद्वारों के प्राथम घृतते रह जही वेद, पुराण स्मृति उपनिषद दर्शन आदि का अध्यारण होता था जियह माध्यम जन-भाषा। हिन्दी का विकास भी इस काल म हुआ।

अ येर्जी शासन में शिक्षा — वतमान भारतीय शिक्षा को नीचे 15 वीं शताब्दी के प्रनितम भाग म है जब ईसाई धर्म प्रचारकों ने धर्म प्रचार हेतु भारतीय भाषाओं का

प्रध्ययन किया, बाइबल का अनुवाद किया तथा प्रायमिक विद्यालय खोले। 1835 में वायसराय के कानूनी सलाहकार मेकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की स्थापना इस उद्देश्य से की कि जिससे भारत के निवासी रण, रक्त में भारतीय हो, परंतु छवि नीति का अनुसरण पूर्णतया ब्रिटिश शासन काल में होता रहा।

विभिन्न आयोगों के सुझावों पर भारतीय भाषाओं एवं शिक्षा पद्धति को भी स्थान मिला तथा शार्ट निकेतन, गुरुकुल कांगड़ी, गुजरात विद्यापीठ काशी विद्यापीठ जैसी संस्थाएं स्थापित हुईं। इन संस्थाओं का हृषिकोण मेकाले के विपरीत सच्चे भारतीय, जो राजभक्त एवं देशभक्त हो तैयार करता था जो कालान्तर जब वे व्यवहारिक जीवन में प्रवेश कर ले तो भारत की भारतीय के अनुकूल आचरण करते हुए सभी भारतीयकरण¹ हो सके।

शिक्षा का 'भारतीयकरण' हेतु भारतीय संस्थाओं के प्रयास

(Efforts to Indianisation by Education of Indian Institutions)

शिक्षा के 'भारतीयकरण' हेतु तीन प्रवृत्तिया संक्रिय रूप से कायरत थीं —

- (1) शार्चीन भारतीय शिक्षा को पुनर्जीवित करने का प्रयास जिसके लिए महेष दयानन्द द्वारा गुरुकुल व्यवस्था का प्रादुर्भाव।
- (2) शिक्षा का जायुनिकीकरण करने का प्रयास राजा रामभोहनराय, दी एख्लो—हि दू स्कल विश्व धर्म के सिद्धान्त पश्चिमी विज्ञान, दशन एवं साहित्य का प्रध्ययन।
- (3) समन्वित प्रयास—डी ए वी कॉलेज, शान्ति निकेतन, जरवि द ग्राथम, वेसिक शिक्षा आदि का कानूनिकारी प्रयास।

प्रमुख शिक्षाविद् व शिक्षण संस्थाएं जिन्होंने शिक्षा का 'भारतीयकरण' हेतु प्रयास किया उनके बारे में सक्षिप्त विवेचन व दैन प्रस्तुत कर रहे हैं। जिन्हे हम दो भागों में विभक्त भी कर सकते हैं।

(अ) स्वतंत्रता से पूर्व किये गये प्रयास (ब) स्वतंत्र भारत व भारतीयकरण

- (1) महेष दयानन्द सरस्वती के अनुसार शिक्षा का प्रयास — "जिससे विद्या सम्यता धर्मस्त्वा जिवे द्वियता की बढ़ोत्तरी हो और अविद्या दोष छूटे उसको शिक्षा कहते हैं। वे विद्या का आधार वैद मानते थे जिसमें सभी तरह का ज्ञान विद्यमान है। उनके अनुसार 'माता-पिता, आचार्य और जतियि का सत्कार वाचित है। वे अध्यापकों से आशा करते थे कि जो अध्यापक दुष्टाचारी है, वे शिक्षा देने योग्य नहीं है। वे वालिकाओं की शिक्षा के हामी थे। पाचवे या आठवें वर्ष से आगे कोई अपने लड़के या लड़कियों को घर में न रखें— पाठशाला भेजें।। डा चौडे ने अपनी पुस्तक रिसेट एज्यूकेशनल फिलोसोफी इन इण्डिया में दिये हैं²

1 स्वामी दयानन्द के सर्वश्रेष्ठ भाषण

पृ 122 123

2 धौने, एस पी, रिसेट एज्यूकेशनल फिलोसोफी इन इण्डिया'

, 41-42

- (1) गरीब अमार, राजा व एक, जोने नीचे द्वाहण व तयाकथित नीचो जात के सभी समान रूप से अध्ययन करने के अधिकारी हैं।
- (2) प्रजातांत्रिक समाजवाद के लिए आवश्यक है कि जाति, सम्बद्धाय व लिंग भेद के शिक्षा की सुविधाएँ सभी को साकार द्वारा प्रदान करने की व्यवस्था हो।
- (3) वह यह नहीं चाहते थे कि अध्ययन-प्रध्यायन का माध्यम विदेशी भाषा हो।
- (4) अपनी भाषा सामूहिक विरान्त व राष्ट्रीय प्रगति का राष्ट्रीय भाषा में अध्ययन के पक्ष में थे।
- (5) यदि ज्ञान विदेशी से प्राप्त करता है तो प्राप्ति किया जाय।
- (6) जिज्ञासु एव शिक्षा के पात्र हतु ही शिखा के द्वार खुले।
- (7) विचार-व्यवहार शिक्षा जावन में एक घृणा लाना।
- (8) छात्रों को आदम व द्वाहचाय सादगी जागरात नियमित जीवन जीने की शि ॥ दरा।
- (9) शिक्षा में स्वाध्याय चिन्तन, तक भजन, व्यास्यान उदाहरण तथा अनुभव पर वल देना।
- (10) अध्यापक में पडित्व अनुभव त्याग मा जैसा स्नेह, नि स्मृता जादि गुण हो।

लाला लाजपत राय के अनुसार 1 - राष्ट्रीय शिक्षा के लिए चलाई गई योजनाओं में से डी ए वी कॉलेज व स्कूल ही ऐसी योजना है जिसमें आधिक समस्या पर भी ध्यान दिया गया तथा स्वदेशी का विचार समाविष्ट किया —

- (i) शिक्षितों और भूशिक्षितों के मध्य की साई को दूर किया जाय।
- (ii) कलाओं और उद्योग में तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता, जिससे भारती नगर रिक सरकारी नोकरी के मोहताज न रहे।
- (iii) यह योजना सरकारी सरकार से दूर रहे।

डा एस पी चौधेरे के अनुसार 2 - कालान्तर में उपरोक्त विद्युप्रा पर ध्यान नहीं दिया गया और उद्देश्य पूर्ति- भारतीयकरण की धुमित हो गई यद्यपि इन मस्त्याओं में सुवह की प्राप्तना, धार्मिक व नतिक शिक्षा का अध्ययन गुरुगुल में प्रात काल से पूर्व ही छात्रों का कायरत होता, बुद्ध हृद तक दयान द के विचारों से मल खात है लकिन वास्तव में स्वामीजी की आशा की पूर्ति नहीं हो रही है । 2

- (2) महर्षि रखोद्व नाथ ठाकुर के अनुसार भारतीयकरण हेतु प्रयास — रखोद्वनाथ ठाकुर न अपनी शिक्षा-प्रणाला के माध्यम से भारतीयकरण हेतु प्रयास

1 ज्ञानपत्रराय, प्रोवलम आफ नेशनल एज्यूकेशन

पृ 3

2 द्यानन्द एम्सो विदिक कॉलेज डी ए वी कॉलेज

परों और अपरोक्ष रूप से किया। आज शिक्षा ही देश में परिवर्तन हेतु प्रभावशाली माध्यन है यह उनके शिक्षा सम्बन्धी विचार—

- (1) वालक को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राकृतिक वातावरण मिले, आडम्बर नहीं।
- (2) व्यक्ति को महान् समझते हुए व्यक्तित्व का विकास करने हेतु 'वात-केंद्रिन' शिक्षा व्यवस्था पर जार दिया।
- (3) छोटो की भाँति पाठ्य-पुस्तकों की आवश्यकता को नहीं समझा गया।
- (4) प्रकृति द्वारा ज्ञान। (5) ज्ञान सगड़न प्राकृतिक वातावरण में,
- (6) भिन्ना के उद्देश्य — पूर्व पश्चिम में एकता की स्थापना, प्रतिभा का विकास, विश्व वन्नत्व के भाव, सत्य की एकता का ज्ञान, देश की आवश्यकता के अनुसार शक्तिक सुधार
- (7) ज्ञान का माध्यम राष्ट्र भाषा हो।
- (8) ज्ञान म आदान-प्रदान की प्रक्रिया मे पारस्परिक सम्मान भाव हो,
- (9) समाज ज्ञान कायकम के माध्यम से ग्रामीण - क्षेत्र मे ज्ञान का प्रसार हो।
निवाद रूपसे श्री ठाकुर की ज्ञान व्यवस्था भारतीयकण ही नहीं य तर्हांष्ट्रीयता' की पार झुकाव रखती है लेकिन इनकी विचारधारा के आवार पर गिरण सत्यापो द्वारा व्यवहारिक रूप से प्रचार व प्रसार नहीं हो पाया है।
- (10) गांधी की 'बुनियादी ज्ञान द्वारा भारतीयकरण' का प्रयास -

अग्रेजों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान प्रणाली म विदेशी तत्वों की प्रमुखता को लिए हुए थी जिसमे भारतीय दशन सस्कृति व जीवन प्रणाली से प्रोत-प्रोत नहीं थी। गांधीजी के विचारो मे वह पूर्णतया अभारतीय और अस्वाभाविक थी। सन् 1914 म वे भारत लौटने के उपरान्त सब प्रथम शान्तिनिकेतन तदपरान्त सावरमती के तट पर रह कर ज्ञान सम्बन्धी प्रयोग करते रहे पर इस निष्कर्ष पर पहुचे कि भारतीयों के लिए ज्ञान ऐसी हो जिसमे—(1) किसी उद्योग परों व बनाकर दी जाय, (2) ज्ञान ग्रहण करते वक्त घात घपना ग्रन्थ स्वर्ण निकास सके (3) ग्रामीणों से सम्बन्धित हो। गुजरात विद्यापीठ मे इसे प्रारम्भ की। उनके विचार थे कि भारत निधन व किसानों का देश है। नि शुल्क, स्यारतांश्च य उद्योग सहित विद्या प्रारम्भ की। उद्योग पर जोर देने का कारण युद्ध गर्भ और थमिक वर्ग नगर निवासी और ग्रामवासी मिल-जुलपर मे समाज मे समाज मे समाज आयेगी।

वे अग्रेजों की ज्ञान से बुनियादी ज्ञान पर जोर दें वा वारण सम्पादते प कि— (1) देश की आवश्यकताओं के प्रतिकूल है, (2) धर्मेजो को जगता मुठ्ठो भर लोगो के लिए है, (3) इस ज्ञान से मानसिक वार्षे थे ते गारे हो जाती है, उत्पादन काय नहीं (4) सस्कृति को भूलकर विदेशी ताङ्क भइक खोये

है, (5) गावों से भारतीय जीवन विच्छेद होता जा रहा है। अत मौधीजी न देश को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक दृष्टि का ध्यान में रखकर जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु युनियादी शिक्षा की प्रदान की। इसमें मूल तत्व बताना भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है जस — (1) यह अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित है, (2) इसमें हाथ से काम करने वो महत्व दिया है, (3) हस्तकौशल के द्वारा भूस्तक के विवास पर जोर, (4) शिला का माध्यम मातृभाषा रखी गई है, (5) पाठ्यक्रम ऊपर से न घोषकर स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर अध्यापकों द्वारा निर्मित, (6) बाहरी परीक्षा को स्थान नहीं (7) उद्योग ऐसे छाटे जाते हैं जो उत्तादक भी हो (8) विषय प्रश्नग्रन्थ नहीं पढ़ाये जाते बल्कि एक दूसरे से सम्बन्धित कर दिये जाते हैं।

देश में साम्प्रदायिकता, धोनीयता, धर्म, सामाजिक व आर्थिक असमानता भारत को एक समर्थित देश बनाने देने म वाधा है लेकिन मौधीजी को यह युनियादी शिक्षा इनके समाधान हेतु अमोघ मन्त्र के रूप में है। लेकिन प्रयास जल्दी जल्दी रहा-सरकार ने साचा औद्योगिकरण के माध्यम से ध्यवसायहीनता की स्थिति समाप्त हो जायगी अब यह व्यष्ट है।

(4) महर्षि भरविन्द द्वारा 'भारतीयकरण' के प्रयास - भरविन्द के अनुमार मनुष्य क्षणिक एवं परिवर्तनशील प्रणाली है—मनुष्य से कई मीदियाँ ऊपर यह मान बता (Supermanhood) का स्थान है जो दिव्य (Divine) है, यही हमारा गन्तव्य (शिक्षा का उद्देश्य) है।

'केवल वही शिक्षा सच्ची और वास्तविक है जो व्यक्ति को अन्तर्निहित (Inner) सभी शक्तियों का इस प्रकार विवास करती है कि वह उससे पूछतया जाना निवार हो सके। मानव जीवन को सफल बनाने में यह शिक्षा उमकी महापता करती है।'

"सही शिक्षा धार्त्रिक न होकर दिमाग की शक्ति जो मानव मात्र के लिए उन योगी हो जो राष्ट्र के लिए उपयागी हो। शिक्षा का काम है कि वह बालक को स्वयं अपने प्रयत्न से शिक्षा प्राप्त करने तथा अपनी मानसिक, आध्यात्मिक, सृजनात्मक शक्तियों के विकसित दरन में सहायता प्रदान करे।"²

आथर्व में ऋचि के अनुरूप काय करने की स्वतन्त्रता नि स्वाय सेवा भावना

1 श्री भरविन्द 'ए मिस्टम आफ नेशन' चीड़े, एस पी, रिस्ट ट एज्युकेशन फिल्म्स सोसाइटी इन इण्डिया १/१९९)

प्राचीन ऋवियों के प्राथमों को विशेषताओं के साथ-साथ ग्राधुनिक तकनीकी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। प्राथम में परीक्षा-प्रणाली न होकर अध्यापकों द्वारा परख के जाधार पर कक्षोन्नति की व्यवस्था है। अध्यापक भी समर्पित भाव से बग्र वेतन प्राप्त कर कायरत है। 1950 के पश्चात् तो “श्री ग्रन्थि द जातर राष्ट्रीय विद्व-विद्यालय के द्वारा के रूप में हो गया है जहाँ भारतीय तथा पाश्चात्य दर्शन गणित, प्रानराष्ट्रीय, सम्बद्ध समाजशास्त्र आदि विषय पढ़ाए जाते हैं। अनुसवान भी सुविधा भी है।

वे प्रत्यक्ष बालकों राष्ट्र के इतिहास व राष्ट्र की स्फूर्ति के बारे में ज्ञान प्रदान करने के पक्षधारी थे। इस प्रकार देश की स्वतंत्रता से पूर्व भारतीयों के लिए ‘भारतीय निधा’ प्रदान कर, देश में ‘भारतावकरण’ के लिए प्रभावशाली काय किया।

इसके साथ ही साथ काशी विद्यापीठ गुजरात विद्यापीठ, वनस्थली, हिंदू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया दिल्ली गलुकुल, आदि ने देश की स्वतंत्रता से पूर्व ‘भारतीयकरण’ के लिए सफल व प्रसकल प्रयास किया है।

स्वतंत्रता से पूर्व किये गये प्रयास तथा इनकी असफलता के कारण —

देश को महान् विभूतियों ने स्वतंत्रता से पूर्व ‘भारतीयकरण’ हेतु विभिन्न सत्याओं को जाम देकर शिखा-दर्शन को क्रियावित रूप देन का प्रयास किया, लेकिन निम्न-लिखित कारण है जिससे वे असफल रहे —

- (1) प्राचीन मूल्यों में आस्था का अभाव — ‘भारत स्वतंत्र होत ही भारतीय साहित्य मस्कुर्ति और भाषा के प्रति छंचि गायब ही पई।’ (जे पी नायक)
- (2) प्रयोजा का शासन मैकाले की शिक्षा प्रणाली।
- (3) धर्म निरपेक्षता वी नीति सबको प्रमन्न रखन के लिए प्रयोजो ने यह नीति प्रान्त-प्रान्त-प्राचीन हि हूँ जान एव दर्शन के स्थान पर पाश्चात्य ज्ञान का प्रमुखता दी।
- (4) पाश्चात्य सस्फूर्ति का मोह-जात भारतीय, पश्चिम की भौतिक उपलब्धियों की चकाचौंब से प्रभावित होकर भारत के अध्यात्म धर्म एव स्फूर्ति से परे हो गए।
- (5) भारतीयकरण के व्यापक जरूर का अभाव।

(२) स्वतंत्र भारत में ‘भारतीयकरण’ की शिक्षा हेतु प्रयास —

महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता में पूर्व यह घोषणा की थी कि स्वतंत्रता के पश्चात्-प्रयोजी शिक्षा के स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा सत्यामों की शिक्षा को मायता दी जायेगी, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। शिक्षा का लोकतंत्रोकरण स्वामी नारत का एक महत्वपूर्ण निश्चय है जिसके अन्तर्गत दस वर्षों में 6 से 14

वर्षे की आयु के सभी वालकों के लिए प्रनिवाय नि शुल्क प्रायोगिक शिक्षा का प्रावधान किया। यद्यपि यह शत प्रतिशत पूण नहीं हुआ है फिर भी यद्यों प्रगति हुई। राष्ट्रीय चेतना द्वारा हम सभी लिंग, जाति व सम्बद्धाय के लोगों में भारतीयकरण' की भावना से ओत प्रोत करने म सफल हो सकत है। स्वतन्त्रता के उपरात निर्तर इसके लिए सरकार सचेत है और सभी समय पर नियुक्त प्रायोगों ने अपने सुभाव प्रस्तुत किए हैं जैसे — (1) काठारी जायोग (2) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, (1968 व 1979)

कोठारी आयोग — 'शिक्षा जो विज्ञान पर आधारित हो, जो भारतीय सत्सुखी और मूल्यों के अनुस्थ हो, राष्ट्र की उन्नति, सुरक्षा और कल्याण की बुनियाद और साधन पदा कर सकती हो' आयोग शिक्षा को राष्ट्रीय विकास की क्षितिमय समस्थाएँ जिसका समाधान शिक्षा का दायित्व है निम्न प्रकार हैं —

- (1) अन्त मे आत्मनिभरता।
- (2) आर्थिक विकास तथा व्यवसायटीनता उभूलन।
- (3) सामाजिक राष्ट्रीय एवता का विकास।
- (4) प्रजातन्त्र की सायतानों मे विश्वास बरने हतु विकास।
- (5) शिक्षा मे भातिकारी परिवर्तन-भाग्युनिकरण की प्रक्रिया का सुचारू स्व।
- (6) शिक्षा को भारतीय जीवन, आवश्यकताओं व आकाक्षायों से जोड़ना।
- (7) सामाजिक, नैतिक और धार्यात्मिक मूल्यों का विकास।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968 तथा 1979)

1968 के कार्यक्रम का सुभाव

- (1) शिक्षा वो लोगों के जीवन के निकट लाया जाये।
- (2) शिक्षा को जीवन के निकट लाने के लिए निम्न कार्यक्रम अपनाया —
 - (क) शिक्षा प्रणाली का रूपान्तरण
 - (ख) शक्तिक भवसरो का विस्तार।
 - (ग) शिक्षा के सभी स्तरों पर गुणात्मक सुधार।
 - (घ) विज्ञान एव शल्य विज्ञान पर वल।
 - (ङ) नैतिक और सामाजिक मूल्यों का निर्माण।

इसके अनुसार $10+2+3$ को योजना की घोषणा हुई परन्तु काग्रेस सरकार के के पतन के बाद जनता सरकार ने 1979 मे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की जिसम काठारी आयोग व राष्ट्रीय शिक्षा नीति म सामाज व सशोधन के साथ भारतीय

शिक्षा जगत का प्रदान की गई जिसके मुख्य बिंदु निम्न प्रकार है ।

- (1) नि शुल्क और अनिवार्य शिक्षा ।
- (2) कामन स्कूल तिस्टम अर्थात् सामान्य विद्यालय प्रणाली जिसमें धनी व निधन का भेद न हो ।
- (3) प्रोड शिक्षा
- (4) माध्यमिक शिक्षा का गुणात्मक उन्नयन सामाजिक उपयोगी उत्पादन काय (SUPW) के द्वारा व्यवसायीकरण ।
- (5) उच्च शिक्षा में प्रवेश चयनात्मक, स्तर सुधार, सामान्य पदों के लिए उपाधि अनिवार्य न हो ।
- (6) शिक्षा सरचना माध्यमिक शिक्षा 12 वर्षीय, प्रथम उपाधि 3 वर्षीय ।
- (7) प्राविधिक शिक्षा - कुशल राष्ट्रोय जन शक्ति की सूचना व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र का विशेष अध्ययन ।
- (8) कृषि शिक्षा—बोपचारिक, अनबोपचारिक विधि से प्रसार हो, कृषि विश्वविद्यालय में ज्ञोय कार्य हो, कृषि विज्ञान केंद्रों का सञ्चालन हो ।
- (9) आयुर्विज्ञान (Medical) शिक्षा - का आधार चिकित्सालय तक सीमित न रहकर देश की स्वास्थ्य रक्षा होना चाहिए । प्राकृतिक यूतानी, होमियोपथी आयुर्वेदिक आदि चिकित्सा पद्धतियों से पारस्परिक सहयोग हितकर होगा ।
- (10) सस्कृति-पारस्परिक एव समकालीन सस्कृति के तत्वों का शिक्षा द्वारा सम्लेपण हो ।
- (11) शारीरिक शिक्षा-सामान्य शिक्षा का एक अग हो । प्रत्येक स्तर पर राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय कौशल प्राप्त करने की प्रेरणा एव व्यवस्था हो । जो प्रत्येक विद्यार्थी हेतु अनिवार्य हो ।
- (12) शिक्षा माध्यम - प्राथमिक स्तर मातृभाषा, अ य स्तर धोनीय भाषा ।
- (13) निभाषा-सून - माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी के साथ अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी तथा हिन्दी भाषी क्षेत्रों में आधुनिक भारतीय भाषा (विशेषत दक्षिण भारत की) का अध्ययन ।
- (14) भारतीय भाषाओं का विकास—भाषा शिक्षण की विधियों का, सस्कृत अध्ययन वा, सम्प्रक भाषा हिन्दी का व अ-य शास्त्रीय भाषाओं का विकास व प्रसार ।
- (15) परीक्षा प्रणाली में सुधार—वस्तु परक एव विद्वसनीय बनाएँ, पाठ सामग्री में कियाओं का महत्व, आवधिक परीक्षा का महत्व; विश्वविद्यालय उपाधि तक तीन वे प्रधिक सावजनिक परीक्षा न हो ।

- (16) पाठ्य पुस्तकों में गुणात्मक सुधार तथा धोनीय भाषा में पुस्तकें तैयार करवाना ।
- (17) शिक्षा प्राप्त करने के अवसर —सड़ातियाँ अनुमूलित जानि, अनुमूलित जन जानि, भूमिहीन, अभिक, रिहाई वर्ग नगरा के निम्न गोंदा के लिए विद्याप्रबन्ध प्रदान करें ।
- (18) अध्यात्मकों का सवाकालीन प्रगिक्षण अधिक हो, जोध, प्रयोग के अवसर मिलें ।
- (19) समाज का सम्भाग-स्थानीय समाज को विद्यालय से जोड़ें ।
- (20) स्वच्छिक सगठनों का सहयोग प्राप्त करें ।
- (21) निवेश — योजना के अनुसार आलाप्ता में बड़ने वाले व्यय का शिक्षा शुल्क और समय हो उनसे ही ले तथा समाज से सहायता प्राप्त कर पूछ किया जाए ।
- (22) समीक्षा—पांच पांच वर्षों के पश्चात् शिक्षा को राष्ट्रीय नीति के क्रियान्वयन प्रीर परिणाम की समीक्षा कर अपेक्षित परिवर्तन लिए जाय ।

भारत के लिए सास्कृतिक नीति (1972)

जून 1972 में शिक्षा मन्त्रालय की सद्वायता से राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान, शिमला में एक परिसवाद आयोजित किया गया था । विषय यह — ‘भारत के लिए एक सास्कृतिक नीति की दिशा में’ ।¹ इस परिसवाद में थोड़ी बी जॉन, डॉ मुरला मुरला, थो रजनी कोठारी, डॉ नामवर सिंह डा तुरेश अवस्थी, डॉ विजयदेव नारायण साही जैसे अनेक शिक्षाविदों और विद्वानों ने भी भाग लिया । अनेक विवादों से जूँझे बाद लगभग 1500 शदों का अंग्रेजी में जा वक्तव्य जारी किया गया उसमें यह स्वीकार किया गया कि एक सास्कृतिक नीति का मूल उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह जन मन में जनतात्रिक भावना पदा करे । उसका उद्देश्य मात्रमें निभरता समतावाद राष्ट्रीय एकता और ऐसे मानवतावाद का विकास करना होना चाहिए जो आधुनिक ज्ञान और तकनीकी तथा हमारी परम्परा के सशक्त तत्वों के समन्वय पर आधारित हो ।

वर्तमान शिक्षा को भारत की सकृति से जाड़ने के लिए जा नीति रवीकार की वह सक्षेप में नीचे दी जा रही है —

1 शिक्षा के ढाँचे में इस तरह सुधार किया जाना चाहिए ताकि यथा-स्थिति के बने रहने की जगह पर सामाजिक व्यवस्था में ग्रामीण परिवर्तन हो । विशिष्ट वर्गों की शिखित करने की अवधारणा को इसलिए तिरकूत कर दिना चाहिए ताकि इसकी वजह से निरंतर असमानता बढ़ती है और उस प्रक्रिया में वित्तीयों के बहिरामत की प्रवृत्ति उभरती है ।

1 विस्तार के लिए देखिए, दिनमान, दिल्ली, 2 जुलाई, 1972, पृष्ठ 17, 19-21 तथा 9 जुलाई, 1972, पृष्ठ 13-14 ।

2 शिक्षा का नया स्वरूप निश्चय ही ऐसा होना चाहिए जो साम्प्रदायिक और विभाजक शक्तियों से लोहा ले सके। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निरक्षरता का विनाश करना, तथा गिरण सम्बन्धी का राष्ट्रीयकरण करना विशेषाधिकार पर आधारित शिक्षण सम्बन्धी और प्राचीन स्कूलों की समाप्ति करना आवश्यक है। ऐसी स्थितिया लाने की भी आवश्यकता है जो लोगों में शिक्षा व्यवस्था में भागीदार बनने की प्रवृत्ति को विकसित कर सके। उचित मूल्य पर भारत सभ्व वी साधक सामग्री वाली पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन को सर्वाधिक प्रायमिकता दी जानी चाहिए।

3 भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों को प्रभावकारी सरक्षण देते हुए हर स्तर पर सम्बद्ध राज्यों की भाषा को शिक्षा माध्यम बनाना चाहिए। अनुसूचित पिछड़ी जातियों की भाषा के विकास के लिए उचित कदम उठाया जाना चाहिए।

4 शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय स्त्री को विशेष कठिनाइयों की स्थिति में काम करना पड़ता है। शहरी, ग्रामीण और आदिवासी लेन्ड्रों में विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तरों पर इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है। पर एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में उन्हें सावन्निक और पारिवारिक दोनों लेन्ड्रों में एक नाजुक भूमिका निभानी पड़ेगी। शिक्षा के नए प्रावृत्त में यह क्षमता होनी चाहिए कि जटिलताओं से भरे मुद्दों के नाय पूरा याय कर सके।

5 हस्तिनों, अनुसूचित जातियों, गदी वस्ती में रहने वाला, भूमिहीन मजदूरों द्वारा सुविधाहीन वग के लोगों को शिक्षा देने की हर कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए शिक्षा के मद में वडी राशि की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी जिसमें प्रारम्भिक, माध्यमिक और तकनीकी शिक्षा पर उच्चतर शिक्षा की अपना अधिक वल देगा होगा। अब तक उच्चतर शिक्षा को उसके अनुपात से कहीं अधिक हिस्सा मिलता रहा है; शिखा में विभिन्न स्तरों पर समाज की हास्ति से उपयोगी कार्यों को मुद्द्य स्थान मिलना चाहिए, ताकि बुद्धिजीवियों और मजदूर वग के बीच के अन्तर को खत्म किया जा सके। जिस समाज में युवा वग के बहुसंख्यक छात्र स्कूल के बहाते से बाहर खेल की विवश हों, वहाँ जल्दी ही कि सुविधाहीन या अपेक्षाकृत कम सुविधा प्राप्त लोगों के लिए मनोरंजन के साधन उपलब्ध किए जाएं। उनके लिए शहरी और ग्रामीण दोनों लेन्ड्रों में सामुदायिक क्षेत्रों की आवश्यकता है। इस तरह भी सुविधाओं के रूप में जनता के लिए बड़े पैमाने पर युवा के द्वाले जाने की आवश्यकता है। खेल कूद न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है बरन् जनर-भवीय स्तर पर सम्पक को अधिक बढ़ाने के लिए भी। अत राष्ट्रीय एकता की हास्ति भी इसका अधिक महत्व है।

शिक्षा का भारतीयकरण कह किया जाए—इस विषय पर विद्वानों में भभी सहमति नहीं है। इसलिए भभी इस विषय पर कोई निश्चित बात कहने से पूछ विद्वानों के विचारों का सर्वेक्षण करने की मावश्यकता है। इस विषय ने विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया है। यह एक शुभ लक्षण है।

'भारतीयकरण' के राष्ट्रीय लक्ष्य तथा उनकी चुनौतियों के समाधान से

देश की स्वतन्त्रता के उपरात प्रजातंत्र प्रणाली को सफल बनाने हेतु धर्मिक का महत्व तथा सामाजिक, धार्यिक और राजनीतिक याय प्रदान करना समाज का उत्तरदायित्व है। धार्यिक सहिष्णुता का विकास करते हुए जीवन स्तर सुधारने का सफल प्रयास करना चाहिए। समाजवादी व्यवस्था की जड़े गहरी करते हुए भारतीयों को एकता के सूत्र में बाधना आदि प्रमुख लक्ष्य है ताकि देश में मोहाद्वर्ज बातावरण बन सके।

लेकिन दुर्भाग्य है कि हम घपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कई विकट बाधाओं का सामना करते हैं जैसे भावादी का विस्कोट, राष्ट्र में जाति, सम्प्रदाय य सेन के आचार पर हिंसा वृत्ति जिसका पजाव, भ्रसम व गुजरात उदाहरण है। राष्ट्रीय-चरित्र पिरता जा रहा है तो देश में नेतृत्व प्रभावशाली नहीं जो जनसाधारण में लोकप्रिय हो। विश्व में धर्मिक का धूम्रीकरण तो दूसरी तरफ पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन आदि से बिगड़े हुए सम्बंध। इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए देश में भारतीयकरण का प्रशिक्षण देना चाहित है।

शिक्षाविद् जे पी नायक ने राष्ट्रीय लक्ष्य, को प्राप्त करने हेतु शिक्षा व्यवस्था तथा उसकी प्रगति में माने वाली बाधाओं को इस्टि में रखते हुए कार्यक्रम दिया है—¹

(1) शिक्षा में प्रजातन्त्र का समावेश —

(i) ज्ञान तथा सामाजिक विकास द्वारा निरक्षरता विनाश।

(ii) धर्मवाद तथा मुक्त शिक्षा।

(iii) छात्रों में सहिष्णुता आत्म सद्यम, अपनी गत दना और दूसरों की राय धर्म-पूण सुनना, उचित राय का स्वीकार करना आदि गुणों को विकसित करना।

(iv) शैक्षिक प्रशासन का विकेंद्रीकरण।

(v) छात्रों को प्रजातंत्र की विचारधारा का जान देना और प्रजातात्त्विक जीवन का अस्यास।

(2) धर्म निरपेक्षता का समावेश —

(i) धर्म का व्यापक धर्म समझ जाय धर्म का अब 'धारण करना' अर्थात् मनुष्य की

1 जे पी नायक — 'एज्मूकेशनल प्लानिंग इन इण्डिया'
"ऐ नेशनल सिस्टम ऑफ एज्मूकेशन"

- (ii) हर धर्मावलम्बी छात्र का जपने विद्यालय में उसके धर्म की शिक्षा देने को छूट देना परन्तु धर्मावलम्बी छात्र को वह शिक्षा पाने के लिए विवश न करना ।
- (iii) हर धर्मावलम्बी छात्र को दूसरे धर्म की उत्तम वाता का ज्ञान कराना ।
- (iv) श्री प्रकाश समिति(1960) के जो वार्त्तिक तथा नीतिक शिक्षा पर विचार करने के लिए वनों थीं सुभावों के जनुसार धर्म से उपासना या कमकाठ को घोड़कर शिक्षा के लिए नतिकता की शिक्षा को स्वीकार करना ।
- (v) धर्म निरपेक्षता का जब अधारिकता नहीं है जसा कि आज समझा जाता है और जिसके कारण आम जनता के मन से धर्म की भावना समाप्त होती जारही है।

(3) शिक्षा द्वारा देश के आधिक विकास कार्यक्रम —

- (1) आम छात्रों में धर्म तथा हाथ के काम के लिए आदर का भाव जगाना ।
- (ii) कृषि तथा उद्योग विकास के लिए विज्ञान तथा प्रविधि की उत्तम शिक्षा देना ।
- (iii) शिक्षा द्वारा ऐसी अभिव्यक्ति जगाना जिससे युवा जन आधिक उत्पादन, आधिक धर्म करने तथा मितव्ययों बनने के आदि बन ।
- (iv) जनस्थाया शिक्षा की व्यवस्था जिसके द्वारा परिवार नियोजन सफल हो ।

(4) विज्ञान तथा प्रविधि की शिक्षा —

- (i) छात्रों में वैज्ञानिक अभिव्यक्ति पदा करना जिससे वे तक पूर्वक और चिंतन द्वारा तथ्यों को सत्यासत्य निष्पत्ति द्वारा स्वीकार करे ।
- (ii) प्रतिभाशाली छात्रों का चयन और उत्तम विज्ञान शिखा की व्यवस्था परंतु विज्ञान के साथ नीतिक मूल्यों का संयोग करना ।

(5) सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए शिक्षा —

- (i) शिखा के द्वारा प्राचीन भारतीय मूर्चों की रक्षा की जाय । याहू मूर्चों को ही स्वीकार करना ।
- (ii) एक ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग को तैयार करना जो आस्थावान हो और जो मानविका तथा वित्तीन विषयों का सातुरित ज्ञान रख सके । उसमें भारतीयता के प्रति प्रेरणा अद्वा हो ।
- (iii) आम जनता और बुद्धिजीवी वर्ग के बीच समुनिन सम्बन्ध का विकास रखना ।

(6) राष्ट्रीय एकता और शिक्षा —

- (i) शिक्षा द्वारा आम जनता में भारत के प्रति प्रेरणा उत्पादन करना ।
- (ii) समस्त देशवासियों के लिए एक समान आधिक विकास के द्वारा खोलना ।
- (iii) एक ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग तैयार करना जो सारे भारत में फैला रहे और भाषा,

विचार, कार्य क्षमता तथा जीवन-पद्धति में समान रहे ।

(iv) राष्ट्रीय संस्थाएँ एक ही पैठन पर चलायी जायें ।

(7) समाजवाद और शिक्षा —

(i) शिक्षा द्वारा जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, क्षेत्र और लिंग की विभिन्नता से परे हर नागरिक की क्षमताओं का पूर्ण विकास किया जाय ।

(ii) अनिवाय तथा मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था ।

(iii) शिक्षा के समान अवसर का सूत्र अपनाये ।

(8) बढ़िया किस्म की शिक्षा — (i) प्रतिभाशाली छात्रों की खाज, चयन तथा उनके लिए सुविधाएँ जुटाना (ii) शिक्षा के पाठ्यक्रम में अधिक गहराई लाना । (iii) शिक्षा-काल को बढ़ाना । (iv) निर्वाचित समय में अधिक ज्ञान देना ।

शिक्षाविद् श्री नायक के द्वारा शिक्षा-प्रणाली को राष्ट्रीय स्वरूप देने का प्रयास किया गया है । ज्ञान के विस्फोट हानि भी उसे प्राप्त करने के विभिन्न रूप है । एक दश की अच्छी प्रणाली का दूसरा देश अपनाना है, उसी प्रकार हम भी उसे विदेशी प्रणाली जो भारतीय भूमि के अनुकूल है उसे अपनाने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए यही भारतीयकरण का सही प्रयास है ।

स्वतन्त्र भारत की शिक्षा में भारतीयकरण की बाधाएँ

शिक्षा के माध्यम से बालक का मानसिक शारीरिक सामाजिक आधिक विकास कर देश के लिए उपयोगी नागरिक बनाना प्रमुख व्यष्टि है । इसके साथ ही सारे भारतीयों में एक होने की भावना से राष्ट्र प्रगति की और अग्रसर हो पायगा । जब सकृचितता का ल्यागकर भारतीय समझे लेकिन भारतीयकरण के मार्ग में अत्यधिक बाधाएँ आरही हैं यद्यपि राष्ट्रीय विभूतियां न अत्यधिक प्रयास स्वतंत्रता से पूर्व व उपरान्त भी किए हैं । वर्तमान में भी भारतीयकरण हतु निम्न बाधाएँ प्रमुख कारण से खड़ी हैं जो समाधान की मांग करती है । प्रमुख बाधाएँ —

(1) 'भारतीयकरण के सम्प्रत्य स्पष्ट नहीं — देश को स्वतन्त्र हुए बढ़तीस वज्र हाने जा रहे हैं किर भी भारतीयकरण का अस्ति विभिन्न विद्वान व्यपने ढग से प्रस्तुत कर रहे हैं । स्वतंत्रता उपर्युक्त, प्रत्येक पाश्चात्य मूल्य को हटाकर भारतीय-मूल्यों को अपनाना ही भारतीयकरण माना जाता या जबकि स्वतंत्रता के उपरान्त विदेशी संस्कृति व मूल्य को जो भारतीय भूमि के उपयुक्त है उह याने में भिन्न लेना अर्थात् भावनात्मक करने को प नेहरू ने भारतीयकरण की सपा दी है । प्रो० मधोक भारतीयकरण, भारतीय संस्कृति के प्रतिराधात्मक एवं भावनात्मक

सम्बन्ध के विकास को मानते हैं। स्वामी दयानन्द प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान और स्तुति भाषा की शिक्षा को 'भारतीयकरण' मानते थे। मालवीयजी, तिलक, प्रो. हुमायूँ कबीर आदि विद्वानों के मत एक नहीं है, जिससे भारतीय स्वरूप शिक्षा में प्रदान करना मुश्किल प्रतीत हो रहा है। भारत में हि दूषों के प्रतिरिक्ष धर्मविलम्बी त्वयि वेदकालीन शिक्षा को ग्राधुनिक परिवेश में उपस्थित नहीं मानते। ऐसी स्थिति में समात्यवृण शिक्षा प्रणाली को प्रयोग किया जिसका अर्थ है कि प्राचीन स्तुति को ग्राधुनिक ज्ञान विज्ञान से आवश्यकतानुसार जोड़ विठाना चाहते हैं। उत्तमान युग में हम जपने दिमाग दिल व कान खुले रखने होंगे और अपनी आवश्यकतानुसार अन्य देशों से ज्ञान बाले ज्ञान को भी प्राप्त करना पड़ेगा—ग्राम्यया हम और धर्मिक पिछड़ जायेंगे। अस्तु शिक्षा के भारतीयकरण का अर्थ कुछ और होगया। भाज शिक्षा में भारतीयकरण का अभियान द्रुतगति से नहीं फैलने का प्रमुख कारण भस्त्रष्ट अर्थ है।

(2) प्राचीन मूल्यों के प्रति अनास्था —

भाज पथ प्रधान युग है जिसमें भौतिकता का देवद स्थान प्राप्त है। सारा विश्व भौतिकवादिकता की ओर झुकता ही जा रहा है, ऐसी स्थिति में भारत भी जदूता नहीं है। जब भौतिकवादी खाने—नीने और मोज करने में विश्वास करते हैं ऐसी स्थिति में हमारी विरासत जिसमें दया, धर्म, कर्तव्य, सोक्ष प्रादि को न मानवर पाश्चात्य विचारों से आत-प्रोत होते जा रहे हैं और प्राचीन मूल्यों व परम्पराओं के प्रति आस्था हटती जा रही है। ग्राधुनिक युग न न्यूनतीन साधनों का विकास प्रवर्शय किया है तकिन नतिक मूल्य जो भारतीय विरासत है उत्तम पिछड़ते ही जा रहे हैं। अपने प्राचीन मूल्यों को छोड़ने के फलस्वरूप विश्वास के स्थान पर अविश्वास अभ्य के स्थान पर भय का बातावरण देश में बना हुआ है। दूसरे प्रसन्नुलन, धार्यिक सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र बढ़ा है और विषय आपाजन का बातावरण भी उसे हमारी स्तुति परम्पराओं में पुन आस्था स्थापित करते ही अस्पष्टता का स्पष्ट बातावरण में तबदील करने में सफल हो सकते हैं। हम बन्यान के साथ भूत व भवित्व के बारे में सोचन हुए द्यावों द्वारा तयार करना है वह हमारी प्राचीन स्तुति में आस्था रखने से ही सम्भव है।

(3) लम्बे समय तक परतन्त्रता —

हम बहुत लम्बे समय तक दासता की बड़ियों में ज़कड़े रहे। मुगलों, परंगेवा व अन्य जातियों न हमारी स्तुति पर नियोजित डग से प्रहार किया। महात्मा गांधी जिक्षा व्यवस्था ने भारतीय परम्परा व स्तुति का समाप्त करने की मारियु

की थी। हम पाश्चात्य भौतिकवादी संस्कृति के दास बन गये और अपने ग्राषको भूल गय और अपने पूर्वजों के स्थान से गिर गय तितर-वितर ही गये और भौतिक लाभ, छोटा-कूपटी में सलग्न हो गय। लेकिन हमागे संस्कृति वी आत्मा जीवित है जिसके कुछ महत्वपूर्ण आदर्श है। हमें विभिन्न धर्मों के स्रोतों को पर स्वर मिल जुलकर रहने की जावश्यकता है ना कि दग्धा-फसाद की। हमें आनंद पुनर संसार का एक आत्मा दनी है वयाकि विश्व की अच्छी संस्कृतिया तिक शरीर है। हम अपने दामता के काल में खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त कर देश व विदेशियों को चेतना देकर जाग्रत करना है यदि हम सच्चे भारतीय हैं।

- (4) धर्म निरपेक्षता को नीति — धर्म निरपेक्षता, जिसे गलती से धर्म निरपेक्षता कहा जाता है का अब सभी धर्मों का समान रूप स आदर करना, इसका अब धर्मों को जोड़ना नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा पवित्र समझी जान वाली चीज का आदर करना चाहि, ए। लेकिन देश में आदिवासी, गरीब जानियाँ प्रलोभन व मज़बूरी में विदेशी धर्म प्रचार व प्रसार के चकार्चौध में आकर बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं जो हमारी उदारता का नाजायज लान उठा रहे हैं और हम प्रतिरोध नहीं कर पा रहे हैं और न भारतीय संस्कृति और सम्यता के प्रचार के लिए ही उपयुक्त काय कर पारहे हैं वयाकि हमारी संस्कृति परोक्ष व जपरोक्ष रूप में धर्म से सम्बद्धित है। विश्व के सभी धर्मों के अनुयायी रहते हैं वे सभी धर्मों के नोएं भारत के नायरिक हैं जोशता-विद्यों से रहते हैं उन्हें भारतीय परम्पराओं से जोड़ना है तभी भारतीयकरण होगा।
- (5) पाश्चात्य सम्यता का प्रभाव — पाश्चात्य सम्यता के बेद्र विदु अथ है। भौतिकवादी जीवन जीने की लानसा देशवासिया में पाश्चात्य सम्यता का ही प्रभाव है। हमें आज विरायन में जो सम्यता परम्पराएँ व धारणाएँ प्राप्त हुई हैं उसी से हमारा उद्धार सम्भव है। भारत आध्यात्मिक मूल्यों का हासी रहा है लेकिन पाश्चात्य सम्यता की चका चौब करने वाली संस्कृति की ओर हमारा मुकाबल बढ़ रहा है। हम अपनी भारतीय के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर तामू करने में हिचकिचाते हैं। हमें पुनः आदर्शों पर ही चलना है, हमें नये भौतिकवादी पाश्चात्य विचारा में खो नहीं जाना है और न ही उनसे ब्रह्मित होना है। मांग इस बात है कि हमारी नावी धीरों को प्राचीन मूल्यों का नान प्रदान किया जाय। इसी कमी के कारण आज के विद्यार्थियों में इतनी अधिक स्वेच्छाचारिता आ अनुशासन

हीनता बढ़ रही है। यदि हम पुन विद्यार्थियों को शिक्षा पद्धति के माध्यम से अपनी सस्कृति व मूल्यों की ओर लौटा लाये और उन्हें यह समझा दें कि हमारे धर्म की तुनियाद सबसे अधिक वैज्ञानिक सबसे अधिक नोकतानिक, सबसे अधिक अनुकूल और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह शिक्षा से चेतन हो सकती है और सभी नागरिकों में भारतीयकरण की ओर सफल प्रयास रहेगा।

भारतीयकरण हेतु उपाय

- 1) भारतीय दर्शन का विकास —प्राचीन नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों विचार तथा सस्कृति के आधार पर वर्तमान वैज्ञानिक उन्नति के सद्भ में दर्शन का विकास।
- 2) शिक्षा दर्शन का विकास —सभी धर्मों के मूल में एकत्र है। किसी भी धर्म की शिक्षा में विद्वेष ईर्ष्या, सघप का प्रतिपादन नहीं किया है। अत सभी धर्मों की विद्वेष-पता आदि वा समावय स्थापित कर शिक्षा दर्शन बनाया जाय जिससे वस्तु स्थिति को समझकर व्यापक इष्टिकोण का विकास हो।
- 3) जीवन से सम्बद्धता —शिक्षा दर्शन काल्पनिक या विदेशी विचारों से ओत प्रोत न हो वल्कि भारतीय जीवन से सम्बद्धित हो।
- 4) सर्वधर्म-समावय —भारत के सभी धर्मों में आत्मा अहिंसा, सत्य परोपकार, दया सहिष्णुता, मानवता आदि गूण विद्यमान हैं सभी धर्मों का समन्वय करते हुए शिक्षा-प्रणाली का अभिन्न भाग बनाया जाय। सभी धर्मों में मानव कल्याण, ईश्वर की समान कल्पना, देवी देवताओं के विवाह सम्बाधी कथाएँ समान नैतिक पक्ष की एक रूपता है। डा भगवानदास ने उदाहरण देते हुए यह प्रमाणित किया है कि विभिन्न धर्मों की स्थिति फ़िलमिल रगो के समान होती है। इस प्रकार शिक्षा प्रदान की जाय तो भावात्मक एकता स्थापित हो सकेगी।
- 5) विज्ञान और उच्चोग शिक्षा —वैज्ञानिक प्रगति भारत में प्राचीन काल में इतनी अधिक थी कि विश्व का सिरझौर था। 'रामायण', महाभारत में उदाहरण प्राप्त है। वैज्ञानिक प्रगति भारतीयकरण का एक अविभाज्य ग्रन्थ है, परन्तु विज्ञान को नैतिकता तथा धर्म से जोड़ना होगा। इसकी शिक्षा का प्रचार व प्रसार बड़े पैमाने पर करने की आवश्यकता है।
- 6) मानवीय गुणों का विकास —हमारी शिक्षा प्राचीन सस्कृति को आधार बनाकर बनाई जाय जिसमें मानवीय गुण का समावेश हो। 'मादा जीवन उच्च विचार' दया, निष्ठा, सहानुभूति, परोपकार, समानता सहिष्णुता, महकारिता, प्रेम आदि इसको आधार बनाकर शिक्षा व्यवस्था की जाए।

(7) सामाजिक शिक्षा — प्राचीन भारत में पौरत और आदमी को समान प्रधिकार होते थे कोई छोटा वडा नहीं होता। बगर पौरत के आदमी पौर वर्गेरधादमी के ग्रोल कोई सत्कार सम्पन्न करने के प्रधिकारी नहीं होते थे। विवेकानन्द ने वम के जाधार पर जाति को माना है। परशुराम धन्विय तथा विश्वामित्र राज छृष्टि ही सकते थे। देश में वर्गेर सिंग जाति घम देश के सामाजिक समानता को भाषार बताकर शिक्षा व्यवस्था बढ़ाव दित है।

(8) उत्पादनशील शिक्षा — प्राचीन शिक्षा में शारीरिक परिषम को सदैव महत्व दिया जाता रहा है। आश्रम-व्यवस्था के मन्तर्गत शिष्यों को आधम डे तम्बन्धित सभी काय करने पड़ते थे। पाश्चात्य सम्यता जहाँ भोग प्रधान रही है, जिसका प्रभाव भारतीय शिक्षा पर दण्डिगोचर होता है। आज द्याव विद्याव्यवस्था हीन के बजाय मास मदिरा के व्यसनी हैं। वत्मान शिक्षा का भारतीयकरण करते समय 'थम को प्रधानता देनी होगी पौर उस उत्पादनशीलता से जोड़ना होगा जिससे दान, त्याग आदि गुणों का विकास होगा।

निम्नलिखित कायकमों को सब प्राथमिकता देनी चाहिए —

- (1) शिक्षा प्रौढ़ स्तर के भूल गए के रूप में विनान।
- (2) सामाजिक शिक्षा के एक अभिन्न गण के रूप में कार्य-अनुभव।
- (3) उदाहरण हीपि प्रौढ़ व्यापार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा का व्यवसायीकरण, विशेषकर माध्यमिक स्कूल स्तर पर, और
- (4) विश्वविद्यालय स्तर पर वैनानिक प्रौढ़ शिल्प विज्ञानिक और शिक्षा एवं अनुसंधान में सुधार किसी त्रुपि और सबद विज्ञानों पर विशेष जोर।
- (5) लोकतान्त्रिक मूल्यों का विकास 2 — शिक्षा में भारतीयकरण का स्वरूप ऐसा ही जो लोकतान्त्रिक मूल्यों का विकास कर सके जैसे कि मन को वज्ञानिक प्रवृत्ति, सहनशीलता अत्यन राष्ट्रीय समूहों की सस्तुति के प्रति आदर जादि पर भी विशेष रूप से जोर दिया जाना चाहिए ताकि हम लोकत न को न केवल शासन के प्रकार के रूप में अपितु एक जीवन शैली के रूप में भी अपना सके। भारत की जावादी में विभिन्न धर्म व भाषायी, प्रजातिया जातिया व वग के समुदाय रहते हैं। लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति-सहनशीलता सबसे महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। इससे स्वस्थ दण्डिकोण का विकास होने से विभाजन के जसद की सामाजिक, आर्थिक तथा सास्तुतिक समूहों को सहायता मिलेगी।

1 कोठारी दो एस-'शिक्षा आयोग को रिपोर्ट (पृ 7-8)

2 वही वही (पृ 20 21)

उपसहार — भारत में प्रचलित शिक्षा प्रणाली हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं हुई है क्योंकि यह ब्रिटिश शासन की देन है। आज पढ़े लिखे नव-युवक अपनी परम्पराओं, मूल्यों, व संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य जीवन शैली के अपेक्षक होते जा रहे हैं। इसमें दोष छात्रों का कम और शिक्षा पद्धति का अधिक है, क्योंकि उहे मूल्यों, परम्पराओं व संस्कृति का अध्ययन करवाया ही नहीं जाता है। इस ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के द्विपक्ष के बारे में स्वामी दयानन्द, रवीन्द्रनाथ, विवेकानन्द लाला लाजपत राय व गांधीजी जैसे देश भक्तों को इनके द्वारा पढ़ने वाले प्रभावों के बारे में सूच जानते थे और उहोंने प्रतिकार भी किया।

देश की संस्कृति के प्रमुख तत्व इस देश की संस्कृति के प्रमुख तत्व इस देश की अनेक मानव पीढ़ीयों को धोर परिश्रम, सघप, साधना और बलिदान के उपरात निर्मित हुए हैं। यह हमारी बहुमूल्य धरोहर है जिसके कारण ही हम विश्व में सर्वोच्च प्रतिष्ठित हो सके। आज देश की आधिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों में द्विद निरतर फलता जा रहा है और देश दिन-प्रतिदिन मूल्यों व संस्कृति के हृष्टि से कमजोर हो रहा है। आज स्वयं के लाभ को प्राप्त करने में छीना भपटी कर रहे हैं। हमारे देश का प्रगतिशील विचारों की और अग्रसर करना है और मात्री पीढ़ी को देश के बारे में सही दस्तीर देनी है तो समय रहेत छात्रों का भारतीय संस्कृति मूल्यों, धार्मिक सहिष्णुता, प्रजातात्त्विक जीवन शैली, सम्वेदनशीलता आदि गुणों से ग्रोत-प्रोत शिक्षा का भारतीय करण करके सफल हो सकत है और जो आदर्श दर्शन, राष्ट्रीय संविधान में निहित है उसकी पूर्ति करने में सहायक मिठ्ठा हो सकती है।



मूल्यांकन (Evaluation)

(अ) नघुरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions)

- 1 'शिक्षा में भारतीयकरण' के तथा शिक्षा के आधुनिकीकरण' के पाँच मुख्य प्रतर लिखिये। (बो एड पत्राचार 1985, बो एड 1984)
- 2 शिक्षा का भारतीयकरण करने के ग्रन्त तक व्या प्रयास किये गये हैं? (बो एड 1983)
- 3 'भारतीयकरण' आधुनिक भारतीयता और 'भारतीय आधुनिकता' का सम्बन्ध है' स्पष्ट कीजिए। (बो एड 1982)
- 4 माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के भारतीयकरण के लिए आप किस कार्यक्रम का सुझाव देते हैं। (बो एड पत्राचार 1981)

5 शिक्षा के 'भारतीयकरण' और शिक्षा के जाधुनिकीकरण के प्रत्यंतर को स्पष्ट करने के लिए पांच प्रमुख विद्युप्राकाश नियमिति। (वीएड 1968)

(व) निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1 शिक्षा में भारतीयकरण का क्या अर्थ है ? उन गैंधिस्थ पदों की व्याख्या कीजिए जो भारतीयकरण में सहायक होगे। (वीएड 1985)

2 शिक्षा में भारतीयकरण का क्या अर्थ है ? शिक्षा के भारतीयकरण के लिए किन-किन शैक्षिक क्षेत्रों में परिवर्तन की आवश्यकता है और क्यों ? (वीएड 1984)

3 'भारतीयकरण एवं जाधुनिकीकरण' के अंतर को बतालाइय तथा भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में दोनों में सामजिक स्थापित करने की सम्भावना लाजिए। (वीएड पत्राचार 1984)

4 शिक्षा के भारतीयकरण से आप क्या समझते हैं ? क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968 से 1969) के आधार पर शिक्षा का भारतीयकरण सम्भव है ? 'देश के भावात्मक एकीकरण के लिए शिक्षा का भारतीयकरण पूर्वविश्वकर्ता है।' विवेचन कीजिए। (वीएड 1981)

5 शिक्षा के भारतीयकरण से आपका क्या अभिप्राय है ? शिक्षा के भारतीयकरण के उद्देश्य की प्रगति हेतु उदाहरण देते हुए छोस सुभाव दीजिए। (वीएड 1979)

[विषय-प्रवेश-धार्मिक शिक्षा का अर्थ ऐतिहासिक परिपेक्ष्य-संविधान में धार्मिक शिक्षा-प्रगतिशील राष्ट्रों में धार्मिक शिक्षा-स्वतंत्र व भारत में धार्मिक शिक्षा की जावश्यकता आध्यात्मिक मूल्यों को जावश्यकता-धर्म निर्माणता एवं धर्म-आध्यात्मिकता व नैतिक मूल्यों की शिक्षा करने दी जाय विभिन्न आद्योगों की तिफारिश ।

—नैतिक शिक्षा—का अर्थ—नैतिक शिक्षा की जावश्यकता एवं महत्व—नैतिक शिक्षा ऐतिहासिक परिपेक्ष्य—नैतिक शिक्षा का स्वरूप—पाठ्यक्रम एवं विषयों—उपस्थान सुन्धान]

(अ) धार्मिक शिक्षा

भारतीय शिखा पद्धति में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा से प्रविक्ष अन्य काई भी विषय विवादास्पद नहीं हैं। केवल भारत में ही नहीं विश्व के अन्य राष्ट्रों में भी अनुशासनीयता तथा सामाजिक मूल्यों का हास द्रुतगति से किशोर बालक व बालिकाओं में इटिगोचर ही रहा है। हम शरीर का पोषण करने भ आत्मा का हनन कर रहे हैं। शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना है, लेकिन हम एकाकी विकास करने में तत्त्वर हैं। सर्वांगीण विकास जिसमें शारीरिक, औष्ठिक, भावात्मक सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिकता का विकास करना है जो सम्भव प्रतीत नहीं होता है। विश्व का प्रगतिशील व 'तीनों विश्व' के गण्ड इस विषय को गम्भीरता से लेते हुए अपनी शिक्षण-व्यवस्था पाठ्यक्रम में मूल्यों (Values) को पुनः स्थापित करने का सफल प्रयास कर रहा है। विश्व का हर व्यक्ति भौतिक दोड में लगा हुआ है। जागरन ने अचिरकाल (Recently) अपने अभिन्नत पाठ्यक्रम में परोक्ष व अपरोक्ष रूप से इस विषय की प्रारम्भ किया है। इस्तेंड व अमेरिका नी अत्यन्त गम्भीरता से जात्मा व जीवन मूल्यों की शिक्षा प्रयान करने के पक्ष में है। भारत में लगभग पिछ्ले चार हजार वर्षों से धर्म की परम्परा रही है कि उनमें दशन, सिद्धात् आत्मा व मूल्यों को हम विरासत में प्राप्त हुए हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि आज हम धार्मिक विश्वास के प्रति जनास्था और विरासत में प्राप्त

पारपरिक मूल्यों के वि स्पष्टन के युग में जी रह हैं। विज्ञान और नठिक मानवतावादी के प्रभाव में पले हुए व्यक्ति ग्राम्यवाक्य के रूप दुख भा स्वीकार करने के लिए तयार नहीं होते। फलस्वरूप विश्व के अनक भागों में धार्मिक विश्वासों को छोड़ रहे हैं। यदि हम इतिहास के महत्व को वंजानिक हृष्टि के महत्व को, धर्म के सम वय के महव को, लोकतन्त्र के बुनियादी महत्व को आधुनिक युग की विशेषताओं के रूप में स्थापित करता हो तो हम अपने जादरों को नहीं छोड़ना है हम नये विचारो—म—नहीं—सो—जाना है। आज शाना व महाविद्यालय स्तर तक द्यात्रों को 'मूल्यों' व धर्म व नतिक्ता का ज्ञान न होने के फलस्वरूप ही इतने अधिक स्वच्छावारिता, या अनुशासनहीनता व्याप्त है। 'धर्म' की शिक्षा के नाम पर पिछाद होता है लेकिन भारतीय धर्म की बुनियाद वैज्ञानिक, लोकतात्त्विक है, हमारे संविधान की प्रवृत्ति धर्म निरपेक्ष है। जिसे गलत ढंग से भव लिया जा रहा है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों का समान रूप से आदार करना इसका अर्थ धर्म को छोड़ना नहीं है। अत यह किंशोर अवस्था से ही बालकों को धार्मिक व नैतिक शिक्षा¹ प्रदान करने की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

कोठारी कमीशन के आधार पर धर्मनिरपेक्षता व धर्म — कोठारी कमीशन न 'धर्मनिरपेक्षता व धर्म पर कहा है—' धर्म निरपेक्ष नीति अपनाने पा धर्म यह ह कि राजनैतिक, आधिक और सामाजिक मामलों में, सभी तागरिकों को, वे चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हों समान अधिकार प्राप्त हों किसी भी धार्मिक संप्रदाय के साथ न तो कोई पक्षपात लिया जाएगा और न ही उसके साथ कोई भेदभाव, किया जायगा।'

लोकतात्त्विक भारत म नतेक धर्म व सम्प्रदाय के लोग निवास करते हैं। अत यह आवश्यक है कि वह सभी धर्मों के सहिण्यतापूर्ण अध्ययन का प्राप्त्याहित करे ताकि उसके नायरिक एक दूसर को और अच्छी तरह समझ सके तथा शातिष्ठीवक साथ साथ रह सके। अब जो बच्चे बढ़े हो रहे हैं स्वयं अपने ही धर्म का कोई स्पष्ट नाम नहीं है और न ही उह अ य धर्मों की कोई बात सीखने का मज़बूत मिलता है। बास्तव मे नई पीढ़ी म, इन बातों सम्बंधी इनना सामाजिक अन्नान और गलतफहमी है कि उसमें उन नौस्तन के डिक्कास के लिए बड़ा खतरा है जिनमें मटिल्युता को एक उड़ा मूल्य समझा जाता है। हमारा यह युक्ताव है कि प्रत्यक प्रमुख धर्म से सम्बन्धिते दुती ही जानकारी दन बाता एक पाठ्य-विवरण स्कूलों तथा कॉलेजों म प्रथम 'उपाधि' तक प्राप्ति किए जान चाहिए वराकि विश्व के महान् धर्म म जो मूलभूत समानताएँ हैं, तथा य सोटे तोर पर तुलनीय जिन नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के निमाण पर' जो बल

दत ह, उस भा प्रवाश म लाए।” “ उसमे कोई ऐसी बात शामिल नही है, (सुनिचित हा जाय)जिस पर कोई भी धार्मिक सप्रदाय उचित आपति उठा सके।’ 2 जिससे काला तर म सम्पूण मानव की आवश्यकताओ की पूति करेगा न कि उसके -रक्षण्य क किसी खण्ड विरोध का ।

अब यह महसूस किया जाने लगा है फि धार्मिक व नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम का अभिन अग हाना चाहिए। हमारी वत्सान शिक्षा-रद्दति मे महान् कमजोरी रही है लेकिन हमे शाता पर पर धार्मिक व नैतिक शिक्षा छात्रो की प्रदान की जाती चाहिए।

ऐतिहासिक प्ररिपेक्षामे (Historical Back ground)

- (1) वैदिक-काल —प्राचीन भारत म धार्मिक व नैतिकता का शिक्षा म महत्वपूण स्थान रहा है। वापतव म शिरा तथा धम एक दूसरे के बीच गहरे सम्बन्ध रहे है। जध्यापन का काय धार्मिक गुरुओ द्वारा जाथ्रम मे प्रदान किया जाता था। धम व्यवहारिक जीवन का आधार था और सारी सामाजिक जीवन वी धम के आधार पर ही व्याख्या की जाती थी। जध्यापक का मुख्य उद्देश्य अपने शिष्यो की व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन म आचार-विचार नैतिक व धार्मिक दृष्टि से निर्यात करना था। उनका विश्वास था कि भावा-त्मक व नैतिक आचार सम्बन्धी विकास वात्यकाल मे होकर सत्सार पड़ जाते हैं वे जीवनपथ-त्र बने रहते हैं। उक्तकाल म जीवन का उद्देश्य धम अथ, काम, मोक्ष की प्राप्ति, जिसमे धम को सब प्रमुख माना जाता था। उन समय जात्मनान व दृष्टि नान विशेष महत्व दिया जाता था। उस समय भीष्म गिरामद राजा हरिश्च इ, सोता, राम सावित्री के गुणो का वर्णन इमा उन पे किया जाता। जर्वति सम्पूण शिक्षा धम और नैतिकता पर आराखित री।
- (2) उत्तर वदिक काल—इस काल मे उपनिषदो की रचना की गई तथा यात्रिक पढ़तियो द्वारा, पूजा उपासना तथा बलि देने की प्रथा प्रारम्भ की गई। इन समस्त परिवर्तनो का तत्कालिन जिक्षा पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा। शिक्षा पूर्ण तथा आध्यात्मिक बन गई थी।
- (3) ब्राह्मण काल—इस काल म आथ्रम व्यवस्थाए प्रचलित हो गई थी जहाँ आथ्रम म गुरु तथा शिष्य अध्ययन-जध्यापन करते थे। गुरु अपने व्यक्तिव की छाप शिष्य पर छोड़ता था। शिक्षा का नैतिक उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना था। शिक्षा का सम्पूण सभ धार्मिक था तथा शिक्षा के माध्यम से विभिन पहलुओ का जान कराते हुए वालक म मानवीय गुणो का विकास किया करते थे।

2 काठरी, छो एस, “शिक्षा आयोग कीरिपोट”

(पृष्ठ 24)

(4) बौद्धकाल – विहार व मठ बौद्धकालीन शिक्षा के द्वारा स्थल थे। मूर्ति-पूजा, वलि देना, ग्राहण-युग मे प्रारम्भ हो गई थी। इस काल की कुपयाए समाज मे इस दण से जड़े जमो गई कि धम का सही रूप लुप्त हो गया जिसका शिक्षा पर प्रभाव पड़ना स्वानाविक ही था। चिन्तन, मनन न हाकर आधम्बर ही था।

(5) मुस्लिम काल – इस काल मे शिक्षा मक्कनव और मदरसा मे इस्तामी धम एव कुरान की पवित्रता के घारे मे प्रदान की जाती थी जो सामान्यत मस्जिद मे लगते थे। प्राचीन भारतीय गुरुओं की मौति इस काल मे शिक्षा प्रदान करन वाल धार्मिक नहा मुल्ला या मौलवी ही होते थे, वे छात्रो मे ईश्वर महिं व धर्मानुसारिता की शिक्षा देते थे।

(6) अंग्रेजी काल व उनकी उपेक्षित धार्मिक नीति –

विटिश-शासन का भारत प्रामाणन के साथ ही हमारी प्राचीन व मध्यकालीन शिक्षा-पद्धति का द्रुतगति से महत्व समाप्त होत लगा। किंचित्तन मिशनरियो भारत मे युरोपीयन व्यापारिक कम्पनियो के साथ ही प्रामाणन हुआ। इन वित्त नरियो न शिक्षण संस्थाओं की स्थापना देश म ही रो जिनका प्रमुख उद्देश्य पपने धम का प्रचार व प्रसार भारत की जनता मे करना था। प्रतगाली मिशनरियो द्वारा केयोलिक धम की शिक्षा दी जाती थी और कॉलेजियो द्वारा ईसाई धम की भारत मे विटिश-शासनको न इन संस्थायां को वित्तीय सहयोग क साथ-साथ धर्म तौर तरीको से भी मदद की। परन्तु प्रकृट रूप म पूर्णतया तटस्य हिंदूओंवर होतये।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने नुष्टो की नीति अपनाकर मुसलमान व हिन्दुओ को खुश करने के लिए क्रमश कलकत्ता मदरसा (1780) व बनारस सम्मुख कॉलेज (1791) खोले। सन् 1813 के चाटर एक्ट का स्वरूप धम निरपेक्ष याता था।

डेविड हेयर, ज ई डी बेथ्यून राजा रामसोहन राय, जगन्नाथ, शकर सेठ आदि ने धर्म निरपेक्ष शिक्षा पर जोर दिया। मैकाले ने इन लोगों का सम्बन्धन बिंदा लकिन वे इस बात को स्वीकार नहते थे। विं अंग्रेजो भाषा तथा साहित्य निः चय रूप से भारतीय जनता के धार्मिक हिंदूओं मे फक लायेगे। मकाले की धर्म निरपेक्षता के समयन के पीछे जाल थी वि लोग मूर्ति-पूजा की आन्धा से हृष्ट जाय और वे सफल भी रहे। लाई मैकाले ने 1836 मे लिखा— “हिन्दुओ का अपना धम नही यह मेरा हड़ विश्वास है कि अगर हमारी शिक्षा योजनाएँ परामर्शानुसार कियाजित हुई ता बगाल के प्रतिष्ठित परिवारों मे 30 वर्ष पर्याप्त भात् कोई मूर्ति पूजक नही रहेगा। बगैर धम परिवर्तन करवाय और बगैर वार्मिक

स्वतंत्रता में दखल दाजी की स्वाभाविक रूप से पाइचात्य ज्ञान व प्रभाव से यह प्रभाव पड़ेगा।”¹

1854 के बुड़े के घोषणा पत्र ने यद्यपि कहने वो धर्म निरपेक्ष शिक्षा का समर्पण किया परन्तु मिशनरी स्कूलों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से ईसाई धर्म को प्रथय दिया और सभी पुस्तकालयों के लिए बाईबल रखना अनिवार्य कर दिया। ऐसे तो 1859 में भारत राज्य के सरकारी ने पुन घोषणा कर दोहराया कि ब्रिटिश सरकार शिक्षण संस्थाओं में पूरणतया धर्मनिरपेक्षता को अपनायगा। 1882 में हटर कमीशन ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त वो तो माना लेकिन नतिक पाठ्यरूप के सुभाव को निरस्त कर दिया और कुछ नतिक शिक्षाएं छात्रों को सामाजिक पाठ्य-पुस्तकों में प्राकृतिक धर्म के बारे में राजकीय महाविद्यालयों के प्रधानाचायर या प्रोफेसर द्वारा विभिन्न ‘मानव के कत्तव्य’ के बारे में भाषण का सुझाव दिया जिसकी क्रियान्विति बिलकुल नहीं हुई। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 ने धार्मिक शिक्षा को विश्वविद्यालय से त्याग दिया क्योंकि उनकी प्रावश्यकता नहीं समझी गई। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (1917-1919) ने धर्म को भेदभाव का कारण समझते हुए किसी भी तरह का सुझाव ही नहीं दिया।

केन्द्रीय सलाहकार बोड 1944-45 —

द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त भारत में शिक्षा के विकास हेतु केन्द्रीय सलाहकार बोड 1944 में अपनी बैठक में धार्मिक शिक्षा को मान्यता दी और मान्य पादरी श्री जो डी बर्ने के सभापतित्व में एक समिति का गठन हुआ जिसने सुझाव दिए — जबकि हम मानते हैं कि चरित्र निर्माण आध्यात्मिक और धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता है परन्तु इस शिक्षा की व्यवस्था स्कूलों में नहीं की जा सकती। यह बालकों के परिवार

1 “No Hindu his religion. It is my firm belief that if our Plans of Education are followed up, there will not be a single idolator among the respectable classes in Bengal, thirty years hence. And this will be effected with out any effort to proselytics with out the smallest interference in their religious liberty, merely by the natural operation of knowledge and reflection.”

-Lord Macaulay (1836)

व समाज का उत्तरदायित्व ।² मुख्य उद्देश्य इस प्रस्ताव का था, हमारी शिक्षण संस्थाओं में धर्म निरपेक्षता को बनाय रखना ।

स्वतन्त्र भारत के संविधान में धार्मिक शिक्षा

(Constitution provision regarding Religious Education)

स्वराज्य-प्राप्ति के बाद 1950 में हमारी संविधान सभा न सारे देश के लिए सम्पूर्ण प्रभुत्व - सम्पन्न प्रजातात्त्विक गणराज्य की संविधान में व्यवस्था थी । इसमें अनुच्छेद 28 व 30 के अनुमान धार्मिक शिक्षा के प्रियय में निम्न निर्णय लिए गए — अनुच्छेद 28 — (1) राज्य-अनुदान पर पूरणतया आधित शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी ।

(2) खण्ड (1) में निर्हित घर उन शिक्षा संस्थाओं पर नाप्रति नहीं होगी जो राज्य द्वारा प्रशासित तथा वीं जाती हो किन्तु जिनकी स्थापना किसी पर्याप्त अवधि या स द्वारा की गई हो और जिनमें धार्मिक शिक्षा देना अप्राप्यक माना गया है ।

(3) राज्य द्वारा मायवा प्राप्त अवधि राज्य अनुदान प्राप्त करने वाली शिक्षा संस्थाओं में कोई भी व्यक्ति इसी धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो इन संस्थाओं में दी जाती हो वाच्य नहीं किया जायगा और न उनसे अवधित किसी परिमाण में धार्मिक पूजा में भाग लेने के लिए वाच्य किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति की अपनी (अधिकार यदि वह नागरिक हो तो उसके अनिवार्यक का) अनुमति न हो ।

अनुच्छेद 30 —

- (1) सभी धर्म मतों को चाहे वे धर्म अधिकार नाया के आधार पर हो अपनी इच्छानुसार शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने तथा प्रशासित करने का अधिकार होगा ।
- (2) गण्ड की ओर से अनुदान देते समय किसी भी शिक्षा संस्था में इस आधार पर कि वह भाषा अधिकार पर्याप्त द्वारा प्रतिवर्वित है भेदभाव नहीं बरता जाएगा ।

2 'While we recognise the fundamental importance of spiritual and moral instruction in the building of character, the provision for each teaching, except in so far as it can be the responsibility of the home and the community to which the pupil belongs'

इन अनुच्छेदों के शब्दों से यह स्पष्ट है कि जहाँ एक और ऐसी शिक्षा प्रस्तावों में जो पूर्णतया राज्यकोष पर आधित हैं कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी वही दूसरी भारतीय सरकार धर्मादा अथवा न्यास द्वारा स्थापित शिक्षा संस्थाओं का जिनमधार्मिक शिक्षा दी जाती है सहायता देती रहेगी, इन अनुच्छेदों से यह भी निर्दिष्ट होता है कि काई भी गति किसी भी शिक्षा संस्था में धार्मिक जिन की कक्षाओं में उपर्युक्त होने के लिए चाह्य नहीं किया जा सकेगा। धर्म अवदार भावा के जावार पर अल्पमतों को ज्ञानी इच्छानुगार शिक्षा संस्थाएँ स्थापित करने वाले पूर्ण अधिकार हैं। राज्य सरकार उनको अनुदान प्राप्त करने से वचित् नहीं कर सकती। संविधान निहित इन सिद्धान्तों में हिन्दी प्रभार के रखितन करने की संस्तुति करना भी बाब्द नीय है।

प्रगतिशील राष्ट्रों के संविधान में धार्मिक शिक्षा -

जमेरिका गणराज्य एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। वह न तो धार्मिक और न ही बिना धर्म के है। जमेरिका के संविधान के प्रथम संसोधन में नैतिकता के लिए न तो परम को मान्यता दी और न ही इसकी अवहृतना की है। सभी अमरीकी नागरिकों को स्वतंत्रतापूर्वक अपने विवाहनुसार पूजा का अधिकार है। अर्थात् धार्मिक स्वतंत्रता है। कानून की हड्डि से सभी धार्मिक संस्थाएं समान हैं। वे केवल नागरिकों की स्वयं सेवी संस्थाएँ हैं।

आस्ट्रेलिया के संविधान के द्वारा सभी को अपने धर्म और मान्यताएँ में विश्वास रखने का अधिकार प्राप्त है।

भारतीय संविधान के प्रावधानों व प्रगतिशील राष्ट्रों के संविधान के जबलोकन से स्पष्ट है कि आज विश्व में धर्म निरपेक्ष को ही प्रवानता देने हैं क्योंकि लाई द्रुम रहत है कि 'यूरोप की आधी लडाइया और आन्तरिक विद्रोह धार्मिक विरोध और राज्य तथा धर्म के आपसी सम्प्रभु के कारण हुए'। 'भारत का विभाजन ही सकुचित धार्मिक नावना का ही प्रतिफल या। देश के युवक और नवयुवतियाँ शालाम्रों से एस निकले वे सबसे उत्तमदायित्वपूर्ण तथा आस्थावान हो और एक स्वतंत्र देश के याप्त मानित हो सके। धर्मनिरपेक्षता का नैतिक नियम नए से पूर्व मुक्ति के रूप में गलत अथ उपाया जा रहा है जिसके कारण हम सभी मान्यताओं को खो बढ़े हैं-इस कमी का पूरा करना ही होगा और सम्भवतया जीवन में उच्चतर मान्यताओं की शिक्षा द्वारा ही सम्भव है। गाधीजी सभी धर्मों की अच्छाइया बताकर संस्कार निर्माण के पक्षधर ने।

धर्म का अर्थ भारतीय विचार —

भारत में धर्म शब्द पर विवाद होते रहते हैं और प्राचीनी भी विवाद का विषय बना हुआ है— एक धर्म वाले दूसरों पर भिन्न-भिन्न प्रकार की चड़ाउद्यालते में कभी पीछे नहीं रहते लेकिन धर्म की ओट से चालाक लोग आने व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि में सफलता पाने का सबसे सरत रास्ता समझा रहे हैं जबकि हमारी सल्लूनि में ऐसा नहीं है। धर्म शाद सल्लून के घूं घातु से निकला है जिसका अर्थ होता है धारण करना या जित वरण किया जाय। व्यक्ति और समाज धर्म के आधार पर ही टिके हुए हैं सुरक्षित हैं उनमें व्यवस्था और सान्ति है। धर्म का अविभावित भारत की सल्लूनि में ही नहीं बल्कि मानव जाति में कठव्य समृद्धि कर प्रेम, सान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही हुआ होगा। 'मनु' न बताया है कि वह धर्म नहीं अर्थात् अधर्म है, चोरी, लोगों का तुरा चिन्तन करना, मन में द्वेष, ईर्ष्या करना, मिथ्या निश्चय करना और लोगों में अशान्ति, भय व असुरक्षा और अव्यवस्था उत्पन्न करे। महर्षि कणाद—“जिसमें नीतिक उल्लति तथा आध्यात्मिक प्रगति दीनों सिद्ध हो।” मनु स्मृति में महाराज मनु(2/1)ने धर्म का कई प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया है। एक स्थान पर कहा है कि अपने देश के राग द्वेषहीन सदा-चारी विद्वान जिसका अनुष्ठान करते हैं और अपना हृदयम भी जिसे स्वीकार करता है उसे धर्म कहते हैं। एक आवश्यकान पर मनु स्मृति में धर्म के दस लक्ष्य बतलाये हैं। धर्म, 2 धर्मा, 3 मनोषांग, 4 चोरी न करना, 5 पवित्रता, 6 इतिहास पर नियन्त्रण, 7 उद्दिमतापूर्वक काय करना 8 विद्या प्राप्त करना, 9 सच बोलना, 10 कोध न करना।^{6/9}

डॉ राधाकृष्णन् — “धर्म न तो उन सिद्धियों का नाम है जिस पर हम विश्वास करते हैं न उन भावों का नाम है जिनका हम अनुभव करते हैं, न उन अनुष्ठानों का नाम है जोधर्म के नाम पर हम करते हैं। यह तो एक प्रकार का परिवर्तित जीवन है।”

मनुष्य जीवन की उस व्यापक नीति का धर्म कहने हैं जिसक पालन करने से मनुष्य पूरा बनता है। यह धर्म और जीवन दो पथक वस्तुएँ नहीं हैं। प्राचीनरात में जीवन का प्रत्यक्ष पक्ष और शिक्षा धर्म से मनुष्याणि थे। जाग्रत्त धर्म को मात्र कुछ विश्वासी आध्यात्मी और पूजा-विधि तक सीमित मान रखा है। धर्म क सल्लूनि अर्थों न ही धार्मिक कट्टरता तथा धर्मावता तथा अप्य धर्मों के प्रति धूणा के भाव विकसित कर दिये हैं। बत धार्मिक शिक्षा के माध्यम से कट्टरणीयी व धूणा पैदा करने के व्यवस्था न बरने जा रहे हैं बल्कि वालकों के सर्वांगीण विकास करते हुए उनके भीतर एवं आध्यात्मिक श्रेष्ठायों को धार प्रसर करना चाहते हैं जिसकी माज देश को आवश्यकता है।

स्वामी दयानन्द — स्वामीजी शिक्षा को विद्या का ही पर्यायवाची मानते थे। वे **त्रिग्राम** के उद्देश्य— जिससे विद्या सम्यता, धर्म मा ब्रिन्दिरत दि तो बोतरी हो और जनिग्राम दाप हूँ उसको शिक्षा कहते थे। जो मनुष्य विद्या और प्रविद्या के स्व-स्व का साथ ही माथ जाना है उड़ अविद्या अर्थात् उसोपासना से मत्यु को जीतने वाला विद्या अर्थात् यथाथ जान से माथ का प्राप्त कर सकता है। विद्या के बिना मनुष्य को निश्चय हा सूष नहीं मिलता जब त भ्रातृ भोक्त के लिए विद्याम्भास बरना चाहिए। मनुष्य की विद्या से यथाथ जान नेवर यथादोग्य व्यवहार कराया जाय।

स्वामी विवेकानन्द — स्वामी जी धम का धर्म की आत्मा मानते थे लेकिन धम से उनका अभिप्राय किसी विशेष धम से नहीं है धम एक माध्यन है, जनुभूति है, आत्म-साक्षात्कार है। आधुनिक शिक्षा हृदय का परिकार तथा प्रशिक्षण नहीं करती इसलिए अधूरी है। वे लिखते हैं— “अत्थप्रिक मानसिक प्रतिक्षण से जघर्मी मनुष्यों का निर्माण होता है। पाश्चात्य शिक्षा का यह एक दाप है। यह कई गुना स्वार्थी बना देता है। बुद्धि व्यक्ति को उस सर्वोच्च स्तर पर नहीं पहुँचा सकती है, जिस पर हृदय उसको पहुँचाता है। अत हृदय का परिकार करो। ईश्वर हृदय के माध्यम से ही संक्ष प्राप्त है। स्पष्ट है कि वे शिक्षा का अव मानसिक विकास से न लेकर हृदय के विकास या आध्यात्मिक विकास से लेते थे।

गावीजी — वे नीति और सदाचार के नियमों की शिक्षा के पक्षपाती थे वे कहि “स प्रकार के मूल भिन्नता त सब धर्मों के एक से है। वे सभी धर्मों के मुख्य विद्वा तो के जनुमार नीति की शिक्षा दना चाहते थे। वे मानव धम को मानते थे।

धम का अर्थ पाश्चात्य हृष्टिकोण —

मवसमूलर अनत की खोज को धर्म मानत है जो हीगल संतानता का ही धम मानत है। विशेष बटलर विग्रह म जाध्यात्मिक शासन (अर्थात् ईश्वर) मे विश्वास को धम मानत है। वाइबल म दोा-दुखिया की सेवा ही वम वर्त-पाया गया हूँ।

स्वतन्त्र भारत मे धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता

(Need for Religious Education in Free India)

हमारे प्रति इस सम्प्राज्ञो मे कुछ न कुछ वृद्धियाँ तो हैं ही विसके कारण हमारे भागों दो चाहे व सरकार के अग हा या जनता के, इस समस्या पर पुनर्विचार के लिए बाध्य होना चाहा है। क्योंकि जाज विभिन्न भागों मे विद्यालयों मे नुशासन हीनता,

दगो और हत्याओं की दुराद पटनाएँ हुइ है। निधारु मस्यामा में जनुगामन सप्त हाता जा रहा है और विद्यार्थी यतमाजिक कार्यों में नाग तन सग है इससे स्पष्ट है कि युवकों में जीवन भूत्या के प्रति अधिक जागरूकता तथा चरित्र वत् उत्तम करने का प्रबल आवश्यकता है।

परिवार, व्यवसाय, राजनीति तथा पर्यावरण की धरों के कारों में ग्रोडों व पाचरण तथा मानक मूल्यों से प्रभावित होते हैं। जाज राष्ट्रीय परम्परा का गमद बनाने की प्रभाव समाज में सत्ता और सरदारु का तिरान प्राप्त करने के लिए सभा बगों के ताग जानुर है। इनका परादा व प्रपरादा रूप से बातक व बातिकामा प्रभाव पर यहे बोर नहीं रख सकता।

धर्मों की विविधता हमार राष्ट्रीय जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है। जिसित व्यक्ति नी प्रपने धर्म व माय धर्मों की जानकारी नहीं रखते। जिसित होकर नोकरा व उच्च पद प्राप्त करना ही हमारा ध्येय न हो अथवा हमारा पान कंगल राजद द्वारा निर्धारित दण्ड सहितामों तक ही सीमित रहेगा ता हम विनुद मानवोचित सबदना और भातूत्व को स्थापित नहीं कर सकते। श्री प्रकाश न धर्मों की जिज्ञा के मद्दत्य का स्पष्ट किया है—“धर्मों में मन्त्रनिहित सामाजिक और आध्यात्मिक तत्त्व पान है और यदि हम उह जान सके और समझ सकें तो इसमें हमारा ही कल्याण है”।

माग किर थो प्रकाश ने नतिक व आध्यात्मिक शिक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश दाला है—‘नतिक और आध्यात्मिक मायतामों के ज्ञान एवं पर हम विशेष दन इन होगा। विभिन्न परिस्थितियों में, यथा परिवारों में, सामाजिक और आर्थिक क्षमता में या सामाजिक जीवन में साधारण मनुष्य परस्पर समीप प्राप्ते रहत हैं। नतिक मायतामा को ठेठ बचपन से ही हमारे संस्कृत में बैठा दना परम आवश्यक है।’ यिन प्रकाश नतिक मायताएँ मनुष्य के परस्पर सम्बन्ध घो को प्रभावित करती हैं, उनी प्रदार जाध्यात्मिक मायताएँ व्यक्ति और उसकी अतरातमा को प्रभावित करती हैं। मुख्यत नतिक और आध्यात्मिक मायतामा द्वारा प्रतिपादित सामाजिक कस्तुर्या के धारनजान में ही हम भोतिक स्वार्थों से ऊपर उठ सकते हैं और परहित में संभग हो सकत है। पर्याप्त ये सदग्रन हमें बचपन से ही नहीं सिखाय जाते तो हम बड़े हावर कभा नहीं सीख सकते और कालान्तर में जब विद्यार्थी ध्यवहारिक जीवन में प्रविष्ट हो रेगा तो भ्रष्टाकार व वेदमान बनेगा बयाकि उसने बाल्यकाल में बास्तविक निधा का मूल्य नहीं समझा है।

1 श्री प्रकाश, ‘भारतीय शिक्षा को समस्याएँ’

(पठ 48)

2 वही

(,, 49)

जब धर्म में ही वह शक्ति है जो उच्च आदर्शों की स्थापना कर सकता है। ससार तक से नहीं, हृदर के आदर्शों द्वारा सत्त्वालित होता है और हृदय पर प्रभाव एक विशेष पर्यावरण में विद्यमान रिति में विशेष व्यक्तियों द्वारा विशेष ढग से कही हुई बात का ही बढ़ता है। अत धार्मिक व नविक शिक्षा देना चाहित है क्योंकि —

- (1) देश मध्यम की प्रवानता धर्म की जच्छाईयों को हृदयगम करवाना—माय एजेंसियों के पास व्यवस्थित साधन नहीं है।
- (2) हमारे जीवन में भौतिकवाद बढ़ रहा है।
- (3) द्वायो में अनुशासनहीनता, अराजकता, अशिष्टता हृल्लडवाजी बढ़े रही है।
- (4) आत्मइल और सहिष्णुता हेतु
- (5) गुरु व शिष्य के सौहादपूर्ण सम्बन्ध के लिए
- (6) व्यक्तिगत स्वाय की वजाय अन्तराष्ट्रीयता के लिए
- (7) भ्रष्टाचार, अनतिकता को रोकने के लिए
- (8) व्यक्तित्व के सन्तुलित विकास, धर्म के भय से दूरित कार्य करने से रुकता है।
- (9) जीवन मूल्यों की अपविक्री चोरी बलात्कारी, बे ईमानी, भ्रष्टाचार को रोकने तथा पवित्रता की ओर अग्रसर करने हेतु।
- (10) अनुशासित जीवन के लिए—प्रशिष्टता व अराजकता की समाप्ति हेतु।
- (11) चारित्रिक विकास सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, कृत व्य परायणता सहिष्णुता, दया का पाठ पढ़ाकर।
- (12) भौतिकवादियों के अवगुण—पर्यावरण व तनावपूर्ण बातावरण को समाप्तकरणात्मिक मूल्यों के अनुरूप तैयार करने हेतु प्रवृत्तन।

काठारी कमीशन (1964-66) न भी धार्मिक व नविक शिक्षा को पाठ्यक्रम में अनुयोजित करने हेतु सिफारिश की है —

‘हमारे विद्यालयीय पाठ्यक्रम का एक बहुत बड़ा दोष यह है कि उसमें सामाजिक, नविक और आध्यात्मिक मूल्यों का प्रावधान नहीं किया गया है। अधिकांश भारतवासियों के जीवन में धर्म एक अत्यधिक प्रोत्साहक एव प्रेरणात्मक शक्ति है और वह चरित्र निर्माण तथा नैतिक मूल्यों के विकास से घनिष्ठता से सम्बन्धित है। राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली यो जन-साधारण के जीवन तथा उसकी आवश्यकताओं एव आकाशान्त्री से सम्बन्धित है इस रचनात्मक शक्ति की उपेक्षा नहीं कर सकती। इसलिए विद्यालयों के द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करने तथा आध्यात्मिक मूल्यों के निर्माण हेतु व्यवस्थित प्रयास किया जाना चाहिए।’

इसी प्रकार श्री प्रह्लाद समिति (1960) में धार्मिक एवं नैतिक जीवण के बारे में इसी ही वात पर जार दिया है—

धम मूलभूत सिद्धान्तों का लोगों के हृदय से हट जाता त हमार विभा जनत व समाज में बहुत सी पुराइयों से प्रसिद्ध है। पुराओं व धन जा भिन्न भिन्न समूहों प्रोत्त वर्गों को एक मूल में जाये हुए ऐसे धर्म समाप्त हो गये हैं। वात्यरात स ही नैतिक व धार्मिक मूल्यों के बारे में अध्यापन कराता ही एकमात्र समायान है। परन्तु हमन उह सो दिया, हम वगैर हृदय राष्ट्र के समान हो जायेंगे।¹

आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा को आवश्यकता

(Need of Education for Spiritual Values)

वास्तव म दुनों विषयों स्थिति है कि हम वगैर सामूहिक गतिशीलता व भौतिकता व मूल्यों की आर वडते जा रहे हैं जा हातारी परम्पराओं व नदृष्टि व प्रतिकूल है। हम अपनी शानदार आध्यात्मिक परावर व विरामा म बहुत दूरा रहे हैं। इन दैश में आध्यात्मिक मूल्यों के मुकाबल म भौतिक व्युत्पाता व ऊर्जा नहीं माना जाता है। ताक व वराण्य की भावना का अनुमरण यह देख हमारा रामा न रहा है प्रथन जीवन म उतारन में सफल हुए थे।

श्री प्रकाश ने इसकी आवश्यकता पर म् १९८८ डिसेंट दु लिखा है— नैतिक और आध्यात्मिक मायतान्त्रों क शिक्षण पर हम वित्त गल देता होता है। भिन्न परिस्थितियों में परिवारा म, सामाजिक और धार्मिक धेवा में या भासा व राक जीवन में सावारा मनुष्य सभीप आत रहते हैं। नैतिक मायतान्त्रों का विग्रह सर्व इन भिन्न परिस्थितियों में भरुड्यों का एक दूनर के प्रति आचरण की आर होता है।

देश को प्राचीन परम्पराओं के अनुसार माध्यात्मिक जिभा का पाठ व य राष्ट्रा का भी पदाना चाहिए। आध्यात्मिक मूल्यों का विकास भावणा, इतिहास और धोटी-ठाठी पुस्तिकान्त्रा के हारा यथवा रेटियो और मित्रमा आनि के माध्यम स सकृद प्रयास होना चाहिए ताकि द्यात्रा में शिष्टयाचार व्यवहार जात्यानी स विकास हो सके। पाज के

1 The manyills that our world of Education and our Society as a whole is suffering to day, are mainly due to the gradual disappearance of the hold of the basic principles of religion on the hearts of the people. The old bonds that kept them together are fast loosening and the various new ideologies that are coming to us are increasingly worsening the situation. The only cure it seems to us is in the deliberate inculcation of moral and spiritual Values from the earliest years of our lives. If we lose them, we shall be a nation without a soul."

ज में दृढ़, प्रशान्ति, शोषण, व्यक्तिगत स्वाधीनता से राष्ट्रीय एवं अतराष्ट्रीय स्तर भी गहरा प्रभाव पड़ा है—विश्व में धूला व दृढ़ का बातावरण विद्यमान है।

यह हमारे लिए दुर्भाग्य है कि भ्राज के नवयुवक उनी आध्यात्मिक वातावरण के बारे जानकारी नहीं रखते हैं, जबकि विश्व के अन्य राष्ट्रों के निए भारतीय आध्यात्मिक सिद्धान्त उन्हें दिखाने के रूप में काम जा रहे हैं इसका गिरावच का मूल रूप उद्देश्य आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना ही होगा चाहिए। इस तरह के विकास जाति व धर्म के आधार पर भेदभाव अनुचित है।

आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान न करने की स्थिति में विभिन्नता नष्ट करने के लिये ने स्वाव में दूसरों का उपयोग स्वाधीनता आकर्षण तथा परेण्य उभी प्रभतियों का इस समाज में ही रहा है। क्योंकि विज्ञान की प्रगति से विज्ञान दर्शक वाविज्ञानिक रूप से महायुद्धों में दुश्या हो चुकी है अतः विज्ञान के युग में सामाजिक उन्नति उभावना का विकास हो। शिक्षा जायोग ने कहा है कि आवश्यक मूल्यों ने विज्ञान तरंगों को सकता है, 'परिचयी देवा की युवा पीढ़ी में सामाजिक तथा उत्तिर मूल्यों और जश्वरना के कारण उनके गम्भीर सामाजिक तथा नविक सघर्षों का जन्म हुना है, और वहा के विद्वान् अब यह चाहते हैं कि विज्ञान और तकनीकोंजी द्वारा प्राप्त गति व कौशल को उन मूल्यों तथा अन्तर्दृष्टि से सनुलित किया जाय जा धर्म और धर्मिता से सम्बद्धि है, जैसे यह खोज करना मैं कौन हूँ? जीवन का क्या जरूर है? कै मनुष्य का दूसरे मनुष्य से तथा वास्तविकता से क्या सम्बद्धि है? आदि। इसका अध्ययन में 'मूल्यों के शिक्षण आवश्यक है।' 'यह मनुष्य पर विभर है कि उन मानवता के हान वालों को स्वीकारें या आध्यात्मिक मूल्यों में गोन प्राप्त हो।' उन दूसरों द्वारा ऐसे स्मृति ने कहा है— 'नविक आधार व आध्यात्मिक मूल्यों से विज्ञान तथा नवीनता में विश्वास पदा करता है।' इंग्लॅण्ड की यू सम रिपोर्ट (New Social Survey) 1963) के अनुसार— 'विशिष्ठ धार्मिक शिक्षा प्रदान करना, जो केवल नविक जिवा में हो, विद्यालय का कंतव्य है।'

धर्म निरपेक्षता और धर्म (Secularism and Religion)।

(व) धर्म निरपेक्षा धर्महीन या धर्म विरोधी नहीं—धर्म निरपेक्ष नीति अपनाना का धर्म यह है कि राजनीतिक, आधिक सामाजिक मामलों में, उभी नागरिकों का, वे चाहे किसी भी धर्म के चाहने वाले हो समान अधिकार प्राप्त होंग, किसी नी पार्मिक सम्प्रदाय के सावधान तो पक्षपात रिया जाएगा और न ही उसके साथ नेतृत्व दायरे, हो एक, "शिक्षा जायोग की स्थिरों"

भाव दिया जाएगा, और राज्य की सूक्लों में धार्मिक मिदान्तों की शिक्षा नहीं दी जाएगी। किन्तु यह नीति धमहीन हो धम विशेषी नहीं है, प्रहधम की महत्ता को भी कम नहीं दरती है। यह प्रत्यक्ष नागरिक को अपने धम को मानन तथा उपासना करने की पूरी स्वतंत्रता देती है। वह विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों में अच्छे सम्बन्ध व सुनिश्चित करने के साथ ही साथ न केवल धार्मिक सहिष्णुता को उठावा देना चाहती है जरिये सभी धर्मों के लिए सुक्रिय आदर का भी प्रोत्साहन करना चाहती है।

(व) 'धार्मिक शिक्षा' और 'धर्मों के बारे में शिक्षा' में भेद - धार्मिक शिक्षा का सम्बन्ध तो अधिकारी किसी धम विशेष के सिद्धान्त एवं अचार की उसी रूप में शिक्षा देने से होता है जो कि सम्बन्धित धार्मिक सम्प्रदाय द्वारा परि कल्पित हो किन्तु 'धर्मों के बारे में शिक्षा' तो एक 'धार्माद्विट्कोण-आत्मा की भग्नत योजना-से धर्मों वाले धम निरपेक्ष राज्य के लिए यह व्यवहार्य नहीं होगा कि वह किसी एक धम की शिक्षा दे धम का काइ स्वरूप नहीं होने से 'लोक-तात्र के विकास के लिए खतरा है जिसमें सहिष्णुता को 'महत्वपूर्ण समझा जाता है। जल वे मोटे तीर पर तुलनीय जिन नतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के निर्माण पर जोर देते हैं उसे भी प्रकाश में लाए, उसमें ऐसी कोई बात शामिल नहीं की जाय जिस पर कोई भी धार्मिक सम्प्रदाय उचित आपत्ति उठा सकता है।

(ग) धम निरपेक्षना समूल मानव को आवश्यकताओं को पूर्ति का साधन - विज्ञान के उस जीवन अध्ययन से, जिसमें उदार मन होने सहिष्णुता और वस्तु निष्ठता पर जोर दिया गया है, अत म जाकर विभिन्न धर्मोंविलम्बियों में भी अधिक धम निरपेक्ष द्विट्कोण का विकास होगा, ठीक उसी दृष्टि से जिसमें इहम धम निरपेक्ष शब्द का प्रयाग करते हैं डॉ इकबाल के पांचदो म आत्मा अपने विकास का अवसर भोगिक प्राकृतिक तथा धम निरपेक्ष जाते में पाता है। इसलिए जिसकी जड़ों म ही धम निरपेक्षता है वह पवित्र है। भारत को विज्ञान तथा आत्मा सम्बन्धी मूल्यों को निकट एवं समर्पित में लाने की कोशिश करनी चाहिए जिससे सम्मूल मानव की पूर्ति करेगा न कि व्यक्तित्व के किसी सड़ विशेष की।

प्रत स्पष्ट है कि धम निरपेक्षता और धम या आध्यात्मिक मूल्यों में कोई आपसी दबाव नहीं है। यदि काई कमी है तो हमारी शिक्षा-पद्धति की है निषेहमें अविलम्ब परि वस्तु करना चाहिए। इसकी पूर्ति धार्मिक आध्यात्मिक या जीवन के उच्चे मूल्यों की शिक्षा प्रदान कर ही सकत है।

आध्यात्मिक व नैतिक मूल्यों को शिक्षा कैसे दी जाय

(How to Impart Education in Moral & Spiritual Values)

श्री प्रकाश ने राज्य सरकारों द्वारा शालाओं में ज्ञानीरिक, व्यायाम, खेलकूद तथा मनोरजनात्मक और सांख्यिक कार्यक्रमों के प्रति अधिक रुचि दिलाकर नैतिक मानवताओं कि शिक्षा देने का विस्तृत काय लेन बताया है। चरित्र और अनुशासन के विकास में इन कार्यक्रमों का प्रभावकारी उपयोग करना चाहिए। मुख्य निष्कर्ष यहां दिये जाते हैं। —

- (1) शिक्षा स्तर्याओं में नैतिक और आध्यात्मिक मानवताओं की शिक्षा वाच्छनीय है और कुछ सीमाओं में रहते हुए इसका विशेष प्रबन्ध सम्भव है।
- (2) महान् धार्मिक मार्ग देशकों की जीवनी और उपदेशों की तुलनात्मक तथा सबैदन शील-अध्ययन को शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लेना चाहिए। शुद्ध प्राचरण, समाज सेवा और सच्ची देशभक्ति का सभी स्तरों पर निरन्तर महत्व देते रहना चाहिए।

(ब) "हम समझते हैं कि यह नितात महत्वपूर्ण है कि किसी भी शिक्षा व्यवस्था में धर्म-परिवार की उपेक्षा न की जाये और हमारा सुभाव है कि इस्तहारा, बाताओं, रेडियो और सिनेमा जैसे व्यापक माध्यमों से तथा स्वयं सेवी समठनों के द्वारा धर्म-परिवार की सीकिक व्यवस्था और मूलोंवैज्ञानिक बातावरण की कमियों और कमज़ोरियों का प्रकट कर देना चाहिए तथा यह भी बताना चाहिए कि इनको किस प्रकार मिटाया जाये। यदि यह काय निष्पक्ष हृष्टि से किया जाता है तो इससे किसी को चोट नहीं पहुँचेगी वरन् सम्बन्धित व्यक्तियों का ध्यान अपनी कमियों की ओर आकर्षित होगा और इस प्रवार के उद्देश्य मिटाने के लिए प्रेरित और ग्रात्माहित होंगे।

(आ) यह अर्थे त वाच्छनीय है कि समस्त शिक्षा स्तर्याओं में प्रतिदिन कुछ समय लिया जौन चित्तन से कार्य आरम्भ किया जाये, चाह वह कक्षाओं में हो या सनातन में हो। कोई एक प्राथना भी की जा सकती है जो न तो किसी देवता की स्तुति में हो या उससे कोई वरदान मांगने की हृष्टि से हो, वरन् वह जात्म सत्यम तथा मादन भास्या के प्रति प्रेरित करन वाली हो। कभी कभी इन सामूहिक सभाओं में धार्मिक और लोकप्रक महान् साहित्यके प्रेरणादायक उद्घरण जो सासार के सभी घरों और स्कूलों से सम्बन्धित हो पड़े जाए। इनसालान होगा। स्कूल स्तर पर प्रेरणादायक मन्त्रों और स्वातों का सामूहिक गान नी बड़ा प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है।

(६) प्रायगिक स्तर के लकर विषयविद्यालय के स्तर तक उपयुक्त प्रस्तरों तयार करायी जाय। इस तराम पर्मों के मूल गूत विचार का तथा नी पर्मों के मार्गारा सन्ता मनोविद्या और दातिता की जीविता प्रोटो उत्तेजा ए गारीद का तुलनात्मक तथा सबटनशील संधिष्ठत वजन हो। ये पुस्तर सूत्रों प्रोट वातनों का विभिन्न व्याप्ति क प्रवण-प्रवण याद-यग व विद्याविद्या के प्रमुखता हानी चाहिए और नी दो इन्हा व्यव्याप्ति परापरा पाइए। अप्परामा ए तिए विद्याप्राप्ति तथा समृद्ध दारको, परेवा प्रोट व्यय क्षेत्रीय नामाना से उत्तरान्त उद्दरणा पा सहजा वाया जाय इन प्रवाशनों से उ० उचित विद्या और अन्यतरा मध्यो तुलिमानी प्राप्त हो सकती। इनसे ये यह भी जान ले गे कि उन्हां पर्म २ तक तथा द्रुतरा के प्रति क्या बत्त व्य है? तिथा के विभिन्न स्तरों के लिए उपयुक्त पुस्तरों तयार कराये जाओ चाहिए जिसका विद्याविद्या के मन में दशभक्ति और समाज सेवा की भावना विद्यायी ता सह। इनम साहस्रिक कार्यों और राष्ट्रहित तथा परिवर्तन के लिए प्रात्म-त्याग पर विशेष वल दिया जाना चाहिए। हमारी दृष्टि में ऐसी पुस्तरा ए जायाजन प्रवाशन का बढ़ो महत्ता है। ऐसा पुस्तकों के लक्षणों का वजन बड़ी आवधानी और सहजता से रखना चाहिए और प्रमुख व्यव्याप्ति प्रविशारिया ए परामर्श से उक्ती पाण्डुलिपिया वा समाधन वरा लना चाहिए। ऐसी पुस्तकों के निमारण और प्रितरण रा समृद्ध वायकम ऐ द्वीप विद्या-म वायु के तत्त्वावधान में किनी एजनी द्वारा जाना चाहिए।

(७) पाठ्यतर राय स्मा के प्रस्तुत वारस्तरिक धार्मिक उद्देश्य पर वायाप्रा के लिए विद्वान् एव अनुनवी ध्यक्तिया को प्रामाण्यत रखना चाहिए। नेतिक और प्राच्यादिनक मायतायो ए जन्यवन म एव उत्तरन फरन के लिए विद्यिक प्रवाशनों और सामूहिक वाय विवादों वा जायाजन रिया जा सकता है।

(उ) शिष्ट प्राचरण की विद्या पर विशेष वल दिया जाना चाहिए और अद्वा और सौजन्य के गुणों का प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उम्ही भारत म मुस्लिम भौतिकियों जम विद्यावा के द्वारा परम्परागत साधनों से समृच्छित द्वितीयरण का गिरा। दिताने का प्रोत्साहित करना चाहिए। एक तरह स नी दो क्षय स वधा दिताकर एस वाम ए लिए जिग्नान बोलना चाहिए और शिष्ट प्राचरण तधा सोया क। मावना की उन्नति के लिए बोई कोर कसर उठाकर नहीं रखनी चाहिए।

(अ) प्रत्यक्ष स्तर पर किसी न किसी प्रवाशकी व्यायाम विद्या को जनिवाय बना देना चाहिए। शेर वच्च और वालचर से लकर ए सी सी और एन सी सी तक यह विभिन्न वर्गों में विभाजित की जा सकती है। खेल-दूद को बढ़ावा मिलना चाहिए।

और विद्यार्थियों को अपने हाथ से काम करने की गरिमा तथा समाज सेवा की भावना सिखानी चाहिए। प्राजकल बहुत कम विद्यार्थी इन कायकमा म भाग लेते हैं। हमारी सम्मति म सभी को इस प्रकार के किसी न किसी कायकम म भाग लेना चाहिए ताकि वे सहयोग और निष्पक्ष खेल विलाड़ी की भावना को ग्रहण कर सके।

(ए) यह उपर ही कहा जा सका है कि शिक्षा मस्याओं मे नतिक और आध्यात्मिक मायताओं की शिक्षा बाध्यनीय है और निश्चित सीमाओं म इसके शिक्षण का विशेष प्रबन्ध भी किया जा सकता है सीमाएं प्रत्यक्ष हैं। मविभाग के मूल अभिप्राय का आदर करना चाहिए तथा विभिन्न धार्मिक समुदायों को भावनाओं को ध्वनेलना नहीं करनी चाहिए। पाठ्यक्रम पहले से ही काफी बोझल है और उत्तुक अध्यापक सुगमता से प्राप्त नहीं है। ऐसे समाज मे जटा कई प्रकार के धर्म प्रचलित हो और जहां पर धार्मिक धाराएँ को सुगमता से उत्तेजित किया जा सकता है राज्य सरकार के लिए नेतिक और आध्यात्मिक मायताओं की शिक्षा का पाठ्यक्रम को निर्धारित करने मे बड़ी सहायता बरतनी होगी। इस शिक्षा से विद्यार्थी उदार बने, परस्पर भाईचारा बढ़ विभिन्न मतों के लोगों मे एक-दूसरे के प्रति आदर भाव उत्तर न हो, राष्ट्रीय एकता स्थापित हो। मुख्य बात यह है कि हमारी नयी पीढ़ी के सामने जीवन का कोई महान् अद्दश प्रस्तुत दिया जाये और यह आदर्श उनमे ऐसा समा जाये कि जब वे अपनी शिक्षा प्राप्त कर चुके तो यह उनके शरीर और आत्मा का एक अभिन्न घटगत हो जाय। हमारे सामने यही समस्या है कि यह सब किस प्रकार किया जाय।

आध्यात्मिक शिक्षा के लिए रूपरेखा —

यही पर शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर नतिक और आध्यात्मिक मायताओं के शिक्षण के लिए सामाजिक रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है।

गाथिक स्तर

(1) सामूहिक गान के लिए प्रतिदिन सबसे पहले विद्यालय के सभी विद्यार्थी इन हाने चाहिए।

(2) परम्परा, स तो और धार्मिक मानदण्डों के जीवन और उपदेशो से सम्बन्धित सरल और रोचक कहानियों का भाषा-शिक्षण के पाठ्यक्रम मे सम्मिलित होना चाहए।

(3) जहां तक सम्भव हो बालक की अभिश्चि धर्म द्रष्टव्य सामग्री के प्रति धृष्टि दिया जाये विशेषतया अच्छे किस्म के फोटो, फिल्म, रगीन चित्र आदि के विषय पर जिनमे सासार के चेतनशील मुख्य-मुख्य धर्मों से सम्बन्धित कला और वास्तुशिल्प

वी सुदर कृतियाँ हैं। ऐसी सामग्री को भूगोल के शिक्षण में भी प्रयुक्त किया जा सकता है।

(4) विद्यालय के कायदम भ प्रति सप्ताह दो घण्ट नीतिक शिक्षा के लिए अलग से नियन्त कर देना चाहिए। इन कार्यों में अध्यापक के सासार क सभा महान् धर्मों से सकलित रोचक कहानियाँ सुनानी चाहिए और उनके नीति बचना को स्पष्ट करना चाहिए। हठधर्मों और धार्मिक कम्पकाण्डों का नीतिक शिक्षा म काई स्थान नहीं हाना चाहिए।

(5) विद्यालय के कायदम मे सेवाभाव और धर्मोपासना की प्रवृत्ति विकलित की जानी चाहिए।

(6) व्यावाम शिक्षा तथा मभी प्रकार के खेलों के जायोजन स चरित्र का निर्माण हाना चाहिए और खेलकूद मे नियन्त नावना को विद्यालय क मन मे बिठला देना चाहिए।

माध्यमिक स्तर

(1) प्रात कालीन प्रायता मे दो मिनट का मौन रखा जाय। उद्योगस्थ धर्म-प्रश्नों या सासार के महान् साहित्य मे से कुछ भूमि पढ़कर सुनाये जाएँ या कार्य समयानुकूल चार्ता हो। सामूहिक गान का भी प्रात्साहित किया जाना चाहिए।

(2) सासार के महान् धर्मों के सारभूत उपदेशों का सामाजिक तथा इतिहास के पाठ्यक्रम के एक अंग के रूप मे अध्ययन किया जाना चाहिए। विभिन्न धर्मों से सम्बद्धत सरल मूल पाठ और जाल्यानों का भाषा के शिक्षण तथा सामाज्य पठन-पाठन मे सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(3) प्रति सप्ताह एक घण्टा नीतिक शिक्षा के लिए नियन्त कर दना चाहिए। अध्यापक को कक्षा में विचार-विभूषण को आदत को प्रोत्साहित करना चाहिए। नियमित कक्षा शिक्षण के अतिरिक्त उपयुक्त वस्तानों को नीतिक और आध्यात्मिक मा यताओं पर चार्ता के लिए आमन्त्रित करना चाहिए। सभी धर्मों के मुख्य त्योहारा पर सम्मिलित उत्सवों का आयोजन किया जाये। अपने धर्म के अतिरिक्त दूसरे धर्मों का जान तथा परिवार्य अनेक लक्ष्यानको के भवि थड़ा को निराध प्रतियोगिताओं और भाषणों वरे विभिन्न साधनो से प्रोत्साहित करना चाहिए।

(4) छुट्टियों मे अथवा विद्यालय के समय के बाद समर्पित समाज सेवा पाठ्येतर कायदमों का विशिष्ट अंग होना चाहिए। ऐसी सेवा श्रम-थदा, मानव प्रेम, देव भक्ति तथा धार्म-संघर्ष का पाठ पढ़ाती है। खेलकूद मे भाग लना अनिवार्य कर देना चाहिए।

व्यापार शिक्षा और यौन स्वास्थ्य विज्ञान को विद्यालय के कार्यक्रम का सामान्य ता दा ना चाहिए। विद्यार्थियों का आचरण तथा चरित्र का गुण उनके विद्यालय प के समूह मूल्यांकन का विशिष्ट भाग होना चाहिए।

त्रिविद्यालय स्तर

(1) प्रात समय विद्यार्थियों को समूहों में मौत वि तन के लिए प्रोत्साहित करना ऐ। इनका किसी वरिष्ठ अध्यापक द्वारा स्वेच्छा से निरोक्षण किया जाना चाहिए।

(2) विभिन्न मतों का सामान्य अध्ययन स्नातक कक्षाओं के सामान्य-शिक्षा क्रम का प्रमुख धर्य हाना चाहिए। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग निम्नलिखित स्तुतिया प्रस्तुत की जाती है—

(क) स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में भगवान् बुद्ध, कन्फूशियस, परस्तु, सुकरात शकराचाय, रामानुज, माधव मुहम्मद कबीर नातक और गायोंजी जैसे महान् क तथा आध्यात्मिक नेताओं की जीवनी पढ़नी चाहिए।

(ख) धर्म-ग्रन्थों के विभव सम्मत उद्दरणा का द्वितीय वर्ष में अध्ययन किया जा चाहिए।

(ग) तीर्तीय वर्ष में धर्मास्त्र की मूल समस्याओं पर विचार विमर्श करना ऐ। इस प्रकार के अध्ययन के लिए उन विशेषज्ञों से प्रामाणिक ग्रंथ तैयार कराने ऐ जिन्ह धार्मिक विषयों का गहरा ज्ञान और विवेक हो।

(3) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए धर्म के तुलनात्मक अध्ययन के लिए प्रबन्ध चाहिए। ओनम और एम ए के पाठ्यक्रम में ह्यूमनिटीज और सामाजिक विषयों अध्ययन के लिय निम्नलिखित विषयों पर आवश्यक बल दिया जाना चाहिए—(क) गास्त्रो का तुलनात्मक अध्ययन, (ख) धर्मभास्त्रों के इतिहास का अध्ययन।

(4) सभी विश्वविद्यालयों में काफी लम्ब समय तक समाज सेवा करानी चाहिए यमाज सेवा को समर्थित और व्यावहारिक रूप दन के लिए नेतृत्व और आध्यात्मिक गताओं का नाम और उन पर आचरण करन पर बहुत ध्यान देना चाहिए।

धार्मिक शिक्षा के प्रमाण में प्रमुख शिक्षा आयोग के विचार—

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948— ग्रन्तीत में धर्म का सम्बन्ध मान गया जन जिन्होंने इस धर्म रूपी समरादाय के दुष्परिणाम देख, मृत या पड़े वे के विरोधी हो गये। पर विषुद्ध भौतिकवाद को राज्य के दशन के रूप में स्वीकार नो भारत के स्वभाव के विपरीत होगा। भारतीय दृष्टिकोण धर्म के बारे में जो है और धर्मनिरपेक्षता में कोई भेद नहीं। भारतीय धार्मिक परम्परा का आधार चेतुमूर्ति व आध्यात्मिक प्रशिक्षण पर आधारित है जिसमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है र स्वतन्त्रता देती है। दूसरे धर्मों का उत्तरा ही आदर देना है जिनना अपन धर्म को।

“एक सद् विद्या बहुधा वदति” (ऋग्वेद) ऋग्वेद मे कहा गया है कि सत्य एक है, पर विद्वान् उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं। हमारे सविधान के आवारभूत तिराता की मां है कि जनता को आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया जाय। वर्मनिरपेक्षता का पथ धार्मिक हृष्टि से अप्रशिखल होना नहीं बल्कि गम्भीर रूप से आध्यात्मिक होना है।

आयोग ने धार्मिक शिक्षा को प्रभावी बनाने हतु सुझाव दिए हैं—

- (1) धार्मिक शिक्षा का उद्देश्य है मानव हृदय का विकास तथा सदाचार के उच्च स्तरकार ढालना।
- (2) विद्यालय मे शान्तचिन्तन से काय प्रारम्भ करना।
- (3) महापुरुषों की जीवनिया, जीवन की घटनाएँ, वे कहानिया जो महान् नैतिक और धार्मिक नियमों पर आधारित हों।
- (4) महापुरुषों के विचारों के अध्ययन से विचारों म दृढ़ता एव सद्विचारों म आस्था मजबूत होगी।
- (5) विभिन्न समुदायों के धार्मिक साहित्य का अध्ययन किया जाय।
- (6) डिग्री कक्षा के प्रारम्भिक वय म बुद्ध, कन्फूसियस, सेक्रेट्रीज, जीसेस, शक्ति माहम्मद, कबीर, नानक, गांधी आदि का जान देना।
- (7) डिग्री के दूसरे वय मे सासार के विभिन्न धर्मों के सामाजिक तत्वों का जान देना।
- (8) दोसरे वय मे द्यावों का धर्म के दशन पर विचार करना चाहिए और नई दुनियाँ के लिए उसके सदेश को समझने का प्रयत्न करना चाहिए।

आध्यात्मिक शिक्षा आयोग (1952-53) — इस आयोग ने ‘धार्मिक नैतिक शिक्षा’ के बजाय ‘चरित्र की शिक्षा’ की घर्चा की है।

- (1) सामूहिक प्राथना और प्रेरणापूर्ण प्रवचनों की व्यवस्था।
- (2) जाताओं मे नियमित धार्मिक व नैतिक शिक्षा के स्थान पर धर ममाज तथा विद्यालय के बातावरण दो थ्रेड बनाने के प्रयास चर्ताये हैं जिससे चरित्र निर्माण मे सहयोग मिलेगा।

भावात्मक एकता समिति (1962) — डॉ सम्पूर्णनानाद की आव्याखता मे गठित भावात्मक एकता समिति ने अपना प्रतिवेदन सन् 1962 मे सरकार के समर्थ प्रस्तुत किया इस समिति ने बालकों में राष्ट्रीय व भावात्मक एकता के विकास के लिए उह धार्मिक व नैतिक शिक्षा प्रदान करने की बात कही। इस समिति न जिस प्रकार की धार्मिक व नैतिक शिक्षा का प्रस्ताव दिया, वास्तविक रूप से वह धार्मिक व नैतिक शिक्षा न होकर चारित्रिक शिक्षा थी। भावात्मक एकता समिति का विचार या कि बालकों के चारित्रिक विकास के लिए धार्मिक व नैतिक शिक्षा अपरिहाय है।

शिक्षा आयोग (1964-66) व धार्मिक एवं नेतृत्विक शिक्षा

कोठारी सभिति ने आधुनिककरण पर जोर दिया है ताकि देश का प्राधुनिकीकरण हो लेकिन उसका तात्पर्य यह नहीं है - "हमारे राष्ट्रीय जीवन में नेतृत्विक, आध्यात्मिक एवं जात्मानुशासन के मूल्यों के निर्माण के महत्व को पहचानने से इन्कार कर दिया जाये। आधुनिकरण यदि जीवन्त शक्ति है तो इसे आत्मा से शक्ति प्राप्त करनी होगी।"

'स्वभावित व्यक्ति की प्रेरणा एवं मूल्यों के अवबोध पर निभर करता है कि व्यक्तिक सातोप के लिए एवं भावी कल्याण के लिए इन मूल्यों को प्रहण करे।'

'तई पीढ़ी में सामाजिक एवं नेतृत्विक मूल्यों की दुर्बलता परिचमी समाज में अनेक गम्भीर सामाजिक और नेतृत्विक सम्बन्धों को उत्पन्न कर रही है। पाश्चात्य विचारक यह अनुभव करने लगे हैं कि ज्ञान एवं कौशल में सतुलत ही, विज्ञान तथा तकनीक को नेतृत्विता तथा धर्म से सम्बद्धित किया जाए। जीवन का अथ जाना जाए। मानव मात्र के सम्बन्धों का ज्ञान ही एवं वास्तविक सत्य का उद्घाटन हो।'

कोठारी कमीशन ने राष्ट्रीय विकास के लिए जाह्यात्मिक, नेतृत्विता तथा सामाजिक मूल्यों का प्रत्यक्षण आवश्यक बतलाया है। कमीशन के अनुसार— "शिक्षा पद्धति को सामाजिक नेतृत्विता तथा आध्यात्मिक मूल्यों का निर्माण करने में इस प्रकार सहयोग देना चाहिए।"

- (1) केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा सभी शिक्षण संस्थाओं में नेतृत्विक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। यह शिक्षा रावाकृष्णन् कमीशन द्वारा सुनाये गए पाठ्यक्रम के अनुसार दी जाए।
- (2) निजी संस्थाओं में भी इन सुझावों के अनुसार नेतृत्विक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए।
- (3) पृथक कालीश की व्यवस्था व पथक-पृथक शिक्षक हो।
- अच्छे विषयों के पढाने वाले अध्यापक ही इस विषय को पढ़ावें।
- (4) शिक्षक अच्छे भावण प्रस्तुत करें।
- (5) विश्वविद्यालय के तुलनात्मक धर्म विभाग ऐसी विधियाँ खोजें जिनके द्वारा मूल्य प्रभावी ढग से बचकर रह सकें।
- (6) प्रमुख धर्मों के बारे में आवश्यक जानकारी देने वाली पुस्तकें तयार की जाए जो या तो जागरिकता के पाठ्यक्रम के अन्त हो या सामाजिक शिक्षा का अन्त। ऐसी पुस्तक राष्ट्रीय स्तर पर तयार की जा सकती है।

धार्मिक शिक्षा और भारतीय विद्यालय,

भालाओं में धार्मिक शिक्षा पर पर्याप्त वल देने के लिए राधाकृष्णन् ग्रामोग, मुदालियर ग्रामोग तथा कोठारी ग्रामोग ने सिक्कारिश की है लेकिन अवहारिक हृषि से अभी तक महत्व प्राप्त नहीं हो पाया है। राज्यों के माध्यमिक शिक्षा बोड ने इस नेतिक शिक्षा के रूप में समावेश तो किया है परंतु यह बहुत ही सीमित, अनुप्रयुक्त एवं अवश्वही रिक है। शिक्षक व छात्र दाना ही रूचि नहीं लेत व्याकि यह परीक्षा हेतु विषय नहीं रखा गया है और 'परीक्षा के द्वारा' शिक्षा अवस्था प इसका उपक्षित होना स्वाभाविक है।

देश में मिसनरी स्कूल्स या आप निजी सम्पादों में अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षक बातावरण अध्यात्मिक एवं नेतिक मूल्यों का विकास करता है लेकिन उनका हृषि कोण सकुञ्चित होता है जो देश में साम्राज्यिकता के बोज बोते हैं।

देश में धर्म निरपेक्षता के सदृचित अथ को लेकर शिक्षा प्रशासन भयभीत है, वे आध्यात्मिक एवं नेतिक मूल्यों की शिक्षा पर ध्यान आरूपित नहीं करते क फलस्वरूप इसके भ्राताव में देश के लोगों का व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन प्रस्त-व्यस्त होता जा रहा है। देश में प्रगति की माट में जनक सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक व व्यक्तिगत जीवन की समस्याएँ बढ़ती ही जा रही हैं। अत इस ओर राजनेता, शिक्षाविनो व सामाजिक कायकर्ताओं को सहकारिता के पाधार पर ठोस कदम उठाने की परम आवश्यकता है।

(ब) नेतिक शिक्षा

नेतिक शिक्षा का भारत में सदब ही महत्व रहा है। शिक्षा की सकल्पना एवं उद्देश्यों का विवरण करते हुए पूँज में स्पष्ट किया जा चुका है कि प्राचीन भारत में शिक्षा और धर्म का सम्बन्ध घनिष्ठ रहा है तथा शिक्षा का उद्देश्य नेतिक एवं धार्मिक जीवन-यापन करते हुए, मोक्ष प्राप्त करना था। पाठक व शर्मी के शब्दों में—“भारत में शिक्षा, और धर्म का, सम्बन्ध प्राचीन, कात में बहुत घनिष्ठ था। उस समय विना धर्म के शिक्षा का कुछ महत्व नहीं था। शिखारू का उद्देश्य मनुष्य के धार्मिक बनारुर माझ तक पहुँचा देना था। तभी उस समय का यह एक पवित्र, नारा था कि विद्या वही है जो मुक्ति की, और ल जाय—सा विद्या या विमुक्तय ‘नारमात्म विद्वि’ जर्यात् भ्रातमा को जानो। भ्रातमा और परमात्मा का नान मनुष्य, जीवन का धर्मिम लक्ष्य था और इस लक्ष्य को प्राप्ति विद्या द्वारा होती थी।

1 एम पी पाठक व श्रीमती एम डी शर्मा—भारतीय शिक्षा की वृत्तालीन समस्याएँ (पृष्ठ 340)

नतिक शिक्षा की यह धर्मसमिति संकल्पना भारतीय सत्कृति का प्रभिन्न था थी। कातात्तर में पराधीनता के कारण देश में नेतिक हास हुआ और इसका कारण रहा शिक्षा में नतिक एवं सास्कृतिक मूल्यों का अभाव यथा उनके प्रति उपेक्षा। यह नतिक हास लाज नामी चरम नीमा पर पढ़च गया है। राजस्वान में प्रायमिक एवं उच्च प्रायमिक कक्षाओं में सत्र 1981-82 से अनिवार्य रूप से लागू की गई नेतिक शिक्षा द्वारा प्रकाशित 'नेतिक शिक्षा उपायम' निर्देशिका में यह तथ्य स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि—“आज देश के सभी बर्गों, व्यवसायों और तत्काल के लोग अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन में नेतिक मापदण्ड शिखिल हो रहे हैं। अनेतिक कार्यों के विरोध का भाव भी लोगों में से घटता जा रहा है। सामाजिक जन-जीवन में नेतिक जीवन जीने का भाव भी लोगों में से घटता जा रहा है।”¹ नेतिक मूल्यों के हास की उन परिस्थितियों में देश से भावी नागरिकों के निर्माण हेतु नेतिक शिक्षा की अत्यात आवश्यकता है। प्रस्तुत अध्याय में नेतिक शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर विचार किया जायेगा।

नेतिक शिक्षा का अर्थ

रवी द्वारा नेतिक शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि—
 नेतिकता जन्म नी धातु से व्युत्पन्न है जिसका यथा है ले चलना। मानवीय सम्बंधों का निवृहि त्रिसक द्वारा हो उसे 'नीति कहते हैं। इसी आधार पर एक विद्वान् ने धर्म और नीति का अन्तर स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जटमा और परमात्मा के सबधों की चर्चा धर्म के अन्तर्गत आती है तथा सामाजिक व्यवहार के नियमों दो चर्चा नीति के ग्रन्तर्गत की जाती है। अंग्रेजी में भी 'Moral' का अर्थ है Relating to principles of right and wrong in behaviour' जयात् व्यवहार में उचित अनुचित का विवेक करने वाले सिद्धान्त।” वन के दो पक्षो— आचार और अनुठान-का परस्पर धनिष्ठ सम्बंध है। आचार नेतिकता का ही पर्याय है। नेतिकता नीतिक सामाजिक आचरण या व्यवहार का दोतक है।²

शिक्षा के वैयक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्यों की चर्चा करत समय पूर्व में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि शिक्षा द्वारा मनुष्य के वैयक्तिक एवं सामाजिक आचरण या व्यवहार का इस प्रकार निर्माण किया जाता है कि वह समाज एवं राष्ट्र का योग्य नागरिक बन सके। एक योग्य नागरिक से समाज-सम्मत व्यवहार की प्रपद्धा की जाती है तथा साथ ही उससे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह प्रपने मुसङ्गत

¹ नेतिक शिक्षा-उपायम' ('नया शिक्षक — अक्टूबर-दिसम्बर 1981 पृ 85 85)

² रवी द्वारा नेतिक शिक्षा की वर्तमान समस्याएं (पृ 261)

प्रबुद्ध व्यक्तित्व एवं चरित्र से समाज के पुनर्निर्माण वीं प्रक्रिया में योगदान करे। व्यक्तित्व एवं चरित्र का निर्माण नैतिक शिक्षा का सम्बन्ध है। नैतिक शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों में समाजोचित आदतों एवं व्यवहार का विकास किया जाता है जो देश की स्थलति एवं राष्ट्रीय धाराओं पर आधारित हो। नैतिक शिक्षा जहाँ एक भौत नारीश्वरिक गुणों का विकास करती है वहाँ दूसरी जोर घट लोकतंत्र समाजवाद धर्म निरपेक्षता विनामाधारित आधुनिकीकरण राष्ट्रीय एकता, प्रतारष्ट्रीय सद्भाव आदि राष्ट्रीय लक्षणों के अनुकूल नये समाज की स्थापना में सहायक यथिष्ठवियों, अभिवृतियों एवं कौशलों का विकास भी करती है। आधुनिक परिवर्तन पर नैतिक शिक्षा का धर्यं काफी व्यापक हो गया है जिसमें वैष्णविह एवं गामाजिक अववहार के विकास तक ही समित न रहकर उसको परिवर्तन में समस्त समाजवादी एवं विश्व बघुत्व की अभिवृतियों का विकास भी आ जाता है।

नैतिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व -

जैसा कि गभो हम देख चुके हैं आधुनिक युग में जब कि नैतिकता का हास्त हो रहा है तथा शिक्षा में नैतिक शिक्षा की उपेक्षा के कारण विद्यार्थियों में उच्छ्वसता एवं ग्राजकतावादी प्रवृत्तियाँ पाप रही हैं नैतिक शिक्षा की आवश्यकता शिक्षा सत्याग्रहों में तीव्रता से अनुभव को जा रही है। जाज क सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक तथा शैक्षिक परिवेश में चारित्रिक गुणों वा तेजी से विवरण हा रहा है, यन दश के भावी नागरिकों के निर्माण हेतु तथा राष्ट्रीय लक्षणों के अनुकूल समाज के पुनर्निर्माण हेतु नैतिक शिक्षा वीं नितान्त आवश्यकता है।

अप्रेज़ो से विरासत में मिली शिक्षा व्यवस्था में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जिस प्रकार नैतिक शिक्षा का निर्वासन हुआ, उभी गति से विद्यार्थियों के चरित्र में विरावट आती गई धर्मनिरपेक्षता का भय धर्महीनता कदापि नहीं होता। रवींद्र अग्निहोत्री के शब्दों म - धर्म नीति का निर्वरिण करता है। धर्म नैतिकता की पूर्व आवश्यकता है। धर्म कारण है नैतिक अववहार उसका परिणाम है। धर्मनिरपेक्षता के अनुसार परस्पर एक दूसरे के धर्मों के प्रति जादर एवं सद्वाच रखने हुए सभी धर्मों के जाधारभूत नैतिक मूल्यों पर आधारित, नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए यह गत शिक्षाविद् एवं शिक्षा आयोगों ने समर-उमय पर प्रकट किया है।

नैतिक शिक्षा का महत्व प्रकट करते हुए डॉ रावाङ्गणन् विश्वविद्यालय नायोप (1948) न कहा है कि "हमारे सविधान के जाधारभूत तिदान्त की मीम है वि जनता का आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया जाए। धर्म निरपेक्ष होने का धर्यं धार्मिक इष्टि उ-

1 पूर्वोद्धृत-पृ 261।

प्रशिक्षित होना नहीं है, बल्कि गम्भीर रूप में आध्यात्मिक होना है।¹ मुदालयर माध्यमिक शिक्षा आयोग (1953) ने भी नैतिक शिक्षा का महत्व स्वीकार किया है—‘धार्मिक व नैतिक शिक्षा भी चरित्र के विकास में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य का धम निरपेक्ष होने का यह यथ नहीं है कि राज्य में धम का कोई स्थान नहीं है। 2 कोठारी शिगा प्रायोग (1966) का मत है कि—‘यदि आधुनिकीकरण को एक जीवन शक्ति होना है तो उसे आत्मा की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। आधुनिक समाज को हमने जो ज्ञान का विस्तार और बढ़ती हुई शक्ति मिलती है उसका सद्योग इस कारण सामाजिक उन्नरदायित्व को सुदृढ़ तथा गहरी होतो हुई भावना तथा नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के उत्पुत्तापूर्ण गुण-प्रहण के साथ होना चाहिए। हम अपनी शिक्षा प्रणाली को उचित रूप से मूर्ख मुख करे।’³ पाठ्य-चर्चा के सदम में भी कोठारी शिक्षा आयोग ने नैतिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला है—‘स्कूल पाठ्य-चर्चा में एक गम्भीर नुष्ट यह है कि उपम सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है। अधिकांश भारतीयों के जीवन में धम एक बड़ी अभिप्रेरणा शक्ति के रूप में विद्यमान है और चरित्र के विर्माण तथा नैतिक मूल्यों की शिक्षा से उसका आत्मरक्ष सबध है। एक ऐसा राष्ट्रीय जिक्षा वायकम जो लोगों के जीवन जावश्यकताओं और अभिलाषाओं से सबवित हो इस उपयोगी शक्ति की उपेक्षा नहीं कर सकता। इसलिये हमारी चिकारिश है कि जहा की तमव हो बड़े-बड़े वस्तों के नीति सबधी उपदेशों की सहायता से सामाजिक नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा देने का जागरूक और समर्पित प्रयत्न किया जाये।’⁴

अत नैतिक शिक्षा को यावश्यकता, एवं महत्व को देखते हुए अब शिक्षा सम्बन्धी में इसकी व्यवस्था करने की ओर जनसाधारण एवं सरकार की जागरूकता प्रकट ही रही है। राजस्वाने रा य न प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नैतिक शिक्षा को निश्चय कर “स विद्या म साहसिक कर्म उठाया है।

नैतिक शिक्षा एतिहासिक परिप्रेक्ष्य—

भारतीय शिक्षा में नैतिक शिक्षा को विद्यति एवं औचित्य को समझने में एति विकास का सकृदान सर्वेक्षण उपयोगी रहगा।

Report of the University Education Commission

Report of Secondary Education Commission (पृ 125)

कोठारी शिक्षा का आयोग—पृ 22 23।

कोठारी शिक्षा आयोग—पृ 228-229।

(क) स्वाधीनता पूर्व भारत मे—

इस पुस्तक मे अब सबित स्थलो पर शिक्षा के उद्देश्य एवं उसके राष्ट्रीय विकास एवं समाज से सबथो को चर्चा करते समय स्वाधीनतापूर्व भारत मे नतिक शिक्षा का प्रसगानुकूल उद्देश्य किया गया है। प्राचीन भारत मे घम एवं नतिकता को शिक्षा का घनिष्ठ सबध रहा है तथा यह कहना अविश्योक्ति न हाँगी कि घम व नतिकता ही शिक्षा का उद्देश्य रहा था। शिक्षा द्वारा सर्वम्, त्याग उदारता, सहयोग, सद्बावना आदि चारित्रिक गुणो का विकास किया जाता था तथा मान 'प्राचि' का आध्यात्मिक लक्ष्य अब शास्त्रिक उद्देश्य से सर्वोपरि माना जाता था। डॉ सीताराम जायसर्वत तत्कालीन शिक्षा को नैतिकता या आचार का मुख्य आधार मानत हुए लिखत है कि—प्राचीन भारतीय सस्कृति मे शिक्षा को स्वच्छता योर आचार का मुख्य आधार माना गया है। मनु ने इस बात पर बल दिया है कि नये वद्यचारी को स्वच्छता योर शिष्टाचार के नियम ननी-नाति नात हीने चाहिए।¹

कालान्तर मे नैतिक शिक्षा का महत्व देन की पराधीनता तथा विदेशी शासको से शिक्षा के प्रति उपेक्षा के कारण कम होता गया मध्यकाल। मे मुस्लिम व हिन्दू सस्कृतियो का समावय हुआ तथा नतिकता के—ये मापदण्ड विकसित हुए। दोनो सस्कृतियो की शिक्षा व्यवस्था पूर्यक होने के कारण प्राचीन भारतीय शिक्षा का नैतिक उद्देश्य किसी न किसी रूप मे बना रहा किन्तु मुस्लिम शिक्षा—पठति एव सम्पत्ता को राजात्मक प्राप्त होने तथा उसके प्रति भारतीयो का आकरण होने के कारण प्राचीन नैतिक आदर्शो का हास होने लगा।

स्वाधीनता पूर्व अग्रेजी शासन के आधुनिक काल मे शिक्षा के प्रति शासको मे नैतिक शिक्षा को कार्ड स्थान नही दिया गया। अग्रेजी भाषा और शिक्षा-प्रणाली के प्रति आकरण होने से जन-साधारण मे भारतीय नैतिक आदर्शो की उपेक्षा ही नहीं परन्तु वल्कि उनके प्रति घणा का भाव भी विकसित होने लगा। अग्रेजी शासन मे घम नियेक्षता के नाम पर शिक्षा—सम्प्राप्ति मे ईताई घम को ही प्रश्रय दिया जाने लगा। सब प्रथम 1854 म बुड के घोषणा—पत्र (Woods Despatch) मे सभी घर्मो के आधारपूर्त विद्यातो को लेकर एक नैतिक शिक्षा की पाठ्य—पुस्तक तैयार करने

1 डा सीताराम जायसवाल भारतीय शिक्षा की सास्कृतिक पूछभूमि ('साहित्य परिचय')—शिक्षा योर सस्कृति विशेषाक—प 134)

वे उसे शिक्षा प्रस्थानों में पढ़ाने की घटिशसा की गई किंतु सरकार ने इस सुभाव को धम में हस्तक्षेप समझकर अस्वीकार कर दिया। 1944-46 में द्वितीय शिक्षा सलाहकार बोड ने जी डी बानं की प्रब्लेमना मध्यमिक एवं नविक शिक्षा की आवश्यकता एवं सम्भावना पर विचार करने हुए एक समिति गठित की जिसने चरित्र-प्रिमाण के लिए धार्मिक एवं नविक शिक्षा की उपयोगिता तो स्वीकार की किंतु इस शिक्षा का दायित्व समाज और परिवार का मात्रा। इस प्रकार स्वाधीनतापूर्व भारत मनविक शिक्षा को धम में हस्तक्षेप करने की प्राशना सत्ता ग्रन्ती जासको की कूटनीति के कारण नहीं अपनाया गया।

स्वाधीनता पश्चात् भारत मे—

भारत का स्वाधीनता मिलने के पूर्व ग्रन्ती जासनकाल में स्वाधीनता धराम के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति की सकलपना विकसित हाती रही जिसम नविक शिक्षा को उपयुक्त स्थान दिये जाने का आग्रह किया गया। महात्मा गांधी, विवेकानन्द स्वामी दयानन्द, परविन्द जादि ने नविक शिक्षा को विशेष महत्व दिया। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारतीय सविभाग में धमनिरपेक्षता की जिस नीति का प्रावधान किया गया उसका उत्त्वत प्रथम ग्राम्याय में किया जा चुका है। इस नीति के कारण शिक्षा-प्रस्थानों मनविक शिक्षा को अब तक महत्व नहीं दिया गया है, यद्यपि विभिन्न आदानप्रदान ने इसदो प्रभिन्नता की है। विभिन्न शिक्षा ग्राम्यों ने नविक शिक्षा को जो महत्व दिया है, उसका उल्लेख भी हो चुका है। 1959 में “धार्मिक-नविक शिक्षा पर श्री प्रकाश की अध्यात्मा में जो समिति गठित की गई थी जिसने 1960 में नविक शिक्षा हुए शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए सुझाव दिये। इन सुझावों का कोठारी शिक्षा ग्राम्यों ने ममत्व किया।

नविक शिक्षा का स्वरूप पाठ्यक्रम व विधिया

(क) पाठ्यक्रम —

नविक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए इसे शिक्षा-प्रस्थान में लागू करने हेतु उसके पाठ्यक्रम को विकसित करने के प्रयाम किए गये। थो प्रकृति मनविक द्वारा निर्माणित पाठ्यक्रम सुझाया गया — ।

प्राथमिक स्तर पर धार्मिक शिक्षा का पाठ्यक्रम

(1) प्राप्नो सभा के समय विद्यालयों में विद्याधियों द्वारा सामूहिक गाना का गाने को योग्य बनानी चाहिए जर्यात् धार्मिक व नविक नज़र सामूहिक रूप से विद्यार्थी गाय,

- (2) विद्यार्थियों को महात्मुरुओं की कहानियाँ सरल तथा मनोरजक ढंग से सुनाई जाये,
 - (3) मुख्य धर्मों से सम्बंधित कला व चास्तुकला के चित्र एवं वस्तुओं का शृण्डद्रश्य साथसे हारा प्रदर्शने विद्या जाये,
 - (4) सेवा वी अभिवृति का प्रचार व विकास किया जाये,
 - (5) नेतृत्व शिक्षा हेतु विद्यालय के समय विभाग छक्क में दो कालांग निर्गत किये जायें।
- माध्यमिक स्तर पर धार्मिक शिक्षा का पाठ्यक्रम**

- (1) विद्यालयों में प्रात कालीन प्रार्थना-सभा का आयोजन,
- (2) विश्व के प्रमुख धर्मों की आधारभूत शिक्षापाठ का अध्ययन,
- (3) अवकाश के दिनों में या कक्षा-शिक्षण के पश्चात् समाज सेवा के कार्यक्रम का आयोजन,
- (4) विद्यार्थियों में मूल्यांकन करते समय विद्यार्थियों के चरित्र एवं व्यवहार का मूल्यांकन किया जाये।

विश्वविद्यालय स्तर पर धार्मिक शिक्षा का पाठ्यक्रम—

- (1) विभिन्न धर्मों का अध्ययन स्नातक कक्षाओं की सामाजिक शिक्षा का वावश्यक ग्रन्थ बनाया जाये,
- (2) स्नातक कक्षाओं के दो अयाम तीन वर्षों में धर्म तथा धार्मिक प्राच्या का अध्ययन किया जाये
- (3) स्नातकोत्तर शिक्षा में विभिन्न धर्मों वा तुलनात्मक अध्ययन किया जाये,

राजस्थान में लागू पाठ्यक्रम—

काठारी शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम की उपरोक्त छपरेखा की विभिन्नता की। राजस्थान राज्य की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सत्र 1981-82 से नेतृत्व शिक्षा के जिस पाठ्यक्रम को अनिवार्य बनाया गया है उस शिक्षा विभाग हारा सुबुद्ध शिक्षा प्रकाशन— 16 में “नेतृत्व शिक्षा-उपागम” (पाठ्यक्रम कक्षा 1 से 8) के नाम से प्रकाशित व प्रधारित किया है। इसके प्रमुखां नेतृत्व शिक्षा के उद्देश्य निम्नांकित हैं। (1) विविध आचरणों में से सही आचरणों का हृत्य यह जान सके, (2) अपने स्तर पर सही आचरण के अनुरूप व्यवहार कर सके, (3) स्थान सही तथा गति अधरण के बीच आतंर कर सके, (4) छात्र विभिन्न धर्मों में प्रतीक्षा कर सके, (5) अपने कक्ष व्यक्ति के अनुरूप उपयुक्त व्यवहार कर सके,

(6) छात्र जीवन के विभिन्न प्रसंगों में चाँचित हृष्टिकोण बना सके, (7) अपने वालित हृष्टिकोण का जीवन में निर्वाह कर सके, (8) छात्र आपस में मिलजुल कर काम करने की आदत बना सके, (9) छात्र विषय परिस्थितियों में निभिकता एवं धीरज बनाये रखने की आदत बना सके, (10) छात्र अपने व्यवहार के कारण बता सकन की आदत बना सके, (11) छात्र सदाचारी लोगों व महापुरुषों के सदगुणों की गराहना कर सके, (12) व्यवहार करते समय छात्र दूसरों के हितों का ध्यान में रखने की आदत बना सके, (13) छात्र सभी लोगों को समानता की नजर से देखने की आदत का बना सके, (14) छात्र सावजनिक सम्पत्ति व सामग्री के प्रति सद्भवना रखने की आदत बना सके, (15) वे दूसरों के विचारों को धीरज के साथ समझन की आदत बना सके ।”

उपरोक्त उद्देश्यों के अनुसार बालकों में कुछ महत्वपूर्ण आदतों के विकास हेतु मुझाव निये गये हैं जैसे— (1) समय की पाबन्दी, (2) सम्मान एवं अभिवादन करना, (3) स्थान की सफाई, (4) काम में आनेवाली चीजों की सफाई, (5) बोलने सम्बंधि आदतें, (6) अपनी बारी की प्रतिक्षा करना, (7) अनुशासन एवं शार्ति बनाय रखना, (8) घर आए अतिथि के साथ शिष्टाचार, (9) भोजन सम्बंधि आदतें (10) बस्त्रों की सफाई, (11) ज्ञारीरिक स्वच्छता, (12) खेल सम्बंधि आदतें, (13) उत्सवों एवं सभाघोरों के नियमों का पालन, (14) कुछ विशिष्ट आदतें जैसे पूहें करना, काय को बीच में न छोप्रना, घर के काम में रुचि लेना मित्रों के काम में सहयोग देना आदि ।²

इन आदतों के विकास हेतु इसकी प्रेरणास्वरूप कुछ जीवन मूल्यों का पाठ्यनम, पाठ्य पुस्तकों व शाला-कायञ्चनमों में प्रतिविम्बित होना आवश्यक माना गया है। ये जीवन मूल्य हैं—सचाई सहयोग साहस, दृढ़ निश्चय, प्रात्मविश्वास, परागवार ऐसभक्ति कत्तृष्य-परायणता, ईमानदारी समाज-सेवा की भावना श्रम में निष्ठा त्याग की भावना, विश्व-वाधुत्व विनम्रता, अर्हिसा, प्रेम सहानुभूति, धैर्य, सहिष्णुता दया, समा, दूसरों का आदर दान, तत्परता मित्रता दूसरों के गुणों की प्रशंसा, निर्भीकता, स्वावलम्बन, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना, किंजूलखर्ची न करना, जनुशासन तथा सादगी ।³

¹ नविक शिक्षा उपागम-पाठ्यक्रम कक्षा 1 से 8 ('नया शिक्षक' भक्टवत्त-दिसम्बर 1981 पृ 87)

² पूर्वोद्देश—(पृ 88)

³ पूर्वोद्देश—(पृष्ठ 80)

(ख) नेतिक शिक्षा को विधियाँ—

जो शिक्षाविद् एवं शिक्षा-भाष्योग नेतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का ग्रन इनाना चाहते हैं उहोने इसकी विधियों का मुभाव दिया है। इनका मत है कि नेतिक शिक्षा प्रत्यय शिक्षण का विधय नहीं है बल्कि जप्तश्यक विधियों द्वारा शिक्षक के मादरा महापुष्पो के जीवन प्रसाग तथा विद्यालय के वातावरण एवं क्रियाकलारों से की जानी चाहिए। इस सांदर्भ म मुदालियर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इहा है कि—‘चाह धार्मिक शिक्षा दी जाय प्रथमा नेतिक शिक्षा, इस प्रकार की शिक्षा को कक्षा शिक्षण को परम्परागत विधियों से प्रभावी नहीं बनाया जा सकता बल्कि शाला के वातावरण तथा शिक्षकों के प्रभाव द्वारा ही उपयोगी बनाया जा सकता है।।

काठारी शिक्षा आयोग ने भी प्रकाश मनिति की अभियासाधो का समर्थन करते हुए नेतिक शिक्षा की विधियों के विषय म प्रपत्ता मत प्रकट किया है—“शिक्षण-पद्धति चाहे भी क्यों न हो, इसके कारण नेतिक शिक्षा न तो बाकी पाठ्यक्रम से कटकर भलग पड़ जानी चाहिए और न एक ही घट्टे मे सीमित रह जानी चाहिए। यदि मूल्यों को ध्याय के चरित्र का धग बनाना अभीष्ट हो तो नेतिक जीवन को सब और से सेवारन का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्यक घम के साहित्य मे अनुयायियों दो किसी नेतिक मूल्य का महत्व बताने के लिए कहानी या पृष्ठावर्त को मुख्य स्थान दिया जाता है, नेतिक शिक्षा के कायकम म यदि शिक्षक ठीक मौक पर ऐसी कहानियां सुनाएं तो उनका बहुत ही अन्धा मसर पड़ेगा, निचली कक्षाओं म तो यह छात और भी प्रभावी होगी। याद की आवश्यकताओं म महान् धार्मिक और आध्यात्मिक नेताओं के जीवन का चित्र बरना स्वाभाविक होगा। इसी प्रकार विभि न धर्मों के व्योहार बनाने मे इन धर्मों के नताओं के जीवन के इतिहास मे से ज्ञास-ज्ञास पठनामों को सुनाने का घबसर मिलता है। माध्यमिक छूल के अन्तिम दो वर्षों म छठे-छठे धर्मों क सारभूत उपशाक के प्रध्ययन के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए।”¹

राजस्थान म यवनाये गये नेतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम म भी शिक्षण की उपरांक विधियों पर ही बल दिया गया है। इसमे जीवन मूल्यों के प्रस्तुतीकरण के संदर्भ मे कहा गया है कि—“क्या छात्रों का सीधे यह उपदेश दिय जाय वि ‘सच बोलो, ‘माता-पिता का आदर करो’, ‘ईमानदार बनो’—ये सब उपाय कारणर न हों।

1 मुदालियर माध्यमिक शिक्षा आयोग—(पृष्ठ 125—126)

2 कोठारी शिक्षा आयोग—(पृ. 230)

हींगे क्योंकि इस प्रकार की अमूलत या भावात्मक वातों का द्यात्र रट तो सकता है, परं उनका व्यवहारिक सन्दर्भ नहीं जानने के कारण समझ नहीं सकता ।¹⁰⁰ होना यह चाहिए कि उपरोक्त वातें न रटवाई जायें, न इनको परिभाषा बताई जाय, बल्कि उन्हें जीवन की वास्तविक स्थिति में या अनुभव आधारित बनाकर द्यात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाय ।¹⁰¹ प्रति नैतिक शिक्षा में मूल्यों का घटना, कहानी या महापुरुषों के जीवन प्रतग्रंथों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप में विकसित करना चाहिनीय है ।

उपस्थार —

धनं का सम्प्रत्य गलत ढग से प्रस्तुत किया जाता है जबकि प्राचीन व ल से ही धन का सम्बन्ध इत्त व्यो से लिया गया है । स्वतंत्र भारत में गिरते हुए मूल्यों को पुनर्स्वार्थित करन के लिए तुलनात्मक एवं विवेकपूर्ण अध्ययन द्यात्रों को बांधित है । शार्मिक शिक्षा उत्तम नागरिक और चरित्र निर्याप्ति के लिए परम आवश्यक है । देशवासी धन के विद्वान्तों से अपरिचित होते जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन विश्वव्य पौर धर्म-ध्यास हो गया है । अत जीवन के प्रारम्भिक काल से ही आध्यात्मिक व नैतिक माध्यतार्थों की शिक्षा देनी चाहिए । आज देश में विद्वासकारी प्रवृत्तिया बढ़ रही है । हमारी थाने वाली पीढ़ी शिक्षण सम्वाध्यों में जसा सीखेगी वैसा ही व्यवहारिक जीवन में आचरण करेगी । यदि हम सभय रहते प्रभावशाली ढग से धर्मिकता व आध्यात्मिकता के मूलर्प्ति की शिक्षा द्यात्रा को नहीं देंगे तो राष्ट्र का भविष्य अन्धकारमय और भयानक हो जावेगा ।

नैतिक शिक्षा का अथ सही ढग से समझकर उसके पाठ्यक्रम को आयु वर्ग के अनुरूप अप्रत्यक्ष विधि से प्राप्तुत करते पर ही नैतिक शिक्षा प्रभावी हो सकती है । राजस्वान में प्रायमिक तथा उच्च प्रायमिक स्तर पर नैतिक शिक्षा का अनियाय दिया गया है । यह शिखरका का दायित्व है कि उसे सही परिप्रेक्ष्य में ग्रहण कर उसकी डिपाविलि हेतु प्रयाप करे ।

¹ पूर्वोदत—(पृ 90)

मूल्यांकन (Evaluation)

(व) लघुत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions)

प्र०

- (1) 'पार्मिक शिक्षा' तथा 'नैतिक शिक्षा' में भेद बतलाइये । (बी एड पता - 1985)
- (2) विद्यालयों में नैतिक शिक्षा के महत्व पर संक्षेप में लिखिये । (बी एड - 1984)
- (3) हमारे विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा प्रदान करने की हिंट से कोई पाच विकल्प प्रस्तुतिवित कीजिए । (बी एड पत्राचार 1982)

(4) 'धार्मिक शिक्षा' और 'धर्मों की शिक्षा' के पदों में अंतर इताइये। (बी एड 1982)

(5) धार्मिक शिक्षा से ग्राप क्या समझते हैं? 'धर्मनिरपेक्षता' का प्रत्यय स्पष्ट कीजिए। (बी एड पदा 1981)

(6) राधाकृष्णन् आयोग द्वारा धार्मिक शिक्षा के सम्बन्ध में क्या क्या मुख्य सन्तुतिया प्रस्तुत की गई है? (बी एड 1979)

(7) 'धार्मिक शिक्षा' एवं 'नतिक शिक्षा' के मध्य भेद को स्पष्ट करने वाले पाच विद्युमों का उल्लेख कीजिए। (बी एड 1978)

(व) निवन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1 'नतिक शिक्षा विद्यालीय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है।' उन मूल सिद्धांतों की व्यास्था कीजिये जिसके आधार पर नतिक शिक्षा विद्यालीय शिक्षा का एक भाग बन सकता है। (बी एड 1983)

2 'डमारे जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य के विद्यालय में धार्मिक शिक्षा देना उचित नहीं परन्तु नैतिक शिक्षा का प्राविधान हाना निता त आवश्यक है।' इस कथन की समीक्षा कीजिय तथा धार्मिक शिक्षा और नतिक शिक्षा के मध्य भेद स्पष्ट कीजिय। (1983)

3 (क) धार्मिक शिक्षा और (ख) नतिक शिक्षा का क्या अध्य है? इन दोनों पक्षों का प्राप्त साध्य-साध्य प्रयाग क्यों किया जाता है? सच्चे धर्म निरपेक्ष समाज के निर्माण के लिए सच्चो धार्मिक शिक्षा अपरिहार्य है।' इम कथन की परीक्षा कीजिए। (बी एड 1981)

4 राजनीतिज्ञों द्वारा धर्म निरपेक्षता की गलत व्याख्या ने भारतीय समाज का बहुत हानि पहुँचाई है जीवन के उच्च आदर्शों एवं नैतिक आधार का गहरी उछल लगी है।' इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए तथा धर्म निरपेक्ष भारत में माध्य-मिक स्तर पर कार्मिक शिक्षा देन हेतु एक योजना प्रस्तुत कीजिए। (बी एड 1979)

5 'नवयुवकों में नैतिक मूल्यों के विकास की दृष्टि से हमारी शिक्षा स्वतंत्र बहुत ही बुरे तरह असफल हो रहे हैं' इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिय। पाठ्यक्रम सम्बन्धी एवं पाठ्यक्रम संहारों से उत्पन्नों का विकास किया जाना स भव हा। (बी एड 1978)

6 हमारा संविधान 'धर्मनिरपेक्ष हॉटिंग' पर किस प्रकार आधार रखता है? साध्यही एस उपायों और तरीकों का विवेचन कीजिए त्रिनके द्वारा हम विद्यालयों में सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का नाम पढ़ा कर सकते हैं? (बी एड 1974)

व्यावसायिक उपक्रम

(Vocational Preparation)

[विषय प्रवेश—व्यावसाय के लिए शिक्षा और सराज—विद्यालयों द्वारा व्यावसायिक उपक्रम (तयारी) सहकारी हो—आजीविका—सम्बन्धी समाज का निरंतर पयवशण—व्यावसायिक तैयारी के प्रकार नियुक्ति प्राप्ति होने से पहले की तैयारी नियुक्ति के सम्बन्ध में तैयारी—जाजीविका परिवर्तन को तैयारी—प्रार्थिक एवं सामाजिक प्रवृत्तियों का व्यावसायिक तैयारी के साथ सम्बन्ध—उपसहाय—मूल्यांकित]

विषय प्रवेश —

भाज देश में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों की लम्ही कतार लड़ी है क्योंकि उन्हें व्यावसायिक उपक्रम (तयारी) की इटिंग से शिखित नहीं किया गया है। माध्यमिक शिक्षा मात्र उच्च शिक्षा हेतु प्रवेग प्राप्त करने की तैयारी मात्र है। देश की आर्थिक व सामाजिक धारा से छात्रों को जोड़े जाने की गरज से तथा ग्रीष्मांगिक विकास म उत्तराधिक-नागरिक के रूप में छात्रों के सहयोग के लिए, बालबद्ध व बालिकाओं का व्यावसायिक तयारी विद्यालय में करना, उन्हें श्रम के प्रति प्राप्त्या तथा रचनात्मक हास्टिकोलोग के विकास हनु वाचित है।

विद्यालय से आजीविका सम्बन्धी सफलता में स्थानांतरण की प्रक्रिया की दिशा में नि संनेह करो—न—कहीं उसी क्रम में जाजीविका का तयारी घटित होनी चाहिए। व्यापार और उद्योग दोनों ही से सम्बन्धित आजीविकाप्रो में नियुक्ति के बाद ही यह घटित होती है। दूसरों में नियमित पूवकाल-नियुक्ति प्राप्त करने के पहले ही विद्यालय प्रवेशण में प्रारंभिक मात्रा में तयारी की जाती है। और भी नि राजीविकाप्रो में आजीविका, सम्बन्धी कर्तव्यों को वास्तविक रूप में ग्रहण करने के पहले ही तम्बी, अवधि तक भ्रति विशिष्ट तैयारी की जाती है।

किसी भी स्थिति में यह स्पष्ट है कि व्यक्ति की व्यावसायिक सफलता उसकी तयारी के गुण, उसकी उपयुक्तता तथा आजीविका के समुचित चुनाव पर निभर है। अत इसके लिए विद्यालय द्वारा व्यावसायिक निर्देशन छात्रों को प्रदान किया जाकर उन्हें व्यावसायिक तयारी करने में भरपूर सहयोग प्रदान किया जाना परम आवश्यक है।

सूचना-पाठ्यक्रमों, परीक्षात्मक भनुभवों और व्यक्तिगत परामर्श के सहारे प्रश्न कार्य को चुनने में ज्ञानों परामर्शदाता से सहायता प्राप्त कर तथात्री को तैयारी की योजना बनानी चाहिए। विद्यालय व्यावसायिक तैयारी प्रदान करने तथा व्यक्तियों का उनको विशेष ज्ञानशक्तियों की पूर्ति सम्बन्धी तैयारी की योजना बनने में सहायता करना अपना दायित्व समझना चाहिए ताकि, व्यवहारिक जीवन में प्रवेश के समय व्यावसायों में सफलता प्राप्ति हतु अभिवृचियों का विकास वर सब्द अपने व्यावसाय का चयन कर धर्नजिन करने में सफल सिद्ध हो सके।

व्यावसाय के लिए शिक्षा और समाज —भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुरूप यदि हम सबके लिए समान धर्वसर' के सम्बन्ध में वास्तविक रूप देना चाहते हैं तो व्यावसाय की तैयारी के लिए शिक्षा में समाज के उत्तरदायित्व का ज्ञान स्वीकार और ग्रहण करना हीगा। विद्यालय व्यक्तिगत योग्यताओं आवश्यकताप्रा एवं विद्यालय से भी लाभ उठाने की सम्भावनायां से निरपेक्ष सबके लिए सगान धर्वसर देव। यदि हम देश में समान धर्वसरों को वास्तविक रूप देना चाहते हैं तो विद्यालयों को विविध आजीविकाओं में प्रवेश करने वाले युवराज व युवतियों को आजीविकाओं के लिए पूर्व तैयारी अभियंता करने में सक्रिय सहयोग प्रदान करें। भाज देश में पठ लिखें व विशिष्ट वर्ग अपने बालक व बालिकाओं का उच्च प्राविधिक शिक्षा दिलवाने की व्यवस्था में विद्यालयों का पूर्ण उपयोग अपने बालकों के हित में करते हैं तो दूसरी जार सामाजिक, गरीब व निरक्षर अभिभावकों के बालक सेंद्रातिक ज्ञान प्रदान करवाके परीक्षा उत्तीर्ण करवाना ही अपने उद्देश्य को पूर्ति भगवान्ते हैं। यही तरकी व उच्च साधारण से साधारण हस्त-कला व कौशल के कार्य के लिए तैयार होने में बिल्कुल भहायता नहीं करते जबकि दोनों प्रकार की धर्वयन-व्यवस्था पर समाज का ही धर्य भार पड़ता है जिससे देश में असन्तोष व असमानता की भावनायों से शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य समानता के आधार पर धर्वसर प्रदान करने का खुलकर उल्घन होता है।

व्यावसाय की तैयारी हेतु शिक्षा सबसी समाज का यह उत्तरदायित्व ठीक उही स्तरी से विस्तार हो पाता है, जिससे सामाजिक शिक्षा। तात्पर्य यह है कि यदि सामाजिक उच्च विद्यालयों के पाठ्यक्रम को बनाए रखा जाय, तो उच्च विद्यालयों की व्यावसायिक तैयारी भी प्रदान की जानी चाहिए। उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के इच्छुक और उससे लाभ उठाने को उत्पर व्यक्ति की विद्यालय से दैसी शिक्षा की मार्ग ठीक उसी प्रकार युक्ति सगत है, जिस प्रकार सामाजिक शिक्षा के इच्छुक व्यक्ति की।

विद्यालय जैसा कि इसे हीना चाहिए, लोक-समाज का अभिकरण बन जाता है,

इ सहार एक साम श्रेणी या स्तर की व्यावसायिक तयारी की शिक्षा प्रौढ़ थण्डी या स्तर का मापदण्ड शिक्षा उन्हैं उपलब्ध हो जाती है जो उसके इच्छुक हैं।

विद्यालयों में व्यावसायिक उपरूप सबधी शिक्षा सहकारी हो—

भाज देश में बहुत ही कम मृद्गति में उद्योग, व्यापार एवं राजकीय संस्थाएं ने समुचित व्यावसायिक तंयारी प्रदान करने हेतु व्यवस्था करते हैं। अत विद्यालयों की बढ़ती हुई धात्र-संस्था के प्रति जपने उत्तराधित्व के पालन के लिए यह आरंभित करना चाहिए कि प्रत्येक आजीविका के लिए यह तयारी किस प्रकार व्यायिक प्रभावशाली और मित्र्युद्यिता पूर्ण ढांग से प्रदान की जा सकती हैं तथा अभिप्राप्ति के लिए कौनसी जन-शक्ति आवश्यक और वाद्यनीय है। सम्भवतः ये तयारियाँ, जो अभी नियुक्ति काल में प्रदान की जाती हैं वे विद्यालयों में इक्कि प्रारम्भ होने के पहले व्यायिक अवधी तरह प्रदान की जा सकती हैं। गठन नियोजना एवं कायकर्तायों के बीच व्यवस्थित सहकारी योजना के आवार व्यायिक व्यावसायिक तंयारी प्रदान करनी चाहिए।

इस दिग्गज में देश की परम्पराओं, इस अभिप्राप्ति के लिए प्रशिक्षित शिक्षक और इसकी प्राप्ति के लिए विकसित विधियों के साथ निश्चय ही विद्यालय ये किसी भी अभिकरण की प्रपक्षा समाज के आवश्यक व्यावसायिक कार्यों का भार ऐ करने के व्यायिक योग्य है। अन देश में व्यावसायिक तंयारी के प्रभावशाली काय ये के लिए नियोजनों और कायकर्तायों के बीच सहयोग निर्ता त आवश्यक है।

आजीविका सम्बन्धी समाज का निरन्तर पर्यवेक्षण —

विद्यालयों का यह निर्णय बरता चाहिए कि कौन कौन से छात्रों को कौन व्यावसायिक तंयारी प्रदान करनी चाहिए और किस प्रकार प्रदान करनी चाहिए। यायकर्तायों और नियोजनायों के महयोग से प्रत्येक आजीविका की सावधानी पूर्वक रोज़ या सर्वेक्षण आवश्यक है। सर्वेक्षण करने के लिए जवासर पर दो बातों को दृष्टि में रखनी चाहिए — (1) आजीविका में सफलता के लिए कौन सा प्रशिक्षण आवश्यक है? तथा (2) इस प्रशिक्षण को प्रभावशाली तथा मित्र्युद्यिता पूर्ण ढांग में प्रदान करने के लिए कौन-सी व्यवस्था आवश्यक है? विद्यालय द्वारा की गई व्यावसायिक तंयारी की प्रभावोत्पादकता की खोज होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ यह भी निर्धारित करना आवश्यक है कि विद्यालय द्वौन सो व्यावसायिक तंयारी प्रदान करे तथा

उसे कितने प्रभावशाली ढग से प्रदान किया जावे। व्यावसायिक मावश्यकताएँ विभिन्न समाज में विभिन्न प्रकार की होती हैं। समाज की जनस्थल्या, उसकी औद्योगिक एवं व्यापार-क्रियोंमो का सामान्य स्वरूप, नियुक्ति के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मावश्यक प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की सह्या, विविध रीतियों से पहले प्रदान की गई व्यावसायिक-शिक्षा तथा नियोक्ताओं एवं कायकर्ताओं से अपेक्षित सहयोग की सीमा पर विचार करना होगा।

व्यावसायिक तैयारी से पूर्व स्थानीय भवस्थानों के सर्वेक्षण के साथ साथ अन्य नगरों द्वारा अपनी आवश्यकता व उनकी पूर्ति के लिए किये गये प्रयासों पर निरन्तर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। अन्यत्र जो कुछ इस दिशा में किया गया है वह प्राय अभिरूचिपूर्ण समावनाओं का सकेत करता है किन्तु सुरक्षित ढग से इसकी नकल केवल तभी की जा सकती है जब अवस्थाएँ बिलकुल समान हो। किसी भी स्थानीय समाज के व्यावसायिक शिक्षा कायक्रम के निर्धारण में यह पत्र नियुक्ति के प्रयास करने वालों की आवश्यकताओं और स्थानीय समाज में रहने वालों की आवश्यकताओं दोनों पर ही विचार करना चाहिए।

व्यावसायिक तैयारी के प्रकार (Kinds of Vocational Preparation) —

व्यावसायिक शिक्षा के कायक्रम के निधारण के सम्बन्ध में अभी भी जो कुछ कहा गया है, उसके प्रकार में यह प्रश्न करना तर्क सगत है कि इस सम्बन्ध में अभी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय वया कर रहे हैं और किस दिशा में विकास की समावनाएँ हैं।

व्यावसायिक तैयारी के तीन सामान्य प्रकार भारतीय विद्यालय में स्थाई स्थान प्राप्त कर चुके हैं। ये तीन प्रकार की क्रियाएँ हैं जो कृषि, वाणिज्य, सामाजिक, उत्पयोगी उत्पादन काय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में सघन न की जाती है। फिर भी हमारी शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से काय-केंद्रित शिक्षा व्यवस्था (Work Centred Education) नहीं बन पाई है। ये तीन प्रकार हैं —

(1) नियुक्ति प्रारम्भ होने से पहले की तैयारी।

(2) नियुक्ति के सबध में तैयारी।

(3) आजीविका-परिवर्तन की तैयारी।

(1) नियुक्ति प्रारम्भ होने के पहले की तैयारी — देश की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा को ऐसी बनाये जाने के पश्च में शिक्षाविद् व राजनेता रहे हैं कि उन्हें नोकरियों एवं बाबूगियों देशों के लिए तैयार न कर व्यवसाय की तैयारी की जाया

इसके लिए माध्यमिक शालायोग में व्यावहारिक विषयों को प्रारम्भ करने के पक्ष में रहे। यह बात स्वतन्त्र भारत में ही नहीं बल्कि 1882 में भारतीय शिक्षा प्रायोग ने भी इस प्रसंग की सिफारिश की थी। 'देश में व्यावसायिक तैयारी हेतु पाठ्यक्रमों में भरती होने वालों का प्रतिशत कुल विद्यार्थियों के मुकाबले में केवल 9 ही है जो कि दुनिया में सबसे कम है।'¹ 'विश्वविद्यालय छात्रों में से अधिकांश—26,000 में से लगभग 22,000 केवल साहित्यिक पाठ्यक्रम लेते हैं जो कि उह प्रशासनिक अल्कोर्म, शिक्षण और वकील पेशा के जलावा आय किसी पेशे के योग्य नहीं है।'² इतनी ग्राम्योग की रिपोर्ट के पच्चास वर्ष पश्चात् कुछ सुधार हुआ है और विश्वविद्या लय स्तर पर 23 प्रतिशत व्यावसायिक तैयारी की शिक्षा के पाठ्यक्रम में भरती हो रहे हैं। कोठारी ग्राम्योग की आशा थी—'भविष्य में स्कूल शिक्षा की प्रवृत्ति सामाय और व्यावसायिक शिक्षा के लाभदायक मिथण की ओर होगी—इस सामान्य शिक्षा में व्यवसाय-पूर्व और तकनीकी शिक्षा के कुछ तत्व होंगे और इसी प्रकार व्यावसायिक शिक्षा के कुछ तत्व होंगे और इसी प्रकार व्यावसायिक शिक्षा में भी सामाय शिक्षा के कुछ तत्व होंगे।'³ इन बातों को इन्विट में रखत हुए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों का व्यावसायिक तैयारी प्रदान करने के लिए व्यवसाय शिक्षा को समर्वद्ध करते हुए कृपि कक्षाएँ संगठित की गईं तथा लड़के एवं लड़कियों को मोटोरिंग मास्ट्रीविकास के लिए तैयार करने के निमित्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के विशेष विद्यालयों की स्थापना की गई है। निश्चय ही इनमें करणीय अधिकाश काय का वास्तविक व्यावसायिक मूल्य विवादास्पद था और अभी भी है, किन्तु जहाँ तक इसके व्यावसायिक होने का प्रश्न था, यह लगभग नियुक्ति के पहले की पूर्ण तैयारी ही है। प्रचलित व्यावसायिक तैयारी के निम्नावित रूप रहे हैं—

(i) व्यापार प्रयत्नों के लिए — देश में व्यावसायिक तैयारी के लिए विद्यार्थी अभिनव ही रखते हैं वे साहित्य, सामाजिक विषय एवं कानून की पढ़ाई के सेदातिक नाम के ग्राम्योग पर नीकरी प्राप्त करने के पक्षघर रहे हैं जबकि अब देश में निम्नतर व्यावसायिकरण की ओर झुकाव द्रुतगति से बढ़ रहा है। स्वतन्त्रता के उपरात वाणिज्य विषयों को प्रहरण किया गया जो आय विषय-समूह की अपेक्षा

¹ कोठारी शिक्षा ग्राम्योग की रिपोर्ट प 10

² कलकत्ता विश्वविद्यालय ग्राम्योग की रिपोर्ट, खण्ड 1 पृ 21

³ कोठारी शिक्षा ग्राम्योग— पृ 11

है। शिक्षा के ग्रन्थ के रूप में कृपि प्रत्ययपत्रा दिया जाना चाहिए। वयकि "ज्ञो-ज्ञो फामों की आमदानी अधिक कृपि उपज के साथ बढ़ेगी, व्यो त्यो बवि काधिक सफल कृपक अपने लड़कों का कृपि की शिक्षा देना चाहेगे!"

(iv) औद्योगिक वृत्तियों के लिये नियुक्ति के पहले मुबक्कों को औद्योगिक प्राप्ति विकासों के लिये तयारी करने में एक बड़ी कठिनाई है कि वाणिज्यात्मक यह विनान यह निर्माण, कृपि की शिक्षा की अपशा औद्योगिक शिक्षा बढ़त अधिक हृद तक विशिष्ट आजीविकासों की तयारी में बढ़ी रहती है जैसे बढ़हीगिरी, इलेक्ट्रोकॉम सामान की तयारी, वित्रकारी उपकरण निर्माण सावा निर्माण, मुद्रण और इसी सहश ज्य आजीविकाएं। इस प्रकार अन्य क्षेत्रों की अपशा इसने उन प्राजीविकाओं की सह्या अधिक प्रकार अवश्यक नियुक्ति के लिये तयारी करने के लिये जहाँ एक ही जिनके लिये तयारी आवश्यक है। केवल बड़े नगरों में अपशा की अपशानता है, वहाँ लेख काही बहते हैं और इस प्रकार आवश्यक उपकरण के निर्वाह तथा भली भाँति तयारी करने की शिक्षण सह्यानों में पहले पहल युनियारों गिराव के माध्यम से बालकों में अभिन्न निष्ठा, महत्ता के अनुकूल अभिवति का विकास करने हेतु स्वयं अपन हाथ से काम करने का प्रशिक्षण दिया जाने का पथ में थे और महात्मा गांधी ने इसी उद्देश्य को लेकर युनियारों गिराव के माध्यम से उद्योग के महत्व का प्रति न पादन किया एव समग्र शिक्षा को उद्योग से जाड़ने पर बल दिया था। आज भी नारत के कुछ राज्यों की शिक्षण सह्याएँ व्यावसाय की तयारी के इष्टि से कायरत है।

कार्यानुभव (Work Experience)

कोठारी कमीशन ने 'करना ही सोचना है' (Learning is doing) परोऽत्तिनिक बिद्धात पर आधारित 'कार्यानुभव' के रूप में एक नए विषय को गठन करने में सहायता में जीवन से जोड़ना है। कार्यानुभव का उद्देश्य बालक के लिये तयार करना है। कार्यानुभव स्कूल, घर, कारबाने, खेत, फैक्टरी या अन्य कार्यालय के लिये तयार करना है। कार्यानुभव में उत्पादक कार्य में भाग लेना है जिसका उद्देश्य बालों को व्यावसाय का नायिक तयार है। इसके माध्यम से बालक व्यावसाय की समस्या को जोर अधिक आसान बना सकता है। हम अबनी शिक्षण सह्यानों में विद्यार्थिया में कठिन और उत्तरदायित्व

पूर्ण कार्य करने की जात डालने का सफल प्रयास कर सकते हैं। 1977 के एक सर्वेक्षण के ग्राहार पर देश में 95 विभिन्न प्रवृत्तियाँ व्यावसाय की तरारी हेतु शालायोग में क्रियाशील हैं और कुछ स्थितियों में इनके द्वारा बालक स्वावलम्बी भी बन जाते हैं।

समाजोपयोगी उत्पादन कार्य एवं समाज सेवा

(Socially Useful Productive Work & Community Service SUPW & CS)

सन् 1977 में साउथ गुजरात विश्वविद्यालय गुजरात के कुलपति ईश्वर भाई पटेल ने इसे परिभाषित किया—‘यह सोहेश्य अथ पूर्ण शारीरिक श्रम युक्त कार्य है जिसके प्रतिफल समुदाय के लिए लाभप्रद सामग्री अथवा सेवाएँ होती हैं।’ इसे कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम में पूर्ण विषय का स्तर प्रदान करने के पश्चातारी है प्रथम् कुल समय का 18% कार्यभार समाजोपयोगी उत्पादन कार्य एवं समाज सेवा (SUPW & CS) को प्रदान किया जाये, जिसका ऐत्र शारीरिक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, भोजन आवास, वस्त्र संस्कृति, एवं मनोरजन व सामुदायिक कार्यांक समाज सेवा है। आदिषीषिया समिति ने ईश्वरभाई की सिप। रिश को उच्च माध्यमिक स्तरीय (+2) विद्या के पाठ्यक्रम में समिलित करने की सिफारिश की है। इसके अन्तर्गत विभिन्न उद्योग जा ‘सीखो करमाओ’ (Earn while you learn) कार्यानुभव (work Experience) आदि के लाभों को इटि में रखकर नई सकलनां को स्वीकारा जिसका मुख्य उद्देश्य बालक के हाथ से कार्य करने की क्षमता श्रम के प्रति आस्था एवं अनुकूल अभिवृत्ति तथा सहयोग से कार्य करने की योजना का विकास कर व्यावसाय के लिए तयार करता है।

ऐसा पूरी ढंग से घर पर दैनिक किये जाने वाले कार्य घर पर कभी कभी किये जाने वाले कार्य, आवश्यकता एवं सुविधानुभार सामग्री उत्पादन विद्यालय के दैनिक कार्य, जाता में कभी कभी किये जाने वाले कार्य सामुदायिक कार्य विद्यालयों के लिए उपयोगी निर्णय आदि से छात्रों को व्यावसायिक तयारी के लिए जातार उपलब्ध हो सकता है। ऐसा कि उनकी सिफारिशों से स्वरूप है—
 There are two pertinent aspects of this recommendation First SUPW is given the status of special Subject Secondly the Committee has recommended that it should not be ‘Education Plus work’ but “Education through work” अब कठिना इसे के बावजूद सम्पूर्ण दिन उद्योग कार्य करते हुए छात्रों का समय बोतता है जो बहुत अधिक हद तक मूल्यवान व्यावसायिक तयारी प्राप्त की जा रही है। छात्रों के लिए

³ Buch & Patel, 'Towards work Centred Education P/29

विद्यालय द्वारा SUPW कार्यक्रम में किये गये कार्यों द्वारा जीविकोशास्त्र करने की प्रधिक समुचित व्यवस्था को जा सकती है।

राजस्थान में शिदाण सभ्र 1984-85 से समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में SUPW & CS नामक एक नया विषय माध्यमिक शिदा बाई, अजमर ने प्रारम्भ किया है। जिसका उद्देश्य राजस्थान के विद्यार्थी उत्पादक कार्य के प्रति इच्छा लेते हुए समाजोंपरी साधित होंगे और उन्हें अवधारित जीवन में व्यावसाय प्राप्त करने में असुविधा न रहें।

डा. मेल्कम एम. आदिशेश्या, तत्कालीन कुलपति मद्रास प्रशिक्षितात्व ने परेल समिति (1977) की शिकारियों के पुनरावलोकन कर 28फरवरी 1978 को प्रपत्र प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।' उन्होंने अनक कियाएं जो समाज-आधारित तथा जाता-आधारित राजा एक कल्याना मूरक अध्यापक स्थानीय परिस्थितियों व जावश्यकताना के अनुसार अन्य क्रियाएं भी जोड़ सकते हैं।' 6 मध्यापकों के निर्देशन हतु लगभग 85 प्रवृद्धिया गिनाई है जिन्हें चार भागों में विभक्त किया है — 1. प्राइवेट्यू वर्क,, 2. प्राइवेट्यू प्रवतियाँ, 3. समुदायिक सेवा प्रवतियाँ तथा समुदाय के रहन-सहन सम्बन्धी, स्वास्थ्य एवं पराचिकित्सकीय व्यावसाय समिलित कि। जान की शिकारिय की है। व्यावसाय को अध्ययन का अनिवार्य मानने का उद्देश्य रोजगार म बृद्धि की हृषि से प्रस्ता वित की गई है। इसके अन्तर्गत हृषि एवं ऊषि आधारित व्यावसाय कुनीर उद्योग, वाणिज्य एवं कार्यालय व्यवस्था सम्बन्धी व्यावसाय, पराचिकित्सकीय व्यावसाय, पत्रकारिता सबवीं व्यावसाय, गृह विनान सबधी व्यावसाय तथा अन्य सेवाये।

देश में ओलोगिक वर्तियाँ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालाओं, चाहे बुनियादी शिक्षा, चाहे 10+2 शिक्षा योजना में कार्यानुभव चाहे समाजोपरी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा चाहे आदिशेश्या प्रतिवेदन इन सभी का परोक्ष व अपरोक्ष स्थूल उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से वालकों को आत्म निभर बनाना और अन्त मिन कार्यों को सीखाना जो कालातर में व्यावसाय की तयारी के रूप में सिद्ध हो सके।

(5) पत्राचार पाठ्यक्रमों के सहारे व्यावसायिक तैयारी — पत्राचार पाठ्यक्रम घर पर तैयारी करताते हुए अल्पतम व्यय के सहारे माध्यमिक व उच्च

भाष्यमिक विद्यालय के प्रनें छाँतों को कुछ व्यावसायिक तैयारी प्रदान कर सकते हैं। शारीरिक रूप से विकलाग व्यक्ति जो इस योजना के अनुसार आजीविकाजी की तैयारी प्राप्त कर नी रहे हैं। कमशाला अभ्यास के लिए निकटवर्ती या स्थानीय कमशाला में काय करने का प्रबसर दिया जाता है। देश में बहुत सी ऐसी प्रशिक्षण संस्थाएँ हैं जो शाम को, दिन की छह्टी या अत स्यापित धार्घार पर ध्येयकालीन पाठ्यक्रम सचालित कर रही हैं जो सामाजिक जिज्ञास नथा व्यावसायिक प्रशिक्षण दोनों प्रकार की व्यवस्थाये रखती है। “बहुत से देशों, जसे आस्ट्रेलिया समुक्त राष्ट्र तथा रूस में व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण के लिए पत्राचार अध्ययन का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। स्नष्ट है कि बहुत से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे लेखा विधि और बही खाते में वक्षण अभ्यास की आवश्यकता नहीं परन्तु यहाँ भी अवकाश के दिना म पढ़ाई के कुछ घट्टे शिक्षकों से तय किये जा सकते हैं। वक्षण अभ्यास तथा प्रगतेणाता प्रशिक्षण वाले धेनों में संस्थान संस्थान के अन्त तथा अवकाश की अवधि म खोले जा सकते हैं, जिससे कि पत्राचार छाँतों को ये सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें। 7 कुछ ऐसे ही पाठ्यक्रम हैं जिन्हें पत्राचार द्वारा सम्पूर्ण कर व्यावसाय की तैयारी की जा सकती है - लेखाविधि बातानुकूलन बास्तुकला आलेखन मोटर याडी यात्रिक, भवन-ठेका आपार-प्रबन्ध, व्यग-चित्र निर्माण, वाणिज्यात्मक कला ढार्लाई-शाला सिद्धात पत्रकारिता यथ-आलेखन, प्रारूप निर्माण तिदाव फोटोग्राफी व्यावहारिक विद्युत, व्यावहारिक परिचर्चा रेफिजेरेशन, विक्रय कला, दबुओं की खाल में भूपा इत्यादि भरकर उसे सजीववत् बनाने की कला आदि देश में शक्तिक व व्यवसायिक जिज्ञास पाठ्यक्रम के द्वारा बहुत सी सरकारी, अर्द्ध सरकारी, र ज्यों के बाड़, प्रशिक्षितव्यालय व गैर सरकारी संस्थाएँ कायरत हैं। इस प्रकार पत्राचार द्वारा व्यावसायिक तैयारी प्रदान की जा सकती है।

(२) नियुक्ति हेतु व्यावसायिक तैयारी

नियुक्ति के सम्बन्ध में सचालित व्यावसायिक तैयारी तीन सामान्य प्रकार की होती है - (1) पहले प्रकार में विद्यार्थी विद्यालय में रहता है और उसकी नियुक्ति प्रयानन उसकी व्यावसायिक तैयारी योगदान के साथन के रूप 7 में समझी जाती है। कुछ स्थितियों में आधा समध विद्यालय में विताता है और आधा काम में, जबकि कुछ अन्य स्थितियों में विद्यालय में व्यतीत समय का ग्रन्तुपात कम होता है। (2) इससे

⁷ कोठारी जिज्ञास आवेदन की रिपोर्ट, प 440

प्रकार में प्रयानत वह एक कमचारी होता है और विद्यालय पहले से सलन काम मरवा है। अब भावी काम के लिए उसे जनिक मन्दिरी तरह तयारी करने से सहायता प्रदान करता है। विद्यालय में प्रति सप्ताह केवल कुछ घटे बिताना पड़ता है : (3) तीसरे प्रकार में सीखने वाला विद्यालय में बिल्कुल समय बिताए बिता ही काम के सम्बन्ध में कुशलता एवं ज्ञान प्राप्त कर लेता है। पहले प्रकार में 'विविध आजीविका' सम्बन्धी कायकम साधिक कक्षाएं, कभी कभी इन तीनों समावृत रूप से 'अन्वयत विद्यालय' बनकर लेता है। दूसरे प्रकार में आजीविका काल विद्यालय, व्यस्कों के लिए सद्याकालीन-व्यावहारिक शिक्षा निर्दित रहती है।

सहकारी एवं आजीविका-कायकरूम — सहकारी योजना के अन्तर्गत विद्यार्थी युवा काम करता है। एक काम में लगा रहता है दूसरा विद्यालय में और दोनों अन्तर्गत एक सप्ताह या इससे अधिक काल तक काम करता है। आजीविका योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यार्थी सामाजिक आधा दिन काम-काज में बिताता है और अधेर दिन विद्यालय में। विद्यालय में प्राये समय तक सामाजिक व्यवस्था में कई विभिन्न आजीविकाओं का प्रतिनिधित्व कर सकता है। विद्यार्थी पूर्णकाल में नियुक्ति के तुरन्त पहले सम्पूर्ण दिन के कायकम में आजीविका की तयारी के बाद आजीविका कायकम में विशिष्ट आजीविका की तयारी की ओर अप्रसर होता है।

प्रयोक्तामी और कमचारियों के बीच सहयोग आवश्यक है। अ शकालीन विद्यालय — व्यावसायिक तैयारी जो नियुक्ति प्राप्त होने के बाद प्रदान की जाती है। इनका सदृश युवा कमचारियों को उनके रोजगार के जीवन में आवश्यक अभियोजन स्थापित करने में सहायता करना तथा विशेष आजीविकाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है।

सद्या विद्यालय एवं कक्षाएँ — व्यस्क कमचारियों के दिनिक अनुभवों की प्रत्युपूर्ति करना और जिन आजीविकाओं में व पहले से सलन कामकाज में प्रवीण बनाना। कुछ हद तक जीवोनिक आजीविकाओं की तयारी सद्या विद्यालयसाधिक विस्तार-शिक्षा प्रदान करने के महत्वपूर्ण साथ है। अलग से समय की व्यवस्था कामकाज में कायरत रहकर तैयारी — अलग से समय की व्यवस्था किया बार स्वतं ही कामकाज में बहुत मधिक मात्रा में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान या सकेत द्वारा सहायता प्रदान करता है।

(३) आजीविका परिवर्तन के लिए तैयारी

व्यापार में म दी की अवस्था ग्रधवा आप कारणों से सेवा से मुक्ति करने, उद्योग सम्बन्धी वेरोजगारी, नय उद्योगों के विकास एवं आजीविकायों में ऐच्छिक परिवर्तनों का। कारण यह एक स्थायी समस्या बनी हुई है। प्रतिवप व्यस्क कमचारियों को औ जीविका परिवर्तन के लिए वाघ्यहोना पड़ता है। इसके लिए श्रीदीमिक पुन जिभा की पथात अवस्था को आवश्यकता है। चुद्धि स्थितियों म पुराने कायं को छोड़न से पहले ही परिवर्तन की प्रत्याशा कर ली जाती है और आवश्यक तयारी भी प्राप्त कर ली जाती है। अब स्थितियों म अचानक परिवर्तन आ जाता है और कमचारी का नय काय में लग जाना पड़ता है जिनके लिए पूर्व म प्रश्न रण प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अनेक स्थितियों में परिवर्तन के साथ-साथ प्राय वेरोजगारी की एक सम्मी जटिल आती है और जब वक्ति वेरोजगार रहता है तो यह तयारी प्राप्त की जाती है।

, आर्थिक एवं सामाजिक प्रवृत्तियों का व्यावसायिक तैयारी के साथ सम्बन्ध

व्यावसायिक तयारी कायरम के अभिप्राय की निफ्टि प्रभावशाली ढग से तभी हो सकती है जब व्यावसायिक जिभा के नेता व्यापार उद्योग राष्ट्रीय जावश्यकताओं में हान बोले, परिवर्तनों के प्रति निरंतर सुनहरे रहें और सामा यत सामाजिक सम्प्रयोगों में अन नतना की बड़ी आवश्यकता होती है। जब तक शाखिक नेता इन प्रवर्तियों पर तया इनक सहज अथवा प्रवर्तियों पर ध्यान नहीं दें और जहा परिवर्तन की अपेक्षा आवश्यकता हो, वडों भोज ही परिवर्तन नहीं करेंगे तरंतक व्यावसायिक शिक्षा भावी काय की तैयारी के बदले प्राचीन आजीविकायों की तैयारी मात्र रह जाएगी”¹⁸

उपसहार-व्यावसायिक तैयारी कुशलता पूर्वक प्रदान करना चाहित है लेकिन व हर्तयारी प्रत्यं व्यय साध भी तोनी चाहिए यदि इस तयारी के लिए शिक्षण सम्यायें अपने ऊपर उत्तरदायित्व ही लेती हैं तो सभी के लिए समान शिक्षिक अवसर’ नारा मात्र रह जायेगा। व्यावसायिक तैयारी एक शिक्षिक काय के अतर्गत ही जाता है। विद्यालय शिक्षिक जातों को करने के अभिप्राय से स्थापित समाज का चयनित अभिकरण है। भारत गरीबों व किसानों का देश है। बहुत बड़ा भाग अभिभावकों का निरधार है, ऐसी अवस्था में व्यावसायिक तयारी का उत्तरदायित्व शालाम्बा को निभाना होगा।

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तीन सामाय अपकारों से व्यावसायिक नयारों हेतु शिक्षण अवस्था का विकास किया जा सकता है— 1. नियुक्ति प्रारम्भ नेते के पहले की तयारी, 2. नियुक्ति के सम्बन्ध में तयारी, 3. नियुक्ति के परिवर्तन के लिए तयारी। इनमें से तीनों सरकारी एवं गोर सरकारी विद्यालयों के अतर्गत कृपि,

⁸ चालस ए वियड सिडनी वेब और वीयट्रिस वेब, 'लेवर, इन विदर नन काइड पृ 140

व्यापार, गृहविज्ञान, उद्योग व व्यवसाय विदेश के लिए प्रशिक्षण विभिन्न घन्टुपाता में पढ़े जाते हैं। जिधा म व्यावसाय की तथारी का मुख्य उद्देश जात्यनिमय बनाना, वेरोजगारी की समस्या को सुलझाना, देश की प्रार्थिक धारा में आओं को जोड़ना, प्रामीण विकास एवं भिन्न-भिन्न सामाजिक एवं नार्यिक परिवारों से आने वालों का उनकी क्षमतानुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है।

स्वतंत्रता के बाद देश में 'पुनर्नियादी शिक्षा', 'कार्यानुभव', समाजोपयोगी उत्तरादन काय एवं समाज सेवा का विभिन्न स्तरों पर समवेश कर पराय व अपरोक्ष इन से प्रभावशासी क्रियाविति की प्रोट देश की शिक्षण संस्थाएं अप्रसर हा रही है जो निश्चय ही आओं म सामुहिक रूप स श्रम काय सामुदायिक सेवा करें। शिक्षा म व्यावसायिक नय री के लिए योग्यता करने के लिये हुए है जो व्यावहारिक प्रतीत होता है। आज देश की प्रार्थिक और सामाजिक परिवर्तनों को लिये हुए है जो सामना करने के लिए विद्यालयों द्वारा प्रेरित करना, व्यावसायिक तथारी की प्रभावशासी व्यवस्था म निरन्तर विस्तार एवं पुनर्नियोजन का जारी रहना देश की अनिवार्य आवश्यकता है जिससे उम्यों नागरिक सभ देश की ग्रामिक, राजनीतिक व सामाजिक उनति के लिए उपाय निकल सकें।

मूल्यांकन (Evaluation)

- (अ) लघुत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions)
- (1) सेवाकालीन प्रधारापक शिक्षा के पाच कायरमो के नाम बताइये। (बोएड पत्रा 1985)
 - (2) यदि समप्र माध्यमिक शिक्षा व्यावसायिक कर दी जाय ता बताना चिना क स्वरूप म पाच महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हों? (बोएड 1984)
 - (3) शिक्षा एवं राज्यीय उत्तरादकता पर टिप्पणी लिखिये। (बोएड 1978)
 - (4) शिक्षा के व्यावसायीकरण और व्यावसायिकता की तथारी के अंतर स्पष्ट कीजिए? (बोएड 1984)
- (ब) नियन्त्रणात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)
- (1) 'शिक्षा का व्यावसायिकरण प्र क राज्यीय समस्यामा क समानन प्रस्तुत कर सकता है।' इस कथन 4 की विवेचना कीजिय। ऐसे व्यवसायों का सुभाव दोजिय त्रिनके विषय मे पूँँ-स्वतंत्रक शिक्षा-स्तर पर निर्देशन दिया जा सकता है? (बोएड सी 1983, 1978)
 - (2) $10+2+3$ की नई शिक्षा याजगृह करने म कौन कौन सी प्रमुख समस्याएँ हैं? (बोएड पत्राचार 1981)
 - (3) 'कार्यानुभव' और व्यावसायिक शिक्षा म सम्प्रत्यात् विचार या प्रवधारणा के भूलक भरत क्या है? राजस्थान उह विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तर पर सुनिविष्ट करने की दृष्टि स या योजना अपनाने का विचार कर द्या है?

इकाई चतुर्थ

अध्याय 20

विद्यालय-समुन्नयन-योजना (Institutional Planning)

[विषय-प्रवेश—विद्यालय-समुन्नयन-योजना के विभिन्न अग—योजना निर्माण विधि—विद्यालय-योजना का एक नमूना—मच्छी समुन्नयन-योजना की विशेषताएँ—योजना म शक्ति प्रयोगो का स्थान—उपसहार—परीक्षोपयोगी प्रश्न ।]

विषय-प्रवेश

प्रध्याय सम्पा-12 म प्रध्यायन काय के नियोजन एवं प्रध्याय सल्पा-17 मे विद्यालय-कायक्रम के नियोजन का विवचन करते समय शक्ति-योजन का प्रय, उसका महत्व, सिद्धात, पक्ष, क्रिया वयन एवं मूल्याकन तथा विद्यालय-योजना के विभिन्न पक्षो पर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। प्रत प्रस्तुत प्रध्याय मे उन तथ्यो की पुनरावृत्ति करना बाधकीय नही है। पूर्वोलिलिखित तथ्यो के सदर्श मे प्रस्तुत प्रध्याय म विद्यालय-समुन्नयन योजना के विभिन्न भगो, उसकी विशेषताओं तथा शक्ति प्रयोगो का महत्व स्पष्ट किया जायेगा।

विद्यालय-समुन्नयन-योजना के विभिन्न अग

विद्यालय-कायक्रम के नियोजन क सदभ म यह पूर्व म बतलाया जा चुका है कि विद्यालय-कायक्रम का नियोजन वया है, यह वया किया जाता है नियोजन बोन करे तथा विद्यालय-योजना के विभिन्न क्षेत्र या अग कोन से होते है। यह स्मरण करना मावश्यक है कि विद्यालय-योजना विद्यालय के विभिन्न पक्षो-शक्ति, महत्वादिक तथा भोतिक पक्षो के भिन्न-भिन्न कायों म प्रनुभूत मावश्यकता के प्रनुभार तथा उपलब्ध मानवीय एवं भोतिक साधनो के माधार पर सुधार प्रयवा उन्नयन साने हेतु पूर्व योजना होती है, प्रत इसे विद्यालय-समुन्नयन-योजना (School Improvement Plan) कहा जाता है। इसके साथ ही यह भी स्मरण रखना है कि विद्यालय क सामाय नियमित (Routine) कायों की योजना से भिन्न व्यानिक विधि से शाला-कार्या मे सुधार हेतु क्रियावृत की जाने वाली विशिष्ट योजना है।

विद्यालय-समुन्नयन-योजना के प्रमुख अग निम्नाकित है —

विद्यालय-योजना के क्षेत्र

1. शक्ति पक्ष—विद्यालय के शक्ति काय म सुधार हेतु बनाई

शैक्षिक क्षेत्र के ग्रन्थालय की सुधारों की सहाया बढ़ाना, मध्यम्य एवं
मध्यरोधन रोकना, विषय-प्रध्यापन में सुधार, परिवेशण को प्रभावी बनाना प्रादि
शिक्षा विभाग राजस्थान के प्रकाशन 'विद्यालय-योजना-2' में शक्तिक क्षेत्र से
सम्बन्धित विद्यालय-योजना के चुनाव हेतु निम्नान्वित विषय सूची प्रस्तावित की है—

1 छात्रों की सहाया बढ़ाना, 2 मध्यम्य एवं मध्यरोधन रोकना, 3 लिखित
काय का संशोधन, 4 'प्रविभक्त इकाई' पद्धति से प्रचल्या मध्यापन, 5 बत्ती
सुधार, 6 शिशु-क्रीड़ा-के द्वारा संचालन, 7 उच्चारण सुधार, 8 कविता-पाठ
में सुधार, 9 कहानी-प्रभिन्नयोकरण, 10 मेरा सप्रग्रह, 11 सकलन काय, 12 शब्द
(दीवार) पत्रिका, 16 हस्तलिखित पत्रिका, 14 सामाय नान वृद्धि 15 भित्ति
19 प्रयोगिनिल विनान गिरण, 20 कहानी-कथन, 21 वय की परिवेशण
योजना, 22 वाचनालय का संदर्भयोग, 23 पुस्तकालय का समुचित उपयोग
24 कक्षा पुस्तकालय की व्यवस्था, 25 गणित शिक्षण सुधार, 26 सप्रवालय निर्माण।

2 संहरेशिक-पक्ष —इसके ग्रन्थालय के पाठ्यक्रम संहारामी क्रिया
कलापों में सुधार हेतु बनाई गई योजना होती है। 'विद्यालय-योजना-2' में इस
क्षेत्र की निम्नान्वित सूची प्रस्तावित की गई है—

1 व्यायाम शिक्षण सुधार, 2 खेल कूद सुधार 3 सामूहिक वीटी
4 बाल-सभा 5 राष्ट्र-गीत प्रम्यास, 6 समय-पालन, 7 मध्या हं भोजन की
व्यवस्था, 8 हचि काय (हावी) का आयोजन 9 कविग स्काउटिंग 10 स्वास्थ्य
रक्षा, 11 शाला-गणवेश का सुधार, 12 प्रोड शिक्षा वायक्रम, 13 छात्रों की
स्वास्थ्य परीक्षा और उसके बाद सुधार-कायक्रम, 14 उत्सव दिवसों का सकल
आयोजन 15 प्रध्यापक-प्रभिभावक-संघ, 16 शिष्टाचार 17 प्रायना सभा सुधार।

3 भौतिक पक्ष —योजनाएं जो शाला भवन, प्रागण उद्यान खेल के मदान,
शिक्षण संहायक उपकरणों से सम्बन्धित होती है, वे भौतिक पक्ष के ग्रन्थालय की
जाती है। उसकी प्रस्तावित सूची निम्नान्वित है—

1 बाल-वाटिका, 2 फुलवारी नगान 3 जन सहयोग से शाला भवन
निर्माण 4 ग्रन्थकालीन सफाई-प्रतियोगिता, 5 विद्यालय की दीवारों पर योग्यवित
सामग्री का प्रदर्शन करना, 6 विद्यालय-प्रागण में सुनियोजित रूप से वृक्षारोपण,
7 पयजन की उचित देख-रेख।

नना-निर्माण विधि

सुधार हेतु चयनित कार्यों में से प्रत्येक की काय योजना बनाई जानी चाहिए।

योजना में निम्नांकित पद, चरण या सोपान होते हैं —

काय का नाम, 2 वतमान स्थिति, 3 उद्देश्य

क्रियांवति के चरण, 5 उपलब्ध साधन, तथा 6 मूल्यांकन

समूण विद्यालय समुन्नयन योजना का प्रपत्र निम्नांकित होना चाहिए² —

विद्यालय का सामान्य-परिचय, स्थिति, पहुँच के साधन आदि।

विद्यालय का इतिहास-भृति सक्षेप म।

विद्यालय के प्रपत्रे मुख्य उद्देश्य यदि कोई स्पष्ट हो तो।

विद्यालय की छात्र संख्या एवं वगवार (निम्नांकित प्रपत्र में)

1 तथा वग	छात्र संख्या	बालक	बालिका
1	2	3	4

विद्यालय परिवार निम्नांकित प्रपत्र मे —

(प्र) अध्यापक वग

अध्यापक अध्यापक

सहायक "

अध्यापक गण

योग "

एकी	द्वि श्रेणी	तृ श्रेणी	मय (पी टी आई टेक्नोकल आदि)	याग
-----	-------------	-----------	------------------------------	-----

यतावार

कला वग	विज्ञान वग	कृषि वग	आदि
ट्रैड/ग्रनट्रैड	ट्रैड/ग्रनट्रैड	ट्रैड/ग्रनट्रैड	

स्ट यन्नुएट

त्रुएट

इण्डी/हायर स्कॉल

कॉल

प्र

योग —

2 विद्यालय योजना-3 (शिक्षा विभाग, राजस्थान पृ० 33-34)

विषयवार	प्रायमिकस्तर	उच्च प्रायमिकस्तर	
विषय	ग्रन्थापको की सख्ता	विषय	ग्रन्थापको की सख्ता
(ब) प्रय परिवार	वरिष्ठ	कनिष्ठ	योग
लेखक बग	—	—	—
पुस्तकालयाध्यक्ष	—	—	—
प्रयोगशाला सहायक	—	—	—
चतुर्थ श्रे. एसी कम्पारी	—	—	—
लेब बॉय (Lab Boy)	—	—	—
6 विषय जो पढाये जाते हो —			
विषय	प्रायमिकस्तर	उ प्रा स्तर	विषय धारा सख्ता
	छात्र सख्ता		
प्रनिवाय			
वैकल्पिक			
उद्योग एवं अ.य			
7 भवन एवं उपकरण मादि (निम्नाकित प्रपत्र में) —			
प्रकार	साइज़	सख्ता	विषय
8 सेल के मदान (निम्नाकित प्रपत्र में) —			
सेल	सख्ता	स्तर	
	(प्रागण से दूरी)		
9 पुस्तकालय में पुस्तकों की सूचि विषयवार ।			
10 वाचनालय में पत्र पत्रिकाओं का विवरण ।			
11 परीक्षा-परिणाम प्रत्येक सत्र का कक्षावार ।			
12 वर्तमान सत्र में उपलब्ध काय दिवसों की सख्ता (माह एवं सप्ताह के दिन म विभक्त कर)			
13 प्रायिक साधन (निम्नाकित प्रपत्र में) —			
राजनीय सत्र ()		धारा बोय सत्र ()	
मद राजि योग	मद गत सत्र का जोप नया योग		

समुनयन काय-बि दु (निम्नाकित प्रपञ्च में) —

पत सत्र....	मे लिये गये	इस सत्र	मे प्रस्तावित
—	—	—	—
(प) शक्षिक			
(व) सह शक्षिक			
(स) भोतिक			
(द) प्रध्यापक उ ययन			
(ई) विभाग द्वारा प्रसारित			
(क) प्रय			

हर एक समुनयन काय बि दु की योजना तीव्रे क शोपको मे दी जाये—

1 समुनयन काय का नाम, 2 प्रभारी शिक्षक/समिति, 3 समिति का जक (यदि हो), 4 मानक घणेखाए, 5 वतमान स्थिति का विश्लेषण, काय के लद्य एव समय सीमा, 7 क्रियाविति सम्बन्धी क्रिया पद—(क) समय 1, (ख) साधन-सुविधाए, 8 मूल्याकृन-विधि ।

उपरोक्त शाला-समुनयन-योजना के निर्माण, उच्चाधिकारियो को प्रेवित 1 प्रद सत्रीय मूल्याकृन, सत्र के भत का मूल्याकृन तथा भतिम रिपोट भेजने निर्धारित तिथिया क्रमश 30 अप्रैल, 7 मई, 30 नवम्बर, 15 अप्रैल तथा अप्रैल है ।

विद्यालय-योजना का एक नमूना³

विद्यालय-समुनयन-योजना की एक काय योजना का नमूना प्रायमिक विद्यालय पूर्णोत्तित सोयानो मे निम्नाकित है —

कायकृम का नाम—‘पहली कक्षा मे छात्रो की सर्व्या मे वृद्धि करना’ ।

वतमान स्थिति—विद्यालय की छात्र सर्व्या काफी कम है । केवल 125 विद्यार्थी है । विद्यालय पहली से पाचवी कक्षा तक है । शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात 1:25 है । पहली कक्षा मे केवल 40 विद्यार्थी हैं ।

उद्देश्य—पहली कक्षा की छात्र सर्व्या 40 से बढ़ाकर 60 करना ।

क्रियान्विति के चरण —

पद	प्रभारी प्रध्यापक	समय	पद पूर्ति की तिथि
1 पाठ म स्कून जाने योग्य बातको आ पाना लगाना (सर्वेक्षण करना)	कक्षाध्यापक (पहली कक्षा)	10 दिन	10 जुलाई
2 विद्यालय-योजना-2 शिक्षा विभाग, राजस्थान-पृ० 16)			

2 ऐसे बालकों के प्रभिभावको समिलना व भेजने का माप्रह करना	कक्षाध्यापक (पहली कक्षा)	7 दिन 17 जुलाई
कक्षाध्यापक के प्रयत्न के बावजूद न आने वाले बालकों के प्रभिभावको से मिलना	प्रधानाध्यापक	3 दिन 20 जुलाई
4 छात्रों की सूखा बढ़ाने के लिए गाव की पवायत की सहायता से समा करना	कक्षाध्यापक कक्षा-1 (सहयोगी सभी ध्यापक)	1 दिन 25 जुलाई
5 पहली कक्षा में भर्ता होकर मनुष्यस्थित रहने वाले छात्रों के प्रभिभावको से मिलना	कक्षाध्यापक कक्षा-1	सप्ताह में प्रति शनिवार
6 छात्रों के लिए अच्छे खेल-कूद की व्यवस्था	सभी ध्यापक	एक कालाश प्रतिदिन
5 उपलब्ध साधन —इसके लिये कोई विशेष साधनों की मावश्यकता नहीं है। नि शुल्क पाठ्य-न्यूस्टके प्राप्त ही तो छात्रों में बाट दी जायेगी। कक्षा 1 के हाजिरी रजिस्टर के माध्यम से उपरियति का लेखा जोखा रखा जायेगा।		
6 मूल्यांकन —1 प्रतिमाह भीसत हाजिरी निकाली जायेगी, 2 वर्ष के पत में प्रारम्भ की हाजिरी से तुलना की जाएगी।		
अच्छों समुन्नत्यन योजना की विशेषताएँ		
योजना वी निम्नांकित विशेषताएँ हो सकती हैं—		
—प्रति का योगदान रह, 2 वर्ष		

प्रच्छो समुन्नयन योजना की विशेषताएँ
 प्रच्छो समुन्नयन योजना वी निर्माकित विशेषताएँ हो सकती हैं —
 1. योजना के निर्माण में सभी सराधित व्यक्तियों का योगदान रहे, 2 वह
 महात्माकांडी न हो पर्याप्त उपलब्ध समाधानों एवं कामकर्ताओं को असता के भवु
 तूल हो, 3 उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों का प्रधिकरण उपयोग हो,
 4 समुन्नयन काम बिदुओं का चुनाव प्रनुभूत प्रावश्यकता पर आधारित हो,
 5 उपनिवेश काम बिदुओं को प्राप्तिकर्ता के प्रनुभूत क्रियावत किया जावे,
 6. योजना के लक्ष्यों का निरापारण सावधानी से हो 7. योजना के क्रियावयन
 प्रभारी का चुनाव उपयुक्त हो, 8. क्रियावति के समय समुचित व्यक्ति द्वारा
 परिवोधण, निर्देशन एवं सूत्याकृति की अवस्था रहे 9. योजना का प्रसिद्ध
 सावधानी से रखा जाय 10. योजना समय बदल (Time bound) वायद्यम क
 प्रनुभूत सम्पत्ति वी जाय, 11. क्रियाप्रिकारिया द्वारा इन योजनाओं के सहन
 किया जाय है 12. तर प्रारम्भ किसी रहे ।

ता मे शैक्षिक प्रयोगो का स्थान-

यह तथ्य स्पष्ट हो चुका है कि विद्यालय समूनयन-योजना की काय योजनाएँ जय के सामान्य नियमित (Routine) कार्यों की योजनाएँ नहीं हैं। वस्तुत कायन्योजनाओं मे वर्तमान समस्याओं के निराकरण हेतु वज्ञानिक विधि एवं उपरिधियो का प्रयोग किया जाता है। समस्याओं के समाधान मे अवेपण या खोज (Research) का दृष्टिकोण रखा जाता है जिससे समस्या के समान हेतु सभावित उनके क्रियाओं का प्रयोग कर उनकी प्रभावोत्पादकता सिद्ध की जाती है ताकि शैक्षिक विकास हेतु उह विद्यालय की नियमित काय पद्धति के रूप प्रयत्नाया जा सके। समूनयन योजनाओं मे प्रायोजनाओं (Projects) और अन्तिम (Experiments) का विशेष स्थान एवं महत्व होता है। प्रायमिक एवं अन्तिमिक विद्यालयों मे शैक्षिक मनुसंधान की सर्वेक्षण (Survey) तथा गतिविधान (Action Research) की विधियाँ समस्याओं के समाधान हेतु उपयुक्त भी हैं त्रिगोन का उपयोग विद्यालय-समूनयन योजनाओं मे किया जाना चाहिए।

सहार-

विद्यालय-समूनयन-योजनाएँ इस नवीन धारणा पर आधारित हैं कि विद्या-सुधार की योजनाएँ ऊपर से शिक्षाधिकारियों द्वारा विद्यालय पर योपी न कर उन योजनाओं से प्रभावित सम्बद्धित विद्यालय के व्यक्तियों द्वारा ही बनाए रखियावत की जायें। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यालयों की मनुभूत आवश्यकताओं की सूनिए एवं समस्याओं का निराकरण सम्भव है तथा स्वयं द्वारा नियमित योजनाओं की क्रिया व्यवस्था मे भी सम्बद्ध व्यक्तियों का लगन उत्साह एवं अपनत्व की भावना प्रशान करना स्वाभाविक एवं घबश्यमभावी है। इन योजनाओं मे शैक्षिक मनुसंधान की नवीन दृष्टि प्रयोगाई जाती है जो सामान्य परिनियमित काय (Routine) की प्रतिवृत्ति से मिन है। यही कारण है कि इन योजनाओं के प्रति कुछ लोगों द्वारा "एकांक" हाती हैं। ये शकाएँ हैं—
1 योजनाओं से शिक्षा मे य त्रीकरण हो जाएगा,
2 योजनाएँ मात्र कागजी हैं,
3 वर्तमान गिरत हुए स्तर मे ये सम्भव नहीं,
4 समाज का बातावरण दृष्टित है जो इन योजनाओं के अनुपयुक्त है,
5 शिष्क विद्यार्थी व प्रशासक घपने कत्तव्य के प्रति उदासीन हैं,
6 योजनाएँ शिष्कों का काय भार बढ़ायेगी,
7 नियमित काय ही पर्याप्त है तो योजनाओं की व्यवस्था नहीं है, तथा
8 योजनाओं को सही रूप से नोग अनभिन है।⁴ शिक्षा विभाग ने राजस्थान-पृष्ठ 45-55) प्रकाशित किया है।

⁴ विद्यालय-योजना-3 (शिक्षा विभाग, राजस्थान-पृष्ठ 45-55)

⁵ चौरोक्त (पृष्ठ 47)

बतलाते हुए विद्यालय-समुन्नयन-योजनाओं का समर्थन किया है—“मूल बात यह है कि योजना-निर्माण की प्रक्रिया का मूल पाधार प्रतिवार्ष्य समानीकरण नहीं है वह है अपनी समस्याओं एवं आवश्यकताओं को एक विज्ञानिक, तकनीकी एवं पूर्व-निर्धारित नियमों के पाधार पर हल करने की आदत ढालना।”

□ □ □

मूल्यांकन (Evaluation)

(अ) लघुतरात्मक प्रश्न (Short Answer type Questions)

- 1 प्रभावी स्थागित योजना बनाने के पार्श्व सिद्धान्त सिद्धिय ।
(बी एड 1985)
- 2 विद्यालय योजना (Institutional Planning) से माप व्या समझते हैं?
(बी एड 1983)
- 3 स्थानिक योजना से माप व्या समझते हैं ?
(बी एड 1981, 1979)
- 4 विद्यालय योजना के प्रमुख प्रायाम कोन-कोन से हैं तथा किन शीयकों के अंतर्गत इसे प्रस्तुत किया जा सकता है ?
(बी एड पत्राचार 1981)
- 5 विद्यालय योजना के स दम म जे-पी-नायक ने एक बार कहा था “निम्न लक्ष्य नहीं, अपितु प्रसफलता प्रधाराध है।” इस पर टिप्पणी कीजिए ।
(बी एड 1978)

(ब) निवाधात्मक प्रश्न (Essay type Questions)

- 1 अच्छी समुन्नयन योजना की बाबा विशेषताएँ होती चाहिए ?
- 2 सफल स्थागित नियोजन के लिए किन-किन तत्त्वों का होता आवश्यक है ?
- 3 स्थागित योजना से बाबा भभिप्राय है ? स्थागित योजना और शक्तिक विकास कायदामों को किस प्रकार प्रभावित करतो है ? स्थागित योजना के लाभों का उल्लेख कीजिए ।
- 4 स्थागित योजना की प्रसफलता के कोन कोन से कारक होते हैं ? एक उपयोगी स्थागित योजना निर्माण के सोपानों का उत्तराख कीजिए तथा अपने सुजनात्मक सुझाव दाजिए ।

व्यक्तिगत एवं विद्यालय

अध्याय 21

स्वास्थ्य कार्यक्रम

(Personal & School health Prog)

रूपरेखा

(प) व्यक्तिगत स्वास्थ्य — विषय प्रवेश, व्यक्तिगत स्वास्थ्य का भूथ एवं महत्व व्यक्तिगत स्वास्थ्य हेतु, शाला के काय, व्यक्तिकृ स्वच्छता के प्रशिक्षण व उसके स्तर, व्यक्तिगत स्वास्थ्य व व्यक्तिगत स्वच्छता विद्यालय में चिकित्सक परीक्षण निर तर देखभाल का काय, भोजन, वीमारियां व उनके लक्षण व बचने के उपाय ।

(ब) विद्यालय स्वास्थ्य कायक्रम — विषय प्रवेश स्वास्थ्य कायक्रम के भग, स्कूल स्वास्थ्य सेवा कायक्रम के उद्देश्य, स्वास्थ्य शिक्षा कायक्रम मे प्रधानाध्यापक व अध्यापक के कर्त्तव्य, सुधार हेतु सुझाव, उपसहार-मूल्यांकन ।] विषय प्रवेश — स्वास्थ्य विज्ञान का धन अत्यन्त ही विस्तृत है । इसके प्रत्यगत उन सभी विज्ञानो का समावेश हो जाता है जो बालअवस्था से वृद्ध अवस्था तक मनुष्य को स्वस्थ जीवन प्रदान करने म लाभकारी सिद्ध होता है जैसे शरीर क्रिया विज्ञान (फिजियोलॉजी) शरीर रचनाशास्त्र (एनोटोमी), रोग के लक्षण (सिम्प्टमस) क्रमा हम स्वस्थ्य अवस्था म शरीर के विभिन अवयवों की काय प्रणाला, बालको के स्वास्थ्य विज्ञान का जान तथा स्कूल के बच्चों म साधारणत पाये जान वाले रोगों के लक्षणों से अवगत करवात है । इनके दिना प्रारम्भिक परख, कारण तथा उनका निदान मुश्किल हो सकता है । अत प्रो ली केलीफोड न—“स्वास्थ्य शिक्षा के अत्यन्त स्कूल और स्कूल के बाहरी मनुभव जो ग्राम होते हैं जो व्यक्ति वग प्रीर समाज के स्वास्थ्य से सम्बंध रखने वाली समस्त प्रादता, मनोवृत्तियों और पान को प्रभावित करते हैं ।” परतु इन सभी को परोद एवं अपरोक्ष रूप म विद्यालयी स्वास्थ्य कायक्रम को नहीं प्रपितु सामाजिक स्वास्थ्य शिक्षा तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य तक को प्रभावित किए वगेर नहीं रह सकती क्योंकि इस शिक्षा म भी व्यक्ति प्रधान है अत व्यक्तिगत स्वास्थ्य शिक्षा के बार म द्यायों का अधिभावको ढारा शाला म प्रविष्ट होने से पूर्व स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिक्षा प्रतोपचारिकरूप से दी जाती है ।

था मतो रे “विद्यालय के प्रारोग्यपूर्ण वातावरण के साथ व्यक्तिगत और सामाजिक स्वास्थ्य की बादतो के विकास करने की बनुमता को है क्योंकि व्यक्ति-स्वास्थ्य प्रावश्यक है । स्वास्थ्य शिक्षा के मोटे तोर पर तीन उपभाग व्यक्तिगत

सामाजिक व विद्यालयी स्वास्थ्य पिधा है।” व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रोर स्वच्छता का ध्यान रखना केवल व्यक्तिगत हित का विषय नहीं अपितु प्रत्येक नागरिक का यह मामाजिक कर्तव्य है कि वह अपनी निजी घर घर वी तथा आस-पड़ोस को स्वच्छता म पूरा सहयोग दें। यदि सभी नागरिक व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रोर स्वच्छता का ध्यान रखें तो सामाजिक स्वास्थ्य प्रोर स्वच्छता का उद्देश्य स्वत ही पूरा हो जाएगा। विद्यालय का यह उत्तरदायित्व है कि वह छात्रों को स्वच्छता प्रोर स्वास्थ्य के सामाय नियमों का ज्ञान कराए इनकी विधियों पर प्रकाश डाले तथा वस्तविक और अस्वच्छता को दूर करने के उपायों म परिचित कराए तथा छात्रों मे जच्छी आदतों का निर्माण करवाने का सफल प्रयास करें।

व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ एव महत्व

व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए शरीर के सम्पूर्ण भ्रवयों को बनावट और उनके काय का ज्ञान, भोजन, जल और वायु का ज्ञान, मुँह, दौल, बाल, त्वचा, आंख नाखून आदि की स्वच्छता, विभिन्न ऋतुओं मे पहिन जाने वाले वस्त्रों का ज्ञान व उनकी स्वच्छता, व्यायाम, ध्यान निद्रा, विश्राम थकान को दूर करने के उपाय, स तुलित भारी भार, आसन, विभिन्न प्रकार क सकामक रोग तथा उनकी रोकथाम आदि का ज्ञान आवश्यक है। जिसस हमारे शरीर को कोई रोग न लग और उसके विकाय का क्रम ठीक चलता रह तथा हम स्वास्थ्य रह। इही ज्ञान आरो से ही बालक मे जच्छी आदतों का निर्माण और स्वच्छता की वृत्ति उत्पन्न होती है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य शरीर के बाहरी धरों की स्वच्छता तथा सुरक्षा म सम्बंधित है जिसे भी उतना ही महत्व दें जितनी कि सामाजिक एव सम्बन्ध आरोग्य को ले जाती है। व्यक्तिगत आरोग्य का सम्बन्ध मुख्य रूप से बाल-जीवन की दो कुराईयों से जाड़ा जा सकता है—लापरवाही तथा अस्वच्छता। वही दुराइयों के कलस्वक्षय बालर कई तरह के रोगों स ग्रस्त हो जाते हैं।

बालकों के अनेकों रोगों एव व्याधियों के लिए जहां तक उनकी अपनी लाप रखाही तथा अस्वच्छ रहने की प्रकृति जिम्मेदार है वहां उनके अभिभावकों वी अकिञ्चना एव अनाज कुछ कम जिम्मेदार नहीं है। अस्वच्छ बालक विद्यालयों म धूमेश करते समय अनेकों ऐसे रोगों एव दोषों से पीड़ित होते हैं जिह उनके माँ-बाप की तनिक-सी सावधानी मे बचाया जा सकता था। अत वैयक्तिक स्वास्थ्य के क्षेत्र मे विकास का यह भी धम हा जाता है कि वे बालकों म स्वास्थ्य के प्रति जागृत उत्तम करने के साथ-साथ उनके अधिकारित अभिभावकों के प्रशिक्षण के प्रति भी ऊचि प्रदर्शित करें।

भारत जसे देश म जहां अधिकारी बालक नियन, अधिक्षित एव ग दीवस्तियों म रहने वाले परिवारों से सम्बंधित है वे अपने परिवार तथा आस पास म भन

जाने ही प्रतेको प्रस्वस्थ्य आदते सीख लेते हैं। ऐसी परिस्थितियों में विशेष रूप से उह स्वास्थ्यकारी आदतों का सिखाया जाना शिक्षकों का पुनीत कर्तव्य है।

व्यक्तिगत स्वास्थ्य हेतु विद्यालय के कार्य

- 1 बालक में ऐसी आदतें डाने जिससे वे प्राकृतिक आवश्यकताओं से निवृत होकर दैनिक काय म चुस्ती से लगे।
- 2 बालकों के समस्य अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करें जिससे व्यसनों सबचा जाय।
- 3 त्वचा की सफाई की शिक्षा दी जाय।
- 4 बालकों को स्नान और उमड़ लाभों से अवगत कराया जाय।
- 5 नेत्रों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाय।
- 6 नाखूनों के अगले हिस्मों के नीचे मल जमी रहती है जिससे रोगिले कीटाणु पलत रहते हैं अत उह उसकी सफाई के लिए सचेत करें।
- 7 बालों के कई प्रकार के रोगों से बचने हेतु उनकी सफाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालें।
- 8 कान की सफाई की आवश्यकता का बएन किया जाय।
- 9 दैन का सफाई न रखने पर रोग के कीटाणु पनप जाते हैं और भोजन के साथ शरीर के आदर जाकर नुकसान करते हैं अत इसकी सफाई के बारे मध्यापक नान प्रदान किया जाना चाहिए।
- 10 वस्त्रों की सफाई के बारे म छात्रों को सचेत किया जाय। वस्त्र हमार शरीर को गर्मी सर्दी और तज बायु से रक्षा करता है। हल्के तथा कम वजनी वस्त्रों को पहनने हेतु उत्प्रेरित किए जाय।
- 11 विद्यालय-चिकित्सक द्वारा छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए। छात्रों व अभिभावकों को उनके दोष दूर करने के उपाय बताय जाएं।
- 12 छात्रों को शारीरिक क्षमता व उम्र के अनुरूप व्यायाम करवाया जाय।
- 13 पौष्टिक-भाजन करने व उनके गुणों पर प्रकाश डाला जाय। स्वादिष्ट भोजन का पौष्टिक हाना जरूरी नहीं हाता।
- 14 छात्रों को निद्रा की उपयुक्त परिस्थितियों का जान कराया जाय।
- 15 विद्यालय का बातावरण स्वास्थ्यबद्ध क हो।

व्यक्तिक स्वच्छता के प्रशिक्षण व उनके स्तर

बालक की मनोवैज्ञानिक विकास की दृष्टि से उसके जीवनकाल को तीन घटक स्तर (Stages) में विभाजित किया जा सकता है —

- 1 जब बालक में तक शक्ति का अभाव होता है,
- 2 जब बालक सामाजिक मायता (Social approval) तथा प्रशস্তা (Appreciation) का इच्छुक होता है, तथा
- 3 जब बालक म स्वाभिभाव की भावना जागृत हो जाती है।

इन तीनों स्तरों के बीच नोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। शिक्षक को अपने अनुभव के आधार पर यह नात करने योग्य होना चाहिए कि बालक किस समय किस स्तर पर है तभी वह स्वास्थ्य शिक्षा सम्बंधी कायक्रम की ठीक ढंग से योजना बना सके।

प्रथम स्तर पर अभ्यास एवं अनुकरण द्वारा ही स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए। रूमाल का प्रयोग दौंतों की सफाई समय पर सोना, उठना, शोव जाना तथा भाजन करना, यह सब बातें उसे निम्नतर अभ्यास द्वारा ही सिखाई जानी चाहिए। इस स्तर पर अभ्यास की प्रमुखता के नारण इसे ड्रिल और अभ्यास स्तर (Practice Stage) भी कहते हैं।

द्वितीय स्तर पर बालकों में स्वस्थ ढंग से रहने की आदत का विकास करने में स्कूल-भवन की स्वच्छता, नियमितता (Orderliness), व्यवस्था द्वारा अधिक महत्व रखते हैं। बालक द्वारा की गई भूलों पर शर्मिदा नहीं करना चाहिए वहिंक सफलताओं पर प्रशंसा की जाय।

इस अवस्था के बाद बालक कुछ बड़ा हो जाना है। वह जान-वृद्धकर एवं काय करता है जो उसे दूसरों की दृष्टि म ऊँचा उठाने के तथा उस सम्मान एवं मान वाला प्रदान करा सकें। विदेष रूप से वह अपने अभिभावकों व बड़े नाई बहनों तथा गिर्लों द्वारा अपनी सफलता पर प्रशंसा की आशा रखता है। इस स्तर पर शिक्षक को बालकों के सामने अपना आदेश उपस्थित करना चाहिए जिससे व अनुकरण द्वारा अच्छी आदतें सीख सकें। छात्रों में स्पष्टा व चिह्न जीतने के लिए उत्तर्वर्ति करना चाहिए और उत्साह बढ़ाने का सफल प्रयास भी।

तीर्तीय स्तर पर बालक की तार्किक बुद्धि का पृण विकास हो जाता है। वह अध्ययन के आधार पर अपना एक आदेश बना लेता है और उसी के प्रत्युम्भार काय करने में आत्मसंतोष का अनुभव करता है। इस समय उसे किसी की प्रशंसा एवं दुराई की कोई परवाह नहीं होती है। इस स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा ऐसी हानी चाहिए जो तक सगत हो जिससे बालक उसकी अच्छाई या दुराई को समझ कर उस पर अमल कर सके।

व्यक्तिगत स्वास्थ्य व व्यक्तिगत स्वच्छता

(Personal health & Personal Cleanliness)

हमारे विद्यालयों में अधिकारी बालक निधन, प्रशिक्षित एवं गांधी वस्त्रियों में रहने वाले परिवारों से सम्बंधित है वे अपने परिवार तथा पास पड़ोस में अनजाने ही अनका प्रस्तुत्यकारी आदतें सीख लेते हैं। ऐसी परिस्थितियों में विदेष रूप से उह स्वास्थ्यकारी आदतों सीखना लेता है। एसी परिस्थितियों में विदेष रूप से उह स्वास्थ्यकारी आदतों का सिखाना अध्यावकों का परम कर्त्तव्य हो जाता है। यदि बालक घर से हाथ-मुँह धोकर, नहाकर तथा नात साफ करके स्कूल नहीं आते हैं तो उनसे यह सब स्कूल भवन में उपलब्ध मुविधायों के

व्यक्तिगत एवं विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम (Personal & School health Prog.)

रूपरेखा

(प) व्यक्तिगत स्वास्थ्य — विषय प्रवेश, व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अथ एवं महत्व व्यक्तिगत स्वास्थ्य हेतु, शाला के काय, वैयक्तिक स्वच्छता के प्रशिक्षण व उनके स्तर, व्यक्तिगत स्वास्थ्य व व्यक्तिगत स्वच्छता विद्यालय में चिकित्सक परीक्षण निरंतर देखभाल का काय, भोजन, बीमारिया व उनके लक्षण व बचने के उपाय ।

(ब) विद्यालय स्वास्थ्य कायक्रम — विषय प्रवेश स्वास्थ्य कायक्रम के अग, स्कूल स्वास्थ्य संबंधी कायक्रम के उद्देश्य, स्वास्थ्य शिक्षा कायक्रम में प्रधाना ध्यापक व अध्यापक के कर्तव्य, सुधार हेतु सुझाव, उपस्थाट-मूल्यांकन ।]

विषय प्रवेश — स्वास्थ्य विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत ही विस्तृत है । इसके प्रत्यगत उन सभी विज्ञानों का समावेश हो जाता है जो बाल अवस्था से बृद्ध प्रवस्था तक मनुष्य को स्वस्थ जीवन प्रदान करने म लाभकारी सिद्ध होता है जैसे शरीर विज्ञान (फिजियोलॉजी) शरीर रचनाशास्त्र (एनोटोमी), रोग के लक्षण (सिम्प्टोम्स) क्रमण हमे स्वस्थ्य अवस्था म शरीर के विभिन्न अवयवों वी कार्य-प्रणाली, बालकों के स्वास्थ्य विज्ञान का ज्ञान तथा स्कूल के वच्चों मे साधारणत पढ़े जाने वाले रागों के लक्षणों से अवगत करवाते हैं । इनके बिना प्रारम्भिक परब, कारण तथा उनका निदान मुश्किल हो सकता है । अत प्रो ली केलोफोड ने—‘स्वास्थ्य शिक्षा के अंतात स्कूल और स्कूल के बाहरी अनुभव जो प्राप्त होते हैं जो व्यक्ति वग और समाज के स्वास्थ्य से सम्बंध रखने वाली ममस्त प्राप्ता, मनोवृत्तियों घोर ज्ञान को प्रभावित करते हैं ।’ परंतु इन सभी को प्रोग एवं अपरोक्ष रूप से विद्यालयी स्वास्थ्य कायक्रम को नहीं अद्वितु सामाजिक स्वास्थ्य शिक्षा तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य तक को प्रभावित किए वगं नहीं रह पाती क्योंकि इस शिक्षा मे भी व्यक्ति प्रधान है अत व्यक्तिगत स्वास्थ्य शिक्षा के बारे म छात्रों का अधिभावकों द्वारा शाला मे प्रविष्ट होने से पूर्व स्वास्थ्य अवृद्धि विज्ञान अनोपचारिकरूप से दी जाती है ।

थी मत्ती रे “विद्यालय के आरोग्यपूर्ण बातावरण के साथ व्यक्तिगत और सामाजिक स्वास्थ्य की आदतों के विकास करने की अनुशंसा की है क्योंकि व्यक्ति एवं स्वास्थ्य प्रावश्यक है । स्वास्थ्य शिक्षा के शोट दौर पर सीन उपभोग व्यक्तिगत

सामाजिक व विद्यालयी-स्वास्थ्य शिक्षा है।" व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखना बेल व्यक्तिगत हित का विषय नहीं अपितु प्रत्येक नागरिक का यह सामाजिक कर्तव्य है कि वह अपनी निजी और घर को तथा आस-पड़ोस की स्वच्छता में पूरा सहयोग दे। यदि सभी नागरिक व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखें तो सामाजिक स्वास्थ्य और स्वच्छता का उद्देश्य स्वत ही पूरा हो जाएगा। विद्यालय का यह उत्तरदायित्व है कि वह द्यात्रा को स्वच्छता और स्वास्थ्य के सामाय नियमों का नान कराए इनकी विधियों पर प्रकाश डाले तथा स्वस्थ्य और अस्वस्थ्यना को दूर करने के उपाया से परिचित कराए तथा द्यात्रों में अच्छी आदतों का निर्माण करवाने का सफल प्रयास करें।

व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ एवं महत्व

व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए शरीर के सम्पूर्ण धब्बयों की बनावट और उनके काय का नान भोजन जल और बायु का नान मुँह, दौत बाल त्वचा आंख नाखून आदि की स्वच्छता, विभिन्न अहुआ में पहिन जाने वाले वस्तों का नान व उनकी स्वच्छता, व्यायाम, यकान निद्रा विश्राम यकान को दूर करने के उपाय से तुलित शरीर भार, आसन, विभिन्न प्रकार के सक्रामक रोग तथा उनकी रोकथाम आदि का नान आवश्यक है। जिससे हमारे शरीर को कोइ रोग न लग कारी से ही बालक में अच्छी आदतों का निर्माण और स्वच्छता वी वृत्ति उत्तम होती है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य शरीर के बाहरी अग्रा की स्वच्छता वी वृत्ति उत्तम होती है जिसे भी उतना ही महत्व दें जितनी कि सामाजिक एवं सूखाना से आरोग्य को दी जाती है। व्यक्तिगत आरोग्य का सम्बंध मुख्य है स बाल-जीवन की दो तुराइयों से जोड़ा जा सकता है—नापरवाही तथा अस्वच्छता। इही तुराइयों के फलस्वरूप बालक कई तरह के रोगों से प्रक्षत हो जाते हैं।

बालकों वे अपेक्षित रोगों एवं व्याधियों के लिए जहाँ तक उनकी अपनी लाप रखाही तथा अस्वच्छ रहने की प्रकृति जिम्मेदार है वहा उनके अभिभावकों वी अविद्या एवं अज्ञान कुछ कम जिम्मेदार नहीं है। प्रमरण बालक विद्यालयों म प्रवेश करते समय अपेक्षित रोगों एवं दोषों से पीड़ित होत हैं जिह उनके माँ-बाप की तनिक-सी सावधानी से बचाया जा सकता था। अत वैयक्तिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में शिक्षकों का यह भी धम हा जाता है कि वे बालकों म स्वास्थ्य के प्रति जागृति उत्तम करने के साथ-साथ उनके अधिक्षित अभिभावकों के प्रशिक्षण के प्रति भी रुचि प्रदायित करें।

भारत जैसे देश म जहाँ अधिकार्य बालक निधन, अधिक्षित एवं गन्दी बस्तिय म रहने वाले परिवारों से सम्बंधित हैं वे अपने परिवार तथा आस-पास मे प्र

जाने ही अनेको ग्रस्वस्थ्य आदते सीख लेते हैं। ऐसी परिस्थितियों में विशेष रूप से उहें स्वास्थ्यकारी आदतों का सिखाया जाना शिक्षकों का पुनीत कर्तव्य है।

व्यक्तिगत स्वास्थ्य हेतु विद्यालय के कार्य

- 1 बालक में ऐसी आदतें ढाने जिससे वे प्राकृतिक आवश्यकताओं से निवृत होकर दैनिक काय में चुस्ती से लगे।
- 2 बालकों के समक्ष अनुकरणीय आदाश प्रस्तुत कर जिससे व्यसनों सबचा जाय।
- 3 चचा की सफाई की शिक्षा दी जाय।
- 4 बालकों को स्नान और उमड़े लाभों से अवगत कराया जाय।
- 5 नेत्रों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाय।
- 6 नाशुनों के अगल हिस्सा के नीचे मैल जमी रहती है जिससे रोगिले कीटाणु पलत रहते हैं प्रत उह उसकी सफाई के लिए सचेत करें।
- 7 बालों के कई प्रकार के रोगों से बचने हेतु उनकी सफाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालें।
- 8 जान की सफाई की आवश्यकता का बयान किया जाय।
- 9 दौत की सफाई न रखने पर रोग के कीटाणु पलप जाते हैं और भोजन के साथ शरीर के अंदर जाकर नुकसान करते हैं अत इसकी सफाई के बारे में व्यापक जान प्रदान किया जाना चाहिए।
- 10 वस्त्रों की सफाई के बारे में छात्रों का सचेत किया जाय। वस्त्र हमारे शरीर को गर्भी सर्दी और तेज वायु से रक्षा करता है। हल्के तथा कम वजनी वस्त्रों का पहनने हेतु उत्प्रेरित किए जाय।
- 11 विद्यालय-चिकित्सक द्वारा छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए। छात्रों व विभिन्न विभागों को उनके दोष दूर करने के उपाय बताये जाएं।
- 12 छात्रों को शारीरिक क्षमता व उम्र के अनुरूप व्यायाम कराया जाय।
- 13 पौष्टिक-भोजन करने व उनके गुणों पर प्रबाद डाला जाय। स्वादिष्ट भोजन का पौष्टिक होना जरूरी नहीं होता।
- 14 छात्रों को निद्रा की उपयुक्त परिस्थितियों का जान कराया जाय।
- 15 विद्यालय का बातावरण स्वास्थ्यबद्ध क हो।

व्यक्तिक स्वच्छता के प्रग्राहण व उनके स्तर

बालक की मनोवैज्ञानिक विकास की दस्ति से उनके जीवनकाल को तीन एक स्तर (Stages) में विभाजित किया जा सकता है —

- 1 जब बालक में तक शक्ति का अभाव होता है,
- 2 जब बालक सामाजिक मायता (Social approval) तथा प्रशঁধা (Appreciation) का इच्छुक होता है, तथा
- 3 जब बालक में स्वाभिमान की भावना जागृत हो जाती है।

इन तीनों स्तरों के बीच दोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। शिक्षक को अपने अनुभव के आधार पर यह चाहिए कि बालक किस समय किस स्तर पर है तभी वह स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कायक्रम की ठीक ढग से योजना बना सके।

प्रथम स्तर पर अभ्यास एवं अनुकरण द्वारा ही स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए। रूमाल का प्रयोग दातों की सफाई, समय पर सोना, उठना, शौच जाना तथा भोजन करना, यह सब बातें उसे निरंतर अभ्यास द्वारा ही सिखाई जानी चाहिए। इस स्तर पर अभ्यास की प्रमुखता के कारण इस ट्रिल और अभ्यास स्तर (Practice Stage) भी कहने हैं।

द्वितीय स्तर पर बालकों में स्वस्थ ढग से रहने की आदत का विकास करने में स्कूल-भवन की स्वच्छता, नियमितता (Orderliness) व्यवस्था द्वारा अधिक महत्व रखते हैं। बालकों द्वारा की गई भूला पर शर्मिदा नहीं करना चाहिए बल्कि सफलताओं पर प्रशंसा की जाय।

इस अवस्था के बाद बालक कुछ बढ़ा हो जाता है। वह जान-बूझकर ऐसे काय करता है जो उसे दूसरों की दृष्टि में ऊँचा उठासके तथा उस सम्मान एवं मायता प्रदान करा सकें। विशेष रूप से वह अपने अभिभावकों व बड़े भाइ वहनों तथा शिक्षकों द्वारा अपनी सफलता पर प्रशंसा को आशा रखता है। इस स्तर पर शिक्षक को बालकों के सामने अपना आदर्श उपस्थिति करना चाहिए जिससे वे अनुकरण द्वारा अच्छी आदतें सीख सकें। यात्रों में स्पर्धा व चिह्नों के लिए उत्तररित करना चाहिए और उत्साह बढ़ाने का सफल प्रयास भी।

तृतीय स्तर पर बालक की ताकिंक बुढ़ि का पूरा विकास हो जाता है। वह अध्ययन के आधार पर अपना एक आदर्श बना लेता है और उसी के अनुसार काय करने में आत्म मत्तूप का अनुभव करता है। इस समय उसे किसी की प्रशंसा एवं बुराई की कोई परवाह नहीं होती है। इस स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा ऐसी हानी चाहिए जो तक संगत हो जिससे बालक उसकी अच्छाई या बुराई को समझ कर उस पर अप्रल बर सके।

व्यक्तिगत स्वास्थ्य व व्यक्तिगत स्वच्छता

(Personal health & Personal Cleanliness)

हमारे विद्यालयों में प्रधिकाश बालक निधन, प्रतिविहार एवं गदी बस्तियों में रहने वाले परिवारों से सम्बंधित है व अपने परिवार तथा पास पड़ोस में अनजाने ही अनेकों अस्वस्थ्य आदतें सीख लते हैं। ऐसी परिस्थितियों में विशेष रूप से उह स्वास्थ्यकारी आदतों का सिखाना अध्यापकों का परम कर्तव्य हो जाता है। यदि बालक घर से हाय-मुँह धोकर नहाकर तथा दौत साफ करके स्कूल नहीं आते हैं तो उनसे यह सब स्कूल भवन में उपलब्ध सुविधाओं के

अतगत शिक्षकों को देख रख मेरे कराया जाना चाहिए। स्कूल कायद्रम मेरे दत्तिक स्वच्छता निरीक्षण तथा छोटी कायामो मेरे स्वास्थ्यकारी कृत्यों जैसे दात साफ करना खाना खाने से पहिले हाथ-मुँह धोना तथा बाद मेरे कुल्ला करना आदि की नियमित ड्रिल (प्रभ्यास) निश्चित रूप से बालकों मेरे स्वस्थ जादतों के विकास मेरे सहायक सिद्ध होते हैं।

बालकों के बत्तमान व भविष्य के जीवन को सुखी बनाने के लिए शरीर का स्वास्थ्य और शक्तिशाली होना भी अत्यंत आवश्यक है उसके लिए अध्यापकों का यह दायित्व है कि वे बालकों मेरे स्वास्थ्य के प्रति जागृति उत्तर न करने के साथ साथ उनके प्रशिक्षित प्रभिभावकों को भी प्रशिक्षण के प्रति रुचि प्रदर्शित करें। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता (Personal Cleanliness) आवश्यक है जिसका क्षेत्र है— 1. सूर्य स्नान (Sun Bathing), 2. हाथ मुँह धोना (Washing), 3. त्वचा वा स्वास्थ्य एवं स्नान (Care of Skin and Bathing), 4. बालों, उगलियों नाखूनों, दाँतों, नाक नेत्र तथा गले की सफाई, तथा 5. वस्त्रों एवं जूतों की उपयुक्तता एवं सफाई।

विद्यालय मेरे चिकित्सक-परीक्षण

हमारे देश मेरे शिक्षा संस्थाओं मेरे इस पहलू की ओर भी कम ध्यान दिया गया है। हमारे विचार मेरे एक प्रतिशत से अधिक ऐसे विद्यालय नहीं हैं जहाँ पर पूर्ण रूप से चिकित्सक परीक्षण की व्यवस्था हो। प्राय, यह देखा गया है कि छात्रों की ऊँचाई, कद, वक्ष का फूलना, जादि नापकर स तुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से इस बात का बाढ़म्बर रचा जाता है कि विद्यार्थियों की स्वास्थ्य परीक्षा होई है। वास्तव मेरे डॉक्टरी परीक्षण होता ही नहीं। स्कूलों के प्रधान व अधिकारी इस विषय मेरे अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते। सभी छान-छानाएँ इस विषय से सम्बंधी शुल्क देते हैं परंतु इस दिशा मेरे उह मिलता कुछ भी नहीं। डॉक्टरी परीक्षण बिल्कुल ही प्रभावहीन है। जबकि इसी के आधार पर बालकों के विभिन्न ग्रों के बारे मेरे पता चल जाता है कि वे ठीक ढग से विकृत हो रहे हैं या नहीं। जहाँ प्रतिनिधि डॉक्टर ग्राने की व्यवस्था न हो सके तो दैनिक स्वास्थ्य निरीक्षण अध्यापक द्वारा सम्पादन हो।

चिकित्सक परीक्षण उद्देश्य

1. विद्यालय मेरे प्रवेश से पूर्व भिन्न रोगों के बारे मेरे निदान उपचार दोनों करना।
2. विकास होने मेरे जो दोष हो उनका पता लगाना और उपचार करना।
3. माद बुद्धि के बालकों का पता लगाना और अलग से कक्षा की व्यवस्था बरतना।

- 4 डॉक्टरी जांच प्रतिवेदन अभिभावका द्वारा प्रबलोकन करने से बालकों के स्वास्थ्य का मालूम पड़ जाता है।
- 5 बालकों में छुट की बीमारी का मालूम होने से अब द्यात्रा से अतग रखने की व्यवस्था सम्भव।
- 6 डॉक्टरी जांच से अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य के महत्व को समझने हैं।
- 7 प्रत्येक बालक भी और समुचित ध्यान दिया जा सकता है और सफल प्रयास किया जा सकता है कि प्रत्येक बालक का स्वास्थ्य ठीक रहे।

डॉक्टरी जांच को प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव

- 1 डॉक्टरी-परीक्षण सुयोग्य और प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा हो।
- 2 विद्यार्थिया के स्वास्थ्य की पूष्णरूपेणा जांच हो।
- 3 बीमार द्यात्रों को विशेषज्ञ के पास भेजा जाय।
- 4 बीमार हुए द्यात्रा की वय में तीन-चार बार परीक्षण हो।
- 5 परीक्षण के पश्चात् उसके परामर्श का मूल्यांकन हो।
- 6 सक्रामक रोग से पीड़ित द्यात्रा का तुरत अस्पताल भेजा जाय।
- 7 जांच-प्रतिवेदन अभिभावकों को भेजा जाय।
- 8 द्यात्रा वास में दवाखाना हा जहा डॉक्टर प्रतिदिन वहाँ सेवाएँ दे।
- 9 सक्रामक रोग फैलने वी आशका में टीका लगवा देता चाहिए।
- 10 स्वास्थ्य निर्देश समय समय पर प्रदान किए जाय।

निरन्तर देख-भाल का काय (Follow-up work)

स्कूलों में डॉक्टरों परीक्षण के पश्चात निरंतर देखभाल का काय चलते रहना चाहिए। यदि इस प्रकार का काय स्कूल के स्थाइ कायक्रम का भाग नहीं तो डॉक्टरी परीक्षण बेकार होगा। विद्यालय भ्रमने गई गोण विकास के उद्देश्य में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक बालकों के स्वास्थ्य की ओर सदृश जागरूक नहीं होगा। इसलिये प्रत्यक्ष विद्यालय में स्वास्थ्य निरीक्षण के प्रबंध पर साथ-साथ इस प्रबंध का एक चिकित्सा कक्ष भी होना चाहिए जहाँ समय प्रमय पर विद्यार्थी चिकित्सक से परामर्श ले सके अथवा उनका निरीक्षण हो सके। शिश्य विभाग द्वारा नियुक्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी हो जो शिक्षण संस्थानों के स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार हो। सरकार को बजट में प्रावधान इसके खंड हतु करना चाहिए।

भोजन (Food)

शारीरिक विकास और स्वास्थ्यता के लिये भाजन प्राप्त करना उतना ही मान्यक है जितना कि मशीन को चालाने के लिये उसमें तेल और ग्रीम की जरूरत पड़ती है। बगर भोजन हमारी शक्ति खोणे हो जाती है और हम बाम करने के योग्य नहीं रहत। भाजन से हमारे शरीर का ताप बढ़ा रहता है। नया रक्त

13 वय के बच्चों व 18 वय तक के किशोर-किशोरिया के लिये
कैलोरीज व पोषक सत्त्वा का विवरण (ICMR)

उम्र	कैलोरीज kcal	प्रोटीन gms		दालशियम ग्राम		विटामिन c मिलीग्राम		विटामिन E मिलीग्राम		विटामिन A मिलीग्राम		विटामिन D ² IU	
		प्रोटीन ग्राम	दालशियम ग्राम	विटामिन c मिलीग्राम	विटामिन E मिलीग्राम	विटामिन A मिलीग्राम	विटामिन D ² IU						
13 से 15 वय लड़के	2500	55	0.6	25	750	3000	1.3	1.4	1.7	30	50	0.5	00
लड़कियाँ	2200	50	0.7	35	"	"	1.1	1.2	1.4	50	100	10	10
16 से 18 वय लड़के	3000	60	0.5	25	"	"	1.5	1.7	2.1	"	"	"	10
लड़कियाँ	2200	50	0.6	35	"	"	1.1	1.2	1.4	"	"	"	10

सक्रामण रोग

बालकों को सक्रामण रोगों की दूरता से बचाने के लिए शाला को उन परिस्थितियों का ज्ञान होना चाहिए जो सक्रामण रोगों के फलाते हैं जैसे स्वच्छ वायु का प्रभाव, कमरों में सीलन, प्रसातुलित भोजन, अधिक भीड़ व अनुपयुक्त शाला व्यवस्था, अधिकाम (Over work) आदि। दूरता एक द्वारा से दूसरे द्वारा द्वारा जीवाणुओं वो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक ले जाते हैं।

रोगों से बचाने के सम्बन्ध में शिक्षक के कर्तव्य

सक्रामण रोगों द्वारा स्वस्थ बालकों को प्रभावित होने से बचाने के सम्बन्ध में रोगों वालकों के प्रति शिक्षकों को चाहिए कि वह-सूचना (Notification), बहिष्कार (Exclusion), प्रयत्नकरण (Isolation), संग्रहण (Quarantine), निष्प्रक्रमण (Disinfection) प्रतिरक्षण (Immunisation) जैसे कार्यों को प्रभावशाली ढंग से सम्पन्न करें।

बालकों में होने वाले सामान्य जीवाणु-जन्य रोग

शारीरिक अवरोध (Resistance of the body) व्यक्ति की आयु से साथ साथ बढ़ता है बालकों में बड़ों की मपेक्षा कम शारीरिक अवरोध होता है। अत उनके सम्बन्ध में रोगों से रक्षा के विषय में अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। पराथर्मी जीवों (Parasites) द्वारा बालकों में होने वाले रोगों की निम्नलिखित वर्गों में बाटा जा सकता है -

(1) तीव्र सक्रामण-ज्वर (Acute Infectious Fever) खसरा जमन खसरा, लाल ज्वर, डिप्टीरिया चेचक, कण फेर, कुक्कर खींसी पचिस, हैजा तथा मलेरिया आदि।

(2) दीघकालीन सक्रामण रोग (Chronic Germ Diseases) — क्षय (Tuberculosis) तथा गठिया (Rheumatism) आते हैं।

(3) छोटे माने श्वसन सम्बन्धी रोग (Minor Respiratory Diseases) यौंसन एडोनाइडज, ब्रो काइटिस, गुला खराब होना, इफ्लूएंजा, निमोनिया तथा व्यायन की सूजन इस वर्ग के प्रमुख रोग हैं।

(4) संसर्गेज रोग (Contagious Diseases) — ये रोग प्राय रोगी को अब तिए जान से लग जाते हैं। रोगी के स्पष्ट के कारण सक्रमण लगने के कारण हैं। यह स्वस्थाक्रामण अथवा संसर्गज रोगों की सज्जा दी गई है। इस वर्ग में दाद, दादी इम्पेटिना तथा त्वचा सम्बन्धी ग्रय रोग सम्मिलित किए जा सकते हैं।

विज्ञान तथा मानव शरीर नामक विषय हाई स्कूल तक अनिवाय रूप से पढ़ाया जाता था। इसके तात्पर्य को विस्तार से समझने के लिए शारीरिक क्रियाएँ, खेल-कूद पीटी प्रादि का सम्मिलित किया है।

स्कूल स्वास्थ्य-सेवा कार्यक्रम के उद्देश्य -

विद्यालय के सम्पूर्ण शैक्षिक कायक्रम के अत्तमत तथा विद्यार्थी सेवा कायक्रम के रूप में स्वास्थ्य कायक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं —

(1) शिक्षकों को बालकों की सामान्य डाक्टरी जांच के लिये प्रशिक्षित करना।

(2) निधन और जरूरतम् द बालकों के लिए पौष्टिक भाजन की व्यवस्था करना जिससे शिक्षा का पूरण लाभ उठा सके।

(3) बालकों को रोगों के कारण लक्षण तथा रोकथाम के लिए साधान-नियों की शिक्षा देना जिससे वे रोग से बच सकें।

(4) बालकों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य के नियमों का ज्ञान देना तथा उनके द्वारा पालन किए जाने पर बत देना।

(5) बालकों के स्वास्थ्य की ध्यानामां जांच की व्यवस्था करना।

(6) बालकों के रोगों व दोषों को यथा साध्य चिकित्सा करना अथवा उनके अभिभावकों को उचित सम्बिधान सलाह देना जिससे बालक शिक्षा प्रहण करने योग्य हो सकें।

(6) बालकों की सामर्थ्य के अनुसार शैक्षिक कायक्रमों में हेरफेर की सलाह देना।

(8) गिरकान के लिए स्वास्थ्य शिक्षा एवं शरीर विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(9) स्कूल की सफाई एवं व्यवस्था के सम्बन्ध में बालकों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सलाह देना।

(10) समाज स्वास्थ्य सेवा का प्रयोजन करना।

(11) छात्राओं वी सम्पूर्ण स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्भाव्य क्षमता का मूल्यांकन वरने के साधन उपलब्ध कराना।

(12) अभिभावकों, शिक्षकों तथा प्रशासनिकों को छात्र-स्वास्थ्य में आवश्यक भागदान एवं निर्देशन उपलब्ध कराना जिससे स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रयोगित कायकावाही का जा सके तथा कायक्रम वा उचित समझन सम्भव हो।

स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक का उत्तरदायित्व -

(Duties of Headmaster)

(1) पार्श्वरिक शिक्षा प्रधानाध्यापक विद्यालय डाक्टर एवं नस, मानविक स्वास्थ्य विज्ञान में गमन यथा स्थापित वरे।

(2) अध्यापकों को उपयुक्त सामग्री प्रदान करने की व्यवस्था करें।

(3) सामग्रिक स्वास्थ्य पर्यवेक्षण कराये तथा सकामण रोगों को विद्यालय में फलन न दे।

(4) अभिभावकों व समाज को विश्वास में लेकर उनसे सहयोग प्राप्त करें।

(5) सावजनिक स्वास्थ्य विभाग व समाज के विभिन्न साधनों का उपयोग करें।

(6) सुस्त व बीमार छात्रों की जाच करवाकर उपचार की व्यवस्था करें।

(7) पर के भोजन तथा स्कूल के दोपहरी भोजन को सन्तुलित बनाने की योजना करें।

शिक्षकों के कर्तव्य (Duties of Teachers) —

- 1 छात्रों के सम्मुख व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा स्वस्थ्य ढग से रहने का सजीव प्रादान उपस्थित करना।
- 2 दिनिक निरीक्षण करना तथा सशयात्मक छात्रों को चिकित्सक के पास भेजना तथा उसे स्कूल से छुट्टी देना।
- 3 व्यक्तिगत स्वच्छता वा अवलोकन करना।
- 4 दोपहर के भोजन के समय स्वस्थ्य-आदतों का निरीक्षण करना।
- 5 स्कूल-सफाई एवं अप्रयोग स्वास्थ्य सम्बंधी आवश्यकताओं पर नजर रखना।
- 6 स्कूल चिकित्सक की नियमित (routine) स्वास्थ्य परीक्षण के समय सहायता करना।
- 7 अपने से सम्बंधित छानाओं के अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित करना तथा उन्हें घरा की सफाई आदि के बारे में सुझाव देना। सदमावता के प्राधार पर पारिवारिक स्वास्थ्य की समस्याओं का हल निकालने का प्रयत्न करना।

हमारे विद्यालय तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम की क्रियान्विति

अब उपयुक्त विदुओं की क्रियान्विति हेतु हम वर्तमान में विद्यालयों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किये जा रहे क्रियाकलापों का आकलन करना प्रनुभित न होगा। यदि हमारे देश में स्वास्थ्य सेवा अभी भी उपेक्षित है। बहुत सी शालाओं में इनके लिए कोई स्थान नहीं है। डाक्टरों जाच के नाम पर छात्रों की ऊँचाई, वजन, वक्ष स्थल माप, आदि औपचारिक रूप से, सत्र में प्रायः एक बार सम्पन्न होता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा-बोड़ द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य की दिशा में सीमित, परंतु व्यवस्थित प्रयास किया गया परंतु यह भी सब विद्यालयों द्वारा आवश्यक नहीं किया जा रहा है। हमारे यहां विद्यालयों के विद्यार्थियों को विद्यालयों द्वारा स्वास्थ्य कार्यक्रम के महत्व को सम्माने द्वारा प्रभावशाली क्रियान्वित करने का सफल प्रयास वाढ़ाया जा रहा है।

स्वास्थ्य एवं शारीरिक क्रियाओं व कार्यक्रमों की व्यवस्था हेतु ध्यान देने योग्य बातें -

इन क्रियाओं व कायक्रमों के उपयुक्त चुनाव के साथ-साथ उनकी प्रभावी व्यवस्था एवं संगठन भी आवश्यक है। इस दृष्टि से निम्नान्ति विन्दुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए-

(1) समयावधि—विभिन्न क्रियाओं एवं छात्रों की क्षमता के अनुसूची इनकी समयावधि निर्धारित की जानी चाहिए।

(2) समय विभाग चक्र—विद्यालय के सभी छात्रों का इन क्रियाओं में उनकी व्यवहार के अनुकूल सहभागत्व (Participation) हो तथा वे नियमित एवं व्यवस्थित हों, इसके लिए उपयुक्त समय-विभाग-चक्र बनाना चाहिए।

(3) उपलब्ध भौतिक सासाधन—खेल के मदार या स्थान विभिन्न उपकरण तथा साज सज्जा की वस्तुएँ जो विद्यालय में उपलब्ध हों, उन्हें दर्पणित रखने हुए इनका आयोजन किया जाना चाहिए।

(4) प्रभारी अध्यापक—विभिन्न कायक्रमों एवं क्रियाओं में दक्ष प्रधायापक ही छात्रों के मानदण्डन एवं प्रगतिशूल हेतु प्रभारी बनाये जाने चाहिए।

(5) परिवीक्षण एवं मूल्यांकन—इन क्रियाओं के नियमित व्यवस्थित एवं प्रभावी रूप से सचालन हेतु प्रधानाध्यापक या अप्प वरिष्ठ प्रधायापक प्रधावा शारीरिक शिक्षा अध्यापक द्वारा परिवीक्षण (Supervision) तथा मूल्यांकन (Evaluation) भी किया जाना चाहिए जिससे इनमें सुधार व परिस्कार लाया जा सके और उन्हें छात्रों के लिये उपयोगी बनाया जा सके।

स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में सुधार हेतु सुझाव -

(Suggestions for Improvement-School health Programme)

- 1 स्वास्थ्य-परीक्षणों के पश्चात् रोगों के उपचार पर जोर दे।
- 2 बालक के स्वास्थ्य सम्बंधी इतिहास, शिखाएँ प्रतिवेदन को परीक्षण के अवसर पर दृष्टि में रखें।
- 3 डाकटरों परीक्षण पूर्णरूप से हो।
- 4 स्वास्थ्य सलाहकार सेवा की समुचित व्यवस्था हो।
- 5 डाकटरों के सुभावों की क्रियावित हृषि देने के लिए अभिभावकों से मिलकर व्यवस्था बरतन का सफल प्रयास कर।
- 6 स्वास्थ्य सेवा के निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर ही मूल्यांकन हो।
- 7 वर्ष से वर्ष एक प्रधायापक स्वास्थ्य शिक्षा में प्रशिक्षित हो।
- 8 स्वास्थ्य-समस्या व उनके समाधान हेतु स्वास्थ्य समिति का गठन हो।
- 9 शाना में स्वास्थ्य कायक्रम को प्रमावदाली ढग से क्रियावित बरतन हेतु

सफाई समिति, मध्यकालीन भोजन समिति, सुरक्षा समिति भनोरजन-समिति तथा खेल कूद समिति का गठन किया जाय।

10 शाता पोजना म इस कायक्रम का समावान जवाह्य हो।

उपसहार-

व्यक्तिगत स्वास्थ्य का प्रभाव परोक्ष व अपरोक्ष रूप से समाज पर पड़ता ही है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य हतु शाता के द्वारा कायक्रम का नियोजन उत्तरा चाहिए। उह स्वच्छता हतु भिन्न-भिन्न उम्र पर प्रशिक्षण दिया जाय। शिशु के लिए चिकित्सक द्वारा पूरण रूप से परीणत व उपचार काय अभिभावकों के सहयोग से सम्पन्न करना चाहिए। बालकों को सातुरित भाजन के बारे म संशयोग को सबत रहने की आवश्यकता है। बोठारी शिक्षा प्रायोग (1964-66) के अधिकार म भी विद्यालय स्वास्थ्य सवान्ना स सम्बन्धित प्रकाश डाला है। प्रायोग ने शीघ्रता रेतुका डे को अध्यक्षता म गठित विद्यालय स्वास्थ्य समिति की अनु-उम्मीदों को स्वीकारा है। शिक्षा विभाग ने भी समय समय पर दोषहरी भोजन विकास पर जल, विद्यालय सजावट ग्रादि पर प्रभावगाली ढग से काय करने हेतु अध्यायन प्रसारित किये हैं। विभाग ने विद्यालय म कायरत प्रधान व अध्यापकों ने ध्यान इस प्रोत्तर मार्फति कर स्पष्ट किया है कि विद्यालय म स्वास्थ्य सेवा अधिकार का ग्रिया व्यवन करवाना उनका नेतृत्व व पार्मिक उत्तरदायित्व है। प्राय रत्नावल्यक उत्तरदायित्व के दबाव के रहने पर भी इनके लिए विद्यालय स्वास्थ्य विकास का विस्तर करके फेंक देना ध्यान नहीं देना चाय सगत नहीं है अत और गम्भीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए।

□ □ □

मूल्यांकन (Evaluation)

(अ) लघुतरात्मक प्रश्न (Short Answer type Questions)

1 व्यक्तिगत सफाई के नियोक्षण म किन बातों पर ध्यान दना चाहिये। (बी एड 1983)

2 विद्यालय स्वास्थ्य सेवा से क्या-क्या उद्देश्य होते हैं। (बी एड 1982)

3 भव्य विद्याविद्या द्वारा विद्यालय को सफाई बनाए रखने के लिए क्या किया जा सकता है? (बी एड पत्राचार 1982)

4 एक अध्यापक के नाते आप ऐसे विद्यार्थी को जिसकी डाकटी रिपोर्ट निकट हस्त बतलाइ है किस प्रकार सहायता देग। (बी एड 1978)

(ब) लंबात्मक प्रश्न (Essay type Questions)

1 व्यक्तिगत तथा विद्यालय स्वास्थ्य कायक्रम पर टिप्पणी कीजिये। (बी एड पत्राचार 1985)

- 2 बो ०४ पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा के समावेश के प्रोचित्य को प्राप्तोचना त्मक समीक्षा कीजिये । (बी एड 1983)
- 3 उन सकारात्मक बीमारियों का उल्लेख कीजिये जो सामान्यतः स्कूली बच्चों में देखने को मिलती है । इनमें से कि ही दो के लक्षणों को बताइये तथा यह भी बताइये कि स्कूल उनके रोकथाम के लिये बैठन से पूर्वापाय कर सकता है । (बी एड 1983)
- 4 मध्य अवकाश भोजन, कैटीन सेवायें तथा टिफिन सेवायें एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं ? किन परिस्थितियों में एक की प्रपत्ता दूसरे को वरीयता देनी चाहिए ? (बी एड 1983)
- 5 व्यक्तिगत तथा विद्यालय सफाई का निरीक्षण क्यों आवश्यक है ? इस प्रकार के निरीक्षण में किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए । (बी एड 1982)
- 6 विद्यालय स्वास्थ्य पर्यवेक्षण तथा सेवा कायक्रम में किन क्रियाओं का समावेश होना चाहिए ? इनका किस प्रकार संगठित किया जाना चाहिए । (बी एड 1981)
- 7 आपके विद्यालय में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण का क्या प्रबंध है ? उससे वास्तविक प्रभावी सुधार के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हों ? (बी एड 1979)

जनसंख्या-शिक्षा

(Population Education)

अध्याय 22

[विषय प्रवेश, जनसंख्या शिक्षा का प्रथ, जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य जन-संख्या शिक्षा की प्रावश्यकता एवं महत्व, भारत में जनसंख्या शिक्षा सम्बंधी पारण शिक्षण हेतु, जनसंख्या शिक्षा का पाठ्यक्रम व क्रियाविधि, जनसंख्या शिक्षा की प्रगति हेतु व्यवहारिक कारक शाला प्रधानक व छात्र, उपसंहार मूल्यांकन]

जनसंख्या विस्फोट प्राज्ञ विश्व की सबसे जबल त समस्या है। हमारी अनेकों समस्याएँ जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। जनसंख्या को नियन्त्रित करने हेतु परिवार कल्याण कायक्रम तथा व्यस्कों के लिए प्रायः कायक्रमों का प्रयोग सफलता नहीं मिल सकी है। इसी कारण यह प्रावश्यक हो गया है कि द्यात्र जनसंख्या के प्रति सही दृष्टिकोण प्रपनामे हुए व्यस्क होने पर जनसंख्या सम्बन्धी सही निर्णय लेकर देश की जनसंख्या नीति के अनुसार कनव्य पालन कर सकें। इस बात को ध्यान म रखने हुए एशिया के अधिकार देश जैसे थीलंड, फिलिपाई स, ए डोनेशिंग मलेशिया, कोरिया आईलैण्ड बाहिं ने राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा प्रायोजनाएँ प्रारम्भ की हैं। इसी परिवेद्य मे भारत ने भी 1979 से राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा प्रायोजना को प्रारम्भ किया है क्योंकि निम्नावित तथ्य देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्परिणाम प्रबंध करते हैं —

- 1 भारत म प्रत्येक ढड सप्ताह म एक बच्च का जन्म होता है।
- 2 विश्व म प्रत्येक सातवां व्यक्ति भारतीय है।
- 3 भारतवर्ष की जनवादी म प्रतिवर्ष 1 करोड 10 लाख लोगों की वृद्धि हो रही है यथा एआस्ट्रेलिया जुड़ रहा है।
- 4 बतमान वृद्धि दर लगभग 2.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिस्साव स 30 वर्ष म जनसंख्या दुगुनी हो जावगी।
- 5 स्कूलीवास के पश्चात स 1981 तर भारत म साक्षात् जनसंख्या का प्रतिवर्ष दुगुना हो गया है यथापि उस समय तक निरीक्षकों की कुल संख्या भी बढ़कर लगभग 30 बराबर स 38.60 करोड हो गई।
- 6 भारतीय जनसंख्या का मध्यमान आयु (Mean age) 49 वर्ष है।
- 7 भारत म जनसंघ प्रतिहजार व्यक्ति के पीछे 38.8 है, जबकि इंडिया म 16, पौस म 18 तथा जमनी म 17 है।
- 8 भारत म प्रति व्यक्ति की औषिक जन्म 89 दातर है जबकि प्रयोरिका म 2697 दातर है।

9 पिछव की 2 लूपी नारेन म जरवरि विद्युत की जनसंख्या का 14% है।
 10 मारगत जम प्रजातीयित्व दण्डम 11 पाला का बदावा य सामाजिक प्रायाध वड रहा है। उपरोक्त तर तो ना प्रभालान करने पर यह अनुभव कर गयत है कि जन संख्या त्रुटि हमारे तर का राष्ट्रीय समस्या है और आज इसन एवं सम्भीर स्व धारण कर रिया है। जन संख्या का बढ़ना हुआ रूप लाज राष्ट्रीय जीवन के हार पहुँच पर गहरा प्रभाव डान रहा है। इसम राष्ट्र की प्रति व्यक्ति प्राप्ति उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार प्रतिवर्ग त्रुटि के लिए भारत को 1 लाख 12 हजार विद्यालय 3 लाख 30 हजार यथावर 22 लाख मकान 16 लाख मीटर कपड़ा 1 करोड़ 11 लाख 41 हजार मनाज और 40 हजार नोकरिया की आवश्यकता पड़े गी।

देश की बढ़ी हुई जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति के बारण प्रधानमंत्री, निकायिक एवं योजनाकार वडे चिनित है। जनसंख्या की बढ़ी हुई स्थिति पर नियन्त्रण करने के लिए लाज जनसंख्या प्राधारित शिक्षण की प्रत्ययिक आवश्यकता है क्योंकि मानवम के विचारणारा के अनुसार यह जनसंख्या को प्रबन्ध किये बिना यह ज्योमिति प्रतिया स बढ़ती है जैसे धन चक्रवर्ती व्याज के समान जबकि जावश्यक प्रावृद्धकनामा को वस्तुएँ अक्षणित के अनुपात म ही। ऐसी स्थिति म हम चाह जिन्होंने प्रगति शिक्षा, तकनीकी, उद्योग म वया न करते हुम अनुपात मे नाम नही मिन पायगा जिस अनुपात म हम चाहत है। सारांश म कह सकते हैं कि जनसंख्या विस्फोटक हमारे देश के लिए अभियावहा हा गया है जिन्हें लिए सम्भव थी सभी योजनाओं जैसे धन चक्रवर्ती का वरोकि नियन्त्रण कर बढ़ी हुई जनसंख्या, गुणात्मक उत्तरत की समस्त योजनाओं का जड़ खानवी हुई जान पड़ती है। अत देश के सभी क्षेत्रों के विफल कर दिया है। इसी हृष्टि से अगस्त 1969 को जिला मन्त्रिया, शिक्षा-सचिवो, समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के प्रतिनिधिया का बद्वई म राष्ट्रीय परिवर्ची प्रायोजित हुई। इस परिचयो म जनसंख्या शिक्षा को विद्यालयो एवं शिक्षक लागू किया जाय निम्न दो निषय लिये गए—

- (i) सभी स्तर की शिक्षा मे जनसंख्या की सम्बन्धित (Integral) रूप दिया जावे।
- (ii) जन संख्या शिक्षा स बानक यह समझ सके कि परिवार के प्राकार वो नियम व्रत रखा जा सकता है और जनसंख्या वो सीमित करने पर राष्ट्रीय जीवन को प्रधिक उत्तर व सम्पन्न किया जा सकता है। छोटा परिवार भीतिक जावश्यकताओं की पूर्ति म ज्यादा सहायक हो सकता है।

जनसंख्या शिक्षा का प्रभिप्राप्त बढ़ी हुई जनसंख्या के प्रति जागरूकता पदा करते हुए विवक्त मुक्त व्यवहारो का विवास करना है जिससे व्यक्ति, परिवार,

समुदाय, राष्ट्र और विश्व के परिवेश में सोचता हुआ उनके जीवन की प्राप्ति कर सके।

जनसंख्या शिक्षा का अर्थ

यद्यपि जनसंख्या शिक्षा की धारणा अभी प्रविहसित भवस्या में ही है। कुछ वर्षों पूर्व इस धारणा को व्यक्त करने के लिए 'योन शिक्षा', "पारिवारिक जीवन की शिक्षा" आदि ग्रन्थों का प्रयोग किया जाता था। 1962 में 'जनसंख्या शिक्षा' शब्द का सृजन हुआ और आय शब्दों की अपक्षा उसे उपयुक्त बताया गया। कुछ विद्वान् जनसंख्या शिक्षा के स्थान पर 'जनसंख्या जागृति' शब्द के प्रयोग को भी प्रधिक मानते हैं। सधेप में वहाँ जा सकता है कि जनसंख्या शिक्षा एक योन शिक्षा रहित शंक्षणिक कायक्रम है, जिसमें परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का व्यव्ययन किया जाता है। इस अध्ययन का उद्देश्य छाना में इस स्थिति के प्रति विवेकपूर्ण उत्तरदायित्व पूर्ण इक्टिकोण एवं व्यवहार का विकास करना है।

जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि के परिणाम स्वरूप मानव-जीवन के सामाजिक प्रायिक राजनीतिक तथा सास्कृतिक पक्षों पर पड़ने वाले कुप्रभावों के प्रति जागरूक एवं सम्बद्ध समाधानों के विषय में वैचारिक क्रान्ति की शैक्षिक व्यवस्था ही जनसंख्या शिक्षा है।

यूनेस्को के वैकाफ (थाईलैण्ड) स्थिति धनिय कार्यालय के तत्त्वाधान में प्रायोजित सितम्बर 1970 में जनसंख्या तथा पारिवारिक जीवन-शिक्षा पर एशिया देशों की समेटी में जनसंख्या शिक्षा की निम्न परिभाषा की है—

"द्वात्रों में जनसंख्या के प्रति उचित इक्टिकोण उत्तरदायित्व अभिवृति तथा व्यवहारों का विकास करने की इक्टि से ऐसे शक्तिकूल कायक्रम ही जनसंख्या शिक्षा है जो परिवार, समुदाय राष्ट्र तथा विश्व की जनसंख्या की स्थिति का ज्ञान कराते हैं।"

'जनसंख्या शिक्षा' एक शक्तिकूल कायक्रम है जो कि परिवार समुदाय राष्ट्र तथा विश्व की जनसंख्या स्थिति के प्रति तक सम्मत एवं उत्तरदायित्व पूर्ण अभिवृत्तियों का विकास करना है।'¹

विश्व जनसंख्या संदर्भ व्यूरो (World Population Reference Bureau) ने भा. जनसंख्या शिक्षा के संदर्भ में कहा है— जनसंख्या शिक्षा परिवार समुदाय राष्ट्र तथा विश्व की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तनों परिणाम तथा उनके मुधार हेतु गहन सावधानिक तथा क्रियात्मक शिक्षा वह शैक्षिक कायक्रम है जिसके द्वारा, जनसंख्या विस्कोट के व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक तथा वातावरण जारी

¹ UNESCO work shop on Population & Family Planning (P/34)

प्रभावा का अध्ययन किया जाता है, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तनों, स्थानान्तरणों, केंद्रीकरण तथा वितरण का अध्ययन किया जाता है, जनसंख्या वृद्धि सम्बन्धित समस्याओं तथा उनके निराकरणात्मक उपायों से अवगत कराया जाता है, तथा आगामी एक या दो शतक में बनने वाले माता-पिताओं को माता-पिता के रूप में सफलतापूर्वक एवं समुचित उत्तरदायित्व निभाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।¹

इसी सफलत्वना को उद्देश्यों की दृष्टि से परिभासित करते हुए 1960 में सम्बूद्धि में आयोजित जनसंख्या शिक्षा की राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी (National Seminar) के प्रतिवेदन में कहा गया है कि "जनसंख्या शिक्षा विद्यायियों को यह समझने योग्य बनाती है कि परिवार के प्राकार पर नियन्त्रण किया जा सकता है कि राष्ट्र में जीवन स्तर को उच्च बनाने में जनसंख्या परिसीमन से सहायता मिलती है और यह कि व्यक्तिगत परिवार के जीवन स्तर के मोतिक दृष्टि से उन्नयन में परिवार के छोटे प्राकार का योगदान रहता है। जनसंख्या-शिक्षा विद्यायियों को यह समझने में भी सहायक होती है कि परिवार के सदस्यों के स्वदृष्ट्य एवं कल्याण की सुरक्षा, परिवार के प्रार्थिक स्वामित्व तथा बच्चों के प्रबन्ध भवित्व के निर्माण हेतु भारत में वतनानन तथा भवित्व में दो या तीन बच्चों के घोटे व सुगठित परिवार होने चाहिए।"² इस सम्प्रत्यक्ष के बारे में देश विद्वानों के विद्वानों ने परिभासित किया है—

बलेंसन के अनुसार - "जनसंख्या समस्या से सम्बंधित ज्ञान के प्रति चर्चना है।"

स्टनगर - जनसंख्या व पर्यावरण की शिक्षा है यद्यपि जनसंख्या व पर्यावरण को विसो प्रकार भलग नहीं किया जा सकता।

हेरोल्ड - 'यह वेवन जनसंख्या की गतिशीलता की शिक्षा है जिसमें सब गतिशीलता से प्रभावित धोत्र, जस काम संतानोत्पत्ति पर नियन्त्रण एवं परिवार नियोजन की पूर्यवर रखा जाता है।'

मसियालस - 'भानक जनसंख्या की प्रवृत्ति के बारे में तथा जनसंख्या परिवर्तन के स्वाभावित एवं मानवीय परिणामों के बारे में विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त करना।'

प्रौ. धी के आरवी राव - "जनसंख्या शिक्षा का प्रयोजन वेवन जनसंख्या प्रटाना नहीं बल्कि जनसंख्या का युणिक्यमें दृष्टि से बेहतर बनाना है। इस प्रवार यह व्यापक मानवीय धोत्रों ने विद्यार्थ का वायन्त्रम है। यह धर्मियता व विश्वास पर बन दाता है।"

चाल्स - "जनसत्या शिक्षा कायक्रम में छात्र की सकृति, उसके समाज की जनसत्या की स्थिति, स्थिति वे प्रति उनके अपने विचार जनसत्या परिस्थिति पर उनके तार्किक तथा सुमधुर विचार तथा इसके प्रभाव सम्मिलित होने चाहिए।"

फेयुस - 'जनसत्या शिक्षा एक ऐसा शक्तिकायक्रम है जिसका प्राथमिक उद्देश्य प्रनियन्ति जन की समस्या के प्रति मनानामनक उपागम विकसित करना है।'

सियस - 'जासत्या शिक्षा का उद्देश्य परिवार नियोजन के कायक्रमों की जानकारी के साथ ही समिकृति, व्यवहार एवं मूल्यों में अपशिष्ट परिवर्तन करना है।'

टेलर - "जनसत्या शिक्षा एक और तो परिवार को नियोजित करने की प्रणा प्रदान करती है, दूसरी ओर जनसत्या की समस्या, उनके सम्भावित परिणाम तथा सम्भावित विकल्पों की जानकारी देती है।"

प्रौ० स्लोन और वेलड - 'सज्जा चाह जो हो हमारा सम्बंध औपचारिक शिक्षा के प्रत्यक्ष नीति, परिवार तथा राष्ट्र परिवार नियोजन की आधारीयता आदि को समिलित किया जाए। साथ ही जनसत्या का आधिक सामाजिक विकास परिवार के आकार तथा व्यक्तिर परिवार के गुणों की गतिशीलता का भी मध्यम किया जाना चाहिए।'

एवरी एवं कार्केंडल - "जनसत्या शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास, दृष्टिप्रबन्ध में कुशलता, विवाह तथा माता पिता के उत्तरदायित्व की तैयारी गतिशीलता को वैधभाल एवं विकास तथा योन शिक्षा की जानवारी।"

एस चार्द्रेस्वर - जनसत्या शिक्षा न तो योन शिक्षा है और न विभिन्न परिवार नियोजन की विधियों की शिक्षा। जनसत्या शिक्षा जनसत्या की बढ़ि इसके वितरण एवं जीवन स्तर से इसके सम्बन्ध तथा इसके आधिक एवं सामाजिक परिणामों का अवश्यक व समाज शास्त्र है।"

प्रौ० पोहिलमन-(Pohlman Edward W) के अनुसार जनसत्या-शिक्षा नियम सत्याग्रह से सम्बन्धित कायक्रम है जिसके अन्तर्गत अध्यापन करवा जाता है-

- 1 द्रव्यगति से जनसत्या की वृद्धि उससे उत्पन्न होने वाले नुकसान, जो राष्ट्र के लिए समस्या पूरा बनती है
- 2 थोट परिवार के व्यक्तिगत लाभ,
- 3 विलम्ब से शादि व बच्चों के जन्म
- 4 अतिरिक्त अवसर सम्बन्धित विषयवस्तु लेकिन योन (Sex) के सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए।

इन परिभाषा के बाद मे इस इन्टि से परिवर्तन किये गये कि जनसत्या शिक्षा को परिवार नियोजन कायक्रम से न मिलाया जाये। रानी न परिषद्

(NCERT) द्वारा जनसंख्या प्रमाण इकाई के प्रभारी प्रतका रमेशचांद्र ने जनसंख्या शिक्षा की सकृदाना को यत्तमान परिप्रेक्षण में स्पष्ट करते हुए कहा है कि "जनसंख्याएँ भाषा में जनसंख्या शिक्षा वह कायक्रम है जो विद्यालयों में जनसंख्या की गतिशीलता (Dynamics) के प्रति जागरूकता विकसित करे। उह यह समझने में सहायता देता है कि यदि जनसंख्या वृद्धि के कारणों का समाधान न दिया जायें और इस बढ़ते रहने दिया जाय तो व्यक्तिगत, सामाजिक, प्रायिक तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों में अनेक असुविधाएँ उत्तम हो जाती हैं। इसके द्वारा विद्यालयों में यह धारणा विकसित करनी है कि वे छोटे परिवार के प्रतिमानों (Norms) की शिक्षा कर सकें तथा वह उन्हें भावी दावितपूर्ण जनवर बना सके जो अपने तथा दूश के कल्याण हतु उपलब्ध सासाधनों के अनुद्वाल प्रयत्ने परि वार का नियोजन कर सकें। यह मुख्य तथ्य इस कायक्रम के दो अंगों में जातर स्पष्ट करता है—प्रतिसूध्म या क्षमित (Micro) तथा सूध्म या समित (Macro)। प्रति सूध्म या क्षमित स्तर पर यह कायक्रम भावी जनक बनाने वाले विद्यार्थियों के जीवन स्तर में सुधार से सम्बंधित है तथा सूध्म या समित स्तर पर यह विद्यालयों को राष्ट्रीय विरास या सहभागी बनाने का प्रयास करता है।¹ इस प्रकार इस परिभाषा में जनसंख्या शिक्षा की सुलिलित सकृदाना व्यक्त की गई है जिसे विद्यालय द्वारा जाना आवश्यक है।

सरांश रूप में कह सकते हैं कि जनसंख्या पर नियन्त्रण की जान वाली समस्या के रूप पर नहीं, बरन् उसकी पारंपरा की जान वाली सामाजिक एवं जीविकीय-घटनाएँ के रूप पर विचार करता है।

जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Population Education)

जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि एवं गांधीय विकास के द्वारा सम्बंधीय की समझ विकसित करना है। समाज के एक सदस्य के काय का पूरे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है यह समझाना इस कायक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। मूल्यांकन एवं एक अभिवृति निर्माण करने के अतिरिक्त यह इस शिक्षा का निर्देश उद्देश्य भी है।

जनसंख्या शिक्षा के निर्मानाकृत उद्देश्य² :

(1) बालकों में सीखने की वह प्रक्रिया विकसित करना जिससे जनसंख्या से सम्बंधित पक्षों का अवलोकन करते हुए तथ्य का सकलन कर विश्लेषण करने का क्षमताओं का विकास कर सके जो सामाजिक दृष्टि से

1 Ramesh Chandra Implementation of the Population Education Programme (नवाचालिक जनवरी-मार्च-1975 (p/68)

2 NCERT Reading in Population Education (P/77)

उपयुक्त हो (इसके साथ ही जनसत्या शिक्षा का यह दृष्टिकोण नहीं है कि बालक पर तेयार की हुई पाठ्य सामग्री लाद दी जावे यालक में ऐसी समताओं का विकास होना चाहिए जिससे जनसत्या की समस्या के मद्भ में छोटे परिवार से गुणात्मक जीवन के महत्व को स्वीकार कर सकें)।

(2) जनसत्या शिक्षा के आत्मगत दुतगति से जनसत्या में बढ़ि इसके मुख्य कारण इसके मुख्य वारक जो संतुलित करने में सहायक सिद्ध हो सके।

(3) सामाजिक सास्कृतिक, प्रार्थिक व राजनीतिक को जनसत्या बढ़ि राष्ट्रीय जीवन-स्तर को बढ़ाने के वायक्रम के संपर्क में प्रभावित करती है।

(4) दुनिका, बीमारियों जिससे मत्तु अधिक होती थी उसे विज्ञान के विकास द्वारा नियन्त्रित किया गया है इस दाता को मायता देना है कि विज्ञान ने प्रनियोजित जाम का नियन्त्रित किया है। यठ जान करवाते हुए दृष्टिकोण का विकास किया जावर सजनात्मक स्थाईत्व लान हतु।

(5) जनसत्या में बढ़ि हाने से व्यक्तिगत तथा परिवारिक जीवन की जिम्मे दारियों के प्रति अभिष्वचियों तथा सहयोग व्यक्तिगत रूप से तथा परिवारिक जीवन के प्रति जिम्मेदारियों।

(6) माता के अच्छे स्वास्थ्य वच्चे के हित परिवार की आधिक सुदृढता, प्रानेवानी पिढ़ी की उन्नति हतु जनसत्या शिक्षा की प्रशस्ता की जाने तथा जो वतमान के भारतीय परिवार छोट हो जिनम दो या तीन वच्च से अधिक न हो सक।

(7) छाप्रा वो जनसत्या बढ़ि के कुप्रभावों से परिचित करवाना।

छाप्रा को मुख्य रूप में व्यक्तिगत जीवन में परिवार, सामाजिक व्यवस्था तथा राष्ट्रीय जीवन के प्रसम भ मूल्या (Values) का ज्ञान प्रदान करवाना चाहिए। सामाजिक प्रार्थिक विकास तथा जनसत्या बढ़ि का किस प्रकार सहसम्बध है इसे हृत्यगम करवाया जाय। अच्छे जीवन-स्तर व मानव अधिकार के जनसत्या बढ़ि से प्रभावित होते हैं।

जनसत्या शिक्षा को आधारपत के दृष्टि से विस्तृत रूप दिया जाय या सक्षिप्त पान तक ही सीमित रखा जाय, यह तो बदलते हुए मूल्यों को दृष्टि में रखते हुए शिलाविदों पर ही निभर दरता है। परिवार यवस्था, परिवार के काय, परिवार के लोगों में परस्पर सम्बन्ध मानव द्वारा अपने जस जीवों को ज म देने का जान योन व उसके काय आदि के बारे में जान छाप्रा वो दिये जाने की वतमान समय की प्रावश्यक मांग है इह प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों वे बारे में विश्वसन् व आवश्यक ज्ञान दिया जाना चाहिए है।

पाइचात् दशा की शहरी शिक्षण संस्थाओं में इस विषय की प्रावश्यकता

समझते हुए 'सौन-शिक्षा' या "परिवार जीवन की शिक्षा" के रूप में प्रारम्भ किया गया है लेकिन भारत में 'जनसत्त्वा शिक्षा' को शिक्षा कायकमों में उत्तेजनीय काय नहीं हो पाया है। भारतीय सत्त्वति, मूल्य, परम्परा व विभिन्न रीतिरिवाज व विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली जनता के अपने विभिन्न दृष्टिकोण व जीवन पद्धतियां हैं। अत भारतीय परिवारों के जीवन मूल्यों व मामाजिक परम्पराओं आदि का शोध के शाधार पर अध्ययन बहुत है। जनसत्त्वा-शिक्षा' को यौन शिक्षा' का प्रयोगवाची मानने की घासित को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। आज जनसत्त्वा के सम्बन्ध के बारे में सचेत करने तथा पाठ्यक्रम में जान प्रदान करने की व्यवस्था करना एक आवश्यक आवश्यकता है। ताकि द्वात्रा में इसके बारे में सही दृष्टिकोण का विकास हो सके और इससे उत्पन्न होने वाली विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का गम्भीरता से समय रहते हुए समाधान करने की स्थिति में हो सके। इस प्रसंग में रमाशकर शुक्ल ने भी लिखा है— 'यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश ने कृपि तथा उद्योगिक क्षेत्रों में काफी प्रगति की है तथा पि सीमित साधनों को देखते हुए हम देश की बढ़ती हुई जनसत्त्वा पर नियन्त्रण रखना आवश्यक हो गया है। यदि इस बढ़ती हुई आवादी को हम न रोक सके तो परिणाम भयकर हो सकते हैं। यही कारण है हम पाठ्यक्रम में जनसत्त्वा-शिक्षा सम्बन्धीय शिक्षा को स्वान देना उपयुक्त समझते हैं।'

इडोनेशिया के जनसत्त्वा विशेषज्ञ ने जनसत्त्वा शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों को इस प्रकार व्यक्त किया है—

- 1 जनसत्त्वियों के भाषार भूत सिद्धाता को समझना।
- 2 जनसत्त्वा की तीव्र वृद्धि बढ़ने के कारणों को जानना।
- 3 जनसत्त्वा की तीव्र वृद्धि के परिणामों को समझना।
- 4 जनकल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के विनियंत्र सम्बन्धों को समझना।
- 5 पर्यावरण सम्बन्धीय एक रूपता के अवय एवं महत्व को समझना।
- 6 भाग्यवादी बनने के बजाय परिवार के आकार को नियन्त्रित किए जाने योग्य समझना।
- 7 छोटे परिवार के मानक के महत्व को समझकर जीवन स्तर की गुणत्यकता से सम्बन्ध स्थापित करना।
- 8 व्यक्ति के 'स्व तथा पर्यावरण पर जनसत्त्वा धनत्व तथा जनसत्त्वा वृद्धि के परिणामों को समझना।

1 रमाशकर शुक्ल, 'जनसत्त्वा शिक्षा तथा पाठ्यक्रम' (साहित्य परिचय पाठ्यक्रम विशेषज्ञ 1973) पृ० 205-206

- 9 सामाजिक सरचना तथा सामाजिक परिवर्तनों के मानव व्यवहार के प्रत्यक्ष प्रभाव का अनुभव करता।
- 10 राष्ट्र तथा विश्व कल्याण के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करता।

जनसख्या शिक्षा को आवश्यकता व महत्व

(Need & Importance of Population Education)

जनसख्या—शिक्षा एक अपरिहाय शावश्यकता बन गई है जिसे शीघ्रतिशीघ्र भावी जनको (Futureparents) प्रथम् विद्यार्थियों की तत्सम्बंधी प्रभिवृति के विकास हेतु विद्यालयों में अपाराया जाना चाहिये है।

जोध एव सर्वेक्षण द्वारा भी जनसरया—शिक्षा की आवश्यकता एव महत्व स्वीकार किया गया है। 1969 में पोहलमन (Pohelman and Reo) के सर्वेक्षण द्वारा यह तथ्य प्रकट हुआ है कि दिल्ली के 90% घर्यापकों ने छोटे परिवार की प्रावश्यकता तथा भारत में ग्रन्थिक जनसरया के नियन्त्रण सम्बंधी शिक्षा को पाठ्य क्रम में सम्मिलित करना उपयोगी माना है तथा 80% घर्यापकों ने इस कालिजो की शिक्षा के पूर्व ही देना ग्रच्छा समझा है। व्योकि “स्कूल शिक्षा समाप्त करने से पूर्व भृत्यग्राम्य में शादी हो जाती है। इसी प्रकार लड़कियों को किशोर प्रवस्था पूरण करने से पूर्व ही शादी करदी जाती है। राष्ट्रीय औसत शादी की उम्र लड़कियों की 14.5 वर्ष है”¹ जो जनसख्या वृद्धि में सहयोगी बन जाते हैं परत उह सही दृष्टिकोण का विकास चाहित है स्कूल ग्रन्थयन-काल में ही। विदेशों में यह धारणा भी निमूल सिद्ध हो चुकी है कि योन शिक्षा के बिना जनसख्या शिक्षा प्रसार नहीं किया जा सकता। दीचस कालज कोलम्बिया (अमेरिका) विश्व विद्यालय ने इस प्रसार का पाठ्य क्रम बनाकर उसका प्रयोग किया है जो उक्त तथ्य को सत्यापित करता है।

जो लोग यह कहते हैं कि जनसख्या शिक्षा का विद्यालय शिक्षा से बाई सम्बंध नहीं होना चाहिए यह धारणा प्रनुचित है। जनसख्या में असाधारण वृद्धि जसी भयकर समस्या का सामना करने के लिये समाज द्वारा प्रयत्नी महत्वपूर्ण समस्या ‘विद्यालय का उपयोग करने की बात सोचना स्वाभाविक है। डा० वी के पार वी राव ने “राष्ट्र के ग्रामिक एव सामाजिक विकास के लिये जनसख्या की शिक्षा को आवश्यक बताया है।” इससे समाज की समस्याओं के समाधान में तो योगदान होगा ही विद्यालयों की स्थिति में भी सुधार होगा। जनसख्या में वृद्धि के दारण शिक्षा की गुणवत्ता एव विद्यार्थियों के भौतिक विकास में सीमित ग्रामिक साधनों में यति लाना सम्भव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में विद्यालय जनसख्या

¹ Ministry of Health & Family Planning— Facts about Population & Planning in India” Govt of India 1967

बृद्धि से उत्पन्न समस्याओं के समाधान में योग देवर परोक्ष है जिसे मध्यनी ही समस्या हल करेगे। एस फिलिप हॉजर न भी समयन करते हुए कहा है कि—“अब समय आ गया है कि बीसवीं सदी के स्कूलों के पाठ्य क्रम में बीसवीं सदी की जनसंख्या की प्रवृत्ति तथा परिणामों का ध्यायन कराया जाय।” अत जनसंख्या-शिक्षा विद्यालय की प्रगति ये भी सहायरु होती है।

जनसंख्या नियन्त्रण एवं छोटे परिवार के प्रोत्तिष्ठन के प्रति विद्यार्थियों में भारत में ही प्रभिवृत्तियों का विकास करना चाहती रहे। इदिन ऐसे स्लेमिन्ड का यत्न है—‘बचपन में विकसित प्रभिवृत्तिया ही बहुधा प्रोडावस्था के व्यवहार को निर्देशित करती है। यदि समाज प्रगति जनसंख्या के आकार को नियन्त्रित करना चाहते हैं तो उसे जनयुवकों का इस प्रवार प्रभावित करना चाहिये कि उनमें जनसंख्या की प्रभिवृद्धि के परिणामों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो, वे छोटे छोटे परिवार के प्रतिमान के गुणों को पहिचान सकें तथा उनमें यह अवबोध विरसित होना चाहिये कि वह जनसंख्या के उचित आकार के लक्ष्य को प्राप्ति हेतु प्रोत्तिष्ठनीय स्थिति में व्यक्तिगत रूप में क्या करना चाहिये।’¹ सदिष्ठ रूप में कह सकते हैं कि इनकी आवश्यकता निम्न प्रकार है—(i) छोटा परिवार सदृश सुखी परिवार होता है। (ii) यदि पाठ्य क्रम में जीव विज्ञान के ध्यायन की आवश्यकता मान कर सम्मिलित किया गया है तो मानव जनसंख्या के ध्यायन को उससे प्रभिक आवश्यक मानना ही चाहिये। (iii) भारत के युवकों युवतियों को विवाह से पूर्व जनसंख्या बढ़ि को समस्याओं से अवगत कराया जाय। (iv) राज्य एवं समाज का उत्तरदायित्व है कि वह जनसंख्या बढ़ि के कुप्रभावों से नाशकों को अवगत करवा दें। (v) द्रुतगति से जनसंख्या बढ़ि के फलस्वरूप देश की आर्द्धक सामाजिक एवं व्यक्तिगत उन्नति अवश्यकी हो रही है।

भारत में जनसंख्या-शिक्षा सम्बन्धी धारणा

कोठारी शिक्षा आयोग ने जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी धारणा को स्पष्ट करते हुए कहा है कि देश के विकास हेतु पौदोदीकरण तथा साधनों के प्रधिकरण उपयोग तथा भौतिक प्रयत्नि के द्वारा जीवन स्तर में सुधार का लक्ष्य शिक्षा को इन सबके माध्यम के रूप में स्वीकार करने पर सम्भव हो सकेगा। जनसंख्या शिक्षा इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति का साधन है। अनेक बाली जीवन सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए जनसंख्या शिक्षा की अवस्था सभी प्रकार के प्रभिकरणों (Agencies) के सहयोग से दौरे जानी चाहिए।

जहाँ एक यत्न विद्यालय स्तर पर जनसंख्या शिक्षा को प्रदान किया जाना

1 Irwin L. Slesnick, ‘Population Education—A response to a social Problem (The Science Teacher)—Feb 1971—P/22)

आवश्यक माता है तो दूसरा पर इस शिक्षा को नहीं देने हतु तक प्रस्तुत करता है कि तु जनसंख्या शिक्षा का समयन में प्रस्तुत तक अधिक मात्रा है।

विद्यालय स्तर पर जनसंख्या शिक्षा देने के पक्ष में तर्क

1 यदि माध्यमिक व उच्च स्तर पर एकदम दी जाती है तो बालकों का ध्यान मार्कित होकर काम चेतना बढ़ने की सम्भावना हो सकती है जो हानिकारक है।

2 प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी-संरक्षण सबसे अधिक होती है।

3 बालकों में मस्तिष्क नवीन अभिभूतियों का शीघ्रता से विकसित करते हैं।

4 शहरों में अधिक जनसंख्या के कुप्रभावों से प्राय सभी परिचित हात जा रहे हैं। अभी जनसंख्या जागरूकता ग्रामीणों, आदिवासियों तथा गिरजे वर्गों में इसका पहुंचना बहुत जरूरी है और वहाँ अधिकांश स्थानों पर प्राथमिक स्कूल ही है।

5 भावी समाज का भविष्य सुरक्षित करने के लिए।

6 मनोवैज्ञानिक रूप से विद्यार्थी-जनसंख्या नियंत्रण सीखने में रुचि लेते हैं जबकि प्रोटो पर कम प्रभाव पड़ता है।

7 सहगामी कियाओं द्वारा गच्छा सामाजिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

8 बच्चों के मध्यस्तक अधिक निष्पक्ष एवं सही चिन्तन युक्त होते हैं।

जनसंख्या शिक्षा का पाठ्यक्रम

जनसंख्या शिक्षा का विद्यालयी स्तर पर प्रसार करने के लिए पाठ्यक्रम में भी कुछ परिवर्तन व परिवर्धन आवश्यक है। कुछ विषयों के साथ पठायक्रम में जनसंख्या शिक्षा का समायोजन करना वार्षिकीय होगा जसे सामाजिक विज्ञान, सामाजिक नाम, हिंदी व स्वास्थ्य शिक्षा। बैककाक सेमीनार में जनसंख्या के निधरक “जनाविकी तथा परिणाम” की जनसंख्या शिक्षा को विषय वस्तु का प्राधार माना गया तथा प्रनेक देशों में इसके अनुरूप शक्तिकालीन योजनाएँ गईं।

राष्ट्रीय शक्तिकालीन अनुमधान और प्रशिक्षण परिषद् ने यूनेस्को द्वारा लोरे पथे प्रोजेक्ट के अंतर्गत बताना में देश में पढ़ाई जाने वाली विभिन्न विषयों की विद्यालय स्तरीय पाठ्य पुस्तकों को आधार बनाते हुए उन अशों को खोज निकाला जिनका सम्बन्ध जनसंख्या शिक्षा से है। यह एक ‘माधार मूल सर्वेक्षण’ (Baseline Survey) या। इससे यह बात जात हो सकी कि प्रचलित पाठ्यक्रम में किस भीमा तक जनसंख्या शिक्षा विषयक सामग्री उपलब्ध है और राजस्वात् राज्य में भी राज्य शक्तिकालीन अनुमधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर के माध्यम से भी यह सर्वेक्षण सम्पन्न किया गया। इस सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हो गया कि विभिन्न विषयों में स्थिति प्रतिशत विषय सामग्री जनसंख्या शिक्षा से सम्बन्धित उत्तरव्य है।

जनसंख्या-शिक्षा शिक्षण हेतु कार्यक्रम (Teaching Programme for Population Education)

जब जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित हो गये हैं तो स्वाभाविक है, उसकी पूर्ति हेतु शिक्षण कायक्रम बनाना सम्भव है। सबप्रथम इस कायक्रम बनाना सम्भव है। सबप्रथम इस कायक्रम में संलग्न किए जाने वाले सभी मध्यांगकों को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का मावश्यकता है। इसके साथ ही साथ इस प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त अथवा दृष्टि सामग्री को भी तयार किया जाय। शालाम्बों में क्रियान्वित करने हेतु इस प्रसार का उपयुक्त साहित्य तथा अथवा दृष्टि सामग्री भी तयार की जानी चाहिये। यह द्यात्रा की उम्र व स्तर के अनुरूप होना चाहिये। प्रारम्भिक कलाम्बों के छात्रों और किशोर प्रवास्था की छात्र, व छात्राम्बों के लिए प्रलग्न प्रलग्न विषय वस्तु व सहायक सामग्री होती है। छात्र के लिए प्रध्ययन हेतु विषय वस्तु ऐसी हो जिसे छात्र स्वयं द्वारा रुचि से पढ़ार सुना हो। स्वाध्यय के लिए उपलब्ध करवाया जाने वाला साहित्य ऐसा ही जिसमें मूल्यवान् बातें जनसंख्या शिक्षा से सम्बद्धित हों।

यह ध्यान रखने को प्रावश्वरता है जनसंख्या शिक्षा एक लचीले प्रकार का विषय है जिस शाना पाठ्य तंत्र में स्वान प्रदान किया जाय या इतिहास, दूरगोल, सामाजिक ज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गृह विज्ञान, प्रकृति के बारे में ज्ञान, नागरिक जीवन प्रादि विषयों का प्रदान बहुत से बिंदु जो जनसंख्या शिक्षा से सम्बद्धित हैं समावेश वालित हैं।

यह अभी तक विद्यालय का विषय है जिस विषय वस्तु के लिए प्रत्यं से पाठ्य पुस्तकों तयार की जाय या विषयों के साथ ही पढ़ाया जाय। यह 'परिवार कल्याण' तथा 'गिर्भा विद्यो' के परस्पर विचार-विमर्श तथा सहयोग के उपरां ही निश्चय लेना चाहिये होगा।

विभिन्न राज्य जनसंख्या-शिक्षा की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते ही इसको विद्यालय पाठ्यतंत्र में उचित स्थान देने हेतु प्रयत्नशील है।

राजस्थान राज्य के शिक्षा विभाग ने कक्षा 8 तक की सामाजिक मध्यमन सम्बन्धी राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों में जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी कुछ पाठों का समावेश किया है। माध्यमिक शिक्षा बोड राजस्थान ने भी इस दिशा में माध्यमिक स्तर पर कुछ प्रयाप किया है।

जनसंख्या-शिक्षा का पाठ्यक्रम (Curriculum of Population Education)

जनसंख्या शिक्षा एक अभिनव शाखिक प्रवृत्ति है। अत इसके पाठ्यक्रम का निर्माण व क्रिया वयन उचित साशोधन, परिवर्ता व भ्रम्भव के प्राप्तार पर

सावधानी से किये जाने चाहिए। सभी स्तरों के बालकों वा जनसत्त्वा शिक्षा प्रदान करने में शिक्षण सत्त्वाग्रा की अहम भूमिका है। वे छात्र व अध्यापकों को जनसन्ध्या की वृद्धि व उसके सामाजिक, आर्थिक व व राजनीतिक प्रभावों के बारे में सचेत करने हेतु प्रभावशाली एजे सी के रूप में काय करती हैं। आय महत्वपूर्ण काय उद्देश्यों की शियाविति हेतु ज्ञान प्रदान कर उनको अभिलेखियों को दिकास करने में सफल हो सक, एस पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाय।

लेकिन खेद है कि 'जनसत्त्वा-शिक्षा' एक गम्भीर समस्या विश्व-यापी होने के बावजूद भी उसके पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त साहित्य भी अप्रयोग्य है। डॉ स्लोन वे लैंड (Dr Sloan way Land) ने तो यहाँ तक कहा है कि विश्व में एक भी देश ऐसा नहीं है जिसने इस प्रस्तुति में सबमाय प्रतिरूप (Model) तयार किया हो।¹ किर भी हम यूनेस्को की बगाकाँक विचार गोष्ठी भ जनसत्त्वा-शिक्षा के पाठ्यक्रम में तिमाहित पक्ष सम्मिलित किये जाने वा नियम लिया गया।²

(1) जनसत्त्वा वृद्धि के निर्धारित तत्त्व (Determinants of Population Growth) — जनसत्त्वा वृद्धि वे निर्धारित तत्त्वों से अवगत होते से विद्यार्थी परिवर्तनशील समाज के सदभ में जनसत्त्वा वृद्धि के आधार भूत कारणों को समझते हैं यद्यपि प्रत्यक्ष समाज में सास्कृतिक प्रतिमान भिन्न-भिन्न होते हैं। इन निर्धारित तत्त्वों को समझने वे इस समस्या के विभिन्न पक्षों का प्रध्ययन कर सकते हैं।

(2) जनसत्त्वा वृद्धि के परिणाम (Consequences of Population Growth) — को पाठ्यक्रम में इसलिये सम्मिलित किया गया है कि विद्यार्थी 'मिटि एव सम्प्रिण्ट स्तरों में (Micro and Macro Levels) पर जनसत्त्वा वृद्धि के दुष्परिणामों को आर्थिक एव सामाजिक दृष्टि से मनव धेना खाय पदाय, आवास, निधि स्वास्थ्य, पायण, रोजगार आदि खेत्रों में देख सकें। ये दुष्परिणाम पर्यावरण प्रदूषण के रूप में भी देखे जा सकते हैं।

(3) जनाकिकी (Demography) — जनाकिकी जन्मति समाज की रिप तियों वो बतलाने वाले महत्वपूर्ण भाँकडों को पाठ्यक्रम में इसलिये सम्मिलित किया गया है कि विद्यार्थिया उवरता (Fertility), मृत्यु दर (Mortality) पक्ष प्रवृत्ति (Migration) के कारण जनसत्त्वा संरचना में परिवर्तनों को समझ सकें। विद्यार्थिया को जनसत्त्वा सम्बन्धी ग्राफ्डों के विश्लेषण वरन तथा उनके प्रभाव पर जोड़न-स्तर से सम्बद्ध सम्भावित निष्पत्ति निकालने वा प्रशिक्षण नो-

¹ NCERT, Readings in Population Education (P/57)

² UNESCO, Population and Family Planning (P/34)

जनाकिकी द्वारा मिनता है तथा वे बतमान एवं भूतालीन प्रवृत्तियों (Trans) के आधार पर भविष्य में जनसंख्या बढ़ि का आकलन वर सहत है।

उपरोक्त तीन पक्षों के अतिरिक्त निम्नावित दो पक्ष जनसंख्या-शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने वालोंनीय हैं—

(4) मानव प्रजनन (Human Reproduction) — इस विष्टि से पाठ्यक्रम में वालोंनीय है कि जिससे विद्यार्थी यह समझ सके कि विशु का जन्म कोई आकस्मिक घटना या देवी कृपा का फल नहीं है बल्कि विद्यार्थियों में यह जागरूकता उत्पन्न हो सके कि जब वे वैवाहिक-जीवन में प्रवेश करें तो वे अपने परिवार के आकार के विषय में यायसगत निषेध ले सकें। प्रजनन की शिक्षा देने में आपत्ति करना निरथक है क्योंकि उच्च प्रायमिक कक्षायों के सामान्य विनान के पाठ्यक्रम में प्रश्नण पहले से ही पढ़ाये जा रहे हैं।

(5) जनसंख्या सम्बन्धी नीतियाँ एवं कार्यक्रम — जो सरकार द्वारा अपनाये और नियावित किये जा रहे हैं उन्हें पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी प्रतिदिन प्रचार साहित्य एवं कायक्रमों के माध्यम से इन प्रवृत्तियों से अपने परिवरण से परिचित हो रहे हैं तथा उन्हीं स्वाभाविक जिनासा उन्हें समझने की होती है। अत उन्हें देश व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियावित किये जा रहे, एस कायक्रमों एवं नीतियों से प्रवगत कराना चाहिए ताकि वे इनमें सहयोग देने की अभिवृत्ति विकसित कर सकें।

जनसंख्या शिक्षा के उपरोक्त पाठ्यक्रम किस प्रकार से जाला पाठ्यक्रम में समाविष्ट रिया जाये और उसे नियावित स्तर दिया जाये यह समस्या विचारणीय है।

राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा प्रोजेक्ट व पाठ्यक्रम —

जनसंख्या शिक्षा के पाठ्यक्रम में उसकी अवधारणा, जनसंख्या बढ़ि तथा शाक्षिक आधिक सामाजिक विकास, जनसंख्या बढ़ि एवं परिवार कल्याण, स्वास्थ्य सरकार की जनसंख्या सम्बन्धी नीति तथा भारत एवं विश्व में जनसंख्या की स्थिति। यद्यपि जितना इस समस्या के समाधान हेतु युद्ध स्तर पर समाधान करने का सफल प्रयास किया जाना चाहिये था उननातों नहीं हो पाया, फिर भी 1980 में गुरु किये गये 'राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा प्रोजेक्ट' के तत्वाधान में देश के सौनह राज्यों ने व्यायमिक और उच्च प्रायमिक स्तरों के लिये और चौदह राज्यों ने माध्यमिक स्तर के लिये पाठ्यक्रम लैंयार कर लिया है। यह प्रोजेक्ट स्वास्थ्य में ज्ञान के सहयोग से चलाया जा रहा है तथा

1 Ramesh Chandra Implementation of the Population Education programme (नया-शिक्षक जनवरी-मार्च 1975 P/69)

धार्मिक का दरार
पाठ्यक्रम के भवय

प्राथमिक स्तर V-VII
(उम 10+)

प्राथमिक के उच्च मास्टर
(कक्षा 8 से 11 उम 14+)

1 उद्देश्य वर्त्तु (Goal)	1 सूचना सामा य ज्ञान 2 जनसंख्या वर्डि तथा उमका हमारे जीवन पर प्रभाव	1 सूचना एवं प्रसिद्धि 2 जनसंख्या वर्डि तथा उमके कारण उसके प्रभाव या विकलेपण करता व समाजन 3 विभिन्न विषयों जो पाठ्यक्रम में हैं उह पढ़ाना तथा जनसंख्या को गतिशीलता पर विशिष्ट लगो का। भाषण ।
3 प्रायोपन विधि (Method)	3 विभिन्न विषयों में जो मिलावर पढ़ाना जो पाठ्यक्रम में है ।	4 (i) विश्वहरणात्मक व विश्वेषणात्मक पाठ्यपुस्तक द्वारा प्रतिरिक्त प्रध्यापन (ii) सामग्री के बारे म ज्ञान ।
4 विषय वर्त्तु (Material)	4 विश्वहरणात्मक उसी पाठ्यपुस्तक को काम म लेना जो पढ़ाई जाती है ।	5 (i) वही जाना मन्यापक (ii) विषय के बिवान जो विशिष्ट योग्यता वरने सदम्भ व्यक्ति के रूप म जनसंख्या ज्ञान से सम्बन्धित है भी पाठ्य वर्त्तु म ज्ञान प्रदान करता ।
5 प्रध्यापक (Staff)	5 याता का वे ही धर्यापक जो प्रध्यापन करते हैं	6 याता से विषय वर्त्तु नहीं हो, 7 व्यक्तिगत व परिवार 8 पूर्ण रूप से प्रत्येक तथा परिवार को विधि ।
6 विषय (Subjects)	6 याता से विषय वर्त्तु नहीं हो, 7 व्यक्तिगत व परिवार 8 पूर्ण रूप से प्रत्येक तथा परिवार को विधि ।	9 (i) जनसंख्या वर्डि की समस्या का यदियों के अध्यापन म विधियो का सम्बन्ध ।
7 प्रस्तु (Context) उपायम (Approach)	9 (ii) जनसंख्या वर्डि की समस्या का यदियों के अध्यापन म विधियो का सम्बन्ध ।	10 (i) प्राम, कर्त्ता व जिता राज्य एवं देश की जनसंख्या के बारे म ज्ञान प्रदान करता ।
9 प्रध्यापक ज्ञान (Teacher Education)		10 (ii) प्राम, कर्त्ता व जिता राज्य एवं देश की जनसंख्या के बारे म ज्ञान प्रदान करता ।

इस पर लगभग 5 करोड 20 लाख रुपये बधि किय जायेगे। इस प्रोजेक्ट में 21 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं।¹

जनसंख्या-शिक्षा का कार्यनिवारण — जनसंख्या-शिक्षा के पाठ्यक्रम का विद्यालय स्तर पर कार्यवयन हतु उस पहले से स्वीकृत पाठ्यक्रम में किम प्रशार समाविष्ट किया जाय इस सम्बंध में निम्नांकित दो मत मुख्य हैं—

(1) प्रयोग के रूप में — जनसंख्या-शिक्षा को विद्यालय में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि इस विषय की उपरिहार्यता ग्राज के सामने में सर्वोत्तम है। ऐसी मायता कुछ लोग अत्यक्त करते हैं। इस मत के विपक्ष में यह तक दिया जाता है कि विद्यालय पाठ्यक्रम पहले से धनेक विषयों के भार से बोझिन हो रहा है अत एक नये विषय का अध्ययन करना अत्यायुक्त के विद्यालयों के साथ याय नहीं होगा किंतु यह आपत्ति निराधार प्रतीत हानी है क्योंकि यह कहना विषय की संख्या जो ग्राज पाठ्यक्रम में है वह अपने चरम विद्युत पर पहुँच चुकी है, इसका काई वैज्ञानिक आधार नहीं है इसके अतिरिक्त विषय भार को घटाने के लिये वत्सान विषय के अनावश्यक एवं अनुपयोगी यथा हटाये जा सकते हैं तथा जनसंख्या-शिक्षा को पाठ्यक्रम में दिना किसी अतिरिक्त भार के सम्मिलित किया जा सकता है। इस सम्भावना को क्रियावित किया जा सकता है

(2) विद्यमान विषयों के पाठ्यक्रम में समाविष्ट कर — जन संख्या शिक्षा के पाठ्यक्रम को विद्यालय-प्रबन्धि के सम्मूल पाठ्यक्रम में फलाकर यथोपात्ति करना अध्ययन कराया जाना कुछ लोगों के मत में प्रधिक उत्त्योगी रहेगा क्योंकि आयु-बग के अनुकूल विभिन्न क्षेत्रों के विद्यार्थियों को धनता एवं योग्यता के आधार पर वाचित अभिवृत्तियों का विकास किया जाना उचित है। अधिकांश राज्यों में 1980 में शुरू किये गये 'राष्ट्रीय जनसंख्या-शिक्षा प्रोजेक्ट' के तत्वाधान में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तरों के लिए सोलह राज्यों ने पाठ्यक्रम तंत्यार किया है, राजस्थान भी उस यस्ते एक है। इस प्रोजेक्ट पर राजस्थान में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर द्वारा क्रियावित रूप दिया गया है जो राज्य में पूर्व से प्रचलित कक्षा 3 से 8 तक की पाठ्य पुस्तकों (गणित, सामाजिक ज्ञान, नामा यविज्ञान) में विद्यमान जनसंख्या शिक्षा-विषय को खोजकर उसमें जोड़े जाने वाली प्रतिक्रिक्त सामग्री का निर्धारण किया है तथा जनसंख्या शिक्षा पाठ्यक्रम को विषयवार एवं कथा बार विभाजित कर शिक्षण) हेतु शिक्षण अधिकारी तथा उपेतिष्ठत परिवर्तना किये गये हैं।² अत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर यही पदति यावहारिक है। इस पदति के

1 The Hindustan Times', 12 March 1983

2 Population Education Publication Series p-384 (SIERT, Udaipur)

विरोध में यह तर दिया जाता है कि प्रय समस्यायें भी ग्रनिवाय विषयों में उनका स्थान सुरक्षित करना चाहिए, जसे 'भ्रष्ट बचत,' यातायात नियम, 'स्काउटिंग' रेड-क्रास', नतिक शिक्षा', नागरिक सुरक्षा' आदि कायन्त्रम् । यदि इन सभी कायन्त्रमों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया तो वह प्रीर भी बीमिल हो जायेगा।

पाठ्यक्रम सम्बंधी दूसरी समस्या यह है कि जनसारण्या पाठ्यनम को किस प्रकार विद्यालय स्तर की क्षमाप्री में विभक्त किया जाये तथा किस विषय के पाठ्यक्रम में, इसे समाविष्ट किया जाये ताकि मनोवैज्ञानिक एवं शक्तिक दृष्टि से जनसाह्या का पाठ्यनम उपयुक्त लगे न कि एरु फटे कपडे में 'वैब द' की भाँति लग जाये । ये कुछ समस्यायें निर तर प्रयोग एवं अनुभव आवार पर हल की जानी हैं ताकि जनसाह्या-शिक्षा जसी प्रपरिहाय अभिवृत शक्तिक प्रवृत्ति का पाठ्यनम में उचित स्थान मिल सके ।

जनसाह्या शिक्षा की प्रगति हेतु कारक

(Factors Promoting Population Education)

जनसाह्या शिक्षा को व्यवहारिक रूप देकर उसका क्रिया वयन द्रुतगति से देश में एक अभियान के रूप में किया जाये । इसके लिए इस विषय को पाठ्यनम में माध्यता ऐती होनी जनसाह्या शिक्षा के ग्रथ को जनसाधारण तक पहुँचाना होगा, भारत व विश्व में इस विषय से सम्बंधित साहित्य को उपलब्ध करवाना, इस शिक्षा के ग्रभाव में हान वाली सम्भावित कट्टो पर प्रकाश डालना होगा, विषय की पाठ्य पुस्तके व सहायक सामग्री को तयार करना, ग्रध्यापकों को प्रशिक्षित करें ताकि वह कक्षा में पायावरण उनाने हतु उत्प्रेरित कर सके, राज्य व के द्व सरकार औ राष्ट्रीय समस्या के रूप में गम्भीरता से हाथ में लेकर विशावित रूप देने, तथा पूर्व में प्रस्तावित कार्यक्रम में आवश्यकता व परिस्थितियों के अनुकूल सशोधन किया जाकर प्रीर आज के जनसचार साधनो-रेडियो, टेलीविजन, आदि का भी समुचित प्रयोग किया जाये ।

इन सब के उपरात शिक्षण के मुख्य कारक शाला, ग्रध्यापक व छात्र हैं । परं इनमें मनोवैज्ञानिक ढांग से एक दूसरे के परस्पर सम्बंध व दृष्टिकोण में मानता वाल्यित है । इस सम्बंध में घगले पृष्ठपर प्रदर्शित चाट से स्पष्ट होता है —

जनसंख्या-शिक्षा कायक्रम को सफल करने वालों में सहसम्बन्ध — १

प्रयोगी रूप से	परोक्ष रूप से
शिक्षा विभाग	विद्यालय
शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय	मध्यापक
अभिभावक समाज	छात्र

जनसंख्या शिक्षा की प्रयत्नि पथ पर ले जाने के लिए (1) विद्यालय व पर्यावरण (2) मध्यापकों को पुनः तपार करना तथा छात्रों को उत्प्रेरित व प्रोत्साहित करना व्यवहारिक दृष्टि से आवश्यक है, तभी इस समस्या का सीढ़ी व स्वाई हल की आशा की जा सकती है। हम यहा सक्षिप्त भूमिका महत्वपूर्ण अवश्यकों के बारे में विवेचन करेंगे ताकि उह इस राष्ट्रीय समस्या के समाधान में कमे प्रभावी बनाकर उद्देश्यों की सम्पूर्ति की जा सके।

[1] शाला पर्यावरण नवीन ढग से सृजन (Creation of School Climate) —भारत की परिवर्तित परिस्थिति में शाला का उत्तरदायित्व है कि वह छात्रों को व्यवहारिक जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करने की क्षमताओं का विकास करना। राज्य की विद्यालयों में नवीन ढग से जो समय की मात्रा के अनुरूप हो, का पर्यावरण निर्माण हेतु राज्य का शिक्षा-विभाग महत्व पूरण भूमिका निभा सकता है। अनुदान प्राप्त संस्थाओं को प्रबंधकारिणी परोक्ष रूप से तथा शिक्षा विभाग अप्रोक्ष रूप से प्रभावित करता है। यदि इन दोनों को ठीक ढग में इस नये विचार के बारे में ज्ञान दे दिया जाता है तो उनके दृष्टि कोण में परिवर्तन आयेगा और व अपनी शालाओं में इसे क्रियावित रूप देंगे। निम्न उपाय भी आवश्यक हैं —

1 शिक्षा निदेशक वो इस काय में सख्तन होकर जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता के बारे में बालकों को समझाने हेतु कायक्रम बनावे।

2 निभि न जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों का चाहिए कि वे जनसंख्या शिक्षा के सम्प्रत्य को क्रियावित रूप तथा उसके लिए प्रोत्साहन दे।

3 यदि अनुदान प्राप्त निजी संस्था (Grant in aid) है तो "यवस्थापिका"

जनसंख्या शिक्षा पर प्रकाशित साहित्य, परिपथ मादि शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान
पूरुण रूप से सूचित करते रहते ।

4 शाला प्रधान जनसंख्या शिक्षा' की काय गाठी समिनार प्रशिक्षण द्वारा
पूरुण जान रखना चाहिये ताकि अध्यापक साधियों को पथ प्रदर्शन करने में सक्षम रहे ।

[2] अध्यापकों के नवीन ढग से पथ प्रदर्शन (Reorientation of Teachers)—अध्यापक ही छात्रों को ज्ञान व नय विचारों के बारे में जान
प्रदान करता है । यह अध्यापकों को इन नय विचारों के बारे में नवीन ढग से
पथ प्रदर्शन व अध्यापन विषय वस्तु शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के 'विस्तार सवा'
के माध्यम से प्रदान की जाय । प्रशिक्षण महाविद्यालय वर्तमान 'मूल्या' व प्रावश्य
कता व अनुरूप अध्यापकों में नये दृष्टिकोण व अभिवृतियों का विकास कर सकते
हैं, तभी विद्यालय में प्रभावशाली क्रियाविति सम्भव हो सकती । सहायक सामग्री
व विषय वस्तु के न होने की स्थिति में भी क्रियाविति मुश्किल प्रतीत होती है ।
यह अध्यापक को जनसंख्या शिक्षा के बारे में नवीन ढग से पथ प्रदर्शन किया
जाय । बटोरा से टर घौल पातुलेशन एजुकेशन' ने विस्तार नोपण (Extension
Lectures) निम्न क्षेत्रों में प्रदान कर 'प्रभिनवन क यक्षम' बताया है —¹

1 जनसंख्या शिक्षा के बारे में परिचय करवाना (Introduction to
Population Edu)

2 जनसंख्या वृद्धि तथा शिक्षा (Population Growth & Education)

3 जनसंख्या शिक्षा हतु विधि एव उपायम (Methods & Approaches
of Population Education)

4 जनसंख्या शिक्षा का शालाम्भी हतु पाठ्यक्रम (Curriculum for Popu
lation Edu)

5 जनसंख्या शिक्षा के लिए अध्यापक की तयारी व उत्तरदायित्व (Tea
cher's Role & Preparation for Population Edu)

6 जनसंख्या शिक्षा का मूल्यांकन (Evaluation in Population Edu)

7 जनसंख्या शिक्षा वावत विवाद (Controversies & Issues)

8 प्रायोगिक काय (Practical Work)

अध्यापकों को रिप्रारिये टेगन प्रोयाम हतु निम्न काय दिए जायें —

1 बीएड उपाधि से पूर्व सभी अध्यापकों को जनसंख्या शिक्षा पर विस्तार
नोपण के माध्यम से या नियमित बीएड प्रशिक्षण में तयार किया जाय ।

¹ Population Education Centre Orientation courses in population
Edu for Experimental Try out in B Ed and M Ed Classes 1979
(Mimeographed), Baroda

2 उह कुछ ग्रन्थास पाठ जनसंख्या शिक्षा पर देने चाहिए जिसमें जनाकिरी (Demography) के तथा वास्तविक सोध काय बरता चाहिए वि जनसंख्या दृष्टि से स्वास्थ्य, वर्त्त्याणा व शिक्षा वायरम पर व्यक्तिगत रूप से तथा समाज पर व्या नया प्रभाव पड़त है ।

3 इह किल्ड रक तथा शोध काय बरता चाहिए वि जनसंख्या दृष्टि से स्वास्थ्य, वर्त्त्याणा व शिक्षा वायरम पर व्यक्तिगत रूप से तथा समाज पर व्या नया प्रभाव पड़त है ।

4 निधण महाप्रियानयो को 'जनसंख्या शिक्षा' को मूल्यांकन के घबराह पर प्रश्न पूछ जाय ।

5 पाठ्य पुस्तको म जनसंख्या शिक्षा म मध्यिका प्रकरण, नियमित पाठ्य पुस्तको म ही समावेश किया जाय ।

6 भारत व विश्व म जागरूका को गत्यात्मक दृष्टि क बार म नान दन बाले चाट, ग्राफ विकार आदि महायक गामयो क ला म उपलब्ध रखवाय जाय ।

7 प्रत्यक्ष स्वतं की शास्त्रा-पुस्तकानय म रिशिएट कॉन्सिर' जनसंख्या-शिक्षा के मदभ म बनाया जाय जहाँ प्रनुचय रिपययस्तु (Reference materials) उपलब्ध हो मर्के ।

8 प्रत्यक्ष जातो म धन्य-दृश्य गामयो व फिल्म पुस्तकालय,' की व्यवस्था की जाय । प्रत्यक्ष राज्य म स्थिति धय दृश्य विभाग' स इस प्रमग म वाचित्र सद्योग प्राप्त किया जाय ।

[3] छात्रो का उत्तरेति करना (Motivation to Pupils) —

छात्रो की भूमिका 'जनसंख्या शिक्षा' को गत्यता म अत्यधिक हा सकती है। यत उह कुछ जनसंख्या स उत्पन्न हो वाली समस्याएं जो व्यक्तिगत जीवन, समाज व राष्ट्र पर किस प्रकार प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और य समस्याएं कठी पदा हातो है इस बात वा हृदययम करवाता । यहे लिखे अभिभावक अधिक जनसंख्यास रोकमर्दी की प्रावश्यक वस्तुप्राप्ति की समस्या के बारे म नान देत है । लक्षित भारत मे प्रधिकार अभिभावक पड़े-लिखे नही है व इसे प्रनुचित समझत है¹ । एम जे पाठक ने सक्षिप्त शोध हुतु लिए साक्षात्कार म अभिभावको के दृष्टिकोण निम्नलिखित है—

(प) यह परिवार नियोजन का दूसरा नाम है (पा) यह योन-शिक्षा म सम्बंधित है, (इ) जनाकिरी (Demography) गत्यात्मकता (Dynamics) वे मुश्किल सम्प्रत्य द्याए बालको क लिए मुश्किल प्रतीत होत है (इ) यह विश्वी धारात किया गया विचार है जो भारत म लागू किया जा रहा है ।

'जनसंख्या शिक्षा' पर बडोदा के द ने 25 प्रश्न उत्तर, जो एक बुकलेट तपार की है जो अभिभावको को सकल्पना तथा जालायो म इसके धृष्यापन के उपायम वा नान प्रदान किया है² ।

1 Prabal MJ 'A Study of Population Awareness Among Fathers of X class Students at Varnama Village' (M Ed Student, 1970-71) Baroda

2 Population Education Centre Know About Population Education' 1970, Baroda Faculty of Edu



मूल्यांकन (Evaluation)

(अ) लघुतरात्मक प्रश्न (Short Answer type Questions)

- 1 जनसत्या शिक्षा के पाव सुव्य उद्देश्य वया है ? (बी एड 1984)
- 2 जनसत्या शिक्षा वे लक्ष्यों की प्राप्ति म बाधक तत्वों को बताइये । (1983)
- 3 'बास्तविक समस्या जनसत्या' वृत्ति नहीं, अपितु उत्पादकों का विषय विवरण है ।" इस कथन की परीक्षा कीजिए । (राज बी एड 1982)
- 4 "समस्या जनसत्या वृद्धि की नहीं, राजनीतिक कुप्रबध की है ।" डा० के० श्रीविवामन । विवेचना कीजिए—इस कथन के पक्ष में तीन तथा विषय म दो तक दीजिए । (बी एड राज 1981)
- 5 जनसत्या शिक्षा को आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए ।
(राज बी एड पत्राचार 1981)

(ब) निवन्धात्मक प्रश्न (Essay type Questions)

- 1 'जनसत्या शिक्षा' तथा 'योग शिक्षा' म नेद स्पष्ट कीजिये । माध्यमिक विद्या लयीय स्तर पर इनकी शिक्षा मारम्भ करने के बारे म टिप्पणी कीजिये और बताइये कि ऐसा करने का सर्वोत्तम तरीका वया है । (बी एड पत्राचार 1985)
- 2 जनसत्या शिक्षा को परिभावित कीजिये । इस परिभाषा स मुख्य विदु निकालिये । शिक्षकों का जनसत्या शिक्षा म काय और कराव्य नी लिखिये ।
(बी एड 1984)
- 3 शिक्षा, जनसत्या निय गण म किस प्रकार सहायक हा सकती है तथा इसके विपरीत जनसत्या निय गण शिक्षा मे किस प्रकार सहायक हा सकता है ?
(बी एड पत्राचार 1984)
- 4 जनसत्या शिक्षा की विद्यालयी शिक्षा म भूमिका स्पष्ट कीजिए तथा इसके प्रभावी क्रिया वयन हेतु सूजनात्मक मीलिक सुभाय दे ।
- 5 जनसत्या शिक्षा का प्रय, उद्देश्य, आवश्यकता स्पष्ट कीजिए । इस शिक्षा से प्रगति हेतु विद्यालय वातावरण, शिखक व छात्र किस प्रकार उद्देश्य पूर्ति म सहायता हो सकते हैं ?

[प्रस्तावना—यौन-शिक्षा का ग्रथ भारतीय एव पाश्चात्य मत—ग्रावश्यकता—उद्यम-सिद्धांत-विभिन्न स्तरों पर यौन शिक्षा-विद्यालय व यौन शिक्षा-पाठ्यक्रम अधिगमविधियाँ—उपसहार-मूल्यांकन]

विषय प्रवेश — यौन-शिक्षा को माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालामा म प्रदान करने के प्रसम म शिक्षा प्रशासकों व नियोजकों ने विभिन्न प्रकार से अधिगम करवाने की व्यवस्था हेतु सुझाव प्रदान किया है वयोंकि यह एक विश्व व्यापो समस्या होन के फलस्वरूप अत्यधिक चिंता करत हुए ध्यान ग्राह्यित किया गया है। पूव म 'यौन-शिक्षा' के प्रसम म एक धारणा बनाई गई थी कि पाठ्य-क्रम म जीव-विज्ञान की विषय-वस्तु म समावेश कर दिया जाय प्रजनन उत्पादन शक्ति, तथा प्रजनन इन्ड्रियों के सामाय रोगों के बारे म स्वास्थ्य-शिक्षा प्रदान हरे वक्त विचार विमश कर लिया जाय। आज छात्र छात्राओं सहित रणण प्रवत्ति भी भी कहीं पाठ्यक्रम मे विचार विमण्ण हेतु निर्धारित करने मात्र से यौन के बारे म सामाय ज्ञान छात्रों को स्वत ही प्राप्त हो जायेगा। लेकिन हम देखते है कि आज यौन शिक्षा वास्तव म माध्यमिक शिक्षा म अत्यधिक गम्भीर व चिंतानक समस्या के रूप मे खड़ी है।

आज यौन शिक्षा के प्रसम मे नवीन इटिक्सोए गम्भीरता से लिया जा रहा है उसके प्रमुख दो कारण है प्रथम पूव विवाहित सभोग (Premarital Coitus) द्वयर विवाहित किशोरियों का मां बन जाने की घटनाएँ निरंतर बढ़ रही हैं, वैषेषिक किशोरियाँ द्वारा गम्भात, प्रजनन इन्ड्रियों के सम्बंधी सामाय रोग जैसे मुजाह (Gonorrhoea) आतिशक (Syphilis) प्रदर (Leucorrhoea) आदि, हस्त मयन (Masturbation), वैश्वावृति समलग्निता तथा प्रतिजातीय अवस्थारण बरना आदि प्रमुख है। यह सामाजिक समस्याएँ यद्यपि कुछ उदाहरण दृष्ट हो है जिसका कारण अपरिपक्ता तथा गनत लोगों गत ढग से यौन विकास प्राप्त करना है। नैतिक व सामाजिक स्वास्थ्य परिषद ने निर्दारण किए कि नप्रभय दम से पांचवे प्रविष्ट इन्ड्रियों के मम्बंधी रोगों से पीड़ित होते ही हैं¹ पौर तपश्य ग्राह प्रतिज्ञत 13 से 19 वर तक की उमर क बावजूद इ

¹ Memorandum on Sex Edu to the Edu Commission of the India by Association for Moral & Social Hygiene in India (P/4)

रोग के फलस्वरूप मौत के पाट उतर जात है। इस उम्र के बच्चे सामाजिक माध्यमिक उच्च मानविक शालाग्रा म दृष्टियन रत होते हैं। द्वितीय प्रभाव सका रात्मक मानवता के प्रति मही इटिकोण का भभियान, कोमल हृदयता, ज्ञान, मानवीय सहस्रम्भ घो का विज्ञास शिक्षा के द्वारा, और शिक्षा उद्देश्य, योन के बारे मे नान प्रदान की जिम्मदारी है। द्वितीय इटिकोण अस्थीकार ह क्योंकि योन अत्यधिक क्षमता दुराई ह। बैनानिश विकास ने योन के बारे म नये विज्ञास वान काय सम्बन्ध बिए है। इम समस्या के ममाधान हेतु विद्व व्यापी प्रयत्न हो रहे है परतु तीन-चार गम्भार का प्रश्न है कि यह पढ़ा नाजुक व उलझे हुए विषय का कम पढ़ाया जाय योन-ज्ञानसी विषय वस्तु का समावेश किया जाय, कब पढ़ाया जाय, योन पढ़ाये। आदि प्रश्नों के प्रतिउत्तर नहीं है।

मध्यम महत्वपूर्ण प्रश्न है कि योन शिक्षा योन पढ़ाये? उपयुक्त, मधासीन निरापद तथा किशोर बालक व बालिकाओं क साथ रहने म तथा उक्त शिक्षा प्रदान करने म धारादात महसुस करे तथा जिसकी शिक्षा उगत म प्रतिष्ठा हा ऐसे शिक्षा विद को प्रधायापन हेतु उपयुक्त कह सकत ह। एसा अध्यापक जो छात्र और छात्राओ स पूछी गई मूचनाएँ स्पष्ट व सत्य से ओत-प्रात हा प्रदान करने मे सफल रहे। असवाशील व ग दे दिमाग के प्रधायापक नाम की बजाय हार्फिंग सिद हो सकते है।” इस प्रकार योन शिक्षा दी जाय? यह प्रश्न एमा है जिस प्राकस्तिक उपायम द्वारा दी जाय और इसे छात्र छात्राओ का अन्य समय म नी जाय और इसके दूरगामी परिणामो के बारे म भवेत कर दिया जाय। योन-शिक्षा म विषय वस्तु क्या हो? प्रधायापक को जीवन के विनान मनोविनान मनुष्य जाति का विज्ञान, समाज गास्त्र तथा अ य उपयुक्त विषय वस्तु को इन प्रकरणो म भमावेश करते हुए एकीकरण रूप म रखना जाना चाहिए है। जहा तक इस विषय का कब पढ़ाया जाये। इम प्रसाग म हम पूव प्रायनिक कक्षा स हि दी सामाजिक ज्ञान, के सामाय विनान, गणित आदि विषयो स सहस्रम्भ व स्थापित करते हुए उह पढ़ाना उचित है परतु बारह वय की अवस्था म गम्भीरता स लेरे हुए विषय के बारे म सही मूचनाएँ प्रदत ही जानी चाहित है।²

योन शिक्षा का अर्थ

योन गिरा वा प्रमुख उद्देश्य बालको व बालिकाओ वा इमण आदमी व बीरत के ह्य म विज्ञास के स्तर के अनुकूल परिवर्तन होने वा कमबढ जान प्रदान करना। योन गिरा का परोक्ष व अपरोक्ष रूप स मारी शिक्षा अवस्था को प्रना वित बरता है और मानसिक अस तुलन स सुरक्षा, योन रोगो के प्रश्न तथा

2 Alexander, william M (Ed) The Changing Sec School Curriculum Reading N.Y

त्व का सहज ही विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर व्यवहारिक जीवन म समायोजन म सहायक सिद्ध होने मे सक्षम हो सके । यह जीवन की परिपक्वता, को जो शरीर संवेग, दिल व दिमाग पर प्रभाव डालता है । अतः

(1) योन शिक्षा को परिपक्वता जीवन की शिक्षा से किसी भी स्थिति म प्रलग नहीं की जा सकती ।

(2) योन शिक्षा भविष्य के जीवन के उत्तरदायित्व से सम्बन्धित होनी चाहिए वयाकि म किशोर ही काला तर म व्यवहारिक गुस्थ जीवन व सामाजिक जीवन म अपने उत्तरदायित्वो को निभाना है ।

(3) योन शिक्षा सामाजिक व नैतिक-मूल्या से एकीकृत ही जानी चाहिए ।

योन शिक्षा 'मद' व 'जनाना' के बारे मे नान प्रदान करती है । स्त्री व मद के जीव की बतावट मे जो विभिन्नता है उसके बारे मे नान प्रदान करता है । योन सम्ब वी विमारिया, उसके प्रति सचेत रहना व उपाय आदि के बारे मे युवक व युवतियो को वाचित ज्ञान प्रदान किया जाना । काम शिक्षा का स्वेच्छ अन्तर वर्किंग सम्बाधो पर है और सम्पूर्ण जीवन के विकास मे कामेच्छा की भूमिका पर भी बन देना है । काम शिक्षा को क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप से प्रदान करने से चरित्र निमाण मे सहायक सिद्ध हो सकती है । इसमें भौतिक, मानसिक, स्वास्थ्यात्मक सामाजिक, प्रार्थित एव मनोवैज्ञानिक मानव सम्ब धारा मे प्रभावित होते है । इस शिक्षा मे यह निहित है कि मानव की कामुकता उसके सम्पूर्ण जीवन से एक स्वास्थ्य की इकाई के रूप मे और एक सजनात्मक शक्ति के रूप मे सम्ब वित है ।

प्राचीन भारत व योन शिक्षा (Ancient India & Sex Education)

प्राचीन भारत म योन शिक्षा को बच्चे पैदा करने के साधन के रूप म नहीं लिया गया था वहिक स्वस्थ्य आमोद प्रमोद के साधन के रूप म लिया जाता था । प्राचीन ऋषि मुनियो ने जीवन के सारे ज्ञान को चार भागो म विभक्त किया है धर्म (Duty), धन (Money), काम (Injurement) व मोक्ष (Liberation) प्राचीन ऋषियो न काम को उतना ही महत्व दिया है जितना धर्म धन या मोक्ष को ग्रहस्था धर्म म काम का बहुत महत्व है । ऋग्वेद म लिखा है-

यमस्या या यम्य काम आगत मामने योनो सद्दीर्घ्याय ।

ब्रायेव पत्ये तव रिरिच्या कि चिद् वृहेव रथ्येव चद्रा ॥ (10 10 7)

वर्षात् मुक्त ब्रह्मचारिणी का कामना है कि मैं अपने समान ब्रह्मचारी को रह प्रोर उसक साथ रथ्यन करू, उसे पति मानकर उसकी पत्नि बनकर रहू । उसना शरीर उसके अपण कर दू । हम दोनो, रथ के दो पहियो के समान दृष्ट्यो रूपी रथ को चलाए । इस प्रकार काम धर्मन म विवर है प्रोर ग्रहस्था-

धर्म के सम्बन्ध मुख वे लिए जाम जास्त्र वा अध्ययन आवश्यक है। इसीलिए मूर्खि र ग्राम्यम् म भगवान प्रजापति न धर्म और धर्म के साथ 'काम' पर भी उपदेश दिए और उही के ग्राम्यार पर भगवान् महादेव के घनुचर 'न' ने जाम सूत की रचना की। वात्स्यायन ने जाम-सूत्र की रचना की जिसम योनि सम्बन्ध की नियमों तथा योनि-शिक्षा पर प्रशंसा डाला है। व काम को धर्म और धर्म के समान श्रेष्ठ मानत है। योति रुपि द्वारा 'पवदास्य' जयदेव द्वारा रतिमबरा, भानूःत द्वारा 'रसमजरी' आदि ग्रंथों की रचना की गई है। कोका नामक लखक ने 'कोकणास्त्र' की रचना की जिसम हिन्दू के ऐद और रति शिक्षा पर प्रकाश डाला गया है। इन जाम जास्त्र में मनुष्य को सामाजिक-सीमाधार में ही योनि-आनंद का लाभ लेने के माध्य ही इद्रियों पर नियंत्रण पर जोर दिया गया है।

भारतीय साहृदयि म शिव व शक्ति का सप्तांश माना है 'शृहप-आथ्रम्' और उके रुत्यों पर बन देन रा चारण ही स्त्री और पुरुष वा समाज धिकार प्रदान करने से रा। लेकिन वत्सान म ग्राम औरत की सत्ता की व्यवहारिक रूप म कम करने हेतु समाज पुन जसकत प्रयत्न कर रहा है।

प्राचीन भारत की कला और योनि शिक्षा — जट्य म नारीका लकड़ी का प्रदर्शन किया जाता रहा है। एकोरा व एकीकोटा की गुफाओं हिंदू मंदिर जम पुरी कोनाक खजूराह आदि में भैमुर व योरा, योनि-सम्बन्ध वो के चित्रण किया गया है। मायाकाल में इस कला माना है और स्त्रत व रुद्र स विचार-विमर्श होते थे। जाथुनिक काल म यह सर लुप्त हो रहा है। जिस समाज मन्त्री को योनि-तत्त्व साधन के दृष्टि से लिखा जाता है वह समाज पतन की आर चला जाता है। यहि मनुष्य ग्राम के भौतिकवाद में अर का प्रतीक है तो नारी आध्यात्मिक लेत्र का प्रतीक है। इन दोनों के पवित्र समावय में ही मानव मध्य का वैभव छोपा हुआ है। अत भारत में तो योनि-शिक्षा धार्मिक सामाजिक व साहृदयिक पहुँच पर ही आधारित है।

योनि शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता —

(Importance and Need of Sex Education)

जाम प्रवृत्ति एक ज मजात प्रवति है जो प्रत्येक प्राणी मात्र में पाई जाती है। मुपसिद्ध मौर्याचार्य फ यद वे अनुसार यह प्रवति शशव-दात से हो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने लगती है। आगे एक जगह तो लिखा है—सप्तांश की समस्त क्रियाज्ञा का ग्राम्य योनि ही है। भारतीय साहृदयि में शिव व शक्ति को समार का प्रतीक माना है। ग्राम ग्रसमाजिक तट्य व समाज विरोधी वायर-हस्ता, तलाक आदि योर-धर्म यानि योनि-शिक्षा से प्रभुभिन्नता ही है प्रत इन

सभोग के फलस्वरूप स्त्री का गमवती होने का जबरदस्त भय व्याप्त है। यीन शिक्षा अप्राकृतिक उपायों से ज म निरोध का शिक्षण देता है। जिससे नवयुग विवाहपूण सभोग करने म रूचिकर हो सके। यद्यपि भारतीय मूल्यों के यह प्रतिकूल है। भारतीय लड़कियों की विवाहित होने की औसत उम्र 14½ वर्ष है लेकिन ग्रामीण बालिकाओं का तो बहुत छोटी उम्र म भी शादि हो जाती है यहाँ तक की 10 वर्ष या उससे पूर्व के उदाहरण भी बहुतायत से पिछते हैं लेकिन उह यीन के बारे म कोई जान नहीं होता जो प्रधिक हानिशद सिद्ध होती है परिवारिक जीवन तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य के विट्कोण से भी।

भारतीय ग्रामीण गाय, भस वर्सी ग्रादि जानवरों के मान्यम स ही यीन क्रियाओं के बारे म ऊपरी ज्ञान प्राप्त करते हैं। व यीन के बारे म कथा सोचते हैं वही जान उह रहता है क्याहि यीन के बारे म विविवत् परिचार के लोगों द्वारा जान प्रदान करने की परम्परा नहीं है। बाहर के लोगों स यहन न प्राप्त करते हैं अध्यापक इद्रियों के द्वारा उपलब्ध जान को हृदयगम करवान का काय कर सकते हैं।

यद्यपि बहुत स भारतीय ग्रामीण अभिभावकों को चाहिए कि व यीन शिक्षा उनके बालक व बालिकाओं को प्रदान की जाय। सामाजिक पर्यावरण व पाश्चात्य सम्पत्ता के निरतर पढ़त हुए प्रभाव के फलस्वरूप बाढ़ित है कि द्याव व द्यावाओं को इस बारे म ज्ञान प्रदान किया जाय ताकि विभिन्न प्रकार की असुमाजिक कृत्य स समाज को बचाया जा सकता है प्रोट शुद्ध जभिलचियों का विकास होने की अधिक सम्भावनाएँ बन सके। क्याकि इसका उद्देश्य व्यक्ति को केंटुविक परिस्थिति म अपना उत्तरदायित्व सम्पन्न हेतु सहायता देना है।

अमेरिका की यीन सूचना एव शिक्षा परिषद ने योन-शिक्षा कायक्रम को शिक्षा का अभिन्न भाग बनाय जाने के प्रसंग म निम्न-उद्देश्य बतलाये हैं—

(1) स्वय क शारीरिक मानसिक एव भावात्मक परिपक्वता की काय करने की रीति व्यक्तिगत रूप स जान प्रदान करना जो यीन से सहसम्बिधित है।

(2) व्यक्तिगत यीन विकास स चिता व बोकुलता की स्थिति को दिमाग से निष्कासित करते हुए सही समायोजन करने हेतु उत्तेजित बरना।

(3) द्यावो म यीन शिक्षा के उद्देश्यो व अपक्षित अवबोधन के उपरा त अभि वत्तियो का विकास बराय व्यक्तिगत व सामुहिक रूप से यीन क बारे म बहुत से अस्पष्टता को स्पष्ट करना।

1 Lester A Kirkendall, Sex Education Siecub Discussion Guide
No 1 Sex information & Education council of the U.S., 1985
Bradway N Y

- (4) व्यक्तिश मतदृष्टि योन के बारे में पैदा करना ।
(5) योन के बारे म सूदम भेदों को समझने की शक्ति पदा करना वयोंकि व्यक्तिगत रूप से व परिवार से किसी न किसी रूप म सम्बंधित है ।
(6) छात्रों के नविकास की प्रावश्यकता के बारे में प्रबन्ध करना ।

(7) छात्रों को व्यक्तिगत रूप से इस विषय का पर्याप्त ज्ञान करवाना ताकि योन के बारे में गलत धारणा न बना सके और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को खराब करने से बचाया जा सके ।

(8) वश्यगमन, अवैध शिशुओं का जन्म, प्राचीन योन का नून, जबंजना, प्रमाणुसिक सभोग, जैसी धरममाजिक बुराईयों को जड़ों से समाप्त करने हेतु क्रिया शील बनाने हेतु उत्तरीरित करना ।

(9) व्यक्तिश योन के जाति भेद को समझते हुए प्रभावशाली उपयोग करना तथा साथ ही पति अथवा पति, अभिभाव समाज के सदस्य व नागरिक के हृष म विभिन्न सूजनात्मक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना ।

उच्च प्राथमिक शाला में योन शिक्षा के उद्देश्य :— स्ट्रेन एफ बी (Strain F B) के मनुसार “पूर्व किशोरावस्था में बालक मनवहताव व प्रयोग हेतु योन क्रियाएं करता है—एक किशोर या प्रोढ की भाँति उसका उद्देश्य नहीं होता है ।” यत उच्च प्राथमिक शालाओं म पढ़ने वाले विद्यार्थियों को योन शिक्षा दी जानी चाहिए, जिसके निम्न उद्देश्य है —

- (1) योन के बारे म परिपक्व दृष्टिकोण का विकास करना ।
(2) बालक का पैदा होना तथा उसके विकास के बारे में वैज्ञानिक ढग के ज्ञान देकर उनके डर और चिन्ताओं को दूर करना जैसे स्वर्ण-दोष, मासिक-षष्म प्रादि के बारे में गलत धारणाओं को स्पष्ट करना, इहे सेफ्टी वाल' की चुना देकर ध्रुम को दूर करना ।
(3) विद्यार्थियों को स्वतंत्र हृष से 'योन' पर वार्तालाप करने हेतु प्रोत्साहित करना ।
(4) विद्यार्थियों को जीवन के उच्च नियमों और परिवार के उच्च प्रादर्शों में शादर करने हेतु प्रोत्साहित करना ।
(5) धृपते वदलते हुए वचपन से पारिवारिक जीवन को घट्टे ढग से व्यतीत रखने के बारे म ज्ञान देना ।
(6) सफल शादी के विभिन्न तत्वों के बारे म ज्ञान देना ।
(7) योन से सम्बंधित विमारियों के बारे म ज्ञान, उनसे बचने के उपाय उचिताना ।
(8) योन-स्वास्थ्य की जानकारी प्रदान करना ।

(9) सह शिक्षा के प्रचार को ध्यान में रखते हुए द्वात्र-द्वात्रामी का सही अभिवृत्तिया व दृष्टिकोण का विकास करना ।

माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर पर यौन शिक्षा के उद्देश्य -

(1) समाज में परिवार के उत्तरदायित्व को समझाना ।

(2) आधुनिक रहन-सहन का परिवार पर पढ़ने वाले प्रभाव को समझाना ।

(3) पुरिवार में प्रत्येक व्यक्ति का स्थान व अपने सदस्यों की रुचि, योग्यताएँ, भाविकी ग्रहणात्मक करना ।

(4) दूसरे लिंग के लोगों से बातचीत करना, मिलना-जुलना भाविकों को समझाना व स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना ।

(5) एक साथी के बाया अच्छे गुण हाने चाहिए । "नावात्मक-परिवर्तन" का महत्व समझाना, तथा समाज की व्यवस्था व मूल्यों के बारे में समझाना ।

(6) बच्चे के जाम से जो ऊर ब्याप्त है उसे दूर करना, यथा सम्बंधी जानकारी प्रदान करना ।

(7) गर्भाधान वे बारे में अपने विश्वास को दूर करना व प्रभावित की प्रक्रिया को समझाना ।

(8) शादी की जिम्मेदारिया, पवित्रता और पारिवारिक सुविधाओं व उनके यानदाता को समझाना ।

(9) टूट हुए परिवारों के कारण और प्रभाव को समझाना और इस सम्बन्ध में निर्देशां प्राप्त करने के स्त्रीता वी जानकारी प्रदान करना ।

(10) अभिभावकों वे उत्तरदायित्व को समझाना और बच्चों के ड्वारा यौन सम्बंधी प्रश्न के स्पष्ट जवाब देने भी अभियान पेंडा वरना व यौन के बारे में ऐसे दृष्टिकोण प्रपनाने हतुर तंयार करना ।

यौन शिक्षा कौन प्रदान करें ? (Who should Teach Sex Education)
अभिभावक Parents) —

द्वात्र व प्रभिभावकों के प्रारम्भ से घनिष्ठ सम्बन्ध व रहते हैं । उन्हें यौन शिक्षा को अनौपचारिक रूप में प्रदान करने के बहुत से अवसर मिलते हैं । जिन्हें मन किसी भी नहीं । व उनसे जीवन, प्यार दूसरे रखरखाव तथा उपहार प्राप्त करते हैं, तब स्वभावित है कि उन पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं । यह प्रभिभावकों का प्रमुख उत्तरदायित्व है कि वे यौन शिक्षा प्रदान करें लेकिन दुर्भाग्य है कि बहुत ही कम ऐसे प्रभिभावक हांगे जो इस वर्तन्य का निर्वाह करते होंगे । लेकिन जब वालक अभिभावकों से दूर अपने जर्द्ययन हेतु जाते हैं तो वे यौन सम्बंधी बातालाप व मूल्यानाएँ विद्वा से होने वाली बातालाप से, सिनेमा से तथा पत्र-पत्रिकाओं से प्राप्त करते हैं । यपने स्वयं के प्रभिभावकों से इन-

सम्बन्ध में कोई ज्ञान प्राप्त नहीं करते। यह दुख की बात है कि अभिभावक द्यात्री-द्यात्राओं की किशोर-अवस्था और उसमें होने वाली मानसिक परिवर्तन के बारे में गहराई व गम्भीरता से नहीं सोचते। ऐसी स्थिति में प्रसमायोजित हो जाते हैं या, योन सम्बन्ध धी असमाजिक व्यवहार करने लगते हैं। अभिभावकों द्वारा इस प्रसंग में अपने कत्तव्य निर्वाह करने में सचेत न होने से किशोरों में व्यप्रता घस्म जसात्था गलत धारणा बन जाती है और उनमें शरीर के किसी भी ग्राग में कमज़ोरी उत्पन्न हो सकती है, भावात्मक रूप से उत्पोड़न महसूस करने लगते हैं और वे मृत्यु को प्रामाणित करने लगते हैं।

अशिक्षा रूढिवादिता तथा शिक्षा प्रदान करने की सही विधि मालूम न होने की स्थिति में भारतीय अभिभावक मानते हैं कि वे योन शिक्षा सम्बन्धी उत्तरदायित्व निभाने में असफल रहे हैं। वास्तव में वे अपने कत्तव्य का निर्वाह करना चाहते हैं तो अपने परिवार के डाक्टर व परामशदाता से इस सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो उपादेव सिद्ध होगा लेकिन अधिकतम अभिभावक बिल्कुल इस ज्ञान को अपने बच्चों को देने के लिए 'इच्छुक ही नहीं है। जब कभी भी प्राकृतिक प्रवसर पर कोई वात था भी जाती है तो वे उसे प्रादेखी कर देते हैं।

विद्यालय का दायित्व

जी पी शेरी का मत है— बालकों को योन-शिक्षा का अवस्थित एवं वनानिक ज्ञान देने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय का होना चाहिए। भारत जैसे देश में जहाँ अविकाश द्यात्रों के मातापिता व अभिभावक अशिक्षित एवं योन-शिक्षा से प्रतिभूत हैं, इस उत्तरदायित्व की गम्भीरता का भार विद्यालय पर और भी अधिक बढ़ जाता है। पाठ्यक्रम के अन्य विषयों के समान योन सम्बन्धी शिक्षा विद्यालय में दी जाय। परंतु इस विषय का अध्ययन बढ़े ही कुशल, बुद्धिमान एवं यनुभवी शिक्षक के द्वारा दिया जाना चाहिए। शिक्षक ऐसा हा, जिसे बालकों का विश्वास एवं सम्मान प्राप्त हो तथा बालक निस्वीचभाव से अपनी योन सम्बन्धी समस्याओं तथा भावनाओं को व्यक्त कर सके। शिक्षक भी योन-सम्बन्धी समस्याओं को समझने और उनका निराकरण करने की सहज समता हो।¹

योन शिक्षा के सिद्धांत (Principles of Sex Education)
योन शिक्षा के सिद्धांत निम्नांकित है —

(1) योन शिक्षा एक अलग से पढ़ाये जाने वाले विषय के रूप में प्रारम्भ न किया जाकर अन्य अध्यापन विषयों से सहसम्बन्ध स्थापित करके हो। पान प्रदान

¹ शेरी, जी पा 'स्वास्थ्य शिक्षा' पृ० 308

विद्या जाय तथा शाला के सामान्य पाठ्यक्रम से हटकर विशिष्ट व्यवस्था इसके लिए नहीं हो ।

(2) शाला के स्त्री व पुरुष दोनों प्रकार के अध्यापक इस विषय को पढ़ाने हेतु प्रशिक्षित किये जाय । इस विषय को पढ़ाने के लिए शाला अध्यापकों के घराना बाहर के व्यक्ति वो जहां तक सम्भव हो नहीं बुझाया जाय ।

(3) अध्यापक यीन शिक्षा को नैनिकना से जोड़ने का प्रयास करे । मूल-नामों को स्पष्ट रूप से देन कि भावुकता म ।

(4) यीन शिक्षा किशोर-प्रदृशा में ही नहीं बल्कि यात्र्यकाल से ही किसी न किसी रूप में प्रारम्भ कर दी जाय ।

(5) यीन शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नताओं व आवश्यकताओं को हास्त में रख कर दी जाय ।

(6) बालक की बतमान व भविष्य की आवश्यकताओं व विकास को हास्त में रखकर यीन शिक्षा दी जाय ।

(7) यीन शिक्षा में यीन विशिष्टता का विशिष्ट रूप से नहीं बताकर केवल सदैव विशिष्ट बिंदुओं को ही प्रकाश में लाया जाय ।

(8) शाला में यीन शिक्षा कायक्रम को प्रियाचिति रूप देन में अभिभावक का सहयोग प्राप्त वरने का सफल प्रयास बाधित है ।

यीन शिक्षा कैसे प्रदान की जाय ?

(How Should Sex Education be imparted?)

यीन शिक्षा छात्रा को शाला शिक्षण विषय के रूप में प्रदान की जाय अथवा अन्य विषय के अधिगम के अवसर पर प्रसगवग्न विषय अध्यापक के द्वारा ही परिकल्पना को स्पष्ट किया जाय । बहुत से अभिभावक इस नान वो प्रदान करने के पक्षधारी हैं तो इसके विपरीत बहुत से अभिभावक इसे पढ़ाने के विरोधी हैं । पश्चिमी देशों में विसी रूप में यह नान प्रदान किया जाता है । जापान में इसे शाला का विषय के रूप में पढ़ाने हेतु पाठ्यक्रम में व्यवस्था की है । थी केड वी हैव ने यीन-शिक्षा के सादर्भ में कठिपथ सर्वेक्षणों का सार देकर इस बात की पुष्टि वो है इसी प्रकार बहुत से समाज शास्त्री व शिक्षा विद् इस शिक्षा को प्रदान किए जाने के पक्ष म है । प्रो ईबी के सर्वेक्षण ने भ्रन्तुसार हर चार में तीन विद्यार्थी यीन शिक्षा दिये जाने के पक्ष में है ।

भारत में भी समय समय पर सर्वेक्षण चर्चाएं, परिचनाएं, गोप्तीयों का जाये जन सम्मन होते रहते हैं उनमें भी दर्शी आवाज में इसको शाला द्वारा प्रदान की जाने की बकालात की जाती है । 1978 म थी रामकुमार वर्मा ने कौलज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से साक्षात्कार लेकर 'नवभारत टाईम्स' में प्रकाशित किया गया ।

उनम् भी विरोधाभास विचार प्राप्त हुए हैं। लेकिन प्रत्येक चार में तीन छात्र यौन शिक्षा शिक्षण सम्बन्धों द्वारा प्रदान करने के पथ में है। डॉ० लेंग के विचार इस सम्बन्ध में स्पष्ट है—‘योन शिक्षा के क्रम में स्वतन्त्र चर्चा क कारण पदा होने वाल समस्त खतरों को बर्दास्त करना चाहूँगा, बनस्पित उस महान् खतरे को जो इस सम्बन्ध में चुप रहने का पड़य था करके उठा रहे हैं।’ प्राज देश के छात्र व छात्राएँ अपने सामाजिक मूल्यों, देश की सकृति, परम्पराओं व बदलत हुए राष्ट्रीय दायित्वों से विमुख होते दृष्टिगोचर हो रहे हैं। प्रत भारतीय छात्रों को योन शिक्षा प्रदान कर हम काम विकृतिया (Perversion) को व्यवहार निर्माण उदात्तीकरण (Sublimation) करने में सफल रिढ़ हो सकते हैं। भारतीय छात्रों को योन शिक्षा देन के पक्ष में निम्नकारण है —

- (1) युवक व युवतियों को विचारों की स्वतन्त्रता, सह शिक्षा की व्यवस्था व वाहिक निषेधों के प्रधिकार विलम्ब से विवाह करने की परम्परा।
- (2) योन सम्बन्धी फिल्मों या फिल्मों में योन के बारे में बजारु विज्ञा पत्र प्राप्ति। पर-लिंगीय वस्त्रधारण आसक्ति (Transvestism)।
- (3) छात्र-छात्राओं को साहित्य पढ़ने की स्वतन्त्रता।
- (4) देश विदेशीम प्रकाशित निम्नस्तर के साहित्य पढ़ने के लिए उपलब्ध होना।
- (5) बाजार म योन-प्रदर्शन के पोस्टरों का प्रदर्शन।
- (6) हानीग वथ (Holling worth's), मायरेट मे ड (Margaret Mend) द्वारा प्रतिपादित सिङ्गात—‘किशोरावस्था यकायक व तीव्र गति से नहीं, यह तो एक निर तर मारीरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है।’
- (7) छात्रों को समस्या के बार म बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था म वर्गानिक दृष्टिकोण के विकास म सहयोग हेतु।
- (8) योडे व हल्के ज्ञान से काम-प्रवृत्ति के विक्रित स्वरूप होने की सम्भावनाएँ बढ़ोगी। जिससे असमाजिक श्रत्यों में छात्र सन्तान हो जाने से राष्ट्र की धर्मिविक्रित होगी।
- (9) योन सम्बन्धी अज्ञानता के फलस्वरूप उनके मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न होने वी सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं।
- (10) योन शिक्षा के अभाव म विद्यायियों म अनेक दुर्भावनाएँ जो स्थाई रूप से पृष्ठीय (Complex) बनकर अदात बन जाती हैं जो काला नर म मस्तिष्क म अस्त्राल को बढ़ोतरी मिलती है।
- (11) ऐश म 'नीमहृषीम' के चक्कर म फसकर जीवन का स्थाई नुकसान (जिस पूरा नहीं किया जा सकता) हो जाता है।
- (12) बालकों का बीमापात्र और बालिकाओं का मानसिक-घम उनके प्रस्तुतिक म चिता व घबराहट पूरा कर देती है।

(13) बालक व बलिवाएँ देश के शुष्क जलवायु के कारण जलद ही किशोर प्रवस्था में प्रविष्ट करते हैं व्यवस्थित ज्ञान न होने से योन सम्बंधी बुरी आदतें जीवन-पथ का कारण बन जाता है।

(14) देश बातावरण, यमव, भौतिकवाद की प्रोट भुक्ताव, विवाह की महत्वपूर्ण स्थाया का विश्वास खण्डित होते जा रहे हैं, नैतिकता का पतन हो रहा है अर्थात् पाश्चाय प्रभाव बढ़ रहा है अत योन शिक्षा प्रदान करना बाधित है।

(15) भारत में भी लैगिक विकृतियों का क्षेत्र बहुत व्यापक होता जा रहा है। लैगिकता का जब समुचित विकास नहीं हो पाता है तो बालक का लैगिक समायोजन अस्त-यस्त हो जाता है प्रोट किशोरावस्था एवं युवावस्था में अनेक विकृतियों भी प्रदर्शित होती हैं। लैगिक विषटन से व्यवहारिक एवं मातृ-पितृ विषटन भी होता है।

(16) धात्र छानामा का धात्रावास अनाधानया में रहने में समलग्न-कर्ता पतनपती है।

(17) नैतिक मूल्यों में कमी या रही है—पड़ोसी गदे आचरण के फल स्वरूप या लड़के व लड़किया घर से दूर रहकर शहरीय बातावरण के मध्य ही अध्ययन करते हैं जिससे वश्यावृति में पड़ने का भय रहता है। गुरुकूल व्यवस्था ढीली पड़ती जा रही है।

(18) भारतीय परम्परानुसार किशोर प्रवस्था में भाई बहन पिता-पुत्र माता-पुत्र का सहवास वर्जित या लेकिन प्राज इस तरह वा सहवास फलन सा हो गया है। जब भाई-बहन किशोरावस्था में एक विस्तर पर लेटत है तो लैगिक कामना पतनपती है प्रोट निपिढ़ सम्भोग (Incest) वी सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं।

(19) प्राज लड़के व लड़किया ऐसे वस्त्र पहनती हैं जिससे विषम लिंगकी उत्तेजना बढ़ती है। विषम लिंगी के बाल हाथ, नीचे पहनने वाले कपड़े, जूते, मुग्धित तल, मेरुप आदि लिंग उत्तेजना का कारण बन जाते हैं।
प्राज देश में लैगिक व्यवहार के महत्व को स्वीकार बरत है परंतु इसके मध्य घे में उचित शिक्षा व्यवस्था का देश में कोई प्रबंध नहीं है। धात्र प्रभिभावक व शिक्षक ये तीनों मुजाएँ एक दूसरे से अलग-अलग सोचते हैं प्रोट योन शिक्षा के प्रति सोचते नहीं हैं। अभिनायक प्रशिक्षित हैं, अध्यापक इसके लिए उत्तरदायित्व दी नहीं समझता ऐसी स्थिति य धायो में गत मूच्यनामो के धायार पर प्रपराय वी नावनाएँ जाग्रत होती हैं। अत धाज समय की मांग है कि धात्र व धायामा वो योन सम्बंधी आवश्यक मूच्यनाएँ व नान प्रदान दिया जाय ताकि उनमें नाम विष्टिया (Perversion) न होकर उह बला, विनान सामाजिक दृष्टि से रचनात्मक वाय आदि वायों में सलग्न कर व्यवहार-निमाण उदातीकरण

(Sublimation) किया जा सकता है और चारित्रिक दोष (Character defects) से बचाकर राष्ट्र के लिए उपादेय नागरिक के रूप में तयार करने का सफल प्रयास किया जा सकता है। अत छात्र व छात्रामों को सही ढग से सही समय पर सही¹ ऐसी (स्कूल) द्वारा यीन शिक्षा के बारे में वज्ञानिक ढग से यीन शिक्षा ग्रन्थ विषयों से सम्मिलित रूप में बिना हिचकिचाहट, रहस्य अथवा द्विपाव के प्रदान करने की परिस्थितिया पदा करने का सफल प्रयास चाहित है। यीन शिक्षा कार्यक्रम में बाधाएँ व उनके समाधान

(Difficulties in the way of Sex Education & their remedies)
निम्नांकित हैं —

(1) ग्रभिभावक, शिक्षक, छात्र, धार्मिक सम्बन्ध तथा साधारण जनता यीन कायन्त्रम के विरोधी हैं।

कायन्त्रम को आवश्यकता महत्व उद्देश्य, विषय वस्तु तथा सहायक सामग्री ग्राहि के बारे में समाज को स्पष्ट किया जाय। ग्रभिभावकों से व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में बातचीत कर विश्वास पदा किया जाय। धार्मिक सम्बन्धों व विभिन्न धर्म, हिंदू मुस्लिम, इसाई धर्म में इसके बारे में आवश्यकता हतु प्रदत्त विवहरण के उद्धरण को सेकर विषय वस्तु तैयार कर धार्मिक सम्बन्धों व जनसाधारण तक प्रचार प्रसार किया जाय। क्योंकि युनान ग्रीक, इसाई धर्म हिंदू धर्म में विभिन्न रूप में प्रदर्शित भी किया गया है।

(2) शिक्षकों में इस विषय के प्रति रुचि का न होना।

ग्रध्यापका को शिक्षण हतु प्रशिक्षित किया जाय। यीन शिक्षा प्रदान करना नतिक दायित्व है। ऐस ग्रभिभावक जो अपने पुत्र व पुत्रियों को यीन शिक्षा नामाजिक समायोजन हतु पढ़ाना आवश्यक समझते हैं वे सक्षम ग्रध्यापक को महत्वपूर्ण कारक समझते हैं प्रत ग्रध्यापक स तुनित व्यक्तित्व बाला होना चाहिए। प्रस्त्राम व प्रयोग ग्रध्यापकों द्वारा ऐसे विषय को पढ़ाने से लाभ की वजाय स्थाई हानि हो सकती है।

(3) ग्रभिभावक विशिक्षित व रुठियादी हैं।

अपने बाड़ के सम्मुख यीन के बारे में बातातिप्रसामाजिक दृत्य समझते हैं। वे इस व्यक्तिगत मामला समझ कर इस पर परिवार में चर्चा तक यरना नहीं चाहते जबकि ग्रधिक समय बालक ग्रभिभावका के पास ही रहते हैं। ग्रभिभावकों को ग्रध्यापक-ग्रभिभावक मध्य की बठक में सही दृष्टिकोण का विकास कर, इसके लिए समाज शास्त्री, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक उपदेशकों के द्वारा विभिन्न विषयों का यीन से सम्बन्ध व आवश्यकता के बारे में प्रकाश डालते हुए उह राजी किया जाय।

(4) 'योन शिक्षा' जीवक से घबराहृष्ट है।

योन प्रवृत्ति के प्रति प्राय लोगों में अभिवृत्ति के प्रति मस्तवस्थ होने से इस जीवक की आलोचना करते हैं। योन शिक्षा का उद्देश्य कोटुम्बिक जीवन के लिए तयारी है, परं इसे कोटुम्बिक जीवन की शिक्षा या प्रपत्र नाम दिया जा सकता है।

(5) सामाजिक सह्याएँ, प्रभिभावक प्रपत्र उत्तरदायित्व के प्रति संवेदनहीं हैं।

यह परिवार में समायोजन मुख को पदा करने हेतु है परं अभिभावकों को सही दृष्टिकोण का विकास किया जाय। स्त्री व पुरुष का सच्चा प्यार जीवन को कस प्रफुल्लित करते हुए अमताधो में बढ़ोतरी करते, यह बाते अभिभावक समझें। भारतीय नतिक व सामाजिक स्वास्थ्य परिपद का विचार है कि योन-उत्तिकर्ता ही योन शिक्षा का उद्देश्य है अतः विस्तृत व मही सूचनाओं से योन-शिक्षा के प्रति सही अभिवृत्तियों का विकास हो सके।¹ सामाजिक सह्याएँ को इस प्रोत्तर काय बरने हेतु प्रभियान प्रारम्भ करने हेतु उत्प्रेरित किया जाना चाहिए। योन शिक्षा प्रदान करने से अध्यापक का उत्तरदायित्व

(Role of teachers)

शाला में योन-शिक्षा प्रदान करने की सफलता बहुत कुछ अध्यापक पर ही निभर करती है। अध्यापक दुर्द्विष्ट सम्पन्न, विवेदी, लोकिक ज्ञान सम्पन्न, नतिक रूप से प्रतिष्ठित हो जो किशोर बालक व बालिकाधों के समझ नाम प्रदान करने में प्रभावशाली सिद्ध हो सके प्रोत्तर उह योन को बहुमूल्य तथा गौरवशील बतात हुए हृदयगम करवाने का सफल प्रयास करें। एत अभिभावक जो प्रपत्र बालक व बालिकाधों को सामाजिक जीवन में योन समायोजन का नाम प्रदान करवाना चाहते हैं वह बहुत कुछ उम् अध्यापक की दामना व दक्षता पर ही निभर करेगा जो उन बालक व बालिकाधों को योन-शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अविवेदी प्रध्यापक किशोरों के लिए अपशोधनीय नुकसानदायक सिद्ध हो सकते हैं। इसी कारण समाज के बहुत से लोग योन-शिक्षा शालाधों में पढ़ाने के विरोधी हैं यदोकि दक्ष अध्यापकों की पत्त्वधिक कमी है। लेकिन अभिभावक भी प्रपत्र बालक व बालिकाधों के सम्म विचार विमर्श करने में बहराने हैं।

छात्र-अध्यापक व योन शिक्षा (Training teachers)

देश में बहुत स विवेदशील व मनोविज्ञान वे जानने वाले अध्यापक शालाधों में उपलब्ध हैं सामतोर स 'शाला परामशदाता'। उह योन-शिक्षा प्रदान करने हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान कर इस महान् बाय हेतु उत्प्रेरित करने की प्रत्येत

¹ Memorandum on Sex Education P/7

प्रावश्यकता है। उह योन रचना विनान व प्रारीर विनान का सामाय नान हो। वे व्यक्तिगत भावात्मक एव सामाजिक दृष्टिकोण के बारे म जानने वाले हो। किशोर-प्रवस्था के समाजशास्त्रीय व मनोविज्ञान का नान होना चाहित है।

शिक्षक प्रशिक्षण कायकम भ योन-शिक्षा व किशोर के विकास के बारे म समावेश किया जा रहा है उक्त विषय म विवाह एक पवित्र संस्था के रूप म तथा पारिवारिक सम्बंध परिवार की जीवन प्रक्रिया आदि जो योन सं सम्बंधित हो का ज्ञान प्रदान किया जाय। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएँ महान् उपयोगी तब ही हो सकेगी जब इस विषय के विकास व विस्तार हतु एक विशिष्ट अध्ययन विषय के रूप म प्रारम्भ किया जाय ताकि वे भावी अध्यापक व्यवहारिक रूप से अध्यापन-व्यवसाय मे सलग्न होकर अभिभावको के दृष्टिकोण म परिवर्तन हतु अभियान प्रारम्भ बर सकत है तो दूसरी तरफ बालक व बालिकाओ भो सही उम्र म सदी ढग से व्यवस्थित अधिगम करवाने म भी सफल हो सकेंग।

योन शिक्षा-पाठ्यक्रम

योन शिक्षा का सुभाव के रूप म पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है जो समय काल परिस्थितिया के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

उच्च प्रायमिक शालाएँ — शारीरिक परिवर्तन जो किशोर अवस्था के प्रारम्भ म आते है सामान्यत विशेष रूप से जसे (म) बजन, ऊँचाई म परिवर्तन (व) देह क अनुपात म परिवर्तन जैसे कमर माथे, टाग (स) परिवर्तन लड़किया को छाती जाये कुल्ह योन स्वच्छता (Sex Hygiene)।

लड़को के लिए — (व) बाला का चेहरे बगल तिग पर पदा होना (व) आवाज म परिवर्तन, (स) श्वेत ग्रीष्मा वी क्रियाशीलता (द) योन की ग्रीष्मा हारमो म का उत्पन्न होना जिससे तिलिंग का विकास होना, जनन व उत्तरादन करना।

लड़कियो के लिए — (१) बाला का बगल व योनी के स्थान पर उगना, (२) बदन के अदर परिवर्तन जैस छाती का विकास होना कुल्हो का विकास होना (४) श्वेत ग्रीष्मा वी क्रियाशील होना (५) पीसू ग्रीष्मा प्रोवरिज (६) मासिक-धम के दिन-मासिक-धम क बारे म ध्यान दने योग्य बात- (७) मासिक धम के पाच दिन तक आराम करना, (व) मासिक धम के चौहादे दिन, (स) अगलेमासिक धर्म के पाच दिन, (द) यदि अण्डा निपचन नही हुआ है तो मासिक धम प्रारम्भ हो जाता है। (य) मासिक धम क समय रख-रखाव कलेण्डर रखना बैल्ट व पैंड का प्रयोग बरना। (६) पुनरावृत्ति (अ) प्रजनन-प्रक्रिया (व) गभ के बारे म नान, (स) बन परम्परागत प्रभाव (७) असमलिंग से व्यवहार, (८) घपने परिवार से व्यवहार-

(प) माता-पिता के वृद्धिक्रोण को समझना, (व) किशोर की घपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी (स) परिवार में जनत त्र ।

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में — माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालाओं के छात्र व छात्राओं के लिए अलग-प्रलग पाठ्यक्रम न होकर निम्नादित एक समान हो बांधित है —

(१) विशेषज्ञताएँ—

(अ) शारीरिक परिवर्तन (ब) भावात्मक विकास-योन सम्बन्धी, काम वासनाओं पर नियंत्रण (स) मानसिक विकास ।

(२) वश परम्परा का महत्व—(अ) सिद्धात, (ब) आध विश्वास ।

(३) पुनरुत्पत्ति (अ) प्रजनन प्रक्रिया (ब) जिम, (स) शादी के बाद गम के बारे में ज्ञान, (द) बच्चा पैदा होने से पूर्व तेल-रेख, (य) बच्चे का पैदा होना, (र) परिवार वस्त्याण ।

(४) परिवार का महत्व—(अ) परिवार में मनमुटाव, (ब) परिवार के सम्बन्धों को सोहाद बनाना ।

(५) योन को सही ढंग से समझाना—(अ) योन की सामान्य रचि (ब) योन की इच्छा लड़के व लड़कियों में, (स) स्वयं पर मात्रियत्रण करना (द) समलिंग व हस्तमेयुन की समस्याएँ ।

(६) बाधुनिक विश्व में योन—(अ) दुपयोग, (ब) योन-नियन्त्रण से लाभ (द) उच्च स्तर का बर्ताव ।

(७) योन के प्रसंग में छात्र-छात्राओं द्वारा पूछे गये प्रश्नों का समाधान सही व स्पष्ट देना ।

योन-शिक्षा की अध्यापन विधियाँ

(Methods of teaching-Sex Education)

योन शिक्षा द्वेतु पाठ्यक्रम के चयन में सावधानी का रखना आवश्यक है ठीक इसी प्रकार उपयुक्त विधियों के चयन में अति सावधानियाँ रखना मावश्यक है। पाठ्यक्रम में विभिन्न विषय-बस्तु के लिए भिन्न-भिन्न उपयुक्त विधियाँ बांधित हैं। इस सम्बन्ध में कुछ अध्यापन विधियाँ सुझाव के रूप में प्रस्तुत की जा रही हैं —

(१) परिकल्पनात्मक विधि —इस विधि द्वारा विद्यार्थियों को जान दिया जाता है जिससे वे योन के बारे में सही सकल्पना ग्रहण कर सकें ।

(२) भापण विधि — केवल सूचना देने योग्य विषय बस्तु जैसे जनसंख्या शिक्षा, समाज की आवश्यकताएँ, आर्थिक विपर्ययाएँ, योन सम्बन्धी रोग उनके लक्षण व उपचार आदि ।

(3) पाठ्यपुस्तक विधि — परिवार में रहन सहन, योन सम्बन्धी विमारियों-निदान उपचार के बारे में जानकारी ।

(4) मीखिक प्रस्तुतीकरण — पत्र-वाचन से सामाजिक, आर्थिक, तथा साधियों से योन सम्बन्धी बातलाप ।

(5) बातलाप विधि — परिवार से सम्बंधित भ्रनुभव से सम्बंधित बातलाप से विचारों का आदान-प्रदान ।

(6) प्रश्नोत्तर विधि — किसी भी विवादास्पद विषय पर विचार-विमर्श को उत्तेजित करने के लिए होता है । प्रश्न सक्षिप्त, निश्चित व विचार-उत्तेजक हो । वशानुक्रम के आधार व मोन के बारे में ।

(7) समस्या समाधान विधि — योन स्वास्थ्य के लिए भोजन निद्रा, व्यायाम आदि वस्तुनिष्ठ डेटा सप्रहित करके समस्या का समाधान दुर्घते है ।

(8) सामाजिक नाटक — इस विधि से परिवार की परिस्थितियों को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है । पति-पत्नि के सम्बन्ध, 'दुटे हुए परिवार' की समस्याएँ, परिवार न्त्याण आदि को प्रस्तुत किया जा सकता है ।

(9) प्रायोगिक पद्धति — वैज्ञानिक ढंग से विद्यार्थी-विश्वपण य निष्पर्यं निकालते है ।

(10) प्रायोजना विधि — व्यक्तिगत या मानुषिक प्रोजेक्ट सेकर डटा अप्रृद्ध रखते हुए नतीजे पर पहुँच सकते हैं । भिन्न-भिन्न प्रदार के योन सम्बन्धी व्यवहार के अध्ययन करते हुए समस्या का समाधान सम्भव हो सकता है ।

(11) व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्याएँ — परिवार की योन सम्बन्धी समस्या का अध्ययन स विचार विमर्श करने का अवगत प्राप्त रर अधिक जानकारा मिलती है ।

योन शिक्षा के अधिगम हेतु सहायक सामग्री — (Material Aids)

(अ) सहायक सामग्री —

(1) चाटस, रेखाचित्र चित्र, पोस्टस, व बनाई मिल सकती है पोर बनाई भी जा सकती है ।

(2) अव्य दृश्य सामग्री ,— सामाज्य प्रकृति की योन शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सम्मिलित करने से सभी विद्यार्थी सावधानत हो सकेंगे ।

(3) टेप रिकार्ड्स — इस विषय की विशिष्ट योग्यता रखने वाल विद्वान् ज्ञ योन सम्बन्धी भाषण सुनाये जा सकते है ।

(ब) सहायक सामग्री प्राप्ति के साधन — सहायक सामग्री निम्न-निषित स्थानों से प्राप्त की जा सकती है—(1) सावजनिक मुस्तकानय (2) चाट पर बचन यातो रम्पनीयों से (3) अव्य-दृश्य अधिकारी प्रबन्ध (4) दोनों-

परिवर्तिती ग्राहीय, (5) फिल्म कम्पनी, (6) निदेशक, सूचा-प्रसार नद दिल्ली, (7) नेशनल पड़यूषिजल, नई दिल्ली, (8) स्वास्थ्य विभाग, (9) परिवार कल्याणविभाग, (10) एन सी ई आरटी, नई दिल्ली ।

सहगामी प्रवृत्तियों - किशोरों के लिए स्कूलों में पर्याप्त मात्रा में क्रियाएँ हो जिनमें भाग लेकर उनकी अतिशय शक्ति वो उपयुक्त मात्रा मिल सके और उनकी योन शिखा सम्बंधी नैरसिक शक्ति (Sex Instinct) का उचित रूप से व्यवहार निर्माण उदातीकरण (Sublimation) हो सके । इस दृष्टि से स्कूल में स्काउटिंग गुरुगाईड एन सी भी साहित्यगोष्ठीयों ग्राटकोय जभिनय, खेलकूद आदि पाठ्यक्रम सहगामी प्रवृत्तियों का प्रजाताजिव ढग से सगठित व सचालित की जाय, त्रिसमें वध्यापक निर्देशन-काय करे । प्रवृत्तियों में भाग लेने वाले छात्रों की निर्दा घोजन व विधाम का ध्यान रखा जाय । घोजन सत्त्विक ही हो ।

योन शिक्षाव मूल्याकान - (1) विचार विमश द्वारा प्रश्न पूछे जा सकते हैं जैसे (अ) मासिक धम क्या है ? (ब) कितने समय में मासिक धम होता है ? (स) म तिक धम होत हुए नहाना क्या आवश्यक है ? (द) कीन-कीन सी गर्ल डस कहा है ? (य) गर्भ धान क्या है ? (र) योनी कहा है क्या स्थिति है ? (ल) घण्डा किस प्रकार से जीव का रूप लता है ?, (व) दूसरे के अधिकार व विचारों का आदर क्या करते है ? (स) माता पिता की कीन कीन सी अच्छाई की प्रशंसा करते है ?

(2) प्रोजेक्ट — विद्यार्थियों को स्थानीय परिषद म प्राजेक्ट दिए जाते हैं जैसे विभिन्न स्तरों पर स्थानीय परिस्थितियों म सस्तो खुराक छोटे बच्चों के लिए स तुलित भाजन, गर्भधान, औरत वे लिए स तुलित भाजन ।

(3) वस्तुनिष्ठ व निव घात्मक प्रश्न विद्यार्थियों के नाम का उदयोजन व अवबोधन आदि वो जाव दी जा सकती है ।

योन-स्वच्छता (Sex Hygiene)

चालकों के अभिभावकों वो यह जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों के स्वास्थ्य वी पूरा रूप से रक्षा करें । यहां तर काम सम्बंधी स्वास्थ्य (Sex Hygiene) का सम्बंध है उह चाहिए—[a] बच्चों की प्रजनन इंद्रियों का साफ रखें, [b] प्रजनन इंद्रियों का ढीरे रखें [c] दाढ़ीयों व नौकरों के जिम्मे न छोड़ें [d] लड़के व लड़कियों वो एर विस्तर पर न मुलायें, [e] प्रजनन रोग की जान में दावटरी सहायता ले [f] लड़कियों के प्रथम रजस्वला के मोक्ष पर उचित जातें बतना दें, [g] अभिभावक वजानिक ढग को अपनाएं और छात्र आत्मों व वनानिक जानकारी प्रदान करें ।

प्रजनन इन्द्रियों सम्बन्धी सामान्य राग—प्रजनन इन्द्रियों से सम्बंधित दूषक के रोग में 'दो बहुत ही प्रमुख एवं भयकर हैं—1 सुजाक (Gonorrhoea) व या 2 ग्रतिशक्ति (Syphilis) ये दूषक सम्भोग से होती हैं। इन रोगों से पीड़ित प्राणी समाज व व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक हैं। इन रोगों के निराकरण के उपाय व सावधानियों चाहिए।

स्थिया में प्रजनन इन्द्रियों से सम्बंधित रोगों के उपरोक्त दो रोगों के प्रतिरिक्ष प्रदर [Leucorrhoea] ग्रनिशय रजस्थाव [Profuse Menstruation], रजस्थला का न होना, [Amenorrhoea] गर्भाशय की सूजन [Swelling of uterus], बौंफन [Sterility], इन रोगों की काला तर म जटीलता बढ़ सकती है अत डॉक्टर से परामर्श लेना उपादेय रहेगा।

उपसहार—योनि की इच्छा विभिन्न ढग से विभिन्न स्तरों पर प्रकट होती है। माता पिता व प्रध्यापक को समझना चाहिए कि वे इन विभिन्न प्रायुस्तरों से साधारणतया गुजरते हैं, उह धमकी, घालोचना और इच्छाप्रो के विपरीत योनि सम्बंधी विचारों को धोने प्रादि से दूर रखें। प्रभिभावक व प्रध्यापक को मिश्र सहयोगी का बताव रखना चाहिए और विद्यार्थी जसे बड़े होते जाय उह सही ढग से जीवन माय की ओर प्रश्नसर हेतु निर्देशन दे। विद्यायियों द्वारा समय समय पर पूछे गये प्रश्नों को दृष्टि म रखकर पाठ्यक्रम मे सुशोधन किया जाय। सभी प्रध्यापक प्रश्ने विषय को पढ़ाते वक्त योनि-शिक्षा सम्बंधी बातें स्पष्ट करें। 'मोहन बौंयज एसोसियेशन' द्वारा द्यात्रा की विश्वास म लेकर विषय वस्तु पर प्रकाश डालने का सफल प्रयास करें। प्रजनन इन्द्रियों से सम्बंधित रोग व बचने के उपायों के बारे म सूचना दे। द्यात्रा को काम शिक्षा भय विषयों को पक्षात वक्त देने के पक्ष म है लेकिन कुछ प्रभिभावक 'जापान' को तरह योनि को पाठ्यक्रम के विषय के रूप मे पढ़ाने के पक्ष म है। प्रसव म पाठ्यक्रम [मुन्द्राय के रूप म], प्रध्यापन विधियाँ, सहायक सामग्री, सहगामी द्वियाएं व मूल्यांकन की रूप रेखा की क्रियाविति से मानसिक, एवं सवेगात्मक विकास की दृष्टि से उपादेय होगी तथा विद्यालय उत्तरदायित्व निभायगा।

मूल्यांकन (Evaluation)

(अ) लघुत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer type Questions)

- [1] सह प्रशिक्षक विद्यालयों म योनि शिक्षा प्रदान करते समय वाम म लाइ जान वाली पांच सावधानियों लिखिये। [बीए 1985]
 [2] योनि शिक्षा का विद्यालय म महत्व बताएं। [बीए 1984]

- [3] सह शैक्षिक विद्यालया मेरी योनि शिक्षा प्रदान करते समय बरती जाने वाली चार साथधानियाँ गिनाइये । [बी एड पत्राचार 1984]
- [4] क्या योनि-शिक्षा वेवल विश्वोरावस्था के द्वाक्षों को ही देनी चाहिये ? अपने उत्तर का कारण बताइये । [बी एड 1983]
- [5] प्राप्त अपने विद्यार्थियों का प्रजनन-क्रिया पढ़ाने मेरी किस विधि का प्रयोग करेंगे ? [बी एड पत्राचार 1981]
- [6] क्या प्राप्तके विचार मेरी विश्वोरावस्था के बालकों को ही योनि शिक्षा दी जानी चाहिए ? यदि नहीं तो विवेचन कीजिए । [बी एड 1979]

(ब) निबंधात्मक प्रश्न (Essay type Questions)

- [1] 'जनसुख्या शिक्षा' तथा 'योनि शिक्षा' मेरे भेद स्पष्ट कोजिये । माध्यमिक विद्यालयीय स्तर पर इनकी शिक्षा मारम्भ करने के बारे मेरी टिप्पणी कीजिये और बताइये कि ऐसा करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है । [बी एड पत्राचार 1985]
- [2] भारत जसे विकासशील देश के लिए योनि शिक्षा की क्या मावश्यकता है ? हमारे विद्यालयों मेरे इसे किन विधियों से सफलतापूर्वक व्रेपित किया जा सकता है ? [बी एड 1982]
- [3] माध्युनिक युग मेरी योनि शिक्षा के महत्व को समझाइये तथा बताइये कि हमारे विद्यालयों मेरे यह किस प्रकार दी जाए ? [बी एड 1978]

[विषय प्रवेश-शिक्षा व निर्देशन-निर्देशन का अभिप्राय-निर्देशन के उद्देश्य निर्देशन सेवा क्या है ? निर्देशन सेवा का स्वरूप शैक्षिक निर्देशन-व्यावसायिक निर्देशन-व्यक्तिगत निर्देशन-निर्देशन कैसे दे ?—निर्देशन हेतु उपकरण-विभिन्न स्तरों पर निर्देशन सेवाएँ-वर्तमान में विद्यालया म निर्देशन सेवा-स्वरूप तथा विधिया निर्देशन सेवा तथा प्रधानाध्यापक परामर्शदाता व अध्यापक के दायित्व-निर्देशन सेवाओं को प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव-उपसहार-मूल्यांकन]

शिक्षा व निर्देशन

शिक्षा का उद्देश्य बानक का सवार्गीण विकास करना है। निर्देशन सेवा भी इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील रहती है। शिक्षा द्वारा आत्मतुष्टीपूरण एवं सामाजिक रूप से प्रभाववृण्ण जीवन व्यतीत करने के योग्य व्यक्ति को बनाया जाता है। शिक्षा व्यक्ति म निहित सामाज्यों की सीमा म उसका सवार्गीण विकास करना है तो निर्देशन भी इसी लक्ष्य को लेकर चलता है। अत निर्देशन सेवा शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु साधन व माध्यम है तथा ये एक दूसरे के पूरक है। वत मान परिस्थिति म निर्देशन शिक्षा म जोड़ी गई वाइ प्रवृत्ति नहीं ह वरन् उसका अभिन्न घण है। चाहे शिक्षा का कोइ भी अव सिया जाय हम निर्देशन वा शिक्षा स प्रतग नहीं वर सञ्चित। जैक्षिक निर्देशन द्वारा की जातिक कठिनाइयो एवं समस्याओं से है। यदि बातक वो कठिनाइया एवं समस्याओं को सुलझाने व सही समय पर उसकी योग्यताओं का पता लगाने हेतु महयोग नहीं दे मे तो उसे मात्र बात कल की तपारी करते हुए सामना करने में सकृतता मिलने की कम सम्भवनाएँ रहगी और विफलताएँ हाथ लगगी। एसी स्थिति म उसको जीवन म उपरोक्ति करन, तथा व्यवहारिक जीवन के अव लेने म प्रगति करने हेतु निर्देशन परम ग्रावशार है।

निर्देशन का अभिप्राय — विभिन्न मनोवृत्तानिका एवं विद्वानों ने अपने द्वा स निर्देशन का अव बतलाते हुए परिभाषित किया है जो इस प्रकार है —

जान्स महोदय के अनुसार — निर्देशन का अव है सुभाव द्वा इगत वस्त्रा मूर्चित करना तथा पथप्रदणन करना इस अव म निर्देशन महायता द्वाने स के अधिक है।

मोरिस महोदय के अनुसार — "निर्देशन व्यक्तिया को सहायता प्राप्त (67)

करने की उस प्रतिया को कहते हैं जिनके द्वारा व अपने प्रयत्नों से अपनी उन भूमताओं का पता लगाने में तथा उन्हें विकसित करने में समय हो जाते हैं जो उनके व्यक्तिगत जीवन को सुखी तथा सामाजिक जीवन को उपयोगी बना सकती है।

को तथा को के अनुसार,— निर्देशन के द्वारा भावी जीवन के सम्बन्ध में योजनाएँ बनाते हैं।

“निर्देशन प्रदेशन नहीं उसका अब अपनी विचार धाराओं को दूसरे पर लादना नहीं है, यह उन निषयों का, जिहे एक व्यक्ति को अपने लिए निश्चित करना चाहिये निश्चित करना नहीं है यह दूसरा के दायित्व को अपने ऊपर लेना नहीं है बल्कि निर्देशन तो वह सहायता है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रदान करता है इस सहायता से वह व्यक्ति अपने जीवन का पथ स्थिर ही प्रणित करता है, अपनी विचारधारा का स्वयं ही विकास करता है अपने निरुद्योग निश्चित करता है तथा अपना दायित्व निभाता है।”

माध्यमिक शिक्षा आयोग ने निर्देशन को भावी जीवन के सम्बन्ध में योजना बनाने में उपयोगी घोषणा है।

निर्देशन एक ऐसा कठिन काय है जिसके आधार पर बालक वालिकाएँ उद्दिष्टतापूर्ण अपने भावी जीवन के सम्बन्ध में योजनाएँ बनाते हैं। अपने भविष्य सम्बन्धीय योजनाएँ बनाते समय के साथ के उन सभी तत्वों को ध्यान में रखते हैं जिनके बीच में रहकर उन्हें बाय करता हांगा।

निर्देशन द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के यथसर प्रदान किये जाते हैं। उसके मानसिक विकास भावात्मक परिपक्वता सौदय के प्रति प्रशंसात्मक हृष्टिकोण सामाजिक सम्बन्ध मौतिक एवं प्रायात्मिक मूल्यों के बारे में सहायता देता है।

निर्देशन के उद्देश्य

निर्देशन की प्रतिया का एक निश्चित उद्देश्य है अर्थात् व्यक्ति को जीवन की रठिन परिवित्याएँ में उद्दिष्टतापूर्ण करने तथा समायोजन में महायता करना।

- 1 द्यान तथा द्यावाना को अपनी योग्यता व सम्मता की जानकारी करना, निर्देशन की प्रतिया से द्यान को अपने विषय में पूरी-गूरी जानकारी प्राप्त करने में महायता मिलता है।
- 2 निर्देशन से सहायता में द्यान-द्यावाना की विषया योग्यताओं तथा धर्म-ताया का पूरा पूरा विकास होता है और उनमें परिपक्वता जाती है।
- 3 निर्देशन तो उद्देश्य है द्यान द्यावाना को इस योग्य चराना कि व सर्वाना दायित्व स्वयं अपने जार ले रे में समय हो जाए।
- 4 द्यान द्यावाना का बातावरण के माध्यम समायोजन कर सर्व में सहायता दरना भी निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है।
- 5 निर्देशन तो उद्देश्य द्यान-द्यावाना तो उन सर्वसारा भी जानकारी करना है किंतु याएँ नहीं।

- 6 व्यक्ति का बहुमुखी विकास करना निर्देशन वा सभसे प्रमुग उद्देश्य है। फिर इसकी सहायता से व्यक्ति अपने निहित योग्यताओं, क्षमताओं तथा गतिशीलता की जानकारी प्राप्त करता है उनका सदुशयाम् करके अपने भविष्य का निमाण करता है। इससे उसम् प्रात्नशक्ति भी विकसित होती है जार उस अपने व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है।
- 7 निर्देशन की सहायता से मनुष्य इस यात्रा बनता है कि वह जीवन सभ्य में विभिन्न परिस्थितियों एवं समस्याओं वा सफातापूर्वक समाजान कर सक और स्वयं समाज का अधिकाधिक भाग बर सके।

निर्देशन सेवा क्या है ?

निर्देशन किसी व्यक्ति का उमसी समस्याओं के हन हेतु उसको उसकी क्षमताओं को जान कर उन समस्याओं के हन हेतु समाधान दौड़ने में सहायता है जो यक्ति ने उसकी समस्याओं के समाधान हेतु बीजाती है। बहमान विज्ञान व तकनीकी युग में विज्ञान आवश्यक ही नहीं बरन् अनियाय सा हो गया है। वयोजित विज्ञान व तकनीकी प्रगति के साथ व्यावसायिक लेने में इनकी शाखाएँ खुल रही हैं जिनके लिये विशेष योग्यता, रुचि व अभिरुचि की आवश्यकता है। जिसका ज्ञान कराते के लिए निर्देशन अत्यावश्यक है। द्वितीय सामाजिक विषयमताओं के कारण भी यालक व बालिकाओं का निर्देशन आवश्यक है जिससे कि वे राहन भटक। तीसीय मनोविज्ञान की प्रगति से यालक व बालि कार्य स्वयं की योग्यता क्षमता, रुचि अभिरुचि को जान सकत है। अत विद्यालयों में निर्देशन सेवाओं का महत्व आज बहुत बढ़ गया है। क्याहि विद्यालयों में विभिन्न प्रशार के विद्यार्थी अध्ययन हेतु आते हैं। ये विद्यार्थी आमु मानसिक योग्यता, आर्थिक सामाजिक रियति आदि में विभिन्नताएँ लिए रहते हैं। इनके बाचरण व्यवहार आदि भी विभिन्न होते हैं। शिक्षक तथा मनोवैज्ञानिकों ने नी इन व्यक्ति विशेषताओं वाले समूह में विद्यार्थी के समायोजन में बहुवा, एक या दूसरे कारणवश जसमायोजन वाली स्थिति आ जाती है तथा इसका असर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उमसी नैतिक निष्पति पर पड़ता है।

निर्देशन सेवा विद्यार्थियों को उनकी विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी विभिन्न योग्यताओं के प्राधार पर विद्यार्थियों को समस्याओं के समाधान "तु उनका मान न यन एव सहायता, मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक तरीकों पर जागरित विशिष्टों द्वारा परामर्श देकर करती है, तथा उनकी शैक्षिक निष्पति को उनकी मानसिक योग्यतानुसार प्राप्त करने में महायाना देती है।

दूसरे याज का विद्यार्थी कल किसी न किसी व्यवसाय में जावेगा। कल के लिए उमे आज ही आवश्यक तथारी ऊरनी हागी आया सम्भवत उसे

तांत्रो का सामना बरना पड़ सकता है जो यि उसम हीन नायना का विकास बरेगी। ऐसी अनिश्चित परिस्थिति से द्यात्र को बचाने के लिए तथा बल क समायाजन हेतु आज ही प्रयत्न करने होग। इस गतिविधि को व्यापक रूप से चलाना बतमान युग की आवश्यकता है जिससे यि आगे मूँदी नहीं जा सकती। इसको यापक रूप से चलाने के लिये विद्यालय के एक-एक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, जिला शिक्षा अधिकारी उप जिला शिक्षा अधिकारी उप निदेशक संयुक्त निदेशक व समस्त शिक्षा विभाग को रुचि लेकर काय बरना होग। केवल निर्देशन केंद्र परामर्शक व करियर मास्टर इस काय नो नहीं कर सकते। यदोकि उह ग्रालक के विषय सम्बन्ध में सूचना तो अध्यापक ही दग। जब तर प्रत्येक अध्यापक वालक की प्रगति में रुचि न लेगा इस काय का सामने नहीं होगा।

निर्देशन सेवा का स्वरूप

विद्यालय में निर्देशन सेवा निम्न प्रकार से प्राप्ति नी जा सकती है।

(1) शैक्षिक निर्देशन — छात्र की शैक्षिक समस्याओं तथा पाठ्यक्रम अध्ययन आदतों, विषय-चयन आदि से सम्बंधित।

(2) व्यावसायिक निर्देशन —

(प) विद्यालय छोड़कर जान वाले उन छात्रों का जा कि आगे उच्च अध्ययन हेतु न जाकर किसी व्यावसाय में जाना चाहे भी यावसाय सम्बन्धी सूचनाएं तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी जानकारी जिनके लिए उनम वाचिन गैरिक योग्यता एवं ग्रभियोग्यता है।

(आ) कक्षा 9वी में प्रवेश लन वाल छात्रों को विषय समूहों के चयन सम्बन्धी माग दशन।

(3) व्यक्तिगत निर्देशन — छात्रों को उनको यक्तिगत समस्याओं जिनके पारण उनका समायोजन प्रभावित होता हो तथा शैक्षिक निष्पत्ति पर अमर पड़ता हो वे मानसिक पीड़ा व अतद्वाद की स्थिति में रहते हो, के समाधान में सहायता।

निर्देशन के द्व परामर्शक व करियर मास्टर वेवल निम्नलिखित काय कर सकते हैं —

- 1 कायक्रम निर्धारित बरना।
- 2 अध्यापकों को प्रशिक्षित करना।
- 3 माग दशन करना।
- 4 व्यवसाय सम्बंधित अधिक से अधिक सूचनाएं देना।
- 5 साहित्य उपल र करना।

शैक्षिक, व्यावसायिक, एवं व्यक्तिगत निर्देशन कैसे दें

- 1 शिक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन सामूहिक, व्यक्तिगत एवं प्राचार द्वारा प्रदान किया जा सकता है। यदि केवल मूचनाएँ ही चाही गई हैं, वे प्राचार द्वारा तथा यदि योग्यताओं प्राप्ति के अध्ययन के पश्चात् माग देशन के इच्छुक छात्रों का समुचित मनोवज्ञानिक जाच एवं साक्षात्कार के पश्चात् ये निर्देशन प्रदान किया जाता है।
- 2 व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हतु छान का पूर्ण रूप से मनोवज्ञानिक आधार पर सभी इष्टिकोण संव्ययन करके उस साक्षात्कारोपरा त परामर्श दिया जाता है।

निर्देशन हेतु उपकरण

- 1 मानविक योग्यता परीक्षाएँ (शाब्दिक अशाल्फ व नियात्मक परीक्षाएँ)
- 2 भभि-योग्यता परीक्षाएँ, 3 समायोजन परीक्षा 4 व्यक्तित्व परीक्षा 5 समाजमिति, 6 शक्ति निष्पति 7 सूचना प्रपत्र —

(अ) विद्यार्थी सूचना-प्रपत्र (ब) अभिभावक सूचना प्रपत्र (स) प्राप्त शूचना-प्रपत्र ।

अन्य विधियाँ

१ साक्षात्कार—

[ए] विद्यार्थी का स्वयं वा [ब] अभिभावक [स] अध्यापक [द] विद्यार्थी के मित्र [ए] परिवार व सदस्या का

निर्देशन विभिन्न स्तरों पर

या तो निर्देशन सेवा का काय उसी दिन मे प्रारम्भ हो जाना है जिस दिन व तर या बालिका प्रवय वार विद्यालय म प्राथमिक स्तर पर प्रवेश लेते हैं पर तु इस सेवा का विस्तार एवं पूर्ण रूप से प्रशिदित व्यक्तियों की सम्म्या को ध्यान म रखते हुए यह सेवा वत्मान म कक्षा 8वी से प्रारम्भ होती है।

कक्षा 8वी म उन छात्रों को जो आग अध्ययन करना चाहते हैं, कक्षा 9वी म इस विषय समूह म प्रवया ले, हतु मनोपत्तानिर आधार पर उनकी योग्यताओं, शक्ति निष्पति, परिवार को आधिक स्थिति को दृष्टि म रखते हुए सामूहिक एवं व्यक्तिगत, दाना विधियो द्वारा निर्देशन दिया जाता है।

कक्षा 9वी व 10वी म छाना का वर्गीकरण कर उनकी शक्ति निष्पति को उनकी मानविक योग्यतानुरूप ताने हतु नियात्मक परोक्षण तथा उपचारात्मक ज्ञानों की महायता से निर्देशन दिया जाता है।

कक्षा 10वी के उन छात्रों का जा उक्तवक्षा उतीण करने के पश्चात् किसी

व्यवसाय प्रशिक्षण में जाना चाह रक्षा 8वी के छात्रों की तरह ही व्यापारियों निर्देशन दिया जाता है।

रक्षा 11वी के छात्रों को प्राक्षिक एवं व्यापारियिक निर्देशन देने की वही विधि प्रयोग में लाई जाती है जो कि रक्षा 10वी में ली जाती है।

उपरोक्त पाय के अतिरिक्त उन सभी व्यापक विद्यार्थियों/व्यक्तियों का भी मागदरान किया जाता है जो कि इसके इच्छुक हो।

व्यक्तिगत अध्ययन व निर्देशन

केंद्र द्वारा उन सभी छात्र-छात्राओं पर व्यक्तिगत अध्ययन कर निर्देशन दिया जाता है जिनमें समस्यायें व्यक्तिगत होती हैं। इस हतु निम्नी भी रक्षा, प्रायु के वालक/वालिका का अध्ययन सम्भव है। यदि व अपनी समस्याओं के समाधान एवं मागदरान हतु केंद्र की सेवा प्राप्त करना चाहे।

व्यक्तिगत अध्ययन हेतु अभिभावक, प्रध्यापक या विद्यार्थी स्वयं परामर्शक व्यपनी समस्या बताकर अध्ययन करवा सकता है।

वर्तमान में विद्यालयों में निर्देशन सेवा स्वरूप विधि

- (1) परिचयात्मक सेवा।
- (2) विद्यालय में नये प्रबन्ध लेन वाल विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को विद्यालय परिचय-परिचयात्मक वार्तायां द्वारा सत्र के प्रारम्भ में।
- (3) रक्षा 8 के छात्रों को नगर वे माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में तूचना-सत्र के अंत में।
- (4) रक्षा 8, 10 व 11 के छात्रों को विभिन्न व्यवसायों का परिचय देने हेतु प्रभिस्वापन वार्ताएँ।
- (5) शैक्षिक वार्ताएँ
 - (अ) विभिन्न विषयों में मुचाह आययन गम्भीर वार्ताएँ।
 - (ब) परीक्षा में उत्तर कस लिखे ? साक्षात्कार में कैस उत्तर दे ? आदि पर भी याताएँ।

(2) सामूहिक निर्देशन —

रक्षा 9वी में विषय-चयन हेतु रक्षा 8वी के छात्रों को उनकी मार्गिरथायता, गक्षिक निष्पत्ति रूचि अभियोग्यता, अभिभावक वी आधिक स्थिति एवं उनकी रूचि के आधार पर निर्देशन। यह गतिविधि शैक्षिक निर्देशन के अंत गत जाती है।

(3) व्यवसाय सम्बन्धी सूचनाएँ

रक्षा 8वी 10वी व 11वी के उन द्वारा को जो कि उक्त रक्षा उर्तीण करने के पश्चात किसी व्यवसाय व्यवसाय से सम्बद्धित प्रशिक्षण में प्रवेश

लेता चाहते हो, उह उनकी मानसिक योग्यता, रुचि अभियोग्यताएँ, शक्तिक निष्पति आदि के प्राधार पर व्यवसाय चयन म सहायता ।

यह सहायता व्यवसाय वार्तायों, व्यवसाय से सम्बद्धि धृत व्यक्तियों व्यवसाय परिचयात्मक वार्तायां, व्यवसास का ग्रमण व्यवसाय से सम्बद्धि परिचय साहित्य आदि के माध्यम से दी जाती है । इस बाय हेतु मनोवैज्ञानिक जाच को भी आधार बनाया जाता है ।

4 छात्र का वर्गीकरण

छात्रों व उनकी मानसिक योग्यता एवं शक्तिक निष्पति के प्राधार पर वर्गीकरण कर उन विषयों में, जिनमें उनकी निष्पति उनकी मानसिक योग्यता से कम है, निदानात्मक परीक्षण व आधार पर कमज़ोर स्थलों का पता कर उपचारात्मक उपायों द्वारा सहायता करना ताकि उनकी निष्पति उनकी योग्यता के अनुसार आ जाए ।

5 व्यक्तिगत निर्देशन

छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान म उह मनोवैज्ञानिक जाच, सामाजिक और उपायों से सहायता करना । यदि समस्या सामूहिक प्रकृति की है, तो समूह म, घर यथा व्यक्तिगत रूप से निर्देशन एवं सहायता करना । उक्त कार्यों के अतिरिक्त छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के बारे म, जो कि व्यक्तिगत, सामूहिक एवं डाक द्वारा दी जाती है, जिस रूप म भी जानकारी चाही गई है, जानकारी देना ।

निर्देशन सेवा मे प्रधानाध्यापक का दायित्व

- 1 सहयोगी ग्रन्थाध्यापक एवं कमचारियों के निर्देशन सम्बद्धि कार्यों मे दिशा निर्देश करना चाहिए । प्रधानाध्यापक वग एवं मुख्याध्यापक म सम्बद्धि जितने सौहार्द पूर्ण हाग निर्देशन सेवाओं की उतनी ही अच्छी व्यवस्था विद्यालय म की जा सकेगी ।
- 2 मुख्याध्यापक निर्देशन कायद्रम को नेतृत्व तभी प्रदान कर सकता है जब वह निर्देशन सम्बद्धि साहित्य व्यवसायव्यावहारिक काय से परिचय रखता है । इसलिए मुख्याध्यापक को जपनों निर्देशन सम्बद्धि दक्षता बढ़ाने के लिए साहित्य का अध्ययन वरे तथा प्रियोगना से विचार-विमर्श करता रहे ।
- 3 मुख्याध्यापक अभिभावक एवं छात्रों की धठक बुलाकर छात्रों की समस्याओं पर विचार-विमर्श पर सक्ता है और निर्देशन कायद्रम को परिवर्तन एवं संशोधित कर सकता है ।
- 4 सहयोगी प्रध्यापक यपन निर्देशन उत्तरदायित्वा को सुविधापूर्वक पूरा वर सक उसम दस्ति ले सके मुख्याध्यापक उनके प्रध्यापन कायभार म आवश्यक वसी करे ऐसी व्यवस्था ही ।
- 5 मुख्याध्यापक का निर्देशन सेवाओं का पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्निर्माण वरने के लिए एक निर्देशन समिति' का गठन करना चाहिए । निर्देशन समिति तो विकारिज्ञ कायद्रम म सुधार लाने के लिए है उनका क्रिया दयन का उत्तरान्यायित्र मुख्या शपक पर हो ।

परामर्शदाता का दायित्व

- 1 परामर्शदाता निर्देशन कायद्रम म वेवा की भूमिका निभाता है । व-

पका वे काय म छात्रा की कठिनाइयो एव समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध म परामर्श प्रदान कर, सहायता करता है।

- 2 कमचारियों के प्रयोग के लिए परामर्शदाता प्राकड़े एकमिति करता है तथा निर्देशन सम्बन्धी तरफनीकी काय करता है।
- 3 जिन समस्याओं म निर्देशन प्रदान करने म कक्षाध्यापक कठिनाई का अनुभव करते हैं उनके समाधान म परामर्शदाता सहायोग प्रदान करता है।
- 4 परामर्शदाता अध्यापकों एव ग्रन्थभावकों का सम्पर्क म लाने म सहायता होता है।
- 5 परामर्शदाता कमचारियों को प्राप्त सामुदायिक सुविधाओं स परिचित वराने एव उनका उपयोग करने म सहायता प्रदान करता है।
- 6 परामर्शदाता छानों को निर्देशन आवश्यकताओं के अनुन्य अध्यापन काय को विकसित करने मे अध्यापक को सहायता करता है।
- 7 कमचारियों द्वारा अध्यापकों को आवश्यक शक्ति एव व्यावसायिक सूचनाओं को एकत्रित करने एव उनके प्रयोग मे सहायता प्रदान करता है।
- 8 निर्देशन सम्बन्धी शोध काय का मूल्याकान सम्बन्धी अध्ययन म कमचारियों की मदद करता है।

अध्यापक के दायित्व

उपरोक्त चर्चा न अध्यापक के अनेक दायित्वों की और प्रत्यक्ष-प्रोक्ष रूप से कुछ सकेत हो चुके हैं। विशिष्ट रूप से उनके दायित्वों को समेप म निम्न-लिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है —

- 1 प्रत्येक अध्यापक वो घरेलू सम्पर्क द्वारा बालक की कौटुम्बिक पृष्ठभूमि नया उमसी सामाजिक, प्रायिक स्थिति के सम्बन्ध म विस्तृत मूचनाएँ एकत्र करनी चाहिए। साथ ही छात्रों के मानसिक शारीरिक विकास तथा स्वास्थ्य को व्यान मे रखते हुए निर्देशन देना चाहिए।
- 2 विद्यारियों की विषयों मे प्रगति का लेखा-जोखा रखना तथा समय-ममत्य पर उनका मूल्याकान करना।
- 3 छात्रावास एव भोजन व्यवस्था की आवश्यकता पर ध्यान देना अध्यापक वा परम वक्तव्य है जिस पर अधिकाश अध्यापक ध्यान नहीं देते हैं। इसके प्रभाव म नई छानों की प्रगति रु जाती है।
- 4 अपनी कक्षा क बालकों क व्यवहार सम्बन्धी कुछ विशिष्ट बातें यदि लिखाइ दे तो निर्देशन कायक्ता अध्यापक का व्यान उमसी और जाह्मित करता चाहिए।
- 5 पर्यावरणीय मूचनाओं का संग्रह एव प्रसारण म निर्देशन कायक्ता को पर्यासम्बन्ध सहायता करनी चाहिए।
- 6 वक्षा म व वक्षा के बाहर बालकों की अनुभूति समस्याओं के प्रति सज्ज एव सरदनशील होना चाहिए।
- 7 भविष्य मे उचित व्यवसाय के व्यवन म उह योग्यता, रुचि तथा देश-सेवा क अनुमार अपशिष्ट निर्देशन नैन।

निर्देशन सेवाओं को प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव -

निर्देशन सेवाओं को प्रभावशाली बनाने के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये जा रहे हैं —

- 1 परामणको व कैरियर मास्टरों के निरीक्षण काय व समय प्रवानाएःप्राप्ता द्वारा ऐसा बतलाया गया है कि वे लोग कोई विशेष काय नहीं कर रहे हैं। सब के आरम्भ म समस्त विद्यालय परामणकों को पूरे सब का माहवार कायक्रम भेज दिया जाता है। अब ये प्रवानाएःप्राप्तकों का कतव्य है कि वे देखें कि परामणक व कैरियर मास्टर उस कायक्रम का अनुसरण कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि वे ही उनके नित्य-प्रति के काय का परिवीक्षण कर सकते हैं। उनको चाहिए कि वे उनसे काय ले। जिला शिक्षा प्रधिकारी, उप निर्देशक, सयुक्त निर्देशक भी जब विद्यालय का निरीक्षण करें तो निर्देशन काय का भी निरीक्षण उनके द्वारा किया जाना चाहिए व उसका उल्लेख उनके निरीक्षण प्रतिवेदन म कर एक प्रति एस प्रईआर राजस्थान उदयपुर को भी भेज दी जावे।
- 2 जिला शिक्षा प्रधिकारी, मण्डन उप निर्देशक सयुक्त निर्देशक कम से कम साल म चार बठक विद्यालयों के परामणको व कैरियर मास्टरों को करें। जिमन कि उनसे गन तीन माह के काय का विवरण प्राप्त करें, निर्देशन समाया को फलदायक बनाने के लिए विचार विमण करें।
- 3 कैरियर मास्टर व शाला परामणकों को सुविधाएँ दी जावे।
- 4 विद्यालयों म कैरियर मास्टरों को प्रतिनिधि के लिए कम से कम एक कालांग निर्देशन हेतु समय-विभाग-चक्र म नियांत्रित किया जावे।
- 5 प्रत्येक विद्यालय के छात्र-स्त्रीप से निर्देशन राय हेतु समस्त कोष की १० पनराशि प्रति वप दिये जाने का प्रावधान किया जाव व जिला शिक्षा प्रधिकारी अपने निरीक्षण के समय इस बात को ध्यान से देने कि। इनी निर्देशन काय हेतु व्यय की गई है या नहीं इस धन राणि को निम्नलिखित काय हेतु व्यय किया जाव —
 - (प्र) निर्देशन माहित्य के क्रय व प्रवानगन हेतु।
 - (व) दाना की उद्धि चैन व अभिरूचि परीक्षा मामणी हेतु।
 - (स) प्रशिक्षण व व्यावर्मायिक बातची दाना हेतु।
 - (द) छात्रों के व्यय की हेतु।
- 6 एस प्रईआर उदयपुर द्वारा प्रतिमाह राजस्थान गाइन्स यूवलटर प्रफाइटि किया जाता है तगा इसे राजस्थान के सभी माध्यमिक-उच्चवतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाएःप्राप्तकों प्रेपिति किया जाता है। अत गिया विनाग के निरीक्षण-प्रधिकारी निरीक्षण के तमय देखे कि उच्चवतर वा विनाग म किय प्रशार उपयोग किया जाना है।
- 7 निर्देशन के द्रवी सेवाओं को अधिक स अधिक उपयोगी बनान हेतु जिला निम्नतम उपस्थित अधिकारियों के सुझाव भास्त्रित दिये जावे।

गाला निर्देशन कायक्रम आयाजित करने की कुछ पूर्व आवश्यकताएँ —

निर्देशन में सेंडांसिम प्राप्त्या मात्र इस काय वो प्रारम्भ करने व नए उच्च यूवल सचालित करन हेतु पर्याप्त नहीं है। यह बदन जारी की ही वा

न करके वास्तव म द्यात्रों को निर्देशन देना है तो शाला सगड़न में इस वायद्रम के लिए आवश्यक समय तथा सुविधाएँ देनी होती। शाला की प्राय पाठ्यसहगामी नियांग्रो के समान ही इसका आयोजन करना होगा। साथ ही इसके लिए प्रावृद्धक स्थान, बजट आदि का भी प्रबंध करना होगा यह काय मुख्य रूप से प्रधाधापक का ही है।

चूंकि निर्देशन वा काय एक विशिष्ट काय है इसलिये इस काय के लिए विशिष्ट रूप से उत्तरदायी ध्यक्तिया का विशिष्ट प्रशिक्षण उसी प्रकार आवश्यक है जैसा कि शारीरिक शिक्षा के अध्यापक का, साथ ही शाला के समस्त अध्यापकगण एवं अन्य कमचारीगण दो भी निर्देशन के उद्देश्ये, महत्व एवं आवश्यकता से सामान्य परिचय होना चाहिए। इसके अभाव में व प्रशिक्षित निर्देशन वायकर्ता को अपना अपेक्षित योगदान नहीं दे सकेग और निर्देशन कायदम प्रसफन होने की सम्भावना है। बिना इसके वे प्रशिक्षित कामिकों को अपना अपशित योगदान निर्देशन कायदम के सचालन में नहीं दे सकेंगे।

उपसहार -

इस प्रकार यदि उपयुक्त रूप से निर्देशन सेवा राज्य के सभी विद्यालयों में प्रारम्भ की जा सके तो निश्चय ही हम न केवल द्यात्रों वी जैक्षिक निष्पत्ति को उनकी मानसिक योग्यता स्तरानुकूल लाने में सफल होगे अपितु उनके स्वयं तथा बातावरण के साथ समायोजन में सहायता होने उह सम्भावित हीन भावना से बचान तथा बतनान में विद्यालयों में होने वाले अवरोध व जपायव को भी अधिकृतम सीमा तक रोकने में सफल होगे तथा हम ग्राने वाले करने के लिए राष्ट्र को सुमायोजित प्रशिक्षित एवं ही भावना रहित सुयोग नामिर उपलब्ध करा सकेंगे।

□□□

मूल्यांकन (Evaluation)

(अ) लघुत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer type Questions)

- 1 विद्यालय म निर्देशन सेवाएँ पर टिप्पणी लिखिये। (वी एड पत्राचार 1985)
- 2 विद्यालयों म प्रभावी निर्देशन सेवाएँ ग्रायाजित करने की पाव सावधानिया लिखिये। (वी एड 1985)
- 3 विद्यालयों शिक्षा के किन-किन स्तरों पर शक्तिक तथा व्यावसायिक निर्देशन उपलब्ध करना अधिक सगत हाता है व क्यो? (वी एड पत्राचार 1984)
- 4 अध्य पक्ष निर्देशन म किस प्रकार सहायक हो सकता है? (शिक्षा शास्त्री 1984)
- 5 जैक्षिक यावसायिक तथा व्यक्तिगत निर्देशन म अंतर बन इय। (वी एड 1983)
- 6 विद्यालय समर्वा वत निर्देशन के क्या उद्देश्य हैं? (वी एड 1992)

(ब) निवासात्मक प्रश्न (Essay type Questions)

- 1 निर्देशन वा परिभाषित वीनाय। उच्च माध्यमिक विद्या तथा म निर्देशन संशार के सगड़न के लिये एक यात्रा बनाय। (वी एड भाड़न पेरर 1984, व वी एड 1983)
- 2 निर्देशन संभाया वा बया उद्देश्य ह? विद्यालय म निर्देशन संभायो नो गठिन करने म प्राप्त ध्यायव इन तत्वों वी द्यान म रखें। (वी एड पत्राचार 1983)
- 3 निर्देशन कायदम क म सल हुकार की बया भुमिका ह? विविध परिस्थितियों के सदभ म इसको स्पष्ट वीजिय। (वी एड 1982)
- 4 निक्षा और निर्देशन एवं ही मिस्त्रो के जो पहर्त है। इस क्षयन वी विवरन वीजिये तथा दानो वी समानता तथा भिन्नता स्पष्ट वीजिय। (वी एड पत्राचार 1982)

अध्याय 25

प्रायोगिक कार्य (Practicums)

- 1 निम्नांकित में से किसी एक का निम्नांक—
 - (a) वार्षिक विद्यालय योजना ।
 - (b) वार्षिक शिक्षण-योजना ।
 - (c) सत्र वार दत्त व्याय योजना ।
 - 2 विद्यार्थी प्रतुशासन/प्रसारोप को प्रभावित करने वाले घटकों को खोजने हेतु सम्बन्धीय का सर्वेक्षण ।
 - 3 विद्यालय के नीतिक समाधनों के प्रधिवतम उपयोग हेतु एक योजना बनाइए ।
 - 4 सीमित उपलब्ध समाधनों के प्रत्यन्त शारीरिक शिक्षा व खेल-कूद कायक्रमों में पुनर्नियाजन वी सम्भावनाओं का पता लगाना ।
 - 5 विद्यालय में निर्देशन के द्वारा की स्थापना बरना ।
 - 6 निम्नांकित के प्रभिलेता का सधारणा—
 - (a) उच्च-पाठ्यक्रमीय क्रियाकलाप,
 - (b) सच्ची सूल्याकृत प्रभिलेख,
 - (c) विद्यार्थियों के लिये उपयोगी अवसायों सम्बंधी सूचना ।
- 1 Preparation of (any one)—
 - (a) Annual Institutional Plan
 - (b) Yearly Teaching Plan
 - (c) Term wise Assignment Plan
 - 2 Survey of Community with a view to locate factors influencing Discipline of Students/Student unrest
 - 3 Developing a plan for maximum utilisation of school physical resources
 - 4 Exploring possibilities of revising Physical training, games and sports under limited resources available
 - 5 Establishing Guidance center in the school
 - 6 Maintaining records of—
 - (a) Co curricular activities,
 - (b) Cumulative assessment record,
 - (c) Occupational Information needed by Students

प्रायोगिक कार्य (Practicum)-1

1 (A) वार्षिक विद्यालय योजना (Annual Institutional Plan)

विद्यालय योजना का समर्थय तथा उसकी प्रमुख विशेषताएँ एवं उसके पक्ष अध्याय-20 में स्पष्ट किये जा चुके हैं। विद्यालय योजना में समिलित प्रत्येक समुन्यन काय विद्यु का प्रारूप भी बतलाया जा चुका है। यही वार्षिक विद्यालय योजना का प्रारूप दिया जा रहा है जो विद्या विभाग, राजस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तिका 'विद्यालय योजना 3' के अन्तर्गत दिया हुआ है।

वार्षिक विद्यालय योजना का प्रारूप (Proforma)

- (1) विद्यालय का सामाजिक परिचय, स्थिति, पहुँच, के साधन आदि।
- (2) विद्यालय का इतिहास भूति सक्षेप में।
- (3) विद्यालय के अपन मुख्य उद्देश्य यदि कोइ स्पष्ट हो तो।
- (4) विद्यालय की छात्र सम्प्या, कक्षा एवं वर्गवार।

कक्षा तथा वर्ग	छात्र संख्या	बालक	बालिनी
1	2	3	4

(5) विद्यालय परिवार

- (म) प्रध्यापक वर्ग
 प्रधानाध्यापक/प्राचाय
 सहायक प्रधानाध्यापक
 प्रध्यापक गण

प्र० श्रेणी द्व० श्रेणी तृ० श्रेणी अ० य० (पी०टी०प्राई०, टकनीकल, एन०डी०एस०प्राई० आदि) योग

योग्यतावार	कला वर्ग	विज्ञान वर्ग	कृषि वर्ग	वर्ग
दृढ़/प्रत्यक्ष दृढ़/प्रत्यक्ष दृढ़/प्रत्यक्ष दृढ़/प्रत्यक्ष दृढ़/प्रत्यक्ष				

प्रास्ट्रेजुपट

प्रनुष्ट

जड़ी/हायर सकण्डी

नीकल

य

योग

प्रथवार

उच्च माध्यमिक/माध्यमिक स्तर	उच्च प्राप्तिक स्तर
-----------------------------	---------------------

विषय	प्रधानका की सहया	विषय	प्रधानका की सहया
------	------------------	------	------------------

(5) घर परिवार

लेचक वग	वरिष्ठ	वरिष्ठ	योग
पुस्तकालाभक्ष	—	—	
प्रतीक्षाला सहायक	—	—	
चतुर थेजी कमचारी	—	—	
तर ब्याद	—	—	

(6) विषय जो पढ़ाय जात है

उच्च मात्र/माध्यमिक स्तर	उच्च स्तर
--------------------------	-----------

विषय	छात्र मस्त्रा	विषय	छात्र छद्मा
परिवार			
वहन-इक			

उच्च एवं द्वाद

(7) उच्च एवं उच्चतम् प्रादि

उच्च	साइर	साइर	उच्च
द्वा त्र शम्भव लद्द			
उच्च द्वा द्वा द्वा द्वा			
द्वा द्वा			
द्वा द्वा-द्वा			
द्वा-द्वा			
द्वा-द्वा-द्वा			
द्वा-द्वा-द्वा-द्वा			

देक्षितिक विषयों के बारे

हाल

थय कक्ष

प्रकार

साइज

सख्ता

विशेष

१८

प्रयोगशालाएँ, फॉर्मरी,
बाटर रूम, स्टोर रूम,
मूत्रालय, शोचालय आदि

(8) खेल के मदान

-खेल

सख्ता

स्थिति

(प्रागण में / कि०मी० म दूरी)

स्तर

(9) पुस्तकालय

विषय

पुस्तकों की सख्ता
(सत्र के अंत तक)

याग

(10) वाचनालय

पत्र पत्रिकाएँ

योग हिन्दी अप्रेजी छात्रोपयोगी अध्यापकोपयोगी

दैनिक, साप्ताहिक,
पाठिक, मासिक,
त्रिमासिक, भद्र वार्षिक
प्रत्येक पृष्ठक् पृष्ठक्

विषयवार

विषय

सख्ता

(11) परीभा परिणाम	सत्र
(य) माध्यमिक शिखा बोड की परीभाये-	
कृष्ण बग बठे उत्तीण प्रतिशत	I II III पूरक परीक्षा म उत्तीण

दला

11

10

विज्ञान

11

10

हृषि

11

10

गृह विज्ञान

11

10

ललित कला

11

10

योग

विद्यालय की आ तेरिक परीक्षाएँ (उपरोक्तानुसार)

(ब) सत्र मे उपनक्षध कार्य निवमो की मन्या

दिन/महोने— जु० ध० मि० अ० न० दि० ज० फ० मा० ध० म०

योग

(12) ग्राहिक साधन

रात्रकोष सत्र ()

द्वात्र बोध सत्र ()

मै राजि मद

गत सत्र तक शोप-नया योग

योग

योग

समुन्नयन काय-विन्दु (Improvement Item Plan)

गत सप्त () मे लिये गये

इस सत्र () म प्रस्तावित

- (घ) शाखिक-
 - (ब) सहशाखिक-
 - (स) भौतिक-
 - (द) अध्यापक च नयन-
 - (ई) विभाग द्वारा प्रस्तुति-
 - (फ) ग्रंथ-

प्रत्येक समुन्नयन काय बिन्दु की योजना के सीर्जक

- (1) समुन्नयन काय का नाम
 - (2) प्रभारी शिक्षक/समिति “
 - (3) समिति का योजक (यदि हो) “
 - (4) मानक धरेक्षणाएँ “
 - (5) बतमान स्थिति का विश्लेषण “
 - (6) काय के लक्ष्य एव समय सीमा “
 - (7) क्रियाविति सम्ब धो क्रिया पद-प्रमय सीमा साधन सुविधाएँ
 - (8) मूल्याकृत विषि

1 (B) वार्षिक शिक्षण योजना(Yearly Teaching Plan)

वार्षिक शिक्षण योजना प्रत्येक शिक्षक को घरपनी अध्यापक-दिनांकी (Teaching Diary) में उसे सावधान कक्षा एवं विषय को पृथक पृथक निम्नांकित प्रारूप (Proforma) में बनानी चाहिए—

क्रमांक	प्रधापन इकाई (Teaching Unit)	अपवाहन प्रधापन कालाश	माह	उद्देश्य	प्रधानाध्यापक द्वारा टिप्पणी

1 (C) सत्रवार दत्त-कार्य योजना (Term wise Assignment Plan)

दत्त-कार्य प्रथम सूह काय के उद्देश्य एवं उससे प्रभावी बनाने हेतु ध्यान में रखने के सिद्धांत इस पुस्तक के भाग्याव 9 में दिखिय। यहाँ माध्यमिक कार्यालय में दत्त कार्य की सत्रवार योजना का प्रारूप दिया जा रहा है—

सत्र	अनिवार्य विषय					एवं दृष्टिकोण विषय		
	अप्रौढ़ी	हि. दी.	गणित	सां० भौतिकी	सां० विज्ञान	I	II	III
प्रथम सत्र (1 जुलाई से 31 अक्टूबर)								
द्वितीय सत्र (1 नवम्बर से 31 दिसम्बर)								
तृतीय सत्र (1 मार्च से 16 मई)								

उपरांक प्रारूप में प्रत्येक सत्र में लगभग 200 शिक्षण दिवसों को तीन सत्रों में (बोड की परीक्षा वाली कक्षाओं हेतु दो सत्रों म) अवधि के अनुसार दत्त काय के लिए विषयवार घण्टे निश्चित किये जायें तथा उसके अधार पर दत्त काय का साप्ताहिक समय-विनाश-चक्र निर्मांकित प्रकार से बनाया जाए ताकि प्रत्यक्ष छात्र को प्रतिदिन दो घण्टे से अधिक काय न हो—

विषय	प्राचीन विषय				प्राचीन विषय				योग परामर्श
	शास्त्रजी	हिंदौ	गणित	सांख्ययन	सांख्यानि	I	II	III	
सोमवार	½	½	X		X	½	X	½	2
मंगलवार	1	X	½			X	½	X	2
बुधवार	½	X	½	X		X	½	X	2
गुरुवार	X	½	½	X		½	½	X	2
शुक्रवार	X	X	X			½	½	X	2
शनिवार	X	X	½			½	½	X	2

प्रायोगिक कार्य (Practicum)—2

विद्यार्थी अनुशासन/छात्र असन्ताप को प्रभावित करने वाले घटकों का पता लगाने हेतु समुदाय का सर्वेक्षण

सर्वेक्षण विधि (Survey Method)—प्रनुसधान की विवरणात्मक विधि (Descriptive method of Research) का महत्वपूर्ण अथवा सर्वेक्षण विधि मानी जाती है। सर्वेक्षण का अथवा ग्राहकोंवत्तमक एवं अनुसंधानात्मक निरीक्षण करना है तथा इसका उद्देश्य किसी एक क्षेत्र या समस्या की व्यतीर्ण स्थिति सम्बंधी सूचनात्मक तथ्य एकत्रित कर उनके विश्लेषण व व्याख्या के ग्राधार पर उस समस्या का समाधान खोजना है। सर्वेक्षण का क्षेत्र सकुचित एवं व्यापक दानों हो सकता है। विद्यालय एवं शिक्षा क्षेत्र की अनेक ऐसी समस्याएँ हैं जिनका सर्वेक्षण प्रनुसधान-विधि से समाधान खोजा जा सकता है। विद्यार्थी अनुशासन अथवा छात्र-अस तोष की गम्भीर समस्या को प्रभावित करने वाले घटकों (Factors) का पता लगाने हेतु निम्नांकित सोपानों (Steps) में योजना बनाई जाती चाहिये—

(1) समस्या की पहचान तथा परिभाषीकरण (Identification of the Problem and its Definition)—छात्र अस तोष व अनुशासनहीनता के विद्यार्थियों के व्यवहार के ग्राधार पर इस समस्या को परिभाषित किया जाये।

(2) समस्या के उद्देश्यों का निर्धारण (Framing the Objectives of the Problem)—छात्रों के व्यवहार ये प्रयोक्तित परिवर्तनों के रूप में उद्देश्य निर्धारित किये जायें।

(3) सर्वेक्षण की योजना बनाना (Survey Plan)—इस समस्या के सर्वेक्षण हेतु उपयुक्त उपकरण (Tools) एवं प्रतिदृश (Sample) का निर्धारण तथा उपकरण की रचना की जानी चाहिए। छात्र अस तोष के घटकों का पता लगाने हेतु विद्यालय के अनुशासनहीन छात्रों का एक प्रतिनिधि प्रतिदृश निश्चित कर उनके अभिभावकों से पूछने हेतु एक उपकरण “साक्षात्कार अनुसूची” (Interview Schedule) बनाई जाये। इसका प्रारूप आगे दिया जा रहा है।

(4) दत्त सकलन (Data Collection)—समस्या से सम्बंधित दत्तों का सकलन ‘साक्षात्कार अनुसूची’ तथा क्षेत्र-प्रध्ययन (Field Study) के ग्राधार पर किया जाना चाहिये। अभिभावकों तथा छात्रों से प्राप्त अनुशासन में सहायक घटकों के अध्ययन से तथ्यों को वर्गीकृत रूप में प्रदर्शित किया जाये।

(5) दत्त विश्लेषण (Data Analysis)—प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण द्वारा अनुशासनहीनता में सहायक घटकों की भूमिका स्पष्ट की जाये।

(6) सर्वेक्षण प्रतिवेदन (Survey Report)—मत में अनुशासनहीनता में सहायक घटकों के प्रभाव निष्ठपति के रूप में तथा उनके निराकरण के उपाय प्रतिवेदन में स्पष्ट किये जाने चाहिए।

अभिभावकी हेतु साक्षात्कार अनुसूची (Interview Schedule) (का प्रारूप

(1) सर्वेक्षण का नाम, (2) सर्वेक्षण का टिनाक, वय एवं ग्रन्थि, (3) सर्वेक्षण करने वाले का नाम, (4) विद्यालय का नाम, (5) विद्यालय का प्रबंध (राजकीय/निजी), (6) विद्यालय का स्तर (प्राथमिक/उच्च माध्यमिक/उच्च माध्यमिक), (7) प्रधानाध्यापक/प्राचार्य का नाम, (8) विद्यालय में छात्र संख्या (कक्षावार), (9) छात्र का नाम व कक्षा, (10) अभिभावक का नाम व पता, (11) अभिभावक से साक्षात्कार के समय पूछे जाने वाले प्रश्नों के क्षेत्र—

[५] छात्र असन्तोष के विद्यालयीय अथवा शैक्षिक घटक—

- (1) क्या छात्र विद्यालय में दिये गये गृह-काय को नियमित रूप से घर पर करता है ?
- (2) उसे किन विषयों में कठिनाई प्राप्ती है और क्यों ?
- (3) क्या वह विद्यालय में साधन-सुविधाओं के अभाव की कोई शिकायत करता है तथा किस सम्बंध में ?
- (4) क्या उसे विद्यालय में किसी छात्रा अथवा शिक्षक से कोई शिकायत है तथा किस प्रकार की ?

[६] छात्र असन्तोष के घर या परिवार सम्बन्धी घटक—

- (1) क्या मात्र छात्र को घर पर धृध्ययन सम्बंधी साधन सुविधायें देते हैं ? यदि नहीं तो क्या कारण है ?
- (2) क्या छात्र को घर या परिवार से कोई शिकायत है ? यदि है तो किस प्रदार की ?

[७] छात्र असन्तोष के सामाजिक घटक—

- (1) विद्यालय समय के भौतिक छात्र अपने ग्रन्थालय के समय का उपयोग कौन से कार्यों में करता है ?
- (2) छात्र के व्यवहार पर उसके मित्रों अथवा समुदाय के अन्य व्यक्तियों का क्या कोई विपरीत प्रभाव आप देखता है ? स्पष्ट करें।
- (3) स्थानीय समुदाय में कौन से ऐसे मतोरजन के साधन, सत्याएं अथवा समूह हैं जिह आप छात्र की अनुशासनहीनता के लिये उत्तरदायी मानते हैं ?

[८] छात्र अनुशासनहीनता के राजनीतिक घटक —

- (1) स्थानीय समुदाय में कौन से ऐसे राजनीतिक मण्डल हैं जिनके सम्पर्क द्वारा छात्र के व्यवहार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ?
- (2) छात्र-प्रादोलन के समय कौन से राजनीतिक तत्त्व उसे प्रभावित करते हुए प्रतीत होते हैं ?

[३] छात्र अनुशासनहीनता के अन्य घटक —

(१) भाषके परिवार की मात्रिक भाषा, व्यवसाय तथा सदस्य स्थल
क्या हैं ?

(२) क्या छात्र को घरेलू कार्यों ग्रथवा भाषकी माजीविका के कार्यों में
समय देना पड़ता है तथा कितना समय व क्यों ?

(३) क्या छात्र की समस्याओं के समाधान हेतु विद्यालय से सभीक
रखते हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

उपरोक्त साक्षात्कार अनुसूची के प्रश्नोंद्वारा प्रतिवेश के तिथि चुने हुए छात्रों
के अभिभावकों से ऐसे घटकों का पता चल सकता है जिनका प्रभाव छात्र भनु
शासनहीनता या असंलीप पर पड़ता है। इस दत्त सकलन का सत्यापन (Verifi-
cation) छात्रों के घरों, स्थानीय सम्बाधों, मनोरजन-के द्वा तथा राजनीतिक पार्टियों
की गतिविधियों के निरीक्षण द्वारा किया जा सकता है।

प्रायोगिक कार्य (Practicum)-3

विद्यालयों के भौतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना का विकास
(Developing a plan for maximum utilization of school
physical resources)

विद्यालय के भौतिक संसाधनों में निम्नान्कित वस्तुएँ प्रमुख हैं—

(१) विद्यालय भवन, (२) फर्नीचर, (३) शिक्षण सहायक उपकरण,
(४) वक्षा कक्ष, (५) विषय विशेष के कक्ष, (६) पुस्तकालय व खानालय,
(७) प्रयोगशाला, (८) पाठ्यक्रम सहायात्री द्वियाधों सम्बंधी उपकरण व स्थान
(९) खेल के मदान व उपकरण, (१०) राजकीय एवं छात्र कोष में वित्तीय
साधनों की स्थिति, (११) विद्यालय कार्यालय तथा (१२) विद्यालय सेवाएँ।

भौतिक संसाधनों को दृष्टि से वर्तमान ग्रधिकाश विद्यालय शोनंशीय स्थिति
में हैं। छात्र सम्बन्ध को देखते हुए भवन, खेल के मदान फर्नीचर, उपकरण आदि
पूनतम आवश्यकताएँ भी नहीं कर पाते। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक
विद्यालयों में बोड द्वारा मायता हेतु निषारित शर्तें बहुत कम विद्यालयों में ही पूरी
होती रही जाती है। इसके प्रत्येक कारण है जसे शिक्षा विभाग ग्रथवा निजी
प्रब घटक-मण्डल के पास वित्तीय साधनों की कमी, राजनीतिक प्रभाव के कारण खोने
गये स्कूल, जन-सहयोग की कमी आदि। भौतिक संसाधनों की कमी के फलस्वरूप
छात्रों के शिक्षण एवं ग्रध्ययन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा शिक्षा का स्तर
गिरता है।

शिक्षा के तीव्र विस्तार के कारण तथा छात्र-सम्बन्ध में वृद्धि होने से विद्या-
लयों की संख्या में भी अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में विद्यालयों में
भौतिक संसाधनों की कमी होना स्वाभाविक है। इन अपरिहाय परिस्थितियों में
केवल प्रधानाध्यापक की सुझौतूँ से ही उपलब्ध संसाधनों के ग्रधिकतम उपयोग

द्वारा स्थिति पर नियंत्रण किया जा सकता है। इस हेतु प्रधानाध्यापक को शिक्षकों एवं शिक्षायियों के सहयोग से विद्यालय में उपलब्ध भौतिक संसाधनों की योजना निम्नांकित बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए बनानी चाहिए।

भौतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग की योजना बनाते समय ध्यातव्य बिन्दु

[1] विद्यालय भवन, कक्षा कक्षों तथा खेल के मदान सम्बंधी कमी की पूर्ति जन सहयोग द्वारा की जानी चाहिए। उपलब्ध भवन व कक्षों में अधिकतम उपयोग हेतु विद्यालय को दो पारी (Shifts) में चलाकर ग्रथवा कक्षा कक्षों में पार्टीशन (Partition) द्वारा उह दो कक्षाओं के उपयोग में लाया जा सकता है। मूलालय-शोलालय, जल गृह आदि के लिए उपलब्ध भूमि में स्थानीय साधनों (छप्पर व मिट्टी की दीवारें बनाकर) तथा धर्मदान द्वारा बनवाया जा सकता है। खेल के मदानों की कमी की पूर्ति उपयुक्त खेल-कूद का समय विभाग चक्र बनाकर ग्रथवा शाला-संगम (School Complex) के माध्यम से यह स्थानीय विद्यालयों के खेल के मदानों का उपयोग किया जा सकता है।

[2] शिक्षण सहायक उपकरणों की कमी आशु उपकरण (Improved apparatus or Teaching aids) तयार करा कर पूरी की जा सकती है। शाला-संगम के माध्यम से भी विद्यालय परस्पर इन उपकरणों का विनियम कर इनका अधिकतम उपयोग कर सकते हैं।

[3] पुस्तकालय व वाचनालय के अधिकतम उपयोग हेतु समय विभाग चक्र में एक पुस्तकालय कालाश रखकर ग्रथवा विद्यालय समय के अतिरिक्त समय में कुछ अवधि के लिए पुस्तकालय व वाचनालय विद्यायियों के लिए खुला रखकर किया जा सकता है।

[4] पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के लिए उपकरणों एवं स्थान की कमी की पूर्ति ऐसी क्रियाओं के आयोजन के समय विभाग चक्र में परिवर्तन कर की जा सकती है जिससे उपलब्ध उपकरण एवं स्थान का अधिकतम उपयोग हो सके ग्रथवा ऐसे क्रियाएँ जिनमें दूनकी कम घावशक्ता हो जैसे देशी खेलों (खो खो, क्रॉडी, योगासन आदि) का आयोजन कर की जा सकती है।

[5] कार्यालय विषय विशेष के कक्ष, इनके उपकरणों आदि के अधिकतम उपयोग की योजना कक्षों व उपकरणों के एक संभिक कार्यों के लिए उपयोग कर बनाई जा सकती है।

[6] उपलब्ध वित्तीय साधनों का सदुपयोग बस्तुओं के द्वय बरते समय तथा उनके रख-रखाव में कुछ सावधानियाँ बरतने से किया जा सकता है।

उपरोक्त बिंदुओं के माध्यार पर भौतिक संसाधनों का सर्वेक्षण कर उनके अधिकतम उपयोग की योजना विभिन्न बनाई तथा क्रियावित की जानी चाहिए।

प्रायोगिक कार्य (Practicum)-4

शारीरिक प्रशिक्षण व खेल कूद की उपलब्ध सीमित साधना
के अन्तर्गत योजना बनाना

प्रायोगिक कार्य-3 के मतगत इस बिंदु पर चर्चा की जा चुकी है। यहाँ
यह कहना पर्याप्त होगा कि सीमित साधनों के मतगत शारीरिक प्रशिक्षण व
खेल कूद की योजना बनाते समय निम्नांकित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।

(1) स्थानीय विद्यालयों का सहयोग—शाला सगम द्वारा विद्यालयों के
उपलब्ध साधनों का परस्पर विनियम कर उनका ग्रधिकरण उपयोग किया जा
सकता है। जो सामग्री या स्थान कुछ ग्रवधि के लिए दूसरे साधनहीन विद्यालयों
के उपयोग हेतु दिया जा सके, वह दिया जाना चाहिए तथा भय विद्यालयों की
इन वस्तुओं का उपयोग अपने विद्यालय में किया जा सकता है।

(2) जन सहयोग—खेल कूद का सामान भव्यवा खेल के मदानों की कमी
की पूर्ति स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं (जैसे—ग्राम पचायत, पचायत समिति, नगर
पालिका प्रादि) तथा परोपकारी संस्थाओं व समृद्ध व्यक्तियों के सहयोग से की
जानी चाहिए। यह सहयोग प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों के स्थानीय समुदाय के
साथ सम्पर्क एवं सद्भावना के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।

(3) समय विभाग चक्र में वाचित परिवर्तन कर ग्रधिकरण छात्रों के
लिए इन क्रियाओं में भाग लेने का ग्रवसर दिया जा सकता है।

(4) देशी खेलों व व्यायाम जैसे खो-खो कबड्डी, कुश्ती योगासन प्रादि
को व्यवस्था कर सभी छात्रों के शारीरिक विकास की व्यवस्था की जा सकती है।

(5) छात्रों को अपने घर अवश्य मोहल्लों में उपलब्ध स्थान पर सतने
हेतु सामान दवर जिसकी व्यवस्था प्रभारी द्वारा एवं ग्रध्यापक के परिवेश में
दी जाय, स्थान की कमी का निराकरण किया जा सकता है।

उपरोक्त बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय के छात्रों के ग्रधिकरण
सामने हेतु एक मुनियाजित कायदङ्ग बनाया जा सकता है।

प्रायोगिक कार्य (Practicum)—5

विद्यालय में निर्देशन केंद्र की स्थापना

(Establishing Guidance Centre in the School)

एक माध्यमिक विद्यालय में निर्देशन केंद्र की स्थापना हेतु निम्नांकित बिंदुओं
को दृष्टिगत रखा जाना चाहिए (निर्देशन के उद्देश्य, प्रकार तथा संषठन के नियम
में इस पुस्तक व पर्याय-24 में दिये।) —

(1) राज्य शास्त्रिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो (State Bureau
of Education and Vocational Guidance Bureau) —राजस्वान में

राज्य शक्तिक घनुसधान एव प्रशिक्षण सम्पान (SERT) उदयपुर म स्थित है। विद्यालय मे निर्देशन-के द्र की स्थापना से पूय इस घूरो से सम्पक कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए।

(2) क्षेत्रीय परामशदाता (Counsellor) के मागदशन मे निर्देशन के द्र की स्थापना की जानी चाहिए। विक्षा विभाग ने राज्य के विभिन क्षेत्रो हतु पृथक क्षेत्रीय परामशदाता नियुक्त किये है जिनका मागदशन विद्यालयो को प्राप्त करना चाहिए।

(3) करियर मास्टर (Career Master) के प्रशिक्षण हतु विद्यालय के किसी उपयुक्त भव्यापक का चुनाव कर उसे राज्य के घूरो द्वारा प्रशिक्षित कराना चाहिये ताकि वह निर्देशन-के द्र का प्रभारी बनाया जा सके। करियर मास्टर द्वारा शला के सभी शिक्षको का निर्देशन हतु भविनवन (Orientation) किया जाना चाहिये।

(4) निर्देशन-के द्र हतु विद्यालय मे उचित स्थान (कोई कक्षा या निर्देशन प्रकोष्ठ-Corner) का निर्धारण किया जाना चाहिए जो छात्रो का ध्यान आकर्षित करें।

(5) निर्देशन-केन्द्र द्वारा आयोजित क्रियाकलाप (Activities to be Organised by the Guidance Center) निम्नाकित होने चाहिए—

(क) सूची सेवा (Inventory Services)—छात्रो के सचयी काड (Cumulative Record Cards) का संग्रहण तथा परीक्षण व परीक्षण रहित प्रविधियो (Testing and Non testing Devices) द्वारा छात्रो के व्यक्तित्व के सभी पक्षो के सम्बन्ध म सूचना एकत्रित करने का काय करना।

(ख) सूचना सेवा (Information Services) — छात्रो के व्याव सायिक निर्देशन हतु स्थानीय सेवा नियोजन कार्यालयो (Employment Exchanges) तथा क्षेत्रीय उद्योग सम्पानो से सम्पक कर रोजगार या स्व रोजगार (Selfemployment) के अवसरो से छात्रो को भवगत कराना चाहिए। विद्यालय मे छात्रो को प्रपनी रूचि के व्यवसायो के भव्ययन करने एव प्रशिक्षण प्राप्त करने हतु उत्प्रेरित करना चाहिए।

(ग) परामश सेवा (Counselling Services) —छात्रो को उनकी व्यक्ति गत व सामाजिक समस्याओ के समाधान हतु परामश दिया जाना चाहिए।

(घ) अन्य गतिविधिया (Other Activities) यावसायिक निर्देशन हतु विद्यालयो द्वारा घोषागिक सम्पानो के परिदशन (Visits) विभिन यवसायो को जानकारी देने हतु पोस्टस, चाट, पम्फलेटस आदि का बुलटिन बोड पर प्रदशन, घोषागिक क्षेत्र के प्रब घको व कमचारियो से भेट, वार्ता, भाषण प्रादि, टी वी,

रडियो, फिल्म स्ट्रॉप्स पादि से सम्बन्धित कार्यक्रमों व प्रदर्शन की व्यवस्था, व्यावसायिक स्थानीय सर्वेक्षण (Surveys) विद्यालय खोड़ने वाले विद्यालयों का प्रनुवर्ती प्रध्ययन (Follow up Studies) प्रादि क्रियाकलाप निर्देशन के द्वारा किये जाने चाहिए।

(३) शिक्षक अभिनवन (Teacher Orientation)-कोठारी शिक्षा प्रायोग ने कहा है—“निर्देशन शिक्षा का अभिनव प्रक्रम समझा जाए चाहिए न कि उसे एक मनोवज्ञानिक या सामाजिक सेवा माना जाये जो शिक्षक उद्देश्यों से भिन्न हो।” (Guidance therefore should be regarded as an integral part of Education and not a special Psychological or social service which is peripheral to educational purposes) अत निर्देशन के द्वारा राज्य निर्देशन व्यूरो प्रथमा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में स्थित प्रस्तार सेवा विभाग (Extension Services Department) के निर्देशन में सभी शिक्षकों को निर्देशन हेतु प्रशिक्षित कराना चाहिए।

प्रायोगिक कार्य (Practicum)-6

अभिलेखा-संधारण (Maintaining Records)

(a) तथा (c) सह-पाठ्यक्रमीय क्रियाओं एव व्यावसायिक सूचना के अभिलेखों का विवेचन इस पुस्तक अध्याय 12 तथा 24 में किया जा चुका है।

(b) सच्ची मूल्याकान अभिलेख

(Cumulative Assessment Records)

मुदालियर माध्यमिक शिक्षा प्रायोग ने कहा है—“न तो बाह्य परीक्षा प्रीर न आ तरिक पृथक रूप से ग्रथवा सम्मिलित रूप से बालक की सर्वांगीण प्रगति के विषय में सही व सम्पूर्ण चित्रण कर सकती है। यद्यपि हमारे लिए इम प्रगति को जानना प्रत्यत प्रावश्यक है तथापि व्यावसायिक एव ज्ञानिक निर्देशन हेतु आवश्यक है कि बालक वे प्रत्येक पक्ष से सम्बन्धित जानकारी का अभिलेख रखा जाये।” सच्ची प्रभिलेख इसलिये महत्वपूरण होता है। वह छात्रों की व्यक्तिगत दुर्बलताओं एव गुणों को नात उनके आधार पर उह निर्देशन (Guidance) दने तथा उनको व्यक्तिगत समस्याओं को समझकर उनका समाधान खोड़ने के लिए बाध्यनीय होता है। कोठारी शिक्षा प्रायोग ने इस तथ्य को इस प्रकार व्यक्त किया है—‘सचित अभिलेख प्रत्यक्ष कक्षा सम्बन्धी छात्र विकास, उसकी शैक्षिक एव सेवायात्रक समस्या उसकी समजत सम्बन्धी समस्याओं एव कठिनाइयों को सुनभाने के लिए उपचारात्मक बायबाही की दिशा नात करने में महत्वपूरण भूमिका निभाता है।”

सचित अभिलेख प्रपत्र (Cumulative Record Proforma)

माध्यमिक शिशा बोडे, राजस्थान, मनमेंर द्वारा समस्त माध्यमिक एवं
० मा० विद्यालयों में संधारण हेतु निम्नांकित सचित अभिलेख प्रपत्र निर्धारित
वया है—

सामान्य तथ्य (General Data)

1 छात्र या छात्रा का नाम

2 ज म-तिथि

3 पिता का नाम

4 अभिभावक का पता

5 माता पिता या अभिभावक का व्यवसाय

6 माता पिता की शिशा “

7 विद्यालय इतिहास

विद्यालय का नाम	वय	परिवतन के कारण
[i] “ ”		
[ii]		
[iii]	“	

8 पारिवारिक इतिहास

[i] परिवार में वालक की स्थिति “

[ii] पारिवारिक प्रनुशासन

[iii] पारिवारिक स्थिति (ग्रामिक, सामाजिक, धार्मिक प्रादि)

[iv] व्यवसाय के सम्बन्ध में माता पिता के विचार

9 छात्र/छात्रा की ग्राकाक्षाएँ “

10 माना पिता को ग्राकाक्षाएँ

शैक्षिक उपलब्धियाँ (Scholastic Attainments)

क्र०सं० (S.N.)	पाठ्य विषय (Subjects)	वि दुष्टान (Grade)	1984 विवरण	वि दुष्टान (Grade)	1985 विवरण	वि दुष्टान (Grade)	1986 विवरण
1	प्रथम भाषा						
2	द्वितीय भाषा						
3	गणेजी						
4	गणित						
5	विज्ञान						
6	सामाजिक अध्ययन						
	वैज्ञानिक						
	[i]						
	[ii]						
	[iii]						

व्यावहारिक क्रियाएँ

पाठ्य क्रिया	बि दुमान	1983 विवरण	बि दुमान	19 विवरण
1 उद्योग (Craft)				
[प] काय पूति (Turnover)				
[व] काय बोशल (Craftsmanship)				
[स] उपयोग (Application) बि दुमानो का योग (Total Grading)				
2 सामाजिक एवं नागरिक क्रियाएँ (Social and Citizenship activities)				
[प] संग्रह (Collections)				
[व] प्रभिष्यक्ति				
[स] सेवा				
[द] दक्षता				
[ष] टीम भावना (Team Spirit)				
बि दुमानो का योग				
3 शारीरिक शिक्षा (Physical Education)				
[प] शारीरिक स्फूति				
[व] केल कूद म भाग बि दुमानो का योग				
4 चित्रकला (Drawing & Painting)				
[प] प्रविधि				
[व] प्रभिष्यक्ति				
[स] सोलिकृता				
5 समीत				
6 नूतन बि दुमानो का योग				

स्वास्थ्य विवरण (Health Reports)

	1982	1983	1984	1985	1986
[i] ऊँचाई	—	—	—	—	—
[ii] भार	—	—	—	—	—
[iii] दृष्टि (मामां प्रभावित)	—	—	—	—	—
[iv] दृष्टि	—	—	—	—	—
[v] अवगुणित ग्राही	—	—	—	—	—
विकितसक की सम्मति	—	—	—	—	—

व्यक्तित्व के लक्षण (Personality Traits)

लक्षण (Traits)	बि. दुमान (Grade)
[i] पहल (Initiative)	✓
[ii] चारित्रिक दृढ़ता	✓
[iii] अध्यवसाय (Perseverance)	✓
[iv] नेतृत्व (Leadership)	✓
[v] मात्रम् विश्वास (Self confidence)	✓
[vi] संवेगात्मक विद्य वश (Emotional Stability)	✓
[vii] सामाजिक अभिवृति (Social Attitude)	✓
[viii] अय	✓

सामांय टिप्पणी (General Remarks)

- [i] उत्तरदायिक प्रदर्शन करने की बोलक की योग्यता
- [ii] किशोर विवरण
- [iii] विकाशाधारक के हस्ताक्षर
- [iv] प्रधानाध्यापक/प्राचार्य के हस्ताक्षर

बोड ने इस मूल्यांकन विधि को "व्यापक भारतीय मूल्यांकन योजना" (Comprehensive Internal Assessment Scheme) का नाम दिया है। यह विभिन्न प्रदृष्टियों का पच-बि. दु-मापनी (Five point Scale) के आधार पर मूल्यांकन कर तथा घटनावृत्त प्रयोग (Anecdotal Records) में दी गई टिप्पणियां का आधार पर सचमुच अभिलेख में प्रविठित करनी चाहिए।

